उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड २५

मई १६, २०, २१, २२, २३, २४, २७, ३०, ३१ तथा जून २, १९५२ ई०

मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद

१९५५

मूल्य, बिना महसूल २ आने, महसूल सहित ३ आने।

वार्षिक चन्दा, बिना महसूल ४ रुपये, महसूल सहित ५ रुपये।

विषय-सूची

खंड २५

विषय | पृष्ठ-संख्या

विषय पृष्ठ-संख्या

शुक्रवार, २३ मई, सन् १९५२ ई०

शनिवार, २४ मई, सन् १९५२ ई०

मंगलवार, २७ मई, सन् १९५२ ई०

विषय पृष्ठ-संख्या

शुक्रवार, ३० मई, सन् १९५२ ई०

शनिवार, ३१ मई, सन् १९५२ ई०

विषय | पृष्ठ-संख्या

सोमवार, २ जून, सन् १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

के

पदाधिकारी

चेयरमैन

श्री चन्द्रभाल ।

डिप्टी चेयरमैन

श्री निजामुद्दीन ।

सेक्रेटरी

श्री श्याम लाल गोविल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।
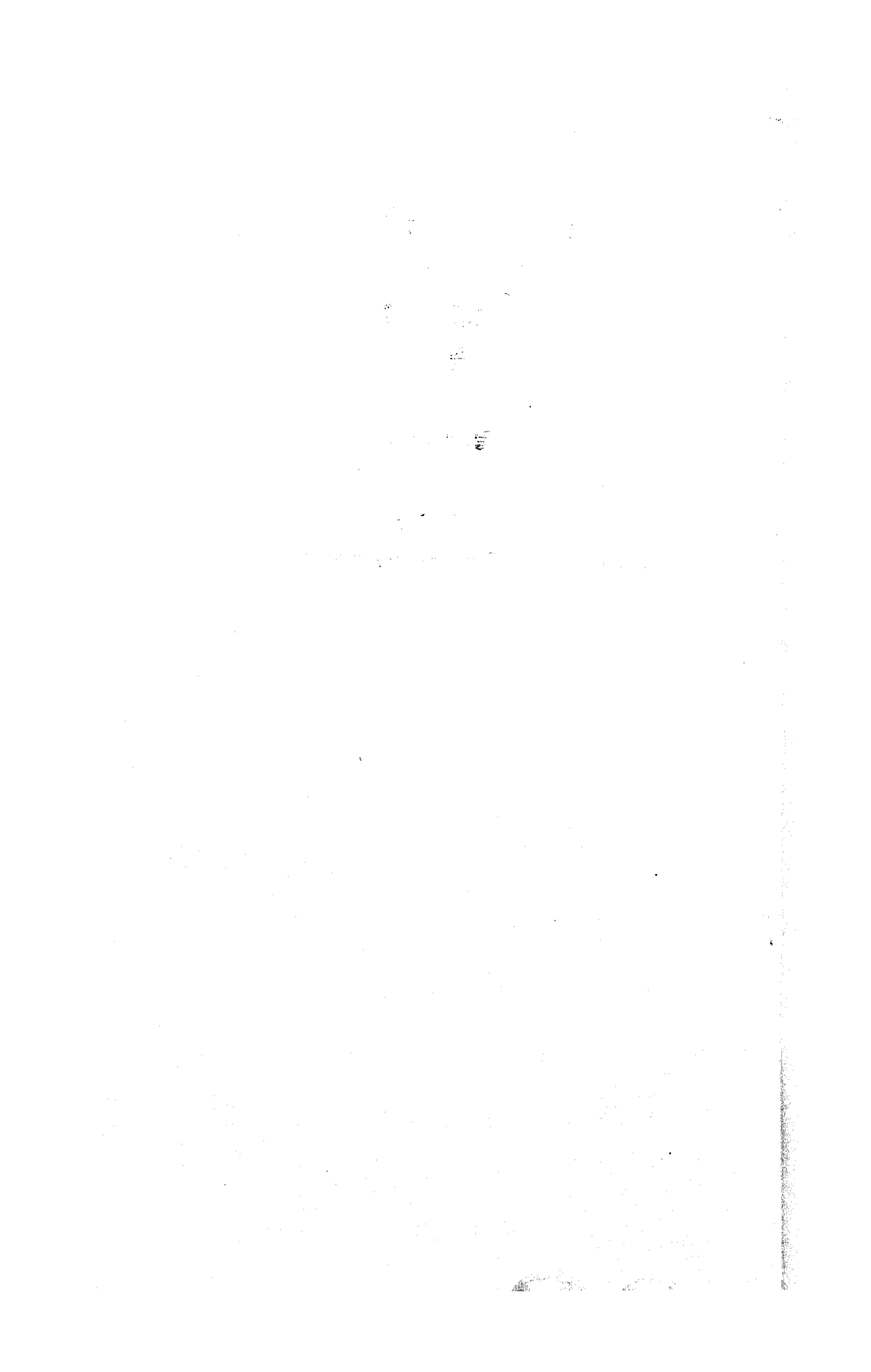
सरकार

गवर्नर

श्री कन्हैया लाल मानिक लाल मुन्शी।

मन्त्री परिषद्

पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा नियोजन मन्त्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, वित्त तथा विद्युत् मन्त्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, गृह तथा श्रम मन्त्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, पुनर्वासन तथा उद्योग मन्त्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।

श्री चन्द्र भानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, खाद्य तथा स्वास्थ्य मन्त्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, माल तथा कृषि मन्त्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट ला, न्याय तथा आबकारी मन्त्री।

श्री हर गोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, हरिजन सहायक तथा शिक्षा मन्त्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वायत शासन मन्त्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन तथा सहकारी मन्त्री।
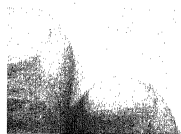
सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

अब्दुल शकूर नजमी श्री ...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री ...	नाम निर्देशित
इन्द्र सिंह, नयाल श्री ...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर ...	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
उमा नाथ बली, श्री ...	नाम निर्देशित।
कन्हैया लाल गुप्त, श्री ...	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
कुंवर गुरु नारायण, श्री ...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
कुंवर महावीर सिंह, श्री ...	,,
केदार नाथ खेतान, श्री ...	,,
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री ...	,,
खुशाल सिंह, श्री ...	,,
गोविन्द सहाय, श्री ...	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
चन्द्रभाल (चेयरमैन) ...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
जगन्नाथ आचार्य, श्री ...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री ...	,,
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री ...	,,
तारा अग्रवाल, श्रीमती ...	नाम निर्देशित।
तेलू राम, श्री ...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
दीप चन्द्र, श्री ...	,,
नरोत्तम दास टंडन, श्री ...	,,
निजामुद्दीन (डिप्टी चेयरमैन) ...	,,
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री ...	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री ...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
प्रभु नारायण सिंह, श्री ...	स्थानीन संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री ...	,,
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री ...	,,
पन्ना लाल गुप्त, श्री ...	,,
परमात्मा नन्द सिंह, श्री ...	,,
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री ...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर ...	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री ...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
बशीर अहमद, श्री ...	,,
बालक राम वैश्य, श्री ...	,,
बाबू अब्दुल मजीद, श्री ...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री ...	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
बीरभान भाटिया, डाक्टर ...	नाम निर्देशित।
बेणी प्रसाद टन्डन, श्री ...	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
वंशीधर शुक्ल, श्री ...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
ब्रजलाल वर्मन, हकीम, श्री ...	,,
बृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर ...	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
महमूद असलम खां, श्री ...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
महादेवी वर्मा, श्रीमती ...	नाम निर्देशित।
मानपाल गुप्त, श्री ...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।

मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर	...	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
राजा राम शास्त्री, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
राना शिव अम्बर सिंह, श्री	...	"
राम किशोर रस्तोगी, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
राम किशोर शर्मा, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
राम नन्दन सिंह, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
राम लखन, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
राम लखन सिंह, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
राव बजरंग बहादुर सिंह, श्री	...	नाम निर्देशित।
रुक्नुद्दीन खां, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
लल्लू राम द्विवेदी, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
लालता प्रसाद सोनकर, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
लाल सुरेश सिंह, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
विजयानन्द आफ विजियानगरम, डाक्टर, महाराज कुमार	...	नाम निर्देशित।
विश्वनाथ, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री	...	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती	...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
शान्ति देवी, श्रीमती	...	"
शिव मूर्ति सिंह, श्री	...	"
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती	...	"
शिव सुमरन लाल जोहरी, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
श्याम सुन्दर लाल, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
सत्यप्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री	...	"
सभापति उपाध्याय, श्री	...	नाम निर्देशित।
सरदार सन्तोष सिंह, श्री	...	"
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री	...	"
हृदय नारायण सिंह, श्री	...	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
हयातुल्ला अन्सारी, श्री	...	नाम निर्देशित।
हर गोविंद मिश्र, श्री	...	नाम निर्देशित।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के अस्थायी चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में।

उपस्थित सदस्य (६६)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डा०
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलूराम, श्री
दीपचन्द्र, श्री
नरोत्तमदास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभुनारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डा०
बजरंग बहादुर सिंह, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बी० बी० भाटिया, डा०
बेनी प्रसाद टंडन, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
व्रजलाल वर्मन (हकीम), श्री
वृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद असलम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
लल्लूराम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजयआनन्द आफ़ विजयानगरम्, महाराजा-कुमार, डा०
विश्वनाथ, श्री
शान्तिस्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
हृदयनारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम (वित्तमंत्री) भी उपस्थित थे।

अस्थायी चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) द्वारा शपथ ग्रहण किये जाने की घोषणा

Secretary, Legislative Council : His Excellency the Governor of Uttar Pradesh has been pleased to appoint, in accordance with the provisions of Article 188 of the Constitution of India, Hon'ble Mr. Justice Lakshmi Shanker Misra, Judge, High Court, Allahabad, as the person before whom Sri Chandra Bhal, M. L. C., temporary Chairman shall before taking his seat in the Legislative Council make and subscribe on May 7, 1952, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule of the said Constitution.

(Oath was taken accordingly on May 7, 1952)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के अस्थायी चेयरमैन के पद पर श्री चन्द्रभाल एम० एल० सी० की नियुक्ति की घोषणा

Secretary, Legislative Council : In pursuance of the provisions of Article 184 (*i*) of the Constitution, His Excellency the Governor of Uttar Pradesh has been pleased to appoint with effect from May 7, 1952 Sri Chandra Bhal, M. L. C., to perform the duties of the office of the Chairman of the Uttar Pradesh Legislative Council until such time as the Legislative Council elects a Chairman in accordance with the provisions of Article 182 of the Constitution.

सदस्यों द्वारा अस्थायी चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सम्मुख शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान करने के बारे में राज्यपाल का आदेश

Secretary, Legislative Council : His Excellency the Governor of Uttar Pradesh has been pleased to appoint in accordance with the provisions of Article 188 of the Constitution of India, Hon'ble Sri Chandra Bhal, M. L. C, as the person before whom each member of the Uttar Pradesh Legislative Council shall before taking his seat make and subscribe an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule to the said Constitution.

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना या प्रतिज्ञान करना

ऐक्टिंग चेयरमैन—महामान्य राज्यपाल के आदेश के अनुसार हम लोग आज यहाँ शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिये बैठे हुये हैं। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो काम हम लोगों के सुपुर्द हुआ है उससे हमारे देश और प्रदेश की सुख और शान्ति बढ़ेगी। अब हम लोग दो मिनट खड़े होकर शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले मौन धारण करें।

(सभी सदस्य २ मिनट तक मौन खड़े रहे।)

ऐक्टिंग चेयरमैन—शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिये सेक्रेटरी एक-एक करके सदस्यों का नाम लेंगे। आप लोगों की मेज पर शपथ या प्रतिज्ञान की एक प्रति रखी है। जब आप शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे तो उसे लेकर आप लोग एक-एक करके यहां आयगे और यहां पर शपथ लेंगे और पीछे से जाकर रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की या प्रतिज्ञान किया :--

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़
श्री बालक राम वैश्य
श्री कुंवर गुरु नारायण
श्री केदारनाथ खेतान
श्री खुशाल सिंह
श्री कृष्णचन्द्र जोशी
श्री लालता प्रसाद सोनकर
श्री कुंवर महाबीर सिंह
श्री प्रतापचन्द्र आजाद
श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार
श्री राजाराम शास्त्री
श्री रामनन्दन सिंह
श्री गोविन्द सहाय
श्री निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी
डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव
श्री कन्हैयालाल गुप्त
श्री शान्तिस्वरूप अग्रवाल
श्री रामकिशोर शर्मा
श्री हृदय नारायण सिंह
श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी
श्री ज्योति प्रसाद गुप्त
श्री तेलूराम
श्री दीपचन्द्र
श्री महमूद असलम खां
श्री इन्द्र सिंह नयाल
श्री शिव सुमरन लाल जौहरी
श्री बाबू अब्दुल मजीद
श्री प्रेमचन्द शर्मा
श्री बृजलाल बर्मन (हकीम)
श्री अब्दुल शकूर नजमी
श्री मानपाल गुप्त
श्री जमीलुर्रहमान किदवई
श्री लाल सुरेश सिंह
श्री बंशीधर शुक्ल
श्री लल्लू राम द्विवेदी
श्री राम लगन सिंह
श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरि प्रसाद
श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल
श्रीमती शान्ति देवी
श्री राना शिवअम्बर सिंह
श्री शिवमूर्ति सिंह
श्रीमती शिवराजवती नेहरू
श्री श्याम सुन्दर लाल
श्री विश्वनाथ
डा० बृजेन्द्र स्वरूप
डा० ईश्वरी प्रसाद
श्री बेनी प्रसाद टंडन
श्री प्रसिद्ध नारायण अनद
श्री पन्ना लाल गुप्त
श्री नरोत्तमदास टंडन
श्री जगन्नाथ आचार्य
श्री परमात्मानन्द सिंह
श्री निजामुद्दीन
श्री प्रभुनारायण सिंह
श्रीमती महादेवी वर्मा
डा० बी० बी० भाटिया
श्री राय उमानाथ बली
श्री राय बजरंग बहादुर सिंह
श्रीमती तारा अग्रवाल
श्री सैयद मोहम्मद नसीर
महराजकुमार डा० विजय आफ विजयानगरम्
श्री सरदार सन्तोष सिंह
श्री हयातुल्ला अन्सारी
श्री हरगोविन्द मिश्र
श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी
श्री राम किशोर रस्तोगी

ऐक्टिंग चेयरमैन--कौंसिल स्थगित करने से पहले मुझे यह कहना है कि जिन माननीय सदस्यों ने आज शपथ नहीं ली है, कल यदि वे यहां आ जायें तो वे ११ बजे पहले शपथ ले लें और फिर उसके बाद चेयरमैन का चुनाव होगा।

कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १२ बजे दूसरे दिन अर्थात् २० मई सन् १९५२ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१९ मई सन् १९५२ ई०

पी० एस० यू० पी०--१४ एल० सी०--१९५२--८२०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के अस्थायी चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (६७)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डा०
उमानाथ बली, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरुनारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीपचन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभुनारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डा०
बजरंग बहादुर सिंह, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बी० बी० भाटिया, डा०
बेनी प्रसाद टंडन, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल बर्मन (हकीम), श्री
बृजेन्द्र स्वरूप, डा०
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रो०
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ विजयानगरम्, महाराजकुमार, डा०
विश्वनाथ शर्मा, श्री
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति देवी, श्रीमती
शिव मूर्ति सिंह, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे--

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)।
श्री चन्द्रभानु गुप्त (खाद्य तथा रसद मंत्री)।
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)।

शपथ लेना या प्रतिज्ञान निश्चय करना

अस्थायी चेयरमैन—जिन माननीय सदस्यों ने अभी तक शपथ नहीं ली है वे शपथ ले लें।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की।

चेयरमैन का चुनाव

अस्थायी चेयरमैन—चेयरमैन के पद के लिये सिर्फ श्री चन्द्रभाल का ही नाम प्रस्तुत किया गया है। जो नामीनेशन पेपर्स (nomination papers) आये हैं उनमें से एक में प्रस्तावक श्री दीपचन्द्र हैं और उसका अनुमोदन श्री ज्योति प्रसाद ने किया है। दूसरे में प्रस्तावक श्री बजरंगबहादुर सिंह हैं और उसका अनुमोदन श्री सुरेश सिंह ने किया है। तीसरे में प्रस्तावक श्री जमीलुर्रहमान किदवाई हैं और अनुमोदनकर्ता श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरि प्रसाद हैं। चूंकि और किसी भी सदस्य के लिये नामजदगी नहीं हुई है, इसलिये मैं घोषित करता हूं कि श्री चन्द्रभाल कौंसिल के चेयरमैन निर्वाचित किये गये हैं।

श्री चन्द्रभाल के चेयरमैन के पद पर चुने जाने पर बधाई

*मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)—मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस भवन के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गये हैं और बिना किसी मुखालिफत के आपका चुनाव हुआ है। इसलिये मैं आपको बधाई और मुबारकबाद देता हूं। आपको इस भवन के अध्यक्ष के पद का काम करने का अभ्यास है। पहले भी आपने इस पद को सुशोभित किया और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी योग्यता और न्याय के अनुसार इस भवन का संचालन होता रहेगा। आपने अपने भवन में एक शुद्ध आचरण से कार्य करने का अपना नियम बनाया है और वह नियम भविष्य में भी बना रहेगा। आपको इस कार्य में हर तरह से सफलता हो यह हम सब की अभिलाषा और आकांक्षा है। आज हमारे प्रदेश में इस वैधानिक प्रगति की एक मंजिल तय करके और आगे बढ़ने का अवसर आया है। एक अध्याय पूरा हो कर दूसरा शुरू हो रहा है। पहले बहुत अर्से तक तो हमको स्वतंत्रता लेने में और देश को आजाद करने में अपने सारे जीवित समाज की शक्ति और ताकत लगानी पड़ी। उसके बाद फिर बड़ी कठिनाइयों के बीच में हमें आजादी मिली, और उसके पश्चात् उस आजादी को कायम रखना और जो उस समय बड़ी-बड़ी समस्यायें आई थीं उनको जिस तरह से हल करके जितना आगे हम बढ़ सकते थे, उसके लिये यत्न करना आवश्यक था, और वह हमने किया। अब हम और उसके आगे बढ़े हैं। अब हमारा गणराज्य जो हमने स्थापित किया है उसके अनुसार इस भारत के रिपब्लिक (republic) में हमारे प्रदेश में भी सबसे पहला यह निर्वाचन हुआ है। पहली कौंसिल में और आज की कौंसिल की बनावट में बड़ा भारी अन्तर है। पहली कौंसिल में एक तरह से राजे और दूसरी तरह की सत्ता के अधिकार प्राप्त वालों की चुनी हुई संस्था के लोग थे। आज की हमारी कौंसिल में जितने भी सदस्य हैं वे जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने हुये हैं। इसमें कला और हमारे देश की शिक्षा तथा और भी जो बातें हो सकती हैं उन विचारों का सामञ्जस्य है, इससे इस कौंसिल की महत्ता और इसकी उपयोगिता, मैं आशा करता हूं, कि पहले से भी अधिक बढ़ी-चढ़ी साबित होगी। इस कौंसिल के मेम्बरों में असेम्बली के प्रतिनिधि काफी संख्या में हैं। स्थानीय संस्था, शिक्षित समाज और साहित्य कला के प्रेमी हैं, जिनसे यह कौंसिल बनी हुई है। हर मनुष्य को आशा है कि यहाँ का

---

* मुख्य मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जो कार्य होगा वह रचनात्मक ढंग से होगा और देश की व्यवस्था को सामने रखते हुये हर काम यहां का इसी दृष्टि से होगा। मैं यह कहना आवश्यक नहीं समझता हूं कि असेम्बली में बहुत छानबीन और जांच पड़ताल होने के बाद मामला यहां पर आता है और यह आशा की जाती है कि उसमें जरूरी संशोधन हों और वह कार्य शीघ्रता से समाप्त हो जाये। यहां के सदस्यों से यह आशा है कि देश के कार्य को आगे बढ़ाने वाली जितनी योजनायें हैं उनको सफल बनाने में वे पूरी सहायता देंगे ताकि हम अपने देश का निर्माण अच्छी तरह से कर सकें। और हमें इसका यत्न करना है जिससे यथा सम्भव हर एक पुरुष की सुरक्षा, मानसिक विकास और सामाजिक उन्नति होती रहे और अपने जिन कामों का भार हमारे ऊपर है, उसे हम अच्छी तरह से निभाते रहें और इस प्रकार अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से रखते हुये ठीक तरह से रहने का अवसर हमें मिले। यहां के सामाजिक और मानसिक शक्ति की काफी वृद्धि हो और उसके अनुसार हम लोग बढ़ते जावें, इस प्रदेश और देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति में जो हमारे विधान ने हमारे लिये निर्धारित किया है, और उसके लिये उसमें जो मौलिक धारायें हम भूल भी गये हों, तो उनको प्राप्त करने में और उनकी सफलता तथा उनको सफल बनाने में, हर तरह की आज़ादी मिलेगी। मैं , जो सदस्य यहां आये हैं उन सबका सादर स्वागत करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह सब देश के हर एक कार्यों में सहायक हों और यह भरोसा रखता हूं कि उनके द्वारा हम सब मिल कर देश की सेवा करने में और इस देश को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के अध्यक्ष के पद पर फिर से निर्वाचित होते हैं, इसके लिये मैं स्वतंत्र हृदय से आपको बधाई देता हूं। वास्तव में आजकल के युग में जहां विभिन्न पार्टियां हैं और जिन पार्टियों में सदस्यों का संघर्ष होता रहता है, इन सब बातों के होते हुये भी सर्वसम्मति से और सब दलों ने आपको अपने इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया है, यह हमारे लिये बड़ी ही अच्छी बात है। आज कल हमारे देश में प्रजातन्त्रवाद का एक नया प्रयोग हो रहा है और इस प्रयोग की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि इस सदन के अन्दर हम किस परम्परा की नई-नई बातें करते हैं। ऐसी हालत में हमारा कर्त्तव्य है कि हमारे स्वराज्य की जनता को उन्नतमय जीवन प्राप्त हो। जनता का जीवन बहुत कुछ हमारे उन कर्त्तव्यों के ऊपर निर्भर है, जो कार्य कि हम इस सदन के अन्दर करेंगे। इस सदन में सरकारी पक्ष का बहुत बहुमत ह, हम लोग अल्पमत के लोग हैं, हमारी तादाद कम की है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप जिस पद पर सुशोभित हैं, तो आप जैसे व्यक्ति के वहां पर बैठे रहने की वजह से अगर बहुमत कभी इस बात की चेष्टा करेगा कि अल्पमत के अधिकारों पर किसी तरह का कुठाराघात हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तरफ से हमारे अधि-कारों की रक्षा की जायेगी। जहां तक आपके व्यक्तित्व का सम्बन्ध है मेरा विश्वास है और हम सब लोग जानते हैं कि काफी अर्से से आपने इस सदन की अध्यक्षता की है। आपने जब-जब जो रूलिंग्स (rulings) दीं, कठिन से कठिन समस्याओं को दूर करके जो राय दी, वह एक ऐसी राय है जिसने सदैव इस सदन का गौरव बढ़ाया है। विधान के मुताबिक हमारा यह सदन नीचे के सदन से ऊंचा कहलाता है। मेरा यह ख्याल है कि इस जगह पर हम जो कुछ करेंगे उसका बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि सरकारी पक्ष की नीति कितने ही मामलों में हम लोगों की नीति से मतभेद रखती है और अब सम्भव है कि सदन में भी सरकारी पक्ष की तरफ से बहुत सी बातें की जायें और उससे हम सहमत न हों, और हम उसका विरोध करें, लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी हम कहेंगे वह जनता के हित में कहेंगे और वही बात कहेंगे जिससे

[श्री राजाराम शास्त्री]

इस सदन का गौरव हमेशा बढ़ता रहेगा और हम कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे जिसके अन्दर आप अविश्वास की बू भी पायें। यह हम पूरे आश्वासन के साथ कहते हैं और यह बात समझते हैं कि जनता के हित से ही देश के हजारों लोगों की भलाई है। हम यहां पर जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से बैठे हुये हैं, तो हम जनता का हित और उसकी शुभकामना अपने सामने रखें। मैं आपको आज से नहीं सन् २२-२३ के जमाने से जानता हूं जब मैं काशी विद्यापीठ का छात्र था और मैं इस बात को भी जानता हूं कि आप एक महान् पिता के पुत्र हैं और आपने इस देश की सेवा भी की है। ऐसी हालत में हमें और आप सब लोगों को मिल कर ऐसा कार्य करना चाहिये कि जिससे जनता का हित और कल्याण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपको फिर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब लोगों का हित आपके हाथ में सुरक्षित है और हरएक काम में आप ऐसा ही करेंगे, जिससे कि सदन का गौरव बढ़ता रहेगा।

Maharajkumar Dr. Vijaya of Vizianagram: I would like in the first place to congratulate the House much more than congratulate you as you have really adorned the Chair of our new House to-day. You, Sir, endeared yourself to all sections of the House in the last Council and held the scales even. I do not agree when it is said that you belong to a particular party. The other day I remember to have read from the papers Dr. Radhakrishnan's words recently uttered by him when he was presiding over the Council of States that he did not belong to any party but that he belonged to all parties. May I say, Sir, that you belong to the entire State of Uttar Pradesh. There is tradition behind you, Sir; you belong to a family in whose veins Parliamentary system runs. Your revered father, Dr. Bhagwan Das, was a great figure in the Central Assembly, God bless him and your brother, the Governor of Madras, was a very well-known debater also in the Assembly and for some little time, I believe, in the Constituent Assembly as well. I do not wish to make a long speech, neither am I long-winded. It would be in the fitness of things, as an old cricketer, to wish you a hundred glorious runs not out—hundred in this sense, that you may preside over this House for hundred long years.

श्री हरगोविन्द मिश्र—माननीय चेयरमैन महोदय, आज इस आसन पर आपको आसीन देख कर हमारे हृदयों में अत्यन्त प्रफुल्लता हो रही है। अत्यन्त श्रद्धा के साथ मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि आपके सम्मुख अर्पित करता हूं और आशा है कि आप इसे स्वीकार कीजियेगा। आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति और अनुभवी कर्णधार को पाकर हम सब अपने को कृतकृत्य समझते हैं। हमें पूरा विश्वास है और उसी विश्वास के साथ हम आपको अपना प्रतिवचन भी देते हैं कि आपकी अध्यक्षता में रह कर हम वह सब कार्य करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे जिसके द्वारा इस अपने प्रान्त के ७ करोड़ नर-नारियों के जीवन को सुख-शान्तिमय बना सकें। वास्तव में जैसा आपका नाम है उसके अनुकूल ही इस उत्तर भारत के भाल में आपका व्यक्तित्व चंद्रमा के समान प्रकाशित होता रहेगा और उस प्रकाश के अन्तर्गत हम लोग सुचारुरूप से कार्य करेंगे, ऐसी हमको पूर्ण आशा है। आज का दिन, नवीन भारत के इतिहास में, भावी संतान बड़े गौरव के साथ स्मरण करती रहेगी। आपका सर्वप्रथम चेयरमैन इस नवीन विधान का चुना जाना एक महान् घटना है। ऐसे अवसर पर प्राचीन काल

में विद्वान् और ऋषी लोग जो बधाई और आशीर्वाद देते थे उसमें वह यह कहते थे "राजन सुमतिर्भूयात्"। आज राजन् शब्द तो नहीं रहा अस्तु मैं यह कहूंगा "हे, आदरणीय चेयरमैन, सुमतिर्भूयात्", आपकी सुबुद्धि ठीक रास्ते पर चलती रहे और उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए हम भी अपने करोड़ों नर-नारियों की सेवा कर सकें। मैं इन शब्दों के साथ आपको श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूं, मुझे आशा है कि आप स्वीकार करेंगे।

श्री प्रतापचन्द्र आज़ाद—महोदय, आपका सर्वसम्मति द्वारा अध्यक्ष चुना जाना इस बात को सिद्ध करता है कि कौंसिल के पिछले समय में आप सब के हर दिलअज़ीज रहे। आपने विधान परिषद् के अन्दर जिन ऊंचे आदर्शों पर चल कर और जिस निष्पक्षता के साथ कार्य किया है उसकी सब दलों के लोग भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। आज हमें पूर्ण आशा है कि भविष्य में भी आपके अध्यक्ष पद में जितने दल के लोग हैं, और जितने विचार के लोग है, उन सब के अधिकारों की रक्षा होगी और उनका कान्फीडेन्स (confidence) आपके ऊपर होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विचार आपके अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर लीडर आफ दी हाउस ने इस भवन में प्रकट किये हैं और उसके बाद और दूसरे मित्रों ने रखे हैं, मैं भी उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। मुझे खुशी है कि आपके अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध हुआ है और इसलिये आप और भी अधिक बधाई के पात्र हैं। मैं आपको और भी अधिक बधाई का पात्र इसलिये समझता हूं कि समाजवादी भाइयों ने भी आपको चुन लिया है। मुझे मालूम है कि असेम्बली में सिम्बोलिक अपोज़ीशन (symbolic opposition) के रूप में हमारे समाजवादी भाइयों ने अपना प्रतिनिधि रखा था। लेकिन आपके व्यक्तित्व को समझ कर और कुछ और विचार करके उन्होंने यहां पर अपना प्रतिनिधि नहीं रखा और उनका पूर्ण रूप से समर्थन आपको प्राप्त है। मुझे अधिक अनुभव नहीं, लेकिन मैं यह जानता हूं और बहुत से मेरे मित्र जो पिछली कौंसिल में थे और जो अपोज़ीशन में थे उनका यह कहना है कि जिस निष्पक्षता से आपने अल्पमत की रक्षा की है वह सराहनीय है। हमें आशा है कि इस कौंसिल में जब कि अल्पमत बहुत कम पड़ गया है, आपके द्वारा, उसकी रक्षा उसी प्रकार होती रहेगी जैसे पहले होती रही है। एक बात मैंने अभी सुनी, मेरे मित्र महाराजकुमार विजयानगरम् ने अभी कहा कि आप नो पार्टी मेन (No Party Man) की हैसियत से हैं और इसीलिए हर पार्टी के हैं। मेरा अपना विचार ऐसा है और मैं इसमें कोई दोष भी नहीं समझता कि कोई शख्स किसी पार्टी से चुना जाय। देखना हमको यह है कि जो व्यक्ति चुना जाता है वह कैसा है, उसमें कितना चरित्र है, उसमें कितनी हिम्मत है कि वह अपनी पार्टी के कुचक्रों से बचकर अपने को संभाल सकें। मैं जानता हूं कि पिछली असेम्बली में बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन स्पीकर थे मगर थे वह कांग्रेस पार्टी के थे और वह कोई छिपी बात भी नहीं थी। तो अगर वह व्यक्ति ऐसा हो जो अपने में चरित्र रखता हो तो कोई वजह नहीं कि चाहे वह किसी भी पार्टी का हो हम उसका स्वागत न करें। यह चीज आपके लिये है। आप, जैसा कि हमारे मित्र राजाराम शास्त्री ने कहा, एक ऐसे महान् पुरुष के पुत्र हैं कि चाहे कितना भी हो आप उन आदर्शों से, जिनको अपने जीवन भर आपके पिता जी ने रखा, आपके सामने से नहीं हट सकते। मैं भी इन शब्दों के साथ आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपकी अध्यक्षता में जो कुछ भी हम लोगों के विचार होंगे उन पर भली-भांति विचार होगा और आप हम अल्पमत वालों की बराबर रक्षा करते रहेंगे।

श्री (हकीम) बृजलाल बर्मन--माननीय प्रधान महोदय, इस अवसर पर मुझे इतना ही अर्ज करना है कि आपने इस संसद की कार्यवाही के संचालत में गुजिश्ता जमाने में शानदार रेकार्ड कायम किया है, आशा है आइन्दा भी अल्पमत के अधिकार और बहुमत के अधिकार के झंझट में न पड़ कर, सब मत के अधिकारों की रक्षा करने में, समान रूप से, इस संसद की कार्यवाही का संचालन करके और भी शानदार रिकार्ड कायम करेंगे। इस मौके पर मैं नवीन आगन्तुकों की ओर से आपको पुनः इस सदन का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अध्यापक तथा स्नातक क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की ओर से आपके निर्विरोध निर्वाचन पर मैं आपको बधाई देता हूं। जहाँ तक मैंने अपने मित्रों से सुना है आप ने इस सदन के अध्यक्ष के रूप में बड़ी निष्पक्षता, न्याय प्रियता, सहिष्णुता तथा योग्यता के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। मेरे मित्रों ने जो इस विधान परिषद के मेम्बर रह चुके हैं मुझे बतलाया है कि आपने किस प्रकार अतीत काल में अपने कर्त्तव्यों का पालन किया है। इस बात को सुनकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती है और मैं आशा करता हूं कि आप आगामी काल में इसी प्रकार इस सदन का कार्य करेंगे। आपको भली-भांति मालूम है कि हाउस आफ कामन्स के सभापति में क्या गुण अपेक्षित हैं। स्पीकर को रोबदार होना चाहिये। स्पीकर की साफ तेज आखें होनी चाहिये। स्पीकर का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिये उसकी स्मरण-शक्ति अच्छी होनी चाहिये जिससे उसे सदस्यों के नाम याद रह सकें। यह सब गुण आप में विद्यमान हैं। इनको देखकर मैं आशा करता हूं कि आप इस विधान परिषद की कार्यवाही को सफलता के साथ पूरी करेंगे यह सभा पहली सभा की तरह नहीं है। इसका रूप-रंग बिल्कुल बदल गया है। इसमें कई प्रकार के नये सदस्यों का समावेश हुआ है जिनमें से मैं भी एक हूं अब हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है कि पार्लियामेन्टरी (Parliamentary) परम्परायें स्थापित हों आपको विधान सत्ता को सर्वोपरि बनाना है। यह आपका प्रथम कर्त्तव्य है। पार्लियामेन्टरी ट्रेडीशन (Parliamentary Tradition) कायम करने में आप सबसे अधिक योग दे सकते हैं। मुझे आशा है कि आप निरन्तर इस बात का प्रयत्न करेंगे कि पार्लियामेन्टरी कायदे बर्ते जायें। कोई मनुष्य किसी प्रकार से पार्लिया-मेन्टरी नियम की अवहेलना न कर पाये। यह विधान परिषद जो नयी बनी है इसको बहुत कार्य करना पड़ेगा और जिनमें एक काम जो मुख्य है वह एजुकेशन (education) का होगा। हमारे मित्रों ने कहा है कि आप ऐसे वंश के हैं जिसको विद्या से प्रेम रहा है। आप के परम पूज्य पिताजी हमारे प्रदेश के क्या भारतवर्ष के नहीं संसार के अद्भुत विद्वानों में से हैं। उनके आदर्श सदैव उत्तम और लक्ष्य ऊंचे रहे हैं मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि आपने उन आदर्शों पर चलकर बहुत बड़ा काम किया है और आपको बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। ईश्वर आपको चिरायु करे आपको सुबुद्धि दे, जिससे दिन प्रति दिन इस सदन की कीर्ति बढ़ती जाय। जितने कार्य देश के हित के लिये होंगे उन सबसे हमारा सहयोग होगा। इस सदन के नियमों का पालन करने में जो कार्यवाही आप करेंगे उसमें हमारा पूर्णरूप से सहयोग होगा। एक बार फिर यू० पी० के अध्यापकों और स्नातकों की ओर से मैं आपको बधाई देता हूं।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़--जनाब चेयरमैन साहब मेरे मुअज्जिज अहबाब ने दौराने तकरीर में जो कुछ इर्शाद फरमाया है उसको मद्दे नजर रखते हुये मैं भी जनाब की खिदमत में चन्द अल्फाज अर्ज करना चाहता हूं। जनाब का और इस खादिम का साथ सन् १९३७ से है। उनमें से हम चार आदमी हैं, जनाब अपनी काबलियत हुस्नइखलाक, शीरी कलाम तजुर्बात और मालूमात के असर से मुजैयन हैं और आप के औसाफ का दिल पर एक खास असर है और इसका दिल मायल है और गिरवीदा

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

है। जनाब में मुहब्बत की खास उमंगें उठा करती हैं और मौजें मौजजन रहा करती हैं। जनाब की तर्ज हुकूमत खुद शाहिद और गवाह हैं कि जनाब ने चेयर-मैनी की हालत में हर एक वक्त हर मिनट ऐवान के हर मेम्बर की इज्जत और पार्लियामेन्टरी प्रोसिज्योर (Parliamentary procedure) की इज्जत कायम करने में हर समय खर्च किया है। इसी वजह से हर दिल अजीज हैं। यह सूरत और यह सीरत निहायत दिल बख्श और तस्कीन दे रही है जैसा कि अभी तकरीर से साबित हुआ हर मेम्बर के ईमान और हर मेम्बर के दिल पर जनाब की कुदरत हासिल है। दर-असल हमारी और आप की जिन्दगी में पिछले दो ऐवान गुजर चुके हैं। उनसे यह ऐवान एक नयी सूरत रखता है और डेमोक्रेसी (democracy) जम्हूरियत को अपनी शऊर और किरनों से निहायत सजा हुआ है जैसा कि मिल्टन ने कहा है morning shows the day इसकी सुबह इस बात की दलालत करती है कि यह ऐवान अपनी हैसियत में अपनी मुद्दत में किसी दूसरे ऐवान से कम न रहेगा। इसका चुनाव बेहतरीन तजुर्बेकार और काबिलतरीन मेम्बरों ने जो यहाँ तशरीफ फर्मा हैं किया है यह निहायत खुशी और मसर्रत की बात है कि जनाब का एलेक्शन यूनानीमसली (unanimously) हुआ है। लिहाजा यह बात साबित करती है कि आप पर सब का यकीन है और जनाब के अहदे हुकूमत में मुल्क की तरक्की होगी और इस ऐवान को तरक्की हासिल होगी। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपने पुराने दोस्तों की तरफ से जनाब को मुबारक बाद देता हूं।

श्री गोविन्द सहाय—सभापति महोदय, मैं आप के निर्विरोध चुने जाने के अवसर पर आपको बधाई देता हूं। मैं व्यक्तिगत तारीफ करना और तारीफ कराना पसन्द नहीं करता। आज जब कि सियासी पार्टियां एक दूसरे के विरोध में टकरा रही हैं ऐसी हालत में अगर इस हाउस के लोगों ने आपके खिलाफ कोई आदमी खड़ा करना उचित नहीं समझा और आपको निर्विरोध निर्वाचित किया है अतः मैं इस ख्याल से आपको मुबारकबाद देता हूं अभी हमारे मुख्य मंत्री ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया है। यह सही बात है कि इस मुल्क में आजाद हिन्दुस्तान में यह पहिला लेजिस्लेचर (Legislature) है जो चुन कर यहां आया है। जम्हूरियत का कायम रखना इस बात पर मुनहसिर है कि किस किस्म के ट्रेडीशंस (traditions) रवायात यहां कायम होते हैं यह सही है कि इस मौके पर करोड़ों लोगों ने वोट दिया है लेकिन इसके साथ ही ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की थी जिनको जम्हूरियत के माने तक मालूम न थे। ऐसी हालत में आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस-लिये मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब चीजों को महसूस करते हुये यहां वह ट्रेडीशंस कायम होंगे जो जम्हूरियत को इस मुल्क में ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। खासतौर पर इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर ह जो अक्सरियत में यहां आये हैं। हाउस की डिगनिटी (dignity) कैसी हो इसका ताल्लुक उन लोगों से है जो बाहर से चुन कर यहां आये हैं। किसी हाउस के कन्स्टीटुएन्ट्स (constituents) जो होते हैं वही उस हाउस की डिगनिटी को बनाते हैं यहां जो लोग आये हैं वह आदमियों के नामों से चुन कर आये हैं जानवरों के नामों से नहीं, जो जम्हूरियत के माने भी न समझते ह। ऐसे लोग दरअसल जम्हूरियत की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले जमाने में रिफार्म्स (reforms) जिसको चेम्सफोर्ड रिफार्म ऐक्ट (Chelmsford Reform Act) कहते थे उसको सब लोग नफरत की निगाह से देखते थे और बुरा कहते थे। मगर जब से पब्लिक के (public) उच्च नुमाइन्दे पहुंचे तब से उन रिफार्म्स को अच्छा समझा जाता है। किसी हाउस को यह कहना कि यह छोटा है और वह बड़ा है गलत है। इस हाउस के अधिकार कम हैं उसके ज्यादा, यह भी गैरमुनासिब है। उस हाउस की ताकत बड़ी है जिसकी अक्ल बड़ी है। मैं मुख्य मंत्री को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी अभिलाषा है कि देश का निर्माण करें नई तामीरात करायें उनके साथ हमारा पूरा सहयोग

[श्री गोविंद सहाय]

रहेगा। जम्हूरियत का कामयाब होना उन्हीं पर मुनहसिर है। मैं चाहता हूं कि आप के जरिये से मुख्य मंत्री तक हमारा यह संदेश पहुंच जाय कि इस हाउस का स्टेटस (status) हमेशा ऊंचा रहेगा और हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग यहां से भी मुल्क की काफी खिदमत कर सकें और हमको अपनी आवाज में आप की कानूनी मदद मिलती रहेगी। आखिर में मैं आप को दुबारा बधाई देकर बैठता हूं।

*Dr. Brajendra Swarup—Sir, I congratulate you on the occasion of your unanimous election to this exalted office, as one of those few members of this House who have been associated with you since the year 1937, when this House was first established and who have had some experience of the manner in which you carried on your responsible duties. I can say from my personal knowledge, not on the basis of hearsay evidence, that I can bear testimony to the fact that you exercised your delicate functions and discharged your responsible and onerous duties with great tact and impartiality. Sir, your unanimous election to this evalted office unmistakably shows that you enjoyed the confidence and respect of all the sections of the House. Sir, it is an advantage to this new House which is composed of numerous new faces that a person who has got sufficient experience of this office should guide in its deliberations When you were elected you were a Congressman but from the manner in which you discharged your duties it was apparent that you did not belong to any single organization or party but to all sections of the House. You, always dealt with all members of the House courteously gentlemanly, and with patience and tolerance. We members shall be passing through very critical times in future but I feel sure that you will be able to maintain the dignity of this House, not only the dignity of this House but also uphold the just and legitimate rights and privileges of all the members of this House. I am aware that the new composition of the House, consists of several fine speakers but my experience is that some of them might occasionally be tempted to make lengthy speeches. But, Sir, I am sure that you realise that you are not only the custodian of the dignity of the House, not only the protector of the just and legitimate rights and privileges of its members but you are also the guardian of the precious time of this House and I am sure that you will see that if any of us indulges in irrelevancy you will put a check on him. With these few words, I offer my sincere and hearty congratulations wish deepest sincerity.

*श्रीमती शिवराजवती नेहरू—श्रीमान् चेयरमैन साहब, मैं स्त्री वर्ग की तरफ से आप को बधाई देती हूं। हमको इससे बड़ी खुशी हुई है। आपकी कीर्ति जैसा आप का नाम है चन्द्रमा की तरह रोशन है। इस वक्त दूसरे लोगों ने बहुत काफी कहा है इसलिये मैं और ज्यादा कहकर इसे बढ़ा नहीं सकती। परन्तु जैसा अभी एक सदस्य ने कहा कि आप सभी पार्टियों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और उनकी पार्टी को दूसरी पार्टी के कुचक्र से बचायेंगे वैसे ही हमारी प्रार्थना है कि आप दूसरी पार्टी के कुचक्र से हमारी पार्टी को भी बचायेंगे और इस देश को सम्भालते हुये सीधे रास्ते पर ले जायेंगे। हम सब स्त्रियां आप के काम में और देश की सेवा में तन, मन और धन से सहयोग देंगी।

*The member has not corrected his speech.

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

*श्री हयातुल्ला अन्सारी—माननीय चेयरमैन साहब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस हाउस में आप को बधाई और मुबारकबाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस हाउस में आने का मेरा यह पहला मौका है लेकिन मैं इस की तहरीकें सुनता रहा हूं और जिस तरीके से इस हाउस में काम होता रहा है उस को भी देखता रहा हूं। हकीकत में चेयरमैन का काम बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बहुत से ऐलीमेन्टस (elements) होते हैं और बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिन पर बहुत ही गौर करना होता है। उन बातों का असर इस हाउस में ही नहीं होता बल्कि उन का बाहर भी असर होता है और वे अखबारों में भी छपते हैं। इस तरह से चेयरमैन का काम बहुत बड़ा होता है। वह सब को मौका देता है ताकि वे अपने ख्यालात को सामने रख सकें। अगर चेयरमैन किसी पार्टी में नहीं है तो वह सब में यकीन पैदा कर सकता है आपने हर पार्टी को मौका दिया कि वह अपने ख्यालात को हाउस के सामने जाहिर कर सके। जम्हूरियत का यह फर्ज होता है कि वह हर पार्टी को अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका दे ख्वाह वह कांग्रेस पार्टी हो या अपोजीशन (Opposition) हो। जम्हूरियत का फर्ज होता है कि वह हर पार्टी को पूरी आजादी दे जिस से वह अपने ख्यालातों को सब के सामने जाहिर कर सके।

मैं चेयरमैन साहब को बधाई और मुबारकबाद देता हूं। हम लोगों की यह बहुत खुशकिस्मती है कि हम को ऐसा अच्छा चेयरमैन मिला है जिसको पिछला तजुर्बा भी है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि ऐसा लायक चेयरमैन मिला है। मैं आपको फिर मुबारकबाद देता हूं कि आप इस नयी जम्हूरियत के चेयरमैन हुये हैं। आप उस हाउस के चेयरमैन हुये हैं जबकि बड़े बड़े इनकलाब होने की उम्मीद है। आप अपने सब कामों को अच्छी तरह से अंजाम देंगे। मैं इन मुख्तसर अल्फाजों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

(कुछ और सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये)

चेयरमैन—कौंसिल के सदस्यों ने मुझे चेयरमैन चुनकर जो मेरा सम्मान किया है उसके लिये मैं उनका हृदय से आभारी हूं। माननीय सदस्यों ने मेरी तारीफ करके मेरे ऊपर काफी बोझ डाल दिया है। जिस पद के लिये आप लोगों ने मुझे चुना है मैं उस लायक नहीं हूं। यह तो आप लोगों की एक देन है। मुझे आशा है कि जिस भारी काम करने के लिये आप लोगों ने मुझे चुना है उसको पूरा करने में आप पूरी सहायता देंगे। यहां पर जो काम होता है वह आप ही लोग करते हैं और आप ही की राय से होता है। मेरा तो कर्त्तव्य आप के बनाये हुए नियमों का पालन करना और कराना है।

कई माननीय सदस्यों ने डिमोक्रेसी (democracy) का जिक्र किया। मैं कोई बड़ा वकील नहीं हूं और न बहुत पढा लिखा ही हूं। मैं तो सिर्फ यह ही समझता हूं कि जो पार्टी मेजारिटी (majority) में हो वही पार्टी इन्तजाम करे। बहुमत की राय से देश का प्रबन्ध हो और उसके साथ साथ जो मायनारिटी (minority) है जो विपक्ष है उसको भी पूरा समय और पूरा मौका मिले कि हर एक प्रश्न पर अपने विचार पेश कर सकें। हमारा सदैव प्रयत्न यही रहेगा कि गवर्नमेन्ट का काम भी न रुके और विपक्ष में जो लोग हैं वे भी अपना मत अच्छी तरह से भवन के सामने रख सकें। इस प्रयत्न में आप लोगों की मदद हर समय मुझे चाहिये और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह हर वक्त मिलती रहेगी। अधिक मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता और कुछ कहने की योग्यता भी नहीं रखता। सिर्फ आप लोगों से यह प्रार्थना करना है कि इस भवन का

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[चेयरमैन]

जो मान (dignity) है जो आदर सम्मान है वह आपके ही हाथ में है चेयरमैन की शक्ति वही है जो शक्ति आप उसे देते हैं। हम लोग मिट्टी या पत्थर की मूर्ति बनाकर रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उस पत्थर की मूर्ति में स्वतः कोई शक्ति नहीं रहती लोगों की पूजा और श्रद्धा से ही उसमें ईश्वरीय शक्ति आती है। चेयरमैन तो केवल एक चिन्ह मात्र है। वह इस भवन का चिन्ह है जो आपने यहां पर रख दिया। जिस तरीके से आप चाहते हैं जिस तरीके का आप नियम बनाते हैं उसी नियम का पालन करना और पालन कराना ही चेयरमैन का कर्त्तव्य है। आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की मदद से यह काम मैं कर सकूं यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। इस भवन के कार्य के फलस्वरूप देश में एक सुख और शान्ति की लहर हो, देश को कामयाबी हो यही हम लोगों की हार्दिक इच्छा है। परमात्मा करे कि हमारा प्रयत्न सफल हो।

सदन का कार्यक्रम

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब से मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कल गवर्नर साहब का एड्रेस (address) होने के बाद यह हाउस फिर मीट (meet) करे और उस वक्त ऐसे बिलों को जोकि इस हाउस में इनिशियेट (initiate) किये जा सकते हैं उनको फारमली (formally) इन्ट्रोड्यूस (introduce) किया जाय इसके बाद यह हाउस एडजर्न (House adjourn) हो जायेगा लेकिन एडजर्न होने के पहले जो काम हाउस के सामने हो उसे गवर्नमेन्ट के द्वारा पेश किया जायेगा और उनके ऊपर डिस्कशन (discussion) दो रोज के बाद यानी अगले दिन से शुरू होगा।

चेयरमैन—आप लोगों को जैसा कि मालूम है गवर्नर साहब ने हम लोगों के पास आदेश भेजा है कि कल ११ बजे असेम्बली हाल में इकट्ठे होकर हम उनका सन्देश सुनें। उसके बाद १२ बजे हम लोग यहां इकट्ठे होंगे। इसलिये कल १२ बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १२ बजे २१ मई सन् १९५२ ई० को दिन के १२ बजे तक के लिये स्थगित हो गई)।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२० मई, १९५२।

पी० एस० यू० पी०—१३ एल० सी०—१९५२—८२०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चेयरमैन (माननीय श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (६७)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डा०
उमानाथ बली, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
ज्योतिप्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलूराम, श्री
दीपचन्द्र, श्री
नरोत्तमदास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभूनरायन सिंह, श्री
प्रसिद्धनारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डा०
बजरंग बहादुर सिंह, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बी० पी० बाजपेयी, श्री
बेनीप्रसाद टंडन, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बृजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
बृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद आलम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट विहारीलाल, प्रो०
मौलाना मोहम्मद नसीर, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामकिशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामलगन सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लल्लूराम द्विवेदी, श्री
लालताप्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ विजयानगरम, डाक्टर महाराज कुमार
विश्वनाथ, श्री
शांती स्वरूप अग्रवाल, श्री
शांती देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्त देवी, श्रीमती
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिवसुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दरलाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
हृदय नरायन सिंह, श्री
हयातउल्ला अन्सारी, श्री
हरगोविन्द मिश्र, श्री

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री) भी उपस्थित थे।

श्री रुक्नुद्दीन खां द्वारा संविधान के प्रति शपथ ग्रहण करना

(श्री रुक्नुद्दीन खां ने संविधान के प्रति शपथ ग्रहण की)

महामान्य गवर्नर महोदय के सम्बोधन का रिपोर्ट किया जाना

Chairman—I have now to report that the honourable members of the Legislative Council had gone to the Assembly Hall this morning at 11 o'clock to hear the Address of His Excellency the Governor to members of both the Houses of the Legislature. The Address is placed on the table of the honourable members. It will be included in the proceedings as if it had been read from the Chair. It will be discussed to-morrow and day-after.

Address by His Excellency the Governor of Uttar Pradesh to the Members of the State Legislature on May 21, 1952

MEMBERS OF THE LEGISLATIVE COUNCIL AND LEGISLATIVE ASSEMBLY,

I am very happy to have this opportunity of welcoming you all as Members of the first Legislature under our Constitution. Although the Constiution came into force in 1950, the Legislature established under the previous Government of India Act, 1935 had continued to function until recently. The present Legislature is indeed, truly representative of the people, elected as it is by the whole adult population of the State and I feel honoured in inaugurating its first session. I am glad to see many familiar faces here, as well as a number of new friends. You are inheritors of high and noble traditions of service to the people, and I have no doubt that, with your patriotic endeavour. this State—already a premier unit amongst the States in the Union—will continue to rise to greater heights of spiritual, moral and material greatness, worthy of our proud heritage. I have derived great personal satisfaction from the fact that it should have been given to me to be associated, for a while, with the great efforts that have been made by the Government, the services, the people and their representatives, in a spirit of mutual co-operation and good-will, to work for the achievement of the common weal I take this opportuntity to express my sincere appreciation of this work.

2. As you are aware, my successor, Sri K. M. Munshi, who is very well known to you, will shortly be assuming the Governor ship of this important State. I have no doubt that during his tenure of office the State will continue to make that steady advance in all directions which has won for its Government and people a gratifyingly wide measure of goodwill and appreciation. With the inauguration of this session, a new Ministry has assumed office under the guidance of that well tried and trusted statesman, my Chief Minister. His presence, and that of his colleagues, in the Government is an assurance that the welfare of the people will continue to receive that unremitting care and devoted service which have contributed so largely to the onward march of this State.

3. Much of our activity in the past had been inhabited by the compulsions and limitations of a period of transition which taxed our ingenuity and resources in many ways. A nation cannot, however, long remain in a state of flux, and we must now settle down to tasks of construction

and consolidation. Everything that can be done to bring a robust life, and good cheer, to our large rural population has naturally the first call on our attention. We have long looked forward to the promulgation of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, which, more than any other single measure,, is designed to secure that end. The Act has now been vindicated not only by the express will of the people, but all also by the highest Tribunal in the land. With this pronouncement, the final stage has been reached for putting an end to an age-long, but outmoded, feudal system and to place the hitherto suppressed peasantry of our State on its feet so that it may lead a manly and full life free from all impediments and hinderances Government have decided that as from July 1, 1952, the zamindari system will be abolished and all estates shall vest in the State. A set of draft rules, incidental to this purpose, has already been published. This measure of essential land reform bears good-will to all and ill-will to to none; and I earnestly appeal to all sections of the population to co-operate in implementing its beneficent provisions.

4. But important as these measures are they should not blind us to the necessity of making an advance in other directions equally important. It should be rembered that even during the period of the country's struggle for independence its aim was not merely political freedom but also the freedom of the masses from exploitation and want. The object which we have to place before ourselves is clear. It is the development and all-round integrated progress of the community, the supply of food and other basic necessities to the individual and the provision of opportunities of intellectual and spiritual development to everyone without any distinction of caste, creed, class or sex. The key to the character of the future economic and social organizations in the country and its motive power is the ideal of a co-operative commonwealth which ensures to every individual the fullest opportunity to develop his personality and is the best guarantee for that element of social justice which must inspire all our efforts for the common good. This is an object and an ideal which does not possess mere academic interest fot us. It has to be pursued and the measure in which it is implemented during the next five years will show how far the Government and the Legislature have justified the confidence which the electorate has reposed in them.

5. The realization of such an objective requires planning which, in the words of the authors of the "First Five-Year Plan," is esentially a way of recognizing and utilizing resources to maximum advantage in terms of defined social ends." We know the ends and have a fair idea of our resources. We have good land, valuable forests, large reservoirs of water which can serve as inexhaustible sources of power, probably valuable minerals also, but money must be invested before we can make full use of our material resources. The achievement of independence has given birth to a hundred activities of a nation-building character. The burden of administration has also naturally increased and a large number of development projects have to be pushed through. There must also be an increase in the scope and quality of the amenities provided by local bodies. If we want all this to be done—and there is no doubt that we do—necessary funds must be forthcoming. People have to be prepared to tighten their belts and every section of the community must

be prepared to contribute to the full according to its capacity. This is really an investment in social welfare which will repay itself a hundred fold in record, time in the shape not only of general material prosperity but contentment and peace. It should also be remembered that a people which fights against poverty, disease and ignorance with its back to the wall raises its moral stature to an incalculable extent.

6. I shall try now briefly to indicate to you some of the immediate objects which my Government has placed before itself to be achieved during the next five years.

7. The food problem must continue to claim priority of attention for a long time to come. Of late, it has been aggravated by scarcity conditions which have developed in some of the eastern districts of the State, consequent on successive natural calamities which have visited them in the shape of floods, droughts and hail. The first concern of my Government has been, and remains, the securing of immediate relief to the distressed. Test works have been opened in the affected areas and have already cost the State over 17½ lakhs of ruppees. Care is being taken to see that works, while providing present employment to the people also fulfil the permanent needs of the locality. Gratuitous relief to the deserving as well as *taqavi* have been made freely available. Liberal remission in rent and revenue have been sanctioned, and cheap foodgrains under the Austerity Provisions Scheme have also been made available to the afflicted population.

8. My Government are fully alive to the problem and will spare no pains to overcome the immediate stresses of a trying situation. But these are only temporary palliatives. Government recognise the need of long-term measures to provide new sources of irrigation and agricultural expansion for an effective improvement in the State's total output of foodgrains. A large fleet of tractors has been utilized for extensive land reclamation work and for assisting private farmers to break up new land. The steps taken during the last two years have resulted in the extension of cultivation over 11 lakh acres of barren and forest land, and in the addition of 13 lakh acres to the area under irrigation. There is still, however, considerable water power which is going waste and can be harnessed for fruitful purposes. My Government are determined to press into service all possible sources of major and minor irrigation. The Banganga project in the Basti District, designed to irrigate over 22,000 acres, should begin to function by the end of this year. Surveys on similar projects in other eastern districts are also under way. In pursuance of the State's masonry wells scheme, 26,760 new masonry wells have already been sunk and another 10,500 are under construction concentrated principally in the eastern districts which are the most hit by scarcity condition. It is hoped to construct 5,000 tube-wells, a large number of them in the eastern districts, by the end of this quinquennium. In Bundelkhand, number of dams and reservoirs are almost complete, and new ones are being taken up to intensify this part of the programme. Substantial results have, thus already been achieved, and still further improvement is expected in the near future from the projects in hand.

9. The situation seems to demand to some extent a reorientation of the policy to be followed as regards agriculture and agricultural education. There can be no relaxation of the efforts to pro-

pagate a knowledge of scientific methods in cattle-breedidg, dairy-farming, and all the other subjects included under Agriculture and Animal Husbandry. But such scientific knowledge has to be brought into relation with the realities of our social and economic life. It has to be remembered that the vast majority of our holdings are small and the agricultural education that we give should be such as can be helpful to the small farmer. It should be more practical than it has so far been. It should be possible now, after the abolition of the Zamindari System to devise methods of making our agriculture more economic and efficient. Consolidation of holdings has for a variety of reasons not made much headway, We hope it will be possible to achieve better results in this respect hereafter. Along with this, concentrated efforts will now be made on developing methods of co-operative farming suited to our conditions and inducing our peasantry to pool its resources by joining co-operative farms. It is also my Government's intention to explore the possibility of diverting as much of the money allocated to agriculture as possible to increasing facilities for irrigation. Provided a regular supply of water in the seasons it is most needed is available, the Indian peasant can, even with his old methods, make a very considerable addition to his outputand help in the solution of the food problem.

10. Although considerable headway has been made in the direction of making the State self-sufficient, under the short-term self-sufficiency plan, the solution of this problem still demands that measures of procurement and controlled distribution of foodgrains should continue. My Government have so far refused to raise food prices, in spite of the withdrawal of the Government of India's subsidy and have strained every nerve to avoid the taking of any step in that direction, although prices have been raised substantially in other parts of the country and are generally higher than those prevailing in our own. Government have already been put to a loss of about one and a quarter crores of rupees during the opening months of the current financial year in maintaintng the existing prices, and the loss will go up to nine crores by the end of the year. This strain is too onerous for our limited resources and I seriously dotbt if it will be possible for our exchequer to bear the burden in spite of the earnest desire of the Government not to increase prices.

11. The shortage of rainfall, and the sinking of the water level, have emphasized the necessity not only of preserving the existing forests but of planting new ones. This policy has been vigorously followed. Afforestation is being also undertaken over a long strip of land on our western border, to prevent the menacing encroachment of the Rajputana desert into the State.

12. Good progress has been made in the first year of the five-year plan relating to the State. The major irrigation and power projects, which consitute the most important part of the plan, have already accounted for an expenditure of about four crores of rupees. Progress in the dirction of road schemes has been better than originally expected, and my Government propose, as soon as possible to complete all those works which had to be left unfinished some time ago owing to limitations of finance. The five-pilot projects, already functioning in the State, have continued to

make good progress in rural development, and now the State Government have finalized their plans, in colloboration with the Government of India, for six more community projects in different areas of the State. A training-*cum*-development project, to meet the requirements of trained personnel for the community projects and to create a nucleus for the re-organization of the State's extension services, has already commenced work and two more such centres will soon start functioning. These community projects are intended to work on the Etawah model to improve the all-round condition of the villages, with particular emphasis on food production.

13. As a result of the working of the intensive cane development schemes, a general improvement in the standard of cultivation and in the yield of crop has been reported. The marketing side of sugarcane has assumed unusual importance in this season owing to the drastic fall in the prices of *gur* and *khandsari*. The result has been a sudden and large diversion of sugarcane to vacuum pan sugar factories. Government have been making all efforts to see that the sugarcane on the fields is accepted and crushed by the factories. Various difficulties on account of the unusual circumstances that arose this year had to be faced and special arrangements had to be made to meet them. Already the quantity crushed during this season exceeds the quantity crushed last year by about six crore maunds. Several mills are still working, and it is hoped that they will be able to utilize fully the outstanding sugarcane.

14. The labour situation has, on the whole, been peaceful during the past few months. My Government are keen on providing more amenities and on a more extended scale to workers in field and in factory. The Housing Scheme for sugar factory labour is making considerable progress and it is hoped that at least 500 houses will be ready for occupation before the next crushing season starts. The results would have been still better if necessary matarials which have to be imported from outside the State, had been available. The Government have also under serious consideration plans for cleaning slums and providing houses for other workers on a large scale. It is intended to begin first with Kanpur. As you are aware, the Zamindari Abolition Act gives priority to landless workers in the matter of acquiring land and this Government has also extendod its fullest co-operation to Acharya Vinoba Bhave's Bhumidan Yagya which also aims at providing land to those who possess none.

Closely related to the problem of providing houses for factory workers is that of providing houses far Government servants and other members of the middle classes. Government have under consideration schemes for building residential quarters of a cheap but comfortable design and it is their earnest desire that a fairly large nunber of such houses suited to the rent-paying capacity of the citizen of ordinary means may be put up during the next five years.

15. Planned and purposeful education is the corner stone on which, ultimately, must rest our entire social and economic structure. Notable improvements, in the field of education, have already been made in this State, and my Government are keen not only to maintain that advance but to take further steps towards consolidating the positions already

attained and making further progress in that direction, As you are aware, a committee with Acharya Narendra Deva as Chairman has been set up to report on the present system of Secondary Education in the State and I have every hope that its recommendations will be of great value to us in overhauling our system of education. While, it is necessary to give the fullest opportunity to everyone possessed of the necessary talents to derive the fullest advantage from educational institutions, certain very important considerations have to be kept in mind. A system of education which creates a large army of frustrated men with no employment suited to the training which they have received is a failure. My Government are giving deep consideration to this very important question and the whole of our educational policy is to be reorientated accordingly. It must be remembered, however, that the mere addition of a number of technical subjects to the curriculum is not sufficient by itself. It only provides additional means of passing examinations and the technical knowledge acquired in school years is generally not put to any practical use. Similarly much of the training given in our technical schools goes to waste. It is the aim of my Government to bring technical and general education closer together and to bring both of them into more intimate relationship with the realities of social and economic life.

As you konw, our scheme of making Primary Education universal in the State by 1951 had to be slowed down, to some extent, for financial reasons, We hope, however, to complete it within the next five years. It is also the intention of my Government to bring before you legislation for amending the University Acts which have by now become out of date.

16. Along with education there are important schemes of a far-reaching character to provide medical aid to all sections of the population. The growth of our population, and the consequent pressure on the land, have increased the intrinsic importance of the problem of finding subsidiary occupations for unemployed hands. My Government are fully persuaded that, in the interests of a balanced economy for our essentially agricultural State, the revival and development of our Cottage Industries must receive energetic attention, specially as the organisation of heavy industries is not a simple matter. Government will, therefore, continue to do all they can to encourage the growth, multiplication and expansion of cottage industries. Every effort will be made to improve the quality of the produce and to provide marketing facilities for it.

17. In the sphere of local administration my Government are taking action to bring about a more rational relationship between district boards and the village *panchayats*—the two bodies most intimately concerned with the well-being of our rural masses. Government also propose to establish Municipal Corporations in the leading cities of the State as soon as the datails of the scheme, now under examination, have been finalised. The elections to local bodies will be held at an early date, soon after completing the steps, now in train, to bring the existing provisions about these elections in accord with the spirit of our Constitution and the needs of the times. You will in due time, be asked to pass necessary legislation to give effect to the above purposes.

18. To make the system of administration of justice in the State more suited to our needs, genius and traditions, my Government have already effected a number of judicial reforms. Government have now received the report of the Judicial Reforms Committee and of the Committee appointed to look into the question of setting up regular civil c urts in Kumaon and Jaunsar Bawar. These are being examined and action on thier recommendations will, it is hoped, be taken soon.

19. For the success of any plan of economic or social uplift, it is essential that it should carry the willing co-operation of the people for whom it is intended. Unless the people will help themseves, governmental activity alone can hardly go very far, especially in a country, like ours, which has been under foreign domination for a long period and is still suffering from its after effects. My Government will continue to do all they can to execute the different nation-building projects adumbrated in our Five Year Plan. But their resources are obviously limited and cannot yield desired results in an adequate measure as speedily as we would wish. We have got enormous reserves of man-power lying idle today. Our people have to realize that they have to build np a new India, worthy of her old greatness and of the place she occupies in the comity of Nations. In the well-being and prosperity of all; lies the well-being and prosperity of each. There is no one so humble that he cannot make some usefull contribution to this noble task. If the people will contribute voluntary labour, on the principle that self-help is the best form of help, tremendous progress, within a short time, can be made to impart a new life, and uew vigour, to the countryside. At the same time, my Government realize the basic need for speedy action at all levels. For, prompt, concrete achievement alone, even if it be on a modest scale, can arouse the enthusiasm of the people and sustain their interest.

20. A clean and efficient administration is an essential pre-condition of progress in any democratic State. It is all the more so in a country just emerged from foreign bondage and striving to make up for long periods of neglect and exploitation. My Government have, therefore, appointed a committee to go into quetion of evolving a definite, clear-cut, and prompt procedure to deal with disciplinary matters relating to Government servants so that the State may have clean, efficient and honest services. My Government have also under review the working of the existing administrative machinery, with the object of overhauling it in such a manner that it may become an adequate instrument for implementing with the greatest possible expedition the various development and nation-building programmes, designed to improve the moral and cultural level of the people and to raise their standard of life. Realizing only too well that progress must ultimately depend upon the improvement of the finances of the State, Government are also determined to effect economies, wherever possible, and to harness all available resources in a fruitful and prudent way.

21. Owing to the fact that the newly constituted Legislature could not meet before the end of March, 1952, it became necessary for my government to present a provisional Budget to the old Legislature and obtain a vote on account for a part of the current financial year. You

will, therefore, be asked to pass in due course the usual annual Budget for the full financial year 1952-53. An Appropriation Bill relating to the Budget will also be presented after the Budget has been passed.

22. During the period when the Legislature was not in session I promulgated the U. P. State Legislature Members Prevention of Disqualification (Amendment) Ordinance, 1952. You will be asked to pass a Bill on the subject.

23. In certain parts of the State, orders for commutation of rent under section 87 of the U. P. Land Revenue Act, 1901, have been made without giving notice to the landlords. To avoid multiplicity of proceedings, and to relieve the parties from unnecessary hardship, it is proposed to regularise the position. You will, therefore, be asked to pass the U. P. Commutation of Rent (Regularisation of Proceedings) Bill, 1952.

Zamindaris are being vested in the State with effect from July 1, 1952. To safeguard public interest in the interegnum you will also be asked to pass the U. P. Land Tenures (Regulation of Transfers) Bill, 1952.

24. As a result of some recent decisions of the High Court, certain defects have been discovered in the constitution of Panchayati Adalats constituted under the U. P. Panchayat Raj Act, 1947. You will, therefore, be asked to pass the U. P. Panchayat Raj (Second Amendment) Bill, 1952.

25. My Government will also ask you to pass the U. P. Sugar Factories Control (Amendments) Bill, 1952, which seeks to extend the life of the U. P. Sugar Factories Act, 1938, which otherwise expires on June 30, 1952, for a further period of two years.

26. Some other Bills relating to miscellaneous matters will also be placed before you,

27. I have the fullest canfidence that wisdom, sobriety, impartiality and farsightedness will characterise your deliberations over the weighty matters that will come up before you. Let me wish you good-bye. May God grant all strength to your elbow.

Jai Hind !

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई०

वित्त मंत्री (माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई० को मेज पर रखता हूं ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश लगान के नक़दी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक

माननीय वित्त मंत्री—जनाबवाला, मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश लगान के नक़दी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक को प्रस्तुत करता हूं ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक

माननीय वित्त मंत्री—जनाबवाला, मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक को प्रस्तुत करता हूं ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक

माननीय वित्त मंत्री--जनाबवाला, मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक को प्रस्तुत करता हूं ।

यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव

शिक्षा मंत्री (माननीय श्री हरगोविन्द सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जिस तारीख को माननीय चेयरमैन आदेश द, युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के लिये एक सदस्य चुन ले।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जिस तारीख को माननीय चेयरमैन आदेश दें, युनिर्वसिटी ग्रान्ट्स कमेटी के लिए एक सदस्य चुन लें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन--इसके लिये कल १२ बजे तक सेक्रेटरी के पास नामजदगियाँ पहुंच जायं।

प्राविंशियल हेल्थ बोर्ड के लिये दो सदस्यों का चुनाव

स्वास्थ्य मंत्री (माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जिस तारीख को माननीय चेयरमैन आदेश दें प्राविंशियल हेल्थ बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिए २ सदस्य चुन लें।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंलिल, जिस प्रकार और जिस तारीख को माननीय चेयरमैन आदेश दें, प्राविंशियल हेल्थ बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिए २ सदस्य चुन लें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन--इसके लिये भी सदस्य कल १२ बजे तक नाम दे दें।

उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड के लिए एक सदस्य का चुनाव

माननीय शिक्षा मन्त्री--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जिस तारीख को माननीय चेयरमैन आदेश दें, उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड के लिए १ सदस्य चुन लें।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जिस तारीख को माननीय चेयरमैन आदेश दें, उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट बोर्ड के लिए १ सदस्य चुन लें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

इसके लिये भी सदस्य कल १२ बजे तक नाम दे दें।

सदन का कार्यक्रम

माननीय वित्त मन्त्री--जनाब वाला, अब इस सदन के सामने सब से पहला जो बिजनेस (business) है वह गवर्नर साहब के एंड्रस पर डिस्कशन (discussion) है। जनाबवाला ने इरशाद फरमाया है कि उस पर दो रोज बहस होगी। इसके बाद यह बिल जो इस ऐवान में इन्ट्रोडयूस (introduce) किये गये हैं, जिनके नाम लेने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि वह एजेन्डे पर लिखे हुए हैं, यह बिल लिये जायं और उनके बाद मिनिस्टर्स (ministers) और डिप्टी मिनिस्टर्स (Deputy. ministers) की सेलरी (salary) के बारे में जो बिल इस हाउस के सामने आयेंगे वह लिये जायेंगे। पिछले लेजिस्लेचर में एक होम्योपैथिक बिल पास किया गया था जिस पर प्रेसीडेन्ट की असेन्ट (assent) भी मिल चुकी थी उसमें कुछ अमेन्डमेन्ट्स हुये हैं। वह अमेंडमेंट भी इस हाउस के सामने आने वाले हैं, फिलहाल यही बिजनेस हाउस के सामने है।

चेयरमैन--जो बिल इस वक्त असेम्बली में पेश हो रहे हैं उन बिलों की कापियां आनरेबुल मेम्बर्स के पास भेज दी जायं। अब कल ११ बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १२ बजकर १४ मिनट पर २२ मई सन् १९५२ को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)
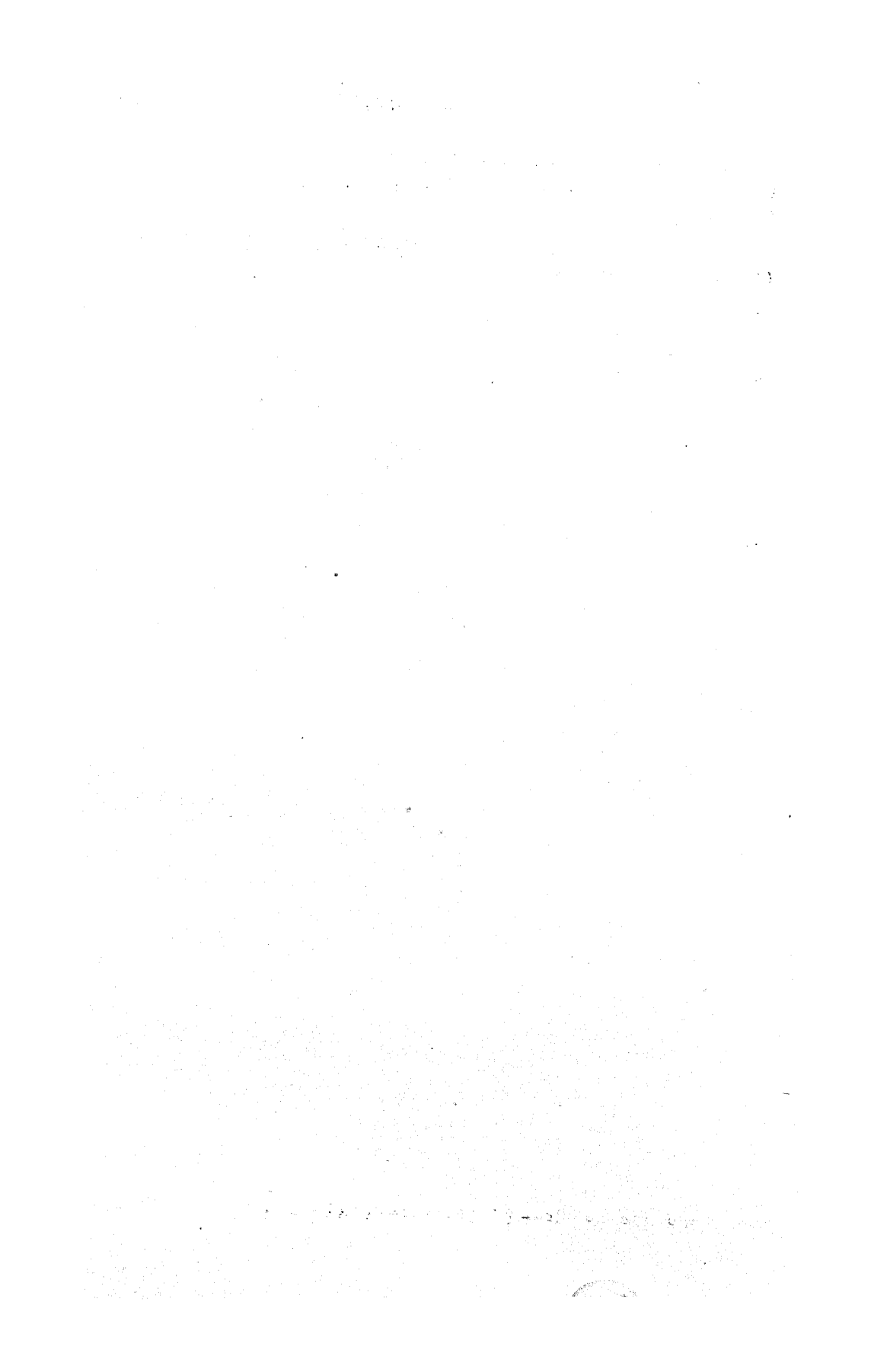
श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश,

लखनऊ,
२१, मई १९५२ ई०

पी० एस० यू० पी०--१८ एल० सी०--१९५२--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (६६)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डा०
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायन, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीपचन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायन सिंह, श्री
प्रसिद्ध नरायन अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डा०
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बी० बी० भाटिया, डा०
बेनी प्रसाद टण्डन, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, हकीम, श्री
बृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रो०
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लल्लूराम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ़ विजयानगरम्, महाराज-कुमार, डा०
विश्वनाथ, श्री
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जोहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री

सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री चन्द्र भानुगुप्त (खाद्य, रसद तथा स्वास्थ्य मंत्री)
श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)
श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
श्री मोहनलाल गौतम (स्थानीय स्वशासन मंत्री)।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति १२ अप्रैल सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का छठवां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति १२ अप्रैल सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का ७ वां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति २४ मार्च सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का दूसरा ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक (एप्रोप्रिएशन) [वोट आन एकाउन्ट] (बिल) पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक (एप्रोप्रिएशन) [वोट आन एकाउन्ट] (बिल) पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति २४ मार्च सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का तीसरा ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति २ अप्रैल सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का चौथा ऐक्ट बना।

सन १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति ३ अप्रैल सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का ५ वां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन (संशोधन) बिल

स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन (संशोधन) बिल को प्रस्तुत करता हूं।

महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव

Shri Deep Chandra: Sir, I beg to move that the members of the Uttar Pradesh Legislative Council assembled in this session offer their grateful thanks to His Excellency the Governor for the address which he has been pleased to deliver to both the Houses of the State Legislature.

In making the motion that I have just made my own feeling is that the address is indicative of the Governments' desire to make progress all round. In calling upon the members to their labours this document makes a promise of all round development for the well-being of the people. It stresses "everything that can be done to bring a new robust life and good cheer to our large rural population has naturally the first call on our attention". Secondly, it lays down "The object which we have to place before ourselves is clear. It is the development and all round integrated progress of the community, the supply of food and other basic necessities of the individual and the provision of opportunities of intellectual and spiritual development to every one without any distinction of caste, creed, class or sex". Government have placed a lofty ideal before themselves and, as has rightly been pointed out by Mahamanya Rajyapal, that the presence of our worthy Chief Minister and his new Ministry, with their record of unremitting care and devoted service, it is a guarantee for the achievement of the ideal which the Government has set before itself. There is a varied programme to which the Mahamanya Rajyapal has drawn our attention. No sphere of activity has been left out. In the sphere of education, in the matter of food, in the matter of housing for the labour and of the middle classes in every direction the attention has been devoted. In fact, the address takes note of every activity to which the Government should have applied itself for the well being of the people and I trust with the common endeavour and tightening of belts it will be possible to achieve what has been promised for. With these few words, Sir, I commend the motion for the acceptance of the House.

श्री राना शिव अम्बर सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र श्री दीपचन्द्र जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है। मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हूं। गवर्नर महोदय ने जो २१ तारीख को विधान मंडल के दोनों सदनों के सामने अपना सम्बोधन पेश किया है, उसमें

[श्री राना शिव अम्बर सिंह]

बहुत सुन्दर योजनायें और उच्च विचार हैं। गवर्नर महोदय ने कहा है कि हम अपने उद्देश्यों और प्रयोजनों को जानते हैं और हमें अपने साधनों का भी उचित ज्ञान है। हमारे पास अच्छी भूमि, बहुमूल्य जंगल और बड़े-बड़े जलाशय हैं, जिनसे हमें अपरिमित शक्ति और सम्भवतः मूल्यवान खनिज-पदार्थ भी मिल सकते हैं, किन्तु हमें अपने भौतिक साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने से पहले उनमें धन लगाना पड़ेगा। सम्बोधन का मुख्य लक्ष्य इस प्रदेश को सर्व प्रकार सम्पन्न राज्य निर्माण करने का है और तभी तो हमारे 'राम राज्य' का स्वप्न पूरा हो सकता है। उस निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के निमित्त हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वह सामना साहस तथा विचारशीलता के साथ करने से सफलता प्राप्त हो सकेगी। पंच-वर्षीय योजना पर्याप्त मनन करने से ही हमें प्रकाश मिलेगा और उस प्रकाश में हम निष्कंटक आगे बढ़ते जायंगे तथा राष्ट्र का निर्माण सुचारु रूप से कर सकेंगे और जनता के जीवन का स्टैंडर्ड उच्च कर सकेंगे।

स्वाधीनता के इस न्यूनकाल में हमने जो उन्नति की है वह दूसरे प्रदेशों के लिए आदर्श है। अन्य स्थान जहाँ खाद्य सम्बन्धी चिल्लाहट मच रही है और सत्याग्रह की धमकियाँ गूंज रही हैं, वहाँ हमारे प्रदेश में भारत गवर्नमेंट की सहायता हट जाने पर भी, खाद्य-पदार्थ के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। क्या हमारे मुख्य मंत्री का यह ऐलान कम है कि हम भुखमरी से किसी को मरते नहीं देख सकते? चीनी ही को लीजिए, गवर्नमेंट के उत्साह से गन्ने की पैदावार में वृद्धि होने से कन्ट्रोल रेट से भी कम मूल्य पर चीनी बाजार में मिल रही है और कपड़े कितनी सुगमता के साथ मिलते जा रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि देहात में जाइए और बृटिश शासनकाल तथा वर्तमान शासनकाल के जीवन, रहन-सहन और स्वतंत्रता भाव का मिलान निष्पक्ष भाव से कीजिए, तब आपको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध भी अब इस कार्यक्रम के साथ अग्रसर हो रहा है कि भविष्य में कोई भी रोग-ग्रसित व्यक्ति औषधि व उचित देखभाल से वंचित न रह सकेगा। सिंचाई के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने लिखा है कि बड़े परिणाम में भूमि के उद्धार के लिये और काश्त-कारों को नई भूमि तोड़ने के काम में सहायता देने के लिये बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया है। गत दो वर्षों में जो कार्यवाहियाँ की गई हैं, उनके परिणामस्वरूप ऊसर और वन की भूमि के ११ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र पर भी खेती होने लगी है और सिंचाई के क्षेत्र में भी १३ लाख एकड़ की वृद्धि हो गई है। यह योजना जरूरी मालूम होती है और बहुत सी इस तरह की बातें मजदूरों के बारे में भी महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में कही गई हैं कि मजदूरों के गृह निर्माण के सम्बन्ध में प्रयत्न हो रहे हैं और उनकी दशा को सुधारने का हर-चन्द प्रयत्न गवर्नमेंट कर रही है। इस गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कुछ ही दिनों में ५ सौ मकान तैयार हो जायेंगे और इस तरह से यह बेचारे जितने मजदूर बाहर से आते हैं, उनके लिये गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सुन्दर योजना का निर्माण किया है। भूमिहीन किसानों के लिये जमींदारी विनाश अधिनियम बन जाने के बाद जितने भूमिहीन किसान थे, उनको सबसे पहले भूमि दी जायेगी और बाकी लोगों को इसके बाद ही सुविधायें प्रदान की जायेंगी। कारखानों में काम करने वालों के लिये सरकारी योजना अभी विचाराधीन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह योजना जल्द ही कार्यान्वित हो जायेगी। शिक्षा क्षेत्र के बारे में जो माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप है, उसमें अवश्य ही प्रगति होने की हम आशा करते हैं और हमें आशा है कि नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में जो कमेटी माध्यमिक शिक्षा के लिये नियुक्त हुई है, वह अब बहुत जल्द प्रगतिशील कार्य इसके विषय में करेगी और यूनिवर्सिटी ऐक्ट में सामयिक संशोधन हो जाने से शिक्षा का उचित प्रसार देश व काल के अनुसार होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गवर्नमेंट, जो कुछ राज्यपाल ने अपने उत्तर में दिया है, उसको पूर्णतया कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन एक मत होकर इस सम्बोधन को स्वीकार करेगा।

*प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--माननीय चेयरमैन महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि शुभ मूर्ति राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद के संकल्प के अन्त में नीचे लिखे वाक्य जोड़ दिये जायं :

किन्तु विधान परिषद् को खेद है कि शुभमूर्ति राज्यपाल के सम्बोधन में :

(१) नियोजित और उद्देश्य मूलक शिक्षा के सारे सार्वजनिक और आर्थिक ढांचे की आधार शिक्षा को तस्लीम किया गया है पर उसमें न तो शिक्षा की कोई योजना ही पेश की गई है और न उचित योजना को बनाने की कोई व्यवस्था ही की गयी है, शिक्षकों और विद्यालयों की दयनीय अवस्था को बिलकुल ही भुला दिया गया है, सामाजिक शिक्षा की पूरी तौर पर अवहेलना की गई है, प्रारम्भिक शिक्षा के सुधार पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है और पिछड़ी हुई जातियों की सांस्कृतिक उन्नति के प्रश्न का जिक्र तक नहीं किया गया है ।

(२) जो आर्थिक कार्यक्रम दिया गया है उसके ज़रिये जनता को शोषण से मुक्त नहीं कराया जा सकता, क्योंकि शोषण विहीन समाज को बनाने के लिये आर्थिक ढांचे में जिस बुनियादी तब्दीली की जरूरत है उसकी इस कार्यक्रम में कमी है ।

(३) सरकार की पुरानी खाद्य-नीति की विफलताओं के कारणों पर पूरी तौर पर विचार किये बगैर जो नीति आगे के लिये बतलाई गई है, वह प्रदेश की खाद्य समस्या को हल करने के लिये और अकालग्रस्त पूर्वी जिलों में गम्भीर खाद्य संकट को दूर करने के लिये नाकाफी है ।

(४) प्रस्तावित आर्थिक कार्यक्रम में मध्यमवर्गीय शिक्षकों की बेकारी को दूर करने का, मध्यमवर्गीय व्यापारियों की आर्थिक दशा को सुधारने का, छोटे ज़मीदारों के पुर्नवास के लिये रोजगार की व्यवस्था करने का, खेतिहर मज़दूरों को कर्ज़े से छुटकारा दिलाने और निर्वाह योग्य मजदूरी दिलाने का तथा कानून द्वारा भूमि को फिर से बटवारा करने का न्यायसंगत आधार पर लगान का शीघ्र बन्दोबस्त करने का और किसानों में से भूमिधर और सीरदार के भेद को मिटाने का कोई वायदा नहीं किया गया है ।

(५) कारखानों के मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये सरकार की ओर से जो वायदे किये गये हैं, उनमें मजदूरों की बेकारी को दूर करके और मजदूरों की छटनी और बैठकी को बन्द करके काम के हक़ को यकीनी बनाने का, मजदूरों को निर्वाह योग्य मज़दूरी (living wages) दिलाने का, बेकारी व बीमारी, व बुढ़ापे में मज़दूरों के निर्वाह के लिये उचित प्रबन्ध करने का, मजदूरों को कारखाने में हिस्सेदार का पद दिलाने का और हड़ताल के समय सरकारी अफ़सरों तथा मिल मालिकों के हाथों से मज़दूरों की जान तथा मान की रक्षा का वायदा नहीं किया गया है ।

(६) शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिये जो वायदे किये गये हैं, वे अपर्याप्त हैं । उनमें ग्राम पंचायतों को ग्राम की दशा सुधारने के लिये लगान का एक बहुत बड़ा हिस्सा देने का वायदा नहीं किया गया है और उसमें न्याय विभाग और शासन विभाग को अलग करने का तथा राज्य सरकार और पार्टी के मालिक भेद को ध्यान में रखकर जनतांत्रिक मर्यादाओं को प्रतिष्ठित करने का और जनता की नागरिक आज़ादी और जनतांत्रिक हकों के प्रति सम्मान रखकर उनकी रक्षा करने का जो जनता की आज़ादी को यकीनी तथा जनतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक है, वायदा नहीं किया गया है ।

[प्रो० मुकुट बिहारी लाल]

श्रीमान् अध्यक्ष जी, जो संशोधन मैंने सभा के सामने पेश किया है, वह बड़ा तो है, लेकिन इसमें वे सब बातें कही गई हैं, जिसे विधान परिषद् के सभी सदस्य आवश्यक समझते होंगे और इसलिये उनके ऊपर कुछ ज्यादा विस्तार से मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इस बात की हमें खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने इस बात को तस्लीम किया है कि हम देश का आर्थिक व सामाजिक निर्माण करना चाहते हैं और इसके लिये हमें शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। शिक्षा नये आर्थिक और सामाजिक ढांचे की एक आधार शिला है। इसे इस प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने ही नहीं, बल्कि संसार के विद्वान और राजनीतिज्ञों ने तस्लीम किया है। इंगलिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। लड़ाई के संकट के समय भी इंगलिस्तान ने आर्थिक कठिनाइयों पर कोई ध्यान न देकर शिक्षा का विस्तार जारी रखा और देश के निर्माण के लिये शिक्षा का प्रसार जरूरी समझा, नये-नये कानून उसके संबंध में बनाये और जनता को शिक्षा के सम्बन्ध में नई नई सुविधायें दीं। हमें इस बात का खेद है कि इस देश में इसके बरखिलाफ आर्थिक संकट का बहाना करके शिक्षा के संबंध में जितना काम करने की जरूरत है, उतना काम नहीं किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं सामाजिक शिक्षा का प्रश्न लूंगा। सामाजिक शिक्षा के महत्व को हमारी सरकार ने तस्लीम किया है, उसने उसके लिये कुछ रुपया भी खर्च करने का वायदा किया था, लेकिन दुख है कि डिवैलूयेशन (Divaluation) के समय जो आर्थिक संकट पैदा हुआ, उसका बहाना लेकर सरकार ने सामाजिक शिक्षा का प्रश्न बिल्कुल खत्म कर दिया। जो धन खर्च करने का वायदा किया था, वह भी काट दिया गया। हमारे सामने जो संबोधन है, उसमें भी सामाजिक शिक्षा का कोई जिक्र नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सामाजिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध किये बिना देश में जनतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता। हमारे देश में जनतांत्रिक व्यवस्था एक नई व्यवस्था है, उसकी परम्परा को समझाने के लिये जनता के अन्दर जनतंत्र को विशाल और सुदृढ़ बनाने के लिये यह निहायत जरूरी है कि हम सामाजिक शिक्षा का विस्तार करें, उसका प्रसार जल्द से जल्द करें। मुझे इस बात की खुशी है कि राज्यपाल ने इस बात का वायदा किया है कि प्रारम्भिक शिक्षा को ५ वर्ष में व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इस संबोधन में प्रारम्भिक शिक्षा के सुधार के संबंध में कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा से संबंध रखने वाले लोगों का यह निश्चित मत है कि जिस ढंग पर प्रारम्भिक शिक्षा दी जा रही है उससे हमारे बच्चों को शिक्षा से जितना लाभ होना चाहिये उतना लाभ नहीं हो पाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की खराबियों को दूर करने के लिये आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। जब तक उसकी रिपोर्ट हमारे सामने न आये, माध्यमिक शिक्षा की पद्धति के संबंध में कोई विचार प्रकट करना उचित न होगा। दुख है इस सम्बोधन में शिक्षकों और विद्यालयों की दयनीय अवस्था का कोई जिक्र नहीं है। उसके सुधारने के बारे में कोई संकेत नहीं है। कुछ वर्ष हुये प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों ने हड़ताल की थी। उस समय सरकार ने उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिये वादा किया था, लेकिन पिछली सरकार ने उस वायदे पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस संबोधन में उसकी दशा को सुधारने का कोई वायदा नहीं किया गया। प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षक ही नहीं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की आर्थिक अवस्था भी बहुत ही दयनीय है और उसको सुधारने की भी आवश्यकता है, सरकार इस पर उचित ध्यान दे।

इस संबोधन में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब हम आजादी के लिये लड़े, उस समय हम देश को आज़ाद ही करना नहीं चाहते थे, बल्कि इस देश की जनता को शोषण से भी मुक्त करना चाहते

थे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने जो आर्थिक कार्यक्रम पेश किया है उसके द्वारा शोषणहीन समाज कायम नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विद्वान इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज का जो आर्थिक ढांचा है, वह शोषण पर आधारित है, उसको कायम रखकर शोषणविहीन समाज कायम नहीं किया जा सकता है। इस आर्थिक ढांचे में बुनियादी तब्दीली करके ही हम एक शोषण विहीन समाज कायम कर सकते हैं। सच बात तो यह है कि यदि हम देश के मौजूदा आर्थिक संकट को दूर करना चाहते हैं, यदि हम आर्थिक समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो भी हमें देश के आर्थिक ढांचे में बुनियादी तब्दीली करनी होगी। आर्थिक विषमताओं को कायम रखते हुए यदि हम यह चाहें कि हम देश की आर्थिक समस्याओं को हल कर दें तो बिल्कुल असंभव है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि हम शोषण विहीन समाज का नक्शा अपने सामने रख कर इस ढांचे में बुनियादी तब्दीली करके नए समाज का निर्माण करें।

हमारे सामने जो संबोधन है उसमें ग्रामीणों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए कुछ सुझाव पेश किये गये हैं। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि उनके द्वारा ग्रामीणों की दशा पूरे तौर से सुधर नहीं सकती है। उनकी दशा को सुधारने के लिये कई दूसरी बातें जरूरी हैं, यदि हम जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट को जिस पर आज के मंत्रिमंडल के ४, ५ सदस्यों के हस्ताक्षर हों, पढ़ें तो उसमें यह लिखा मिलेगा कि आज के लगान की जो व्यवस्था है, वह बिल्कुल गलत है। इस लगान की व्यवस्था से किसानों पर बोझ है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, इस रिपोर्ट में इस बात की जरूरत को बताया गया है कि किसी नए न्यायसंगत आधार पर एक लगान की व्यवस्था की जाये। लेकिन जब हम जमींदारी उन्मूलन और भूमिसुधार ऐक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें इस सवाल को ४० साल के लिये मुल्तवी कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक हकीम है, वह कहता है कि एक मरीज बड़े भारी मर्ज में फंसा हुआ है और नुस्खा लिखते समय कहता है कि इस मरीज के इस मर्ज का इलाज ४० वर्ष के बाद किया जायगा। यही परिस्थिति आज हमारे मंत्रिमंडल की है। वे रिपोर्ट लिखते वक्त बतलाते हैं कि किसानों की दशा को सुधारने के लिये नई लगान व्यवस्था की जरूरत है, परन्तु ऐक्ट पास करते वक्त लिखते हैं कि इस सवाल पर ४० वर्ष के बाद गौर किया जायेगा। यह मेरे ख्याल से बिल्कुल अनुचित बात है। यदि हम किसानों की दशा को सुधारना चाहते हैं तो हमें न्यायसंगत आधार पर नये लगान की व्यवस्था फौरन ही करनी होगी। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की रिपोर्ट में इस बात का सुझाव पेश किया गया था कि जो किसान एक एकड़ से कम जमीन रखते हैं उनके लगान में एकदम रुपये में ६ आना कम कर दिया जाये। लेकिन जब हम जमींदारी उन्मूलन और भूमिसुधार ऐक्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गरीब किसानों के लगान में भी उसी वक्त कमी हो सकती है, जब वह दसगुना लगान देकर अपने को भूमिधर बना लें। जिस समय यह कानून बन रहा था उस समय हमारे मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों का यह विचार था कि वह ६ महीने के अन्दर सारा १८० करोड़ रुपया किसानों से वसूल कर लेंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी कहते थे कि किसानों की झोपड़ियों में नोट टंगे हुए हैं, जिन्हें झींगुर खा रहे हैं, दीमक खा रहे हैं और वह उन्हें आसानी से सरकार को दे सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने शुरू में ही कहा था कि यदि आपने भूमिधरी के लिये दस साल का लगान वसूल किया तो आपने जो रकम निश्चित की है, उसका १/४ भी वसूल नहीं होगा। ६ महीने के अन्दर ही नहीं, बल्कि २ साल के अन्दर भी १/४ से ज्यादा रकम भूमिधरी के लिये वसूल नहीं हो पाई है। आइन्दा भी वसूल होने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे पूर्वी जिले अकाल से ग्रसित हैं, वहाँ के किसानों के पास खाने को पैसा नहीं है। साल का लगान भी देने के लिये उनके पास पैसा नहीं है। अगले दस साल का लगान देकर वे किस तरह से अपने को भूमिधर बना सकते हैं। आज हमारी सरकार कहती है कि हम देश में वर्गविहीन समाज कायम करना चाहते हैं। लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय किसानों के वर्ग को दो हिस्सों में बांट

[प्रो० मुकुट बिहारी लाल]

दिया है, भूमिधर और सीरदार में तकसीम कर दिया है। यदि ऐसा बना रहा तो भूमिधर और सीरदारों के अन्दर संघर्ष पैदा हो जायेगा और यह संघर्ष किसानों और जमीन्दारों के बीच के संघर्ष से भी भयंकर होगा। हो सकता है कि यह संघर्ष रीजनल संघर्ष की शक्ल अख्तियार करले। हमारे देश के जो गरीब किसान हैं उनकी दशा सुधर सके, इसके लिये हमारा विचार है कि यह सरकार उन धाराओं को वापस ले लें, जिससे किसान सीरदार और भूमिधर में तकसीम किये जाते ह। जिन किसानों के पास थोड़ी जमीन है उनको थोड़ी रकम लगान में देनी पड़े और जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनसे ही ज्यादा रकम वसूल की जाय। जमीन्दारी उन्मूलन में सरकार ने जमीन के बटवारे के प्रश्न को बिल्कुल भुला दिया हैं। जमीन्दारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि जमीन का बटवारा होगा तो सामाजिक न्याय की वृद्धि होगी। और पैदावार भी बढ़ेगी, पर रिपोर्ट में बटवारे का विरोध इस लिये किया गया है कि इसकी वजह से विद्रोह उठ खड़ा होगा। जिनके पास बहुत बड़ी जमीन है, वह इसकी मुखालिफत करेंगे। पांच वर्ष की योजना प्रकाशित की गयी है। उसमें जमीन के बटवारे के प्रश्न को छोड़ दिया गया है। मैं हैदराबाद में होने वाले एक विद्रोह का हवाला देना चाहता हूं। मैं इस प्रदेश की सरकार से विनती करूंगा कि जो विद्रोह मुट्ठी भर जमीन्दारों का होगा, उससे भयंकर किसानों का विद्रोह होगा। जो जबरदस्ती जमीन को लेने को तैयार हो जायेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्हें मुट्ठी भर जमीन्दारों का विद्रोह का मुकाबिला करना पसन्द है या इस प्रदेश में तेलंगाना बनाना पसन्द है।

मुझे इस बात का खेद है कि जिन लोगों का कर्तव्य है कि जनतान्त्रिक व्यवस्था कायम करें, वे इस ओर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। बल्कि जनतान्त्रिक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। यह ठीक है कि जनतन्त्र में वह पार्टी जिसका बहुमुख होता है, वह सरकार बनाती है और वही राज्य के नाम पर सरकार का काम करती है, लेकिन फिर भी जनतन्त्र में, राज्य सरकार और पार्टी के मौलिक भेद कायम को ध्यान रखा जाता है। साम्राज्यशाही और सामन्तशाही के अन्दर ही लूई चौदह ने यह कहा था कि (I am the State) मैं राज्य हूं। जनतन्त्र के अन्दर यह कोई नहीं कह सकता है I am the State। हमारे बड़े–बड़े नेता जिन्होंने जीवन में जनतन्त्र कायम करने का, उसकी प्रतिष्ठा करने का संकल्प लिया था, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने नागरिक आजादी के लिये सिविल लिबर्टी यूनियन (civil liberty union) बनाया था, वही नागरिक स्वतन्त्रता पर आज कुठाराघात कर रहे हैं। इसीलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि संबोधन के संबन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसमें यह शब्द जोड़कर सरकार का और राज्यपाल का ध्यान उस ओर दिलाया जाय।

दो शब्द मुझे मजदूरों के सम्बन्ध में भी कहना हैं। उसके सम्बन्ध में श्री राजाराम शास्त्री ज्यादा बतलायेंगे। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि जो योजना मजदूरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में बतलाई गई है, उससे मजदूरों की आर्थिक भलाई नहीं की जा सकती, मजदूरों की छटनी हो रही है, उनको मजदूरी से अलग किया जा रहा है। उनकी बेकारी बढ़ती जाती है। इसको दूर करने का कोई इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। १९४७ ई० में जब हमने आजाद सरकार कायम की थी, उस समय हमने फेयर वेजेज उचित मजदूरी देने का वायदा किया था, उसके संबन्ध में कुछ कानून भी पास किये गये हैं, लेकिन ये सब कानून दफ्तरों में ही रक्खे रह गये, वे लागू नहीं किये जा रहे हैं और आज मजदूरों की हालत अच्छी होने के बजाय बुरी होती जा रही है। इसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन पेश करता हूं।

Dr. Vijaya Anand of Vizianagram :

Mr. Chairman, Sir,

I wish to make just a few observations and at the same time shall be as brief as possible. I will take one item first which to my mind

is very important, i.e., general election that were held in this State were unparalleled in any other country. The credit of these elections and the peaceful way in which they were held would naturally go to the Government headed by that great personality Pandit Pantji and it has added yet another feather to his great cap. Every section of the people in this State has been represented in this Legislature and it augurs well for the future that everything will be decided by those representatives on the floor of these two Houses.

The second thing I wish to say, Mr. Chairman, is that our Governor, Sir Homi Modi, will be leaving within the next few days. Sir Homi has always been very independent. He created a sensation by chucking up his job in the Viceroy's Council. He has been a great patriot all along and has been respected by all. Not that Sir Homi believes in causing sensations, but his inner urge made him resign and that is why I call him an independent man. All that we can say is that he has done a great job in the U. P. and wish him luck wherever he may go.

His successor, Mr. Munshi, is also a very renowned personality, Of course, the very fact that he held the portfolio of Food and Agriculture in the Central Ministry means that we shall have his best advice in our development schemes so far as agriculture is concerned; and also food, of course.

The third thing I wish to take up is that when one goes over the Governor's speech item by item one cannot help observing that the Team that our Chief Minister has chosen of 11 admirable men—I mean men with great experience behind them. I have no doubt with the experience they have had in the last Cabinet we can look forward for very happy days.

The most important thing which has been mentioned in the address of the Governor is Zamindari Abolition. I am no exception to that, Sir, I happen to be a Zamindar myself. Taking what has happened all round in this world I have been at great pains in explaining to my brother zamindars that the time had come for us to go with the wind and not against it. But my cry had been one in the wilderness. They paid no heed to what I had said with the result that we find that our ancestral properties are being taken over on the 1st of July. If they had accepted what I had said and not taken the matter to the Law Courts, they would have got better terms from Pantji's Cabinet, I am sure. At least the bonds that we are to get, would have been negotiable, instead of non-negotiable, which is the case now. Take the case of Nepal and its recent happenings. Zamindars are being turned out by dacoits. We would have similar fate, if Zamindaries had continued.

Hence I would like to say that having missed the bus so often it is high time that we Zamindars made over our holdings as peacefully as possible. I beg of my brother Zamindars to allow the peaceful taking over of Zamindari on the 1st of July and not to create unnecessary

[Dr. Vijaya Anand of Vijayanagram]

difficulties; otherwise, even the little that we are to get, we will lose, from Government.

I now come to the question of controls. Well, I rightly look upon the U. P. Government as a very courageous one—courageous in the sense that it has produced our Prime Minister and others who are known for their courage. I would like to see this Government do away with controls. Controls have not been too happy a feature in any of our Provinces and if Uttar Pradesh would give the cuntry a lead in this matter it would be a courageous thing. I am quite sure, It will put an end to the black-marketeers' harvest. As a matter of fact I am not in a position to give you exact figures but I am told that 85% of the rural population do not indulge in or are not affected by all these controls. There is no harm in giving a trial to this and if it is found that the trial is not worth while, we can go back to controls. That is why I say, courage is required. This is what I would like to suggest and make an observation in this regard.

Now, Sir. I will say a few words about prices. It is very creditable to our Government that they have stabilised prices, inspite of the fact that the food subsidy from the Central Government has been stopped and whereas all other states have increased the prices of food stuffs. Even so, I hope that this Government would certainly reduce food prices further because it is then that the Government would have more courage and would be called more courageous and would give a lead to other States. May I say, by reducing prices they would increase their popularity. I see from the portfolios in the Cabinet that Labour has been entrusted to Dr. Sampurnanand One can say from experience, as he has been a labour man all his life, that labour will have his first attention and receive his best care.

Now about general and technical education. I am not an academic man, as you all know yet, I have a few observations to make in this regard. You probably know, I am very fond of games. Games have not been given any place in the speech of His Excellency. Sir, you know the old saving, "All work and no play makes Jack a dull boy." I do feel therefore that you cannot properly educate your boys unless you make adequate provision for games. Why not make games a compulsory thing in all schools and colleges and in all walks of life. A man physically fit is mentally alert. May I say that you and the Speaker in the other House insist on all Legislators taking part in games lest we might feel liverish, and insist on some type of exercise. Arrangements should be made to make available more play grounds and other recreative facilities for the physical fitness of the youth of the country.

I would also like to suggest that as Mr. Mody is now going away, we in this House must pay a tribute to him by saying that we are all very grateful to him for having given us a stable Government and for having also given us a great fillip in sports.

With these few observations, I resume my seat.

*श्री जमीलुर्रहमान किदवई—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे नजदीक कितने जरूरी और अहम मसायल इस वक्त हमारे सामने पेश हैं, वह हमारे गवर्नर साहब से ऐड्रेस में दिये गये हैं। इस वक्त जितने मसायल हैं, उन सब की स्कीम या तफसील इस ऐड्रेस में दी जाती है। यह एक गलत चीज होती और ऐड्रेस में हर स्कीम को पूरी तौर पर देना यह मुमकिन भी न होता। यह बात जरूर है कि बाज चीज ऐसी हैं कि जिनके बारे में यह तजकिरा कर देना भी ज्यादा मुनासिब होता है कि गवर्नमेंट उनके बारे में क्या करने वाली है।

हमारे एक साथी ने एजूकेशन के बारे में जिक्र किया है कि ऐड्रेस में कोई इसका जिक्र नहीं है कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कदम उठाने वाली है। मेरे नजदीक इस ऐड्रेस में अगर किसी चीज का साफ और वाजे तौर पर जिक्र किया गया है तो वह एजूकेशन ही है। उसमें जिक्र किया गया है कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या करने वाली है। इस बारे में एक कमेटी मुकर्रर की गई थी, उसकी रिपोर्ट का इन्तजार है और फिर जो कुछ भी होगा, किया जायगा। जाहिर बात है कि इसके लिये अभी से कोई पेशीनगोई नहीं की जा सकती है कि गवर्नमेंट उसके बारे में क्या करेगी। फिर भी गवर्नमेंट का एक रवैया इस बारे में है, यह ऐड्रेस में बहुत साफ तौर पर दे दिया गया है। तालीम का मकसद यह नहीं है कि खाली इम्तहान पास कर लिया जाय। बल्कि इन्सान को यह मालूम करना चाहिए कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वह कुछ न कुछ रोजगार पैदा कर सके। सबसे ज्यादा जरूरी उसका मकसद यह है कि तालीम और इन्सान की जिन्दगी दोनों एक दूसरे के साथ चल सकें और यही चीज गवर्नमेंट के ध्यान में भी है। इसका ऐड्रेस में भी जिक्र किया गया है। तालीम का मकसद यह होना चाहिए कि इन्सान एक कारामद बन सके और वह अपनी जिन्दगी के लिये किसी का मुहताज न रहे। इस के बारे में गवर्नमेंट का क्या आइडिया (idea) है, उसके लिये उसने कदम उठाया है। यह एक ऐसी बात है कि अगर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया तो अच्छा होगा। मसलन अब अन-इम्प्लायमेंट (un-employment) का ही सवाल है। हर साल लाखों नवजवान हमारे स्कूलों और कालेजों से निकलते जा रहे हैं। उनके लिये जिन्दगी बसर करने का कोई जरिया नहीं है। उनके लिये गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी तक गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है, वह सब आप लोगों के सामने है। लेकिन आगे के लिये क्या होगा ? क्या कोई ऐसी कमेटी मुकर्रर कर दी जाय ? या गवर्नमेंट की कोई ऐसी मशीनरी (machinery) होगी जो इस चीज को देखेगी और उसके जरिये स्कीम (Scheme) तैयार होगी, जिस पर अमल किया जायगा। इस बात का ऐड्रेस में तो कोई जिक्र नहीं है।

मैं समझता हूं कि काटेज इण्डस्ट्री (Cottage Industry) का भी जिक्र किया गया है। लेकिन उसके साथ यह नहीं है कि काटेज इण्डस्ट्रीज किस हद तक होगी और उसकी क्या स्कीम होगी और किस तरह से यह अन इम्पलायमेंट दूर किया जायेगा। यह बहुत ही अहम मसला है। मैं कहता हूं कि यह चीज इस गवर्नमेंट के ध्यान में जरूर रहेगी। आज तक तो यह जरिया था कि स्कूल और कालेजों से निकल कर कहीं नौकरी कर ली, लेकिन अब वह भी नहीं है। इस तरह से बेरोजगारी के बढ़ने का डर है।

इसके अलावा अब जब कि पहली जुलाई से जमींदारी खत्म हो रही है तो यह बड़ा भारी सवाल पैदा होगा कि जो जमींदारों के नौकर थे उनके लिये जिन्दगी के बसर का क्या जरिया होगा। यह सही है कि उनके लिये कुछ न कुछ ग्रान्ट (grant) मिल रही है और कम्पेन्सेशन (compensation) का भी कुछ हिस्सा उनको मिलेगा और हो सकता है कि बहुत से लोग कोई न कोई अपने लिये जरिया निकाल ही लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना काफी नहीं है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जमीलुर्रहमान किदवई]

इस लिये यह भी बड़ा सवाल होगा कि उनके लिये भी रोजगार निकाला जाय। उसका जिक्र करना भी हमारी गवर्नमेंट का फर्ज है। इसके अलावा काटेज इन्डस्ट्रीज के बारे में कहा गया है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ गयी है और गवर्नमेंट इसको अहमियत को समझती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहां प्लानिंग (planning) की की है और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोआर्डिनेट (co-ordinate) नहीं करता है, इससे जो पूरा फायदा गवर्नमेंट को होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। जो स्कीम् हमारी सरकार बनाती हैं उससे हमको पूरा फायदा होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो आगे के प्रोग्राम बनायेगी, जिनका इशारा ऐड्रेस में भी किया गया है, उनकी तरफ खास तौर से तवज्जह देगी। देश की खराबियों को दूर करने से बहुत फायदा होगा। इन अल्फाजों के साथ में इस शुक्रिया के प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

श्री गोविन्द सहाय--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैंने कल गवर्नर महोदय के ऐड्रेस को काफी गौर से सुना और जो प्रस्ताव धन्यवाद का दिया गया है, उन लोगों की स्पीचेज (speeches) को भी काफी गौर से सुना। मुझे काफी इस बात पर सोचना पड़ा है इस किस्म के ऐड्रेस जिसमें कि किसी किस्म की पालिसी (policy) या किसी बुनियादी उसूल का जिक्र नहीं है और सिर्फ एक चलते फिरते पन की एक बहुत अच्छी नेकनियती की चर्चा की गई है। इसमें टैक्स पेयर (tax payer) का १० हजार रुपया दो दिन में खर्च किया गया है। गवर्नर महोदय के ऐड्रेस में सही बात तो यह है कि उसमें कोई भी कन्ट्रोवर्शियल (controversial) बात नहीं है, जिस पर बहस होती। क्योंकि अगर कोई आदमी अच्छी चीज की चर्चा करता है तो अच्छी चीज पर बहस नहीं हो सकती है। इसमें तो सिर्फ अच्छी चीज की चर्चा की गई है। मैं इस ऐड्रेस से एक ही फायदा समझता हूं कि मौजूदा सरकार को मौका मिला है कि वह पब्लिक की आवाज को सुन सके। कल गवर्नर महोदय ने कोआपरेटिव कामनवेल्थ (Co-operative Commonwealth) की चर्चा की। आज सुबह से मैंने काफी कोशिश की कि इस लफ्ज के क्या माने हो सकते हैं। मैंने टेलीफोन के जरिये से पोलिटिक्स (politics) के एक प्रोफेसर से इसका मतलब पूछने की, कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं इसका मतलब ठीक से नहीं समझ पाया। ट्रेजरी बेन्चेज (treasury benches) की तरफ से कोई साहब इसका मतलब बतला दें कि इसका मकसद क्या है ?

क्या हमारा मकसद है, क्या हमारा ढांचा है, क्या अपनी पार्टी का ढांचा है, इन सब को ऐसी दिशा की ओर मोड़ा जाता है, जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। एक ऐसा कन्सेप्शन (conception) पैदा हो रहा है, जो सूबे के हर गोशे में दिखलाई देता है और यही कारण है कि इस सूबे में बुनियादी उसूल पर काम करने का कोई ढंग नहीं है। किस बुनियाद पर गवर्नमेंट काम करती है, इसका उसे खुद भी ख्याल नहीं है, किस उसूल पर वह काम कर रही है आया वह बुनयादी उसूल है या नहीं इस पर अगर बातें होती हैं, उनकी मुखालिफत अगर होती है तो विरोधियों की इन बातों को ध्यान में नहीं लाया जाता है।

इसके अलावा इसमें यह भी चर्चा हमारे आबजेक्ट (object) और मकसद का किया गया है, इसमें कहा गया है कि देश के आर्थिक ढांचे को बदला जाय, देश के सामाजिक ढांचे को बदला जाय, लोगों के दिमागों को मरोड़ा जाय, ताकि कम से कम जिसकी जिम्मेदारी है, वह इस मकसद में कामयाब हो जाय। तीसरे इस ऐड्रेस में फाइव इयर प्लान (five-year plan) की भी चर्चा की गयी है। इस मुल्क की यह खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से कहिए कि इसके लीडरान को कुछ अल्फाज के साथ खेलने का शौक है। योरप से उन्होंने कुछ अल्फाज सीख लिये, जिनको वह बार-बार दोहराना अपना फर्ज समझते हैं। एक लफ्ज राशनिंग (rationing)

का होता है, एक कन्ट्रोल का लफ्ज है, एक फाइव इयर्स प्लान का अल्फाज है। इन सबको उन्होंने खूब रट रखा है, उसका क्या असर होता है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। इस के जरिये कैसे ढांचा बदला जाता है, इसका इन्हें पता नहीं है, इसका तीजा यह है कि आज राशनिंग और कन्ट्रोल जैसी चीजों के आने से मुल्क में एक परेशानी सी हो गयी है और लोग अपने सवालात को हल करने का जरिया निकाल रहे हैं। इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि लोग कन्ट्रोल और राशनिंग के नाम से परेशान से हो गये हैं। जिन कामों के लिये जिन मसलहत की जरूरत थी, वह नहीं किये गये हैं। तो इस तरह से फाइव इयर्स प्लान हमारे यहाँ चला है, कई साल हमको यह सुनते हो गये हैं। योरप में जो प्लान बनाया जाता है, उसके अन्दर जो असली चीज है, उसका ध्यान इस प्लान के अन्दर क्यों नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्लान बनाया जाता है, उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। क्या मुल्क का डाटा (data) आपके पास है और डाटा के साथ-साथ मुल्क की साईकालाजी (psychology) आपके साथ है, यह प्लान लोगों की जिन्दगी का प्लान है। प्लान के लिये एक ऐसा ऐडमिनिस्ट्रेटिव (administrative) तरीका आपके पास होना चाहिए, जो इस प्लान को कामयाब कर सके। मुल्क के अन्दर इस तरह का प्लान निकालना मेरी समझ में नहीं आता है कि कोई माने रखता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इस सूबे का प्लान क्या चीज है, डिपार्टमेंट का प्लान तो हो सकता है। प्रान्त का प्लान कर सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में मैं डिटेल (detail) में यहां नहीं जाना चाहता। हमको ६ साल हो गये हैं, यह प्लान का लफ्ज कई साल से चला आ रहा है। आज कोई हालात प्लान के मुताबिक नहीं हो पाये हैं और न प्लान के कामयाब होने के बारे में ही आज कोई दलील हो सकती है। आपका प्लान किस तरह से लागू होगा, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है।

अभी एक चर्चा इसमें जमीन्दारी अबालिशन की भी की गई है। आज कल के जमाने में जबकि इतनी तेजी से जमाना बदल रहा है, कोई आदमी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है। हमारा जो कंस्टियूटशन है, वह इस तरह से तरक्की नहीं कर सकता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से हमारी सरकार के प्लान बनते हैं, उससे कोई मसला हल नहीं होता है। भविष्य में जमीन्दारी उन्मूलन जो होगा उससे यकीनी तौर पर किसानों का भला होगा और उनमें एक नई जिन्दगी शुरू होगी, मुझे शक है। जो आब्जेक्टस (objects) इस के जरिये से काँग्रेस पार्टी का है, वह सिर्फ जमीन्दारी को ही मिटाने का है। मैं क्यों यह बात कह रहा हूं, वह इस लिये कि जमीन्दारी उन्मूलन से जो मकसद है, वह मकसद पूरी तौर से हल नहीं होता है। इसके दो उसूल हैं और वह दोनों ही उसके जरिये पूरे नहीं होंगे। मेरा विश्वास है कि इस जमीन्दारी विनाश से ही काँग्रेस का देहात में वाटरलू (Waterloo) होगा। आपका उसूल है कि जिसके पास जितनी जमीन है, उसके पास उतनी ही रहेगी। हजारों की संख्या में सूबे में प्लानिंग फैल रही है और सब पैसा उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, परन्तु कोई भी प्लान कारबन्द नहीं हो रहा है। आपकी यह सारी स्कीम जो अबालिशन की है, मैं आपसे कह सकता हूं कि इससे किसानों को कुछ भला होने वाला नहीं है और आपका यह ख्याल भी बिल्कुल गलत है कि इससे किसानों का भला होगा। तो इस तरह की बातें इस स्टेट में कही जाती हैं और मैंने इसीलिये इसकी तरफ इशारा किया है कि जमीन्दारी अबालिशन बिल के आखिरी रोज जब चरणसिंह साहब ने स्पीच दी, तो उनके कहने से भी यह पता चलता था कि कि यू० पी० में इससे ऐसा इन्तजाम कर दिया गया है कि जिसके अन्तर्गत यू० पी० में कम्यूनिज्म गढ़ा पार नहीं कर सकेगा। कम्यूनिज्म (communism) के बारे में उन्होंने कहा कि अगर सारे भारत में कम्यूनिज्म आ भी गया तो हमने उसके लिये भी इन्तजाम कर रखा कि वह गंगा पार करके यू० पी० न आ सके। इस तरह की बातें कह देने से ही कुछ नहीं हो सकता, जैसाकि इस ऐड्रेस में भी बहुत सी बातें कहीं गयी हैं। मगर वह कैसे होगी, इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है।

[श्री गोविन्द सहाय]

तीसरी बात जो इस ऐड्रेस में इशारा किया गया है, वह एफीशियन्सी (efficiency) के बारे में है। मुझे खुशी है कि इस बात को महसूस किया गया कि गवर्नमेंट के वर्क में और उसके एडमिनिस्ट्रेशन (administration) में एफीशियन्सी होनी चाहिए और उसका काम बिना एफीशियन्सी के ठीक से नहीं हो सकता। मगर क्या मैं गवर्नमेंट से यह पूछ सकता हूं कि इन ६ साल की वर्किंग (workin.) में उसने कहाँ तक एफीशियन्सी से काम किया है। मैं नहीं कहता कि उसमें एफीशियन्सी के लोग नहीं हैं और वे एफीशियेन्ट आदमी नहीं रखते हैं और मैं यह भी जानता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छे लोग हैं और उसमें उनकी तरक्की भी हुई होगी। अंग्रेजों ने उनके सामने एक ब्यूरोक्रेसी (Bnreaucracy) गवर्नमेंट का तरीका रखा था, मगर आप लोगों ने उसको हटाकर डेमोक्रेसी (Democracy) के तरीके को अपनाने की बात कही है—या आपने लोगों को दोनों में से एक के लिये तैयार नहीं किया है। फिर भी मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस तरफ ध्यान दिया है और पिछली बातों को देखकर और उनसे तजुर्बा करके अब आगे इस ओर और भी ज्यादा ध्यान देंगे और मैं अब तक तो बहुत कुछ देख चुका हूं, मगर फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि वे आगे क्या करने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे एफीशियेन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है तो एफीशियेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कानूनी जरिये से नहीं हो सकता। उसके लिये वैसे ही साधन और अनुकूल वातावरण पैदा करना होता है। हमारे यहाँ ७५ प्रतिशत से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिनको लगभग ५०–६० रुपये, जो बहुत ही कम मिलते हैं और फिर आप उनसे यह कैसे उम्मीद करते हैं कि वे अपने काम में बिल्कुल ईमानदार रहें और इस तरह से जो सोसाइटी बनेगी, वह कैसे अच्छी हो सकती है? सोसाइटी में तरक्की लाने के लिये हमें इन सब बातों में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। गवर्नर महोदय के ऐड्रेस में इन आजादी की बातों की भी चर्चा की गयी है और जितनी अच्छी से अच्छी चीजें हैं वे सब उसमें आ गयी हैं। लेकिन मैं आपको एक सर्क्युलर (circular) के बारे में बतलाना चाहता हूं जोकि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स (servants) के लिये हैं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर लोगों ने इस सर्क्यूलर को देखा होगा। वह सर्क्यूलर मेरे पास है। उसमें इस बात को साफ कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की जो बीबी हैं, उन्हें भी सरकार की चर्चा या उसके खिलाफ कुछ क्रिटिसिज्म (criticism) करने की बिल्कुल मनाही है। किसी भी जमाने में वाल्देन को अपने बच्चों के काम की वजह से सजा नहीं मिला करती थी। हमारा आजाद मुल्क है, लेकिन किसी को फुरसत तक नहीं है कि वह देख सके कि क्या–क्या सर्क्युलर निकल रहे हैं? इतने ज्यादा काम हैं, इतनी ज्यादा किताबें हैं, इतनी ज्यादा दरबारदारी है कि उनको इस बातकी फुरसत तक नहीं है कि वह देखें कि क्या हो रहा है और किस तरह से सर्क्युलर निकल रहे हैं? वह सर्क्युलर मेरे पास हैं। मुझे हैरत है कि इस किस्म का सर्क्युलर नया चुनाव होने के बाद किस तरीके से निकला। उस सर्क्युलर में दूसरा एक सेक्शन (section) और है। उसमें यह है कि कोई भी मुलाजिम जो खेती करता है, वह छुट्टी लेकर के अपने खेत की जुताई नहीं कर सकता है। जब कि दूसरे मुल्कों में यहाँ तक होता है कि जिन फौजियों के पास जमीन होती है, उनको छुट्टी दे दी जाती है जिससे उस देश की पैदावार बढ़े, लेकिन यहाँ पर जिनके पास जमीन है उसको छुट्टी नहीं मिल सकती है कि वह अपनी जमीन जुतवा सके या पैदावार बढ़ा सके। किसी ने आप को बता दिया है कि सरकारी नौकर बेईमान होते हैं, आप उनको कानून से रोकना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर्विसेज एफिशियेंट हों तो आप उनमें एक सिस्टम (system), आर्डर (order) पैदा करें, जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े।

अभी एजुकेशन के बारे में कुछ चर्चा हुई है। सही बात है, एक मुल्क की तरक्की तालीम के ऊपर मुनहसिर करती है। हमको बताया जाता है कि बहुत से स्कूल खुल गये हैं, मुझे

खुशी है कि स्कूल खोले गये हैं। क्या किसी मुल्क की तालीम की तरक्की इस बात से जाँची जाती है कि उसमें कितने ज्यादा स्कूल खुल गये हैं या आने वाली नस्ल के दिमाग खुले या नहीं, उनके माइन्ड (mind) का विकास हुआ या नहीं, उनकी अखलाकी, दिमागी और जिस्मानी ताकत बढ़ी या नहीं ? अगर इस नजरिये से आप देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि आज के लड़कों की दिमागी हालत इतनी गिरी हुई है, जितनी कभी न थी। आज का स्टैंडर्ड (standard) इतना गिर गया है कि ज्यादा कहा नहीं जा सकता है। आज एक लड़का दस बजे इम्तिहान देने जाता है और एक घंटे में पेपर (paper) खत्म करके आता है, उसको मालूम हो जाता है कि उसकी कापियाँ कहाँ जा रही हैं और कौन परीक्षक है। वह उसके पास पहुंचता है। यह तो आज का स्टैंडर्ड है। हमारी आगे आने वाली नस्ल बरबाद हो रही है; अगर आप इस मुल्क की तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपने मुल्क के बच्चों को संभालें। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे आपकी यंगर जेनरेसन (younger generation) फले-फूले। आप उनको तरक्की करने का मौका दें। गवर्नर साहब ने बहुत सी नई बातों की चर्चा की है और बहुत सी बातें रह गयी हैं। उसमें स्लम्प (slump), फैमीन (famine) और करोड़ों लोगों की मायूसी की कोई चर्चा नहीं की गयी है। हो सकता है कि जल्दी में यह बातें रह गयी हों। लेकिन मेरा यकीन है कि जो स्लम्प आ रहा है उसके खतरनाक असरात जो हैं उसकी कोई चर्चा नहीं की गयी है। उससे इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था ही बिगड़ गई है। आपको एक ऐसा आर्थिक ढांचा बनाना चाहिये जिससे जो आपका आब्जेक्ट (object) है, वह आप पूरा हो सके।

मुझे खुशी है कि नई वजारत बन गई है। नई शराब को पुरानी बोतलों में रखा गया है या पुरानी शराब को नई बोतलों में। लेकिन इससे मेरा वास्ता नहीं है पर ऐड-मिनिस्ट्रेशन को किस तरह से तकसीम किया गया है, किस आधार पर पोर्ट-फोलियो (portfolio) दिये गये हैं, यह समझ में नहीं आया। सिंचाई और इन्फार्मेशन एक साथ रखा गया है और इर्रीगेशन जिसका संबंध एग्रीकल्चर से था, वह नहीं रखा गया है। एग्रीकल्चर और इन्फार्मेशन का साथ इस तरह से है, जैसे इंटेलीजेंस (intelligence) और कामनसेंस (commonsense) है। आपने जो ग्रूपिंग आफ दि डिपार्टमेंट (grouping of the department) किया है वह ठीक ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। बल्कि कुछ लोगों को खास तरह से बैलेंस (balance) करने के लिये यह किया गया है।

आखिर में इतना कहूंगा कि इस सूबे में ६ करोड़ बाशिन्दे जो रहते हैं, कुदरत उनके ऊपर मेहरबान है, लीडर भी उनको अच्छे मिले हैं। मगर बावजूद इसके कि करोड़ों लोगों की हमदर्दी आपके साथ रही है, बावजूद इसके कि आपकी ही पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं बन सकी है, इस सूबे के अन्दर मायूसी है, गरीबी है, बेकारी है, संघर्ष है, नफरत है। आप इस इल्जाम से बच नहीं सकते। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि आज मेरी आवाज चाहे आपको धीमी मालूम पड़ती हो, हो सकता है कि आज यह एक व्यक्ति की आवाज हो, मगर आज जो मैं आप से कह रहा हूं, कल उसके पीछे लाखों नहीं करोड़ों आदमियों की आवाज होगी। मैं देख रहा हूं कि इस मुल्क के अन्दर इलेक्शन हो गये हैं, लेकिन लोगों के दिलो-दिमाग मायूसी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने अपने को न संभाला तो मुझे कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में आपकी च्यांग जैसी हालत जरूर होगी। महज यह कहने से कि कम्युनिज्म आने वाला है, आप कम्युनिज्मों की बाढ़ को रोक नहीं सकते। अगर मौजूदा हालात को आप नहीं बदलते तो इस मुल्क में कम्युनिज्म के आने की जिम्मेदरी आप के ऊपर होगी। हालाँकि कम्युनिज्म बुरी चीज है। देश की हालत दुरुस्त करने के लिये जरूरी है कि आपके मुखालिफ जो हैं उनकी भी बातें आप सुनें। उनसे राय मशविरा आप ले सकते हैं। आज बहुत हद तक यह कहा जाता है कि अपोजीशन के लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म (constructive criticism) नहीं

[श्री गोविन्द सहाय]

करते। मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपोजीशन में महज अपोजीशन की वजह से यकीन नहीं करता। मेरे दिलदिमाग में आपके लिये गुंजाइश है। मैं आपके ऐडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में आपको सहयोग देने को तैयार हूं। आज बावजूद इन सब बातों से यह सूबा बिगड़ रहा है, देश बिगड़ रहा है। लोगों की दिमागी हालत खराब हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप पार्टी से ऊपर उठ कर जरा काम कीजिए। दूसरों की देशभक्ति में शक न करके पैट्रियाटिक (patriotic) हो कर काम कीजिए, तभी इस सूबे में वेल-फेयर स्टेट (welfare state) बन सकती है। वेल फेयर स्टेट के माने यह हैं कि करोड़ों इंसान हाथ में हाथ डाले हुए कुदरत के साधनों को इस्तेमाल करते हुए जिन्दगी को सफल बनायें। हमारी आजादी की एक ख्वाहिश पूरी हो गयी। दूसरी ख्वाहिश हमारी यह है कि हमारा देश खुशहाल बने, गरीबी दूर हो। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खास शुक्रिया या मुखालिफत की जरूरत है। मैं इसे बिल्कुल एक चलती हुई रोटीन (routine) चीज समझता हूं। इस पर यह भी नहीं कि मैं विरोध करता हूं, लेकिन जो मेरे ख्यालात थे, वह मैंने आप तक पहुंचा दिए।

*उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं जरा देर में आया, इसलिये मुझे प्रो० मुकुट बिहारी लाल साहब की पूरी तकरीर सुनने का मौका नहीं मिल सका। इस में कसूर मेरा था और किसी का दोष नहीं था। लिहाजा जो कुछ बातें मैंने थोड़ी बहुत सुनीं, मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं इन सब बातों को पूरे तौर से सुनूं और समझूं। कुछ बातें समझ में आईं हों या न आई हों, लेकिन एक बात मेरी समझ में जरूर आई कि मेरे दोस्त ने यह समझा कि यह स्टूडेन्ट्स (students) की एक जमात है। अतः उनके सामने एक व्याख्यान सूबे की इकनामिक (economic) अवस्था पर इस भांति दिया जाये कि नयी-नयी बातें उनकी समझ में आवें। हमारे दोस्त यह बिल्कुल भूल गये कि यहाँ उन लोगों की जमात है, जिन्होंने बाल धूप में सफेद नहीं किये हैं। उन्होंने दुनिया में कुछ देखा है और उन तजुर्बात की बुनियाद पर यहाँ हुकूमत कायम करने की चेष्टा करते हैं। हमारे दोस्त ने फरमाया कि यह जमींदारी अबालिशन ऐक्ट जो बनाया गया है, इसमें बजाय क्लासलेस सोसाइटी (classless society) पैदा करने की इस बात की कोशिश की गयी है कि इसमें तरह-तरह की जमात पैदा कर दी जाय। अपनी बहस की पुष्टि के लिये उन्होंने भूमिधरी और सीरदार का हवाला दिया। मैं इस संबंध में केवल इतना कहना पर्याप्त समझूंगा कि यह जो पंक्ति भेद किया गया है, तो सीरदार महज एक प्रावीजनल (provisional) है। हर सीरदार को हक है और वह भूमिधरी के हक को हासिल कर सकता है। कानून के मुताबिक थोड़े दिनों में वह वक्त आयेगा, जब हमारे सूबे में एक भी सीरदार नहीं होगा। एक तनहाई भूमिधरी की जमात होगी। हमारे लायक दोस्त ने फरमाया कि यह दस गुने की जो बात रखी गयी है, वह बिल्कुल गलत रखी गयी है। किसानों के पास पैसा नहीं है। जो रकम रखी गयी है कि एक अरब ८० करोड़ रुपया इकट्ठा किया जायगा। बिल्कुल गलत फहमी पर ऐसी ऐसी स्कीम रखी गयी, क्योंकि सिर्फ ३३ करोड़ या ३४ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। उनके नुक्तये ख्याल से यह स्कीम नाकामयाब रही, लेकिन हमारे दोस्त ने यह नहीं देखा कि कितनी दिक्कत थी। हमारे सोशलिस्ट भाइयों का एक नारा था कि दसगुने की अदायगी न करें। हमारे जमींदार भाइयों की भी ऐसी ही कोशिश थी। इसके साथ-साथ इस तरह की और दिक्कतें थीं, लेकिन इन दिक्कतों के होते हुए भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी भी इस सूबे में इतनी बड़ी रकम इतने कलील वक्त में वसूल नहीं हुई। लिहाजा इस कम खर्च के साथ तो इस सूरत में यह कहना कि यह स्कीम बिल्कुल नाकामयाब रही, मैं बिल्कुल नहीं समझता।

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

इसके साथ-साथ मैं इस बात को नजरअन्दाज नहीं कर सकता कि उसी जमाने में जमींदारों की तरफ से मुकद्दमा दायर हुआ, जिससे किसानों के दिल में खटक पैदा हो गयी। मुकद्दमा खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। वह ऐक्ट लागू होने जा रहा है। मुझे यकीन है कि हमारे दोस्त देखेंगे कि सीरदार उड़ उड़कर भूमिधर बनेंगे। अभी तक उनका ख्याल था कि वहाँ क्या फैसला हो जाय ? तो ऐसी सूरत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसके साथ हमारे दोस्त ने यह भी फर्माया कि किसानों के पास पैसा नहीं है। इस बात की तो मैं जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं यह अर्ज करूं कि हमारे दोस्त किसानों के पास गये नहीं, ग्रेजुएट्स कांस्टिट्युऐन्सी (graduates constituency) में जाकर यह इल्म हासिल करना कि किसानों के पास पैसा नहीं है, ताज्जुब की बात है। हमारे दोस्त गोविन्द सहाय ने नहीं कहा क्यों कि वह उनके पास गये थे। लिहाजा मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं करता कि किसानों के पास पैसा नहीं है। हम लोगों ने किसानों के बीच में जाकर काम किया है। गांव-गांव में घूमे हैं। उनसे विचार परामर्श किया है, उनसे बातचीत की है। किसानों के बारे में जानकारी रखने का दावा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वह, जिन्होंने गांव में जाना मुनासिब नहीं समझा, यह नहीं कह सकते। किसानों ने जमींदारी अबालिशन का स्वागत किया है। जिस वक्त यह बिल यहां था, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त था कि इस सदन के सामने और असेम्बली के सामने इसे पेश करूं। जमींदारों की तरफ से मुझे बराबर यह चैलेंज (challenge) किया जाता था कि रेफ्रेन्डम (refrendum) मांगा जाय। हमने बराबर यही कहा कि हमने एलेक्शन ही इसी के बिना पर जीता है। यह बात कहना कि किसान इसको पसंद नहीं करता, गलत है। किसान के सामने खास तौर से यही सवाल था और उसने इस बात पर विचार करके ही हमें यहां पर भेजा है। किसान समझता है कि जमींदारी अबालीशन से उसे फायदा है। किसान अब अपनी जमीन का मालिक है। किसी की मजाल नहीं है कि अब कोई किसान को मुर्गा बना सके।

एक आवाज—तहसीलदार बना सकता है।

उद्योग मंत्री—नहीं, तहसीलदार नहीं बनायेगा। किसान अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हमारे किसानों में अब इतनी ताकत आ गयी है।

हमारे भाई गोविन्द सहाय ने भी फरमाया था। रुख बदल गया है। आज आप कहते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब वह मेरे साथ थे और काफी वक्त तक हमारे साथ थे, अब उनका ख्याल भी बदल गया है कि इससे कोई लाभ नहीं। पहले उनका यह ख्याल नहीं था, लेकिन आज इस तरफ से उस तरफ चले गये हैं तो उनका ख्याल दूसरा हो गया है। तो मैं इस सलाह को कैसे मान लूं। मैं इसको नहीं मानूंगा। इस सम्बंध में अब इसका कोई असर मुझ पर नहीं हो सकता है। लिहाजा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जमींदारी विधेयक एक ऐसा कानून है, जिसकी वजह से हमारे सूबे की तवारीख में यह सुनहरे हरफों में लिखा जायगा और इससे हमारे किसान जो सैकड़ों वर्ष से गुलाम थे, आजाद हो जायेंगे। हमारा सूबा एक खेतिहर देश है जहां पर किसानों की तादाद बहुत काफी है और इतनी बड़ी जमात अगर गुलाम रहे तो यह कहना कि हमारा देश आजाद हो गया, यह दावा मैं ठीक नहीं समझता।

हमारे दोस्त प्रोफेसर साहब की कुछ और भी शिकायतें थीं। उन्होंने यह फरमाया कि गवर्नर साहब के इस ऐड्रेस में तालीम वगैरह की स्कीमों का जो हवाला दिया गया है की आचार्य नरेन्द्र देव की नेतृत्व में एक कमेटी बिठाई जा चुकी है और उसकी रिपोर्ट के आने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी और उनकी सिफारिशों पर उदारता के साथ विचार करेगी, लेकिन मेरे दोस्त को यह शिकायत है और वह उसे यह समझे हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट को शाया नहीं किया गया। उनकी समझ से वह सारी बातें

[उद्योग मंत्री]

ए से जेड (A to Z) तक इस एड्रेस में लिख दिया जाता। मैं कहता हूं कि अगर लिख भी दिया जाता, तब भी मेरे दोस्त को एतबार न होता कि इस संबंध में सरकार कुछ करना चाहती है। ऐसी हालत में मैं कह सकता हूं कि गवर्नर साहब के इस एड्रेस में सब बातों का संकेत अगर पूरी तौर से किया जाता तो एक किताब क्या गालिबन ४, ६ किताबें लिखी जा सकती थीं और उसे पढ़ने के लिये दो चार दिन लग जाते। मैं तो समझता हूं कि 'अक्लमन्दां इशारा काफी अस्त' जो बातें उसमें लिखी गई हैं उनके अध्ययन से पता साफ चल सकता है कि सब बातों का संकेत उसमें है, लेकिन अगर कोई शख्स यह समझ कर आया हो कि मैं देखूंगा नहीं कि उसमें क्या चीज लिखी गयी है तो उस सूरत में वह ऐड्रेस क्या, अगर हम सब इस तरफ के मुतमय्यन करने की कोशिश करें तो हर्गिज आप मुतमय्यन न होंगे।

हमारे प्रोफेसर साहब ने यह भी फरमाया है कि गवर्नर महोदय के इस ऐड्रेस में लगान में कमी करने का कहीं हवाला तक नहीं है। साथ में यह भी प्रोफेसर साहब की राय है कि लगान मौजूदा हालत में बहुत ज्यादा है। मैं इकनामिक्स का माहिर नहीं हूं, मैं दावा नहीं कर सकता क्यों कि जो कुछ मैंने पढ़ा भी था वह भी भूल गया हूं, लेकिन जो आजकल पैदावार की कमी है, उस कमी को देखते हुए यह कहना कि किसानों का लगान बहुत ज्यादा है, मेरी समझ में कुछ बात ठीक नहीं आती। मैं किसानों के बीच में रहता हूं और मैं बता भी दूं कि मैं खुद भी किसान हूं और गांव में मेरा मकान है, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मेरा इत्तिफाक अब भी अक्सर वहां जाने का रहता है, उनसे मिलने का मुझे मौका रहता है, लेकिन आज तक किसी किसान ने नहीं कहा है कि मेरा लगान ज्यादा है। आप एतबार न करें, लगान १९१३ फसली में ज्यादा किसान कहते थे कि लगान बहुत ज्यादा है और उस वक्त लगान में कमी की गयी थी, लेकिन इस वक्त यह कहना कि लगान में कमी की जाय गैर मौके की बात मालूम होती है। आप यकीन कीजिए कि आप के कहने से आपका इतना फायदा तो जरूर हो सकता है कि आप की बात अखबार में छप जायगी, लोग उसे पढ़ेंगे कि आपने लगान में कमी करने की सिफारिश की है। हां, इससे कुछ खैरख्वाही आपकी जरूर हो जायगी, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने का, इतना आप यकीन मानिये। किसान यह चाहता था कि उसकी बेदखली न की जाय, जितना वह पैदा करे उसके बाल-बच्चे उसका उपयोग कर सकें, उसकी मेहनत से कोई दूसरा फायदा न उठा सके। यह सब बातें जमींदारी अबालीशन से होंगी। मेरे लायक दोस्त शास्त्री जी भी मेरी राय से इत्तिफाक करेंगे क्यों कि वह सिर हिला रहे हैं, वह मुझसे जरूर इत्तिफाक करेंगे।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह शिकायत कि लगान में कमी नहीं हुई, कुछ ज्यादा मुनासिब सी नहीं जान पड़ती।

४० वर्ष की मियाद रखने के बारे में मुझे यह कहना है कि अब हमारा किसान जमींदार हुआ है और ४० वर्ष का अरसा इसलिये रखा गया है कि इस जमाने में लगान में किसी तरह का इजाफा न किया जायगा। यह कानून जो रखा गया यह किसानों के हित की बात है। अगर यह ४० वर्ष की मियाद न रखी जाती तो कोई मनचला आता और कहता कि लाइये साहब लगान ज्यादा दीजिए। लिहाजा यह ४० साल की मियाद रखी गयी है।

मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में चन्द बातों का संक्षेप में जो हवाला दिया है, वह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार आइन्दा क्या कर रही है और देश और जनता के हित के लिये क्या-क्या काम करने की वह चेष्टा करेगी ? मैं तो यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर हमारे सब दोस्त, ख्वाह इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, तन मन धन से लग जायं और इस बात की कोशिश करें और अपने देश और सूबे को आगे बढ़ावें, गरीबों की परेशानी दूर करें और गरीबी दूर करें तो मुझे यकीन कामिल है कि

हम आप सब सफल होंगे। लेकिन अगर यह तरीका रखा गया कि हम आगे बढ़ें और आपने दामन खींचा तो दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हम कभी भी एक मिनट के लिये यह नहीं सोच सकते हैं कि हमारे दोस्त हमको पीछे खींचेंगे। मुझे आशा है कि हमारे सब साथी हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने में हमारी सहायता करेंगे और देश की तरक्की में मदद करेंगे। जय हिन्द--

श्री निजामुद्दीन--जनाब चेयरमैन साहब, जो तजवीज इस हाउस के सामने दीपचन्द्र साहब ने पेश की है और जिसकी ताईद राना शिव अम्बर सिंह जी ने, की, उसकी ताईद करने के लिये मैं हाजिर हुआ हूं। मैंने वह ऐड्रेस जो गवर्नर साहब ने कल मुस्तरका इजलास के सामने पेश किया उसको बगौर पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा कि हर वह बात, जिस पर हमारे सूबे और मुल्क की तरक्की व फलाह व बहबूद का दारोमदार है वह सब बातें इस ऐड्रेस में पाई जाती हैं। मैं तो कहूंगा कि यह बड़ी तारीफ की बात है कि एक छोटे से ऐड्रेस में वह कुल बातें जिन पर अमल करने से हम मुल्क को तरक्की के जीने तक पहुंचा सकते हैं, इसमें मौजूद है। यह कहना कि इसमें स्कीमें नहीं दी गयी हैं या यह कहना कि वह सब स्कीमें किस तरह अमल में लाई जावें, मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता है। हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने अभी इस बात का जिक्र किया है कि जो स्कीमें इसमें तहरीर हैं, अगर उन सब के बारे में इस एड्रेस में यह तहरीर किया जाता कि वह स्कीमें किस तरह से अमल में लाई जावें तो हर स्कीम पर एक किताब बन जाती। मेरी राय में आनरेबिल मिनिस्टर साहब की यह बात बिल्कुल सही और दुरुस्त है। किसी ऐड्रेस में स्कीमों की तफसीलात का दर्ज होना गैर मुमकिन है।

मुकुट बिहारी लाल साहब ने जो तरमीम पेश की है वह सही माने में तरमीम नहीं कही जा सकती बल्कि वह छोटा सा ऐड्रेस मालूम होता है।

आखिर हम लोगों का यहाँ आने का क्या मकसद है। हम लोग इसलिये यहाँ आये हैं कि जो बातें मुल्क की तरक्की की तरफ ले जाने के लिये हमारे सामने पेश की जायं, उस पर हम लोग गौर करें और सोचें और जो मुनासिब जरायें तरक्की के हों, उन पर अमल करें। ताकि हम लोग मुल्क को तरक्की की मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब हों।

इस ऐड्रेस में कुल जरूरी बातें मौजूद हैं और मेरा यह यकीन है कि अगर हम सब लोग उन बातों पर जो इस ऐड्रेस में दी गयी हैं, खुलूस से अमल करें तो हम मुल्क को तरक्की के जीने पर ले जाने में कामयाब हो सकते हैं।

जहाँ तक जमींदारी अबालिशन ऐक्ट का ताल्लुक है, तो अब उसके मुताल्लिक कोई बहस करना मुनासिब नहीं मालूम होता। इसलिये कि इस ऐक्ट के हर पहलू पर गुजिश्ता साल असेम्बली और कौंसिल में काफी गौर और बहस होने के बाद यह ऐक्ट दोनों हाउसेज से पास हो चुका है और पहली जुलाई सन् १९५२ से इसका निफाज भी होने जा रहा है। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के मुताल्लिक लोग जो चाहे कहें, मगर यह एक अम्र मुसल्लिमा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस ऐक्ट को पास कर के एक बहुत बड़ा मुफीद काम अंजाम दिया है और इसके लिये कांग्रेस गवर्नमेंट काबिल मुबारकबाद है। इन अल्फाज के साथ जो तजवीज हमारे दोस्त श्री दीपचन्द्र जी ने पेश की है, उसकी मैं ताईद करता हूं।

चेयरमैन--मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस नियम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसके मुताबिक चेयर को ही ऐड्रेस (address) किया जाता है। आप लोग आपस में एक दूसरे की तरफ इशारा करके "आप" "आप" न कहें बल्कि चेयर के मार्फत कहें और सरकार या अपोजीशन (opposition) को निर्देष करें।

श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी--अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के संबोधन में जो कुछ कहा गया है, उसके विषय में मुझे विशेष कुछ कहना नहीं है। मैं केवल कहना यह चाहता हूं कि जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अनुसार जहाँ कार्य चलाना है, वहाँ जन-शिक्षा होना आवश्यक है। परन्तु यहाँ शिक्षा का सर्वथा अभाव रहा है। इस संबंधित शिक्षा की कोई ऐसी योजना नहीं है, जिससे प्रौढ़ शिक्षा अर्थात् अडल्ट एजूकेशन की कोई व्यवस्था हो सके। जब तक प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, तब तक जनतंत्रात्मक व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। प्रौढ़ मताधिकार की व्यवस्था तो हमारे यहाँ संविधान में है, पर जब तक प्रौढ़ मताधिकार की सफलता की क्या आशा की जाय ? जो बेचारे अशिक्षित हैं, उनको लोग अपने मतलब की बातें समझा सकते हैं और अपने पंजे में ला सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि नरेन्द्रदेव कमेटी तो माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये बनाई गई है। इसलिये संबोधन में प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था, जैसा कि एक सज्जन ने कहा है, बहुत असंतोषजनक है। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिसमें ज्ञान की वृद्धि हो। परन्तु आजकल की शिक्षा में अज्ञान की वृद्धि अधिक और ज्ञान की कमी होती जा रही है। इसका क्या कारण है यह अब यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है।

तीसरी बात यह है कि इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है, परन्तु खेद इस बात का है कि हिन्दी का कुछ बहुत काम देखने में नहीं आता। हमारे मंत्री महोदय जब इस विधान मंडल के बाहर व्याख्यान देते हैं तो उनके हिन्दी व्याख्यान का अनुवाद अंग्रेजी में होता है और अंग्रेजी व्याख्यान का अनुवाद हिन्दी में होता है। इस तरह से देश के धन का अपव्यय और शक्ति का नाश होता है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो व्यवस्था शिक्षा के बारे में चल रही है, वह हिन्दी भाषा से संबंध रखती है। यह संबोधन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रचार अभी कुछ ही दिनों से हुआ है। इससे पहले संभाषण और अभिभाषण शब्द कहे जाते थे। सरकार ने राष्ट्र भाषा हिन्दी तो कर दी है, पर अभी इस पर अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों ने जो शपथ ली है, उसकी जो भाषा है वह भी कोई ठीक भाषा नहीं है।

चेयरमैन--हम लोग इस वक्त कॉंस्टिट्यूशन पर बहस नहीं कर रहे हैं। शपथ या प्रतिज्ञान की भाषा वही है जो हमारे संविधान में लिखी हुई है। अगर किसी माननीय सदस्य को इसके बारे में कुछ एतराज है तो इसका जिक्र गवर्नमेंट आफ इंडिया में करें।

श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी--जब हमारे इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने हिन्दी को राज्य भाषा स्वीकार कर लिया है, तब उसे ऐसा उद्योग करना चाहिये कि सब राजकार्य शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी में होने लगे। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार एक कमेटी बनाये जो इस प्रकार का काम करे। इस प्रकार हिन्दी प्रचार में यथेष्ट सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Dr. Ishwari Prasad : Sir, I rise whole-heartedly to support the motion of thanks to His Excellency the Governor that is before the House. As I read the address yesterday I felt that it looked like a convocation address ranging from platitude to platitude. It was Sir Malcolm Hailey, who once said that in the world of journalism and politics Socrates ran the risk of being presented with a cup of hemlock every moment of his life. Fortunately for us those words of Sir Malcolm Hailey have proved to be wrong today because the address of His Excellency the Governor, who is a infused great master of eloquent diction, is by a spirit of moral idealism which will delight all those who are interested

in the development of the welfare state in this country. In this address the first thing which His Excellency has said is about the Zamindari Abolition Act. I shall not waste the time of this House by recounting the merits and demerits of this measure and shall not follow the example of one of the Hon'ble Ministers, who has just left the House. The Zamindari Abolition Act is a fait accompli as it has been accepted now by the majority of the people of this State. But there is one thing which I would like to say to Government. I may in passing inform the House that although I am an academician I belong to a village and the Hon'ble Minister, who has left the House, cannot taunt me as he has taunted my honourable friend on my right that this was not a body of students who were addressed and that the hair of many members has not grown grey in the sun. If I am not mistaken, I am older than the Hon'ble Minister, and I speak from experience like him. I have also been brought up like him in rural surroundings and am fully acquainted with rural conditions. But there is one thing which I will say to the Government and it is this that everybody recognizes that the abolition of Zamindari is one of the most gigantic revolutions of our time—nay of all history—and in working out the details of the abolition the greatest care has to be taken. Those who have read history should know that the collection of revenue has always b en one of the most difficult problems in this country. The Muslim rulers of this country experienced the same difficulty and had to make many adjustments and modifications in their policies and they had to change their ideas to suit the convenience of the people. The zamindari has been abolished but the collection of revenue will have to be made and I appeal to Government to devise such rules and regulations that the peasantry may not be put to any additional harassment and trouble. We hear the patwari is going to collect the rents. To me it looks sometimes like playing with Government that the patwari should be asked to collect rents over such extensive areas. He will not be able to do it. He will land himself in great difficulty if he made such an attempt. Sometimes we hear the Panchayats are going to coll ct the rents. The Panchayats are organized on an elective basis. The election basis always implies political alignment and it is quite possible that cultivators may be put to great difficulty by Panchayats when they collect the taxes. My desire is that the Government should devise such methods as will be conducive to harmony in rural areas, and ensure the collection of rents without causing harassment to the people, and without aggravating the difficulties that are likely to arise after the abolition of the zamindari.

In His Excellency's address reference has been made—a very pointed reference—to the food problem. The food problem is the most important problem. I shall be fair to Government. Government has done a lot to provide irrigation facilities in certain areas and I must specifically mention that in Mirzapur and Bundelkhand areas, which have come for special notice, good work has been done. Many dams have been constructed and the Hon'ble Minister who is here, has frequently visited these areas and taken a very keen interest in the matter. The Mata Tila dam which is being constructed and is about to be finished very soon, I am told, will irrigate about 400,000 acres of land. That will be a real blessing to the people who inhabit those

[Dr. Ishwari Prasad.]
areas. I recognise the work which the Government has done and the services which the Hon'ble Sri Hafiz Mohammad Ibrahim has rendered to the people of this region.

There are certain things that have been left out. First of all there is a great need of 'power' in these areas. Hydraulic 'power' must be provided immediately so that the requirements of the people may be met in a satisfactory manner and the prosperity of the rural areas may increase. Now, Sir, from the districts in Bundelkhand and Mirzapur I pass on to the eastern districts where what the Government has done has been woefully meagre. The 13 districts in this part of this State—Gorakhpur, Gonda, Ballia, etc. have received scant attention. They received scant attention at the hands of the British Government also. For 25 years there were good crops in this region and therefore Government lived in a state of complacency and paid no attention whatsoever to the condition of irrigation in this part of the State. These districts Sir, you are aware, are rice-growing area. What is necessary is that proper irrigation facilities should be provided both to improve the quality as well as the quantity of rice. That is absolutely necessery and instead of indulging in projects which are not likely to succeed I would appeal to Government to start small projects which may yeild their return at once and remove the poverty and sufferings in the rural areas without much waste of public money. Irrigation facilities, therefore, are an important thing to which the Government should pay immediate attention. Now, Sir, if the food problem is to be satisfactorily solved, as my esteemed friend Sri Govind Sahai said, the policy of controls has to be modified. His Excellency the Governor has saiad in his address that in these two opening months of the financial year Government has incurred a loss of Rs.1. 25 crores and at the end of the year this loss will swell to Rs.9 crores? This seems to be, Sir, an alarming situation, and I hope Government will pay very careful attention to this matter. When the Central Government has withdrawn or is going to withdraw the subsidy will it be wise for us to inflict upon the tax-payer a loss of Rs. 9 crores. The policy of controls, therefore, has to be relaxed and I would suggest to Government with all the rearnestness that I can command that they will give their patient thought to this matter without thinking of the army of Inspectors, clerks and officers whom they have employed. If controls cannot be wholly abolished, at any rate, they can be relaxed and I suggest that they should be retained only in important districts. That is what seems to me necessary to be done.

Then, Sir, there is another point to which I would like to draw attention of Government. His Excellency is naturally anxious for solving the problem of sugarcane. As every member of this House is aware, by the policy of Government the price of sugarcane was increased. It was fixed more favourably and result was that more and more cultivable areas were brought under sugarcane. It seems to me that Government made a mistake in fixing the price of sugar-cane very high and thus leading the cultivator to abandon the food crops and to grow sugarcane on a large-scale. The price of Gur has fallen considerably and there is a good deal of distress and discontent in the rural areas. Farmers who inten-

ded to gain good profits out of the sugarcane crop have been disillusioned and now feel that they made a great mistake in extending the sugar cane crop. I do not think, Sir, Government can do everything by legislation. Something has to be done to persuade the people to increase the area over which they should grow food crops. I hope officers of Government while they go to inspect the rural areas will persuade the tenantry to bring more and more areas under food crops.

Besides the food problem, Sir, there are other questions which have been touched upon in His Excellency's address. There is the question of education. The question of education deserves attention. The Hon'ble Minister who left the House just now has said that everything cannot be said in this address but in a few lines. Government can indicate the broad policy that they want to follow. The Universities of Lucknow and Allahabad have swelling financial deficits and by the 1st of April, 1953, the deficit will amount to about Rs. 20 lakhs. The University of Allahabad, the premier University of your State, has not got money enough to pay the salary of their staff for the month of June. This is a very unsatisfactory state of affairs. I do not criticise Government in a spirit of bitterness. I only desire to draw attention to these problems which are calling for urgent solution.

The Governor has referred also to the housing problem. The housing is an urgent problem in urban areas.

There is yet another point which I should like to press before Government and it is this that even for the plots of land sold by the Improvement Trusts, Municipal Bodies and others, black-marketing has been allowed to go on plots purchsed for Rs. 4,000 are offered for sale for Rs. 25,000 or Rs. 30,000. Government should enact suitable laws or compel the owners of such lands better to build houses themselves or surrender them. The object should be to benefit the middle classes and not the black-marketeers. I hope, Sir, it is high time that Government passed a law of tenancy for urban areas to regulate rents of houses in a more systematic manner than has been done so far.

Sir, His Excellency has referred to the necessity of having clean and efficient administration and everybody admires his solicitude for these things. But, Sir, mere words cannot improve the administration. Something more has to be done. His Excellency has referred to a Committee set up by Government which will sit and devise measures to deal with disciplinary measures. Mere disciplinary measure too will not tone up the services. It is the high officers of the State who have to set an example.

I will remind the Hon'ble Minister of Finance of Abu Baker, the great Caliph of Islam who lived a simple life. The highest functionaries of the State ought to set an example of simplicity, integrity and devotion. They ought to tell others below them that the service of the people is their chief aim. There are luxuries which in a poor country like ours have to be minimised, and if the administration has to be efficient we shall have to ask our officers to be more honest, more industrious and more simple in their habits. There is one thing more. In this address I see nothing about two things. One thing is the increase in crime that is taking place all over the State. Lawlessness is spread-

[Dr. Ishwari Prasad.]

ing in the rural areas. In the district from which I come that is the Agra District dacoities are an order of the day. Man Singh's gang is still operating over an extensive field. It was only a few months back near my own village that a shop-keeper was carried off by the dacoits at 5 o'clock in the evening. I do not know whether his whereabouts have been traced by now. The conditions are becoming insecure. There must be a determined effort on the part of the Government to stop lawlessness, to see that law and order are maintained throughout the rural areas. When the zamindari is abolished, this problem will be more acute and I hope that the members of the Government will bear this in mind. The last point which I want to put defore the House is this. His Excellency has said nothing about parliamentary democracy. Parliamentary democracy is going to be established in this country. As you are aware, it is a new experiment. It has broken down in most parts of Europe. It is a stupendous task and I pray to God that our efforts may be crowned with success. But Government must remember that it is their duty to encourage by all possible means healthy criticism of their policy. It is the constitutional right of the opposition in the House of Commons not merely to criticise the Government but to denounce and to overthrow it if necessary. We may not go so far as the House of Commons but we must encourage the critics of Government to point out mistakes and make useful suggestions. We must encourage constructive criticism so that the policies of the Government may be so moulded and shaped in a such a manner as to be conducive to the well being of the people committed to their charge.

चेयरमैन—कौंसिल स्थगित करने के पहले मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरी मदद करें। अगर आप लोग मदद न करेंगे तो यह काम करना मेरे लिये मुश्किल हो जायेगा। मैं किसी सदस्य को चेक (check) करना नहीं चाहता। यह अच्छा नहीं लगता कि कोई सदस्य बोल रहा हो और मैं अपना हथौड़ा खटखटाऊं। दूसरी बात यह है कि संबोधन पर जो डिस्कशन हो रहा है, वह कल खत्म हो जाना चाहिये। और उस पर काफी मेम्बर बोलने के लिये हैं। उनमें से १० बोल चुके हैं। १६ के नाम मेरे पास इस समय आये हैं। हर दो-तीन मिनट के बाद मेरे पास एक नाम आता है। अगर इसी तरह से मेम्बर अपने नाम देते रहे तो मेरे लिये सब को समय देना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं मेम्बर्स का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और चाहता हूं कि प्रत्येक मेम्बर १० मिनट से ज्यादा न बोलें। जो कुछ उनको बोलना हो वह १० मिनट के अन्दर ही खत्म कर दें और जरा अपना ध्यान घड़ी की ओर भी रखें। अब कौंसिल दो बज कर दस मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १ बज कर १० मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हो गयी और अवकाश के पश्चात् २ बज कर १० मिनट पर फिर चेयरमैन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—जनाब चेयरमैन साहब, अपने बुजुर्ग की हैसियत से जैसी कि राज्यपाल की है, उस पैगाम के लिये ऐवान में हरशख्स अपनी शुक्रिया अदा करें। उस अखलाकी के लिये आज मैं उसको अदा करने के लिये जनता के रूबरू खड़ा हुआ हूं। दरअसल मैंने गौर से पढ़ा और पढ़ने के बाद इस मुकम्मल नतीजे पर पहुंचा कि निहायत सलीस भाषा में वह तकरीर है। यों तो नुक्तदां के लिये कोई जगह खाली नहीं। लेकिन अगर इंसाफ की नजर से देखा जाय तो कोई भी आइटम (item)

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जिसकी कुछ भी इम्पार्टेन्ट्स (importance) हो सकती है वह उसमें मौजूद है। अभी हमारे चन्द बुजुर्गों ने और दोस्तों ने उस पर कुछ फरमाया है। जहां तक उनके ख्याल का और क्रिटिसिज्म (criticism) का ताल्लुक है अगर किसी बुजुर्ग के लफ्ज को कह दूं, कुछ तर्ज अदा अगर इस तरह कहूं तो बेजा नहीं। यों तो अगर ख्याल किया जाय कि कोई गवर्नमेंट मुकम्मल हो सकती है और नुक्ताचीनी के जगह से खाली हो सकती है तो वह ख्याल गलत है। नुक्ताचीनी के लिये हर शख्स को मौका मिल सकता है। अपना सजेशन (suggestion) जो स्टेट के लिये देते हैं उसके लिये वे मुबारकबाद के काबिल हैं। यह फायदा होता है कि उनके सजेशन्स से गवर्नमेंट स्ट्रांग (strong) होती ह। अगर मैं उनकी बातों का ख्याल करते हुए और नजर डालते हुए उनके चन्द शकूक पर अपना ख्याल पेश करूं तो बेजा नहीं होगा।

हमारे बुजुर्गों में से श्री मुकुट बिहारी लाल जी ने लेबर (labour) के बारे में, एजूकेशन (education) के बारे में, रेन्ट (rent) के बारे में अपना ख्याल जाहिर किया है। श्री गोविन्द सहाय ने भी फरमाया और उनके कुछ चलते-फिरते बयानात हैं। कंट्रोल के बारे में फरमाया है तथा गवर्नमेंट के बारे में कहा है कि इफीसियेंट मशीनरी (efficient machinery) नहीं है। कुछ स्टूडेन्टों (students) के बारे में अपना ख्याल फ़रमाया है। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने भी कुछ फरमाया है कि स्टारवेशन (starvation) इलाहाबाद यूनी-वर्सिटी में है। लेबर और एजुकेशन के मुताल्लिक भी कुछ फरमाया है।

उसके दिल में इस बात की चोट नहीं है कि उनकी तकलीफें किस तरह से दूर की जायं। क्या यह बातें इस बात की दलालत नहीं करतीं कि गवर्नमेंट एजुकेशन पर काफी गौर करती है और समझती है कि जनता की तरक्की, देश की तरक्की, अपने मुल्क की तरक्की सिर्फ एजुकेशन से ही हो सकती है। लेकिन यह बहुत कुछ कैरेक्टर (character) पर मबनी होता है। कैरेक्टर को एजुकेशन से अलग नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट का ख्याल है कि अपने बच्चों को एजुकेशन देती रहे और उनकी तरक्की के लिये जो खूबियां और सुविधा उनकी तरक्की के लिये दी जा सकती है वह दी जानी चाहिये। गवर्नमेंट हमेशा इसके लिये कोशिश करती है। यह बातें जो कुछ आगे की स्कीम में दी गयी हैं उससे साफ जाहिर है। रेंट के बारे में हमारे दोस्त ने फर्माया है। मैं एक जमींदार होते हुए किसानों में जिन्दगी बसर करते हुए यह कह सकता हूं कि आज से ७ वर्ष पहिले किसानों की जो हालत थी वह नहीं है। उनको खाना कपड़ा मिलना दुश्वार था। डेट (debt) से लदे रहते थे। कर्ज चुकाना दुश्वार था। आज किसान की पेइंग कैपसिटी (paying capacity) बढ़ गयी है। अगर आप चाहें तो इत्मीनान के लिये एक कमेटी मुकर्रर की जाय जो उनकी हालत की जांच करे। आजकल जितनी सोने और चांदी की खरीद की जा रही है वह सिर्फ किसान ही करत हैं। यह कहा गया है कि रेंट अभी कम नहीं किया गया है। इस कदर तरक्की होने के बावजूद वही रेंट जो पुराना था वही देना पड़ता है। भूमिधर होने के बाद आधा लगान हो जाता ह। इससे क्या ज्यादा सहूलियत दी जाये। अगर कोई इससे ज्यादा सहूलियत पैदा की जा सकती है तो वह गवर्नमेंट की नजर में लाई जावे। गवर्नमेंट उस पर गौर करने के लिये तैयार है। लेकिन यह कहना कि किसान इस वक्त तकलीफ म ह, परेशानी में है ठीक नहीं है। हमारे भाई गोविन्द सहाय साहब ने फरमाया कि चलती-फिरती बातें हैं। मैं नहीं समझता कि चलती-फिरती बातें कौन हैं और गैर चलती-फिरती बातें कौन हैं। मैं तो देखता हूं कि वह सब बातें इसमें मौजूद हैं जिनसे मुल्क बन रहा है। अगर ऐड्रेस में तफसील के तौर पर सब बातें लिखी जातीं तो शायद वह मेसेज (message) नहीं एक लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट हो जाती और हफ्तों उसके पढ़ने में लग जाते।

चेयरमैन—एक मिनट में आप अपने भाषण को समाप्त कर दें, क्योंकि अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—मैं हुजूर के हुक्म से जल्दी बैठता हूं।

प्लानिंग का हवाला यहां किया गया है । प्लानिंग वह चीज है जो छोटी-छोटी चीजों से मिल कर बनती हैं। प्लानिंग वह है जो हर मेम्बर की कांस्टीट्युएंसी की तकलीफ को दूर करे, लिहाजा छोटी-छोटी प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है और चन्द बड़ी प्लानिंग भी होनी चाहिये जो मुल्क के लिये फायदेमन्द हो।

जनाब डाक्टर साहब स्टारवेशन आफ दि यूनीवर्सिटी (starvation of the university) की बात कही है। मुझे यह ख्याल है कि चार-पांच महीने का अर्सा हुआ कि छः लाख की ग्रांट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सरकार ने दिया था। अगर चन्द परेशानियां खर्च को बढ़ादेने की वजह से हो जायं जिसको सरकार से न बतलाया जाय तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती, मसलन, जैसे कि मैं कहूं कि कुछ लेक्चरार्स (lecturers) और प्रोफेसर (professors), जिनकी जरूरत नहीं थी, बिला गवर्नमेंट को इत्तिला दिये हुए यूनीवर्सिटी ने बढ़ा दिया, मैं इसको तफसील में नहीं कहना चाहता। डाक्टर साहब खुद इस पर गौर फरमायें, मुझे यकीन है कि डाक्टर साहब खुद महसूस करेंगे कि यूनीवर्सिटी ने ही इस परेशानी को पैदा किया है। कुछ टी० ए० (T. A.) और एलाउन्सेज (allowance) जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दिये जाते हैं, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, यह इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में दिये जा रहे हैं। ऐसी हालत में गवर्नमेंट का कसूर नहीं कहा जा सकता। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं गवर्नर साहब के ऐड्रेस के ऊपर उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

***श्रीमती शिवराजवती नेहरू**—माननीय सभापति जी, यह तो एक नियम हो गया है माननीय राज्यपाल का जो सम्बोधन है उस पर और हमारी सरकार पर कुछ न कुछ आलोचना अवश्य की जाय। परन्तु मैं तो यह समझती हूं कि पिछले चार साल में जो उन्नति हुई है उस लिहाज से हमारे राज्यपाल ने बहुत थोड़ा लिखा है, यह उनकी उदारता है। मैं प्रधान जी से कहूंगी कि नई कौंसिल बनी है, नये-नये मेम्बर आ गये हैं और वह ऐसे कार्य करें जो देश के फायदे के लिये हों। मेम्बरों से मेरी यह प्रार्थना है कि वह इसमें सहायक हों, केवल सुझाव ज्यादा देने से आजकल की दुनिया में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है कि हम सबको देश का निर्माण करना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया और न आगे के लिये कुछ आशा ही की जा सकती है। मैं उन भाइयों से यह कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने हमारे देश को आजाद कराया और फिर उन्होंने ऐसा अच्छा विधान बनाया कि आज वह डेमोक्रैटिक कानून कहलाता है और वह इतना अच्छा है कि आज सारा संसार उसकी तारीफ करता है, अगर तारीफ नहीं करता तो बुराई भी नहीं करता है।

अगर आज हमारे देश में खाने-पीने की कमियां हैं, तो मैं कहूंगी "बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुध ले" अब आपको उन कमियों को पूरा करके दिखाना है। हमारी सरकार ने अकाल के वक्त भी किसी को भूख से नहीं मरने दिया और जिस तरीके से हमारे प्रधान मंत्री ने यह बात कही थी कि हम किसी को भूख से नहीं मरने देंगे वह उन्होंने अकाल के समय में भी पूरी करके दिखा दी। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कुछ

---

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

खाने की कमी है लेकिन वहां भी कुएं खोदे गये हैं, योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च कर डाला गया है। आज भी हमारे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार इस बात के लिये नहीं तैयार हैं कि किसी को भूखा मरने दिया जाय लेकिन अगर कोई दैवी आपत्ति आवे जैसे पानी न बरसे या बाढ़ आवे तो कोई भी सरकार क्या कर सकती है। अगर आज हमारी गवर्नमेंट न होती तो क्या होता।

एक भाई ने कहा कि हमारे देश की सरकार ने रियासतों को भी खत्म कर दिया और कोई फायदा न हुआ। राजा आज फिर चुनाव करके आ रहे हैं। हम इस बात को मानते हैं लेकिन राजाओं से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमने रियासतों को खत्म किया और हमने आज सारे देश को हिमालय से लेकर केप कमोरिन तक एक बना लिया है। हमारे देश को जिस जमाने में आजादी मिली उस जमाने में भयानक आंधियां आईं, कत्लो गारतगीरी व खून खराबे हुए। उस जमाने में हमारे नेताओं ने किस शान्ति और बहादुरी से काम किया कि जरा भी गड़बड़ी न आने दी। यह क्या कम तारीफ की बात है। इन बातों की तारीफ न करते हुए केवल आलोचना करना कोई बुद्धिमता की बात नहीं है। हमें पार्टियों को भुला कर केवल यह सोचना चाहिये कि हमारे देश का भला किसमें है, हम किस तरह से देश को सुखी बना सकते हैं। यह सोचकर हममें से हर एक को राज्यपाल की स्कीमों में सहायता देना है। अगर आप देश का भला चाहते हैं तो अगर आप पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में सहायता दें तो देखेंगे कि जितनी बेचैनी है, भूख है वह सब दूर हो कर हमारा देश समृद्धिशाली हो जायगा। एक बात की शिकायत हमारी जरूर है। हमारी सरकार और राज्यपाल जो बहुत ही उदार हैं उन्होंने एक बात में कृपणता दिखलाई है। हमारी सरकार ने जो संविधान बनवाया उसमें उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर जगह दी है और किसी भी देश में स्त्रियों को शायद ही इतना ऊंचा स्थान प्राप्त हो लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने थोड़ी सी कृपणता दिखायी है। हमारे प्रदेश में तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है और वह रचनात्मक कार्यक्रम में, त्याग में पुरुषों के समान हैं। उन्होंने हमको समानता का अधिकार नहीं दिया है। इसलिये हम आशा करते हैं कि भविष्य में जब कोई कानून बनेगा तो स्त्रियों के अधिकार का ख्याल रख कर बनाया जायगा।

श्री प्रभुनारायण सिंह--अध्यक्ष महोदय, आज इस भवन में महामान्य राज्यपाल के संबोधन पर जो बधाई का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके सिलसिले में हमारे माननीय प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने जो संशोधन पेश किया है उसके अनुमोदन के लिये खड़ा हुआ हूं। श्री गोविन्द सहाय जी ने कहा है कि यह ऐसा मौका है जब कि इस मौके को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के भविष्य की नीतियों के संबंध में अपनी बात कही जा सकती है। मैं भी इसी राय का हूं। इस debate में ही केवल एक ऐसा मौका होता है जब कि हम आगे के तमाम कार्यक्रम का फैसला कर सकते हैं। यही एक मौका है जब सरकार विरोधी पक्ष की बातें सुनकर आगे अपने तमाम बिल व अन्य बातों का फैसला कर सकती है जिस की वजह से इस हाउस के अन्दर वह तमाम बातें डिस्कस होंगी जिसके अन्दर आज प्रान्त की समस्या को हल करने का विचार किया जायगा। इसके पहिले कि मैं संशोधन के समर्थन के पक्ष में अपनी राय जाहिर करूं, मैं दो-एक सवाल, जो माननीय हुकुम सिंह जी ने उठाए हैं उसके संबंध में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकारी पक्ष को बतलाना चाहता हूं कि माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने जो यह कहा कि प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल किसानों के बीच में नहीं गये और वह ग्रेजुएट कान्स्टीटुएंसी (graduate constituency) से आये तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि किसानों की कांस्टीट्यूएंसी से प्रोफेसर साहब को २८ फीसदी वोट मिले जब कि ग्रेजुएट कांस्टी-टुएंसी से उनको २२ फीसदी वोट मिले। किसानों में कौन प्रिय है और कौन नहीं है इस संबंध में मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष में जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं हमारी कोई ऐसी इच्छा

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

नहीं है जिससे हम इस तरह का विरोध करें जिससे सरकारी काम में खामख्वाह अड़ंगे की बात हो। लेकिन जहाँ तक वसूल की बात है उन वसूलों पर रहने का हमें पूरा हक है। हमारी चीजों का इस तरह से जवाब देना कहाँ तक सही है। हमारी चीजों का जरूर जवाब दिया जाय लेकिन यह कहना कि किसको किसानों ने चुना और किसको नहीं चुना यह कोई सही जवाब नहीं है। आजादी की लड़ाई के सिलसिले में काँग्रेस वह जमात थी जिसके जरिये हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हम विरोधी पक्ष के लोगों ने तथा जनता ने जो शहादतें कीं उनकी बदौलत मुल्क को आजादी मिली, कांग्रेस संस्था जनप्रिय हुई। आज कांग्रेस नाम की बदौलत सरकारी पक्ष के लोग सरकार बनाये बैठे हैं। हमारी कुर्बानियाँ कांग्रेस की इज्जत बढ़ाने में शामिल हैं इस बात को नहीं भूलना चाहिये। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष को यह ख्याल रखना चाहिये कि आज सोशलिस्ट पार्टी के लोग या विरोधी पक्ष के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी कुर्बानियों के ही बदौलत वे आज सरकारी पक्ष में बैठे हुए हैं। आजादी की लड़ाई हमने साथ ही लड़ी और स्वतंत्रता भी मिली मगर उसके बाद ही हम कांग्रेस से अलग हो गये। जब हमें मालूम हुआ कि कांग्रेस अपना रास्ता छोड़कर चल रही है और समाज में शोषण को नहीं रोक सकती है तथा सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं कर सकती है तो हमें कांग्रेस से अलग होने का फैसला करना पड़ा। हम समझते थे कि आप के अन्दर न्याय की बुद्धि होगी जिससे आप समाज के साथ न्याय कर सकेंगे। आपने जितनी कुरबानी की उससे कम और दूसरी विरोधी पार्टियों ने नहीं की है। हमारे देश जैसी कांग्रेस अमेरिका में भी हुई और अमेरिका के लोगों ने कांग्रेस के नाम पर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आजादी मिलने पर वहाँ की पार्लियामेंट का नाम उन्होंने कांग्रेस रख दिया और अपने को कार्य्यक्रम के आधार पर अलग-अलग पार्टियों में तब्दील कर लिया। पर सरकारी पक्ष में बैठे हुए साथियों ने इस तरह की ईमानदारी नहीं बरती। यदि आपने उपरोक्त बात मानी होती तो कांग्रेस के प्रति श्रद्धा की परम्परा कायम रहती। आज तक कांग्रेस के नाम पर जितनी जनता की निगाह थी वह अब आम जनता से दूर होती जा रही है। कांग्रेस ने जो कुरबानी की और उसके बाद आज जो उसका परिचय दिया जा रहा है उसको देखकर हमारा मस्तिष्क नीचा होता है। यदि आपने फैसला किया होता कि कांग्रेस के जितने पुराने सिद्धांत थे उनको लेकर चलते तो कुछ तरक्की होती लेकिन आपने उन तमाम चीजों को नहीं किया। आप कहते हैं कि हम उचित रास्ते पर हैं लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पीछे जो त्याग और तपस्या का इतिहास है, जो कि सभी का इतिहास है, वह पिछले इलेक्शन में खत्म हो गया है। उसको देखते हुए दिल और दिमाग में यही बात आती है कि क्या यही लोग थे जिन्होंने लोकतंत्रात्मक मुल्क की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी और आज सरकारी बेंचों पर बैठकर लोकतंत्रात्मक सिद्धांत को भूल गये।

मैं बनारस में चकिया चन्दौली से पार्लियामेंट के लिये खड़ा हुआ था। वहाँ पर पहिले ४ स्टेशनों पर रिपोलिंग (repolling) का आर्डर (order) हुआ। ठीक १४ तारीख को चार पोलिंग स्टेशनों की रिपोलिंग थी। १५ तारीख को शहर पहुंचने पर १८ ता० को ही केवल दो रोज का मौका देकर १४ पोलिंग स्टेशनों पर रिपोलिंग होने का समाचार मिला। ऐसी सूरत में हम लोग पोलिंग स्टेशनों पर किसी तरीके से नहीं पहुंच सकते थे।

चेयरमैन--आप गवर्नर के एड्रेस (Address) के सिलसिले में ही बोलिये।

श्री प्रभुनारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये इस बात का जिक्र किया है कि सरकारी पक्ष की तरफ से यह चर्चा उठायी गयी। हमको किसानों की नुमाइंदगी का कितना हक है यह अगले पाँच वर्ष बतलायेंगे। सरकार की जो खाद्य नीति और योजना

नीति हैं उससे जिन्दगी में पूरी आजादी पैदा नहीं होती है। मुझे वह दिन याद है जब १५ अगस्त को जनता ने बड़े प्रेम से आजादी को स्वीकार किया था आज वही जनता मायूस है। हम यह भी जानते हैं कि आम जनता जानती है और इस बात को महसूस करती है कि जिसने आजादी की लड़ाई को लड़ा है वही आज हमारे रोटी के सवाल को हल नहीं कर रहे हैं। श्री हुकुम सिंह जी ने जिन बातों के लिये किसानों से कहा था वह बातें उन्होंने जमींदारी अबालिशन बिल की रिपोर्ट में शाया नहीं की। उन्होंने उन बातों पर कोई ऐक्शन (action) नहीं लिया। जमींदारी एबालिशन कमेटी के रिपोर्ट में छोटे किसानों को लगान में छूट देने की बात थी, लेकिन ६ महीने के बाद जब वह बिल इस सदन में पेश हुआ तो शायद वह इस बात को भूल गये और अपने बिल के अन्दर उन्होंने इसका कोई प्राविजन (provision) नहीं रखा। आजकल हमारे किसानों की यह हालत है कि उनके पास खाने पीने के बाद कुछ भी नहीं बचता है और हमारे मुख्य मंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पन्त का कहना है कि किसानों के पास इतने नोट हैं कि वह सड़ रहे हैं। ऐसी सूरत में वह १० गुना लगान दे सकते हैं। यह बात कहाँ तक सही है। रिपोर्ट में यह बात भी है कि सूबे में ७७ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनको खाने-पीने के बाद कुछ नहीं बचता। इसलिये हम कहते हैं कि आज जो वह कहते हैं उसको वह कार्यरूप में परिणत नहीं करते। हमारे यहाँ की जो खाद्य समस्या है वह बहुत जटिल हो गयी है। अगर हमारी सरकार विरोधी पक्ष का कुछ सहयोग लेती तो आज खाद्य समस्या इतनी संकटपूर्ण न होती। हमको इस खाद्य समस्या को हल करने के लिये जमीनों का बटवारा करना होगा। हमारे समाज में दो तरह के वर्ग हैं एक तो वह है जो दूसरों की कमाई से पलते हैं और दूसरे वह खेतिहर मजदूर हैं तथा छोटे-छोटे किसान हैं। जो अपनी मेहनत की कमाई से उनको पालते हैं। ऐसी सूरत में उन मजदूरों को अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इसी सिलसिले में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट की शाया हुई है उसमें कहा है कि सन् ४६ में जितनी जमीन जोत के अन्दर थी उसमें से २२ लाख एकड़ जोत से बाहर हो गयी है।

अभी दो साल पहले माननीय प्रोफेसर मुकट बिहारी लाल और श्री गेंदा सिंह, जो हमारी असेम्बली के सदस्य हैं, जब मुख्य मन्त्री को मिले, उस समय उन्होंने बतलाया था कि देवरिया में २० हजार एकड़ जमीन ऐसी है जो बेदखली करके किसानों से छीनी गयी है और आज भी वह जमीन सीर और खुदकाश्त के नाम से पटवारी के इन्दराज में दर्ज है पर उसमें खेती नहीं होती। यदि सोशलिस्ट पार्टी के जमीन के बटवारे वाला सुझाव मान लिया गया होता तो खाद्य समस्या आज इतनी भीषण नहीं हुई होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से इस हाउस को बतलाना चाहता हूं कि आज जो खाद्य समस्या इतनी भीषण होती जा रही है, यदि यही हालत जारी रही, बाहर के मुल्कों से अनाज मंगाने की तो हमारा मुल्क कहां जायेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। सन् १९४९ ई० के बजट के सेशन में बोलते हुए यह कहा गया कि हमारे यहां खाद्य समस्या गंभीर है, ६ महीने के अन्दर यह खाद्य स्थिति ठीक कर दी जायेगी, लेकिन ४९ बीता और ५० आया उसके बाद भी खाद्य समस्या हल नहीं हुई और ५१ के आखीर में दौड़धूप शुरू हुई लेकिन कुछ भी खाद्य समस्या ठीक होने को नहीं आई। इस संबोधन के अन्दर इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि हम खाद्य निर्भर किस वर्ष तक हो जायेंगे ? गवर्नमेंट की तरफ से वायदे किये जाते हैं लेकिन खाद्य की समस्या में कोई फर्क नहीं दिखलाई देता है। ऐसी सूरत में जो सरकार आज ऐसी चीजों को नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूं कि उसे, आज जब वह अपनी नीतियों में असफल होती है, तो विरोधी पक्ष के संशोधनों को लेकर उनके विचारों को लेकर, काम करना चाहिए। फिर वह देखे कि उसके बाद उसका फैसला अच्छा है या बुरा ?

इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी नीति के बारे में कितने ढिंढोरे पिटवाये और उनसे क्या नतीजे हासिल

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

हुए। इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब मजदूर उठने की कोशिश करता है तो उनको गोलियां मिलती हैं। मैं गोरखपुर में मौजूद था, २७ तारीख को जब वहां यह चीज हुई। मैंने देखा कि उन मजदूरों को छोटे से सवाल पर ही गोलियों का शिकार होना पड़ा। उनकी यह उचित मांग थी कि ट्रैफिक मैनेजर ने उनके प्रतिनिधि मन्डल का अपमान किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस छोटे से सवाल पर वहां के मजदूरों के ऊपर गोलियां चलाई गईं। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने हड़ताल करके इस बात का फैसला किया कि हम ऐसी बातें नहीं होने देंगे—तो ऐसी सूरत में तो मैं जानता हूं कि जहां पर मजदूरों का सवाल आता है वहां पर सरकार चुप रहती है। बनारस में कौन नहीं जानता कि बनारस काटन मिल में कटौती का १२ लाख रुपया मजदूरों का बाकी है। गवर्नमेंट के आदेश हैं, फैसले हैं, पर वह रुपया आज तक नहीं मिला। यही तमाम बातें हैं जो साबित करती हैं कि सरकार की नीति मजदूरों के प्रति संतोषजनक नहीं है। इस विषय में जो हमने संशोधन पेश किया है वह इस वजह से नहीं किया है कि हम विरोध करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सही तौर से विरोध हमारी तरफ से होता है उसे सरकार सही तौर से सुने और सुनने के बाद उस पर चलने की कोशिश करे।

श्री पूरनचन्द विद्यालंकार—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के प्रति धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज स्वाधीनता के बाद जहां हमारा उत्सुकता और उत्साह बढ़ा वहां, जैसा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि निराशा भी है किन्तु आप मानिए कि यह निराशा आने वाली आशा का चिन्ह है। यह बात हम कभी न भूलें कि तपेदिक के बीमार के अन्दर इतनी ताकत नहीं होती कि वह अपने बुखार को बाहर फेंक सके। आज स्वाधीनता के बाद जनता के अन्दर इतनी ताकत आई है कि उसकी बुराइयां बाहर आ सकी हैं। मैं मानता हूं कि आज अनाचार, रिश्वतखोरी और दूसरी बातें भी हैं लेकिन अच्छाई के साथ-साथ बुरी बातें भी सामने आती हैं। अपनी अच्छाइयों को बढ़ाकर बुराइयों को हमें मिटाना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्वाधीनता के बाद हमारे अन्दर इतनी शक्ति आई है कि हम बुराई को बाहर फेंक सके। स्वाधीनता के बारे में जैसा कि सरदार पटेल ने अपने करांची के व्याख्यान में कहा कि स्वराज्य में हमें गलती करने का भी अधिकार मिला है। यदि आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप उन्नति भी नहीं कर सकते। छिपी हुई गलतियां जितनी भी प्रकाश में आवें, अच्छी ही हैं लेकिन बाद में उनको दूर करके चलना यह और भी अच्छा है। इन गलतियों को देखते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमारे सामने बैठे हुए सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि सरकार की कोआपरेटिव कामनवेल्थ (Co-operative Commonwealth) की बात उनकी समझ में नहीं आई। अर्से से उन्होंने कांग्रेस की मेम्बरी फार्म पर दूसरों के हस्ताक्षर करवाये। स्वयं कांग्रेस के अधिकारी रहे और उस समय उन्होंने उस उद्देश्य को माना, हमने संविधान के अन्दर इस चीज को रखा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसके बनने के बाद भी उनको यह नहीं पता लगा कि सहकारी स्वराज्य या कोआपरेटिव कामनवेल्थ क्या चीज है। इसी तरह से उन्होंने पंचवर्षीय योजना की भी मखौल की। पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में और दूसरी योजनाओं के सम्बन्ध में उन्होंने यही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों की भी बात सुनी होगी लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वे कैसे इन बातों को इतनी जल्दी भूल गये।

एक बात मैं और कह देना चहता हूं और वह यह है कि जमींदारी अबालिशन के मामले में कांग्रेस ने मध्यम मार्ग को अपनाया है। समाजवादी जमींदारों को बिना कुछ दिये हुए ही खत्म करना चाहते थे और सारी जमींदारी ले लेना चाहते थे और हमारे जमींदार भाई चाहते थे कि उनसे जमींदारी न ली जाय। इसलिये मध्यम मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है जो कि कांग्रेस ने अपनाया है। तो इसके बारे में शिकायत करना और इसकी आलोचना करना

मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। काश्तकार को इस जमींदारी के रहने से कितनी शिकायतें थी यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तो गांव के बीच में रहने वालों में हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस अधिनियम से उनको कितना उत्साह मिला है, उनके अन्दर शक्ति आई है और उनको काफी सहूलियत भी मिली है, उनको किन चीजों की जरूरत है यह आज हमें देखना है ऐड्रेस में सारी बातें तो नहीं कही गई हैं लेकिन यह सही है कि उसके अन्दर सब व्यावहारिक बातें जो आनी चाहिए, वे आ गई हैं। लेकिन जितनी बातें उसमें कही गई हैं उन सब की भी आलोचना करना ठीक नहीं है और यह बात सही भी नहीं है।

जमींदारी के बारे में यह भी कहा गया है कि जमीन के मालिक जो थे उनको बहुत से टुकड़ों से हटाकर दो टुकड़ों के में कर दिया। यह अच्छी बात है। भूमिधर और सीरदार दो टुकड़े हैं। यह अच्छा है। आगे चल करके सीरदार भी भूमिधर हो जायेंगे। वर्गहीन समाज की जो कल्पना है उसके लिये यह एक कदम है। समाजवादी क्लासवार को मानते हैं वह इस बात को भी पसन्द करेंगे कि लड़ाई के बाद एक ही वर्ग रहे। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और यह एक अच्छी बात है। यह भाषण उस ओर ले जाता है। इसके बाद मैं खाद्य समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं खाद्य समस्या के बारे में मेरी राय यह है कि जो ९ करोड़ रुपया के बारे में इस भाषण में जिक्र किया गया है वह टैक्स देने वालों के लिये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर अन्न बिना कन्ट्रोल के प्राप्त होने लगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा और यह राष्ट्र के लिये अच्छी बात होगी। कन्ट्रोल कोई जरूरी चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि कन्ट्रोल के पक्ष में बहुत लोग नहीं हैं किन्तु सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है और यह अच्छी बात है। कन्ट्रोल के बिना यदि अन्न प्राप्त हो तो टैक्स की बचत हो जायेगी और इस तरह से एक बहुत बड़ा मसला हल हो जायेगा।

मजदूरों के बारे में ५०० मकानों की बात है। मेरी राय है कि इन मकानों के बनाने में मजदूर समितियों की मदद ली जायेगी और इस तरह से पी० डब्ल्यू० डी० का जो अधिक व्यय होता है उससे बचने का भी प्रयत्न होगा। अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार की जो नीति है उससे मिलों का संरक्षण हुआ है यद्यपि इस भाषण में ग्राम उद्योगों की तरक्की की भी बात की गई है लेकिन देखने में यह आया कि जो गुड़ और चीनी की समस्या है वह इसलिये है कि कोल्हू की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। अगर ग्राम उद्योगों की ओर उचित ध्यान दिया जाता तो यह आर्थिक विषमता जो है वह दूर हो जाती और नागरिकों में स्वावलम्बी भावना पैदा होती और वह इज्जत के साथ अपना पेट-पालन कर सकते। इस भाषण में ग्राम उद्योगों के बारे में विस्तार के साथ लिखा हुआ है इस भाषण में शासन व्यय के बारे में भी है। उसमें यह है कि व्यय कम किया जाय। मेरा विचार है कि जो छोटी तनख्वाह वाले आदमी हैं उनकी तनख्वाहें नहीं कम की जायंगी वलिक बड़ी तनख्वाह वालों से कटौती शुरू की जायेगी। छोटी तनख्वाह वालों की तनख्वाह बढ़ाने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री शांतिस्वरूप अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उनके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। शिक्षा के क्षेत्र से यहां पर उपस्थित हूं और उसके सम्बन्ध में बहुत थोड़े शब्द कहने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करूंगा। महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में शिक्षा के सम्बन्धन में (planned and purposeful) शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रारम्भ किया है।

यह दोनों शब्द इतने गंभीर और अर्थ से भरे हुए हैं कि उनमें सारी बातें यहां पर आ जाती हैं। इसके साथ साथ शिक्षा की जितनी कमियां हैं वह इतनी प्रकट हैं और इतनी मानी हुई हैं कि बच्चों और विद्यार्थियों की अवस्था को देखते हुए, सभी लोग जिनके घर में बच्चे हैं, सभी अध्यापक और राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति पूर्णतया परिचित हैं।

[श्री शांति स्वरूप अग्रवाल]

यहां पर जो एक वाक्य आया है, "System of education which creates a large army of frustrated men with no employment suited to the training which they have received is a failure."

इन शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से शिक्षा का चित्रण नहीं किया जा सकता और जब महामान्य राज्यपाल महोदय के शब्दों में होता है तो वह बहुत अधिक वजन हर तरह से रखता है और उस वजन के लिये हमें मूल्य देना चाहिए। यहां पर हम ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि किसी गलत रास्ते में चले गये हों और सीधे रास्ते को ढूंढ़ कर उस पर चलना चाहते हों। गलत रास्ते पर जाने के बाद जब सीधे रास्ते पर जाने की आवश्यकता होती है तो जो बातें दूसरी ओर से होती हैं वह केवल इसलिये कि काम न चल सके। गलत चले जाने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार पर नहीं है। सरकार ने जितना प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं कि उससे अधिक प्रयत्न करना सरकार के लिये उस समय संभव नहीं था। जनता के खाने का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, राजनैतिक दुर्दशा का सवाल है और फिर चारों ओर से विरोध का भी सवाल है। इस सब के होते हुए जितना किया जा सकता था उतना किया गया। तो आज तो हमें ऋणात्मक को छोड़कर धनात्मक की ओर को चलना होगा। मैं आज शिक्षा को इतना अस्तव्यस्त देख रहा हूं। मेरा शिक्षा से लम्बा सम्बन्ध है। आज इस बात का अवसर नहीं है कि मैं अपने विचारों को, जो मेरे अपने विचार हैं, विस्तार के साथ रखूं।

जहां तक प्राइमरी एजूकेशन का सम्बन्ध है पिछली सरकार ने भी प्राइमरी एजूकेशन को बढ़ाने की कोशिश की थी। २२ हजार प्राइमरी स्कूल जब खोले गये उस समय भी इस प्रकार मखौल उड़ाया गया था कि क्या यह किसी प्रकार संभव भी होगा या यह कागज में ही खुलकर रह जायेंगे। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि यदि इधर उधर से खोज की जाय तो कुछ स्कूल बिल्कुल बन्द हो गये हैं और कुछ की स्थापना नहीं हो सकी है, केवल कागजों में ही रह गये हैं। जो काम प्रारम्भ में इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है वह धीरे धीरे होता है। हुकूमत का काम इसी प्रकार से होता है। मैं समझता हूं कि अगले पांच वर्ष में चारों ओर से राज्य को सहायता मिलेगी और राज्य भी भरसक प्रयत्न करेगा और हमें पांच वर्ष के अन्दर इस बात का गौरव मिल सकेगा कि उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सल (universal) प्राइमरी एजूकेशन हो जाय।

यूनिवर्सिटी शिक्षा के विषय में संबोधन में यह वाक्य है :—

"It is also the intention of my Government to bring before you legislation for amending the University Acts which have by now become out of date."

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा तमाम हाउस का ध्यान इधर खींचना चाहता हूं कि आज हमारी सभी यूनिवर्सिटियां जो खर्च से दबी हुई हैं, बड़ी बुरी हालत में हैं। तमाम यूनिवर्सिटियों का इन्तजाम आउट आफ आर्डर हो गया है वहां तरह, तरह का बोझ हो गया है। हम अध्यापकों में थोड़ी सी कुछ आपस में चलती है जिस तरह से धनीमानी लोगों को कहा जाता है। जब यूनिवर्सिटी में ऐसी बात आ जाती है कि कम से कम पढ़ाई हो और ज्यादा से ज्यादा वेतन मिले। जब वेतन बढ़ जाय तो विचारणीय बात हमारे समझने के लिये और देश के लिये हो जाती है। इस भाषण में महामान्य राज्यपाल महोदय ने प्राइमरी और सेकन्डरी एजूकेशन पर जोर दिया है फ्री (free) एजुकेशन बच्चों को दिया जाय और सरकार के लिये एक बड़े श्रेय की बात होगी।

प्राइमरी एजूकेशन, सेकंडरी एजूकेशन तथा यूनिवर्सिटी एजूकेशन जो अभी तक अंग्रेजी सरकार के जमाने से बिखरी हुई अवस्था में है, अब भी सब टुकड़े-टुकड़े के रूप में है यही बहुत बड़ा कारण है कि हमारी शिक्षा जैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं हो पाती है। सेकेन्डरी एजूकेशन के लिये जो कमेटी बनी है वैसी प्राइमरी एजूकेशन के लिये भी बननी चाहिए ऐसी मेरी नम्र सम्मति है।

मैं प्रार्थना करूंगा कि एक कमेटी बने जो नीचे से ऊपर तक शिक्षा के कुल भागों (प्राइमरी, सेकेन्डरी, यूनिवर्सिटी) को एकत्रित करके एक योजना बना सकें। सेकेन्डरी एजूकेशन के लिये मैं अपना विचार उपस्थित करना चाहता हूं। आज अमेरिका और इंगलैन्ड में जो स्वतन्त्र एजूकेशन है यदि वैसा कदम उठाया जाय तो बहुत सी समस्या हल हो जायेगी।

एक और उचित बात जो मुझे आपके सामने रखनी है जिसका कि यदि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में जिक्र होता तो बहुत अच्छी बात होती, वह है अध्यापकों के विषय में, आजकल अखबारों में प्रतिदिन कहीं न कहीं से अध्यापकों की हड़तालों के बारे में समाचार आते रहते हैं। यह देश के लिये दुखदायी बात है। यदि एक कमेटी बना दी जाती, जो अध्यापकों की अवस्था के विषय में जांच करती उनको ऊंचा उठाने के विषय में सलाह देती तो उचित ही होता।

मैं समझता हूं इस बात से आप सभी सहमत होंगे कि एक खराब कारीगर कोई अच्छी चीज नहीं बना सकता है। कोई भी अध्यापक जो स्वस्थ और सन्तुष्ट नहीं है अच्छा अध्ययन किये हुए नहीं है वह देश के लिये अच्छे और ऊंचे नागरिक पैदा नहीं कर सकता। आज अध्यापकों को लेश मात्र भी स्वतन्त्रता नहीं है, दूसरे देशों में शिक्षकों का समाज में एक विशेष स्थान है। इस देश में वह बिल्कुल नहीं है। बम्बई और मद्रास में तो कुछ थोड़े से अधिकार हैं भी परन्तु इस प्रान्त में तो बिल्कुल नहीं है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि शिक्षकों को स्वतन्त्र बनाने का प्रयत्न करे जिससे कि भावी समाज आगे बढ़ सके। मैं इन शब्दों के साथ महामान्य राज्यपाल महोदय के वक्तव्य के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कन्हैयालाल गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय के प्रति मैं उनको उस संबोधन के लिये जो कल हमें सुनने को मिला अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस सम्बोधन के द्वारा हमें यह अवसर मिला कि हम यह जान सकें कि पिछले दिनों में सरकार ने इस सूबे की जनता की बहबूदी के लिये क्या किया है और क्या आगामी समय में करना चाहती है? संबोधन के अन्दर सरकार के बहुत से मुहकमों का और उनके संचालन और कार्यवाही करने के बहुत से साधन की बाबत बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलीं इन सब बातों के लिये हमारे हृदय आन्तरिक रूप से उनके प्रति अनुगृहीत होते हैं। परन्तु जहां तक एक तरफ यह बात है वहां दूसरी तरफ अगर हम इस संबोधन के द्वारा यह आशा लगाते हैं कि हम इस नई सरकार द्वारा आगामी कार्यवाही जिस तरीके पर से वह करना चाहती है उसको भी सुनना चाहते थे। जनता का दुख कैसे दूर किया जायेगा अगर यह आशा लगाये हुए थे कि इस बात का हमें उत्तर मिलेगा तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इस दिशा में निराशा ही केवल नहीं रही बल्कि चन्द घंटों में काफी बातें आलोचना के रूप में और प्रशंसा के रूप में इस संबोधन के बारे में की जा चुकी हैं। जिन विषयों पर यहां प्रकाश डाला जा चुका है मैं उनको दोहरा कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

एक बात जिसके बारे में मुझे खुशी है हाउस के अन्दर लोगों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है वह शिक्षा से सम्बन्धित है। इसके बारे में मुझे यह देखकर अफसोस होता है कुछ ऐसी गलत फहमियां हैं कि वह अगर दूर न की जायं तो उससे हानि पहुंचने की सम्भावना है। यह बात शुरू से आखिर तक मन्जूर की गई है कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वह शुरू से आखिर तक इतनी गलत है कि अगर जल्द ही कोई सुन्दर मार्ग इसके सुधारने का न निकाला गया तो यह हमारा राष्ट्र जो बहुत मुश्किल से स्वतन्त्र हो पाया है जबरदस्त खतरे में पड़ सकता है ऐसा मेरा अपना अनुभव है। सरकार ने जो नीतियां शिक्षा सुधार के लिये पिछले पांच सालों में अख्तियार की थी, वह असन्तोषजनक साबित हुई और जो हमें इस संबोधन में देखने को मिला है उससे पता चलता है कि अगले पांच सालों में भी कोई विशेष सुधार नहीं

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैयालाल गुप्त]

होने को है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में खासतौर से ऐड्रेस में जिक्र है। प्राइमरी शिक्षा का तो कोई इसमें जिक्र नहीं है। यह जरूर है कि अगले पांच साल में वह इसे अनिवार्य बनाना चाहते हैं, मगर वह हो सकेगी या नहीं, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहा गया है कि आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी बिठायी गई है उसकी सिफारिशात पर सरकार विचार करेगी और इस तरह से हम माध्यमिक शिक्षा की खराबियों को दूर कर सकते हैं। यह बात हमारे माननीय मन्त्री श्री हुकुम सिंह जी की तरफ से कही गई है। माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि शिक्षा सुधार के संबन्ध में जो आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी बनी हुई है उसके जरिये से हम इसकी खराबियों को दूर कर सकेंगे। माननीय मन्त्री श्री हुकुम सिंह जी इस समय यहां मौजूद नहीं हैं अन्यथा मैं उनसे यह प्रश्न करना चाहता था कि क्या उन्होंने आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेन्स (terms of reference) को सोचना गवारा किया है।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर उन्होंने यह देखा होता कि जो आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी बनाई गयी है उसका टर्म्स आफ रिफरेंस क्या है तो वह कभी भी ऐसी बात न कहते।

मैं यह कहने का दावा रखता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस को देख लेने के बाद कि यह जो बात लिखी गई है वह सर्वथा सिद्ध नहीं होती। उसमें सारे पहलू नहीं ढक जाते हैं।

यह बात मुझे इस ऐड्रेस को देखते हुए कहनी पड़ती है। यह तो हालत है उस माध्यमिक शिक्षा की, जिसकी बाबत आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी बिठाई गई है और जिसकी बाबत बहुत सी बातें कही गई हैं जिनको हम आप सब बड़ी देर से सुनते रहे हैं। मैं १५ साल इस दिशा में रहने के आधार पर अर्ज करूंगा कि माध्यमिक शिक्षा की जो मौजूदा हालत है, पिछले वक्त में रही है और रहने जा रही है वह इतनी खतरनाक है कि अगर हम बहुत जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कि भविष्य में हमारे देश में चरित्र जैसे नाम की कोई चीज नहीं रह जायगी। ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि उनके ऊपर ही हमारे देश की उन्नति और निर्माण निर्भर है। मैं कहता हूं कि उन सर्विसेज के लिये आपको चरित्रवान आदमी मिलना नामुमकिन हो जायगा। माध्यमिक शिक्षा में जो कुछ हो रहा है अगर वह अनजाने में होता तो दुख की बात न थी। माध्यमिक शिक्षा के बारे में कई साल से अधिकारियों को और सरकार को हमने चेतावनी दी कि यह आवश्यक है और यह इस तरह से पूरा हो सकता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगर इसका इलाज पूरी तरह से नहीं किया जाता है तो हमारा पतन अवश्यंभावी है। माननीय मंत्री ने यह कहा था कि अक्लमन्द के लिये इशारा काफी, तो मैं नहीं जानता कि इससे उनकी क्या मंशा थी। अगर शिक्षा शब्द का जिक्र कर देने से हम इस बात का विश्वास कर लें कि हमारी कुरीतियाँ दूर हो जायेंगी, तो इसमें मैं माननीय मंत्री से मतभेद रखता हूं। फिर प्राइमरी शिक्षकों की जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। एक प्राइमरी अध्यापक ४२ रुपया पाता है जब कि कोई भी मजदूर या चपरासी ७० रुपया से कम नहीं पाता है। यह हालत आज प्राइमरी शिक्षकों की है। सारे ऐड्रेस के अन्दर भविष्य का जो उज्वल चित्र खींचा गया है उसका आधार प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट और प्लानिंग है।

मैं नहीं जानता कि आप में से कौन ऐसा सदस्य है जो सरकार के इस प्लानिंग से भली भांति परिचित हो। जिस प्लानिंग से आशा लगाई गयी है कि हमारा देश फलेगा और फूलेगा मुझे जहाँ तक मालूम है फाइव ईयर्स प्लानिंग (five years planning) जो अभी कुछ महीने हुए पब्लिश (publish) हुआ था, उसको अभी तक किसी प्रकार जनता से परिचित कराने की चेष्टा की गई हो ऐसा मुझे मालूम नहीं है। सूबे का प्लानिंग अभी हमारे

सामने देखने में नहीं आया है। हो सकता है अभी सरकार ने ऐसा किया हो। परन्तु मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी प्लानिंग के सफल होने में यह जरूरी है कि वह जनता का सहयोग प्राप्त करे। मगर हम जानते हैं कि जनता के सहयोग के बिना हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकती हैं और यह सरकार तो इस विषय में पूरी तरह से असफल रही है। अगर यही तरीका रहा तो भविष्य में भी वह असफल होने जा रही है। यह उसका निश्चित रूप से अंजाम है और यही होने जा रहा है। आज चार साल की आजादी के बाद यह कहना पड़ रहा है कि हमें फलाँ योजना में सफलता नहीं मिली। हो सकता है कि इस तरह अगले साल पाँच साल के बाद भी असफल होने में यही कहा जायगा कि इस पाँच साल में हमें सफलता तो नहीं मिली मगर अगले पाँच साल में अवश्य सफलता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जनता इतनी ज्यादा तंग आ गई है कि वह पाँच साल का अवसर नहीं आने दिया जायगा। अगर हम कार्यरूप में अपनी योजनाओं को परिचित नहीं करेंगे और उचित आधार पर नहीं आयेंगे तो वह पाँच साल भी नहीं आयेंगे। मुझे उम्मीद है सरकार इन बातों पर जरूर विचार करेगी।

चेयरमैन—मैं फिर माननीय सदस्यों का इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर सभी बातों को आज ही कहने का प्रयत्न किया जायगा तो बहुत से सदस्यों को बोलने से वंचित किया जायगा और उनकी बातें नहीं सुनी जायेंगी। १० मिनट का कायदा मुझे सख्ती से बरतना पड़ेगा। हैमर (hammer) की आवाज सुनकर सदस्य बैठ जायं।

Sri Ram Kishore Sharma—Mr. Chairman, I sincerely support the motion of thanks to Governor. We do appreciate the progress that the young state has made during the last 5 years. I am not pessimistic like some of my friends on this side of the House, who instead of putting some constructive proposals before the State, have criticised it in a very uncharitable way. The greatest reform the Government had made, is the Abolition of the Zamindari. It will go a long way in improving the condition of agricultural classes. This land reform will not only increase the status of the agriculturists but will tend to improve the productivity of the land as well. Some of my friends have pointed out that there will be plenty of unemployment among the Zamindars and that their condition is deteriorating day by day. I say it is only the voice of some vested interests.

The labourer is now better than what he was a few years back. The emoluments and the conditions of service are better. A labourer is enjoying more amenities than what others are enjoying today. If you compare the index number of the prices and wages, you will find that the wages are greater than the rise in the prices.

But one thing I wish to bring to the notice of the Government is that the condition of the teachers in the secondary schools is deplorable. He is the lowest paid-servant of the State. He has got no status in Society. He is not cared for by the Government, nor by the students nor by any other class. Under these circumstances, with what justification can he be expected to render the most valuable services of nation building. He must be given a living wage.

His conditions of service should be improved. The Governor's address says that a Committee is already in existence known as, Acharya Narendra Dev's Committee to overhaul the entire system of education in the State. May I request the Government to appoint a similar Committee to examine the entire service conditions of the teachers,

[श्री रामकिशोर शर्मा]

their salaries, and dearness allowances. Lastly I would request the Government to do away with the small zamindars in the name of managers who are managing the Schools. The Government has not yet realised what evils there are in the system of managers. This system is simply demoralising and it degenerates the teachers. Government have abolished the big zamindari system and I hope that Government would do the same thing in the case of these managers.

सत्य प्रेमी उपनाम श्री हरिप्रसाद--माननीय सभापति महोदय, श्री दीपचन्द्र जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के संबोधन के संबंध में पेश किया गया है, उसके लिये विरोधी पक्ष की तरफ से कहा गया है कि संबोधन में गवर्नमेंट की पालिसी का कोई जिक्र नहीं है। यह एक सरल सी बात है कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उस पार्टी की नीति ही गवर्नमेंट की नीति होती है। इस संबोधन में उन बातों का खासतौर से उल्लेख संक्षेप में किया जाता है जिन्हें उस सूत्र या उसके निकटवर्ती सूत्रों में गवर्नमेंट करने का संकल्प करती है फिर यदि इस संबोधन में आदर्श की अधिक बातें नहीं हैं तो आश्चर्य की क्या बात है। इस संबोधन में देश के लिये आवश्यक और उपयोगी लगभग सभी बातों का उल्लेख है। खासतौर पर जिस बात का उल्लेख किया गया है वह जमींदारी को खत्म करने की तिथि को निश्चय करने का है। हमारे सूबे के किसान दो तीन वर्षों से जमींदारी उन्मूलन कानून को पास होने के बाद आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे कि कब यह प्रथा समाप्त होगी। इधर कुछ दिनों से किसानों में निराशा पैदा हो गयी थी। संबोधन में तारीख का निश्चय होने से किसानों में फिर एक आशा की लहर दौड़ गई है। हमारे प्रान्त में ८० प्रतिशत से भी अधिक किसान हैं और किसानों के सीने पर डेढ़ दो सौ वर्ष से दो भारी पत्थर एक बृटिश हुकूमत का दूसरा जमींदारी प्रथा के लदे हुए थे। बृटिश हुकूमत का भारी पत्थर उतर चुका है और अब यह १ जुलाई से दूसरा पत्थर भी उतरने वाला है। इससे किसानों में जान आयेगी, आशा और साहस का संचार होगा। इसके साथ-साथ और भी बहुत सी आवश्यक बातों का उल्लेख किया गया है, जिनका जिक्र हमारे बहुत से भाइयों ने किया है। उसको दोहराने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं।

हाँ, संबोधन में एकाध बातें ऐसी भी हैं जिन पर यदि अधिक प्रकाश डाला गया होता और दूसरे पहलू को भी देखा गया होता तो अच्छा था, जैसा कि कहा गया है कि इस वर्ष शक्कर अधिक बनी और ५-६ लाख मन गन्ना शुगर मिलों में अधिक भेजा गया है। एक तरफ तो शक्कर के उत्पादन में उभार आया, लेकिन दूसरी तरफ जो घाटा इससे पैदा हो गया, उसे भी सरकार को दिखाना चाहिये था। अगर इस पर भी प्रकाश डाला जाता तो अच्छा होता। और जो कुछ भी असर इसका हमारे किसानों के ऊपर पड़ा है, उसके ऊपर भी इस संबोधन में प्रकाश डालना चाहिये था। एक तरफ तो शुगर के उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन दूसरी तरफ जो किसानों को धक्का लगा है उससे किसान बहुत खिन्न हैं। किसान जब गुड़ बनाता है उसका निर्यात बन्द हो जाता है और व्यापारी सस्ता गुड़ खरीद कर काफी फायदा उठाते थे। लेकिन गत वर्ष महाजनों को भी इससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ है और उन्होंने गुड़ की खरीद बिल्कुल रोक सी दी है और इस तरह से किसानों ने भी गुड़ के उत्पादन में सस्तेपन से बिल्कुल कमी कर दी है जिससे गुड़ के उत्पादन में कमी हो गयी। यदि गवर्नमेंट ने गुड़ के उत्पादन को संरक्षण न दिया तो औषधियों के लिये भी गुड़ का मिलना दुष्कर हो जायेगा। इसलिये हमें गुड़ के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी जितना प्रकाश पड़ना चाहिये था, उतना संबोधन में नहीं दिखाई पड़ता। हमारे विरोधी पक्ष के किसी भाई ने कहा कि इस संबोधन में कोई

ऐसी बात नहीं है, जिससे हमारा सामाजिक ढांचा बदल जाता, जिस तरह से सामाजिक ढांचा बदलना चाहिये था, वह इस तरह नहीं बदल सकता है। मैं सामाजिक ढांचा बदलने की ओर आपके जरिये से अपने विपक्षी भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की सामाजिक ढांचे को बदलने की जो नीति है, वह व्यावहारिक नीति है और कांग्रेस की नीति है, जो महात्मा गांधी की नीति है। शान्ति और अहिंसात्मक नीति से हम सामाजिक ढांचे को बदलना चाहते हैं। हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार और जनता जितना टैक्स बरदाश्त कर सकती है, उसके अनुसार ही सामाजिक ढांचे को बदलना है। डेढ़ सौ वर्ष की बरबादी की पूर्ति दो चार वर्ष के अन्दर नहीं हो सकती है। दो चार वर्ष के अन्दर हम शीघ्रता के साथ सामाजिक ढांचे को बदलने में समर्थ नहीं हो सकते हैं।

मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि जनता को कांग्रेस के प्रति कितनी नफरत हो गयी है, इस तरह की बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह स्पष्ट है कि यूरोपीय द्वितीय महासमर के बाद हमारे यहाँ चीजों का अभाव पैदा हो गया और उससे जनता में जो परेशानी हुई है, उसके कारण जनता में नाराजगी पैदा हुई। कांग्रेस के प्रति उसकी आशायें थीं कि वह वस्तुस्थिति को सुधारे और यही आशायें उसे अपनी गवर्नमेंट से होनी भी चाहिये थीं कि वह इन चीजों की पूर्ति करे और उसकी नाराजी स्वाभाविक हो थी। गवर्नमेंट विवश थी। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुए और जनता ने समस्त पार्टियों को, जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, ध्यान पूर्वक देखा और विचार किया कि हमारी आशाओं की पूर्ति किस तरफ से हो सकती है और फिर उसने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस पर आशा और विश्वास किया और उन्हें विधान सभाओं में भेजा। तो यह जो नफरत की बात कही गयी है, वह कहाँ तक ठीक थी ? वह तो सिर्फ अभाव के कारण जनता की नाराजगी थी, परन्तु फिर भी उसने कांग्रेस को आशाभरी दृष्टि से देखा।

अभी खाद्य समस्या को हल करने के संबंध में हमारे एक विरोधी पक्ष के भाई ने सुझाव पेश किया है कि जमीन का बटवारा समान रूप से किया जाय, लेकिन हमारे सामने खाद्य संकट इस समय मौजूद है और उसका हल आप ऐसा बताते हैं कि जिससे समाज में एक क्रांति और परस्पर संघर्ष पैदा हो और एक खूनी क्रांति का वातावरण हमारे समाज में पैदा हो जाय। खाद्य संकट के समय में जनता को हम दूसरा संकट पारस्परिक कलह का प्रदानकर दें और सहायता के बजाय संकट में झोंक दें यह कहाँ तक ठीक है ? इस समय तो केवल प्रश्न यह है कि जैसे भी हो हम जनता को अनाज पहुंचायें और अधिक अन्न पैदा करें। भूमि के समान बटवारे की योजना इस समय काम नहीं दे सकती, उसके लिये तो समय की जरूरत है, यह दीर्घकालीन योजना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं और श्री दीपचन्द्र जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं, जिसे श्री राज्यपाल के संबोधन पर उन्होंने प्रस्तुत किया है।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी--माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपकी अनुमति से शुभ-मूर्ति राज्यपाल के संबोधन की तमाम बातों में से केवल शिक्षा की ओर ही ध्यान दिलाना चाहता हूं। शिक्षा के तीन भाग किये गये हैं। जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, राज्य-पाल ने इस संबंध में कहा कि आचार्य नरेन्द्र देव की एक समिति निर्वाचित की जा चुकी है, जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने इस पर अपने विचार भी प्रकट किये हैं। उसका स्कोप (Scope) इतना वाइड (Wide) नहीं है कि उसमें शिक्षा के सब पहलू आ गये हों। चालू शिक्षा योजना को बढ़ाने की ओर खास तौर से उसके संबंध के खर्च के बारे में आचार्य नरेन्द्र देव की समिति बनाई गयी है। शिक्षा की मशीनरी कैसी है, और उसके बढ़ाने के लिये क्या बातें ठीक हैं और किस तरह की बातों की उसमें कमी है और आगे शिक्षा को बढ़ाने के लिये क्या इंतजाम किये जा सकते हैं, यही सब बातें उसके उद्देश्यों में शामिल होंगी। शिक्षा को बढ़ाना और शिक्षा समाज के अन्दर किस बात की कमी है

[श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी]

और किस रूप में उसे आगे बढ़ाना है, यह सब बातें शिक्षक समुदाय के अन्दर किसी से भी छिपी नहीं हैं। जहाँ इन सब बातों पर विचार हुआ वहाँ नरेन्द्र देव की कमेटी के रिफरेंश (reference) में इस तरह की कोई भी बात का उल्लेख नहीं है कि शिक्षकों के वेतन और उसकी कंडीसन आफ सर्विस (Condition of Service) में भी विचार किया जाय और जब तक इस बात की तरफ आप ध्यान न देंगे तो कितना ही आप शिक्षा को बढ़ायें वह बिल्कुल बेकार साबित होगी। जनता का कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की क्षमता रखता है वह सही शिक्षा देना चाहता है, वह चाहता है कि उसके बच्चे ठीक नागरिक हों, उसको ऐसी शिक्षा दी जाय कि वह समाज का एक अच्छा अंग बन सके। लेकिन हम आजकल देखते हैं कि जो शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यावहारिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं मिलती है। आज हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है और हमें नियमों को पालन करते हुए ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे कि वह व्यक्ति राष्ट्र का एक ऐसेट (asset) हो और किसी वाइडर (wider) क्षेत्र में पहुंचकर वह न केवल अपने को ही बल्कि राष्ट्र को भी फायदा पहुंचाये। अगर उसे ठीक शिक्षा मिले तो इससे राष्ट्र को हानि होने की संभावना भी कम रह जाती है। हमारी गवर्नमेंट का आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी को स्थापित करने का केवल यही मन्तव्य है कि चालू शिक्षा की योजना किस मात्रा तक सफलीभूत हुई है और यदि नहीं तो उसमें क्या परिवर्तन किये जायं ताकि वह पूर्ण रूप से ठीक तरह से चले। मगर राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में इस तरह का कोई भी रिफ्रेन्स नहीं दिया है। मैं हाउस के सामने यह कहना चाहता हूं कि अध्यापक जो स्वयं इस समय निराशा से पीड़ित और बेचैन हैं और जो अपने व्यक्तिगत प्रश्नों से व्यथित हैं, बेरोजगारों की संख्या को कैसे कम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहाँ शिक्षा में परिवर्तन करने के लिये कमेटी बनाई गई है वहाँ एक कमेटी बनाई जाय जो इस बात पर भी गौर करे और सुझाव दे कि सामयिक रूप से शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार परिवर्तन हो जिससे कि शिक्षक की आर्थिक आवश्यकतायें सुलभ हो सकें। यह कहना निरर्थक न होगा कि और प्रान्तों में कितना खर्च इस विभाग पर हो रहा है। बम्बई में ५ रु० फी व्यक्ति, मद्रास में १ रु० १४ आना, और हमारे प्रान्त में १ रु० ४ आना सरकारी खजाने से होता है। ऐसी हालत में जब हम दूसरी स्टेट से अपना मुकाबिला करते हैं तो अपनी क्या हालत पाते हैं। यह एक मुख्य प्रश्न है और इसको शिक्षा के प्रश्नों से अलग नहीं किया जा सकता है।

यूनीवर्सिटीज की क्या हालत है ? वह कमीशन की रिपोर्ट से जाहिर है। इस विषय पर मैं विशेष रूप से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेरे मित्र डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं तथा डाक्टर प्यारे लाल अभी करेंगे।

अब मैं प्राइमरी शिक्षा की ओर आता हूं। जो शिक्षक वहाँ काम करते हैं उनकी दशा बड़ी दयनीय है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब प्राइमरी शिक्षा प्रणाली चली थी उससे पहले स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन थे। परन्तु उसके बाद सरकार की तरफ से स्कूल खोले गये और कुछ समय के बाद फिर वह सरकारी स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन कर दिये गये। सन् १९५० में वेतनवृद्धि की गयी थी परन्तु उसके बाद फिर कुछ नहीं किया गया। आप देखते हैं कि अखबारों में रोज निकलता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के शिक्षकों की क्या हालत हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सन् १९४७ में एक लाख ४० हजार की रकम खर्च के लिये मंजूर हुई थी जिसमें १ लाख रुपया सरकार ने देना निश्चित किया था और ४० हजार बोर्ड देती थी और उस समय की अपेक्षा अब खर्च दूना हो गया है परन्तु सरकार की रकम उतनी ही है। आप समझ सकते हैं कि उन अध्यापकों को कितनी मुश्किल हो गयी है और उनको वेतन मिलने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनको फरवरी के

महीने से वेतन नहीं मिला है और वह बेचारे बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। मैं हाउस से पूछना चाहता हूं कि क्या वह शिक्षा प्रणाली को ठीक तरह से चलाने योग्य हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। यह प्रश्न मामूली तरह से हटाया नहीं जा सकता है। रायबरेली जिला बोर्ड के स्कूलों के शिक्षकों की भी यही हालत है। सन् १९४७ में सरकार ने २ लाख २७ हजार की रकम मंजूर की थी, उसमें से बोर्ड को ७० हजार देना पड़ता था और अब ५ गुना ज्यादा खर्च बढ़ गया है। मगर सरकार की रकम उतनी ही है। आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों की क्या हालत होगी। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में भी एक कमेटी बना दी जाय। जब मशीनरी को चलाने वालों की ही सुविधा और सहूलियत का ध्यान न होगा तो वह क्या काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार स्वयं इस पर विचार करेगी। सरकार बर्तानिया के समय से शिक्षा विभाग एक इनवेस्टमेन्ट (investment) का विभाग रहा है, जैसी रकम हम इस विभाग पर खर्च करेंगे वैसा फल भविष्य में हमको मिलेगा। आज जैसे मुख्य प्राबलम (problem) फूड (food) का है वैसे ही मेन्टल फूड प्राब्लम (mental food problem) भी है और इसको नेगलेक्ट (neglect) नहीं किया जा सकता है। मैं यह टीका-टिप्पणी के लिये नहीं कह रहा हूं मैं तो यह कहना चाहता हूं कि शिक्षकों की अवहेलना अब अधिक नहीं की जा सकती है और यदि ऐसा किया गया तो भविष्य में इसका प्रतिफल अच्छा न होगा। मैं चाहता हूं कि इस मशीनरी को इम्प्रूव (improve) किया जाय। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और जो अन्य विषय हैं उन पर और सदस्य कहेंगे।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—माननीय सभापति महोदय, आप की अनुमति से जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैंने महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन को बहुत सावधानी से पढ़ा है। उसके पढ़ने के उपरान्त मेरी यह धारणा है कि राज्यपाल महोदय ने सब ही गंभीर प्रश्नों की अपने सम्बोधन में चर्चा की है और हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया है। साथ ही उन प्रश्नों का जो हल हमारी सरकार ने किया है अथवा जिस प्रकार वह उनको हल करना चाहती है, उसकी चर्चा भी सम्बोधन में की गई है। प्रस्ताव के विरोध में अथवा उसके संशोधन के रूप में जो भाषण विपक्ष की ओर से हुये हैं, उनको भी मैंने ध्यानपूर्वक सुना है क्योंकि मैं यह जानने को उत्सुक था कि ऐसे सम्बोधन के विरोध में, जिसमें सभी प्रश्नों की चर्चा सांकेतिक रूप से की गई है, विपक्षी दल को उसके सम्बन्ध में क्या कहना है। जिन माननीय सदस्यों ने विपक्ष में वक्तृताएं की हैं उनमें से कई भाई तो विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हैं और कई मुख्य महाविद्यालयों में अध्यापक पद को सुशोभित करते हैं। सब ही विद्वान, सुशिक्षित और अनुभवी सज्जन हैं परन्तु मुझे दुःख है कि उनकी वक्तृताओं से मुझे सन्तोष न हुआ। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने तो कुछ सुझाव प्रशासन सम्बन्धी दिये हैं, जिनको सदन के माननीय नेता ने अवश्य नोट किया होगा और सरकार की ओर से उनके सम्बन्ध में वह ही अधिकृत प्रत्युत्तर दे सकेंगे, परन्तु शेष वक्तृताओं का जो प्रभाव मेरे ऊपर हुआ है वह तो यह है कि जैसे यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय के कमरे में बैठकर कोई प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों के किसी विषय विशेष पर मारेल एसे (moral Essay) लिखा देता है अथवा लेक्चर दे देता है। उसी प्रकार इन महानुभावों ने इस सदन को क्लास रूम (class room) समझ कर समाजवाद पर लम्बे २ भाषण झाड़ दिये हैं, जिनका वास्तव में कोई सम्बन्ध राज्यपाल के सम्बोधन से नहीं है। जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसका अर्थ भी मेरी समझ में तो इतना ही आया है कि समाजवाद के सिद्धान्तों को प्रचारित करने के लिये यह अवसर अच्छा समझा गया और उन सिद्धान्तों को संशोधन का रूप देकर सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। क्या संशोधक महाशय को महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के स्थान में अपना सम्बोधन रखना अभिप्रेत है? क्योंकि राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में यदि कोई संशोधन उचित हो सकता है तो वह उसके किसी अंश विशेष पर हो सकता

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

हैं। यदि संशोधक महाशय सरकार की किसी नीति अथवा कार्यक्रम से असन्तुष्ट हैं तो उसके सम्बन्ध में संशोधन रखना तो उचित ही है और उससे कुछ प्रयोजन भी सिद्ध होता, परन्तु ऐसा लम्बा-चौड़ा संशोधन जो स्वयं सम्बोधन के बराबर हो, वह तो कुछ अर्थ नहीं रखता। इसका अभिप्राय तो यही हो सकता है कि वह राज्यपाल के सम्बोधन के स्थान संशोधन के रूप में अपना ही संशोधन रखना चाहते हैं। मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि संशोधन द्वारा जो कुछ उन्होंने कहा है वह केवल समाजवादी विचारों के प्रचार के लिये। हम तो समझते थे कि अध्यापक वर्ग के हमारे सुयोग्य भाई, जिनको शिक्षा क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त है, उस अनुभव के आधार पर सरकार को कोई महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, जिससे सरकार तथा जनता दोनों का हित हो सकेगा, परन्तु सिद्धान्तवाद के चक्कर में पड़कर वह बहक गये और हमारी आशा को निराश होना पड़ा।

श्री गोविन्द सहाय से भी हमें ऐसी ही आशा थी और हम समझते थे कि वह अपने पिछले अनुभव के आधार पर प्रशासन सम्बन्धी कुछ अच्छे सुझाव सदन के समक्ष रखेंगे, परन्तु उन्होंने इस सदन को पब्लिक प्लेटफार्म समझकर एक भाषण झाड़ दिया जिसमें हमें तो कोई सार की बात प्रतीत नहीं हुई। गोविन्द सहाय भी तो सरकार के एक अंग रह चुके हैं, बहुत समय तक पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी भी रहे हैं और पिछले दिनों तक कांग्रेस से भी सम्बन्धित थे, परन्तु जो कटु आलोचना सरकार की उन्होंने की है, उसके लिये तो वह स्वयं ही उत्तरदायी हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने शिक्षा के सम्बन्ध में भी चर्चा की है और यह कहा है कि सम्बोधन में सरकारी शिक्षानीति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह माननीय सदस्य कुछ भ्रम में पड़े हुये हैं क्योंकि राज्यपाल के सम्बोधन में शिक्षा के सभी अंगों की प्रारम्भिक, सेकेन्डरी तथा विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा की चर्चा की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक रूप देने में अभी सरकार असमर्थ रही है, परन्तु यह विश्वास है कि अगले पाँच वर्ष के भीतर इस लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी। सेकेन्डरी शिक्षा के सम्बन्ध में बताया गया है कि सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है, जो इस विषय पर विचार कर रही है और उसकी रिपोर्ट आने पर सरकार अपनी नई नीति निर्धारित कर सकेगी। विश्व-विद्यालय सम्बन्धी शिक्षा के विषय में भी बताया गया है कि सरकार की नीति क्या है? उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि हमारे लड़के शिक्षा प्राप्त करके बेकार न घूमें, उनको रोज-गार में लगाने का उद्योग किया जायगा, जिससे वह अपना जीवन निर्वाह करने में समर्थ हों।

वक्तृताओं में पञ्चवर्षीय योजना की भी चर्चा की गई है, परन्तु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि पढ़ना तो दूर रहा इस योजना को उन्होंने देखने का भी कष्ट नहीं किया है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आँकड़े सदन के समक्ष रखना चाहता था, परन्तु विपक्ष दलों के अनेक भाई तो इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। फिर भी मैं यह कह देना चाहता हूं कि यदि इस योजना को माननीय सदस्यों ने ध्यान से अध्ययन किया होता तो शायद जो एतराज आज सम्बोधन के सम्बन्ध में उठ रहे हैं, उनकी चर्चा करने की आवश्यकता न होती। इस योजना में स्पष्ट बताया गया है कि सन् १९५६ तक ९१ करोड़ रुपया डेवलपमेंट (Development) के कार्यों में हमारे राज्य में व्यय किया जावेगा। कृषि में २५ करोड़, सिंचाई में २८ करोड़ और शेष शिक्षा इत्यादि अन्य लोक हित के कार्यों में। यह सब विस्तारपूर्वक इस योजना में दिखाया गया है। कृषि सुधार का क्या रूप होगा और सिंचाई के सम्बन्ध में कौन कौन से काम कब कब हाथ में लिये जायेंगे यह सब बातें उसमें दिखाई गई हैं। हमको तो पहिले यह सोचना है कि कौन सा काम अधिक आवश्यकता का है और किन किन कामों को प्राथमिकता दी जावे तथा कौन से काम ऐसे हैं जिनको पाँच वर्ष के उपरान्त हाथ में लेने से हानि की अधिक सम्भावना नहीं है। अपनी आर्थिक क्षमता को देखते हुये कौन से काम इस समय हाथ में लेने हैं और कौन बाद में। इसके लिये हमें अपना डेवलपमेंट प्लान (Development plan) बनाना है। मेरा समय समाप्त हो गया, अतः मैं यहीं समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशोर रस्तोगी—माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के वक्तव्य के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं अपना विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यहाँ पर उन्होंने करीब करीब सब विषयों को लिया है और उन पर काफी रोशनी डाली है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने जो कुछ काम किया है और उसका आइन्दा जो प्रोग्राम है उन्होंने जनता के सामने रक्खा है और जिसे जनता तथा सदन के सदस्यों का सहयोग लेकर काम करना है। पिछले समय में जिस तरह से साम्प्रदायिक झगड़े हुए और जिस तरह से गत युद्ध सामने आया, उसका उन्होंने दिग्दर्शन किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस और उसकी सरकार ने विरोधियों का मुकाबला करते हुए इस राष्ट्र को मजबूत बनाते हुए, जनता को सुविधाएं देते हुए जो कुछ कार्य किया है उससे हमें गौरव होता है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने जो अपने को विरोधी पार्टी का कहते हैं ऐसी बातें कही हैं जो अर्थहीन हैं। एक साथी ने कहा है कि आज कांग्रेस का नाम जनता से उठता जा रहा है। केवल किसानों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। दूसरे साथी ने यह कहा कि मुल्क में कांग्रेस के कार्यों से निराशा बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हम और आप सभी चुनकर आये हैं और सभी जनता की भावनाओं से भली भांति परिचित हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता। नागरिकों ने किस तरह से यहाँ चुनकर हमें भेजा है, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं।

यहाँ कन्ट्रोल के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयी हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहाँ तक कन्ट्रोल का सवाल है इससे जहाँ थोड़ी–बहुत हानि हुई है वहाँ काफी लाभ भी हुआ है। जहाँ तक महाजनों और बनियों का इससे सम्बन्ध है, जिनके पास पैसा है, उनको इससे विशेष लाभ नहीं हो पाया है, परन्तु गरीबों के लिये कन्ट्रोल काफी लाभदायक साबित हुआ है। इसको हम और आप सभी जानते हैं कि कन्ट्रोल के द्वारा बहुत बड़ा लाभ गरीब जनता का हुआ है।

हमारे एक सम्मानित साथी ने गोरखपुर गोलीकांड के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं। जिसे मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि कुछ यूनियनें ऐसी भी बनी हुई हैं वह जनता की भलाई में ही सब कार्य नहीं करतीं, बल्कि वह नेतागिरी की बात भी देखती हैं और हर मामले को अपने दृष्टिकोण और निजी स्वार्थ की दृष्टि से देखती हैं। वह ऐसी स्थिति लाने का प्रयत्न करती हैं जिनके कारण जो मुख्य बातें हैं वह पीछे रह जायं। उनका केवल कार्य जनता को व्यर्थ के लिये उभाड़ना होता है जिससे उनकी नेतागिरी मजबूत और दृढ़ हो जाय। इस प्रकार की बातें करते मैंने दिल्ली कांड भी देखा है और भी दूसरी जगह यह हालात देखे गये। इस तरह की कुछ ऐसी भी पार्टियाँ हैं जो अपने दूसरे सिद्धांत रखती हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारे साथी यह कहते हैं कि जो स्वस्थ विचार आपके सामने रखे जायं उन पर विचार करके कार्य करने का प्रयत्न करें। मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार को भी ऐसे विचारों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें त्रुटियाँ न पाई जाती हों। हमारी सरकार को यह दूसरा मौका मिला है जब वह एलेक्शन से यहाँ आयी है। वह जानती है कि देश की दशा क्या थी। हम और आप भी उसे जानते हैं। जब आपने और हमने मिलकर काम किया है तो उसमें कहने की क्या बात है? जो कुछ हालात इतने समय में ठीक हो पाये हैं वह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई खामियाँ रहती हैं तो हमारा आपका फर्ज है कि हम और आप कन्धे से कन्धा मिलाकर उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें और यह न सोचें कि हम विपक्ष के हैं, इस लिये हम विरोधी भावना से काम करें। मैं मानता हूं कि एक स्वस्थ विरोधी दल अवश्य होना चाहिए, लेकिन किसी सही बात का इस आधार पर विरोध करना कि हम विरोधी दल के हैं, यह उचित नहीं प्रतीत होता। मैं आपसे अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें जैसा कि नागरिक 'मायूस', 'निराश' होते जा रहे हैं, यह कुछ ठीक नहीं मालूम होता है। आपको मालूम है कि एलेक्शन के समय किस तरह की बातें

[श्री रामकिशोर रस्तोगी]

कांग्रेस को कही गई और किस तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन आज हम जानते हैं कि वह सब बातें वाईप आउट (wipe out) होती जा रही हैं।

जमीन्दारी उन्मूलन के बारे में बहुत सी बाते यहाँ कही गई हैं। मैं उस पर ज्यादा कुछ न कहकर आपका अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। एक साथी ने धमकी भरे शब्दों में कहा कि जमीन्दारी विनाश तो हो ही रहा है और जमीन्दारों का संघर्ष जो कुछ होगा वह तो होगा ही, लेकिन कल को आप को दूसरे सेक्ट्स से संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा जनता के लिये कुछ भी संघर्ष हो हमको उससे दूर नहीं जाना चाहिए। अगर वह किसान जिसकी दासता की बेड़ियाँ वर्षों से नहीं कटी थीं और जिसको कांग्रेस ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में मुक्ति दिलाई है उसके लिये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम आप मिल कर उस किसान के दासता के बन्धन को जल्दी से जल्दी खत्म करें जिससे हमारा देश वैभवशाली और प्रसन्नचित हो सके। जयहिन्द!

*श्री हृदयनारायण सिंह--माननीय प्रमुख महोदय, शुभमूर्ति राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं अनुमोदन करना चाहता हूं किन्तु अनुमोदन के साथ में अपने कुछ विचार सभा के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। मुझे सम्बोधन सुनकर सन्तोष हुआ वह इस कारण से कि मैंने एक प्रश्न पूछा और उसका सन्तोषजनक उत्तर मुझे मिला। मैंने यह पूछा कि इस सम्बोधन में जन-साधारण के जीवन-स्तर को उठाने के लिये कोई प्रयत्न दिखाई पड़ता है या नहीं। मुझे यह मालूम हुआ कि इसका पूरा प्रयत्न यहाँ किया गया है। अभी तक तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उससे हमें निराश ही रहना चाहिये क्योंकि हमने देखा कि हममें अनेक प्रकार के अभाव थे---अन्न का अभाव, निवास स्थान का अभाव और कपड़े का अभाव था। जो सभा के संचालक हैं उनके भाषण सुनने के बाद मालूम होता है कि हमारी बहुत उन्नति हो रही है। लेकिन वह जनाबवाला इसी प्रकार से है जैसे कोई आदमी एक दरिया के पुल पर खड़ा दरिया देखता हो और समझे कि वह बहुत तेजी से बह रहा है। वास्तव में वह चलता नहीं वह तो उसी जगह कायम है।

फिर हमने देखा कि इस गिरावट के साथ एक नैतिक गिरावट भी शुरू हो गई है। आज जो नैतिक गिरावट आई है वैसी गिरावट कभी देखने में नहीं आई है।

लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी सरकार कटिबद्ध होकर इन अभावों की पूर्ति करेगी और जनसाधारण के स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करेगी तो हमें निराशा नहीं होनी चाहिये हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार इन अभावों को दूर करने में समर्थ होगी और जो हमारा नैतिक पतन है उसको ऊंचा करने में सफल होगी।

किसानों के सुखी होने की एक बात एक माननीय सदस्य ने कही है। यह हमने जरूर सुना है कि कुछ सोना-चाँदी उन लोगों के पास हो गया है लेकिन मुझे ऐसा विदित है कि जनसाधारण या किसान के सुखी होने की बात पूर्णतः सत्य हो। यह निश्चित सत्य है कि किसानों में जो कुछ कैपिटलिस्ट (capitalist) हैं या कुछ अधिक भूमि वाले हैं वे पहले से सुखी हैं लेकिन जो साधारण किसान है उसकी जो दशा है उसको देखते हुये संतोष नहीं होता है। जैसे उसको पहले आर्थिक कष्ट था या वस्त्र का कष्ट था हम उसे अभी वैसे ही देखते हैं। यह जरूर है कि कुछ सोना-चाँदी उसके पास हो गया है उसका कारण यह है कि उसकी उपज का भाव जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से सोना और चाँदी का भाव नहीं बढ़ा। वह अब पहले से ५ गुना पर खेती की पैदावार बेचते हैं और ३ या ४ गुना पर वह सोना-चाँदी खरीदते हैं। इसलिये हम देखते हैं कि किसानों के घर में सोना और चाँदी अवश्य आ गया है। मगर इसमें कोई ईर्ष्या की बात नहीं होनी चाहिये।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

संबोधन के पीछे संकेत किया गया है कि जमींदारी उन्मूलन से जनता की दिक्कतें दूर होंगी। मैं समझता हूं कि केवल जमींदारी उन्मूलन से ही जनता की दिक्कतें दूर नहीं हो सकती हैं सरकार इस तरह से गलत कल्पना कर रही है। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको भूमि मिल जायेगी। परन्तु केवल भूमि के मिलने से ही जनता सुखी नहीं हो सकती उसके लिये उन परिस्थितियों की आवश्यकता है। अगर वह पूरी नहीं होती हैं तो जमींदारी उन्मूलन से जनता सुखी नहीं हो सकती है। जमींदारी उन्मूलन से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। यदि सरकार यह समझती है कि यह बड़ा अभय दान है तो यह उसका भ्रम है। सरकार को उसमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा नहीं तो उसमें बहुत भारी खतरा हो सकता है। इसके विनाश से हमारे समाज में एक भारी उथल-पुथल होने वाली है। अगर सरकार ने उसे ठीक किया तब तो हमारा समाज ठीक चल सकेगा नहीं तो हमारे समाज में बड़ा भारी कष्ट उत्पन्न हो सकता है।

हमारी खाद्य समस्या को हल करने के सम्बन्ध में ट्रैक्टर के उपयोग की बात कही गयी है। उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मथुरा के पास माधुरी कुंड एक बड़ा कुंड लड़ाई के दिनों में सरकार ने खोला था। वह इसलिये खोला था कि जब रंगून, बर्मा और मलाया से हमारे यहाँ रबर का आना बन्द हो गया तो रबर के उत्पादन के लिये माधुरी कुंड फार्म खोला गया था। मेरा ख्याल है कि उस में करीब २५-३० लाख रुपये खर्च किये गये। परन्तु उसमें एक पौंड भी रबर नहीं हो सका।

मैं अभी काठगोदाम गया था वहाँ पर मैंने देखा कि थोड़े से फार्म बनाये गये हैं। लेकिन उसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको किस बात में कितनी सफलता मिल रही है।

एक पैराग्राफ में आबपाशी का जिक्र आया है। मैंने देखा है कि सरकार ने इस कार्य में सफलता प्राप्त करने में काफी कोशिश की है।

अब मैं शिक्षा के प्रश्न पर आता हूं। राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में एक शब्द है "नाव टेक इम्प्रूवमेन्ट इन दि फील्ड आफ एजुकेशन" (now take improvement in the field of education) इस संबंध में जहाँ तक मेरा विचार है कोई अच्छी नीति का उपयोग नहीं किया गया है। जब कोई नई योजना निकलती है तो एक विश्रृंखलता पैदा हो जाती है।

श्री इन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल का सम्बोधन है उसमें बहुत से कार्यों को प्रकट किया गया है।

जब विरोधी दल की बातें सुनी जाती हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वह यह समझते हैं कि इस सम्बोधन में कुल बातें तफसील के साथ आ जानी चाहिये थीं, यह एक असम्भव सी बात है। जहाँ तक इसके सिद्धान्तों का ताल्लुक है उसके विषय में किसी ने कोई विरोध नहीं किया।

हमारे समाजवादी पार्टी के एक मित्र ने कहा कि खाद्य के उत्पादन या खाद्य को बढ़ाने का जो प्रोग्राम था वह सफल नहीं रहा है और ऐसी हालत में, उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी योजना करनी चाहिये थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या योजना उनकी खाद्य को बढ़ाने के लिये थी। श्रीमान् इस प्रकार की विरोधी दल की बातें देखने से यह प्रतीत होता है कि उनका अपना कोई सिद्धान्त नहीं है। क्योंकि उनका यह कहना कि यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ, जब उसके अलावा वह यह नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिये था और ऐसा नहीं होना चाहिये था, कोई माने नहीं रखता। हमारे एक विरोधी पार्टी के मित्र ने कहा कि हमारा नेतृत्व अच्छा है तो यह तो साबित ही है कि हमारा नेतृत्व अच्छा है और जनता की सद्-भावना सरकार के साथ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह जो सम्बोधन है उसमें जो भी बातें रखी गई हैं और जो भी प्रोग्राम प्रगति के रक्खे गये हैं उसके विषय में कोई दो मत नहीं हो सकते हैं, तब मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनका विरोध किस बात में है?

[श्री इन्द्र सिंह]

यह मेरी समझ में नहीं आता है। हमारा नेतृत्व अच्छा है और जनता हमारे साथ है। जब कि जनता में इस कदर सद्भावना है और जनता हमारे साथ है तो मैं कहता हूं कि जनता का पूरा विश्वास हमारे ऊपर है और इसके साथ ही साथ जब यह बात स्वीकार की जाती है कि सम्बोधन के अन्दर जो भी योजना का जिक्र किया गया है उसमें सिद्धान्ततः कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिस पर किसी प्रकार का विरोध किया जा सके तब फिर इस सम्बोधन के प्रति, विपक्षी दल वालों के लिये भी, हार्दिक धन्यवाद देने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता।

इस सम्बोधन में ऐडमिनिस्ट्रेशन (administration) को सुधारने का प्रोपोजल (proposal) है। मेरे कई भाइयों ने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन तब तक नहीं सुधर सकता जब तक जो छोटे अधिकारी हैं, उनका वेतन न बढ़ाया जाय और जो बेचारे बड़े अधिकारी हैं वह देशभक्ति से लबालब भरे हुये हैं उनकी देशभक्ति का हम फायदा नहीं उठायें। मैं समझता हूं कि उन्होंने परिस्थिति का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है। वास्तविक परिस्थिति यह है कि अधिकारीवर्ग में ईमानदारी का अभाव है। ईमानदारी गरीब में मिलेगी और अमीर में भी है महज अमीर ही ईमानदार होने का दावा नहीं कर सकता है। ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो खराबी है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं अधिकारियों के ऊपर है जो कि देश के प्रति अपने कर्त्तव्यों को नहीं समझते हैं और अपने कर्त्तव्यों से विमुख हो गये हैं, जो अपने भत्ते, अपनी पोस्टिंग (posting) और अपने ट्रान्सफर (transfer) के अलावा किसी बात का ध्यान नहीं करते हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिये किसी बात की परवाह न करके, जनता का कोई ख्याल नहीं करते। मैं समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिये यह जरूरी है कि उनको ठीक किया जाय। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है और कर रहे हैं सरकार ने यह अच्छा प्रयोजन किया है कि डिसिप्लनरी ऐक्शन (disiplinary action) शीघ्रता के साथ लिया जाय। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जब तक डिसिप्लिन को रखने के अधिकार का डिपार्टमेंट के हेड (head) फायदा नहीं उठाते और अपने डिपार्टमेंट को इस तरह से चलाते आयें जिस तरह से वह चलता रहा है तो सुधार नहीं हो सकता है। उन नियमों का प्रतिपादन ठीक तरह से होना चाहिये और अगर डिपार्टमेंट अपना काम एफीशियेन्टली (efficiently) नहीं करता है और अपने को नहीं सुधारता है और यह देखा जाता है कि उसकी इनएफ़ीशियेन्सी (inefficiency) नहीं हटती तो उसके आफिसर को हटा दिया जाय। मैं समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन इसी प्रकार सुधर सकता है। मुझे आशा है कि हमारे अधिकारी वर्ग इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे और सरकार की इस बात में हर तरह से सहायता करेंगे। सरकारी एफीशियेन्सी भी इसी तरह से बढ़ सकती है और आफिसर भी अपने कर्त्तव्य का पालन इस तरह से कर सकते हैं।

श्रीमान्, राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में हमारे जीवन के मुख्य पहलू आ गये हैं। एक मुख्य बात जो उसमें कही गई है, वह शिक्षा के विषय में कही गई है कि शिक्षा में किस तरह से तरक्की हो और यह दिखाया गया है कि इतनी तरक्की शिक्षा में हुई है और इतनी तरक्क़ी उसमें इस तरह से होनी है। उन कार्यों का भी उसमें जिक्र किया गया है जिनको कि कन्सोलिडेट (consolidate) करना है। मेरे माननीय मित्रों ने टीचरों की कम तनख्वाहों के बारे में बहुत कुछ कहा है और यह कहा है कि उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिये। जहाँ तक टीचरों की तनख्वाह बढ़ने का सवाल है तो यह बढ़ने से ही उनमें वह स्थिरता और नैतिकता नहीं आ जाती है जिसकी आज हमारे शिक्षक समुदाय में आवश्यकता है।

***श्री बालकराम वैश्य**--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में इन तमाम बातों को रखा है, जिन पर कि बहस हो रही है, मैं समझता हूं कि वह काफ़ी हैं। इन तमाम बातों को जो इसमें आगे बढ़ने के लिये रखी गई हैं, कोई भी बात ऐसी

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

नहीं है जिससे हमारे देश को किसी तरह से भी हानि हो। मगर देखना यह है कि राज्य संचालन का कार्य सुचारु रूप से चलाते हुये हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों को पेश करते हुये राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में यह बतलाया है कि आगे हमें किस तरह से कार्य करना है और कोई वजह नहीं है कि हम आगे बढ़ते हुये जनता को भलाई न पहुंचायें।

यहाँ पर कई तरह से आक्षेप किया गया परन्तु यह नहीं सोचा गया कि इसके पीछे क्या बात है। यहाँ कोई बात आपके सामने रखी जाय, आप क्रिटिसिज्म (criticism) कर सकते हैं लेकिन क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के लिये है उसकी अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को देखना चाहिये। एक सामयिक प्रश्न यहाँ पर लाया गया, कृषक और श्रमिक के बारे में और यह कहा गया कि उनका सुधार नहीं किया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी परिस्थिति जो ५ साल पहले थी उसे अब अगर देखें तो स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जो दिक्कतें उनके सामने पहले थीं वह अब नहीं हैं। उनकी परिस्थिति पहले से कहीं अधिक सुधर गई है और उनकी आर्थिक दशा भी पहले से अच्छी हो गई है। यदि हम गाँव में जाकर के उनके साथ बातचीत करें और उनकी परिस्थिति को देखें तो स्वयं अनुभव कर सकते हैं। मुझे उनकी परिस्थिति को ७ साल पहले भी देखने का मौका मिला था और अब की भी एलेक्शन के सिलसिले में देखने का मौका मिला। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि उनकी इस राज्य-काल में परिस्थिति सुधरी न होती तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे मित्र इस भवन में और असेम्बली में एलेक्ट होकर न आते। मैं तो यह कह सकता हूं कि एलेक्शन का जो रेजल्ट (result) है वही हमारे पास कहने का मौका है कि हम पर उनका विश्वास है और उन पर हमारा विश्वास है। यदि ऐसा न होता तो वह हमको निर्वाचित करके न भेजते। हाँ यह जरूर है कि जिन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है उन्होंने विचार नहीं किया है कि उनकी परिस्थिति क्या है। श्रमिकों की जो हालत है उनके बीच में जाकर बातचीत करे तो मालूम होगा कि उनको आगे बढ़ने से रोकने वाली जो पार्टियाँ हैं जो समय-समय पर जाकर उनको वरगलाया करती हैं और उनमें बेदारी पैदा करती हैं और कोशिश करती हैं कि सरकार के प्रति उनमें घृणा पैदा हो, वह उनको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। मैं यह कहूंगा कि जब हमारा देश इतनी मुसीबतों से गुजर रहा है, जो देश की पार्टियाँ हैं जिनमें सच्ची देश के प्रति भावना है वह ऐसा काम न करें जिससे देश का नुकसान हो। वह स्ट्राइक्स (strikes) न करायें। स्ट्राइक्स कराने से कारखाने बन्द होते हैं और देश का उत्पादन कम होता है और उससे देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती है। उससे हमारे देश में विदेशी माल की खपत होती है। अगर हमें अपने देश का आर्थिक ढांचा ठीक करना है तो सबसे पहले हमको यह बातें छोड़ देनी चाहिये जो उत्पादन में बाधक हैं। आपको चाहिये कि उनमें राष्ट्रीय भाव पैदा हों, न कि राष्ट्रीय भाव पैदा करने के बजाये राष्ट्रीय सरकार के प्रति घृणा पैदा करें। मैं यह जरूर उन से कहना चाहता हूं कि अब तक जो कुछ किया वह किया परन्तु अब मेरी सलाह तो उनसे यही है कि कम से कम श्रमिकों में बेजारी पैदा न करें और श्रमिकों को ऐसी सलाह दें कि वह रष्ट्रीय भाव रखते हुए देश के उत्पादन को बढ़ायें। किसानों में ऐसा प्रचार करें जिससे देश के प्रति उन में राष्ट्रीयता के भाव हों और वह अपने उत्पादन को बढ़ायें। यह जरूर है कि मेरे भाई यह समझते हैं कि एक एजीटेशन (agitation) करने से, उन में बेचैनी बढ़ाने से उनका नेतृत्व जरूर कायम हो सकता है। परन्तु पिछला जो तजुर्बा अभी मिल चुका है उससे उनको इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि उस झूठे नेतृत्व से जनता का विश्वास उन पर नहीं हो सकता। अगर वह जनता का विश्वास चाहते हैं तो एक झूठी लालसा, जो उनमें है, नेता बनने की, उसे त्याग कर एक सच्चे नागरिक की तरह आगे बढ़ें और जनता में ऐसी भावनायें पैदा करें कि उनमें जनता का विश्वास बढ़े, चाहे किसी भी पार्टी को वह बिलाँग (belong) करते हों। अगर वह सही प्रोग्राम लेकर जनता में जायेंगे, जनता में काम करेंगे तो अवश्य उनको उससे बल मिलेगा। परन्तु ऐसे प्रचार से जिससे जनता खुद उनसे रुष्ट हो जाये उन पर जनता का विश्वास न रहे, उनको कोई फायदा नहीं हो सकता।

श्री प्रतापचन्द्र आजाद--अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव शुभमूर्ति महामान्य राज्यपाल को धन्यवाद देने को रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी समझ में जो संबोधन राज्यपाल महोदय ने दिया है शायद उसमें जितनी भी देश की और हमारे प्रान्त की बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं वह सब आ गई हैं। कोई भी बात, कोई भी समस्या मेरे विचार में ऐसी नहीं रही जो राज्यपाल के संबोधन में न आई हो। उन्होंने जिन खास-खास बातों की ओर संकेत किया है मैं समझता हूं कि वह बातें ऐसी हैं कि जिनकी ओर हम और जो हमारे अपो-जीशन में बैठे हुए मेम्बर्स हैं, वह भी ध्यान दें और कार्यरूप में परिणित करने की कोशिश करें तो मैं यह समझता हूं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

श्रीमान् जी, सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने जो संशोधन किया है उसमें उन्होंने देश की खाद्य समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो योजना अन्न पैदा करने के लिए बनाई गई हैं वह सराहनीय है। कोई भी आदमी जो सरकार की कठिनाइयों को और सरकार की मुश्किलात को ध्यान में रखता है वह यह नहीं कह सकता कि सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया।

शुभ मूर्ति महामान्य राज्यपाल ने कहा है कि इस कठिनाई को हल करने में ९ करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त सरकार ने बहुत सी बंजर जमीन को जुतवाया है और लाखों बीघा जमीन जोती जा रही है। उसके अन्दर लाखों मन गल्ला पैदा हुआ है जिससे हमारी खाद्य समस्या बहुत कुछ हल हुई है। अभी जमींदारी का जो खात्मा हो रहा है उससे भी मैं समझता हूं कि हमारी खाद्य समस्या को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। हजारों बीघा बंजर जमीन पड़ी है जिसको जमींदारों ने अपने कब्जे में कर रखा था जिनका कोई मूल्य नहीं था। जमींदारी उन्मूलन के बाद वह जमीन सरकार के कब्जे में आ जायेगी। मेरा ख्याल है कि उस जमीन को अगर सरकार गल्ला बोने के लिये काश्तकारों को देगी तो खाद्य समस्या बहुत हदतक हल हो जायेगी। उसमें राज्यपाल ने कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ ध्यान दिलाया है जिससे हमारी खाद्य समस्या और काश्तकारों की समस्या हल हो सकती है यदि कोआपरेटिव फार्मिंग को अमल में लाया जाय। इसलिये नहीं कहा जा सकता है कि खाद्य समस्या के हल करने का सुझाव राज्यपाल ने नहीं पेश किया है।

मैं समझता हूं कि हजारों की संख्या में नये प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। क्या यह गौरव की बात नहीं है कि हमारे प्रान्त में ६ या ७ प्रतिशत आदमी पढ़े-लिखे थे बाकी लोग अंगूठे लगाते थे, लेकिन ५ या ६ साल की कोशिश के बाद अब वह संख्या पांच और छः नहीं रही है। अब वह संख्या २० या २५ प्रतिशत पर पहुंच गयी है। श्रीमान् जी,इतने बड़े प्रान्त में जहां साढ़े छः करोड़ के करीब लोग बसते हैं उनकी समस्या एक महीने के अन्दर या एक साल के अन्दर हल नहीं हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जितना धन कालेजों और यूनिवर्सिटियों में खर्च होता है उसका आधा धन प्राइमरी स्कूलों में खर्च किया जाय तो अन-पढ़ों की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है। अभी हमारे माननीय सदस्य डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिफीसिट (deficit) है। वहां के प्रोफेसरों को दो महीने का वेतन नहीं मिला है। आजकल जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अन्दर जितनी पार्टीबाजी है, कहा नहीं जा सकता है। यूनीवर्सिटी को बनाने के बजाय इन कामों में अधिकतर लोग फंसे रहते हैं। मेरा ख्याल है कि ज्यादा प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल खोले जायं।

बरेली कालेज में जहां कि जनता का इंतजाम है वहां का इंतजाम खराब है। सरकार ने कमेटियां बनाकर वहां की जांच कराई लेकिन वहां पर इतनी पार्टीबाजी है, झगड़ा है कि एक छोटा सा कालेज जो कि यूनिवर्सिटी का अंग है उसमें सरकार कोई सुधार नहीं कर पाई है। इसलिये जहां यूनिवर्सिटी के अन्दर उच्च श्रेणी की शिक्षा दी जाती है वहां पर व्यर्थ में पार्टीबाजी आदि में धन खर्च होता है। इस ढंग से विकास योजना के संबंध

में राज्यपाल महोदय ने जो संबोधन दिया है उसमें बहुत सी बातें नहीं दी हुई हैं। गांवों के अन्दर रोड्स (roads) बनाई गई हैं, कैनाल्स (canals) खोदी गई हैं। बिजली का ऐसा इन्तजाम किया जा रहा है कि बहुत से गांवों में, कस्बों में जहां पर बिजली नहीं है वहां पर आ जाये। मुझे इस बात की भी आशा है कि जो छोटी-छोटी बिजली की कम्पनियां हैं जिनका काम सिर्फ पैसा कमाना है जैसे मार्टिन कम्पनी, सरकार जल्दी ही उनको अपने कब्जे में कर लेगी और बिजली का इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी। इसी तौर से मजदूरों की हालत सुधारने की ओर भी संकेत किया है। मैं समझता हूं कि मजदूरों की हालत में कुछ सुधार हुआ है। आपको मालूम है कि किसी जमाने में शुगर फैक्ट्री में मजदूरों की तनख्वाहें कम से कम २२ रुपया थीं आज कम से कम ५५ रुपया है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी हालत में कुछ सुधार ही नहीं हुआ या उनके सुधार के लिये कुछ किया नहीं गया। मजदूरों की हालत में और सुधार लाने के लिये और योजनायें बनाई गई हैं। लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि बहुत सी योजनायें कार्यरूप में परिणित नहीं हुई हैं और अभी मजदूरों की हालत इस योग्य नहीं है कि हमें पूरा संतोष हो। इस ढंग से हमारे विरोधी दल के मेम्बरों ने ऐसी बातें कही हैं कि मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया है। कोई ठोस बात नहीं बतलाई गई। इसमें ज्यादातर इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार ने यह नहीं किया है, वह नहीं किया है, सरकार यहां पर असफल रही है, लेकिन मैं तो यह जानने के लिये तैयार था कि विरोधी दल के लोग क्या सुझाव देते हैं।

श्री शिव सुमरन लाल जौहरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में इस सदन के सम्मुख धन्यवाद का जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसमें मैं भी अपनी राय शामिल करना चाहता हूं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मेरी राय में इस सम्बोधन में उल्लेख होना आवश्यक था किन्तु वह उल्लेख है नहीं और कुछ बातें ऐसी हैं जो सम्बोधन में कही गई हैं किन्तु उनके बारे में पूर्ण सत्य का उल्लेख नहीं है। इन omnissions के लिये मैं राज्यपाल महोदय या सरकार को दोष नहीं देता हूं बल्कि यह दोष उस मशीनरी का है जो सूचनाएं एकत्रित करती हैं जिसके आधार पर संबोधन तैयार होता है। इस सत्य को कहने का साहस मुझे इसलिये होता है कि महामान्य राज्यपाल ने स्वयं अपने संबोधन में इस बात का संकेत किया है कि प्रबन्ध करने वाली मशीनरी inefficient है और clean नहीं है उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि वे उसे efficient और clean बनाने की चेष्टा करेंगे। कोई सुधार उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक कि त्रुटियों का पता न चल सके, इसलिये राज्यपाल महोदय के साथ उक्त कार्य में सहयोग देने की भावना से ही मैं सम्बोधन में होने वाले ommissions का यहाँ हवाला देने को खड़ा हुआ हूं। मेरी यह धारणा है कि यदि मैं ऐसा न करूं तो मैं राज्यपाल महोदय, सरकार तथा अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता हूं।

बहुत से विषयों पर इस सदन में बहस हो चुकी है। फिर भी कुछ ऐसे विषय छूट गये हैं जिनपर अब तक किसी ने अपने विचार या तो प्रगट नहीं किये और किये हैं तो विषय की वास्तविक बातों पर कुछ भी नहीं कहा है। जिन विषयों पर विचार हो चुका है, उनको दोहरा कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल उन्हीं बातों पर प्रकाश डालूंगा जो आवश्यक हैं और जो पूर्व वक्ताओं का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी थीं।

सबसे पहिले मैं labour problem पर कहना चाहता हूं। जिन लोगों ने अब तक इस बारे में कुछ थोड़ा-बहुत कहा है उससे मुझे यह प्रतीत होता है कि वास्तव में उन्हें labour problem का कोई ज्ञान ही नहीं है। मैं तो एक मजदूर हूं, मजदूर वंश में जन्म लिया हूं और मजदूर वातावरण में पाला-पोसा गया हूं और मुझे गर्व है कि मजदूरों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा है। मैंने उन्हें निकट से देखा है। उनकी दशा

[शिव सुमरन लाल जौहरी]

का लगनपूर्वक अध्ययन किया है इस लिये मैं कह सकता हूं कि केवल यह कह देना काफी नहीं है जैसा कि कई पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि सरकार ने मजदूरों की हालत बहुत अच्छी कर दी है इसलिये मजदूरों को सन्तुष्ट होना चाहिए। मैं जानता हूं कि पिछली बार जब कांग्रेस सरकार इस प्रदेश में बनी तब से उसने अनेकों कार्य मजदूरों के हितों के लिये किये। उनकी हालत भी सुधारी और मजदूरों को लाभ भी पहुंचा, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि अब उनकी कोई कठिनाइयाँ नहीं हैं या यह कि उपरोक्त अहसानों से दबकर वे अपनी व्यथा को न कहें जो कुछ अंशों में पहले से भी कहीं अधिक गंभीर है। जो कुछ भी कार्य सरकार ने मजदूरों की भलाई के किये हैं उनको मैं प्रारम्भ मानता हूं। मैं उनका किसी तरह पर भी अन्त (end) मानने को तैयार नहीं हूं। उनके सम्बन्ध में अभी सरकार को बहुत कुछ करना है और उसके करने से पहले वास्तविक दशा का उसे पूर्ण ज्ञान पैदा करना होगा।

महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में कहा है कि पिछले कई महीनों में प्रदेश में श्रम शान्ति (labour peace) रही है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यदि श्रम शान्ति के यह अर्थ लगाये जाते हैं कि सरकार को गोली चलाने अथवा लाठी चार्ज करने पर विवश नहीं होना पड़ा तो गोरखपुर में गोलीकांड हो जाने पर भी मैं कुछ भी कहना पसन्द नहीं करूंगा, लेकिन यदि श्रम शान्ति के अर्थ यह हैं कि वास्तव में मजदूर का हृदय शान्त रहा है तो क्या वह वास्तव में निराशा से दूर रहा है और क्या वास्तव में उसके दिल पर चोटें नहीं लगी हैं, तो मैं फिर कहूंगा कि इसका जवाब इस बात से मिल सकेगा कि मालूम किया जावे कि उपरोक्त अवधि में कितने मामले conciliation adjudication में गये, कितनी अपीलें labour appallate tribunal में दायर की गईं, कितने फैसले हुए और कितने मामले कितनी मुद्दत से अन्तिम निर्णय के लिये खिंच रहे हैं, कितने फैसले हो चुके हैं, उनमें से कितने implement हुए हैं और कितने नहीं और जो implement नहीं हुए हैं वह किस कारण नहीं हुए हैं। उनको implement कराने की सरकारी मशीनरी ने क्या कोशिश की है और उस कोशिश के असफलता के क्या कारण हैं। उपरोक्त सूचना प्राप्त करने पर राज्यपाल महोदय को पता चल जावेगा कि वास्तव में labour peace रही है या असन्तोष रूपी ज्वालामुखी पहाड़ का निर्माण होता रहा है।

मैं राज्यपाल महोदय का ध्यान १५ मार्च सन् १९५० ई० के सरकारी आदेश की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जिसके द्वारा मजदूर अधिकार रूप से किसी झगड़े का न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकता है, यदि सरकार चाहे तो उसके झगड़े को तय करने के लिये पंच नियुक्त हो सकता है अन्यथा नहीं। जो सरकारी मशीन है वह तो महामान्य राज्यपाल महोदय की ही दृष्टि में inefficient है इसलिये यदि मैं स्पष्ट रूप से कह दूं तो बेजा न होगा कि वास्तव में इस inefficiency के कारण से प्रायः महत्वपूर्ण औद्योगिक झगड़े भी पंच फैसले को उस समय तक नहीं भेजे जाते हैं जब तक सरकार और लेबर कमिश्नर के कार्यालयों पर हाजिरी देकर उन पर पुनः विचार नहीं कराया जाता है। विचारणीय बात है कि क्या यह सब कुछ प्रत्येक मजदूर के लिये संभव है? कितने ही ऐसे मजदूर हैं जो उपरोक्त सरकारी आदेश द्वारा न्याय से वन्चित हो गये हैं फिर Procedure बड़ा पेचीदा और देर तलब हो गया है। पहले Conciliation Board फिर adjudication फिर Labour appallate Tribunal में अपीलें और उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण यह सब स्टेजेज पार करने में केवल अधिक पैसा ही नहीं खर्च होता है, जो मजदूर के Resources से प्रायः बाहर की बात है, बल्कि समय इतना लगता है कि मजदूर का धैर्य टूट जाता है। ऐसे उदाहरण हैं भी कि दो-दो दिन का वेतन प्राप्त करने को उससे

कहीं अधिक पैसा और वर्षों का लम्बा समय लग जाता है और उससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सब रास्तों को तय करके कोई अन्तिम फैसला प्राप्त भी होता है तो प्रायः वह implement नहीं होता है और सरकार ने जो मशीनरी implementation के लिये Provide की है वह बिल्कुल ineffectuous है । कोई कोई ऐसे भी Labour Problem हैं जिनको चार वर्ष हो गये हैं, उनकी जाँच ही पूर्ण नहीं हो सकी है, फैसले की कौन कहे ।

सबसे अधिक खेदजनक बात वह है जो एलेक्ट्रिक वर्कर्स के ऊपर बीती है । सरकार ने ६ दिसम्बर, १६४८ ई० को एक आदेश निकाला था जिसके द्वारा एलेक्ट्रिक कम्पनियों में काम करने वाले मजदूरों की Basic wage और महंगाई-भत्ते को नियत किया गया था । Martin group बिजली कम्पनियों के मजदूरों के सम्बन्ध में एक झगड़ा उठा कि उपरोक्त आदेश के अनुसार Basic wage वह मानी जावे जो नवम्बर में मजदूरों को मिल रही थी या वह जो फरवरी में मिल रही थी सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया । मामला प्रादेशिक औद्योगिक ट्राइबुनल में निर्णय के लिए भेजा गया वहाँ से मजदूरों की हार हुई तब वे उस मामले को Labour appallate Tribunal में ले गये हजारों रुपया खर्च किया और काफी समय लगाया । वहाँ से वह सब कठिनाइयाँ उठाकर जब फैसला मजदूरों के पक्ष में हो गया है और अब तक की बकाया लगभग ६ लाख रुपया मार्टिन कम्पनी के नाम निकला तो सरकार ने बिना किसी जाँच के मार्टिन की यह बात अक्षरशः स्वीकार करके कि यदि इतनी रकम उनको देनी पड़े तो उन्हें बड़ा घाटा हो जायगा, और वे बिजली के दाम बढ़ाने पर मजबूर हो जायेंगे धारा १५ Industrial Disputes (Labour appallate Tribunal) का सहारा लेकर Highest gudicial authority of the law in Industrial disputes के फसले को बदल दिया और आदेश दे दिया कि उपरोक्त ६ लाख के बजाय केवल डेढ़ लाख रुपया ही मजदूरों को दिया जावे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा महामान्य राज्यपाल से पूछना चाहता हूं कि उपरोक्त काँड अभी हाल ही में हुआ है क्या वे समझते हैं कि सरकार के उपरोक्त कार्य से मजदूरों में शान्ति होना चाहिए ? हाँ मजदूरों को सम्भवतः कुछ शान्ति हो जाती अगर सरकार उपरोक्त आदेश देने से पहिले मार्टिन कम्पनी के हिसाब की जाँच करा लेती और मजदूरों को मौका देती कि वह उसके हिसाब के जादूगरी को प्रकाश में ले आते और बता देते कि झूठे और फर्जी हिसाब सर्वसाधारण सरकार और मजदूरों को धोखा देने को रखे जाते हैं । अभी हाल में सरकार ने पीलीभीत की बिजली कम्पनी के हिसाब की जाँच किये जाने का आदेश दिया है । पीलीभीत बिजली कम्पनी के हिसाब जाँचे जा सकते हैं तो मार्टिन के हिसाब क्यों नहीं जांचे जा सकते हैं । फिर यदि यह सरकार का अटल निश्चय मार्टिन कम्पनी की सहायता इस unprecedented way में करने तक का था तब तो यही अच्छा होता कि इतने मजदूरों को परेशान न किया जाता और सरकारी आदेश निकाल कर प्रारम्भ में ही उनका मुंह बन्द कर दिया जाता । मेरे विचार से यह इतना महत्वपूर्ण मामला था जिस पर महामान्य राज्यपाल को अपने संबोधन में अवश्य प्रकाश डालना ही चाहिए था, किंतु खेद है कि उन्होंने उस पर खामोश रहना ही उचित समझा ।

मैं केवल अथारिटी निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ चुनकर आया हूं । इसलिये मेरा उत्तरदायित्व उनके प्रति भी है । मैं उनके बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं । महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में जिला बोर्डों पर और पंचायतों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने, कार्पोरेशनों के बनाने और कुछ बड़ी-बड़ी म्युनिसिपल बोर्डों के बारे में कुछ कहा है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पंचायतों और जिला बोर्डों के बीच में एक यूनिट टाउन एरियाओं की भी है । कोई कारण समझ में नहीं आता कि उसको राज्यपाल महोदय क्यों भूल गये ? उनकी ओर भी उनके विकास और सुधार के लिये सरकार को कुछ करना चाहिए, उनके finances बड़े limited हैं और बिना सरकार की सहायता के वे उन्नति नहीं कर सकते हैं । जिला बोर्डों की भी financial दशा बहुत ही नाजुक है । कहीं-

[शिव सुमरन लाल जौहरी]

कहीं चौदह-चौदह महीनों का वेतन teachers को नहीं मिला है केवल पंचायतों और जिला बोर्डों के बीच रिश्ता कायम हो जाने से कोई भलाई नहीं हो सकती है। उनके finances को ठीक करने के लिये उत्तरदायित्व को सरकार को निभाना चाहिए--अब चूंकि मेरा समय समाप्त हो चुका है इसलिये किसी और विषय पर मेरे लिये कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ पब्लिक हेल्थ के लिये दो सदस्यों के चुनाव की घोषणा

चेयरमैन--पाँच बजे हैं और कौंसिल का काम ५ बजे खत्म कर दिया जाता है। स्थगित करने से पहले मुझे तीन घोषणायें करनी हैं। बोर्ड आफ पब्लिक हेल्थ के दो मेम्बरों का चुनाव होना था चूंकि इसके लिये सिर्फ डाक्टर बी० बी० भाटिया और हकीम बृजलाल ही के नाम आये हैं इसलिये मैं घोषित करता हूं कि डाक्टर बीरभान भाटिया और श्री हकीम बृजलाल प्राविंशियल हेल्थ बोर्ड, उत्तर प्रदेश के मेम्बर निर्वाचित हो गये हैं।

उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड के लिये एक सदस्य की चुनाव की घोषणा

चेयरमैन--उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड के लिये एक मेम्बर का चुनाव होना था, चूंकि उसके लिये भी सिर्फ श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी का नाम आया है इसलिये मैं घोषित करता हूं कि श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड के सदस्य निर्वाचित हो गये।

यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट्स कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव

चेयरमैन--यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट्स कमेटी के लिये भी सिर्फ एक ही मेम्बर का चुनाव होना था। उसके लिये दो माननीय सदस्यों के नाम आये हैं। एक श्री दीपचन्द्र जी का और दूसरा डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी का। इसके लिये कल एक बजे निर्वाचन होगा।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल के लिये डिप्टी चेयरमैन के पद के लिये चुनाव की तारीख का निश्चय किया जाना

चेयरमैन--कौंसिल के नियमों के अनुसार चेयरमैन को निश्चय करना पड़ता है कि किस तारीख को डिप्टी चेयरमैन का चुनाव हो। इसके लिये मैं २७ मई निर्धारित करता हूं। उसके एक दिन पहले यानी २६ तारीख को १२ बजे तक आप लोग नामजदगियां सेक्रेटरी के पास दे देंगे।

पैनल आफ चेयरमैन की घोषणा

चेयरमैन--रूल १४ के सब रूल (१) के अनुसार एक पैनल आफ चेयरमैन भी मुझे घोषित करना पड़ता है।

रूल यह है :--

"14. (1) At the commencement of every session, the Chairman shall nominate from amongst the members of the Council a panel of not more than four members, any one of whom may preside over the Council, in the absence of the Chairman and Deputy Chairman when so requested by the Chairman, or in his absence by the Deputy Chairman.

(2) The panel nominated under sub-rule (1) shall continue until a new panel is nominated"

मैं इस समय सिर्फ एक नाम डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप का घोषित करता हूं और बाकी नाम फिर घोषित करूंगा ।

सदन का कार्यक्रम

चेयरमैन--ऐड्रेस (पर बहस) कल भी जारी रहेगी। आज करीब २५ या २६ सदस्य अपनी राय जाहिर कर चुके हैं और कल के लिये अभी १२ या १३ नाम मेरे पास हैं। उसके बाद फिर ३ या ४ मिनिस्टर भी सरकार की तरफ से बोलेंगे तो उन्हें भी समय देना होता है। मैं जानना चाहता हूं कि कल हम लोग किस वक्त इकट्ठा हों। मेरा ख्याल है कि ११ बजे से मेम्बर शुरू करें और फिर २ बजे से ५ बजे तक का समय मिनिस्टरों को दिया जाय।

हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)--११ बजे से ही शुरू किया जाय।

श्री राजाराम शास्त्री--आप २ बजे से ५ बजे तक यानी तीन घंटा मिनिस्टरों को देना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक मिनिस्टर एक घंटा बोलेगा। मेरी प्रार्थना है कि इसमें से कुछ समय कम कर दिया जाय और दो चार मिनट और ज्यादा इन बारह सदस्यों को दिये जायं। वह केवल प्रार्थना है।

चेयरमैन--क्या आप केवल अपने आपको ही सुनाना चाहते हैं ?

श्री राजाराम शास्त्री---अपने आपको भी सुनाना चाहते हैं और उनको भी सुनाना चाहते हैं। अगर आधा घंटा हर मिनिस्टर को दिया जाय तो ठीक होगा।

माननीय वित्त मंत्री--अगर आप इजाजत दें तो आप ही बोलें और हम न बोलें। हमेशा से इस हाउस में ऐसा ही होता है कि पहले सदस्य बोल लें और आधे दिन के बाद मिनिस्टर जवाब दे देते हैं।

चेयरमैन--हाउस को इस बात के लिये पूरा अधिकार है। अगर आप १२ घंटे भी बोलना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी तक जो प्रथा थी वह मैंने आपसे कह दी। डेढ़ दिन बहस होती है और आधे दिन में जवाब दे दिया जाता है। फिलहाल कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ५ बजकर ५ मिनट पर दूसरे दिन अर्थात् २३ मई सन् १९५२ तक ११ बजे तक के लिये स्थगित की जा रही है।)
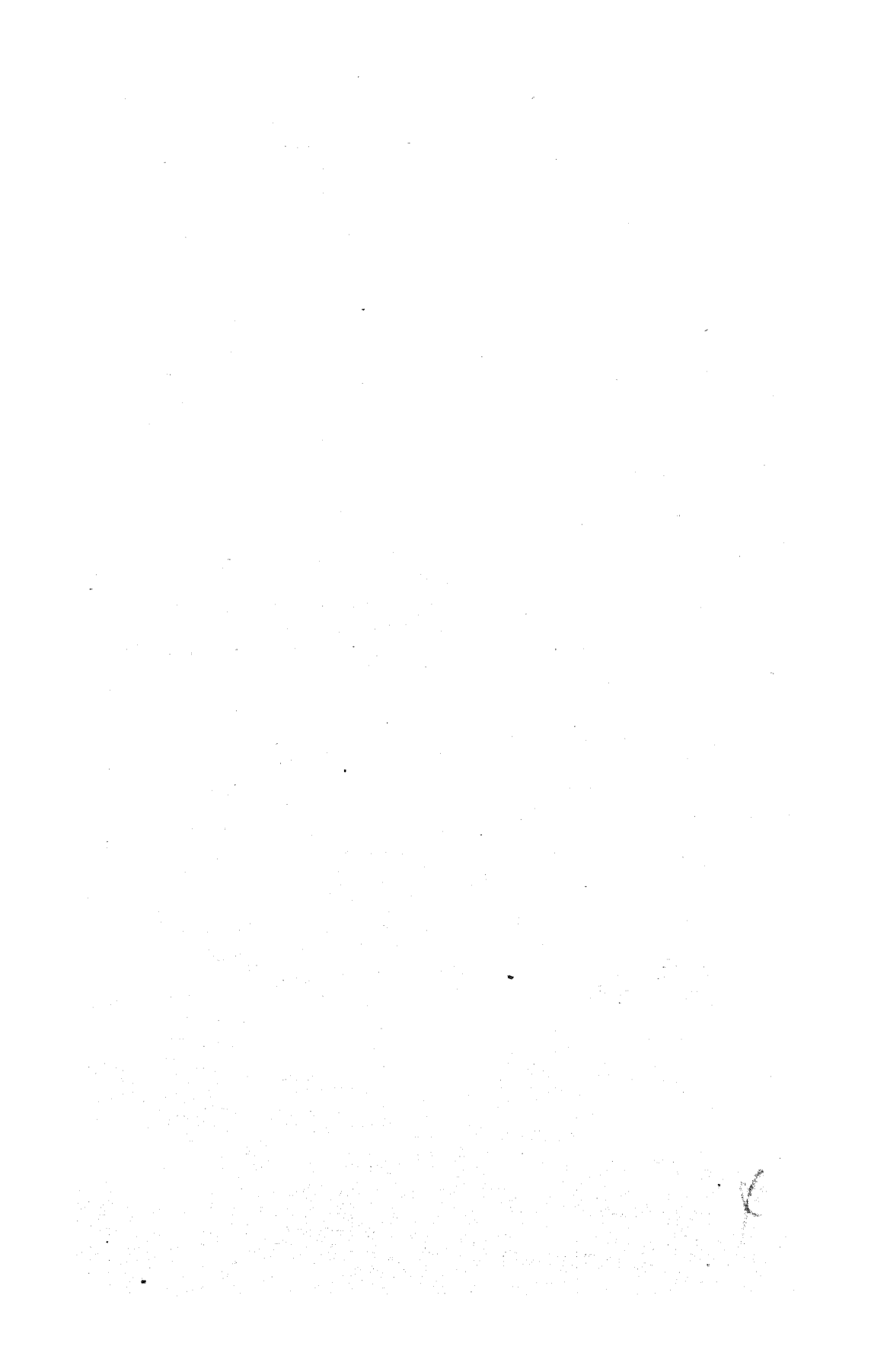
श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२२ मई सन् १९५२ ई०।

पी० एस० यू० पी०--१९ एल० सी०--१९५२--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (६३)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डा०
उमानाथ बली, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीपचन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डा०
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बीरभान भाटिया, डा०
बेनी प्रसाद टंडन, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
बृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मकुट बिहारी लाल, प्रो०
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामकिशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
शान्तिस्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री) भी उपस्थित थे

श्री राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद का प्रस्ताव

*डा० बृजेन्द्र स्वरूप—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने ख्यालात गवर्नर के ऐड्रेस (address) के मुतालिक जाहिर कर देना चाहता हूं। बल्कि मैं तो यह बतला देना चाहता हूं कि अगर कान्स्टीट्यूशन को या हमारे कवायद को पढ़ा जाय तो हमको यह मालूम होता है कि स्कोप आफ डिस्कशन (scope of discussion) कहाँ तक हमें इजाजत देता है। जहाँ तक इस डिस्कशन के स्कोप का ताल्लुक है, वहाँ कांस्टीट्यूशन से और हमारे कवायद से यह पता चलता है कि हमें वही बातें यहाँ डिस्कस (discuss) करनी चाहिए जिनका कि ऐड्रेस में जिक्र किया गया हो। इसलिये जो बातें गवर्नर के ऐड्रस में नहीं हैं उनको निस्बत यह कहना कि ऐड्रेस में नहीं हैं और उनका भी जिक्र होना चाहिए था वह मेरी समझ में स्कोप आफ डिस्कशन के बाहर है। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने तमाम तकरीरों को बड़े गौर से सुना। इधर की भी सुनी और उधर की भी सुनी, एक दूसरे पर कसूर डाला गया। मगर मैं यह समझता हूं कि यह वक्त ऐसा नहीं है कि हम इस किस्म की बातें करके अपना वक्त सर्फ करें। बल्कि बात यह है कि हमें हेल्दी कोआपरेशन (healthy cooperation) पैदा करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए जिससे मुल्क का हित हो। ऐसी बातों को मद्देनजर रखते हुये हमें काम करना चाहिए। बल्कि मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या-क्या मुश्किलात गवर्नमेन्ट के सामने थीं जब उन्होंने इस गवर्नमेन्ट की बागडोर अपने हाथ में ली, हमें इस बात पर नजर डालनी चाहिए कि यह एक ट्रान्जिशनल पीरियड (transitional period) था जिस में बहुत सी मुश्किलात को हल करना आसान नहीं था। इन बातों को अपने जहन में रखकर ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेन्ट ने जो काम किया वह काबिले कद्र काम था। मगर उसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और लोग भी जो राय दें उनकी भी कद्र की जाय, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो कोई भी कन्स्ट्रक्टिव प्रपोजल (constructive proposal) आये हैं अगर उन पर गवर्नमेन्ट विचार करे और उन पर अमल करे तो बेहतर होगा। यह कहना कि जो इस तरफ बैठे हुये हैं वे सब अपोजिशन बेन्चेज पर हैं, यह ख्याल ठीक नहीं है। अपोजिशन बेन्चेज में जो हैं इसमें शुभा नहीं के वे अपोजिशन के मेम्बर हैं, लेकिन वे भी हक रखते हैं कि अपने ख्यालात को सरकार के सामने रखें। वे जो कुछ अपने ख्यालात को जाहिर करें उन पर गवर्नमेन्ट को विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कहाँ तक सही हैं। अब मैं दो-चार बातें कह कर ही खत्म कर देना चाहता हूं क्योंकि समय कम है।

गवर्नर के ऐड्रेस में सब से ज्यादा प्रायर्टी (priority) फूड प्रोब्लेम (food problem) को दी गई है। यह सही है कि फूड प्रोब्लेम ऐसा है जिस पर जनता का सुख कायम है। अगर हमारा फूड प्रोब्लेम ठीक नहीं होता तो हमें कोई डेवलेपमेंट (development) की योजना करनी चाहिए। इसको हल करने के लिये सरकार ने इर्रीगेशन (irrigation) की स्कीम बनाई है तो जहाँ तक इर्रीगेशन का ताल्लुक है, उसके लिये मेजर (major) और माइनर प्रोजेक्ट (minor project) की तरफ ध्यान देना है। ट्रैक्टर (tractor) से भी काफी काम लिया गया है। मगर मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जहाँ तक मेजर प्रोजेक्ट (major project) की तरफ ध्यान दिया गया है वहाँ माइनर प्रोजेक्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि गवर्नर ने खुद ऐड्रेस में कहा है कि अगर हम पुराने तरीके से काश्त करने के लिये पानी दें और अगर हम पुराने तरीके से उनको पानी मोहय्या करते हैं तो बहुत कुछ इजाफा हो सकता है। हमारे सामने सब से बड़ा सवाल फूड का है कि इसमें इजाफा कैसे हो सकता है। इसको ठीक करने के लिये हमको सब से पहले कोआपरेशन (co-operation) को ठीक करने की जरूरत है। सब से पहले गवर्नमेन्ट को कोआपरेशन करना चाहिए। अगर अपोजीशन (opposition) अपने फरायज को ठीक समझता है और गवर्नमेन्ट का हाथ

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बढ़ाना चाहता है तो सरकार को उसके साथ कोआपरेशन करना चाहिए । मैं जमींदारी अबालिशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । हम सबका फर्ज है कि सरकार को कामयाब बनाने में उसका साथ दें, साथ ही सरकार को भी हमारे सहयोग को मानना चाहिए ।

दूसरा सवाल है लेबर का । अगर इन लोगों के साथ भी कोआपरेशन से काम लिया जाय तो पैदावार में काफी इजाफा हो सकता है । मैं समझता हूं कि लेबर का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर उनको सहूलियतें दी जायं तो अमाउन्ट आफ वर्क (amount of work) में इजाफा हो सकता है । उनकी डिमान्ड रोजबरोज बढ़ती जा रही हैं, अगर इस बात की तरफ कोई ध्यान न दिया गया तो बजाय तरक्की के तनज्जुली होती जायेगी । मेरा जो तजुर्बा लेबर के बारे में है उस के मुताल्लिक मैं कहता हूं कि अगर सरकार उनको कुछ फैसीलिटीज (facilities) दे तो उनकी भी हालत ठीक हो जायेगी ।

एजुकेशन के बारे में हमारे बहुत से भाइयों ने कहा है, मैं इसके मुताल्लिक थोड़ा सा कहना चाहता हूं, एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, सरकार को इस पर काफी रोशनी डालने की जरूरत है । जहाँ तक एजूकेशन का ताल्लुक है मैं इस बात पर हमेशा जोर दिया करता हूं और देता आया हूं कि यहाँ के स्टूडेन्ट्स में डिसिप्लिन (discipline) होना चाहिये और उनका जो मारेल स्टैन्डर्ड (moral standard) है वह बढ़ना चाहिये । इस बात को खास तौर पर देखा गया है कि हमारी पब्लिक में डिसिप्लिन ही नहीं, बल्कि उनका मारेल (morale) भी बिगड़ा हुआ है और इसी वजह से जो भी कार्य हम करते हैं उसमें कामयाबी नजर नहीं आती है और इस तरह से जो कामयाबी हमें अपने काम में होनी चाहिये थी वह नहीं हो पाती है । हमें एक दूसरे को समझना चाहिये और एक दूसरे के ऊपर गौर करना चाहिये ।

जहाँ तक जस्टिस का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं हो सकता है कि जस्टिस डीलेड इज जस्टिस डीनाइड (justice delayed is justice denied) मुझे बड़ी हैरत से कहना पड़ता है कि बावजूद जस्टिस होने के भी अभी बहुत सा एरियर (arrear) पड़ा हुआ है । उसका सबब खास तौर पर यह है कि जो जजेज की तादाद होनी चाहिये और जितने जुडीशियल आफिसर्स होने चाहिये उनकी तादाद उतनी नहीं है । हाई कोर्ट (High Court) में ४ सीट अभी तक खाली पड़ी हुई हैं वहाँ पर हालात यह हो गए हैं कि सन् १९३५ के भी केसेज अभी तक वहाँ मौजूद हैं और सेशन का वर्क (work) काफी एरियर्स में पड़ा हुआ है । हमारे यहाँ कानपुर का एक मुकदमा है जिसमें मैं एपियर (appear) होने जा रहा हूं वह सन् ४५ का मुकद्दमा है और अभी तक उसमें फैसला नहीं हुआ है । इस तरह से नतीजा यह हो रहा है कि सेशन वर्क जो है वह दीवानी के हाथ में हो गया है और उनको दीवानी के काम करने का मौका कम मिलता है । मैं ज्यादा इस पर अर्ज करना नहीं चाहता हूं ।

मैं सिर्फ एक तरफ और तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि मेरी समझ में इस वक्त इकानामिक क्रिसिज (economic crisis) जो है वह बहुत डीप (deep) होती जा रही है और उसको स्ट्रांग (strong) करना है । अगर इस पर स्ट्रांगली (strongly) और इफेक्टिवली (effectively) काम नहीं किया जायगा तो मैं समझता हूं कि देश में एक क्रिसेज पैदा हो जायेगी । गवर्नमेन्ट को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और न खाली गवर्नमेन्ट को बल्कि हम लोगों को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये । आज जो इकोनामिक क्रिसेज है और जिसे हम आज देख रहे हैं उसको कम करने के बारे में जितना सहयोग हम दे सकते हैं हमें गवर्नमेन्ट को देना चाहिये । इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वक्त कम है और अगर मैं बोलता रहूं तो अन्य मेंबरों को बोलने का समय नहीं मिल सकता है ।

*Sri Har Govind Misra: I think, Sir, that the address of His Excellency the Governor is a remarkable cross-section of all the activities of Government Departments. In a concise form His Excellency has given a clear conception of what beneficient work the various

[Sri Har Govind Misra]

Departments of administration are carrying on. In a few pregnant pages with choicest phrases he has dealt with all phases of life of Uttar Pradesh. I fail to see how our hon'ble friends on the other side can ever find fault with an admirable address like the one we had the pleasure of hearing. Many phases have been dealt with and it will take considerable time to comment on them but I pick up just one item to which very rightly prominence has been given in the address and that is the food problem. To the food problem first priority has been given. Connected with the food problems, of course, are agriculture and irrigation. It is only right that in these days of scarcity when famines and starvation are staring us in the face, priority should be given to this work. Sir, it is easy enough for people to criticise, condemn and complain and most people usually confine their activities to criticising and condemning. But if you look at the colossal work which within the last few years our Government have done, we feel amazed. I am quite sure that within the last 200 years no such gigantic works have been undertaken, or achieved by any Government in the world. Take your minds back to the conditions under which the British Government left us. I well remember the parting words of the last British Governor to me in a private conversation. He said "well, we have decided to leave this country, but let me warn you that you are faced with two ugly alternatives: either you go bankrupt or you go corupt. You have no finances and if you pay your services well, then you go bankrupt. On the other hand, if you do not pay them well, then they go corrupt." I am glad to affirm here that today after the struggle of the last few years we are neither bankrupt nor we are corrupt. In other words, we are as bankrupt or as corrupt as any other nation in the world. Sir, when we realize that from times immemorial and for generations after generations the tremendous volumes of water that have flown from Himalayas and other Parvats to the plains have dropped into he toccean we can see what colossal wastage of wealth has been going on for generations. our Government themselves recognized its urgency and for the first time since the days of Bhagiratha, who in mythology brought the Ganga down to the earth, water power was being harnessed for productive purposes in a large measure. Look at the vast miles and miles of land in Tarai and various other areas which were never inhabited by human beings, which were infested by mosquitoes, wolves, tigers and lions have today been turned into granaries and gardens. This is no mean an achievement. It is only right that so much emphasis has been laid on irrigation. Let us not forget that from the very dawn of history civilizations have sprung up only near the water places. Civilizations have disappeared only when water has disappeared. All our activities cultural activities, religious activities have grown around water places. It has been the ambition of our people to dig wells, to dig tanks and around them build temples, mosques and pathshalas and other cultural activities have grown there. Therefore, the Government deserve our best thanks for the colossal work which they have done in regard to irrigation. I would say by all means let other departments strave but where irrigation and agriculture is concerned, fullest possible effort should be made and it has been made. For this alone our Government deserve our thanks.

I have been listening to the speeches of our honourable friends on the other side. I must confess they were remarkable feats of oratory but I have not been impressed by them. One of our honourable friends remarked that His Excellency's speech is just a *chalti phirti bat*. It is a very impressive phrase to use. May I remind through you, Sir, the honourable member that in the philosophic term of Vedanta the world in which we live "means nothing is, nothing was, everything is fleeting." Therefore,in this fleeting world if an address is full of *Chalti Phirti Bat* it is just ileal and it is just exactly as it should be.

Then, Sir, I was amazed to hear from the lips of a very great scholar for whom I have tremendous respect that on this side the Hon'ble Ministers never read history.

Sir, reading History may be one thing but here are those great giants who have won freedom for us after tremendous struggle. Men like Nehru and Pant, Hafizji and Sampurnanand are men of matchless character. They have won freedom for us and if after winning freedom they had done nothing else they were still entitled to our gratitude. But like true soldiers they are still carrying the burden of Government and they are keeping things going— not only keeping things going but have done very remarkable things which no foreign or any other Governments could have done. Sir, they are the giants who have created history what to say of reading history. I do not know whether my friend Mr. Vizzy is here. He will bear me out. He does not read history of tiger shooting, yet he shoots tigers. Sir, I am a bit of a golfer and which in America an American friend of mine gave me for reading a book of history on golf. It was a very important book. He insisted on my reading that book. The friend warned me that if I did not return it to him he would murder me. After reading that book I became incapable of action on the golf links. Such was the effect of that book of history. Sir, I returned the History book and said to my frined "I would rather be murdered than read a book on golf history." On another occasion, Sir, I was discussing German scholar in Germany. He turned round to with a philosophy me and said, "Well you have got remarkable thoughts in your books but how is it that there is no historical record in your literature." I said, "This is not the first time when this question has been put. This question was also put in Mahabharat and in a few succinct words Krishna said. "What is the use of asking the question on history." And commenting on it the great Shankar said, "गंगा बालुकानां समुद्र जलकणानां, नक्षत्राणां संख्या परिसमाप्तिरस्ति, नतु मे विभूति विस्तरस्य" 'You may caunt the grains Ganga sand. You may count the d3ps of water in the ocean, you may even count the number of stars in the heaven but if you try to count historical facts connected with my creation it just can not be done'. Great men create history they do not read it. Sir, let us remember our great leaders, before whom I bow, they have created history. So much for the history, now sir, I need not dilate upon the various other phases of His Excellency's speech. I have enjoyed the privilege of knowing him for nearly three decades. He has done a fine job and it would only be right that we from this House say to His Excellency and his chamring wife, Lady Mody, "You leave us at a time when we need you most. You are not leaving alone but behind your footsteps will follow our good wishes and good feelings and when destiny ever brings

[Sri Har Govind Misra]
you again towards us you will find us waiting with open arms to receive you."

*श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब कि इस भवन के सम्मुख माननीय राज्यपाल के संबोधन के संबंध में विवाद हो रहा है, मैं भी अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अमूमन कायदा यह होता है कि जब भी ऐड्रेस राज्यपाल की तरफ से दिया जाता है उसमें जो दल अधिकार में होता है उसके जितने भी कारनामे होते हैं रखे जाते हैं और जो भी बातें प्रान्त के लिए की जाती हैं वह उस ऐड्रेस में उल्लिखित की जाती हैं। ऐसी हालत में विरोधी दल का या बहुत से उन लोगों का, जो स्वतंत्र विचार रखते हैं उनका कर्तव्य हो जाता है कि वह सरकार के सामने और इस भवन के जरिए से जनता के सामने उन कमजोरियों को भी दिखलायें जो कि सरकार के कारनामों में हों और जिनको दूर करना सरकार के लिए जरूरी हो। कभी ऐसा भी होता है जैसा कि दो एक मेम्बरों ने कहा कि क्रिटिसिज्म फार दि सेक आफ क्रिटिसिज्म (criticism for the sake of criticism) नहीं होना चाहिये, लेकिन प्रशंसा भी फार दि सेक आफ (for the sake of) प्रशंसा नहीं होना चाहिए। मैं यह भी समझता हूं कि कुछ लोग तो यहाँ स्वतंत्र विचार रखते हैं, कुछ लोग किसी दल में होने के नाते उस दल विशेष के विचारों से प्रभावित होते हैं और कुछ सरकार में होने के नाते सरकार ही की तरफ से सोचते और काम करते हैं। ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं जो स्टेटस को (*status quo*) में विश्वास करते हों और जो ब्रिटिश सरकार के समय में ब्रिटिश सरकार की तारीफ करते रहे हैं और अब कांग्रेस हुकूमत भी जो कोई काम करती है तो उसकी भी तारीफ करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के विरोधी दल की हैसियत बिल्कुल दूसरी है। हमारा फर्ज है कि हम बजाय इसके कि सरकार की चापलूसी में लगें, हम सरकार के सामने कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स (constructive suggestions) पेश करने की कोशिश करें। सरकार को बतायें कि उसमें क्या-क्या खामियाँ हैं जिनको उसे दूर करना चाहिए। मैं इस संबोधन में उल्लिखित २-३ बातों के संबंध में कहना चाहता हूं। इसमें जमींदारी एबालीशन का भी जिक्र है। कल जो भाषण हुए वह प्रायः जमींदारी ऐबालिशन (Zamindari Abolition) के सिलसिले में हुए। उसी के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने कि कल कहा था कि उन्होंने अपने जमींदार भाइयों को पहले ही से चेतावनी दे दी थी कि वे बेटर टर्म्स (better terms) के लिये तैयार हो जायं तो बेटर टर्म्स मिल सकता है, लेकिन वे कहते हैं कि उनके लिये कहा जाता है कि ह्वाइट फेदर्स (white feathers) दिखला दिया। मुझे दुख है कि यह बात मैंने नहीं समझा है या मेरे दोस्त ने नहीं समझा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों ने इस जमींदारी एबालिशन ऐक्ट (Zamindari Abolition Act) का जो विरोध किया तो इसलिये नहीं किया था कि वह केवल जमींदारी को खत्म करता था। जमींदार यूनियन ने कुंवर सर जगदीश प्रसाद ऐसे योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में खड़े होकर इसका विरोध किया तो यह जानकर विरोध किया कि यह ऐक्ट जो बन रहा है इससे जमींदार बरबाद होंगे, लेकिन इसके साथ-साथ किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा और किसान भी तबाह हो जायेंगे। यह भावना जो थी उनके बचाने की भावना थी। मैं नहीं समझता था कि बेटर टर्म्स क्या हो सकेगा। जो गवर्नमेन्ट दे सकती थी उसने दिया। उन्होंने आपको बागात दे दिया सीर खुदकाश्त दे दिया, ज्यादा से ज्यादा जो मुआविजा दे सकते थे दे दिया। बेटर टर्म्स के देने की बात एक प्रकार लाँछन जमींदारों पर जिन्होंने ऐक्ट का विरोध किया उनपर लगाना है। चूंकि कांग्रेस विन्डिक्टिव (vindictive) है, इसलिये यह जो ऐक्ट है यह इस प्रकार से किसानों के हित में नहीं है। किसानों को नुकसान पहुंचेगा और किसान बरबाद हो जायेंगे। इस ऐक्ट के मातहत सबसे पहला प्रहार जो हुआ वह था दस साल का लगान एक साल में जमा कराना। कल मैंने माननीय हुकुम सिंह की स्पीच सुनी तो उसमें कौतूहल की बातें थीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे मिनिस्टर की हैसियत से कैसी

बातें करते हैं कि सीरदार उड़-उड़कर भूमिधर बनेंगे। मुझे मालूम हुआ है कि कितना रुपया इकट्ठा हुआ है। जितने भूमिधर बने हैं और किस तरह से बने हैं। पुलिस साथ गई है और हर प्रकार से किसानों को दबाया गया है सरकारी अफसरों के कारण भी १/७ भाग से ज्यादा रुपया वसूल नहीं हुआ है। यह आशा करना कि रुपया वसूल हो जायेगा और किसान उड़-उड़कर भूमिधर बनेंगे वह भी मैं देखूंगा। जैसा हमारे भाई श्री मुकुट बिहारी लाल जी ने कहा है कि एक वर्गसंघर्ष युद्ध होने की सम्भावना है, क्योंकि जब रुपया नहीं है तो कहाँ से किसान दे सकते हैं। यह मैं तो नहीं कहता। मैं तो कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ वह खतम हुआ। हम बहुत ही शुद्ध हृदय से अपील करते हैं कि जमींदारी का जो इस समय ऐक्ट पास हुआ है उसके इम्प्लीमेन्टेशन (implementation) में आप गम्भीरता से कार्य करें और सबका सहयोग द्वेष रहित होकर प्राप्त करें।

हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हमको इसके लिये कोई शर्म नहीं है अगर हम हार गये। लेकिन हमें यह बात मंजूर नहीं थी कि हम अपने अधिकारों के लिये लड़ते भी नहीं। अगर हम ऐसा करते तो यह कोई कैरेक्टर (character) की बात नहीं थी। हम तो कहते हैं कि इसके इम्पलीमेंटेशन में गवर्नमेन्ट को जमींदारों से सहयोग प्राप्त करना चाहिये। माननीय चीफ मिनिस्टर को आज जब कि जमींदारी के अबालीशन ऐक्ट का सही रहने का अनाउन्समेंट (announcement) सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो गया था, जमींदारों के प्रति संवेदना प्रगट करना चाहिये था। आपकी जिम्मेदारी उनके भी प्रति है। एक करोड़ आदमी आज जब कि बरबाद हो रहे हैं, उनकी जीविका छीनी जा रही है, तो उनके प्रति भी तो सरकार का कुछ फर्ज था।

बहरहाल हम देश के निर्माण में हर तरह से सरकार की मदद करने के लिये तैयार हैं। इसके अतिरिक्त मैं सरकार से दो-एक बातें कहना चाहूंगा। एक तो यह है कि सीर खुदकाश्त जो कि जमींदारों की है उसमें जो टेनेन्ट्स (tenants) ने फोर्सफुल पजेशन (forceful possession) कर लिया है तो गवर्नमेन्ट को उनकी बेदखली जारी कर देना चाहिये। दूसरी चीज वेस्टिंग (Vesting) की तारीख पहिली जुलाई रक्खी गई है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि सितम्बर आखीर रबी का होता है, जब वसूल-तहसील का काम खत्म होता है। बहुत से किसान हैं जो अगस्त और सितम्बर तक रुपया देते हैं। इसके लिये आप अपनी वेस्टिंग की तारीख अक्टूबर तक बढ़ा दें यही नहीं बल्कि गवर्नमेन्ट आदेश दे अपने कर्मचारियों को, कलेक्टरों को कि इस पीरियड (period) तक उनकी जिम्मेदारी है कि जमींदारों का जितना रुपया हो उसको वसूल करवा दें। यह मेरे सुझाव हैं। इसके अलावा मैं एक बहुत ही जरूरी चीज कहना चाहता हूं। गवर्नमेन्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आजकल देहातों में लालेसनेस (lawlessness) बहुत बढ़ रही है। वहाँ पर इनसीक्योरिटी (insecurity) बढ़ती जा रही है, डकैतियाँ बहुत पड़ रही हैं। पुलिस का इंतजाम अच्छा नहीं है। इसलिये यह जरूरी है कि आप सिविल प्रोटेक्शन (civil protection) की तरफ ध्यान दें और खास तौर से देहातों में इसको रोकने का आपको उपाय करना चाहिये। मैं यह भी आपको बतला देना चाहता हूं कि मुझे यह सन्देह है और यद्यपि मैं ऐसी आशा नहीं करता हूं और न ऐसी आशा मुझे करनी ही चाहिये कि जैसा कि राजस्थान में हुआ है कि वहाँ पर बहुत से जमींदारों को गवर्नमेन्ट ने जेलों में बन्द कर दिया है, क्योंकि डकैतियाँ पड़ रही हैं। उन डकैतियों में उनको फंसाया गया है। मुझे इस बात का सन्देह है कि यह जो डकैतियाँ पड़ रही हैं, उसका मुख्य कारण तो यह है कि पढ़े-लिखे नौजवान जो यूनिवर्सिटियों से जाते हैं उनके पास खाने को नहीं है।

यह पढ़े-लिखे जाकर इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं। इसका प्रबन्ध आपको उचित करना चाहिये। ऐसा न हो कि वहाँ के नेता लोगों के कहने पर आप कोई कदम उठा डालें जिससे जमींदार अकारण फंसाये जायं और दुश्मनी अदा की जाय। आपका कर्तव्य है कि आप देखें कि जमींदारों पर कोई जुल्म न हो। आप

[श्री कुंवर गुरु नारायण]
महज पार्टी स्प्रिट (party spirit) में भी न आकर कोई उनके खिलाफ न कदम उठायें। मैं अब इस पर अधिक न कह कर एजूकेशन के सिलसिले में कहूंगा। हमारे मित्रों ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। मैं उसका कोई स्पेशलिस्ट (specialist) तो नहीं हूं, मगर मैं कह सकता हूं कि एजूकेशन का जो standard है वह प्रारम्भ से लेकर यूनीवर्सिटी तक बिल्कुल गिरता जा रहा है। quantity के बढ़ाने में quality खत्म हो रही है अगर शिक्षा में सुधार न किया गया तो देश की उन्नति में बड़ी गड़बड़ी होगी।

श्रीमती महादेवी वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी विवादेषणा से नहीं किन्तु उस जिज्ञासा को व्यक्त करने के लिये जो शुभमूर्ति राज्यपाल महोदय के सम्बोधन से इस प्रदेश के प्रत्येक साहित्यिक कलाकार तथा विचारक के हृदय में उत्पन्न हो सकती है, मैं इस महत्वपूर्ण सदन के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहती हूं।

उक्त सम्बोधन में औपचारिक रूप से ही कुछ पन्चवर्षीय योजनाओं का संकेत मिलता है। वसे तो जब एक-एक दिन में अनेक देशों के इतिहास बदल रहे हैं, जीवन के मान मिट-बन रहे हैं तब पांच वर्ष की लम्बी अवधि का औचित्य भी विचारणीय है पर इस लम्बी अवधि की अपेक्षा रखने वाली योजनाओं में जिसका अभाव मुखर है वह साहित्य, कला, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी योजना हैं। सम्बोधन में मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिससे जाना जा सके कि इस प्रदेश की सरकार के सम्मुख साहित्य कला, संस्कृति, जैसे महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में कोई निश्चित योजना भी है। सरकार की अन्य योजनायें पूर्ण हैं, अपूर्ण हैं, अथवा त्रुटिपूर्ण हैं, इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं, पर जिस अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रम का अभाव है उसके सम्बन्ध में मतभेद का स्थान नहीं, प्रत्युत किसी भी निर्माणोंन्मुख प्रदेश में यह अभाव चिन्ता का कारण बन सकता है।

उत्तरप्रदेश हमारे राष्ट्र का हृदय है, जिससे देश की दूर-दूर तक फैली शिराओं में रस का संचार होता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिमीय तटों तक जो संस्कृति व्याप्त है वह गंगा, यमुना और सरस्वती के तटों पर पली और विकसित हुई है। सामन्जस्य और समन्वय का जो स्वर हमारे साहित्य और दर्शन में ध्वनित-प्रतिध्वनित होता आ रहा है, उसमें इस भू-भाग-साधक सरस्वती-पुत्रों के हृदय और बुद्धि का कितना योग है, यह कहने की आवश्यकता नहीं ह।

हम उसी धरातल पर खड़े होकर अपनी अनेक समस्यायें सुलझा सकते हैं जिस पर तुलसीदास और कबीर, सूर और रैदास खड़े हो सके थे और जो साहित्यिक कला-साधकों तथा चिन्तकों की भूमि है।

अपने स्पर्श से दूसरे को मूल्यवान बना देने वाले पारस जैसा उत्तराधिकार पाकर भी यदि हमारे पास उसके उपयोग के लिये कोई योजना नहीं हो सकती तो हमारे समकालीन चाहे भ्रम में पड़ जावें, पर आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा न करेंगी।

आज हिन्दी जब राष्ट्र भाषा के पद पर अभिषिक्त हो चुकी है, तब हमारा कर्तव्य और भी गुरुतर और गम्भीर हो जाता है। हम दीर्घकालीन दासता की गहरी तमिसा पार करके जागरण के द्वार पर पहुंचे हैं। हमारे सामने अभी धुंधला क्षितिज है। उस पर अब तक भविष्य का कोई ऐसा सुनहला चित्र नहीं बन सका ह जिसके अनुरूप हमें जीवन का निर्माण करना है।

हमारी परतन्त्रता हमारी विकासशील सांस्कृतिक परम्पराओं को नष्ट करने में सहायता देती रही है जैसा कि स्वाभाविक भी था। कोई भी विजेता किसी विजित जाति पर राजनीतिक विजय प्राप्त करके संन्तुष्ट नहीं होता। वह तो सांस्कृतिक विजय भी चाहता है और उसकी प्राप्ति के लिये वह विजित के हृदय और बुद्धि पर अधिकार पाने का प्रयत्न करता रहता है। हमारे विदेशीय शासकों ने इस दिशा में जो सफलता पाई है उसका प्रमाण हमें अपने जीवन में पग-पग पर मिल सकेगा।

आज हम राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हैं पर हमारी मानसिक दासता अब तक दूर नहीं हो सकी है, न हमारी बुद्धि जड़ता से मुक्त हो सकी है और न हमारा हृदय संकीर्णता से त्राण पा सका है। परमाणतः हमारे सामने नवनिर्माण की कोई रूप रेखा नहीं है।

हमारी राजनीति दलों में गतिशील है, हमारा धर्म रूढ़ियों से अचल है और हमारा समाज विषमता में मूर्छित है। हमें इस अन्धकार के पार गन्तव्य खोज लेना है है अन्यथा हमारी गति एक विषम वृत में होती रहेगी जैसी कोल्हू के बैल की होती है जो निरन्तर चलते रहने पर भी कहीं नहीं पहुंचता।

नवीन जीवन के स्वप्न अधिकारियों के आदेश से नहीं बनेंगे और न उन्हें सत्य करने के संकल्प फाइलों में बन्द मिलेंगे। स्वप्न और आदर्श प्रेरणा और संकल्प तो इस देश के साहित्यकार, कलाकार विद्वान और चिन्तक ही दे सकते हैं जो आज सरकारी योजनाओं में उपेक्षित हैं वे ही नवीन राष्ट्र के अलिखित विधान के निर्माता हैं।

मुझसे प्रश्न किया जा सकता है कि जब राष्ट्र के सामने खाद्य और वस्त्र जैसी आवश्यक समस्यायें हैं तब साहित्य कला संस्कृति, आदि के प्रश्न क्यों उठाये जा रहे हैं उनकी ओर हमें ध्यान देने का अवकाश ही कहां है।

उत्तर में, मैं निवेदन करूंगी कि जीवन की प्रगति सर्वांगीण होती है हम यह नहीं कह सकते कि जब हम सांस ले रहे हैं तब विचार नहीं कर सकेंगे, जब विचार कर रहे हैं तब देखेंगे नहीं और जब देख रहे हैं तब चल नहीं सकेंगे क्योंकि, देखने-सुनने, सोचने-विचारने, चलने के कार्य साथ होकर ही हमें सार्थक गति देते हैं। यदि हमारा शरीर चलता और मन उसका साथ नहीं देता तो हम विक्षिप्त कहे जायेंगे और यदि मन चलता है पर शरीर उसका साथ देने में असमर्थ है तो हम पक्षपात के रोगी कहे जायेंगे। स्वस्थ शरीर और मन के समान ही राष्ट्र का मानसिक और भौतिक विकास साथ चलता है।

समस्यायें हमारे सामने ही नहीं अन्य देशों के सामने भी हैं और थीं पर उनके कारण उनका मानसिक विकास नहीं रुद्ध हो गया है। उदाहरण के लिये हम जीवन और मरण के संघर्ष में लगे हुए रूस और चीन को ले सकते हैं। युद्ध की स्थिति में भी चीन के साहित्य कार, कलाकार, विद्वान और जिज्ञासु सब खाइयों में, पर्वतों पर, बनों में अपना कार्य करते थे और शत्रु के आने का समाचार पाते ही पीठ पर पुस्तकें और कलाकृतियां बांध कर एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते थे। उस समय आरम्भ किया हुआ कार्य आज वहां किस पूर्णता तक पहुंचा है यह सब प्रकट है। इसी प्रकार रूस जब जीवन-मरण के संघर्ष में उलझा हुआ था तब भी उसके साहित्यकार, कलाकार कार्य कर रहे थे। जिन्होंने जूझने वालों को निराश नहीं होने दिया अन्य गतिशील देश भी इसका अपवाद नहीं हैं।

यह कहना साहित्यकार का अपमान करना है कि वह जीवन के संघर्ष में साथ नहीं दे सकता। जो जीवन को आदर्श देते हैं, स्वप्न देते हैं, अनुभूति देते हैं वे तो जीवन के निरन्तर साथी हैं ही, वे जीवन के मूल्यों की स्थापना भी करते हैं और उन मूल्यों की रक्षा के लिये जीवन की बाजी लगाने की प्रेरणा भी देते हैं। हमारा देश निराशा के गहन अन्धकार में साधक साहित्य-कारों से ही आलोक दान पाता रहा है। जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया तब भी तुलसी के कमण्डल का पानी नहीं सूखा और सूर के एकतारे का स्वर नहीं खोया। आज भी जो समाज हमारे सामने है वह तुलसीदास का निर्माण है, हम पौराणिक राम को नहीं जानते, तुलसीदास के राम को जानते हैं। हमारे स्वतन्त्रता के संग्राम में भी जिन्होंने राजनैतिक मोर्चे पर संघर्ष किया है उनसे कम महत्व उन साधकों का नहीं जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक निधियों की रक्षा का भार संभाला है। उस घोर संघर्ष में से जो कुछ वे बचा लाये हैं उसका भी मूल्यांकन नहीं हो सका है पर इसमें संदेह नहीं कि उसके कारण हम साहित्य और संस्कृति में समृद्ध देशों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़े रह सकते हैं। जिन वाणी पुत्रों के स्वरों में हमारे पराजय क्लान्त देश की अपराजित आत्मा बोलती रही है उनका मूल्य घटा कर हम अपना ही मूल्य घटा देंगे। उनमें से अनेक आज भी जब देश को

[श्रीमती महादेवी वर्मा]

राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो चुकी है, एक लोटा गंगा जल से अपने उपवास का परायण करते हैं और उनके मस्तक पर झोपड़ी की छाया भी नहीं है, पर उनकी पुस्तकों पर शोध का कार्य हो रहा है और उनके श्रद्धालु पाठकों की संख्या उत्तरोत्तर अधिक हो रही है ऐसी विषमता का परिणाम सबके लिये अहितकर है। राज्य की योजनाओं में ऐसी निश्चित योजना होनी चाहिए जिससे साहित्य और राजनीति मिल कर निर्माण का कार्य कर सकें। संस्कृति और साहित्य के साथ शिक्षा का सम्बन्ध अटूट है। विदेशी शासकों ने हमारे शिक्षालयों को ऐसा कारखाना बना डाला था जिसमें निर्जीव क्लर्क मात्र गढ़े जाते थे उन्हें अपना शासन यन्त्र चलाने के लिये ऐसे ही पुतलों की आवश्यकता थी जिनमें न अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं का ज्ञान होता था न अपने चरित्र का बल होता था। हम आज भी उसी ढांचे को चला रहे हैं जिसमें मनुष्य को मनुष्यता देने की कोई शक्ति नहीं है। आज भी हमारी शिक्षा का लक्ष्य प्रमाण पत्र देना मात्र है। हम विश्व विद्यालयों के गगनचुम्बी भवन, कीमती फर्नीचर और ऊंचे-ऊंचे वेतन पाने वाले शिक्षकों को जानते हैं और गांव की उस पाठशाला से भी परिचित हो सकते हैं जहां मेघ से अधिक छप्पर बरसता है, फटा टाट ही धरती की एकमात्र सजावट है और तीन-तीन मास वेतन न पाने वाले तथा विद्यार्थियों से एक-एक मुट्ठी चने मांग कर अपनी क्षुधा शान्त करने वाले गुरु हैं। भाव और अभाव की चरम सीमा पर स्थित ऐसे विश्वविद्यालयों और ऐसी पाठशालाओं में एक ही समानता मिलेगी और वह है उचित ज्ञान के आदान-प्रदान का अभाव जिसके लिये शिक्षक और विद्यार्थी एकत्र होते हैं और जिसकी सफलता विद्यार्थी को पूर्ण मनुष्य बनाना है।

किस विषय का कितना अंश कंठाग्र करा दिया जावे इसकी हमें चिन्ता हो सकती है पर वह कैसे और किन परिस्थितियों में हृदयंगम किया जावे जिससे विद्यार्थी रजिस्टर मात्र न बन जाय इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। परिणाम स्पष्ट है जिस व्यावसायिक नियम से महंगा प्रमाण-पत्र देने का व्यापार करते हैं उसी से खरीदार वैध, अवैध, उचित, अनुचित किसी भी साधन से सस्ता प्रमाण पत्र चाहता है। इसमें बाधा डालने पर विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों की हत्यायें तक हो चुकी हैं। मारपीट के समाचार तो नित्य ही मिलते रहते हैं।

मनुष्य यन्त्र नहीं है कि उसके सब कल पुर्जे खोल कर ठीक कर दिये जायंगे और तेल या ग्रीस डाल कर पुनः चालू कर दिया जायगा। प्रत्येक मनुष्य विशेष परिस्थितियों में विशेष संस्कारों के साथ उत्पन्न होता है। इन परिस्थितियों और संस्कारों में कुछ अनुकूल हो सकते हैं और कुछ प्रतिकूल। शिक्षालय ऐसे कारखाने हैं जहां विषम प्रभावों का संशोधन होता है और सामन्जस्य भावना का विस्तार। दूसरे शब्दों में यहां मनुष्य की बुद्धि और हृदय खराद पर चढ़ते हैं और तब नये रूप में समाज के सम्मुख आते हैं। किसी सुन्दर स्वप्न आदर्श या अनुभूति को दूसरे को देना सहज नहीं होता। इस आदान प्रदान में देने वाले और पाने वाले में समान रूप से पात्रता होनी चाहिए। जो ज्ञान देने वाले और पाने वाले दोनों को धन्य कर देता है उसे देने और पाने की परिस्थिति और होती है और वातावरण और होता है।

हमारी शिक्षा चाहे वह प्राथमिक हो चाहे उच्च, उसने मनुष्य की सम्भावनाओं की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल नौकरी दिलाने के लिये प्रमाणपत्र देती है और उसे भी नहीं दिलापाती। हमारा विद्यार्थी वर्ग जो घोर अर्थ संकट और सामाजिक कुंठा में पलता है शिक्षा की समाप्ति पर अपने जीवन की समाप्ति के निकट पहुंच जाता है। इस प्रकार की निराशा और आत्मघाती प्रवृतियों से घिरी नवीन पीढ़ी से देश को क्या नया निर्माण मिल सकेगा, यह विचारणीय है।

प्रेरणा, स्फूर्ति और ज्ञान की दृष्टि से हमारी शिक्षा में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए जो नवीन पीढ़ी को चारित्रिक दृढ़ता और सांस्कृतिक दृष्टि दे कर उन्हें इस महान देश के गौरव के अनुरूप सशक्त और उदार मनुष्य बना सके।

जीवन की वर्तमान विषमता दूर करने का जो रसायन हमारे साहित्य में है उसका शिक्षा में उपयोग न करना भूल होगी। इतिहास बताता है कि जब जब एक देश दूसरे शक्ति के छोज में बोलता है तब तब एक दास और दूसरा स्वामी हो जाता है, एक विजित और दूसरा विजेता बन जाता है, परन्तु जब जब एक देश दूसरे से साहित्य के स्वर में बोलता है तब तब सात समुद्र का अन्तर पार कर, उन्नत पर्वतों को लांघ कर उनके हृदय एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं। एक-दूसरे के सुख-दुखों से तादात्म्य कर लेते हैं।

साहित्य की भूमि पर कालीदास जितने हमारे हैं उतने सारे विश्व के हैं और शेक्सपियर, गोर्की, टालस्टाय आदि जितने अपने अपने देशों के हैं उतने हमारे हैं। हम धरती पर दीवारें खड़ी करके उसे बांट सकते हैं पर उन दीवारों की ऊंचाई से आकाश खण्ड खण्ड में नहीं बट सकता। हम तोल कर बादलों का बंटवारा नहीं कर सकते। नापकर किरणों को विभाजित नहीं कर सकते और गिन कर तारों को नहीं ले दे सकते। वे सब के होने के लिये ही प्रत्येक के हैं। इसी प्रकार की एकता साहित्य में मिलती है यदि आज के विषम जीवन में हम नई पीढ़ी की एकता बनाए रखना चाहते हैं तो हमें शिक्षा में साहित्य और संस्कृति को ऐसा महत्वपूर्ण स्थान देना होगा जिससे विद्यार्थी को मानव एकता और विश्वबन्धुत्व का संदेश प्राप्त हो सके और वह अधिक-पूर्ण मनुष्य बन सके। इसके साथ-साथ हमें अपनी नवीन पीढ़ी के विधाता साहित्यकारों और शिक्षकों को भी उपेक्षणीय स्थिति से मुक्त करना होगा।

चेयरमैन——मुझे यह कटु शब्द कहते दुख होता है कि आपका समय हो गया।

श्री राजा राम शास्त्री——श्रीमान्, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं जब कोई मेम्बर अपनी स्पीच दे रहे हों तो कृपा करके दो मिनट पहले ही उनको बता दें।

चेयरमैन——जब हैमर (hammer) की आवाज हो तो उसके एक या दो मिनट बाद माननीय सदस्य अपनी स्पीच को बन्द कर दें।

*श्री बजरंग बहादुर सिंह——श्रीमान् जी, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ तो आपके हैमर का डर और कुछ और डर है। अध्यापक लोगों का यह प्रोफेशन (profession) होता है कि वह दूसरों की गलती निकालते हैं परन्तु उनकी गलती निकालने में किसी को जुर्रत नहीं होती है। मुझे इसका तजुर्बा है कि वह कभी कभी इसको पसन्द नहीं करते थे। खासतौर से उनकी जो बातें होती थीं वह अध्यापकों जैसी बातें होती थीं और जो वह अपने ख्यालात का इजहार करते थे वह कभी-कभी अनपार्लियामेंट्री (unparliamentary) हुआ करती थीं, लिहाजा इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए थीं। जहां तक ऐड्रेस (address) का ताल्लुक है और जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा कि वाक्या है कि उसमें कोई ऐसी चीज सूबे के बारे में नहीं रही जिस पर कि गौर न किया गया हो, रोशनी न डाली गई हो या आइन्दा के लिये कोई बात न सुझाई गई हो। मगर उसके होते हुए भी यह बात भी किसी हद तक सत्य है कि इसमें कोई न कोई एक आध छोटे-मोटे मुहकमे ऐसे बदकिस्मत रह गये हैं जिन्होंने अपने को गवर्नमेंट या गवर्नर साहब की निगाह में नहीं पहुंचाया है उनमें से एक छोटा सा मुहकमा एयर-विंग्स (Air Wings) का मुहकमा है जिसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। बदकिस्मती मेरी है और इस लिये मुझे इसमें कोई दुख भी नहीं होता, लेकिन मैं उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान दिलाते हुए अर्ज कर दूं कि इसकी शुरुआत किस हद तक पहुंची है। यह मुहकमा सन् १९४७ में कायम हुआ था और उस वक्त एक भी हवाई जहाज यहां पर नहीं था परन्तु आज यहां पर ५७ हवाई जहाज हैं। सन् ४७ में जब यह शुरू हुआ था तो उस वक्त मुश्किल से इसमें एक या दो पाईलेट (pilot) थे और जो फ्लीटिंग (fleeting) चली वह कम से कम दो सौ के हैं, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है लेकिन मेरी याद्दाश्त जहां तक काम करती है वह कम से कम दो सौ के करीब है। आपकी स्टेट आपका ही एक आर्गेनाइजेशन (organisation) है जो इन्डियन यूनियन के नाम से कही जाती है उसने न किसी से रुपया मांगा है और न कोई एडीशनल additional) रुपया मांगा है और फ्लाइंग हाफ रेट

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बजरंग बहादुर सिंह]

(flying half rate) पर शुरू कर दी है और हर साल हाफ रेट कर रहे हैं और उस यूनियन में हाफ रेट पर एडीशनल ट्रेनिंग (additional training) दी जा रही है। आपके यहां का काम इस दर्जे का है कि जब कभी स्टेट में इण्डियन यूनियन को जब कभी बड़े काम की जरूरत पड़ती है तो आपके यहां की मदद उनको मिलती है। मसलन् हिन्दुस्तान एयर क्रैफ्ट (Air Craft) सेन्टर इलाहाबाद में खुला और उसमें उस वक्त तक नहीं काम किया जा सका जब तक आपके सूबे से मदद न पहुंच गई। आपके काश्मीर में इसकी मदद की जरूरत पड़ी और जहां पर भी हमारे पाइलेट की जरूरत पड़ी आपकी आर्गेनाइजेशन ने उनको पाइलेट भी दिये और उन्होंने हर जगह जाकर काम किया। लिहाजा अभी हाल ही में बड़े दरियाओं के बीच में एक जहाज फंस गया और उसको निकालने का कोई जरिया नहीं रह गया, उसको भी आपके सूबे के हवाई जहाज ने पूरा किया और आपके सूबे के पाईलेट वहां गये और वहां जाकर उसको निकाला और एक-एक हिस्सा निकाला यह नहीं कि उसमें कोई चीज बच गई हो।

इसके अलावा यह भी गर्व करने की बात है कि इलाहाबाद में इस वक्त १४ हवाई जहाज हैं, पर उनके होते हुए आज तक उन्होंने न कुल ३ या ४ फ्लीट (fleet) गवर्नमेंट के किये हैं हमारे यहां ३ हवाई जहाज हैं जो गवर्नमेंट की फ्लीटिंग के काम में आते हैं। अभी हाल ही में एक ही हवाई जहाज बंगलोर में बना जिसको कि एयर क्रैफ्ट बंगलोर ने बनाया और वह क्रैश (crash) हो गया उनके पास जो हवाई जहाज का आरगेनाइजेशन था, उसके पास सब कुछ था परन्तु अपने दिक्कत को हल करने में वह असमर्थ रही। आखिर यू० पी० से पाईलेट मांगा गया और वह भी सिर्फ ३ हफ्ते के लिये जिसको उन्होंने ३ महीने रखा और आज वह इन्स्टीट्यूट (institute) आपके सूबे की मदद से कम्प्लीट (complete) हो गया है। मगर इन सब बातों के करने पर भी काम रह गया है तो यह जरूरी है कि आर्गेनाइजेशन की सफलता के लिये वक्त बहुत कम था तो किस तरह से वह काम पूरा कर सकती थी। जब तक कोई कन्फीडेन्स (confidence) किसी काम में न मिले तब तक आर्गेनाइजेशन के लिये दिक्कत तलब बात हो जाती है। इसलिये मेरी यह दरख्वास्त है कि अगर हमारी किसी गलती से इस आर्गेनाइजेशन की तरफ निगाह न पहुंची हो तो उस पर गौर करने की कोशिश करके उसकी कन्डीशन्स (conditions) को भी ठीक करने की कोशिश की जाय। ३ मिनट और रह गये हैं जब कि मुझे अपनी स्पीच खत्म कर देनी चाहिए। एक चीज की ओर मैं और तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह है फूड प्राब्लम (problem) और फूड के प्रोडक्शन (production) को बढ़ाना और उसको टाप प्रायरिटी (top priority) देना निहायत जरूरी है और इससे ज्यादा अहम मसला और दूसरा नहीं है। इसके लिये कोशिश हर किस्म की जा रही है लेकिन अभी इससे उतना फायदा नहीं हुआ। इसमें सबसे जरूरी चीज जो हमें देखना है वह यह है कि एरोजन (erosion) के रोकने के लिये क्या किया जा रहा है। अभी हाल में कांस के इरेडिकेशन (eradication) के लिये एक बिल यहां लाया गया था और उससे अब यह कोशिश की जा रही है कि जितनी कांस का एरिया है और वह कांस से खराब हो रहा है उसको दूर किया जाय, मगर इरोजन को रोकने के लिये अब तक कोई कानून यहां नहीं आया। इस तरह का कोई कानून भी यहां होना चाहिए जिससे इरोजन का कन्ट्रोल (control) किया जा सके। मुझे इसका अन्दाजा और तजुर्बा इसलिये है कि मैं रोज हवा से आता-जाता रहता हूं और देखता हूं जो परिस्थिति पहले खेत की थी, वही अब भी है और उसमें किसी तरह की भी तरक्की नहीं हुई है। मुझे यह सब देखकर ताज्जुब हुआ कि लोगों की जमीन बराबर नहीं होती और इस तरह से इरोजन का कन्ट्रोल न रहने से लोगों को परेशानी हो जाती है और वे उसे छोड़ने के लिये तैयार हो जाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं इस मोशन का स्वागत करता हूं।

*श्री हयात उल्लाह अन्सारी—माननीय चेयरमैन जी, एक माननीय सदस्य ने उस साइड से कल एक बड़ी लम्बी फेहरिस्त पेश की कि क्या २ चीजें गवर्नर महोदय के ऐड्रेस में मौजूद नहीं हैं। मैंने समझा कि फेहरिस्त में कम से कम दो-चार घंटे लगेंगे इसलिये कि हमारे प्रदेश में बहुत से प्राब्लम्स (problems) हैं मगर वह तो १०-१५ मिनट में खत्म हो गया और मुझे उसका बहुत डिसएप्वाइन्टमेंट (disappointment) हुआ। प्राब्लम २ और ३ वाल्यूम (volume) में आ सकते थे और उनके डिसकशन (discussion) में दो-तीन दिन लग सकते थे। अफसोस तो यह है कि एतराज बहुत किये गये लेकिन यह देखा गया कि क्या-क्या नहीं है। इस नजर से कम देखा गया कि क्या-क्या है अगर यह देखा जाता कि क्या-क्या चीज है और उसकी इम्पारटेन्स (importance) क्या है तो शायद इतनी बहस की जरूरत न होती और मसला साफ हो जाता। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि इस वक्त अहम मसला फूड प्राब्लम का है इसमें शक नहीं ह क्यों कि जब आदमी भूखों मर रहा हो तो यही मसला सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली जरूरत रोटी की है। हां यह हो सकता है कि बहुत से टेल्स (tales) नहीं आये हैं। लेकिन बहुत सी बातें हैं कि फैमिन (famine) के सिलसिले में क्या क्या हुआ। कितने कुएं खोदे गये और क्या-क्या इन्तजाम किया गया और क्या किया जा रहा है, जो स्कीमें चल रही हैं, उन पर इशारा किया गया है, जो सबसे ज्यादा जरूरी मसला था उस पर इशारा किया गया है।

एक मसला और है रिवोल्यूशन (revolution) का। जब बेदखली बन्द कर दी गई थी उस वक्त ऐसा मालूम होता था कि एक बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है। यहां पर भी बहुत सी कांफ्रेन्सेज (conferences) की गईं और ऐलान किये गये, वह एक बिल्कुल नई चीज आ गई थी और कांग्रेस लेकर के आई थी उस वक्त ऐसा मालूम होता था कि इस कदम में कांग्रेस को कामयाबी न होगी। लेकिन जब बेदखली बन्द हो गई तो कोई बात नहीं हुई। इसके बाद एक और चीज आ रही है और आज की तारीख में यह सबसे बड़ा मसला है, वह ऐसा है कि उसमें न कोई आदमी मारा गया और न कोई हंगामा ही हुआ न पुलिस बढ़ाई गई और न फौज बढ़ाई गई और न डकैती बढ़ी और जिनका ख्याल है कि जमीन्दार डकैत हो जायेंगे उनका ख्याल गलत है वह डकैत न होंगे वह एक अच्छे सिटीजन (citizen) बनेंगे। यह रिवोल्यूशन एक साईक्लाजीकल एटमासफियर (psychological atmosphere) अपने साथ लाया है। इतना बड़ा रिवोलूशन हो गया और लोगों को मालूम तक न पड़ा। इस चीज को देखा कि जमीन्दारी अबालिशन हो रही है और किस सफाई से हो रही है इसमें शुभा नहीं कि खर्च हो रहा है। अगर पुलिस बढ़ाई जाती और झगड़े किये जाते या दूसरे तरीके अख्तियार किये जाते तो मुमकिन था कि और ज्यादा वक्त लग जाता लेकिन मुझे अफसोस है कि इस बात पर कोई तवज्जह नहीं दी गई।

एक साहब ने एतराज किया कि कोआपरेटिव कामन वेल्थ (Cooperative Common Wealth) क्या चीज है। ताज्जुब है और यह कहा गया कि यह कैसे आ गया। कैसे यह नया टर्म यूज (term use) कर दिया गया। यह तो एक जुर्म कर दिया गया। मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस ऐड्रेस में नहीं देखा, अगर वह देख लेते तो उसके मानी उसी में साफ हो जाते। उसके नीचे भी उसके मानी लिखे हुए हैं। उसमें कोई शुभा नहीं कि बहुत से नये टर्म यूज किये गये हैं कि गांधी जी ने राम राज्य और खुदा राज्य का यूज किया था उसके खास मानी थे। वह एक खास एटमासफियर लेकर के आया था।

एक कमी मुझे भी महसूस हो रही है। पंडित जवाहर लाल जी की तकरीर का इशारा किया गया है। उन्होंने पार्लियामेंट (Parliament) में भी कहा था वह है कम्यूनलइज्म (Cmmunalism) और है भी इम्पारटेन्ट (important) चीज।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हयात उल्लाह अन्सारी]
जब तक कम्यूनलइज्म नहीं खत्म होता है हमारे सूबे से या इण्डिया से, कोई प्राब्लम (problem) नहीं खत्म हो सकती है। हमारी सारी एनर्जी (energy) इसी में खत्म होती है। यह एक अजब उलझाव है, अजब चक्कर है। इससे फासिज्म (Fascism) नाजिज्म (Nazism) बढ़ सकता है, इसका हमें मुकाबिला करना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि हमारा सूबा जो सभी चीजों में आगे रहा है इसमें कम्यूनलइज्म का असर अब भी बाकी है। जवाहर लाल जी ने कम्यूनलइज्म के खिलाफ अपनी जोरदार आवाज को बुलन्द किया है। मगर जवाहर लाल जी की ही सारी जिम्मेदारी ही नहीं है कि वही कम्यूनलइज्म के खिलाफ लड़ें। यह जिम्मेदारी तो पूरे सूबे की होनी चाहिए। यह प्रीमियर प्राब्लम (Premier Problems) में से एक प्राब्लम है। अभी एक सदस्य ने कहा है कि कल्चर (culture) और साहित्य के बारे में कुछ नहीं रखा गया है। इसमें शक नहीं कि रोटी हमारे लिये बहुत जरूरी चीज है मगर मेन्टल फूड (mental food) की भी जरूरत उससे कम नहीं है लेकिन कल्चर के साथ वह स्पिरिट (spirit) आना चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य बनाया जाय। टाल्स्टाय को भी हम अपना समझें, गालिब को भी हम अपना समझें, मीर और चकबस्त को भी हम अपना समझें। मोती मोती ही होता है उसकी कीमत उसकी चमक से होती है। जिस तरह से मोती की कीमत हम इस तरह नहीं लगाते कि किस समुद्र से यह मोती निकला है या किस सीप ने इसे उगला है उसी तरह से लिटरेचर (literature) में भी फर्क नहीं किया जा सकता इसे फलाँ ने लिखा है इसे निकाल दो या इसकी लिपि इधर से लिखी जाती है इसलिये इसे निकाल दो, यह मुनासिब तरीका नहीं कहा जा सकता है। तो बहुत ठीक यह दिल की बात उन्होंने कही कि लिटरेचर वही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाये। चूंकि हमरा सूबा बड़े-बड़े थिंकर्स (thinkers) पैदा करता रहा है इसलिये हमारे यहाँ इसकी तरफ से गफलत नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी प्राब्लम्स हैं उनमें से एक साहित्य की प्राब्लम भी है जिसकी ओर खास तवज्जह की जरूरत है। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूं।

***Dr B.B. Bhatia** : Mr. Chairman, in my opinion His Excellency has covered a very wide field of activities which his Government is likely to pursue in the next five years, in the address which he delivered to the joint session of the two Houses. It is true that he had covered this field in a very brief manner. Some of our friends had compared his address to a convocation address by which I meant that they had said that his address was full of ideal platitudes without any conviction or reality behind it. I for one do not subscirbe to those sentiments. I for one feel that in the past our Hon'ble Ministers had carried on their responsibilities with very genuine and sincere efforts and I also believe that in future they are going to carry on their resposibilities with genuine and sincere efforts and if they got the full cooperation of their officers and the good will and blessings of the people at large then I am sure that they will be able to do a great deal in the next five years to uplift the social status of the poor masses of this state. I am fully aware of great work that our Hon'ble Minister of Health has done in past. He has tried to reach medical aid to the villagers. In the past many dispensaries have been opened, the district hospitals have been better equipped and the two medical colleges have been greatly expanded, but I am disappointed that our Hon'ble Minister was not able to commend to his colleagues that the health of the nation should have recieved the top priority in the nation building plan. Instead of that he has conceded the top priori

*The Member has not corrected his speech.

ty to the food by which I mean that the top priority has been given to grow more food and procure more food. I think that in conceding this top priority they had taken the example of the house-wife who tried to win the heart of his man through his tongue and I must say that they have received temporary success in this manner because by giving top priority to the food they have fed a large majority of the people of this province and they have returned them to the Assembly in a thumping majority, but if they had looked wisely and widely they would have realised that no house-wife has been able to retain the heart of his man through his stomach for all the times to come. It is the health of the nation which is far more important than his food. I also feel that ideas have been infused into brains of our rulers, perhaps by people who were interested in selling their surplus products at the low vitality of the masses of this country if due to the poor and unbalaneed dier. I quite admit that the diet of the masses of this country is very poor and unbalanced but I feel bold to say on the floor of this House that even that poor and illbalanced diet would have given them enough energy and vitality if their body was not smitten with cronic diseases like malaria, diarrhoea, dysentry and hookworm, etc. In making this bold statement I am not talking fiction but I am talking scientific facts which we have proved in our hospitals during the last couple of years. During the last two years I have kept nearly two hundred patients in my ward who were infected with these diseases. For one month during their stay in the hospital I gave them the most nutritive diet, i.e. milk,bread, butter, vegitables, fruits, etc. and during this month they were also given the best drugs available and we found that they increased their weight improved their blood, health and vitality.

Now if you go around the villages, you will find that 50 per cent of the adult population of this state is smitten with one or more of these three or four diseases—malaria, hookworm, diarrhoea and dysentry and howsoever nutritious diet you may give to them, their health will not improve as long as there will be no assimilation and absorption of the food. It will be a mere waste of money to give them more nutritious diet when their body will not be able to assimilate or absorb it. I thus feel that the programme of grow more food is not likely to succeed as it has not succeeded in the past because the tenant cannot grow more food for you unless he could put in more labour. He cannot put in more labour unless he is endowed with first class health and vitality. He will only be able to grow more food for you if he is physically fit.

I thus feel that the programme of the health of the nation should have received top-most priority and gigantic efforts should have been made to wipe out these diseases from the masses of this country. This is a gigantic task but is not an impossible task. Other countries and other nations have been faced with these task and they have successfully performed these tasks. So we can also succeed. We do not possess inferior brains. In fact, in many respects our brain is superior to those of the western countries. If we had made gigantic and nation-wide efforts, I am quite sure in the next five years we would have eradicated these diseases, we would have given new life to the nation and then we would have been successful in growing more food. The social status of the masses of this country cannot be improved so long as they are smitten with diseases. No amount of

[Dr. B. B. Bhatia]

effort on their part will ever improve the social status of the poor people in this country, Therefore, Sir, I most emphatically lay down that the health of the nation should have received the top priority in our nation-building plan.

I would just now say a few words about education again the matter with which I am really concerned. I quite agree with the remarks which have been made by several previous speakers that the education in this country has gone down to a considerable extent. The standard of education is deplorable and our young men today are neither good students, they are neither good sportsmen and they have neither got a good general knowledge. The only thing they are good at is, in my opinion, that they know the life histories of the film actors and actresses. Now where is this fault? There is a tremendous fault and the whole system requires reorientation. I am glad that His Excellency has in his speech laid emphasis on that. Under the present system our young men manage to get 33% marks and manage to get diplomas and degrees. But they are not at all educated. The word education means that the man is able to take a rational view of things, that he is able to view everything with a scientific eye. The mere cramming of the subject and getting 33% marks does not mean getting education and that is why they are not able to get any job. An educated man is one whose brain is so trained that he will never starve. He will be able to take up any job that comes in his hand. An educated man is one who when time comes can act as a soldier. That is the meaning of the word education. I do hope that the committee which the Government have appointed under the Chairmanship of Acharya Narendra Dev will be able to make very drastic changes in the education system of this state.

श्रीमती तारा अग्रवाल--माननीय अध्यक्ष जी, महामान्य राजपाल का भाषण सुनकर मुझे अत्यन्त संतोष प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक सरकार की जो उन्होंने शासन नीति घोषित की है उस पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूं। गत चुनाव में जो कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई है उसका अधिक श्रेय महिला मतदाताओं को है क्योंकि उन्हें इस बात की आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उनका कल्याण कांग्रेस सरकार द्वारा ही सम्भावित है। यद्यपि श्री राज-पाल महोदय ने अपने भाषण में वर्गविहीन समाज की स्थापना की चर्चा की है और वर्त्तमान शासन विधान में पुरुष और स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो गये हैं फिर भी नारी जाति भयंकर गुलामी में जकड़ी हुई है उन पर आये दिन नानाप्रकार के अत्याचार होते हैं जो किसी से छिपे नहीं हैं जब तक सरकार की ओर से एक नारी उत्थान विभाग की स्थापना नहीं होती है और उसके द्वारा पीड़ित महिलाओं को सहायता नहीं मिलती तब तक नारी का पुरुषों के समक्ष आना असम्भव है। शीघ्रातिशीघ्र बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, पर्दाप्रथा, दहेज प्रथा स्त्री और बच्चों का व्यापार बाल विवाह तथा वेश्यावृति का उन्मूलन नहीं किया जाता तब तक नारियों में सामाजिक सुधार नहीं हो सकता है अगर कभी सरकार ने नारी उत्थान के लिये स्वतन्त्र जांच समिति बनाई तो सरकार को मालूम होगा कि कितनी दुरावस्था में नारी का जीवन है। हिन्दू कोड बिल यदि केन्द्र में पास हो गया तो वह केवल नाममात्र का ही नारी उत्थान में सहायक होगा इसलिये उन कुप्रथाओं को रोकने के लिये सरकार को बहुत शीघ्र प्रादेशिक कानून बनाना चाहिए। सती प्रथा की तरह स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाय तो पुरुषों की अपेक्षा नारी अधिक रोग ग्रस्त है उसका मुख्य कारण महिला व्यायाम तथा स्त्री चिकित्सा का अभाव है इसके लिये महिला व्यायामशालाओं की प्रदेश भर में स्थापना करने की आवश्यकता है। जो सरकार को

ओर से स्कूलों में व्यायाम सिखलाने की नीति प्रसारित की गई है वह केवल नाममात्र को चल रही है क्योंकि सुयोग्य व्यायाम शिक्षिकायें ही नहीं हैं उसके लिये शीघ्र ट्रेनिंग कैम्पों के खोलने की आवश्यकता है और उस विषय को स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिवार्य कर देना चाहिए। दूसरे हमारे प्रदेश की अस्पतालों की हालत भी बड़ी ही दयनीय है। मुख्यतः नर्सों की बेहद कमी है और स्थानाभाव तथा सामग्री के अभाव के कारण मरीजों को दवा, बेड्स (beds) आदि की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। अधिकतर जच्चा-बच्चा को जमीन में बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता है और नर्सों की कमी के कारण उचित देखभाल मरीजों की नहीं हो पाती है। इसलिये बड़े-बड़े शहरों में जच्चा-बच्चा के अस्पतालों की बड़ी आवश्यकता है। प्रदेश के विधवाश्रम और अनाथालय प्रदेश के लिये कलंक हैं। स्त्रियों को बेचने तथा उनके साथ बलात्कार करने के अड्डे बन गये हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए ताकि उनका प्रबन्ध सुचारु-रूप से किया जा सके। कई वर्ष हुए सरकार ने स्त्रियों के लिये अलग जेल स्थापित करने के लिये एक कमेटी का निर्माण किया था। उसकी रिपोर्ट सरकार के पास कई वर्षों से विचाराधीन है। मैं अपने जेल जीवन के अनुभव से कह सकती हूं कि नवयुवती महिला कैदियों के ऐसे शर्मजनक किस्से जेल में हैं जो कि मैं स्पष्ट करने में असमर्थ हूं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि स्त्रियों के लिये विशेष जेल की शीघ्र स्थापना करके उनके रहन-सहन पर विशेष ध्यान दिये जायं ताकि उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठ सके और वे भविष्य में अपने जीवन को स्वच्छ तथा योग्य बना सकें। बालकों द्वारा अपराध भी बढ़ रहा है। उसका निदान प्रोबेशन (Probation) प्रणाली द्वारा किया जा सकता है। प्रोबेशन प्रणाली का विस्तार होना चाहिए तथा स्त्री प्रोबेशन अफसरों की नियुक्तियाँ होनी चाहिए।

मैं एक बार फिर राज्यपाल महोदय के भाषण की प्रशंसा करती हूं तथा उनकी सरकार की नीति घोषणा पर बधाई देती हूं। श्रीमान् जी अभी तो यहाँ बहुयें बदल जाती हैं। ठाकुर की बहू हरिजन के घर पहुंच जाती है और हरिजन की बहू ठाकुर के घर पहुंच जाती है। तो कृपया इतना उपाय तो पर्दे में अवश्य ही होना चाहिए कि स्त्री अपने असली पति के घर तो कुशलता से पहुंच जाय।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में हम लोग राज्यपाल के सम्बोधन पर विचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम हम लोग इस बात की ओर ध्यान दें कि आखिर राज्यपाल के सम्बोधन का क्या उद्देश्य है? अगर यह केवल रीति रस्म की बात है तब तो ठीक है कि हम लोग प्रशंसा करें लेकिन मैं समझता हूं कि राज्यपाल के सम्बोधन का उद्देश्य केवल यही नहीं हो सकता है कि उनकी हुकूमत ने क्या-क्या काम किये बल्कि उनका उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि उनके राज की जो जनता है उसकी दशा क्या है मौलिक प्रश्न यह है कि राज्यपाल हुकूमत के प्रतीक हैं या इस राज की रहने वाली जनता के प्रतीक हैं। मैं यह देखना चाहता हूं कि राज्यपाल का भाषण हुकूमत का प्रतिबिम्ब या इस प्रदेश की रहने वाली जनता के जीवन का प्रतिबिम्ब है। मुझे इस भाषण में हुकूमत का प्रतिबिम्ब तो दिखलाई पड़ता है लेकिन जनता के जीवन का प्रतिबिम्ब नहीं दिखलाई पड़ता इसलिये मैं कहता हूं कि उनका भाषण अधूरा है और वह तभी पूरा कहा जा सकता है जब जनता की बात जोड़ दी जाय। ऐसी हालत में जब-जब कोई संशोधन की बात होती है तो उसका उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि राज्यपाल को अगर हम बधाई देते हैं तो उसका विरोध करते हैं।

हम प्रस्ताव का विरोध नहीं करते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि उसमें जिस चीज की कमी है वह चीज भी सामने आजाय। मैं चाहता हूं कि सरकारी पक्ष के लोग इस दृष्टि से हमारी बातों को सुनें और जो संशोधन पेश किया गया है उसकी तरफ ध्यान दें। यह ठीक है कि किसी भी भाषण में सम्पूर्ण चीज नहीं आ सकती लेकिन इस बात की तरफ जरूर ध्यान दिया जा सकता है ताकि जनता समझ ले कि आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और उसमें हुकूमत की तरफ

[श्री राजा राम शास्त्री]

से जनता के लिये क्या संदेश है। आज जब राज्यपाल जी का भाषण यहां के समाचार-पत्रों में छपा होगा तो आप जरा ध्यान दीजिए कि इस प्रदेश की जनता ने किस निगाह से उसे देखा होगा। केवल सरकारी पक्ष के लोगों ने ही उसे संतोष की निगाह से देखा होगा लेकिन आम जनता ने उसे किस निगाह से देखा है? यह बात मैं इसलिये कहता हूं कि बहुत से लोग आज आशा लगाये होंगे कि हमारे प्रदेश में भुखमरी फैली हुई है, आज दूसरे हिस्सों में भुखमरी फैली है, सत्याग्रह की लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं और कीमतों के बढ़ने का अन्देशा है तो इसके लिये राज्यपाल जी ने हमें क्या संदेश दिया है? अगर हमें भोजन और वस्त्र नहीं मिलते हैं तो इसके लिये राज्यपाल जी का क्या संदेश है? आपने देखा होगा कि राज्यपाल जी ने यहाँ पर बहुत सी सुन्दर सुन्दर बातें संबोधन में कही हैं और बड़े-बड़े वायदे उन्होंने किये हैं वहाँ साथ ही साथ जिस चीज का इशारा उन्होंने किया है वह यह कि जितनी रोटी आपको मिलती है उतनी रोटी अब संभव नहीं है। आपको अब और भी इस बात के लिये तैयार रहना होगा कि आपको कम भोजन मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि कीमतों को बढ़ाने की तरफ हुकूमत का ध्यान तो नहीं है लेकिन ऐसी मजबूरी भी हो सकती है कि जब हुकूमत को ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़े। इन सब का परिणाम क्या होगा? जनता सालों के बाद असेम्बली और कौंसिल में मिनिस्टरों के भाषण सुनने के बाद और अच्छे अच्छे वायदों के बाद यह आशा करती थी कि जब कभी भवन में मीटिंग होगी तो कोई नया संदेश लेकर हमारी सरकार आयेगी और संदेश इस बात का होगा जिस में हमारी रोटी व कपड़ का हल होगा। लेकिन जब मैंने भाषण देखा कि सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, जोत का रकबा बढ़ रहा है, नयी योजनायें बढ़ती चली जा रही हैं और सरकार अफसरों की भी तादाद बढ़ाती चली जा रही है वहाँ साथ ही साथ एक के बाद दूसरे जिले में भुखमरी भी बढ़ती जा रही है। अब यह देखना है कि यह खराबी कहाँ पर है? आपको इसके लिये सोचना पड़ेगा, आपका इस तरह से काम नहीं चल सकता। सारा दोष प्रकृति के मत्थे पर मढ़कर आप बैठ जायं और यह कहते रह जायं कि हमतो बहुत कुछ करते हैं और हमने बहुत सी योजनायें भी बनायी हैं परन्तु अफसोस है कि प्रकृति हमारा साथ नहीं देती। दुनिया में कोई हुकूमत अपनी कमजोरी और अपनी खराबी तथा अपनी अदूरदर्शिता प्रकृति के सिर पर मढ़ कर बच नहीं सकती है। ऐसी हालतों में सरकारी पक्ष के लोग जरा गंभीरतापूर्वक सोचें कि हमारा सूबा किधर जा रहा है अगर आपका प्रयत्न सही मार्ग की ओर होता, बड़े ताज्जुब की बात है, अगर आप अच्छा काम करें तो अच्छा परिणाम निकलेगा इसलिये आपको देखना है कि कहाँ पर खराबी है? आप ऐसी योजनायें बनायें जो सफल हो सकें। अगर आप इस ढंग से नहीं चले तो १० वर्ष बाद भी हम यहीं पर रहेंगे जहाँ आज हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर जरा ध्यान तो दें। मैं यह चाहूंगा कि यह जो नई-नई योजनायें निकलती हैं उन पर विचार किया जाय। पाँच योजनायें पहले से चल रही हैं छठीं योजना और बढ़ रही है। आज मैंने वार्धा स्कूल के विचारणीय व्यक्तियों का एक आर्टिकिल (Article) पढ़ा है। इटावा में एक नई योजना बनायी गयी जिसका हमारी सरकार ने दुनिया भर में प्रचार किया। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं जैसा कि कल कहा गया कि हम लोग साम्यवादी हैं और हुकूमत को दिन भर कोसा करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा जो लोग गाँधीवाद के पक्ष में हैं वह इस ओर भी ध्यान दें कि जो वार्धा स्कूल के लोग हैं वह अपनी राय इन योजनाओं के बारे में क्या रखते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान इटावा की योजना के आर्टिकिल के बारे में दिलाना चाहता हूं। उसके लेखक हैं ठाकुर प्रसाद और सुरेश प्रसाद। आप उन आर्टि-किल को पढ़ें और गौर करें। हमारी सरकार बड़ी बड़ी योजनायें बनाती है लेकिन किसी में भी उसको सफलता नहीं मिलती है इससे हम यह समझते हैं कि इसमें जरूर कोई न कोई खराबी रह जाती है। सरकार को उन दोषों को दूर करना चाहिये। मैं १५ साल से असेम्बली में देखता चला आ रहा हूं कि सरकार लम्बी-लम्बी सड़क बनाने की योजना बनाती है, उस योजना के कार्य को आरम्भ भी करती है लेकिन काम खत्म होने के बाद कहती है कि हमारे पास अब रुपया नहीं है। हम कहां से इतना पैसा लायें जो खर्च करें। नतीजा यह

होता है कि उस काम को अधूरा ही छोड़ देना पड़ता है। 'आधा तीतर और आधा बटेर' वाला किस्सा हो जाता है। सरकार के इस तरह के कार्य से जनता बहुत असंतुष्ट हो जाती है। जब तक आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे आपको सफलता मिलनी बहुत कठिन है। इसका परिणाम आप खुद देख रहे हैं कि आपकी कोई भी योजना सफल नहीं हो रही है।

मेरे लिये सबसे बड़ी मजदूरों की समस्या है। मैं १०-२० साल से मजदूरों की सेवा करता आ रहा हूं। मुझे राज्यपाल महोदय के भाषण को पढ़ कर बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने श्रमिकों के संबंध में कोई विशेष बात नहीं कही कि जिसको पढ़ कर श्रम समुदाय में शान्ति का वातावरण पैदा होता, इस प्रदेश में मजदूर क्षेत्रों में संतोषजनक स्थिति पैदा होती। जरा सोचिए कितनी विरुद्ध बात है और कैसे राज्यपाल महोदय इस सदन के अन्दर अपना ऐड्रेस (Address) करते हैं कि बिल्कुल शांति है, अमनोअमान है। मैं तो कहता हूं कि इस तरह का वह अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। कानपुर की स्थिति के बारे में लेबर डिपार्टमेंट (Labour Department) यह कहता है कि अशांति है, अशांति है। तो हम लोग किसकी बात को सही मानें और किसकी बात को सही न माना जाय। हम राज्यपाल महोदय के संदेश को सही मानें या लेबर कमिश्नर की बात को सही मानें। मैं कानपुर में रहता आया हूं और वहां मजदूरों के बीच में रहा हूं और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि राज्यपाल महोदय की बात में सत्यता का बिल्कुल ही अभाव है और लेबर कमिश्नर ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है और वस्तुस्थिति के अनुकूल है। आज आप कहते हैं कि लेबर आराम से दिन व्यतीत कर रहा है। जबकि डेढ़ वर्ष से कानपुर में लेबर बोनस के लिये लड़ रहा है और आप कहते हैं कि लेबर के बीच में अमनोअमान है, वह इसलिये कि हमने उनसे हड़ताल नहीं होने दी है। यह बात सही है कि कहीं पर ऐसा हुआ हो लेकिन पंत जी ने भी इस बात की प्रशंसा की है कि उस समय उन्होंने हड़ताल नहीं की है, हम समझते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है हमें किसी तरह से भी इन मसलों को हल करना है। हम लोग मिनिस्टरों के पास गये, लेबर कमिश्नर (Labour Commissioner) के पास गए और कलेक्टर के पास गए और हमने स्थिति को संभाला है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मजदूरों की मांगे सही हैं। चुपके-चुपके हम लोग मिल मालिकों के पास गये और उनको समझाया परन्तु वे लोग नहीं माने और तब हमने मजदूरों को समझाया और वे लोग हमारी बात मान गये। जब मिल मालिकों का मसला आता है तो हमारी गवर्नमेंट उस समय असमर्थ हो जाती है लेकिन जहां मजदूरों का मसला आता है तो उनको दबा दिया जाता है। दफा १४४ लगी हुई है जब चाहा मजदूरों पर गोली चलाई जाती है, जब चाहा उन पर लाठी चार्ज कर दी जाती है और हमारे गवर्नर महोदय यह कहते हैं कि मजदूरों की हर माँगें पूरी की जाती हैं। माननीय पं० जवाहर लाल जी ने कहा था, जब कि भगत सिंह को फांसी दे दी गयी थी कि जब कभी हमसे यह कहा जाय कि हम अंग्रेजों से हाथ मिलायें या उनसे समझौता करें तो भगतसिंह की तड़पती हुई रूह हमें उनसे हाथ नहीं मिलाने देगी। इसी तरह से हमसे कहा जाता है कि हम राज्यपाल महोदय के संबोधन के लिये उनको बधाई दें, तो जो गोरखपुर के मजदूरों को अपनी मांग के लिये मर जाना पड़ा है, वह हमें मजबूर करते हैं कि हम राज्यपाल जी को बधाई नहीं दे सकते हैं। जब कभी मजदूरों का मसला आता है तो उन पर लाठी चार्ज की जाती है। कहीं गोली कांड मजदूरों के साथ हुआ। जब मजदूरों ने अपनी मांग पेश की तो कहीं उन पर लाठियां चलीं और कहीं उन पर गोलियां चलाई गयीं। मजदूरों की बात पर गोलियां चलायी जाती हैं, उसके बदले में उनको भूखों मारा जाता है। अगर आप लोगों की यही भावना रही और हर मामले में हुकूमत का यही रवैया रहा तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि मुल्क में एक बड़ी भारी क्रांति पैदा होगी। मैं मिनिस्टरों से कहना चाहता हूं कि आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, यह नहीं कि सरकारी पक्ष की तरफ से जो सुझाव पेश किये जाते हैं उनकी प्रशंसा की जाय। लेकिन मैं कहता हूं कि खाली उन्हीं सुझावों से आपकी हुकूमत नहीं बन सकती। हम लोग विपक्ष में बैठ कर जो कुछ भी कहते हैं वह काफी हद तक ठीक और सही होती हैं। हम लोगों ने भी स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया है,

[श्री राजाराम शास्त्री]

हम लोग भी जेलखाने गये हैं, हम लोगों ने भी उनसे कम त्याग नहीं किया है हमने भी मुसीबतें झेलीं तो हम लोगों के ऊपर इस तरह का जुर्म नहीं होना चाहिये। अगर मजदूरों पर जुर्म होता है तो उसका विरोध करना हमारा फर्ज है। महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर हमने यह सीखा है कि अत्याचार का सामना हमें करना चाहिये। हम जब कभी हुकूमत के विरोध में खड़े होते हैं और जितनी बातें कहते हैं वे सब मजदूरों की बातें सुनने के बाद ही हम कहते हैं। केवल एक बात और कह कर माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वह बात यह है कि अब देश में जो परम्परायें काम करने की हैं और जिस परम्परा से हमें काम करना चाहिये और हमारी देश की प्रजातंत्रवाद की परम्परायें ऐसी होनी चाहियें उसमें जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि नये मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। जो कि अब नया मंत्रिमंडल बनाया गया उसमें उन्होंने शपथ ग्रहण की और उसके कई रोज पहले अखबारों में यह बात छाप दी गयी और उसका एनाउन्समेंट (announcement) हो गया कि नया मंत्रिमंडल बन गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कांस्टिट्यूशन (constitution) में यह बात है कि जब पुराना मंत्रिमंडल अपना इस्तीफा दे दे तब नया मंत्रिमंडल अपनी घोषणा करता है, उसके पहले नहीं, और इस बात की घोषणा की गयी मगर माननीय राज्यपाल महोदय को इस बात का पता नहीं था। आखिर मंत्री महोदयों को इतनी शीघ्रता क्यों थी क्या वे इसके लिये दो दिन नहीं रुक सकते थे। मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि हमारा सूबा शिक्षा और दूसरे चीजों में आगे बढ़े और उसके लिये जितना सहयोग हम दे सकेंगे, देंगे क्योंकि जनता के हित में हम सब कुछ करने को तैयार हैं और यदि उसके हित के विरोध में कोई काम किया गया तो उसके लिये सदैव हमारा एतराज होगा और हम उसका विरोध करेंगे। जहां भवन इस प्रस्ताव को मंजूर करे, मैं यह आशा करता हूं कि वह इस संशोधन को भी अवश्य मंजूर करेगा।

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के लिये एक सदस्य के निर्वाचित होने की घोषणा

चेयरमैन—सदन की बैठक को अवकाश के लिये स्थगित करने के पहिले मुझे आपको यह सूचना देनी है कि आप लोगों को अभी एक चुनाव में वोट देना है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी के लिये दो नाम आये हैं।

Professor Mukut Behari Lal: When I proposed the name of Dr. Ishwari Prasad for the Universities' Grant Committee I did not know that.........

Chairman: It is for Dr. Ishwari Prasad to withdraw his name if he wants to and not for you.

Dr. Ishwari Prasad: Sir, I withdraw my name.

चेयरमैन—अब तो एक ही नाम रह गया है, इसलिए मैं घोषित करता हूं कि श्री दीपचन्द्र यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के लिये सदस्य निर्वाचित हुए।

अब एक बज रहा है और हम लोग एक घंटे के लिये बरखास्त होते हैं और दो बजे से फिर यह बहस जारी रहेगी।

(इस समय कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए।)

चेयरमैन—जब चेयरमैन खड़ा हो तो किसी सदस्य को खड़ा न होना चाहिये।

अब एक घंटा बाकी रह गया है और उतने समय में जितने सदस्य बोल सकेंगे, बोलेंगे बाकी सदस्यों को मुझे माफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी बहुत से नाम हैं और सबको

बोलने का मौका नहीं मिल सकेगा। बाकी सदस्य किसी दूसरे मौके पर बोल लेंगे। ३ बजे मिनिस्टर साहेबान बहस का उत्तर देना शुरू करेंगे।

कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गयी और दो बजे चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद का प्रस्ताव

Dr. Piare Lal. Srivastava: Sir, with your permission I would like to make one or two observations for the consideration of the Hon'ble the Minister for Education. No fair critic of the Government will deny that the Pant Ministry has pushed the scheme of education during the last five years with commendable zeal and earnestness. The Education Budget which stood at 2·57 crores in 1946 rose to 7·37 crores in 1951. The number of Primary Schools which was 19,000 in 1946 rose to 33,000 in 1951. Similar increase took place in Secondary Institutions, in Degree Colleges, in Training Colleges and in other allied institutions. Nor did the Government ignore adult education or even the Social Service Schemes. These are all to the credit of the Government and we must congratulate the Hon'ble Minister for Education for bringing about this vast expansion of education during the last five years. But, I agree with a large number of members here who have said that the standard of education has gone down all round. I am myself not satisfied with the content of education that is being imparted in Secondary and Primary Institutions. We are grateful to the Government for appointing Acharya Narendra Dev Committee for Secondary Education. My definite suggestion to the Government is that they should immediately appoint a similar Committee for Primary Education. The Committee should go into the question of syllabus, efficiency of teaching and the standard of Education of the Primary institutions. Many of us who are members of the Secondary Education Committee were discussing the other day in the Committee meeting how a good structure of Secondary Education can be built up unless we have a sound and good. Primary Education as its foundation. I, therefore, hope that the Government will easily come to the conclusion that no reform of education is possible if you start it at the Secondary stage. If the standard of Primary Education is not raised how can you expect the standard of Secondary Education to be increased? If the standard of Education remains what it is to-day, Sir, the University education will also go down in its standard and to a certain extent it has already gone down on account of the lowering of standards of High School and Intermediate Education. I, therefore, earnestly appeal to the Government to consider the advisibility of appointing immediately a Committee to go into the question of improving the Primary Education.

Sir, I have been pained to hear some unkind criticism of the Universities in this House from several members. One of the members went as far as to say that on account of party intrigues and election controversies no further expenditure should be incurred on University Education and the savings thus effected might as well be diverted towards Primary Education. I would like to remind the members of this House what Mr. Lloyd George once said about Oxford and Cambridge Universities. He said that these two Universities were the two pulses of the nation and once they stopped beating the nation would die.

[Dr. Piare Lal Srivastava]
The same thing would happen if you lock the doors of the Universities. In spite of all handicaps and limitations, Sir, I claim that the Universities of the State have functioned fairly well, they have tried their best to maintain good standards.

They are still producing, as in the past, efficient administrators, statesmen, scientists, philosophers and thinkers. How will you man your services if you starve these universities? It is a fact which cannot be denied that the Government grants to these Universities have not been increased in the same proportion in which the number of students and teachers has increased during the last 10 years. That is exactly the reason why most of these Universities are passing through great financial difficulty at the present moment. I would, therefore, say, Sir, that the Government should maintain these universities, and try to give them all possible help, financial or otherwise. Lastly I would impress upon the members of this House the urgent need of improving the status of our teachers of all categories beginning with primary school teachers and ending with the university teachers. Unless the status of these teachers, their emoluments and conditions of their service are improved no sound education either primary, secondary or university can be built up. With these words, Sir, I support the motion of thanks on the Governor's address which has been so ably moved by my friend Mr. Deep Chandra.

*श्री परमात्मानन्द सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये यहां उपस्थित हुआ हूं जो मेरे माननीय मित्र श्री दीपचन्द्र जी ने यहां पेश किया है। मैं कल से बहुत उत्सुकता के साथ उन व्याख्यानों को सुन रहा हूं जो इस भवन में होते रहे हैं मैं इस सदन में बहुत पहले से हूं और बहुत से हमारे लायक मित्र और बहुत योग्य विद्वान यहां पर आये हैं। मुझे प्रसन्नता होती थी, मुझे बड़ा हर्ष होता था यह जानकर कि कैसे साथियों के साथ मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी होती थी, जब मैं अपने भाइयों के व्याख्यान को सुनता था। उसमें विशेष प्रकार से उन भाइयों का व्याख्यान जिन्होंने शिक्षा के संबंध में बातें बताईं। शिक्षा निहायत अच्छी चीज है जिससे कि हमारे देश का स्तर ऊंचा होता है। वह कान्स्ट्रक्टिव (constructive) चीजों में सबसे जरूरी चीज है। हमारे स्नातकों के प्रतिनिधि यहां आये हैं, जो हमें समय पर सलाह देते रहेंगे तथा हमारी मदद करते रहेंगे। जिससे देश की उन्नति में यह तजवीज मदद करती जाय। कुछ यहां व्याख्यान हमारे मित्रों के और खासतौर से समाजवादी विचार रखने वाले मित्रों के हुए जिनको सुनकर मैं आश्चर्य करता रहा। हमारे एक बुजुर्ग ने यह कहा कि हमारी आवाज बन्द नहीं होनी चाहिये। डेमोक्रेसी की रक्षा होनी चाहिये। हमें हर प्रकार की बातों को कहने की आज्ञा मिलनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि वे किस स्टेज पर स्टाप (stop) किये गये हैं, वंचित किए गए हैं। उनकी जबान बन्द की गयी है। अभी इलेक्शन हुआ और उन लोगों के व्याख्यान हुए। क्या तकरीरों में ऐसे वाक्य नहीं प्रयोग किये गये कि इस सरकार को उड़ा दो। क्या क्या बातें उसमें नहीं कही गयीं ? यह ठीक है कि स्वतंत्रता थी। जैसा वह प्रयोग किये हैं, नहीं करना चाहिये। कुछ बातें कही जा सकती हैं। लड़ाई के जमाने में एक बात फेयर मानी जाती है लेकिन वार (war) के समाप्त होने के बाद जब हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जब हमें जनता की सेवा करनी है तो ऐसी बातें करनी चाहिये जो हमारे राष्ट्र के नियमों में सहायक हों। हमें उन बातों का और उन वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिये जिससे हमें किसी प्रकार की हानि हो। किसी की जबान न रोक सकने की

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मिसाल इस भवन के अन्दर मौजूद है। जब हमारे सुयोग्य दोस्त प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल ने भी प्रमाण देकर इस बात को बताया या यों कहें कि ऐसी चीज रखी कि अगर हम ऐसा न करें तो हमें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। एक दूसरे मित्र जो इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं उन्होंने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है, जैसे गोरखपुर का। मैं सोचता था कि हमारे अनुभवी मित्र जो इतने दिन का तजुर्बा इस स्टेट लेजिस्लेचर (State Legislature) का रखते हैं। हमारे मित्र ने इस बात को कहा कि जब गोरखपुर के मजदूरों की लाश हमारे सामने है, जब कानपुर के मजदूरों की हालत हमारे सामने है। ऐसे समय पर हम गवर्नमेंट को मदद किस ढंग से दे सकते हैं?

मुझे अफसोस है कि मेरे मित्रों ने इस समय भी जब कि एलेक्शन (election) खत्म हो गया है और हमें निर्माण का काम करना है उस समय ऐसी भावनाओं को जगाने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें हमेशा इस बात की आशंका रहती है, हम अपने अहिंसा और डेमोक्रेसी का जो मार्ग है उससे अलग हो कर कहीं दूसरे रास्ते पर चले जायं और हमें सख्ती करनी पड़े। हाँ यह मैं जरूर कहूंगा कि जो कोई भी क्रिटिसिज्म (criticism) यहाँ पर हो वह कांस्ट्रक्टिव (constructive) होना चाहिये, रचनात्मक होना चाहिये। इस दृष्टि से अगर हम प्रोफेसर साहब के संशोधन को देखते हैं जो कि इस समय यहां पर प्रस्तुत है तो उसमें भी हमको कुछ ऐसी बातें नहीं मिलती हैं। मुझे याद है कि पिछले साल के जून में जब मैं नैनीताल में था उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर आनरेबुल पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच रेडियो (radio) से ब्राडकास्ट (broadcast) हुई थी। मैंने उसको बड़े गौर से सुना था। उसमें आनरेबुल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चैलेंज (challenge) किया था, चैलेंज ही नहीं बल्कि आमंत्रित किया था हमारे समाजवादी भाइयों को कि हमने एक चीज बनायी है एक पंचवर्षीय योजना बनायी है, कांस्ट्रक्टिव प्लान (constructive plan) बना रहे हैं उसमें जो कोई भी सलाह देना चाहे हम उसे खुले कानों से सुनने के लिये तैयार हैं। उस पर वादविवाद करने के लिये तैयार हैं। हम देश के अगुओं को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे निर्माण कार्य में हमारी सहायता कीजिए। अपनी राय दीजिए जिसको सुनने के लिये, उस पर गौर करने के लिये, उस पर बहस करने के लिये तैयार हैं। उस समय पर हमारे भाई उससे फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते हैं।

यह जो संशोधन पेश किया गया है, यह नकारात्मक है, रचनात्मक नहीं है। उसमें सजेशन (suggestion) नहीं दिया जाता है। यह नहीं कहा जाता है कि यह जोड़ दिया जाये, यह कहा जाता है कि इसमें यह नहीं कहा गया इसमें वह नहीं कहा गया। वह भी नकारात्मक है। इस विषय में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्यों कि केवल एक मिनट और है। मेरे विचार में यह जो अमेंडमेंट है यह क्रिटिसिज्म के रूप में भी असफल रहा है और कांस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर तो बिल्कुल ही फेल्योर (failure) रहा है। अब मैं दो शब्दों में एक विषय के बारे में कह देना चाहता हूं। यहाँ पर डेमोक्रेसी (democracy) का नाम बार-बार लाया गया है। परसों से डेमोक्रेसी का नाम लिया जा रहा है, हमारे दोस्त गोविन्द सहाय ने भी उसका जिक्र किया था और दो एक दोस्तों ने भी जिक्र किया है। मैं नहीं जनाता कि डेमोक्रेसी के माने क्या लगाये गये हैं? मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के अन्दर यह होता है कि जो दल बहुमत में होता है उसकी हुकूमत होती है और अल्पमत को अपनी बातों को कहने की पूरी स्वतंत्रता होती है। रही डेमोक्रेसी के लिये जो खास चीज होती है वह अहिंसा है। अगर हमारे भाई हिंसात्मक भावनाओं को निकाल दें और ऐसी कार्यवाही न करें जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है उससे हम डेमोक्रेसी कायम कर सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी की नाकामयाबी को किसी दूसरे रूप में देखा जाता है तो मैं कह सकता हूं कि केवल इसी कारण से वह डेमोक्रेसी को इतना नहीं अपना सकते जितना हम अपना सकते हैं।

श्री सरदार संतोष सिंह--जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपकी सेवामें यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं कल से यहाँ पर हाउस के अन्दर गवर्नर महोदय के ऐड्रेस के मुताल्लिक बहुत सी बातें सुन चुका हूं, कुछ पक्षपाती और कुछ अपोजीशन की तरफ से। मगर इस बात पर विचार करने के बाद यह मालूम होता है कि गवर्नर महोदय ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसको उन्होंने टच(touch) न किया हो। मेरे विचार में उनका ऐड्रेस बिल्कुल कम्प्लीट(complete) हालत में है। कल मेरे एक दोस्त ने जिनका नाम श्री एस० एस० जौहरी है उन्होंने कहा था कि फैक्टरी और लेबर में पीस (peace) नहीं है, आज राजा राम शास्त्री ने भी यही कहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लेबर की हालत आज बहुत उठ गयी है जिसके लिये मेरे दोस्त ने फरमाया है कि इन लोगों (लेबर) ने इनका कहना माना, मगर आज वह यह कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को उनकी हालत का पूरा पता नहीं है और वह यह नहीं जानते हैं कि वहाँ के क्या क्या हालात हैं? उन्होंने तस्वीर का एक ही रुख दिखाया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं लेबर के साथ काम करता हूं, मुझे उनके साथ काम करते-करते ४८ साल हो चुके हैं। मैं एक लेबर की हैसियत से वहाँ दाखिल हुआ था मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने लेबर की साइड(side) ली है और उनको ऊपर उठाया है, मगर आप लोगों ने उनको यह जरा भी नहीं बतलाया कि उनकी ड्यूटीज(duties) क्या हैं? आप उन लोगों को कारखाने में काम करने की तालीम दें। जैसे आपने उन लोगों को उठाने में सहायता दी है वैसे ही उनको बतलायें कि इंडस्ट्री में एफीशिएंसी (efficiency) की कमी नहीं होनी चाहिये। नहीं तो हमारा देश और देशों के मुकाबिले में पीछे रह जायेगा। मुझे आशा है कि वह मेरे कहने को दूसरी लाइट (light) में नहीं ले जायेंगे, मैंने जिस लाइट में कहा है उसी लाइट में ही लिया जाये।

श्री हकीम बृजलाल वर्मन--जनाब सदर, मैं माननीय महामहिम राज्यपाल के संबोधन के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कितने ही मित्रों ने कई बातें कही हैं खास तौर पर मेरे मित्र गोविन्द सहाय जी ने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने सूची गिनाई और कोई योजना नहीं बताई किन्तु खेद है कि उन्होंने योजना तो बताई ही नहीं और सूची भी नहीं बताई। जहाँ तक मेरा ख्याल है जितनी सुधार की योजनायें हो सकती हैं उनका समावेश राज्यपाल के संबोधन में हो चुका है और कोई नई बात कहने को नहीं रह जाती है। योजना बनाने का काम यह है कि हम योजना बनावें और उनको पूरा करें और आगे बढ़ें तो यह तो हमारा और आपका काम है।

दूसरी बात मुझे अर्ज करना है कि तीसरे पृष्ठ पर यह कहा गया है कि जनता को हम शोषण और निर्धनता से मुक्ति दिलायें। पहला काम राजनैतिक स्वतंत्रता का तो पूरा हो गया किन्तु दूसरा काम करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। जैसा हमारे कई मित्रों ने बताया है हम क्यों न मिल कर योजना बनावें और उनको पूरा करें। यह जितनी भी योजनायें हैं, तब तक पूरी नहीं हो सकती हैं जब तक स्थानीय संस्थाओं जैसे गाँव पंचायत, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पूरा-पूरा सहयोग न हो और उनको पूरा-पूरा अधिकार अपने क्षेत्र में कार्य करने का न दिया जाय। यह मौका आज मुझे मिला है इसलिये मैं सरकार की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बहुत से पुराने ऐक्ट स्थानीय संस्थाओं के बने हुए हैं और अभी तक इन स्थानीय संस्थाओं को वैसे अधिकार नहीं मिले हैं जैसे कि दूसरे देशों में हैं। कदम-कदम पर इन संस्थाओं को दूसरे लोगों के मातहत रहना पड़ता है। हम सब इन योजनाओं को, जो राज्यपाल ने हमारे सामने रखी हैं, उनको यदि पूरा करना चाहते हैं तो हमें जितनी जल्दी हो सके, इन संस्थाओं को पूरे अधिकार देना चाहिये और इन ऐक्टों में आमूल परिवर्तन करने की कोशिश करना चाहिये। इसके अतिरिक्त जो खाद्य वस्तुओं के उत्पादन करने की योजना बनाई गई है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनमें से बहुतों ने अपने को समय के अनुकूल परिवर्तित कर लिया है लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको इन योजनाओं से कोई दिलचस्पी नहीं है और वे इन्हें केवल एक सफीरी सनक समझते हैं। जब तक हमारे अधिकारियों की रुचि न होगी तब तक यह योजनायें पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिये इस प्रकार की योजनाओं को जिला अधिकारियों के ही

सुपुर्द न कर देना चाहिये बल्कि जिला बोर्ड्स के अधीन या और दूसरे लोगों के सुपुर्द, जो इनमें रुचि रखते हों, पूरा करने के लिये दी जाय कर्मचारियों को योजना पूरा होने पर पारितोषिक दिया जाय नहीं तो दंड। इसी तरह से यह योजनायें सफल हो सकती हैं।

एक चीज की ओर मुझे और तवज्जह दिलानी है कि महामहिम राज्यपाल के यहाँ से कल जो भोज के लिये निमंत्रण पत्र मिला है वह अंग्रेजी में मिला है और हिन्दी के विषय में जो सरकारी जी० ओ० हर जिले में गया है वह भी अंग्रेजी में गया है। यह ऐसी चीज है जिसे हम और आप भी चाहते हैं कि इस प्रदेश की राज्यभाषा हिन्दी अंग्रेजी पर पूर्णरूप से विराजमान हो और मैं अपने अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि वे सरकार तक इस बात को पहुंचा दें। हमें अपना ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिये कि वह इस प्रकार की कोशिश करें जिससे जो हमारी राज भाषा हिन्दी और देव नागरी लिपि निश्चित हो गयी है उसका पूर्ण रूप से विकास हो। इस संबंध में जैसा मैंने अर्ज किया जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाय और जो जी० ओ० हिन्दी के संबंध में जाय और जो भी सरकारी पत्र जायं वे कम से कम हिन्दी में ही जायं। हिन्दी भाषा का कारण यही नहीं है कि यह हमारी सरकार की राज भाषा हो गई है बल्कि बहुत सी चीजें और बहुत सी बातें हैं जो हमारी स्थानीय संस्थाओं के सदस्य व अध्यक्ष हैं तथा हमारी जनता है उन्हें अंग्रेजी न जानने के कारण मालूम नहीं हो पाती हैं। वे बातें हिन्दी से मालूम हो जायेंगी। इन बातों के न मालूम होने से बेहद भूलें हो जाती हैं। इससे हमारा जनतंत्र भी बचेगा और हमारी सरकार भी बचेगी।

सरकार ने कुछ जिलों में जंगल नष्ट होने के कारण और वृक्षों की कमी के कारण नंद गाँव बर्साना से लेकर गोबर्धन और आगरा तक वृक्ष लगाने की योजना रखी है। इसके लिये मैं सरकार को व्रज की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं।

गृह-निर्माण की योजना के संबंध में महामहिम राज्यपाल ने बताया है कि हमें मध्यम वर्ग के लोगों की सहायता करनी चाहिये। सरकार मध्यम वर्ग के लोगों के लिये और सरकारी कर्मचारियों के लिये घर बनाने की कोशिश कर रही है और उसकी पूरी चेष्टा भी कर रही है मेरा अर्ज यह है कोई भी सरकार हो, सरकारी काम खर्चीले तो होते ही हैं लेकिन उसके साथ ही विलम्ब भी होता है। इसलिये ज्यादा अच्छा होगा यदि सरकार के बजाय किसी संस्था को यह काम दिया जाय। गृह-निर्माण की योजनायें यही संस्थायें अच्छा काम करके कम समय तथा कम धन में पूरी कर सकते हैं।

कहा गया है कि आगामी ५ साल के अन्दर प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने की कोशिश की जायेगी। मेरी बहुत अदब से गुजारिश है कि आप उसमें कोशिश करें और "कोशिश की जायेगी" शब्दों को न रखें। बल्कि ऐसा हो कि अगले ५ साल में प्राथमिक शिक्षा इस प्रदेश में व्यापक हो जायगी।

आखिर में यह कहा गया है कि अन्न के मूल्य न बढ़ने में पूरी-पूरी कोशिश की जायेगी। मैं कहता हूं कि सरकार को पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिये कि कम से कम इस प्रदेश में तो अन्न का जो भाव इस वक्त है वही भाव रहे और इससे ज्यादा न बढ़ने पावे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर महामहिम राज्यपाल के संबोधन के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव किया गया है उसका अनुमोदन करता हूं।

*श्री बेनी प्रसाद टन्डन--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से यहाँ पर राज्यपाल महोदय के संबोधन पर काफी मुबाहिसा हो रहा है। सरकारी पक्ष की तरफ से और विरोधी पक्ष की तरफ से तकरीरें हो रही हैं, उनको मैंने काफी गौर से सुना। उन सबको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं भी कुछ सुझाव सरकार के सामने रखूं। राज्यपाल महोदय ने जो विचार अपने संबोधन में प्रकट किये हैं उसके विषय में मुझे सिर्फ यह कहना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो चल रही है उसमें विशेष रूप से संशोधन की आवश्यकता है, और जो नरेन्द्रदेव कमेटी नियुक्त की गयी है, वह खोज कर रही है। हम लोग इस

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बेनी प्रसाद टंडन]

नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे प्रान्त में किस प्रकार की शिक्षा दी जाय और इस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे प्रान्त में शिक्षा के लिये जो योजना रखी गयी है वह किसी तरह से भी संतोषजनक नहीं है। वह योजना न तो विद्यार्थियों के लिये, और न अध्यापकों के लिये ही उपयोगी है। हम लोगों को शिक्षा की उन्नति के लिये विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि विद्यार्थी यदि किसी स्टेज (stage) पर छोड़ दे तो वह शिक्षा उसके लिये उपयोगी हो सके। इसके अलावा हमारे यहाँ जो टेक्निकल (technical) शिक्षा दी जाती है वह अपूर्ण भी कही जा सकती है और उसमें भी पूरी तरह से तरक्की नहीं हो रही है। इसके कारण हमारे देश में अनइम्प्लायमेंट (unemployment) बढ़ता चला जा रहा है। उनके लिये हमारी सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे शिक्षित लड़के गलियों में मारे-मारे न फिरें।

इसके अलावा मैं कुछ पब्लिक हेल्थ (public health) के बारे में भी कहना चाहता हूं। पब्लिक हेल्थ के बारे में जो कुछ हमारे गवर्नर साहब ने कहा वह बहुत ही कम है। इस विषय पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। हमारे प्रान्त के जो अस्पताल हैं उनकी हालत बहुत खराब है। हेल्थ रिआर्गनाइजेशन (health reorganization) १९४७ की रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि हमारे प्रान्त के सारे अस्पताल पुरानी इमारतों में हैं और उनका इंतजाम भी पूरी तौर पर संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पब्लिक हेल्थ (public health) व अस्पताल की तरफ सरकार ज्यादा से ज्यादा धन देने की कोशिश करे और जितनी सुविधा जनता को पहुंचा सके पहुंचाये।

इसके अलावा मैं अपने प्रयाग के विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बातें आप के सामने रखना चाहता हूं। प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थिति इस समय बहुत ही असंतोषजनक है और दिन बदिन उसकी माली हालत खराब होती चली जा रही है। हमारी सरकार ने उसको ६ लाख रुपया बतौर कर्जे के दिया है। यूनिवर्सिटी के संशोधन के पूर्व आर्थिक समस्या को हल करना परम आवश्यक है और अध्यापकों व नौकरों को समय पर वेतन मिलने का पूरा संतोषजनक प्रबन्ध करना चाहिये। वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधारी जाय। इस विषय पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त मुझे सिर्फ दो एक बातें जमींदारी अबालिशन पर कहनी हैं। इस विषय पर ज्यादा बहस करना बेकार है।

लगान वसूली की स्कीम के बारे में अभी जानकारी नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पटवारियों से लगान वसूल करने की योजना संतोषजनक न होगी। जमींदारी के हट जाने के उपरान्त काश्तकारों को लगान तुरन्त देना पड़ेगा। इसके लिये भी पहले से ही विचार कर लेना चाहिये कि कौन सी एजेन्सी (agency) सहूलियत से वसूल करने की होगी कि जिसमें काश्तकारों को कष्ट न हो।

इसके अलावा मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि काटेज इंडस्ट्रीज (cottage industries के बारे में कुछ इशारा राज्यपाल जी के संदेश में किया गया है। काटेज इंडस्ट्रीज याने घरेलू धंधे जो हैं, उनकी स्थिति बड़ी ही नाजुक है। घरेलू धंधे जो अब चलाये जा रहे हैं उनमें न वहां के काम करने वालों को संतोष है और न पैसा लगाने वालों को संतोष है। नतीजा यह है कि पैसा लगाने वालों का और मजदूरों का संघर्ष इस वक्त बड़े जोरों से चल रहा है और उसके अलावा जो सामान काटेज इंडस्ट्रीज में तैयार होता है उसके विक्रय की भी कोई संतोषजनक एजेन्सी अभी तक ऐसी तैयार नहीं हुई जिससे उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिल सके। इसके ऊपर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो लोग काटेज इंडस्ट्रीज में हैं उनका विक्रय करने के लिये कुछ इंतजाम पक्के तौर से करें ताकि कम्पटीशन (competition) में बरबादी न हो। इन चन्द शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के संबोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री वंशीधर शुक्ल—माननीय चेयरमैन, दोनों पार्टियों के विवादग्रस्त प्रश्नों को सुनकर मुझे अपनी वकालत के प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयां याद आती हैं। शुरू शुरू में वकालत जीवन में आमदनी तो कम होती ही है। एक रोज जब मैं कचहरी से घर लौटा तो वहां मैंने वही चीज पाई जिस तरह से सभी अपोजीशन की चिल पुकार स्पीचेज (speeches) अभी हुई हैं। वहां पर कहा यह गया, याने मेरी देवी जी ने कहा कि साहब मैं पुराना खद्दर नहीं पहन सकती, हालांकि खद्दर भी अच्छे किस्म का मिलता है और अब आपको दूसरे किस्म के कपड़े का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैंने विनय पूर्वक उनसे कहा कि देवी जी इस वक्त मेरी आमदनी बहुत कम है, शुरू-शुरू का जमाना है अभी इतनी आमदनी कहां से हो सकती है। उन्होंने झल्ला कर कहा कि तुम वकालत करते हो, काफी आमदनी होती है। मैंने कहा कि देवी जी कई और काम हैं, अभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा है और भी घरेलू बातें हैं और भी कई सवाल हैं जो कि इस समय करना जरूरी है और अपनी आमदनी के हिसाब से हमें चलना चाहिये। खैर, वह किसी तरह से मान गयीं, परन्तु गुस्सा थी हीं। मैंने यह मिसाल इसलिये कही कि हमारे जो अपोजीशन (opposition) के दोस्त हैं वह हमारे सामने यह सवाल पेश करते हैं कि अमुक चीज यहां पर नहीं है और यह चीज नहीं है, यह चीज होनी चाहिये।

इन कन्डीशन्स (conditions) में हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जब यह सजेशन्स (suggestions) हमारे सामने उपस्थित हों कि साहब फलां योजना होनी चाहिये और फलां योजना इसमें नहीं है तब हमें अपने रहस्य की ओर भी ध्यान रख लेना चाहिये।

हमारे रिसोर्सेज (resources) क्या हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाय। मैं जानता हूं कि हमारे मजदूर भाइयों की हालत बहुत बुरी है, काश्तकारों की हालत भी इससे अधिक अच्छी होनी चाहिये जितनी कि इस वक्त है और मध्यम वर्ग में भी जितनी तरक्की होनी चाहिये वह भी इस वक्त नहीं है। इन तमाम बातों के अन्दर हमें तरक्की करना है और जैसा कि हमारे समाजवादी साथी कहते हैं, उनसे इस बात में मैं भी सहमत हूं लेकिन साथ ही साथ में और बातों को भी नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये। ऐड्रेस में कहा गया है कि अभी तक हम एक दूसरी सोसाइटी में थे मगर अब हमें सोसाइटी के ढांचे को भी बदलना है और इस बात की भी शंका की गयी है कि अब तक का हमारा रवैया किन्हीं कारणों से दूसरा रहा है मगर अब हमको उन कारणों में भी परिवर्तन करना है और अपनी सोसाइटी को तरक्की देनी है। उसमें उन्होंने यह तो नहीं कहा कि हम एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी (integrated society) करना चाहते हैं। मैं अपने समाजवादी भाइयों से कहूंगा कि ऐड्रेस (address) में यह है कि हमारी सोसाइटी विदआउट एनी डिसटिंक्शन आफ कास्ट, क्रीड क्लास आर सेक्स (society without any distinction of caste, creed, class or sex) और इसके साथ साथ अगर देखा जाय तो यह भी कहा गया है कि "every citizen must work according to his capacity"। इन तमाम बातों को दृष्टि में रखते हुए हमारे समाजवादी मित्र सिर्फ इस बात को ही नहीं कह सकते कि काश्तकारों के अन्दर या मजदूरों के अन्दर हमने उन बातों को ध्यान नहीं दिया है। हमें तो देश को आगे बढ़ाना है और इन तमाम बातों का भी सामना करना पड़ेगा और उसको समझना होगा। चीन की मिसाल हमारे सामने रखी गई, मगर मैं कहता हूं कि जहां चीन की मिसाल सामने रखी जाती है वहां हमें रोम की भी मिसाल देनी चाहिये। चीन की मिसाल देते हुए कहा गया कि वहां लड़ाई हो रही थी मगर इसके बावजूद भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन्स (cultural institutions) की तरक्की को नहीं भुलाया गया। मगर रोम में जब ऐसा हो रहा था तो नीरो साहब अपना तानपूरा बजा रहे थे। इन तमाम बातों को देखते हुए मैं कहूंगा कि जो स्थिति अब है उनको नजरन्दाज न करते हुए हमें यह देखना चाहिये कि अब आगे क्या करना है। हमारे ऐड्रेस में फ्यूचर प्लान (future plan) के बारे में भी कहा गया है। इसके

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री वंशीधर शुक्ल]

माने यह नहीं है कि उनसे विचार ही नहीं होगा। हमें एक्चुअल (actual) और रिएलिटीज (realities) को देखना चाहिये और इस तरह से फ्यूचर एजूकेशन (future education) के बारे में भी सोचना चाहिये। तो यह कहना कि इसमें जो बातें रखी गयी हैं वे किन वजूहात पर रखी गयी हैं, ठीक नहीं है। मैंने तो शुरू से आखीर तक सारे ऐड्रेस को पढ़ा है तो उसमें किसी बात पर है कि "अन्डर दि एक्जिस्टिंग कन्डीशन्स (under the existing conditions)"। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि हमारी स्कीम कामयाब होगी ही नहीं और जैसा कि हमारे कुछ भाइयों ने कोआपरेटिव कामन वेल्थ (co-operative commonwealth) के बारे में कहा कि वे इसे समझे ही नहीं, तो एक क्लासलेस सोसाइटी (classless society) बनाने के लिये हमें गांधियन फिलासिफी (Gandhian philosophy) को नहीं भूलना चाहिये। हमें रिएलिटीज को देखना चाहिये और इसी तरह से हम गांधियन क्लासलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश (establish) कर सकते हैं और इस तरह से सुन्दर समन्वय भी हो सकता है। मैं अपने समाजवादी भाइयों से फिर निवेदन करूंगा कि जो सुन्दर समन्वयवाद की बात है, उसको हमें फालो (follow) करने की कोशिश करना चाहिये।

Sri Narottam Das Tandon : Hon'ble Chairman and members, I take this opportunity of expressing my feelings on the eloquent address delivered by His Excellency the Governor on 21st May, '52. The credit goes to the drafters of the address who tried their level best in throwing dust into the eyes of those who listened to the address or who read it in the papers. But Mr. Chairman, I very sincerely wish that through you I may inform the Government and their blind supporters on the opposite benches that the old and rotten wine can no longer mislead anyone even though it may be kept in new bottles.

Surely, when I went to the House to listen the address I had a feeling that the total dissatisfaction amongst the public prior to the Elections which succeeded in opening the eyes of the Government and which made it necessary for the Hon'ble Ministers and other top ranking leaders to undertake extensive touring to give fresh assurances to the masses pleading that popular public opinion and sentiments of the masses will be respected and everything will be done to improve their lot will change the policy hitherto pursued by the Government. But after giving a very patient hearing to the address I came to the definite conclusion that all those promises were false election propaganda.

It will be seen from the address of His Excellency the Governor that top priority has been promised for the food problem. I should like to point out to this House, through you Sir, that a large sum of money has been spent to improve the conditions and to bring in a solution but in actual practice all this has been mis-directed and the result is that all labour and money has been a waste. To illlustrate the point properly I will divide the issue into three parts viz. production, storage and distribution. As to the production I should like to point out that our country is an agricülturist country with vast land and necessary resources. May I ask the honourable members on the opposite benches through you, Sir, whether they at all feel their defeat when they say that their five or six years' labour could not have the results which they themselves expected? Whatever reasons may be put forward the general public is not interested in high talks and eloquent speeches.

They want immediate relief. I say freedom which denies two proper meals a day to the masses is not freedom for which the Treasury Benches feel proud but in fact it is worse than the slavery itself. The simple reason for all this trouble is that the Government have muddled by fixing very high prices for sugarcane and thus created circumstances wherein cultivators have very little interest in the production of foodgrains. They are interested more in the production of sugarcane and other profitable agricultural products where they make maximum profits out of minimum investment and labour. In my humble opinion efforts should be made to allocate sufficient area for the exclusive cultivation of foodgrains and all efforts should be made to see that nothing except foodgrain is produced in that area. This will solve the problem of production in the minimum possible time.

As regards the Storage and Distribution of foodgrains to the masses I give an open challange to the hon'ble members on the opposite benches to take pains in going to the controlled shops any where in the State and to see for themselves the quality of grains supplied to the masses. I am not to believe that such things are not already in the notice of the Government. Believe me Sir, nothing but most rotten quality of foodgrains with at least 10 to 25 per cent. of dust and other rubbish is supplied in these shops. May I ask 'Who is responsible for all this?' The simple answer will be 'either the Milling companies or the shopkeepers.' What steps has then been taken for necessary remedy? I will submit to the Government through you, Sir, that if they fail to improve it through their existing machinery, powers may be given to a selected body of members of both the houses to inspect the Milling Companies and controlled shops and to take necessary action against the defaulters on the spot.

Mr. Chairman, Sir, next I wish to draw the attention of the Government to the miserable conditions of the Local Authorities to which I represent. It is an irony of fate that on the one hand the Government want to introduce reforms in the local authorities and their activities but on the other hand they are not prepared to sanction sufficient grants to them. The conditions of the roads, sanitation and education in many places specially in the town areas has gone from bad to worse and no proper suitable medical facilities are being provided for want of money. The old time is being harped because funds do not permit the introduction of most of the reforms and constructive schemes which the local authroitiees wish to take up. I would, therefore, appeal to the Government through you Sir, to pay proper attention to the already deteriorating conditions of these bodies and to make sufficient provision in the budget to enable the local authorities to achieve their aims.

The House has sufficiently discussed other points touched in the address and I do not wish to waste the precious time of the House on those points.

With these words Sir, I wish to support the amendment that our learned friend Prof. Mukut Behari Lal proposed to the vote of thanks yesterday.

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने जो संबोधन दोनों हाउसेज के लिये किया था उस पर काफी वाद-विवाद हुआ है। एक मौका दिया जाता है

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

सब सदस्यों को इस परम्परा के द्वारा कि वह अपने विचारों को सदन के सामने प्रकट कर सकें। जो कुछ विचार संबोधन के समर्थन में या विपक्ष में मेरे सामने आये उनको मैंने बहुत गौर से सुना। अपोजीशन (opposition) की बातों में कोई परेशानी की बात नहीं है न किसी तरह से उत्तेजित होने की आवश्यकता है। जो कुछ उनमें कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स (constructive suggestions) हों उसको हमको लेना चाहिये। लेकिन अपोजीशन की तरफ से ज्यादातर ऐसी बातें आयी हैं जो केवल आलोचना के लिये ही थीं, उनमें कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स नहीं थे। मसलन खाद्य समस्या के संबंध में जो कुछ कहा गया उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं था। जब हम आलोचना करते हैं तब हम यह नहीं सोचते कि हमको अपने मुल्क को बनाने के लिये कितना समय मिला है। मुल्क के आजाद होने के साथ-साथ कितनी समस्यायें हमारे सामने आईं। जैसे ही अंग्रेज यहां से गया, मुल्क में एक सांप्रदायिक भावना पैदा हुई, सारा मुल्क उससे जल गया, उसके साथ ही हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में शरणार्थियों का इतनी बड़ी संख्या में आगमन हुआ जिससे हमारी व्यवस्था को बहुत कुछ धक्का लगा। मुझे शरणार्थी समस्या के संबंध में कुछ कार्य करने का अवसर मिला है और उस बिना पर मैं कह सकता हूं कि हमारे मुल्क में शरणार्थी समस्या को जिस मेहनत के साथ हल किया गया वह वास्तव में सराहनीय है और मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रान्त में जो शरणार्थी आये वह काफी सुखी हैं और भी बहुत सी नेचरल क्लेमिटीज (natural calamities) हुईं, प्राकृतिक प्रकोप हुए उनका भी सामना हमारी सरकार ने किया। हमारे प्रान्त के प्रधान मंत्री ने जब शासन की बागडोर अपने हाथ में लिया तो ऐलान किया था कि हम इस प्रान्त में एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने देंगे, मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये गौरव का विषय है। मैं समझता हूं कि इतने प्राकृतिक प्रकोप पर भी भगवान की कृपा से ऐसा कोई मौका नहीं आया जिससे हम कह सकें कि हमारी सरकार इस कदम में फेल्योर (failure) हुई।

मैं समझता हूं कि इसके अलावा बहुत बातें कही गयी हैं। इस सरकार ने जो कुछ काम किया है उससे प्रान्त की ८० या ७५ प्रतिशत जनसंख्या को लाभ पहुंचा है। उनको काफी गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास है। गवर्नमेंट का काम कम नहीं है। जो विरोधी सदस्य हैं उनकी बातों को मान लें कि सरकार ने ज्यादा अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन हम यदि केवल जमींदारी उन्मूलन के कार्य को ही लें तो सरकार का यही कार्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा। जिससे इस प्रान्त के रहने वाले ७५ प्रतिशत जनता का जीवन ऊंचा उठा सके। यह जो कुछ हुआ है वह थोड़ा नहीं है। इस पर हमें गर्व होना चाहिये कि हम किस तरीके से आगे बढ़े। हमें संकुचित नहीं होना चाहिये। जो हमारे तपे तपाये नेता हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी की है वह किस तरह से कोई अनुचित कार्य कर सकेंगे जिससे जनता का शोषण हो। ऐसी किसी बात की कल्पना नहीं करनी चाहिये। कल एक माननीय सदस्य ने अपना एक विचार प्रकट किया था कि पिछले पांच वर्षों में यह सरकार कुछ नहीं कर सकी है। हमको ऐसी आशंका करनी चाहिये कि अगले पांच वर्षों में यह सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। मैं आशा करता हूं कि इस तरह की निराशावादी भावना उनके अन्दर नहीं आनी चाहिये। हमको ऐसा करना चाहिये जिससे आज भी बराबर उन्नति हम कर सकें। हमें अपने नेताओं पर विश्वास होना चाहिये। इस तरह से जो कुछ मेहनत और काम करते रहते हैं वह थोड़ा नहीं है। उनकी तरफ से आश्वासन है कि जिस तरीके से और जहां तक होगा उनके खून का अन्तिम बूंद भी इस देश की जनता की भलाई में लगेगा, जो अपोजीशन के सदस्य हैं। जो कुछ सरकार की चीज आपके सामने आती है बजाय इसके कि हम उनकी आलोचना करें, हम उनको कामयाब बनाने में सरकार का हाथ मजबूत करें तो ज्यादा फायदा होगा। हमारे महामान्य राज्यपाल ने जो कुछ अपने ऐड्रेस में कहा है उसमें कोई चीज नहीं छोड़ी है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ महामान्य राज्यपाल के ऐड्रेस की ताईद करता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--महामान्य राज्य पाल के संबोधन के प्रति जो प्रस्ताव इस भवन के समक्ष है उस पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इसमें आने वाले कार्यक्रम के प्रति एक संकेत मात्र कहा जा सकता है। यदि इस दृष्टि से राज्यपाल के संबोधन को देखा जाय तो मैं समझता हूं कि वह एक प्रकार से पूर्ण है।

यहाँ तो कोई वस्तु पूर्ण हो ही नहीं सकती और इसलिये यदि मैं कहूं कि इसमें कोई चीज छूट गई है और इसमें कोई चीज बढ़ाई जा सकती थी तो यह गलत न होगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक कि संबोधन का प्रश्न है मैं समझता हूं कि वह माननीय सदस्यों को संकेत देता है कि आने वाले ५ वर्षों में हमारे क्या कार्य-क्रम होंगे। प्रजातन्त्र प्रणाली में यह एक पद्धति रक्खी गयी है कि इस संबोधन के द्वारा माननीय सदस्यों को एक अवसर मिलता है कि वह अपने विचार को सरकार के सामने विचारार्थ रक्खें। इसलिये इस बात की बिना पर तनिक भी दुख नहीं है कि प्रति पक्ष की ओर से उसकी निन्दा ही की गई लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि इस वाद-विवाद में कल से जितने भाषण हुए उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव (constructive) चीज सरकार के सामने नहीं रखी गई। भाई मुकुट बिहारी लाल को आश्चर्य हो रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर यदि वह और सुनें तो शायद उनका आश्चर्य दूर हो जायेगा।

मैं यह कह रहा था कि कंस्ट्रक्टिव चीज इस समय कोई हमारे सामने नहीं रक्खी गई कि जिस पर हम कोई विचार कर सकें। एक बात यह कही गयी कि डेमोक्रेसी (democracy) पर भी कहा गया। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के आधारभूत सिद्धांतों में सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि वह लोगों के सामूहिक विचारों पर ही निर्भर रहती है। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का राज संचालन वाद-विवाद के ऊपर निर्भर है। यदि वाद-विवाद पर डेमोक्रेसी निर्भर है तो उससे यह भी सिद्ध होता है कि उसमें यह आशा है कि सामूहिक रूप से विचार राज के सामने रक्खे जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रजातन्त्र में हमारे नेताओं का संबंध है उन्हें इतना समय नहीं मिलता है कि वह राज्य की अनेक गुत्थियों को सुचारु रूप से सुलझा सकें। इसलिये ऐसा होता है कि सामूहिक रूप से सोचने का प्रश्न न करें और ऐसी संस्थायें बनाई जायें जो राज्य के लिये विचार करके कोई चीज उसके सामने रक्खें, मैं और देशों की तो नहीं जानता हूं लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इंगलैन्ड में सैकड़ों ऐसी संस्थायें हैं जो अपने मंत्रिमंडल को इससे वंचित रखती हैं। उनको छोटे छोटे प्रश्नों में उलझने नहीं देतीं। मुकुट बिहारी लाल, हमारे पुराने मित्र हैं। पोलीटिकल साइंस (political science) के बहुत बड़े विद्वान हैं। वह जानते होंगे कि ऐसी संस्थायें इंगलैन्ड में कितनी हैं। उनको मैं अगर गिनाऊं तो एक बड़ी भारी सूची होगी। भाई गोविन्द सहाय जी ने यह कहा कि हम उनको इस बात का विश्वास दिलायें कि जो वह अपने कंस्ट्रक्टिव (constructive) विचार सरकार के सामने रखें उन पर सरकार अमल करेगी। इस संबंध में मैं सरकार की ओर से उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमको कंस्ट्रक्टिव विचार चाहे जिस ओर से मिलेंगे हम उन पर विचार करेंगे और अगर माने जाने के योग्य होंगे तो अवश्य ही माने जायेंगे लेकिन मुझे उनके ऐसा कहने में कुछ संदेह प्रतीत होता है। हमारी समझ में नहीं आता कि कौन सा उन्होंने इस तरह का कंस्ट्रक्टिव विचार रखा जिसको सरकार ने नहीं माना। जहाँ तक हमारे कांस्टीट्यूशन का सवाल है इसके संबंध में एक दफा नहीं हजारों दफा कहा जा चुका है कि हम एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जो वर्गहीन हो। इतना हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, श्रीमान् जी आप भी जानते हैं, यहाँ बहुत से विचारों की एक गठरी बनी रहती है। एक तरफ से किसी चीज को बुरा कहा जाता है दूसरी तरफ उसी को अच्छा बतलाया जाता है। ऐसी हालत में आपकी बात न मानने के लिये सरकार को विवश होना पड़ता है। मैं जहाँ तक इसका अध्ययन कर सका हूं, वह यही है कि केवल कुछ

[शिक्षा मंत्री]

ऐसे कारण होते हैं कि एक ख्याल से आप उसके खिलाफ समर्थन करना चाहते हैं तो इस तरफ से चाहे जिस दृष्टिकोण से भी आप देखें तो आपको प्रतीत होगा कि सिद्धांत विशेषता अलग कोई मानी नहीं रखता। इसलिये मैं समझता हूं कि एक ही सिद्धांत लागू होना चाहिये कि किसी प्रकार से हम सब लोग मिल कर यह प्रयत्न करें और इस देश को आगे बढ़ावें ताकि हमारे देश को संसार के देशों में एक इतना ऊंचा स्थान मिल जाय जैसा कि यह सदैव से रहा है लेकिन मुझे दुख है और हमारे भाई माफ करेंगे कि हमारे लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि हम सिद्धांतों से भी दूर रहते हैं और इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कर पाते कि इसका क्या नतीजा होगा। आज हमें बड़ा दुख हुआ जब हमारे भाई राजा राम शास्त्री जी ने जो हमारे पुराने दोस्त हैं और जेल में भी मेरे सामने वाली बैरक में रहते थे और प्रभुनारायण सिंह जी भी हमारे साथी हैं, हम लोग वहाँ अपना विचार विनिमय किया करते थे, उन्होंने गोरखपुर की फायरिंग का जिक्र किया है, राजाराम शास्त्री जी ने भी ऐसा ही विचार प्रकट किया है कि फायरिंग गलत हुई है। अगर वाकई फायरिंग वहाँ की गलत तौर से हुई तो यह हमारे देश के लिये बड़े शर्म की बात है। मुझे ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं हो सकती, हम अपने देश के लिये वही भावना रखते हैं जो उधर के हमारे भाई लोग रखते हैं लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि वहाँ क्या कारण उपस्थित हो गये थे जिनकी वजह से फायरिंग (firing) हुई। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसको निष्पक्षता से सोचें और अपना निर्णय दें कि जो गोरखपुर में फायरिंग हुई वह कहाँ तक उचित थी या अनुचित थी ?

आपको याद होगा कि थोड़े दिनों से हमारे देश की रेलवे की रिग्रुपिंग (regrouping) का प्रश्न चला था। वह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया था। प्रश्न यह था कि गोरखपुर से छोटी लाइन ओ० टी० आर० का दफ्तर कलकत्ते चला जाय या नहीं। हमारी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया जिसमें इस बात का विरोध किया गया और कहा गया कि गोरखपुर का महत्व घट जायगा और इस कारण से यहाँ से दफ्तर उठाना नहीं चाहिये। लेकिन हमारे एक बड़े भारी समाजवादी नेता ने एक वक्तव्य दिया जिसमें यह कहा कि ओ० टी० आर० का दफ्तर कलकत्ते उठ जाना चाहिये। आप जानते हैं मुझे वही कहने में शर्म लगती है लेकिन विवश होकर कहना ही पड़ता है कि वहाँ के हमारे समाजवादी भाइयों ने यह देखा कि समाजवादी नेता के वक्तव्य के कारण मजदूरों में उनकी ओर से एक खिचाव पैदा हो गया। वह चाहते थे कि गोरखपुर के मजदूरों पर समाजवादी दल का प्रभुत्व रहे लेकिन इस वक्तव्य से वहाँ के मजदूर समाजवादी दल से खिच गये। उन्होंने देखा कि यह चीज उनके लिये ठीक नहीं है मजदूरों में यह कहने वाले कि मैं मजदूरों में काम करता हूं जैसे कि हमने मजदूरों की शक्ल नहीं देखी है, काँग्रेस के बहुमत में आ जाने के कारण हम इस पक्ष में आकर बैठ गये हैं उनको यह बात खटकी कि गोरखपुर के मजदूर उनके हाथ से निकल जायेंगे और अगर वह निकल जाते हैं तो इसका असर प्रान्त के अन्य भागों पर भी पड़ेगा इसलिये उनको इस बात की फिक्र हुई कि मजदूरों में किसी प्रकार से आन्दोलन किया जाय। उस समय दुर्भाग्य से वहाँ कुछ क्लर्कों का प्रश्न उपस्थित हुआ। बहुत से क्लर्क टेम्पोरेरी बेसिस (temporary basis) पर रखे गये थे। उन्होंने एक फार्म पर हस्ताक्षर किये थे इस बात के लिये कि इस समय तो हम रेलवे के पब्लिक सर्विस कमीशन (public service commission) के सामने तो नहीं जाते हैं लेकिन जब कभी हुक्म मिलेगा तो हम उसके सामने जायेंगे और जब हमारी नियुक्ति स्वीकार हो जायगी तभी हम रहेंगे वरना निकल जायेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन से हुक्म आया कि फलाँ रोज गोरखपुर में हम पहुंच रहे हैं और वह जो नियुक्त किये हुए छोटे-छोटे क्लर्क्स हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने पेश होना पड़ेगा। बस यह एक छोटा हथकंडा मिला।

उन्होंने मजदूरों में इस बात का आन्दोलन शुरू किया कि हमको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने नहीं जाना चाहिये और हम नहीं जायेंगे। इस प्रकार हड़ताल शुरू हुई और हड़ताल दो-तीन दिन रहने के बाद एक रोज अवस्था यह हो गई कि मजदूर स्टेशन में घुस गये और स्टेशन मास्टर को खींचकर उसकी कुर्सी पर बैठ गये, इन्जन को रोक कर उस पर बैठ गये और इस तरह से तोड़ फोड़ करने लगे। यह बात बहुत खराब थी। मैं यह नहीं कहता कि बिना गोली चलाये ही स्थिति संभाली न जा सकती थी सम्भवतः ऐसा हो सकता था लेकिन आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब ऐसी हालत हो जाती है तब क्या होता है। आप जानते हैं कि आप के देश में इन्जन नहीं बनते हैं और आप यह भी जानते हैं कि आप के देश को हर चीज के लिये कितना धन देना पड़ता है। उसको इस तरह नष्ट-भ्रष्ट देख कर हम क्या समझें। इसे हम मजदूर आन्दोलन समझें या देश के प्रति द्रोह समझें और इसी के कारण जो स्थानीय आफिसर वहाँ पर मौजूद था उसने देशद्रोह समझ कर उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जायं। अब अगर वे वहाँ से नहीं जाते हैं तो उसके पास गोली चलाने के सिवाय और क्या अस्त्र हो सकता है। यह दूसरी बात है और हमको भी दुख है। लेकिन अगर उन्होंने भगतसिंह और जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण यहाँ दिया तो या तो मेरी ही बुद्धि कहीं चरने के लिये गई है या उनकी ही बुद्धि उनके पास नहीं है। भला इन दोनों की क्या मिसाल है। एक तो उस समय बृटिश साम्राज्य से अपने देश को आजाद कराने के लिये लड़ रहे थे और दूसरे आज जब उन लोगों से अपने ही देश की रक्षा के लिये प्रार्थना कर रहे हैं तो वे नष्ट-भ्रष्ट करने जा रहे हैं। बिना नियंत्रण के समाज जीवित नहीं रहता है प्रत्येक समाजवादी इस बात को मानेगा कि समाज को जीवित रखने के लिये और उसके विकास के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसमें एक नियंत्रण हो। जब कभी समाज नियंत्रणहीन हो जाता है, तो उसकी अवस्था जंगल की सी हो जायेगी। जंगल में कोई नियंत्रण नहीं होता है। जंगल में प्रत्येक पशु पर कोई कानून लागू नहीं होता है लेकिन क्या आप यह मानेंगे कि जंगल में रहने वाला हिरन स्वतंत्र है? उसे तो अगर एक पत्ते में भी कहीं से जरा भी ख़ड़खड़ाहट की आवाज आई तो वह सिर पर पैर रखते हुये भागता दिखलाई देता है। कोई नियंत्रण तो नहीं है और कोई कानून भी नहीं है लेकिन वह वहाँ स्वतंत्र भी कह सकते हैं। तो मैं यह नहीं समझता कि कोई समाजवादी सचमुच अपने दिल में यह सोचता है कि गोरखपुर में नियंत्रणहीनता मजदूरों ने की है और उसका समर्थन करना जरूरी है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि वह हर एक उस चीज को पकड़ना चाहता है जिससे यह सरकार बदनाम हो तो यह एक दुख की बात है।

अब मुझे एक दूसरी आश्चर्य की बात मालूम हुई जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जमींदारी ऐबालिशन ऐक्ट (Zamindari Abolition Act) की इस तरह से छीछा लेदर की जायेगी। एक प्रोफेसर जो कि समाज शास्त्र के इतने बड़े पंडित हैं और जो समाजवादी दल के शिरोमणि भी हैं वह हमारे जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में वर्ग संघर्ष देखेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि दो प्रकार के किसानों की विडंबना की गई है। एक भूमिधर और दूसरा सीरदार हैं।

मैं तो नहीं कह सकता हूं कि साम्यवादी शास्त्र का मैंने अध्ययन किया है लेकिन यह अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे भाई मुकुटबिहारी लाल जी ने उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है। मैं तो यह समझता था कि वर्गहीन समाज का मतलब यही है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण न करे या एक वर्ग दूसरे वर्ग से अपना शोषण न कराये अगर एक वर्ग के थोड़े से आदमी एक पेशा करते हैं और थोड़े से आदमी दूसरा पेशा करते हैं तो इससे एक दूसरे का शोषण संभव नहीं है। यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती है कि किसी दफा से भूमिधर सीरदार का शोषण करेगा या सीरदार भूमिधर का शोषण करेगा।

Prof. Mukut Bihari Lal : On a point of personal explanation, Sir,—..

Chairman : Not at this stage.

शिक्षा मंत्री—तो जैसा कि मैं कह रहा था कि चूंकि इसमें दूसरे का शोषण संभव नहीं है इसलिये इसको वर्गहीन समाज कहना बिल्कुल बेकार है। हमारे भाई जैसा भी समझे हों वह ठीक है लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब सरकार यह ऐक्ट बना रही थी तो उसका यह तात्पर्य नहीं था कि इससे दो वर्गों में संघर्ष हो। सरकार यह नहीं चाहती है कि वर्गहीन समाज चलती रहे, अगर कोई भाई यह समझते हैं तो यह गलत समझते हैं। हमारे भाई श्री मुकुट बिहारी लाल जी ने एक शिकायत की है कि इससे किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं है। मैं समझता हूं कि यह ख्याल उनका गलत है। सरकार की मंशा किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का है क्या भलाई की बात इसी में होती कि उनका लगान आधा कर दिया जाता? जो काश्तकार दो रुपया देता है उसको एक रुपया ही देना पड़े, इसलिये कि देश में उत्पादन कार्य उसके सुपुर्द है। हमारे समाज में सबसे ऊंचा उसका स्थान है। जमीन्दारों के कारण आजतक वह अपने स्थान से वंचित था? उसके टूट जाने पर उसको वह पुराना स्थान मिल गया तो क्या आप इसको कम समझते हैं। आप समझते हैं कि क्या आप एक स्वतंत्र देश की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं कि देहातों में रहने वाले ८० फीसदी किसान थोड़े से आदमियों के अन्दर दबा करके रक्खे जायं और फिर उनसे कहा जाय कि आप स्वतन्त्र हैं? उनके सामने स्वतन्त्रता की यह परिभाषा नहीं हो सकती, वह स्वतन्त्रता का कोई स्वाद नहीं समझ सकते थे इसलिये सबसे बड़ी भलाई जो हमने इस जमीन्दारी कानून को बनाकर की है वह अपने किसानों को आत्म सम्मान हमने दिया, उसको समाज में एक ऊंचा स्थान दिया। जो स्थान उसका था उसको मिलना चाहिये था, उसको अंग्रेजों ने और जमीन्दारों ने मिल कर अभीतक अपने स्थान से वंचित रखा था और यह उसकी सबसे बड़ी भलाई है। अगर उसमें उत्पादन की वृद्धि होगी या न होगी तो यह तो भविष्य की चीज है पानी का इन्तजाम होगा या नहीं तो यह तो भगवान की कृपा होगी, बादलों की कृपा होगी तो अवश्य ही उत्पादन में वृद्धि होगी और चाहे हो या न हो परन्तु जितने दुनिया में इकोनामिस्ट (economist) हैं वह यह कहते हैं कि यदि आप अपनी भूमि पर उत्पादन की वृद्धि चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह कदम उठाना चाहिये कि आप अपने किसानों को जो भूमि से सीधी सम्बन्ध रखते हैं उनको अपनी भूमि का मालिक बना दीजिये और हमने इस जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट से उनको अपनी भूमि का मालिक बनाया है तो क्या आप इसको भलाई नहीं समझते हैं अगर आप इसको भलाई नहीं समझते हैं तो मुझे दुख है, खेद है। मुझे श्री गुरुनारायण जी के कहने का तो दुख नहीं है लेकिन अगर कोई यह कहता है कि उसमें उनकी भलाई नहीं हैं तब तो दुख की बात है। मैं नहीं जानता कि वह समाजवाद से दूर चले जा रहे हैं या उसके नजदीक आ रहे हैं यह कहना कि हमारे किसानों की जिन्दगी और हमारे किसानों का जीवन जमीन्दारी एबालिशन ऐक्ट से ऊंचा नहीं हुआ है, उचित नहीं है। दसगुने की बात इस पृष्ठ भूमि और इस दृष्टिकोण से कोई स्थान नहीं रखता है और वह तो कोई चीज नहीं है अगर दसगुना लें भी तो कोई अनुचित नहीं है इसको भी अगर समझने की कोशिश की जाय तो दसगुने में हमने किसानों से एक पैसा भी उसका नहीं लिया है, क्या आपने इसको जरा सोचा है या आवेश में आ करके इस नतीजे पर आये कि give the dog a bad name and any stick is good to beat him इसको भी जरा आप सोचें कि दसगुना हमने किसानों से लिया और बीस वर्ष में यदि आप सरकार और किसानों का हिसाब जोड़ें तो आप देखेंगे कि एक पैसा भी किसानों ने अपने पास से गवर्नमेन्ट को नहीं दिया है और २० वर्ष में जितना उसको लगान के रूप में देना चाहिये, जितना वह बीस वर्ष में दे सकेंगे, देता है। उसके बाद उसका हमेशा के लिये या ४० वर्ष के लिये जितना रह जाता है या उसको फायदा नहीं है तो इसके लिये हमने खुला कहला

दिया कि जो चाहें उसमें रुपया दें और जो चाहें उसमें रुपया न दें। यह कहना कि बड़ी ज्यादती है, बड़ी जबरदस्ती है अगर ज्यादती और जबरदस्ती हुई होती तो शायद एक-चौथाई नहीं हम तो उससे भी ज्यादा ले लेते। यह इस बात का सबूत है कि कोई ज्यादती और जबर-दस्ती नहीं हुई है और न कोई ज्यादती और जबरदस्ती करने का प्रश्न भी पैदा होता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि स्वराज्य मिलने के उपरान्त जहाँ और देशों में क्राइसेस (crisis) के समय सभी राजनैतिक दल शामिल हो करके देश की भलाई करने का प्रयत्न करते हैं वहाँ दुर्भाग्य से हमारे देश में स्वराज्य के उपरान्त राजनैतिक दलों में एक दूसरे को खींचना और पैर पकड़ कर खींचना ही उनका सबसे बड़ा राजनैतिक सिद्धान्त हो गया है।

यह मैंने इस बात पर नहीं कहा और मैं फिर कहता हूं, कहना तो नहीं चाहता था लेकिन चूंकि एक बात मैंने यह कह दी उसकी पुष्टि के लिये मुझे कुछ कहना चाहिये इसलिये कहता हूं कि आप जानते हैं कि आपके मुल्क में अन्न का संकट था। प्रश्न यह था कि किस तरह से शहर में हम लोगों को जीवित रख सकते हैं। फूड (food) का प्रश्न, खाने का प्रश्न राजनैतिक प्रश्न नहीं होता है और यह ऐसा प्रश्न है कि जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है तो इसमें हमारा और आपका मतभेद नहीं होगा। लेकिन जब किसानों से गल्ले लेने के लिये हम गाँव-गाँव गल्ला माँगने गये तो वहाँ किसानों से यह कहा जाने लगा कि तुम सरकार को गल्ला न दो यह बात समझ में नहीं आती। यदि वे नहीं दे सकते तो हम ५ छटाँक गल्ला शहर में लोगों को कैसे दे सकते हैं? इस तरह से देहात में किसानों को भड़काना कहाँ तक ठीक है? इन बातों से हमारे दिल में यह भावना उत्पन्न होती है कि इसमें यह जो राजनैतिक सिद्धान्तों की बात कही गई है उससे यह पता चलता है कि इन कुर्सियों पर सफेद टोपी वालों को नहीं रहना चाहिये बल्कि दूसरे टोपी वालों को होना चाहिये। यह बात डेमोक्रेसी में होती है।

डेमोक्रेसी में इसलिये इलेक्शन (election) भी होते हैं और जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को देखते हुये कहा कि हमारे यहाँ इलेक्शन्स होंगे। दूसरे देश में शायद आपको इस तरह की परिस्थिति नहीं मिलेगी। वास्तविक स्वराज्य के जो माने होते हैं वह डेमोक्रेसी में है और इसलिये चुनाव भी डेमोक्रेसी में किये गये। यदि इलेक्शन्स में हमारी विजय हो गई सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से तो उसके लिये कोई क्या कर सकता है मगर सिर्फ इस भावना से दूसरे से वैमनस्य नहीं होना चाहिये क्योंकि हम दोनों एक ही राह के बीच में हैं। इस चुनाव में यदि आपकी विजय नहीं हुई और जनता ने आपका साथ नहीं दिया तो इसमें किसी दूसरे से वैमनस्य क्यों? हमारे और आपके विचारों में फिर भी कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। क्योंकि चुनाव का जहां तक सम्बन्ध है वह हमने भी लड़ा, समाजवादी भाइयों ने भी लड़ा और दूसरे दलों ने भी इसमें हिस्सा लिया तो यदि हम प्रजातंत्र की विशेषताओं को समझते हैं तो हमें उसी तरह से अपने विचारों को रखना चाहिये जिससे कि जनता की पूर्ण रूप से भलाई हो सके और कम्यूनिज्म (communism) का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि वैसे आपके कम्यूनिज्म को भी पूरा अख्तियार है कि वे अपने विचारों को लोगों तक ले जायें। जब आपका देश स्वतंत्र है तो आपको अपने विचारों को कहने का पूरा हक है मगर इस तरह से द्वेष करना आपके लिये ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह से आने वाली शक्तियों के लिये यह एक अच्छी चीज नहीं है। मैं यह समझता हूं कि हम अपने विचारों को जनता के सामने रखना चाहिये और मिलजुल कर सामूहिक रूप से हमें हर चीज का मुकाबला करना चाहिये उसी जोश-फरोश से, जिस जोश से हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी।

हमारे में और आप में कोई भेद नहीं है। सिद्धान्तों का भी कोई भेद नहीं है। आपने उसको मान लिया है। जिस दिन से आप अलग हुये हैं उस दिन भी कोई भेद नहीं था जो भी हो आप मिलें या न मिलें यह आप के सिद्धान्त की बात रही। लेकिन जो

[शिक्षा मंत्री]

प्रयत्न इस समय देश में हो रहा है उसको अगर सब मिल कर के पूरा करने का प्रयत्न करेंगे तो हम सफल होंगे, यह नितान्त सत्य है।

बाहर से जो लोग आते हैं, अभी टर्की के कुछ लोग आये थे, उन्होंने हमारे कार्य को देख करके हमारी प्रशंसा की और कहा कि गुलामी से छूटने के इतनी जल्दी बाद इतना अद्भुत कार्य हो रहा है और इतनी सफलता प्राप्त हुई है वह सचमुच एक गौरव की बात है। एक दूसरे आये, उन्होंने भी यही कहा था, जितने प्रयत्न इस समय हिन्दुस्तान में किये जा रहे हैं, वह दुनियाँ के किसी कोने में नहीं किये जा रहे हैं। आप अपनी मुश्किलात को देखिये, आप अपनी गलती को समझिये, आप अपनी सफलता को समझिये, लेकिन अगर आप असेम्बली और कौंसिल में या पब्लिक प्लैटफार्म (public platform) में यह कहते रहे कि सरकार निकम्मी है आप जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, आप कोई देश की सेवा नहीं कर रहे हैं इस तरह से आप हमारे आदमियों को हतोत्साहित करते हैं। अगर हम गलती करते हैं तो आप हमको समझाइये और बताइये कि यह गलत है, यह नहीं करना चाहिये इस तरह से सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप उसका ढिंढोरा पीटते फिरें और जनता को हतोत्साहित करें तो उसका नतीजा यह होगा कि डेमोक्रेसी सही तरह से न चल सकेगी। डेमोक्रेसी की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि सामूहिक विचारों पर चलें और जो सामूहिक विचार में हम से अलग रहते हैं, वह देश-प्रेम का कार्य नहीं करते हैं। मुझे इस सम्बन्ध में अपने समाजवादी भाइयों से यही कहना था।

जो वादविवाद हुआ यह एक खुशी की बात है कि इस सम्बोधन में कोई बात ऐसी नहीं है, जिस पर भवन के सदस्यों ने प्रकाश न डाला हो। मुझे इस सिलसिले में एक चीज याद आ गई। एक किताब है उसमें लिखा था, यदि आप किसी अनजान जगह में पहुंच जायं वहाँ छोटे-छोटे गुटों से मुकाबिला हो जाय आप उनसे यह न पूछ सकें कि आप कौन हैं और क्या काम करते ह, कहाँ रहते हैं तो आप शान्ति से थोड़ी देर बैठ जाइये उनकी आपस की बातचीत सुनिये आप समझ जायेंगे कि कौन किस पक्ष का आदमी है, क्या अकूपेशन (occupation) करता है। यह भवन प्रथम बार मिला और मुझे परिचय नहीं था, जानता नहीं था कि कौन क्या करता है, लेकिन जब यहाँ भाषण हुये, उससे मालूम हो गया कि कौन अध्यापक है, कौन व्यवसायी है और कौन जमींदार है इसमें कोई शंका हमारे दिल में नहीं रह गई। हमें खुशी है कि हर एक पक्ष के लोगों ने अपने-अपने विचारों से अपनी-अपनी चीजें सरकार के सामने रखी।

इससे यह भी प्रतीत होता है कि जो आशा सरकार माननीय सदस्यों से करती है कि वह अपने विचार, अपना सहयोग सरकार को हमेशा देते रहेंगे, वह इससे भी साबित हो जाता है कि हर एक माननीय सदस्य ने इस बात का प्रयत्न किया कि संबोधन को पढ़ने के बाद वह अपने सुझाव सरकार को दें। इसके लिए हम सरकार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कि इस संबंध में भी मुझे दुःख यही है कि कोई कंस्ट्रक्टिव (constructive) चीज हमारे सामने नहीं रखी गई। देश में हर एक चीज की कमी है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी यूनिवर्सिटीज डा० ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में स्टार्व (starve) कर रही हैं। सत्य है हमारा स्टैन्डर्ड (standard) पढ़ने-लिखने का गिर गया है, सत्य है हमें अध्यापकों को जितना देना चाहिये, नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यह सब सत्य जो आपस में इकट्ठा हो गए उनका निराकरण क्या है, इस पर भी हमको, आपको, सोचना चाहिए। विपक्ष में जो लोग हैं उनको ऐसी ही बातें करना चाहिए [illegible] अगर कल इन कुर्सियों पर वह आकर बैठ जायें तो अपनी कार्यप्रणाली को सफल बना [illegible]। किसी भी व्यवस्थापिका सभा में विपक्ष का यही कार्य नहीं होता कि वह खाली इतना [illegible]ने का प्रयत्न करे कि किन-किन चीजों की कमी है, बल्कि साथ ही साथ उसका यह भी

एक फर्ज है कि वह यह भी बताये कि इस दुःख को इस तरह से टाल सकते हो।

आप जानते हैं कि आपके प्रान्त में साठ करोड़ रुपये का बजट साल भर में होता है। ६० करोड़ रु० में जो स्थिति इस समय है अगर ६ करोड़ रुपये राशनिंग (Rationing) के डिस्ट्रिक्ट्स (districts) को खिलाने में देना पड़ गया तो ५१ करोड़ रुपये में कहाँ से अस्पताल बनेंगे, कहाँ से यूनिवर्सिटीज को रुपया दिया जायेगा, कहाँ से राजा साहब को हवाई जहाज के लिये दिया जायेगा। यह सब ऐसी बातें हैं कि इन पर आपको सोचना चाहिए। दुःख तो हम जानते ही हैं, दुःख तो चौबीस घंटे हमारे सामने इतने बड़े रूप में खड़ा रहता है कि शायद आप उसका अंदाज भी न लगा सकते होंगे। लेकिन प्रश्न तो यह है कि आप हमको बताइये कि इस प्रकार से दुःख का निराकरण हो सकता है, यूनिवर्सिटीज को जरूरत से ज्यादा रुपया दिया जा सकता है अगर कुल डेवलपमेन्ट एक्टिविटीज (Development activities) को खत्म कर दिया जाये, अगर अस्पताल बन्द कर दिए जायं तो अध्यापकों को ज्यादा तनख्वाह दी जा सकती है। लेकिन अगर सरकार ऐसा करे तो क्या कल आप सरकार की निन्दा इसके लिए न करेंगे। इसीलिए डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि विपक्ष भी सरकार का उतना ही बड़ा अंग है, जितना इस पक्ष के लोग। बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी (Democracy) सफल नहीं हो सकती। इसका एक मात्र कारण यह है कि विपक्ष के लोगों का भी यह उत्तरदायित्व है कि वह सरकार को बतलायें कि क्या करना चाहिए, संकट के काल में कौन से साधन एकत्रित करके इस संकट को पार किया जाय। इस दृष्टिकोण से हम दो रोज के वादविवाद को देखते हैं तो हमको कहीं भी कोई भी रेखा ऐसी नहीं मिलती जिससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकें।

अगर कोई नोटीफाइड एरिया (Notified Area) का मेम्बर आया है तो देश का उसके सामने कोई प्रश्न नहीं है। अगर उसके नोटीफाइड एरिया में कोई सड़क नहीं है, तो यही प्रश्न उसके सामने है। एक भाई ने एक अपना बयान पढ़ा, जिसमें यह कहा कि नोटीफाइड एरिया की सड़कें खराब हैं, यह बननी चाहिये। इस तरीके से और इस संकीर्णता से अपनी समस्या को हल करने के लिये प्रयत्न करेंगे तो हमारी समस्या हल नहीं होगी। बल्कि वह दिन प्रति दिन बढ़ती जायेगी। आपसे माफी माँगते हुये यह मेरी शिकायत है कि दो रोज के इस वादविवाद में कोई हमको संतोष नहीं हुआ। हमको कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई गयी, जिसके ऊपर चलकर हम इस संकट को दूर कर सकें। पहले इस भवन में, मैं मेम्बर रह चुका हूं, शिक्षा के प्रति इतना कभी भी नहीं कहा जाता था। श्रीमान् चेयरमैन साहब भी शायद इस बात का समर्थन करेंगे। कभी-कभी बजट के समय शिक्षा मंत्री इस पर कुछ कह देते थे, लेकिन अब शिक्षा ने इतना ध्यान आकर्षित किया है और यह हमारे लिये एक संतोष की बात है। हमारा उत्साह इससे बढ़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस समय हमारे माननीय सदस्य को इस बात की जरूरत है कि हमारी सहायता इस मामले में करें। इसलिये आप जानते हैं कि इस वादविवाद का संचालन हमारे एक ऐसे व्यक्ति करते थे, जिनका शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा स्थान है। मैं यह नहीं सोच सकता था कि हमारे कंधे पर इतना बोझ आ जायेगा। एकाएक यह भार हमारे कंधे पर आ गया है, यदि आप लोगों की सहायता नहीं होगी तो हमारे लिये यह सचमुच कठिन काम होगा कि मैं इतने बड़े विभाग के काम को अधिक संतोषजनक रूप में कर सकूं। मुझे दुःख है कि जब कल डाक्टर साहब बोल रहे थे तो मैं नहीं था। मेरी इच्छा थी कि मैं उस समय यहाँ रहता। मैं समझता हूं कि उनके भाषण में ऐसी बातें रही होंगी, जिससे हमको आगे का रास्ता दिखलाई पड़ता। लेकिन मैं मौजूद नहीं था। जितना मैंने सुना उससे मुझे संतोष नहीं है, यों तो डाक्टर साहब से मिलने का मौका मिला था। मैंने उनसे कहा कि समय-समय पर अपना विचार दिया करें ताकि मैं उन जटिल समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करूं।

आप जानते हैं कि शिक्षा का जो हमारे देश में प्रबन्ध रहा है, वह किसी योजना के अनुकूल उस पर निर्धारित नहीं रहा है। जब यहाँ अंग्रेज थे तो वे इस

[शिक्षा मंत्री]

बात के लिये उत्सुक नहीं थे कि वे हमको और आपको शिक्षित बनावें। जब उनको जरूरत हुई तो उन्होंने शिक्षा को आरम्भ किया। मुझे ठीक पता नहीं, डाक्टर साहब बतायेंगे। हमने पढ़ा था कि जब कोर्ट आफ असेसर्स (Court of Assessors) की जरूरत हुई तो कलकत्ते और बनारस में स्कूल खोला गया। यह मैंने एक जगह पढ़ा था। उस समय जब अंग्रेजी सरकार ने यहाँ शिक्षा को आरम्भ किया तो उस समय कोई योजना नहीं थी। अगर एक योजना थी तो केवल उस वक्त ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव (administrative) विचारों के लोग शिक्षित चाहिए थे। तो इसीलिये यहाँ शिक्षा का आरम्भ हुआ। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका क्या उद्देश्य है, मैं तो कुछ नहीं जानता, हाँ, कार्लमार्क्स ने बतलाया था कि शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं। बौद्धिक, शारीरिक, और औद्योगिक उन्नति करना। आचार्य नरेन्द्र देव जी की कमेटी ने भी इससे मिलती जुलती हुई बात बतलाई है। उद्योगों में वृद्धि होना चाहिए, बौद्धिक विकास होनी चाहिए और उसके शरीर का भी विकास होना चाहिए। आज से पहले की एजूकेशन (education) का अगर आप विश्लेषण करें, एनालिसिज (analysis) करें तो आपको मालूम होगा कि पहले लिटरैरी (literary) और फिलासफर ही (philosopher) बनाने की कोशिश की जाती थी। इसमें सन्देह नहीं कि इस विषय में भी हमारे देश में बड़े बड़े पण्डित पैदा हुए और हमारा यह हमेशा गर्व का विषय रहा है कि हमारा देश हमेशा संसार का गुरू रहा है और इन मामलों में भी बहुत आगे रहा है।

परन्तु जहाँ हमारी समस्याओं का सवाल था और शिक्षा का संबन्ध था, इन दोनों में कोई मेल नहीं था। जब वह सरकार चली गई तो यह सवाल उठता है कि शिक्षा को किस प्रकार से मोड़ा जाय जिससे कि वह देश के अनुकूल हो जाये। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाये। हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई बटन (button) नहीं था कि उसको दबा दिया जाता और उलट कर पुरानी प्रणाली से नई प्रणाली हो जाती। ऐसा कोई तरीक़ा नहीं था। बीच में एक ट्रांजीशनल पीरियड (transitional period) पड़ता है उसमें यह जरूरी था कि एक्सपेरीमेंट (experiment) किया जावे। एक एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है। चार वर्ष हुए एक एक्सपेरीमेंट लान्च (launch) किया गया था। एक कमेटी तैनात की जा चुकी है वह तय करेगी कि आया वह स्कीम सफल हो रही है या असफल हो रही है। अगर असफल हो रही है तो क्या किया जाये, जिससे कि उसको सफल बनाया जा सके और अगर वह असफल ही रहेगी सफल नहीं होगी तो दूसरी चीज क्या की जाय और क्या उसको छोड़ दिया जाय। हर एक देश का इतिहास बतलाता है कि हर एक देश में ऐसे प्रयोग किये गये हैं। दो—चार वर्ष किसी राष्ट्र के जीवन में कोई बड़ा समय नहीं हुआ करता है। वह एक छोटा समय है लेकिन हम अगर प्रयोग करते हैं तो उसकी निन्दा की जाय और यह कहा जाय कि वह तो बिल्कुल ही खराब होगा, इससे तो पहले ही अच्छा था ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें कुछ समय लग जाय। भाई मुकुट बिहारी लाल जी को मालूम है कि रशा में जब रिवोल्यूशनरी पार्टी (Revolutionary Party) का कब्जा हो गया तो कैपिलिस्ट (capitalist) मुल्कों ने कोआपरेशन किया कि रशा को किसी प्रकार की सहायता न दी जायेगी। उन को इन्जीनियर्स (engineers) नहीं दिये जाते थे और लेनिन के सामने एक बड़ी भारी समस्या उपस्थित हो गई कि क्या करें। आप को ताज्जुब होगा, मगर मैंने किताबों में पढ़ा है कि कारखाने रूस में बने हैं, वहाँ एक तरफ लेनिन बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी छत गिर पड़ी। उसने लोगों से कहा कि इससे हताश होने की कोई बात नहीं है। एक दफा गलती हुई तो दुबारा सफल होंगे। अगर एक प्रयोग हो रहा है तो उस पर अभी से कोई निर्णय देना ठीक नहीं है, मैं तो उसके मुताल्लिक ठीक नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इस पर इतनी जल्दी निर्णय देना ठीक नहीं है। इससे देश की समस्यायें नहीं सुलझेंगी। अगर आप महामान्य राज्यपाल महोदय के

ऐड्रेस (address) को देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें हर चीज पर झलक डाली गई है।

श्री राजाराम शास्त्री--एक बात मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी के लिये कोई टाइम लिमिट (time-limit) रखी गई है या नहीं ?

चेयरमैन--इस सदन की यह मर्यादा रही है कि इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट को जो दो-तीन घंटे जवाब देने के लिये एलाट (allot) कर दिये जाते हैं उसमें जो मिनिस्टर जो समय चाहे, जितना ले लें। इस वक्त शिक्षा मन्त्री गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दे रहे हैं। व्यक्तिगत हैसियत (individual capacity) से नहीं बोल रहे हैं। इसलिये मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता।

शिक्षा मन्त्री--डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ने जो लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया है कि उनकी हालत खराब है, तो इसको मैं भी मानता हूं लेकिन मैं एक बात आपके सामने रख देना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इस पर मैं समझता हूं कि वह एक जिम्मेदार आदमी हैं, इसलिये उनसे मैं कहूं कि जो कदम इन यूनिवर्सिटियों ने उठाया था, जिन कारणों से इतनी खराब स्थिति पैदा करली बिना गवर्नमेंट से पूछे नये-नये डिपार्टमेंट्स खोल दिये, काफी इन्क्रीमेंट्स (increments) प्रोफेसरों को दे दिये गये, लोगों को नई नौकरियां दे दी गयीं, तो आप बताइए कि सरकार क्या करे ? तीस लाख का कर्जा ले लिया, गवर्नमेंट से अनुमति तक न ली, फिर भी आप गवर्नमेंट की निन्दा करें, तो हम कम से कम अध्यापक वर्ग से ऐसी आशा नहीं करते हैं। अगर पहले गवर्नमेंट से पूछा गया होता, गवर्नमेंट से अनुमति ले ली होती, गवर्नमेंट रुपया न देती और उसकी हालत खराब हो जाती, तब आपने गवर्नमेंट की निन्दा की होती, तो ठीक था परन्तु जब आपने खुद ऐसी स्थिति उपस्थित कर ली है तो इसमें सरकार का क्या दोष है और सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन बावजूद इन बातों के भी आपको बताऊं कि आठ लाख रुपया तो गवर्नमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दिया। मेरे पास फिगर्स (figures) हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी को सन् ५१-५२ में ११,५३,१०० रुपया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ११,८७,००० रुपया दिया गया। ऐसी दशा में मैं आपसे यह कहूं कि आपके लिये यह उचित नहीं है कि आप इस संबोधन के अवसर पर सरकार की निन्दा इसलिये करें कि आपके विश्वविद्यालय धनाभाव के कारण कष्ट में हैं तो मैं समझता हूं कि कोई अनुचित बात न होगी। मैं आपसे कह सकता हूं, साधिकार कह सकता हूं कि आप सरकार के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हम विश्वविद्यालयों की ओर से कुछ ऐसे इन्डिफरेन्ट (indifferent) हैं कि हम या सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती है। आप जानते हैं कि अगर आप ही इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, जिनके हाथ में देश के भविष्य के निर्माण की ताकत है, अगर वही इस प्रकार से अपनी कार्य-प्रणाली रखेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार या देश किस प्रकार से आगे चलेगा। लेकिन फिर भी मैं सरकार की ओर से लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों को यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि जितना भी हमारे इस संकटकाल में संभव होगा सहायता करेंगे। हम यह नहीं चाहते कि हमारे विश्वविद्यालय टूट जायें। फिर प्रयाग तो हमारी संस्कृति का एक ऊंचा स्थान है, प्रयाग के कण-कण की हम रक्षा करना चाहते हैं,फिर वहाँ एक विश्वविद्यालय हो जिससे कि इतने विद्यार्थी निकले हों, जिसने कि इतने नेताओं को पैदा किया हो उसको हम देखें कि वह संकट में रहे और यदि वह संकट में है तो हम अवश्य दुखी होंगे। हम उसके दुख से दुखी हैं और वादा करते हैं कि जितना भी संभव होगा किया जायगा लेकिन विश्वविद्यालयों से भी यह कहते हैं कि वह इस भावना में आकर के कि सरकार हमारी सहायता नहीं करना चाहती है बेतहाशा खर्च करने लगें और बाद में कहें कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो यह तो ठीक न होगा। इलाहाबाद में एक इन्क्वायरी कमेटी (Enquiry Committee) बैठी हुई है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जितना भी

[शिक्षा मंत्री]
संभव होगा वह किया जायगा। रह गया हमारे हायर सेकेंडरी (higher secondary) और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स (teachers) का सवाल, इसमें आपसे कोई बात छिपाने की नहीं है। आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है हम नये टैक्स (tax) भी नहीं लगा सकते हैं। आप शायद यह जानते ही हैं कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति १३० रुपया साल की आमदनी होती है। उनसे कितना टैक्स लिया जाय। यह एक प्रश्न हो सकता है। जब तक किसी प्रकार से कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये कोई आमदनी का जरिया न निकाला जाय तब तक संकट का होना अनिवार्य है लेकिन उसमें हमको अपनी हिम्मत नहीं खो देनी चाहिये, अगर किसी देश के निर्माण में कोई तकलीफ होती है तो उसको भी बरदाश्त करना चाहिये।

इसलिये चिल्लाने से और स्ट्राइक (strike) करने से काम नहीं चलेगा। स्ट्राइक करने से जो आपका सब से बड़ा गुण रहा है जिसके कारण हर एक व्यक्ति को इज्जत मिलती रही है और जिसके कारण हर एक मनुष्य का मस्तिष्क ऊंचा हो जाता है अगर आप उसे हर काम में इस्तेमाल करेंगे तो वह बात नहीं रह जायेगी। अगर किसी को तनख्वाह आज नहीं मिलती तो कल मिल जायेगी। सरकार रहेगी तो उनकी तनख्वाह का प्रबन्ध किया ही जायगा। मगर आपने स्कूलों को बन्द कर दिया तो अपने देश को ऐसा धक्का पहुंचेगा जो आप और हम पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कौन सी ऐसी स्थिति हो गयी और कौन सा संकट पैदा हो गया है जिसके लिये स्ट्राइक करना पड़े। मैं एक बात बतला देना चाहता हूं। एक लोकल बाडी (local body) की ग्रान्ट-इन-एड कमेटी (Crant In-aid Committee) बनी थी जिसका मैं स्वयं चेयरमैन था। मैंने कुछ चीजें सजेस्ट (suggest) की हैं कि किस प्रकार आइन्दा लोकल बाडीज की आमदनी बढ़ायी जा सकती है। इस समय वह सरकार के विचाराधीन है। इससे संभव है कि हम इस चीज को पार कर लेंगे और इसमें संदेह नहीं है कि हमारे सामने जो संकट है उसको भी पार कर लेंगे बशर्ते जनता का और आपका सहयोग रहेगा। अगर हम संकट से डर जायेंगे तो उससे देश का भविष्य अंधकार मय हो जायेगा। इसलिये हमें संकट से नहीं डरना चाहिए।

अभी श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने यह कहा कि यह उनके लिये एक बड़े दुख की बात है कि यहाँ आर्ट (art) और साहित्य के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है। मैं निहायत अदब से उनसे गुजारिश करूंगा कि यदि उसके लिये प्रोत्साहन न होता तो वह स्वयं और बाजपेयी जी भी यहाँ न होते। उनका स्वयं यहाँ होना ही इस बात का सबूत है कि सरकार यह चाहती है कि कला चारों दिशाओं में फैले। आपकी बात तो मैं क्या बताऊं मैं तो यह समझता हूं कि उन्हीं के कारण जीवन में रस है। अगर आर्ट ही हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो वह देश और स्वराज्य सब बेकार सी चीज है। क्योंकि आपने ही जीवन को, देश को और हर चीज को सौन्दर्य दिया है, मेरी ऐसी धारणा है। सचमुच प्रकृति में कोई सौन्दर्य नहीं है। अगर प्रकृति में सौन्दर्य है तो वह आर्टिस्ट (artist) के ही कारण है। दृष्टान्त के लिये हिमालय पर्वत को ही ले लीजिए। वह कौन सा खूबसूरत है। अगर आप उसके इस पार से उस पार जाना चाहें और उस पार से इस पार कोई आना चाहे तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन एक कलाकार की दृष्टि से और पेन्टर की कलम से देखें तो उन्होंने उसमें वह चीज भर दी है कि हिमालय एक सौन्दर्य की चीज बन गया है। इसलिये स्वराज्य के जमाने में आर्ट को प्रोत्साहन न मिला हो, यह बात नहीं है। हाँ कितना मिला है यह एक दूसरी बात हो सकती है। इसमें हमारा और देवी जी का मतभेद हो सकता है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस पाँच वर्ष में हमारी सरकार ने एक मैरिस कालेज आफ म्यूजिक खोला है तो क्या यह आर्ट को प्रोत्साहन नहीं है। हमारे यहाँ जो आर्ट के स्कूल खोले गये हैं वह क्या प्रोत्साहन

नहीं है। साहित्य के लिये जो लाखों किताबें लिखी जाती हैं उनको हर साल इनाम दिया जाता है, क्या यह प्रोत्साहन नहीं है ? हाँ, हो सकता है जिस वेग से देवी जी चाहती हैं उस वेग से आर्ट को प्रोत्साहन न मिल रहा हो। उस वेग के साथ सरकार प्रोत्साहन देने में असमर्थ है। लेकिन यह कहना व्यर्थ है कि हम उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। गवर्नर महोदय के संबोधन की तरफ मैं देवी जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें स्प्रिचुअल डेवलपमेंट (spiritual development) के बारे में जिक्र किया गया है। मैं एक माननीय सदस्य के सवाल का उत्तर एक शेर में देना चाहता हूं, यद्यपि वह इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है :--

तंगदस्ती अगर न हो गालिब,
तो तन्दुरुस्ती लाख नियामत है।

तो उसी को मैं यहाँ पर इस तरह से कहना चाहता हूं :--

तन्दुरुस्ती तो लाख नियामत है,
तंगदस्ती अगर न हो।

डा० प्यारे लाल जी ने जो प्राइमरी शिक्षा के बारे में कहा कि जिस तरह से हायर सेकेंडरी एजूकेशन के लिये एक कमेटी बनायी गयी है उसी तरह से इसके लिये भी एक कमेटी बनाई जाये। उनका यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सरकार सहानुभूति रखती है। हमारे भाई हकीम बृजलाल जी ने अफसरों की एफीशियेंसी (efficiency) के बारे में कहा कि अब उनकी एफीशियेंसी बहुत कम हो गयी है। यह बात ठीक है।

श्री राजाराम शास्त्री--अब मिनिस्टरों की तादाद मत बढ़ाइए।

शिक्षा मन्त्री--यह तो ठीक है। एक छोटा सा प्राविजन (provision) बनाया गया है। जिसमें हमारे आफिसर्स की एफीशियेन्सी का सवाल है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे अफसर ज्यादातर वही अफसर हैं जो बृटिश सरकार के जमाने में थे। हमारे यहाँ जो डिमोक्रेसी है उसके तीन अंग हैं एक तो हमारे माननीय सदस्य जो जनता के नुमाइंदे होते हैं दूसरे इक्जीक्यूटिव (executive) हैं और तीसरे नौकरशाही स्टाफ (staff) है, जो पूरा काम चलाता है। उसमें तो संदेह नहीं कि जितना काम हम उनसे करवाना चाहते थे वह उतना काम करने में सफल नहीं हो रहे हैं लेकिन उसका यह कारण नहीं है कि वह बिल्कुल ही इनएफीशिएंट (inefficient) हैं, बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि थोड़े दिन पहले स्टेट (state) मेनटेन (maintain) करने में हम उनकी बुद्धिमता समझते थे, उनकी विद्वता समझते थे और जो दूसरे प्रकार का काम करने में आज हम उनकी काबिलियत नहीं देखना चाहते हैं और जितना हम चाहते हैं कि वह कर दें तो संभव है कि वह नहीं कर पाते हैं या हमें इससे असंतोष है लेकिन यह कहना कि वह इन एफिशिएन्ट है मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। इस समय एक नये किस्म का, उनके सामने काम था, देश की बनावट का काम उनको दिया गया है, उसमें अगर सभी लोग सहयोग रखें तो वह उसमें सफल हो सकते हैं और थोड़े दिन के बाद जिनको हम इनएफिशियेंट समझते हैं वह हमारी और आपकी नजरों में एफीशियेंट हो जायेंगे, इसलिये हमको और आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिये। श्री बृज लाल वर्मन ने हिन्दी की भी बात कही है तो आप जानते हैं कि हमारी आफिशियल लैन्गुएज (official language) पास हुई है, जिसके जरिये से सरकार यह आशा करती है कि कुछ वर्षों में हमारा सब काम हिन्दी में होने लगेगा। लेकिन यह फिर भी एक ऐसी चीज है कि अगर इसमें बड़ी जोर से दौड़ें तो शायद उसमें गिर जाने का भय है तो अभी तक इसका कोई उचित स्थान नहीं था, लेकिन अब तो हमारी हिन्दी आफिशियल लैन्गुएज है तो उसको हमको मजबूती से चलाना है, लेकिन इतनी तेज नहीं चलाना है कि हम कहीं रास्ते में ही लड़खड़ा जायें। अगर कोई यह समझे कि हिन्दी को हटा कर उसके स्थान पर उर्दू के लिये भी स्थान हो तो ऐसी बात नहीं है,

[शिक्षा मंत्री]
आफिशियल लैंग्वेज होने का जहाँ तक सवाल है, तो हम तो चाहते हैं कि देश में हर एक भाषायें बोली जायं और देश में हर एक भाषा के विद्वान हों, तो उसके लिये हर एक को अवसर मिल जाता है और वह मिलना चाहिये। क्यों कि वह हमारी संस्कृति का एक अंग हो जाती है। लेकिन जहाँ तक आफिशियल लैंग्वेज के होने का सवाल है, वह तो हिन्दी अपने स्थान पर आ गयी है और उसमें अगर देर हो गई है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिये, बल्कि हमको चाहिये कि हम जितना कदम उठायें, वह हमारा मजबूत कदम हो, जिसमें कि हमको पीछे न हटना पड़े और अपने कदमों को पीछे हटाने का हम को मौका न मिले। अब मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। क्योंकि एक तो समय हो गया है और दूसरे हमारे भाई राजाराम जी भी सुनते सुनते घबरा गये हैं।

श्री राजाराम शास्त्री--मैं तो चाहता हूं कि आप एक घन्टा और बोलें।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब चेयरमैन साहब, मैंने कल से इस वक्त तक, जब तक कि आज मेम्बरान साहबान की तकरीरें होती रहीं हैं, उन सब तकरीरों को गौर से सुना, ताकि गवर्नमेंट उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। मुझे तकरीरें सुन कर बहुत खुशी हुई और इस बात पर खुशी हुई कि यह नया ऐवान जो अब नये लेजिस्लेचर (Legislature) का एक जुज है, इस मर्तबा दुबारा इसकी इज्जत और शान को बनाये रखे, कुदरत ने इसको जो बरसरे मेम्बरान दिये हैं, खुशकिस्मती से जाहिर है कि उनकी काबिलियत और दानिशमन्दी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि इस सूबे की गवर्नमेंट को उनसे सही और मुनासिब मशविरे मिलेंगे। इसमें तालीमयाफ्ता भी हैं और दानिशमन्द भी हैं और दीगर तबके के नुमाइंदे भी हैं और हम उनकी तमाम तकरीरें खास नजरिये से सुनें कि हम गवर्नमेंट की जानिब से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें।

जितनी बातें मैंने सुनीं, उनमें से कुछ मैंने इसलिये नोट कर लीं कि उनका जवाब मेम्बरान साहबान को देना होगा और मैं जनाब के जरिये से उसे देता, लेकिन अब इतना वक्त नहीं रहा कि मैं अपने इस लिखे हुए नोट को सुना सकूं। मैं अपने जवाब में उन सब प्वाइंट्स (points) को सुनाता, लेकिन अब मैं जनाब की इजाजत से यह अर्ज करूंगा कि मेम्बरान साहबान मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं उन तमाम प्वाइंट्स को बयान न करूं, बल्कि जो-जो मेम्बर साहबान उन प्वाइंट्स को जानना चाहें, मैं उनकी खिदमत में अपने जवाब में उन प्वाइंट्स को पेश कर दूं ताकि कम से कम उनको इन प्वाइंट्स के मुताल्लिक इत्मिनान हो जाय, लेकिन अगर फिर भी उनकी राय हो तो मैं यह कहूंगा कि बजाय इसके मैं हर प्वाइंट पर कहूं अपनी तकरीर के आखीर में उन्हें वह सब पढ़कर सुना सकता हूं, अगर मेम्बर साहबान सुनने की तकलीफ गवारा करें। अगर मैं उन प्वाइंट्स के मुताल्लिक इतना न करूं तो भी मुनासिब नहीं होगा और जितनी बातें कही गयीं हैं यदि उनके मुताल्लिक मैं इस तरह से कुछ भी नहीं कहता तो यह भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिये ऐसे आदमियों में इस तरह से गलत ख्याल न पैदा हो और उनको किसी बात की शिकायत न हो, मैंने यही मुनासिब समझा कि जनाब के जरिये इसके मुताल्लिक मुझे पहले से ही अर्ज कर देना चाहिये।

इन तमाम प्वाइंट्स को देखते हुए मैं सबसे पहले एक प्वाइंट अर्ज करना चाहता हूं कि जो कि हमारे भाई डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ने फरमाया था। उन्होंने बुन्देलखंड में जो इलेक्ट्रिसिटी (electricity) का इंतजाम हुआ है, उसके सिलसिले में जो कुछ बातें इरशाद फरमाई थीं और उसमें उन्होंने यह भी इरशाद फरमाया था कि पूर्वी अजलों के लिये इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है। इस बात के मुताल्लिक मैंने अर्ज किया था, यहाँ नहीं बल्कि शुरू के ऐवान में जो कि अब उठ गया है और अब उसके मेम्बर भी यहाँ नहीं हैं, तो वहाँ उस समय पब्लिक में यह बात सुनने में आती रही थी कि गवर्नमेंट ने मगरबी

अजलों के लिये तो इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम किया, मगर मशरकी अजलों में ऐसा इंत-जाम नहीं हुआ। मगर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट सन् १९३७ ई० में पहले आई तो उस वक्त सब जरात दिये गये, नहर के जरिये पानी, व फिर ट्यूबवेल्स तो सब जरात तरक्की करने के वास्ते दिये गये और उसके इंतजाम करने को भी जरूरत महसूस की गयी। इसलिये सन् १९३७ में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त इस मसले पर सबसे पहले तवज्जह किया गया था। उस वक्त वहाँ जो चीफ इंजीनियर (Chief Engineer) थे, उन्होंने इसको एक कमेटी के सुपुर्द किया कि हम कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक (hydro-electric) बिजली दे सकते हैं। टोम्स दरिया में एक मुकाम है पुरिया। तो वहाँ एक जगह बिजली ७ हजार ७ सौ किलोवाट (kilowatt) ह और दूसरी जगह दो हजार किलोवाट है। तो वहाँ जब वह प्रोजेक्ट (project) तैयार किया गया तो वह एक कमेटी के सुपुर्द किया गया। उससे यह मालूम होगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ने साढ़े दस हजार किलोवाट बिजली के बनाने का इंतजाम मशरकी अजला के लिये किया है। यह रिपोर्ट है, वह मैं डा० साहब की खिदमत में पेश कर दूंगा ताकि उनको मालूम हो जायगा कि उससे पहिले की हिस्ट्री (history) क्या है। उस वक्त जो कमेटी की रिपोर्ट आई और उस पर काम किया जाता या कोई दूसरा इंतजाम किया जाता, उन अजला के लिये, लेकिन बदकिस्मती कहिये या खुशकिस्मती कहिये हम लोग चले गये। नवम्बर, १९३९ ई० में वह मौका पैदा हुआ और वह बातें नहीं रहीं। अब सन् १९४६ में कांग्रेस गवर्नमेंट कायम हुई सन् ४६ से लेकर सिलसिले वार ४६–४७–४८–४९–५० और ५१ ई० जितने साल गुजरे हैं, उनसे से हर एक साल के मुताल्लिक यह दिखला सकता हूं, अब तो मैं नहीं हूं पहले मैं था, उस वक्त स लेकर इस वक्त तक बराबर इस बात की कोशिश हुई कि यहाँ आबपाशी का इंतजाम किया जाय जो मुमकिन हो। आबपाशी के दो तरीके हैं या तो कहीं से ग्रेविटी कैनाल (gravity cannal) आये या पानी पम्प करके ट्यूबवेल (tubewell) या कैनाल बनाई जाय। सन् ४६ से पहले सरवे (survey) कराया गया तो मालूम हुआ कि ग्रेविटी कैनाल (gravity canal) बनाना नामुमकिन है। एक्सपर्टस् (experts) की राय है कि वहाँ का जो लेविल (level) है उसमें यह मुमकिन नहीं है कि ग्रेविटी कैनाल बनाई जा सके। पम्प कैनाल हो सकती है। एक लिस्ट (list) बनाई गई थी जिसमें १६ अजला का नाम है वह मशरकी अजला के नाम में आते हैं। जमीन के सरवे (survey) के बाद मालूम हुआ कि ट्यूबवेल्स (tube-wells) बन सकते हैं। इसलिये पम्प कैनाल का इरादा छोड़ दिया। क्योंकि ट्यूबवेल्स आसानी से बन सकते हैं और उसमें खर्च भी कम होता है। इसलिये यह इंतजाम किया गया। इर्रीगेशन (irrigation) का जो प्लान (plan) है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया (Government of India) के मातहत बनी है ११ हजार ट्यूबवेल्स पार साल बनाये गये जिनसे मशरकी अजला में साढ़े चार लाख एक एकड़ जमीन आबपाशी होगी। यह एक बात नजर में है लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि डरता हूं कि आज अगर कह दूंगा और कल अगर वह पूरा नहीं होगा तो दूसरे दिन उसका ढिंढोरा पिटना शुरू हो जायगा लेकिन जो इंतजाम किया गया है उसमें ११ हजार से ज्यादा की आबपाशी हो जायगी मुमकिन है कि और ज्यादा हो जाय और कम से कम तो ११ हजार जरूर होगी। और २ या ३ साल के अन्दर ७५ हजार एकड़ आबपाशी नई जमीन में जरूर होगी जो गोरखपुर में पावर स्टेशन (power station) बनाया गया है उसमें १०० ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं उनसे आबपाशी होती है। एक नहर रामगढ़ नहर के नाम से बनाई गई है और २ नहरें और निकाली गई हैं। इस तरह से ७५ हजार एकड़ का इंतजाम तो एक्चुअली (actually) हो ही गया है और आइंदा प्रोग्राम (programme) में यह सब चीजें मौजूद हैं इन अजला के लिये। तो जहाँ तक मशरकी अजला का ताल्लुक है उसकी निस्बत किसी के दिल में यह ख्याल नहीं होना चाहिये कि गवर्नमेंट मशरकी अजला को कुछ देना नहीं

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

चाहती है। कोई तो यह कहता है कि उनके साथ स्टेप मदर्ली ट्रीटमेंट (step-motherly treatment) किया गया, कोई कहता है कि साहब पच्छिम के रहने वाले आदमी यह काम लिये हुए हैं लिहाजा वह पूरब के आदमियों को कुछ देना नहीं चाहते। यह ख्यालात बिल्कुल गलत हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मगरबी अजला में कुएं नजर आते हैं उसमें इस बात को देखा जाये कि क्या वह आज ही तैयार हो गए। बृटिश पीरियड (British Period) के अन्दर उसके लिये तहक़ीक़ात शुरू हुई और काफी अर्से के बाद नहरें निकाली गईं। गंगा की नहर जो निकली उसकी हिस्ट्री अगर देखी जाये तो मालूम होगा कि गंगा की नहर निकलने से वर्षों पहले वह काम शुरू हुआ था।

इसी तरीके से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ४-५ वर्ष का जमाना कोई इतना बड़ा जमाना नहीं होता जिसके अन्दर अगर कोई चीज किसी जगह पर न हो तो यह समझ लिया जाये कि देने वालों का इरादा देने का नहीं है। इसमें शुभा नहीं कि हमारी इस बात के लिये कोशिश है कि न सिर्फ मशरक़ी अजला बल्कि इस सूबे का कोना-कोना जराअत से भरा होगा और घर भी बिजली से चमकते होंगे। अगर सोशलिस्ट गवर्नमेंट (Socialist Government) भी आ गई या किसी और पार्टी की गवर्नमेंट कायम हुई तो करना उनको भी है। एक साहब कल दौराने तकरीर फरमा रहे थे कि यह न समझा जाये कि हमें या किसी और को मुल्क से मुहब्बत नहीं है। हम यह नहीं समझते और पर्सनली (personally) मैं तो कतई समझता ही नहीं कि कोई हिन्दोस्तानी है जिसको हिन्दोस्तानी होते हुए सही माने में अपने मुल्क से मुहब्बत न हो और कोई आदमी ऐसा है जो यह न चाहता हो कि हमारा मुल्क आफताब से भी ज्यादा नुमाया हो। सब की ख्वाहिश यही है कि हमारा मुल्क तरक्की में दुनिया के किसी मुल्क से भी पीछे न रहे। हमें मुल्क ने पहले से ही बिठा रखा था। एक खिदमत सुपुर्द कर रखी थी। अब इस वक्त फिर वक्त ने भेज दिया। फिर आइन्दा के लिये हुक्म होगया कि तुम आइंदा ५ साल के लिये खिदमत करो, लिहाजा हाजिर हो गए।

कहा यह जाता है कि अब तक तुम ने जो किया वह मुल्क को तबाही की तरफ ले जाता है। मैं इसका एक जवाब रखता हूं, मगर वह भी जवाब सामने नहीं आ सकता। अगर मुल्क ने कांग्रेस को न भेजा होता, तब मालूम होता कि मुल्क ने क्या किया। असल हक़ीक़त इस बात की उस वक्त मालूम होती। हम कामयाबी का फख्र नहीं करते, न वह कोई फख्र की चीज है। लेजिस्लेचर में जो भी साहबान आये हैं, हम उनके अन्दर यह फ़र्क़ नहीं समझना चाहते कि हम इस कमेटी के मेम्बर हैं, वह उस कमेटी के मेम्बर हैं। वह अपोजीशन (Opposition) के हैं, हम गवर्नमेंट के हैं। हम तो यह समझते हैं कि सब एक हैं। हमारे सामने यह मक़सद होना चाहिए कि हमको मुल्क की खिदमत करना है और शायद डा० साहब ने अपनी तक़रीर में बिल्कुल सही बातें फ़रमाई थीं। उन्होंने फरमाया था कि गवर्नमेंट की जो आलोचना की जाये, उससे उसे फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही है। हमको इससे फ़ायदा उठाने से इन्कार नहीं है। हम यह नहीं चाहते कि आलोचना न हो। डा० बृजेन्द्र स्वरूप साहब बैठे हैं, इतने दिन से इस ऐवान के मेम्बर रहे हैं। पहले से वह यह देखते रहे हैं कि यहाँ क्या होता रहा है, हमने तो उस क्रिटिसिज्म (criticism) को बुरा नहीं माना और न हमने शिकायत ही की। अपने जवाब में हमेशा यह कहा कि क्रिटिसिज्म हो। जिन-जिन बातों की कमी हो वे उनको कहें। मैं यह नहीं कहता कि उसमें कमी नहीं है। उसमें कमी जरूर है। क्रिटिसिज्म के साथ साथ यह बतलायें कि इसको ऐसे करो। तो मैं उसको अपने नजरिये से देखूंगा कि वाक़ई में यह बुराई मुझमें है या नहीं। मैं इस चीज को अपने नजरिये से देखूंगा। उनसे जो भी फायदा उठाने का मौक़ा होगा, हम उससे फायदा उठायेंगे। जहाँ तक डाक्टर साहब की बात का ताल्लुक़ है इर्रीगेशन का मसला था। यहाँ

हमारे दोस्त ने इरशाद फरमाया था और कुछ मामलों के बारे में ज़िक्र किया था, मैं उसको रेफर (refer) नहीं करता हूं।

ग़िज़ा के मसले में कुछ बातें कही गयी हैं, उस पर काफ़ी तक़रीर हो सकती है।

डाक्टर भाटिया साहब ने कहा है कि हेल्थ (health) को प्रायरिटी (priority) हो या फूड (food) को। हमारे दोस्त गोविन्द सहाय साहब ने अपनी तकरीर में बड़ी इन्टेरेस्टिंग (interesting) बात कही है। यदि मैं कहूंगा तो आप को हंसी आयेगी, आप ताज्जुब करेंगे। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक इर्रीगेशन (irrigation) का ताल्लुक़ है ऐग्रीकल्चर (agriculture) के साथ इसका वही ताल्लुक़ है, जो प्यासे और कुयें के साथ। अब मालूम हुआ कि क्या क्या ताल्लुक़ है। ऐग्रीकल्चर और इर्रीगेशन के अन्दर क्या ताल्लुक़ होना चाहिये यह इस सूबे की हिस्ट्री में नहीं है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा वक्त न लूं, क्योंकि श्री दीप चन्द्र जी को भी बोलना है। जब मौक़ा होगा तो मैं आप लोगों के सामने अर्ज़ करूंगा। कंट्रोल के बारे में डाक्टर साहब ने यह इर्शाद फर्माया था कि पार्शियल राशनिंग (partial rationing) और उसके ज़रिये से गोया कंट्रोल रिलीफ (control relief) हो जावे तो वह नुक़सानदेह है। मैं यह अर्ज करता हूं कि इस नुक़सान को कम करने की सलाह है। यह जो डाक्टर साहब ने फर्माया है तो हमें यह देखना है कि आया हो सकती है या नहीं। यह तजवीज हमारे सामने रही है कि यह भी हो सकता है। इसके लिये जहाँ और रास्ते हैं उनमें से जो रास्ता ठीक निकलेगा उसी को अख्तियार किया जायेगा। यह हम भी चाहते हैं कि यह ६ करोड़ रुपये का जो नुक़सान है, वह न हो। इसकी वजह से बहुत बड़ा डेवलपमेंट (development) का काम हो सकता है। यह एक ऐसी प्राब्लम (problem) है जिसको टाला नहीं जा सकता है। राजाराम जी मुझे माफ़ करेंगे, उन्होंने एक बात कही है। हालाँकि ऐसा कहने की उनकी आदत नहीं है। ऐसा कहने का असर बहुत बुरा पड़ता है यह बड़ी खतरनाक़ बात होती है। उन्होंने भुखमरी की बाबत कहा है। यह ऐसी बात है, मैं कह रहा हूं कि राजाराम शास्त्री ने तक़रीर के सिलसिले में भूख से मरने का ज़िक्र किया है। जहाँ तक भूख से मरने का ताल्लुक़ है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सूबे के अन्दर एक भी आदमी भूख से नहीं मरा, बावजूद इस बात के कि तीन फसलें डेढ़–दो साल से खराब हो रही हैं। सालों से जहाँ बारिश नहीं हुई लेकिन वहाँ भी एक आदमी भूख से नहीं मरा है।

(एक आवाज) यह ग़लत है।

विक्त मंत्री—हाँ यह कन्ट्रोवर्शियल(controversial) बात है। सोशलिस्टों ने दावा किया था कि दो–तीन आदमी भूख से मर गये हैं। हमने तहक़ीक़ात किया और इस नतीज़े पर पहुंचे कि वह दर हक़ीक़त में भूख से नहीं मरे थे, लेकिन किसी और वजह से उनकी मौत हुई थी। लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि वह दो–तीन आदमी, जिनको सोशलिस्टों ने बतलाया था, उनको मान भी लिया जाये कि वह भूख ही से मरे तो वह जगह जहाँ लखोखा इंसान रहते हों, वहाँ तो तीन आदमी मर गये हों तो कोई क्या यह कह सकता है कि लोग भूखों मर रहे हैं। वह तो तब होता, जब लोग सैकड़ों की तादाद में मर रहे होते। इस तरह से इंटरप्शन (interruption) नहीं किया जाता और वह ऐसी ही बात है, मैं आप से अर्ज करूं कि मुल्क के इन्टेरेस्ट (interest) में होगी यानी कहीं मैं देखूं कि लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी जगह न कहूं कि वहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं तब तो वह मुल्क के इन्टेरेस्ट में न होगी। मेरे दोस्त अपनी तक़रीर में यह भी कह गये कि ऐड्रेस में पिछला भी कहा गया है और अगला भी कहा गया। तो मैं बता दूं कि अगला जो कहा गया वह यह बताने के लिए कि आइन्दा गवर्नमेंट को क्या क़दम उठाना है और पिछला इसलिए कहा गया कि जिससे अगले के मुताल्लिक़ समझ में आ जाय। यह भी यहाँ कहा गया कि जनता की हालत क्या है, उसके मुताल्लिक इसमें कुछ नहीं कहा गया है। मेरे दोस्त ने भी यही

[वित्त मंत्री]

एतराज़ किया कि जनता की हालत उसमें नहीं कही गई है। जनता की हालत क्या कही जाय कि दुःख में है, मिज़री (misery) में है, यही कहा जा सकता है। मैं पूछता हूं कि क्या किसी क़ौम को यह वाजे है कि वह हर जगह अपनी बेबसी को कहती फिरे, यह कहाँ तक मुनासिब है, इसको आप खुद सोचें। इससे मुल्क के अन्दर डिमारलाइजेशन (demoralisation) पैदा होगा। उस बात के कहने से जिस मुल्क में डिमार-लाइजेशन पैदा हो, क्या फायदा। अगर कोई यह देखना चाहे तो वह ज़िन्दा जागती तसवीर है, देख सकता है। जिस चीज़ के मुताल्लिक़ मैं बतला रहा हूं, यह वह चीज़ है, जिसकी मुल्क में कमी है, उसे पूरा करने की हत्तुलइमकान कोशिश हो रही है। अगर वह सीखना चाहें तो सीखें और समझें। मैं समझता हूं कि हर कांग्रेसमैन (congressman) का यह ख्याल है, हमारे नज़दीक़ कांग्रेस प्रीच (congress preech), कम्युनिस्ट प्रीच (communist preech), सोशलिस्ट प्रीच (socialist preech) सब एक हैं, सबका ख्याल है कि मुल्क का फायदा हो, मुल्क की खिदमत हो। अगर कांग्रेस के जरिये से वह हो सकती है, जैसा अभी मुल्क ने फैसला किया है तो दूसरों का सिर्फ यह फ़र्ज़ है कि वह पाँच वर्ष बिल्कुल खामोश रहें, इस मानी में वह सब्र रखें। आइन्दा फिर मौक़ा आयेगा, तब वह अपनी भड़ास निकालेंगे। एक साहब ने तक़रीर की, शायद मैं खुद ग़लत समझा, उन्होंने कहा कि पाँच वर्ष तक आप रह नहीं सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आप क्या कहते हैं, हम पाँच वर्ष क्या, एक मिनट भी रहने वाले नहीं हैं, इसके साथ ही हम पचास वर्ष भी हटने वाले नहीं हैं, इसमें हमारा कोई दख़ल नहीं है, यह सब तो जनता की मरज़ी पर है।

श्री राजाराम शास्त्री—खुशी से कौन हटता है।

वित्त मन्त्री—खैर, जिनको मुल्क ने भेज दिया वह अपनी अक्ल के मुताबिक़ देशसेवा करेंगे। यह मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ की जनता अपने को कुछ और समझती है और सरकार को कुछ और। इसलिये कि मेरी आँखें जब खुलीं जितने आप लोग बैठे हैं उनकी आखें जब खुलीं उन्होंने नक़शा देखा कि हम कुछ और हैं और यह हुकूमत कुछ और है। यह नक़शा आज भी हमारी आंखें देखती हैं। हम यह नहीं समझते हैं कि हुकूमत जनता है और जनता हुकूमत है। आप अपोजीशन (Opposition) में बैठे हैं और मैं गवर्नमेंट में बैठा हूं। आप कुछ समझते हैं और मैं कुछ समझता हूं। दरअसल हमारे सबके सामने मुल्क का काम होना चाहिये और मुल्क की खिदमत करने का ख्याल होना चाहिये। मुल्क के फायदे के लिये अगर मुझे गालियाँ देना चाहते हैं या देते हैं तो मैं खुश, मेरा खुदा खुश।

श्री राजाराम शास्त्री—आपको गालियाँ तो नहीं दी गई हैं।

वित्त मंत्री—मैं यह नहीं कहता कि मुझे गालियाँ दी गईं। एक साहब ने अपने कोआपरेशन (co-operation) का जिक्र किया। वह कोआपरेशन क्या जो सुबह आये और शाम को जायं। चश्मे मा रोशन दिले नाशाद। हमें तो शुबहा का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन मुस्तक़िल कोआपरेशन की जरूरत है। अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि दीपचन्द्र जी को तक़रीर करना है। इतना जरूर कह देना है कि जो कुछ भी यहाँ कहा जायगा, उससे फायदा उठाने की पूरी-पूरी कोशिश की जायगी।

श्री दीप चन्द्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भवन में दो दिन से मेरे प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा है। मुझसे पहले माननीय मन्त्री महोदय ने स्पष्टीकरण भी हर बात का कर दिया है और अब मुझे कुछ कहने को नहीं रह जाता है, परन्तु एक दो बातें कहना है। मुझे यह प्रसन्नता है कि चारों ओर से जो कार्यक्रम की, जो सरकार की ओर से रखा गया है, सब लोगों ने सन्तोष प्रगट किया है। मुझे विशेषकर इस बात से प्रसन्नता है कि उस ओर से भी श्री गोविन्द सहाय जी ने यह कहा कि जहाँ तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, उनमें

कोई दोष नहीं है। उनको केवल यह भय था कि वह कार्यक्रम पूर्ण हो सकेंगे या नहीं। यही भावना उस ओर के और माननीय सदस्यों की भी है। मेरा विश्वास है कि अगर वह भविष्य को आज सोचने की चेष्टा नहीं करेंगे तो कार्यक्रम कार्य रूप में परिणित होने वाला है और होगा और जैसा उनका ख्याल है कि कार्यक्रम सुन्दर है, तो देश का भविष्य भी उन्नत होगा ही, परन्तु उनका भय अनुचित है। मुझे इस बात का संतोष हुआ कि श्री गुरुनारायण जी ने जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के विषय में यह फरमाया कि वर्तमान परिस्थिति में उसमें जो कम्पेन्सेशन दिया गया है, सरकार उससे अधिक नहीं दे सकती थी और जो उसमें जमींदारों के लिये जो प्राविजन किया गया है, इससे अच्छा नहीं किया जा सकता था। मैं समझता हूं कि इन बातों के होते हुये आज हमें संतोष होना चाहिए कि सरकार ने जो इस प्रदेश में किया है और करने का संकल्प किया है, उसकी चारों ओर से सराहना की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह भवन महामान्य राज्यपाल को दिये गये धन्यवाद के प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेगा।

चेयरमैन--मूल प्रस्ताव यह था कि :--

"उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के लिए जो, उन्होंने राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया हैं, हार्दिक धन्यवाद प्रगट करते हैं।"

इस प्रस्ताव पर प्रो० मुकुट बिहारी लाल ने एक संशोधन पेश किया है। वह आप लोगों ने सुन लिया है। मैं समझता हूं कि उसे फिर पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अपने नियमों के अनुसार पहले संशोधन पर राय ली जायगी। उसके विषय में मैं सदस्यों से कहूंगा कि जो इसके पक्ष में हों वे हाँ कहें और जो विपक्ष में हों वे नहीं कहेंगे। जब इस संशोधन पर राय हो जायेगी तो उसके बाद मूल प्रस्ताव रखा जायेगा।

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

चेयरमैन--अब मूल प्रस्ताव आप के सामने है।

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के लिए जो उन्होंने राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, हार्दिक धन्यवाद प्रगट करते हैं।"

चूंकि राज्यपाल का संबोधन अंग्रेजी में था और उसका उत्तर भी अंग्रेजी में ही देना है, इसलिये मैं प्रस्ताव का अंग्रेजी स्वरूप भी पढ़ देता हूं :--

"That the members of the Uttar Pradesh Legislative Council assembled in this session offer their grateful thanks to His Excellency the Governor for the address which he has been pleased to deliver to both the Houses of the State Legislature."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पैनल आफ मेम्बर्स टू ऐक्ट ऐज चेयरमैन की घोषणा

चेयरमैन--मैंने पहले घोषित किया था कि डा० बृजेन्द्र स्वरूप पैनल आफ मेम्बर्स में रहेंगे। उस पैनल पर मैं इन तीन सदस्यों को और नामांकित करता हूं--

(१) श्रीमती महादेवी वर्मा।

(२) प्रो० मुकुट बिहारी लाल।

(३) श्री हयातउल्ला अन्सारी।

सदन का कार्यक्रम

श्री कुंवर गुरुनारायण--मुझे यह कहना है कि असेम्बली शनिवार और इतवार को बन्द रहती है, इसलिये कौंसिल भी शनिवार और इतवार को नहीं होनी चाहिए।

चेयरमैन--इस कौंसिल में यह प्रथा रही है कि हम हफ्ते में ६ दिन बैठते रहे हैं। अगर आप कोई तब्दीली चाहते हैं तो उसके लिये एक प्रस्ताव ले आयें।

कौंसिल कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ५ बजे, २४ मई सन् १९५२ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।)

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२३ मई, सन् १९५२ ई०।

पी० एस० यू० पी०--२३ एल० सी०--१९५२--८२०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५७)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डा०
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीपचन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डा०
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रो०
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:—

श्री चरण सिंह (माल मंत्री)
श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)
श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)

नार्थ-ईस्टर्न रेलवे की उत्तर प्रदेश रेलवे एडवाइजरी कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव

The Minister for Finance (Sri Hafiz Mohammad Ibrahim)— Sir, I beg to move that the Legislative Council do elect, on such date and in such manner as the Hon'ble the Chairman may direct, one member to serve on the U.P. Railway Advisory Committee of the North Eastern Railway.

Chairman—The question is that the Legislative Council do elect on such date and in such manner as the Hon'ble the Chairman may direct one member to serve on the U. P. Railway Advisory Committee of the North Eastern Railway.

(*The question was put and agreed to.*)

सेंट्रल रेलवे की उत्तर प्रदेश रेलवे एडवाइजरी कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव

The Minister for Finance—Sir, I beg to move that the Legislative Council do elect, on such date and in such manner as the Hon'ble the Chairman may direct, one member to serve on the U. P. Railway Advisory Committee of the Central Railway.

Chairman—The question is that the Legislative Council do elect, on such date and in such manner as the Hon'ble the Chairman may direct, one member to serve on the U. P. Railway Advisory Committee of the Central Railway.

(*The question was put and agreed to.*)

सोमवार, २६ मई, १९५२ ई० को १२ बजे तक इन दोनों कमेटियों के लिये नामिनेशन (nomination) दे दिये जायं।

श्री दीपचन्द्र—अगर मंगलवार रखा जाय तो बेहतर होगा।

चेयरमैन—२७ तारीख को १२ बजे तक सेक्रेटरी साहब के पास आप लोग नाम दे देंगे।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश लगान के नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक

श्री चरण सिंह (माल मंत्री)—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश लगान के नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक पर विचार किया जाय।

कौंसिल के माननीय सदस्यों को और जो सदस्य नहीं हैं, लेकिन किसानों में दिलचस्पी लेते रहे हैं, यह मालूम होगा कि टेनेन्ट एक्वीजिशन आफ प्रिविलेजेज एक्ट नाम का एक विधेयक सन् १९४९ ई० में, जब कि जमींदारी विनाश और भूमि, व्यवस्था बिल असेम्बली में पेश हुआ था, पास किया गया था। उस विधेयक के मातहत काश्तकारों को दसगुना रुपया अपने लगान का दाखिल करने का अधिकार दिया गया, जिसके ऊपर उन्हें एक सनद मिलती थी। उस सनद से उनको यह अख्तियार मिलता था कि जो लोग नकद लगान देते थे वे १० गुना दे दें, लेकिन जिनकी बटाई थी या जिनकी जो जिन्स उनके

खेतों में बोई गयी थी और वे जिन्स में ही लगान देते हैं तो उन लोगों के सामने दिक्कतें थीं। दफा ८७ कानून मालगुजारी के मातहत हाकिम इलाका को अख्तियार दिया गया है और जब उनको अख्तियारात मिलेंगे तो वे उस अख्तियारात के मुताबिक जिन्स को नक़दी लगान में बदल सकते हैं, और जब जिन्स को नक़दी में बदल सकते हैं, तो सर्किल रेट (circle rate) मुक़र्रर नहीं किया जा सकता है। लैंड रिफार्म कमीशन (land reform commission) की हिदायतों के मुताबिक और क़ानून के मुताबिक जमींदारों को नोटिस देना चाहिए। लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसे नोटिस जारी न हो सके। क़ानून के मुताबिक हमने सब जगह नक़दी लगान मुक़र्रर किया और वह नक़दी लगान काश्तकार जमींदारों को दे रहे हैं। १० गुना लगान देने से काश्तकारों को आधा लगान देना पड़ रहा है। नोटिस जारी न होने की वजह से जमींदारों ने नालिश की है। इस तरह के बहुत से दावे अदालत में चल रहे हैं। अगर उनको नोटिस मिल जाती तो शायद ऐसा न होता। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई उसूली बहस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा।

*श्री गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश लगान के नक़दी में परिवर्तन विधेयक है, इसके बारे में जैसा माननीय माल मंत्री ने कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि इसका कोई सैद्धांतिक विरोध तो हो नहीं सकता है और न कोई आपत्ति ही इसमें होनी चाहिए। लेकिन कल जब मैं इस बिल को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसके आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स (objects and reasons) में यह दिया हुआ है जो मैं श्रीमान् की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं।

"Sub-Divisional Officers acting as Assistant Settlement Officers for the Commutation of rents under Section 87 of the U. P. Land Revenue Act, 1901, have in certain districts passed orders by an oversight without making the landholders a party to the proceedings."

यह शब्द जो इसमें दिये हुये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह नहीं समझ सकता कि इतने तजुर्बेकार अफसर हों और वह इस बात को ओवर साइट (oversight) कर जायं और लैंड होल्डर को नोटिस न दें। वास्तविकता यह थी कि उस समय जमींदारी अबालिशन फंड का कलेक्शन (collection) हो रहा था। सरकार उसको वसूल करने में बहुत जल्दी कर रही थी। उस समय सरकार का यह ध्येय था कि जितनी जल्दी हो सके लगान वसूल हो जाय।

मैं समझता हूं कि यह बिल ठीक ही है और उसके साथ ही साथ यह भी शो (show) करता है कि उनके हृदयों में इस बात की आशा थी कि चूंकि सरकार ऐसी चीज चाहती है, इस प्रकार की बातें उनके हृदयों में भी पैदा हो सकती थीं, लिहाजा जल्द से जल्द इस कार्यवाही को खत्म कर दिया जाय। अगर पार्टियाँ बनाई जायं और बहुत समय लिया गया तो कहीं ऐसा न हो कि दसगुना वसूल करने में देर हो तो इसलिये मैं यह जरूर चाहूंगा कि कम से कम जहाँ तक क़ानून का मामला है, उसमें उधेड़बुन करने की कोई जरूरत नहीं थी और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उन सब-डिवीजनल आफिसर्स (Sub-Divisional-Officers) को, जिन्होंने इस तरीक़े की कार्यवाही की, उनको किसी प्रकार की वार्निंग (warning) दी गई या किसी तरह का एक्सप्लेनेशन (explanation) उन लोगों से लिया गया, यह जताने के लिये कि उन्होंने क्यों ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आज इस भवन में इस ऐक्ट को लाने की जरूरत हुई। मुझे और बहुत इसके सम्बन्ध में कहना नहीं है। क्योंकि

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री गुरु नारायण]

मैं यह भी समझता हूं कि यह ठीक है कि बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं और जो इर्रेगुलैरिटीज (irregularities) हो जाती हैं उनको रेगुलेराइज (regularise) करना होता है। मैं यह चाहूंगा कि ऐसी प्रैक्टिस (practice) को गवर्नमेंट को डिसकरेज (discourage) करना चाहिये और जितनी ऐसी बातें हो जाती हैं तो उन खामियों को दूर करने के लिये बेकार में इस सदन का समय नष्ट होता है और पब्लिक मनी (public money) भी वेस्ट (waste) होता है और कोई नतीजा उससे नहीं निकलता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन सबडिवीजनल आफिसर्स से, जो इस तरह की कार्यवाही करते हैं, एक्सप्लेनेशन माँगना चाहिये कि आइन्दा से वे ऐसी कार्यवाही न करें। इसके अलावा और कोई बात इसमें ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी प्रकार के विरोध करने की आवश्यकता हो। इसलिये मैं सिर्फ यह प्वाइन्ट आउट (point out) करना चाहता हूं कि इन फ्यूचर (in future) गवर्नमेंट को ऐसे कामों की ओर ध्यान रखना चाहिये।

माल मन्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक़ दोस्त ने यहाँ पर यह फरमाया है कि सब-डिवीज़नल आफिसर्स को वार्निंग (warning) दी जाय। इस तरह की आफिसर्स की काबिलियत है कि वह अपना कर्त्तव्य नहीं समझते हैं, तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की नाक़ाबिलियत उनकी नज़र नहीं आती हैं और अगर अब तक कुछ थीं भी तो अब यह चीज नहीं होगी। यह बात कुछ हद तक सही है कि इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिये थीं। लेकिन देखना यह है कि यह चीज ऐसी है जिस पर यह कहा जाय कि उनको नोटिस (notice) जारी करने चाहिये। तो गवर्नमेंट का अपना ख्याल यह है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा काम था और इस काम की ज्यादती की वजह से वह लोग नोटिस जारी नहीं कर सके हैं। दूसरी बात यह है कि नोटिस जारी करते या न करते, जमीन्दारी एबालिशन (abolition) होती और वह जरूर ही वसूल करते तो जो काम उन्होंने किया है, उसमें कोई खास अन्तर नहीं है। उसमें उनको कोई अख्तियार नहीं है कि वह कार्यवाही कर सकें। तो यह जो ऐसी इर्रेगुलेरिटीज (irregularities) हैं जिसे मैटीरियल इर्रेगुलेरिटीज (material irregularities) नहीं कहा जा सकता और किसी को इससे नुक़सान भी नहीं है, क्योंकि अदालतों में मामलात जाते हैं और हो सकता है कि कोई अदालत इसे इर्रेगुलरिटी करार न दे। वसूली के बारे में इस तरह की बातों को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जाता, ताकि उनको आदत न पड़ जाये तो अगर इस तरह का अन्देशा होता तो इस पर जरूर कार्यवाही होती और इसीलिये यह मुनासिब नहीं समझा गया कि कोई कार्यवाही उनके खिलाफ की जाती। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश लगान के नक़दी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माल मन्त्री--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश लगान के नक़दी में परिवर्तन (व्यवहारों के नियमन) विधेयक को पारित किया जाय।

*चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश लगान के नक़दी में परिवर्तन (व्यवहारों के नियमन) विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* बिल के लिये देखिये नत्थी 'क'--पृष्ठ १४३ पर।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक

न्याय मन्त्री (श्री अली जहीर)—

Sir, I beg to move that the Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Second) Bill, 1952, be taken into consideration.

इस बिल को हाउस के सामने पेश करते हुए मुझे कोई ज्यादा लम्बी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। मैं हाउस की तवज्जह दफा १९१ जो अपने कान्स्टीट्यूशन का है, उसकी तरफ मबजूल करता हूं। उसमें यह है कि:—

"(2) Every order referred to in clause (a) of sub-section (1), unless it is an order allowing the holder to draw travelling allowance at rates not exceeding those applicable to members for attending meetings of the Uttar Pradesh State Legislature, shall be laid for not less than three days before the Legislative Assembly as soon as may be after the appointment has been made and shall be subject to such modification as the said Assembly may make during the session in which it is so laid; the modification shall take effect from the date it is so made."

इस दफा को पढ़ने से यह मालूम होगा कि अगर कोई शख्स किसी कमेटी का मेम्बर है या किसी बोर्ड या और किसी ऐसी चीज से ताल्लुक रखता है तो वह आफिस आफ प्राफिट (office of profit) होल्ड (hold) करता है तो वह शख्स असेम्बली या कौंसिल का मेम्बर नहीं हो सकता है। उसको इस डिसक्वालिफिकेशन (disqualification) से बचाने के लिये ऐसे कानून की जरूरत है। उस कानून के जरिये से वह शख्स अगर ऐसा ओहदा होल्ड करेगा, तो भी वह लेजिस्लेचर का मेम्बर बना रहेगा। चूंकि अब एक नई असेम्बली और कौंसिल बन गई हैं, इसलिये फिर से यह इस किस्म का कानून पेश किया गया है जो कि आज आपके सामने पेश है। मैं अर्ज करूंगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिस पर किसी भी शख्स को एतराज हो। इसको देखने से यह पता चलेगा कि पुराना कानून जो बना हुआ था, उसमें कुछ तरमीमें की गई हैं, उसमें यह कहा गया है कि जिस शख्स को महज डेली एलाउन्स (daily allowance) या टी० ए० (T. A.) मिला करता है, तो वह उसको इन हालात में भी मिलेगा और वह मेम्बर भी रह सकता है, तो इसके लिये जेनरल क्लाज (general clause) बना दिया गया है। लेकिन अगर किसी मेम्बर को इससे ज्यादा कुछ दिया जाना तजवीज हो तो इसमें इसका इन्तिजाम किया गया है, और यह बात किसी नाजायज तरीके से नहीं की जायेगी। इसके पहले कि उसे ये सब दिये जायं, वे हाउस के सामने पेश किये जायेंगे और वे तीन दिन तक लेजिस्लेटिव असेम्बली में रहेंगे कि उसमें किसी का एतराज तो नहीं है। उसकी गरज यह होगी कि जो गवर्नमेंट करना चाहती है उसकी इत्तला हाउस को हो जाय और जो फैसला हाउस का हो उस पर गवर्नमेंट अमल करे। इसी वजह से यह कानून आपके सामने पेश किया गया है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे कि किसी भी मेम्बर को इसमें एतराज हो।

प्रोफेसर मुकुटबिहारी लाल—श्रीमान् जी, मैं चाहता था कि मेरे बोलने के पहिले कोई अनुभवी मेम्बर बोलते तो अच्छा था और इसलिये मैं खड़ा होने में हिचकिचा रहा था।

मैं माननीय मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जो नियम सरकार बनायेगी, वह सिर्फ हाउस में टेबिल (table) पर ही रख दिये जायेंगे या हाउस की स्वीकृति

[प्रो० मुकुटबिहारी लाल]

के लिये एक प्रस्ताव द्वारा पेश किये जायेंगे। मेरा जाती ख्याल यह है कि ३ दिन तक उसे टेबिल पर रख देना काफी न होगा। हो सकता है कि टेबिल पर रखे हुए कागज पर ध्यान न जाय, इसलिये अच्छा यह होगा कि जब सरकार किसी नियम में परिवर्तन करना चाहे तो उस नियम के संबंध में हाउस के सामने प्रस्ताव आवे और जब वह प्रस्ताव हाउस में मंजूर हो जाय तब उसे ठीक समझा जाय।

न्याय मन्त्री--मिस्टर चेयरमैन, सर (sir), कम से कम गवर्नमेंट अपनी जगह पर यह समझती है कि जो मेम्बर असेम्बली या कौंसिल में आते हैं, वह इतने गाफिल नहीं होते हैं कि जो कागजात ३ दिन तक उनकी मेज के सामने रखे रहें, उससे वे नावाकिफ रहें। रह गया उसकी मंजूरी और नामंजूरी का सवाल, उसके लिये जो प्रावीजन (provision) इसमें है, उससे साफ जाहिर है कि मेम्बरान को यह अख्तियार होगा कि वह अपनी राय इसके मुताल्लिक दें और जो राय मेजारिटी (majority) से पास होगी गवर्नमेंट का फर्ज होगा कि वह उसको माने, उसमें अल्फाज यह हैं:

Every order referred to in clause (*a*) of sub-section (1) unless it is an order allowing the holder to draw travelling allowance or daily allowance at rates not exceeding.

तो इससे जाहिर हो जायगा कि गवर्नमेंट की नियत क्या है। उम्मीद है कि जब वह पेश होगा तो उसकी वाकफियत मेम्बरान को हो जायगी और जो तजवीज पास होगी, उस पर गवर्नमेंट अमल करेगी। मैं समझता हूं कि अब किसी मेम्बर को इसमें शक बाकी न रह गया होगा।

Chairman: The question is that the Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Second) Bill, 1952, be taken into consideration.

(The question was put and agreed to.)

The Minister for Justice: Sir, I beg to move that the U. P. State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Second) Bill, 1952, be passed.

जनाबवाला, मैं सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक (printing mistake) की ओर तवज्जह दिलाना चाहता हूं और अर्ज करूंगा कि यह बिल पास किया जाय। दफा ३ है, उसमें अल्फाज यह है:--

"An office which is not a wholetime office and is not remunerated either by salaries on fees" word "on" is a mistake.

इसकी जगह पर आर (or) होना चाहिए। यह एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो तरमीम मैंने पेश की है, उसके साथ यह बिल मंजूर किया जायेगा।

Chairman: The question is that the U. P. State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Second) Bill* 1952, be passed.

(The question was put and agreed to.)

सदन का कार्य-क्रम

†वित्त मन्त्री--जनाबवाला, मैं यह चाहता हूं कि एजेन्डा (agenda) पर जो अगला मोशन (motion) है वह आज न लिया जाय। और जो बिजनेस (business) है, वह असेम्बली में है और अभी वहाँ से यहाँ आया नहीं है। क्योंकि आज वहाँ बिजिनेस ही नहीं शुरू हुआ है। और अगर यह बिल आज पास हो जायगा

---

*बिल के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४७ पर।

†मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तो फिर कोई काम बाकी नहीं रह जाता है। इसलिये मैंने बेहतर यह समझा कि परसों के लिये यह बिल रख लिया जाय। उसके बाद और बिजनेस आ जायेगा।

चेयरमैन--मेम्बरान यह जानने के लिये उत्सुक हैं कि यह सेशन (session) कब तक चलेगा। अगर गवर्नमेंट इस पर कोई विचार प्रगट कर सके तो अच्छा हो, क्योंकि बहुत से मेम्बरान हमसे इस बारे में पूछते हैं।

वित्त मन्त्री--मैंने तो अर्ज किया था कि ६ बिल हमको पास करने हैं, उनके नाम भी मैंने लिये थे। उसमें अनसरटेन्टी (uncertainty) का एलीमेंट (element) यह रहता है कि कोई बिल असेम्बली से कब पास होता है, उसी लिहाज से वक्त बढ़ सकता है। मैं यह समझता हूं कि इस हाउस की दूसरी तक बैठक मुमकिन हो सकती है। असेम्बली तो ३० तक शायद खत्म हो जाये। ३१ को सैटरडे (Saturday) है। सैटरडे को वहाँ मीट (meet) नहीं करते। उसके बाद यहाँ जो बिजनेस (business) आयेगा उसको पूरा करने में गालिबन मेरा ख्याल है पहली या दूसरी तारीख तक वक्त लग जाये।

चेयरमैन--माननीय सदस्यों को इस बात के लिये तैयार रहना चाहिये कि यहाँ २ तारीख तक ठहरना हो सकता है।

प्रो० मुकुटबिहारी लाल--माननीय अध्यक्ष जी, लीडर आफ दि हाउस ने यह प्रस्ताव रक्खा है कि जो अगला प्रस्ताव है उसे सोमवार को लिया जाये। मेरा ख्याल है कि जो बिल है उस पर आज ही विचार कर लें और फिर सोमवार को छुट्टी हो जाये।

चेयरमैन--सोमवार के लिये मैंने नामिनेशन्स (nominations) का समय रखा है। नामिनेशन्स सेक्रेटरी को आफिस में दिये जा सकते हैं। २७ मई सन् १९५२ डिप्टी चेयरमैन के चुनाव के लिये निर्धारित है।

वित्त मन्त्री--मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर हाउस चाहता है कि आज ही कर लें और परसों को बेकार रहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

चेयरमैन--मैं एक जेनरल सेंस (general sense) हाउस का समझ लूं कि क्या आप आज काम खत्म करके परसों छुट्टी चाहेंगे।

आवाजें--जी हाँ, यही ठीक होगा।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस छोटे से बिल के स्टेटमेंट्स आफ आबजेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स (statement of objects and reasons) से मालूम होगा कि यह उस दिक्कत को दूर करने के लिये पेश हुआ है जो हाई कोर्ट के एक फैसले से अभी पैदा हो गई है। पंचायती अदालतें अपना काम कर रही हैं। बहुत से फैसले उन्होंने किये हैं। ७०, ८० हजार हों या इससे ज्यादा भी हों। लेकिन जैसा कि आपको भी, गाँवों के रहने वालों को, खास तौर से अन्दाजा है और जैसा कि हमको भी तजुर्बे से मालूम हुआ है कि जो पंचायती अदालत अर्थात् पाँच आदमियों की पंचायत बनायी जाती है, उसमें यह मुश्किल हो जाता है कि वह पाँचों आदमी शुरू से आखिर तक रहें।

यह दिक्कत हमको पहले भी मालूम थी, इसलिये रूल्स में रख दिया गया कि ५ आदमियों की जो पंचायती अदालत बनेगी, उसका कोरम (quorum) तीन होगा। हाईकोर्ट

[स्वशासन मंत्री]
ने इस रूल को गैरकानूनी करार दे दिया, इसलिये जब तक आप इस कानून में तब्दीली नहीं करेंगे तब तक पंचायती अदालतों का चलना नामुमकिन हो जायेगा। कहा यह जायेगा कि यह मामूली उसूल है कि जो जज शुरू से गवाही सुने वही फैसला दे। लेकिन यह उस जगह के लिये ज्यादा मुनासिब है, जहाँ जज दूर रहता है, उसको वाकयात का पता नहीं रहता है। वह एविडेंस (evidence) पर चलता है, तो जो शुरू में एविडेंस ले, वहीं फैसला दे, यहाँ पर गाँवों में जो झगड़ा होता है, चाहे वह सिविल (civil) का हो, चाहे क्रिमिनल (criminal) का हो और चाहे रेवेन्यू (revenue) का हो, उनकी जानकारी हर एक आदमी को काफी होती है, इसलिये जो होल टाइम (whole time) और पेड जजेज (paid judges) के लिए माना जाता है, कि वहीं एवीडेंस लें और वही फैसला करें, यह चीज यहाँ लागू नहीं होती।

दूसरी चीज यह है कि अगर आप फैसला करें कि जो जजेज शुरू से बैठें और एवीडेंस रेकार्ड करें, वही फैसला करें तो इसका आप लोगों को तजुर्बा है ही कि गाँव के रहने वाले को बहुत काम होता है और ऐसे आदमी का शुरू से आखिर तक वहाँ रहना जरूरी होता है। तो उनके लिये इसमें दिक्कत पेश हो सकती है। मैं इस चीज़ को इस बात से साबित करूंगा कि करीब-करीब ६० या ७० फीसदी मुकद्दमों के दौरान में जितने जजों ने शुरू में एवीडेंस लेना शुरू किया था, वे ही आखिर तक नहीं रहते। अगर यह हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल होगा तो ५० फीसदी ऐसे मुकद्दमे हैं जो गैरकानूनी करार दे दिये जायेंगे। जिन पंचायतों ने अच्छा काम किया है वे खत्म हो जायेंगी, इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा और इस हाउस से प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर ज्यादा बहस मुबाहिसा न करें और इसको मंजूर करें। पंचायती अदालतें गाँवों में अधिक काम कर सकेंगी और जिस चीज की बुनियाद हम भावी समाज के लिये डालना चाहते हैं, उसको डाल सकें इससे उसके कार्य में भी हमें सफलता मिलेगी।

प्रोफेसर मुकुटबिहारी लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यह विधेयक कोई ज्यादा बहस मुबाहिसा की चीज नहीं है। हमें इस तरह कार्य करना चाहिये और ऐसी बातें सोचना चाहिये जिससे कि गाँव पंचायतें अच्छी तरह से काम कर सकें। जहाँ तक मैं इस विधेयक के मतलब को समझता हूं, वे दो हैं। पहले यह कि बहुत से मुकद्दमे कोरम के रूल के मुताबिक फैसल हो चुके हैं। अगर उन फैसलों को वैलीडेट (validate) नहीं किया जाता है तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद वे फैसले इनवैली-डेट (invalidate) हो जाते हैं।

जो कुछ काम पंचायती अदालतों ने किया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। मैं समझता हूं कि इन मुकद्दमात के फैसलों को वैलीडेट करने की सख्त जरूरत है, नहीं तो बहुत सी दुश्वारियां पैदा हो जाने का डर है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जो एक बात कही है कि पंचायती अदालत के लोग गांवों के वाकयात से वाकिफ रहते हैं, इसलिये चाहे वह पंचायती अदालतों में बैठें या न बैठें, गवाहों को सुनें या न सुनें, उसके ऊपर राय रख सकते हैं। मैं यहाँ उनकी तवज्जह इस ओर दिलाऊंगा कि अदालतें गवाहों की बिना पर ही फैसला करती हैं और अपनी निजी जानकारी को फैसला देते वक्त बहुत कम काम में लाती हैं। अभी-अभी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, हाईकोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि गांवों की पंचायती अदालतों के सामने वकील लोग आ सकते हैं और पैरवी कर सकते हैं। मैं इस विधेयक का विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन सरकार से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द एक ऐसी कमेटी मुकर्रर करदे जो इस बात पर गौर करे कि पिछले जमाने में गांव पंचायतों ने कैसा काम किया है। उनके काम में क्या-क्या दिक्कतें पेश आई हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के मुताबिक वकील लोग भी मुकद्दमात की पैरवी कर सकते हैं। पंचायतें चुनाव द्वारा चुनी जाती हैं और जिस गिरोह का बहुमत होता है, उसी के

सब पंच हो जाते हैं और जिसका अल्पमत होता है, उसका उस पंचायत पर कम विश्वास होता है। अगर यह हो सके कि पंचों का चुनाव इस तरीके से हो, जिससे कि पंचों पर सबका विश्वास हो और पंच ऐसे हों जो वकीलों की बहस को सुनने के बाद भी फैसला दे सकें। इन बातों को गौर करने के लिये मैं समझता हूं कि एक कमेटी मुकर्रर करने की सख्त जरूरत है।

श्री निजामुद्दीन--जो तरमीम पंचायत ऐक्ट के सिलसिले में इस वक्त इस हाउस के सामने जेरे गौर है, इस सिलसिले में प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल साहब ने यह तरमीम पेश की है कि एक कमेटी बनायी जाय जो इस बात पर गौर करे कि कौन कौन सी दिक्कतें पंचायती अदालतों में मुकद्दमात के सिलसिले में पेश आती हैं, ताकि इन सब पिछली दिक्कतों को सामने रख कर एक राय कायम की जाय, जिससे पंचायती अदालतों को सही फसल में पहुंचने में मदद मिल सके। मुकुट बिहारी लाल साहब ने इसी सिलसिले में हाईकोर्ट के इस फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें यह तजवीज किया गया है कि वकला साहबान पंचायती अदालतों में बहैसियत वकील पैरवी कर सकते हैं। इस तजवीज से अदालतुल आलया हाई कोर्ट का हर्गिज यह मकसद नहीं है कि पंचायती अदालतों पर एतमाद नहीं है, बल्कि यह एक वकलासाहबान को इस गरज से दिया गया है ताकि पंचायती अदालत वकला के कानूनी राय से फायदा हासिल कर के सही फसले पर पहुंचे और इसी नुक्ते ख्याल से वकला साहबान मजिस्ट्रेटों के इजलास में पैरवी करते हैं और मैजिस्ट्रेटों को भी इनसे कानूनी मशविरा मिलता है। यह नहीं है कि मजिस्ट्रेटों के सामने उनको इस वजह से पैरवी की इजाजत दी जाती है कि मजिस्ट्रेटों पर एतमाद नहीं होता। बहुत से कानूनी मामलात ऐसे होते हैं कि अगर उन पर ध्यान न दिया जाय तो पंचायती अदालत के बहुत से फसले निगरानी में जाकर काननी खामियों की वजह से मुस्तरिद हो जाते हैं। वकला के मुकद्दमात में पैरवी करने से न सिर्फ यही एक फायदा है, बल्कि जो गवाहान मुकद्दमात में फरीकेन के जानिब से पेश होते हैं उनसे वह जिरह करते हैं और जिरह वह कसौटी है जिससे गवाह के सच्चे और झूठे होने के मुतालिल्क सही राय कायम की जा सकती है। अदालतुल आलया हाई कोर्ट ने जो यह फैसला दिया है कि वकला साहबान पंचायती अदालतों में जा सकते हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर दिया है। इसलिये प्रोफेसर साहब ने जो तजवीज पेश की है कि एक कमेटी बनाई जाय, मैं इससे हर्गिज इत्तिफाक नहीं करता, मेरे ख्याल में इसके लिये किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, इसलिये मेरी इस हाउस से यह इस्तेदुआ है कि प्रोफेसर साहब की तरमीम को हर्गिज न माना जाय। वकला साहबान को पंचायती अदालतों में पैरवी करने का हक जरूर होना चाहिये, इससे मुकद्दमात में सही नतीजे पर पहुंचने में बहुत मदद मिलती है। मुकद्दमात में बहुत सी ऐसी कानूनी बातें आ जाती हैं, जिससे पंचायती अदालतों को कानून न जानने के बिना पर गल्ती हो सकती है और आखिर में नतीजा यह होता है कि वह फैसले आगे जा कर मुस्तरिद कर दिये जाते हैं।

ऐसे मामलात में पंचायती अदालतों में वकला के पैरवी करने से पंचों को बहुत मदद मिलती है और पंचायती अदालत को वकला की राय पर गौर करने के बाद सही नतीजे पर पहुंचने का मौका मिल सकता है और उनके फैसले के मुस्तरिद होने का इमकान बहुत कम हो जाता है। इन तमाम वजूहात की बिना पर मैं किसी कमेटी के बनाये जाने के हक में नहीं हूं और इसलिये मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं। और इस हाउस से यह इस्तेदुआ अपील करता हूं कि जो तरमीम गवर्नमेंट के जानिब से पेश की गयी है, वह बहुत मुनासिब और मुद्दई और मुद्दाअलेह के लिये बहुत मुफीद है, इसलिये यह तरमीम मंजूर कर ली जाय।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक माननीय दोस्त ने जो कहा है, उस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने कोई तरमीम पेश नहीं की है और फिर इस स्टेज (stage) में तरमीम पेश करने की क्या जरूरत है।

[प्रो० मुकुट बिहारी लाल]
कोई तरमीम कैसे पेश की जा सकती है ? मैंने केवल एक सुझाव सरकार के सामने रखा है। जहां तक वकीलों को पंचायत के सामने जाने का सवाल है उसके ऊपर हाईकोर्ट का फैसला हो चुका है, तो फिर उस फैसले के खिलाफ किसी को क्या एतराज हो सकता है ? मैंने उसके ऊपर अपनी कोई राय नहीं दी है कि वकीलों का वहां जाना अच्छा है या बुरा।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (local selfgovernment) के मंत्री ने जो अमेन्डमेन्ट (amendment) पेश किया है, मैं पूरी तरह से उससे इत्तिफाक रखता हूं, किन्तु साथ में जो सुझाव प्रो० मुकुट बिहारी लाल जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि भविष्य में इस पर भी गौर किया जायेगा। यह तो ठीक है कि पांच पंच वाला कायदा जो लिया गया है, वह एक नामुनासिब बात है, इसलिये कि पंचायत के फैसले का मतलब हमारा यह है कि किसानों को पूरी तौर पर इंसाफ मिल सके। उसमें अगर एक पंच गैर हाजिर रहता है तो मुकद्दमा बरसों तक चलता रहेगा और किसानों को उतनी ही परेशानी होगी जितनी कि उनको शहर में आने में होती है तो फिर यह बात गैर मुनासिब हो जाती है कि पांचों पंच मौजूद हों अगर ५ पंच न हों और ४ ही हों और उनमें एक पढ़ा लिखा हो तो वह फैसला मान्य होना चाहिये। पंचायत ऐक्ट का मतलब यह था कि देहात के रहने वालों को कम खर्च करके इंसाफ मिलना चाहिये। अब अगर वकील वहां भी जाने लगते हैं तो वही सारी बातें होंगी जो शहर की अदालतों में होती हैं। इसलिये मेरी राय यह है कि भविष्य में कोई ऐसा संशोधन लाया जाय जिससे यह वकीलों वाली बात जो हाई कोर्ट ने उठायी है वह न होने पावे। दूसरी बात यह है कि गांवों में अक्सर दो पार्टियां होती हैं जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी के लोग पंचायत में जाते हैं और जो बहुमत में लोग शामिल होते हैं उनके विरुद्ध कभी कोई फैसला नहीं होता है और अल्पमत वालों का चाहे मामला झूठा ही क्यों न हो उनको सजा मिल जाती है। इसलिये ऐसा कोई संशोधन होना चाहिये कि या तो पंच बाइत्तफाक राय हों और या अल्पमत की पार्टी वहां है तो एक या दो आदमी उसके भी सरकार द्वारा नामजद किये जायं। इस तरह करने से पंचायत का पूरा मकसद हासिल हो सकता है। इन शब्दों के साथ यह जो अमेन्डमेन्ट माननीय मंत्री ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

चेयरमैन--मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो विचार के लिये प्रस्ताव होता है उसमें बिल के सिद्धांतों पर पहले बहस होनी चाहिये। पंचायत राज्य के उसूल, उसमें क्या तरमीम होनी चाहिये, वकील आने चाहिये या नहीं, यह सब असंगत है। हम लोगों को पहले कन्सीडरेशन (consideration) में बिल के सिद्धांत पर विचार करना है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज (stage) में हम लोग क्लाज बाई क्लाज (clause by clause) विचार करते हैं और फिर तीसरी स्टेज पर बिल को पास करते हैं। इस कायदे के मुताबिक ही हम लोगों को काम करना होता है।

*श्री परमात्मानन्द सिंह--श्रीमान् चेयरमैन साहब, इस वक्त हमारे सामने जो बिल पेश है उसका मकसद अगर हम देखें तो वह जाहिर हो जाता है। यह तो सादी सी चीज है। वह सिर्फ इसलिये किया गया है ताकि मुकद्दमों में आने वाले लोगों को सहूलियत हो। यह अमूमन शिकायत रही है कि मुकद्दमों के फैसले देर में होते हैं और लोगों को बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। सिर्फ इसको सहूलियत देने के लिये यह यहां पेश किया गया है। पहिले कायदा यह था कि पांचों पंचों को मौजूद रहना पड़ता था, अब उसमें यह किया जा रहा है कि ५ के बजाय अगर ३ ही मौजूद रहें तो काम चल सकता है। अभी हमारे सामने आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने यह बताया था कि एक सवाल ज्युरिसप्रुडेंस (jurisprudence) का पैदा हो सकता है जिसके मुताबिक यह है कि जिसके सामने सहादत या गवाही हुई हो उसका फैसले के

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

समय भी रहना जरूरी है। अब यह होगा कि ५ में से तीन जरूर ही मौजूद रहेंगे। उस स्टेज (stage) पर जब मुकद्दमा होता है तो कम से कम तीन पंच जरूर रहेंगे और जब कोई गवाही भी ली जायगी तो उस वक्त भी कम से कम तीन पंच मौजूद रहेंगे। इसके बाद जब फैसला होगा तो उस वक्त भी वे मौजूद रहेंगे। जब ऐसी सहूलियतें पैदा होती हैं तो इसमें आप को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। जैसा कि माननीय चेयरमन साहब ने कहा कि इस समय विस्तार में कहना अप्रासंगिक होगा, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बंशीधर शुक्ल—अभी अपोजीशन (opposition) की बेंचेज (benches) की तरफ से एक कानूनी मसला तजवीज किया गया। वह यह है कि यह बिल रिट्रासपेक्टिव (retrospective) हो जाय। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जितने फैसले हो चुके हैं उन पर भी लागू कर दिया जाय। यह कहा गया है कि अभी तक जितने फैसले हो चुके हैं वे सब गलत हो जायेंगे अगर यह कानून पिछली तारीख से लागू न किया गया। और ये बातें अपोजीशन की तरफ से कही गई हैं।

चेयरमैन—आपको जो कहना है वह कहिये। अपोजीशन (opposition) ने क्या कहा है उसे रहने दीजिए।

श्री बंशीधर शुक्ल—मेरा कहना है कि रिट्रासपेक्टिव (retrospective) करने की जरूरत नहीं है। जितने भी फैसले हो चुके हैं वे हो चुके हैं। वे सब ठीक हैं उनको इनवैलिड (invalid) डिक्लेर (declare) करना गलत चीज होगी और इससे इस कानून में बहुत गलत इंटरप्रिटेशन (interpretations) होंगे। जहां तक ७७-ए में अमेंडमेंट (amendment) का ताल्लुक है इसमें यह लिखा हुआ है कि पांच पंचों का एक पेनल बनायें। अब अगर कोई पंच गैरहाजिर है तो बकिया पंच उस मुकद्दमे की सुनवाई करते रहें।

ऐसी सूरत में तीन से कम का कोरम (quorum) न होगा। लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह है कि कोई भी ऐसा जज नहीं होगा जो बराबर अदालत की प्रोसीडिंग (proceeding) में मौजूद रहा हो, या रह सकता है। प्रोसिडिंग तो बहुत दिनों तक चलती रहती है। ऐसी सूरत में कोई न कोई जज जरूर गैर हाजिर हो जाता है। मैं श्रीमान् आपके जरिये से एक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि इसमें कम से कम यह और रखा जाय।

At least one Judge or one Panch should continuonsly be presenting himself at least in majority of the hearing of the evidence.

इसके अतिरिक्त जहां तक इस अमेन्डमेन्ट (amendment) का ताल्लुक है यह अत्यन्त आवश्यक है। इसमें तीन का कोरम रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्री—जनाबवाला, गालिबन यह जरूरी न था कि मैं इस बहस में हिस्सा लेता, लेकिन प्रोफेसर साहब ने कुछ माकूल बातें अपनी तकरीर में फरमाईं, जिसकी वजह से मैंने यह जरूरी समझा कि इस बात के मुताल्लिक मैं मेम्बरान के सामने कुछ अर्ज करूं। यह एक ऐसा सजेशन (suggestion) है जिसमें बहस की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर गवर्नमेंट गौर जरूर करेगी। जहां तक मुकामी मामलात का सवाल है, उसके मुताल्लिक उनको फैसला करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। तो यह जो बात है बिल्कुल सही है। उस वक्त तक ज्यूरिसप्रूडेन्स (jurisprudences) जो स मुल्क में जारी रही है। मैं पुराने जमाने की बात नहीं कहता, प्री बृटिश पीरियड (pre-British Period) की बात नहीं कहता, बल्कि हमसे पहले का जो जमाना था उस जमाने की बात कह रहा हूं। उसमें एक मुसल्लमा तरीका जो था और मुसल्लमा तरीका फैसला देने का

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[वित्त मंत्री]

और फैसलों को इस गरज से बचाने का कि प्रिज्यूडिस (prejudice) जो किसी के दिमाग में है, वह न बढ़ सके। इन फैसलों के ऊपर, उसका प्रिज्युडिस माइन्ड p eju i e mind) असर न कर सके, उसके लिये यह तरीका रहा है कि जो फैसला देने वाला है वह फैसला उस सहादत के बिना पर दे कि जो सहादत उसके सामने आई है। तो बात को साफ करने के लिये मैंने अर्ज किया कि यह पोजीशन (position) है कि हमें इस पंचायत राज कानून बनने से पहले जिस तरह से भी हो,उस उसूल को तसलीम करना है, कि आया जो चीज हमने रखी वह हमारी अदालतों के ऊपर आयद हो री रही है, और उसके मुताल्लिक जल्द कार्यवाही हो जाय। अब जो हमारे सामने पंचायत राज कायम करने का सवाल आता है तो उसमें अगर बहस करें तो यकीनन उसमें एक सवाल यह भी आयेगा कि इसके मुताल्लिक यह शिकायतें हैं और वाकई शिकायतें हैं जैसा कहा गया है कि " justice delayed is justice denied " इसके लिये कमेटियां भी बैठाई, उसके ऊपर अमल भी हुआ और कमेटी की ओर से रिकमेंडेशन्स (recommendations) भी भेजे गए। अगर कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई गफलत हुई हो या काम करने वालों की तरफ से गफलत हुई हो, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जो तरीका मुकद्दमात के तय करने का और जो उसूल मुकद्दमात के अन्दर बरतने के मुताल्लिक जारी रहा है और जिनको हम मानते रहे हैं उनकी वजह से भी कुछ न कुछ देर होती रही। जहां तक जस्टिस (justice) का ताल्लुक है हर शख्स यही कहता है कि जल्दी फैसला हो। जल्दी फैसला होने के मुताल्लिक मुझे एक ऐसा किस्सा याद आगया, मैं उसे अर्ज कर देना चाहता हूं। अपने पड़ोस का किस्सा है कि हमारे यहां एक साहब कहीं गए हुए थे और वहां किसी जगह ठहरे। वे बाजार गए, किसी दूकान में उनको टोपियां दिखलाई दीं और उनको टोपियां पसन्द आ गयीं। उन्होंने दूकानदार से अपने पसन्द की एक टोपी खरीदी। उसने २१ रुपए मांगे जो कि उस टोपी की कीमत थी और उन्होंने २१ रुपये दे दिए और टोपी ले गए। जब वे वहां से चल कर उस जगह पहुंचे जहां वह ठहरे हुए थे, उसमें कोई और साहब भी टोपियां खरीदकर लाये थे लेकिन वे लाये थे १५ रुपए की। तो उन्होंने कहा कि तुम तो लुट गये, यह तो २१ रुपये की टोपी नहीं है बल्कि १५ रुपए वाली टोपी है। अब इन साहब के दिमाग में आया कि उस सख्श ने जिसने मेरे हाथ टोपी बेची है, मुझे सरासर धोखा दिया है। अब वह काजी साहब के यहां गये और उनसे कहा कि फलां दूकानदार ने २१ रुपये में मुझे यह टोपी दी है और जब कि उस टोपी की बाजार की कीमत १५ रुपये थी। तो उन्होंने अपने चपरासी या नौकर को कहा कि ऐ। यहां आओ, और उन्होंने उसके हाथ समन (summon) भेजा कि उससे कहो कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, तुम यहां आओ। वह दूकानदार वहां आया और उससे जब काजी ने यह दरियाफ्त किया कि तुमने इनके हाथ टोपी बेची तो उत्तर मिला कि हां, भाई, कितने में बेची, २१ रुपये में। तो काजी साहब ने पूछा कि बाजार में इस टोपी की कीमत क्या है तो दुकानदार ने खुद भी कहा कि बाजार में इस टोपी की कीमत १५ रुपया है। काजी ने पूछा कि तुमने २१ रुपये में इसे क्यों बेचा? उसने यह जवाब दिया कि मैंने २१ रुपये मांगे और इन्होंने दे दिये। काजी साहब ने कहा ठीक है, लेकिन तुमने यह क्यों नहीं बतलाया कि बाजार की कीमत १५ रुपया है। उसने कहा कि साहब वह तो मेरा काम है। इस किस्म के दाम लेने का तो मुझे अख्तियार है। काजी ने उससे कहा कि तुम अब इनको ६ रुपए लौटा दो, और उसने रुपये लौटा दिये और इस तरह से झगड़ा खत्म हुआ। तो इस किस्म के पेटी (petty) झगड़े और किस्से हैं। कोई यहां कोर्टस में केस देने में गफलत होती है तब तो यह बात हो सकती है। अगर कहीं वहां से समन जारी होने में देर हो और फिर उसकी तारीख मुकर्रर हो और इस तरह उसमें तीन महीने, छः महीने लग जायें और उसको फिर कसरत मुकद्दमात की वजह से फैसल किया जाय तो न मालूम कितने दिन में उस पर फैसला हो। तब सवाल यह आता है कि अगर पंचायत का जो फैसला करने के लिये तरीका है

वह इसलिये किया गया है कि जो पहला प्रोसीज्योर (procedure) जल्दी फैसला करने का था, वह हासिल हो जाता है और जो कायदे और उसूल अदालतों में फैसला करने के लिये अभी तक बढ़ते गये हैं और जैसा अभी तक हमारे यहाँ काम होता रहा है, उसको कामयाब करने के लिये यह तरीका बर्त्ता गया है। आज के कानून के मुताबिक फैसले का तरीका यह है कि हमारे सुपुर्द या अदालत के सुपुर्द जो मुकद्दमात फैसला करने के लिये हैं उसमें ऐसा तरीका बरता जाय कि जल्दी फैसला हो जाय और रेपिडली (rapidly) हम लोगों के फैसले हो जायं, इसलिये यह तरीका रखा गया है कि बावजूद इसके कि मुझे कोई जाती इल्म नहीं है, फिर भी मेरा ख्याल है कि पंचायतों के सुपुर्द यह मामले जल्दी तय हो सकते हैं और बहुत जोरों से जल्दी फैसला करने के लिये छोटे-छोटे मामले तय करने के लिये , ताकि उनमें ज्यादा वक्त या बेकार का खर्चा न हो, हमने यह चीज रक्खी है। एक रूल इसके अन्दर दिया गया है, उसमें यह रखा गया है कि पंचायती कानून बनाने वाले दिमागों ने यह फैसला किया है कि इस किस्म की रुकावटें अगर होती रहें, जिस किस्म की रुकावटें कायदों और उसूलों के मातहत अदालतों के दरमियान स्पीडी जजमेंट (speedy judgement) देने में रही हैं, तो उनको कम करने के लिये पंचायतों को यह काम दिया गया है। उस बिना पर एक रूल इसमें दिया गया है, उसमें मैं अर्ज करूंगा, जैसा प्रोफेसर साहब ने फरमाया, मैं यह नहीं कहता कि जो बात मैं कहूं, वह प्रोफेसर साहब सही मानें, उसके मुताल्लिक खिलाफत राय भी हो सकती है। लेकिन जिस उसूल के बिना पर यह दिया गया है, वह उसूल उसके अन्दर इम्बाडीड (embodied) है। उसमें यह लिखा है, जिसे पढ़कर मैं सुनाता हूं, उससे मेम्बर साहबान को और प्रोफेसर साहब को यह अन्दाजा होगा कि किस तरह से इस बात की अभी जरूरत नहीं है। अदालतों में जो उसूल बर्त्ता गया है, वह जो उसूल पहले था उसी के बिना पर वे काम करते आये हैं। उन्होंने इसको इतना वाइड (woid) किया है।

"The Panchayati Adalat shall receive such evidence in a suit, case or proceeding as the parties may adduce and may call for such further evidence as, in their opinion, may be necessary for the determination of the points in issue. It shall be the duty of the Panchayati Adalat to ascertain the facts of every suit, case or proceeding before it by every lawful means in its power and thereafter to make such degree or order with or without cost as it may deem just and legal . . . ."

जिस वक्त यह कानून बनाया गया इस विचार से बनाया गया कि पंचायतों के रास्ते में ऐसी बातें न हों जो रास्ते में रुकावट पैदा करें और इस तरह से पंचायतें अपना काम एफीसिएंटली (efficiently) नहीं कर सकेंगी और जिस मकसद से पंचायतें बनायी गयी हैं, वह पूरा न होगा। प्रोफेसर साहब ने जो फरमाया है वह सही है और एक और दोस्त ने भी इसी सब्जेक्ट (subject) पर फरमाया था। उनका भी शायद यही मकसद था। मैं दूर बैठा होने की वजह से ठीक अल्फाज नहीं सुन सका। वहाँ पर जो पंच होगा, वह उस तरह से तो काम नहीं कर सकता है, जैसे हमारा एक जज काम करता है। वह नौकरी में होता है और एक मुकर्रर वक्त पर आता है और एक मुकर्ररा वक्त पर वापस आता है। यह उन पंचों के लिये नहीं हो सकता है, जो गाँव के रहने वाले हैं, उनके अपने निजी काम हैं और यह उनके लिये मुमकिन नहीं हो सकता है कि वह अपना काम छोड़ कर शुरू से आखिर तक मुकद्दमों की कार्यवाही सुनें। वहाँ ३ या ४ पंच जो रखे जाते हैं, वे इस गरज से रखे जाते हैं कि अगर एक आदमी एक दिन हाजिर है तो यह मुमकिन हो सकता है कि दूसरे दिन दूसरा हो और तीसरे दिन तीसरा मौजूद हो। इसी वजह से गवर्नमेंट यह समझती है कि जो फैसला हाईकोर्ट का हुआ है, वह अल्ट्रावायरस (ultra vires) है और उससे यह प्वाइंट (point) क्लियर (clear) नहीं होता है और इस तरह से काम करने से पंचायतों का मकसद ही खत्म हो जाता है और छोटे-छोटे मामले भी नहीं हल हो सकते हैं। इसलिये यह बिल लाया गया है।

श्री इन्द्रसिंह नयाल--अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो भाषण यहाँ हुए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि कोई भी ३ पंच हों, चाहे वह शुरू से आखिर तक मुकद्दमे सुनें या न सुनें, वह उस मुकद्दमे का फैसला कर सकते हैं। इस तरह की ताकत देने के संबंध में सरकार से आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यह मकसद इस कानून के बनाने से पूरा नहीं हो सकता है। जहाँ तक ३ पंचों के फैसले करने का सिद्धांत है वह तो जाब्ता फौजदारी के अन्दर जो मजिस्ट्रेट बेंच (Bench) में होते हैं, उनके लिये भी यही होता है। वह फैसला कर सकते हैं, उनके लिये एक कोरम (quorum) मुकर्रर है और इसमें जो सिद्धांत है वह भी उसी के अनुसार है। पंचायत राज्य ऐक्ट में ऐसा है कि वह खुद जाकर भी तहकीकात कर सकते हैं और फैसला दरअसल तभी ठीक होता है। यहाँ जो कानून है, उसमें वही सिद्धांत लागू हैं, जो कि जाब्ता फौजदारी के अन्दर हैं। अगर बेंच आफ मैजिस्ट्रेट (Bench of Magistrate) है तो मेजारिटी (majority) उसको ट्राई (try) कर सकती है। लेकिन उस रूल के अन्दर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि मेजारिटी फैसला दे सकती है, लेकिन उसके माने यह न समझना चाहिये कि मेजारिटी ऐसी हो जिसने शुरू से लेकर आखीर तक पूरी कार्रवाई न सुनी हो। अगर कोई मैजिस्ट्रेट ऐसा हो जिसने पूरी कार्रवाई न सुनी हो तो हाईकोर्ट ऐसी मेजारिटी के फैसले को नाजायज करार देता है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि उन नजीरों से यह कहा जायेगा कि पंच सब पेशियों के मौजूद नहीं थे, लिहाजा यह फैसला रद्द हो। ऐसा मुमकिन है कि बहुत से फैसले जिनकी तादाद हजारों में कही जाती है, उनमें से कई सैकड़ा कम से कम ऐसे निकलेंगे जिनमें पंच सब पेशियों में हाजिर न रहे हों। इस तरह के बहुत से मुकद्दमें रद्द हो जायेंगे। इसमें लिखा है इंक्ल्यूडिंग दि सरपंच (including the Surpanch) तो सरपंच तो हर मुकद्दमे में हाजिर रहेगा, लेकिन बाकी के लिये जो यह कहा गया है कि वह चाहे रहें या न रहें तो मैं यह अर्ज करूंगा कि आप का यह मकसद इस कानून से हासिल नहीं होगा। इसमें लिखा है "Three Benches will try the suit and give decision" ट्राई के माने हैं कि शुरू से आखिर तक किसी मामले को सुने और सुन कर फैसला दे। अगर मकसद दूसरे किस्म का है तो इसमें तरमीम लाना जरूरी है।

*__श्री कन्हैयालाल गुप्त__--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट लेकर प्रो० मुकुट बिहारी लाल जी ने जो कहा था, उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। जो बिल यहाँ पर पेश है, उससे उनको कोई खास विरोध नहीं था। वह खुद इस बात के हामी हैं कि यह बिल जिस शक्ल में हमारे सामने है, उसी तरह से पास कर दिया जाये। वह तो माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक, दो कठिनाइयों की ओर जिनका इस बिल की बदौलत उठना लाजमी है, दिलाना चाहते थे। पहली कठिनाई तो यह है कि एक पंच या जज जिस मुकद्दमे में शुरू से आखिर तक मौजूद न रहे तो फिर उस अदालत का फैसला कहाँ तक ठीक होगा, यह विचारणीय बात है। जैसा प्राविजन (provision) इस वक्त यहाँ किया गया है, उसका मतलब हो सकता है कि एक भी शख्स ऐसा न हो जिसने मुकद्दमे को पूरा-पूरा न सुना हो। अभी माननीय मंत्री महोदय का यह कहना है कि पंचायती राज्य ऐक्ट के अनुसार ज्यादा इस बात पर मुकद्दमों का फैसला निर्भर न करे कि गवाही और शहादत के ऊपर सारा का सारा फैसला दिया जाय। बल्कि वे इस बात पर अहमियत दें कि पंच वहाँ के रहने वाले हैं और वे स्थानीय वाकयात से काफी जानकारी रखते हैं, इसलिये वे जो अहमियत रखते हैं, उस हद तक दूसरा अहमियत नहीं रख सकता है। लेकिन यह थोड़ी सी विचार करने की बात है कि एक शख्स एक मुकद्दमे के अन्दर न रहा हो और उसने उसे शुरू से आखिर तक न सुना हो तो क्या यह बात एतराज तलब नहीं होगी? यह फैसला इस ऐक्ट के अनुसार नहीं दिया गया है तो अगर उसको गलत समझा जाय तो कोई गलत बात नहीं है। प्रोफेसर साहब का यह मतलब था कि हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, जिसके मुताबिक हजारों फैसले पंचायती अदालतों से हुए हैं, मगर उनके रद्द हो जाने की संभावना है। बड़ी गड़बड़ी हो सकती है और फिर मुसीबत होने की संभावना है। बहुत ज्यादे फैसले पंचायती अदालतों से होते हैं। एक कमजोर आधार पर

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

फैसला देना अच्छी बात न होगी। उनका कहना यह है कि इस वक्त हम इस बिल को पास कर सकते हैं। वक्त भी ज्यादा नहीं है कि हम इस बिल को यहाँ रखें। मगर सवाल जरूरी है और एक कमेटी की जरूरत है जो इसका डिटेल (detail) में निरीक्षण करे। जो कमजोरी है उनके ऊपर विचार करके एक ऐसा इलाज निकालें जिससे यह ऐक्ट सब के हित में काम कर सकें। वकीलों के बारे में जो कुछ कहा गया, वह भी एक अहम बात है। लीडर आफ दि हाउस (Leader of the House) ने कहा है कि गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी। दूसरी बात, एक जज किसी भी मुकद्दमे में शुरू से आखिर तक मौजूद न हो, पर फैसला दे सके, तो यह भी एक सोचने की बात है? अगर एक छोटी सी कमेटी इन दोनों बातों पर विचार करने के लिये बनाई जाती है तो वह बहुत हितकर होगी।

शिक्षा मन्त्री--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह मसला जो भवन के सामने है, वह बहुत सिम्पिल (simple) है। अभी तक फौजदारी की अदालतों में यह हुआ करता था कि कोई मुकद्दमा किसी बेन्च (Bench) के सामने गया और बेन्च उसको सुने तो यह जरूरी होता था कि वे सब बेन्च मैजिस्ट्रेट (Bench Magistrate) मिलकर उसका फैसला करें। बेन्च अदालत के कुछ मुकद्दमें हाई कोर्ट में गये। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि दफा ४९ के अन्तर्गत ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि जिस बेन्च ने मुकद्दमें को सुना है, वह सब मिलकर उस मुकद्दमें का फैसला करें। अगर उसमें कोई अनुपस्थित होगा तो वह फैसला रद्द हो जायेगा। ऐसा हाईकोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट में एक फैसला हुआ, एक सदस्य ने आपत्ति उठायी, कुछ सदस्यों ने भी आपत्ति उठायी, लेकिन वह आपत्तियाँ इस कानून के अन्दर निर्मूल हैं। एक माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की कि जो सदस्य मौजूद नहीं रहते, वह फैसला नहीं दे सकते। मैं इस वादविवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। असल में बात यह है कि अगर एक बेंच ५ मैजिस्ट्रेटों की है, उसमें अगर ३ जज मुकद्दमा सुनते हैं और वह ३ जज फैसला करते हैं तो वह जायज होता है। लेकिन अगर ३ जज उस मुकद्दमें को सुने और २ जज जिन्होंने उसको नहीं सुना है, वह इस बात का फैसला देते हैं, तो यह जाब्ता फौजदारी में नाजायज हो जाता है, लेकिन इस ऐक्ट के अन्दर यह रखा गया है कि अगर ५ आदमियों की बेन्च है और उसके सुपुर्द मुकद्दमें की सुनवाई कर दी गयी है तो यह चीज उस सेक्शन (section) में दी हुई है।

मान लीजिए ५ की एक बेंच है और उसमें से कोई अनुपस्थित हो जाता है तो इसमें यह रखा जाता है कि कोई भी ३ या ४ उसको कर सकते हैं। इस कारण वह नाजायज नहीं होगा, क्योंकि वही जज जिसने उसको नहीं सुना है, उसके फैसला देने में शामिल नहीं हो सकता है। आपकी आपत्ति यह है कि जो फैसला करने वाले जज हैं, उन्होंने मुकद्दमें की सुनवाई नहीं की है, यह गलत हो जाती है। अगर कोई बेंच के अन्दर जज अनुपस्थित हो जाता है, उसकी वजह से मुकद्दमें की सुनवाई रद्द हो जाती है, इसलिये आपकी शंका निर्मूल है।

स्वशासन मंत्री--अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस अमेन्डमेन्ट (amendment) पर बोला है, उन सब ने इसकी ताईद की है, इसके लिये मैं सबको धन्यवाद देता हूं। बेन्च की कोर्ट का इस वक्त जो एक्सपेरीमेंट (experiment) किया जा रहा है, वह एक नई चीज है और इसलिये हमेशा इस बात का ख्याल रखा जायगा कि वह किस तरह से काम कर रही है? और क्या-क्या दिक्कतें उनके सामने हैं और उनको कैसे दूर किया जाय। कमेटी तो अभी नहीं बन सकती, लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी और इसका ध्यान रक्खेगी कि पंचायतें काम ठीक कर रही हैं या नहीं और उनमें जो दिक्कतें आयेंगी उनको भी दूर किया जायगा। जिन मेम्बर साहबान ने जो बातें पेश की हैं, उन पर गौर किया जायगा और जहाँ तक हो सकेगा उन पर अमल किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको पास कर देगा।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्थानीय स्वशासन मन्त्री--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन विधेयक) को पारित किया जाय।

*चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब प्रश्न यह है कि हम लोग मंगलवार को ११ बजे मिलें या २ बजे मिलें?

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--२ बजे अच्छा होगा।

वित्त मंत्री--मैं समझता हूं कि २ बजे तो माननीय सदस्यों को तकलीफ होगी।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाऊंगा कि चूंकि इतवार-सोमवार को छुट्टी है, इसलिये बहुत से सदस्य अपनी कान्सटीटुएन्सी (constituency) में जायेंगे और पंजाब मेल से आयेंगे। इसलिये २ बजे से ही रखा जाय।

वित्त मन्त्री--पंजाब मेल तो यहाँ साढ़े बारह बजे बरेली से आता है।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--इसीलिये तो मैंने कहा कि साढ़े बारह बजे यहाँ आ करके २ बजे अटेन्ड (attend) कर लूंगा।

चेयरमैन--मैं समझता हूं कि हाउस का सेन्स (sense) दो बजे का बैठने का है। अब कौंसिल मंगलवार को दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १२ बज कर ३० मिनट पर मंगलवार, तारीख २७ मई, १९५२ ई० को २ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ:
२४ मई, सन् १९५२ ई०।

श्यामलाल गोविल
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

---

* बिल के लिये देखिए नत्थी 'ग' पृष्ठ १५० पर।

नत्थी 'क'

उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

लगान के नकदी में परिवर्तन करने से संबंधित कुछ व्यवहारों के नियमन का विधेयक

यह आवश्यक है कि लगान के नकदी में परिवर्तन करने के लिये कुछ व्यवहारों का नियमन किया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) इसका प्रसार अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर, समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर शब्द और पद "कमिश्नर", "क्षेत्रपति", "लगान", "बन्दोबस्त अधिकारी" और "काश्तकार" का वही अर्थ होगा जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में क्रम से "Commissioner" "Land Holder", "Rent", "Settlement-Officer' और "tenant", का है।

३--धारा ४ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए --

(क) जिन्सी लगान को, या

(ख) खड़ी फस्ल के अनुमान या कूत (एस्टीमेट आर अप्रेजमेंट) पर आधारित लगान को, या

(ग) बोई हुई फस्ल के अनुसार घटने-बढ़ने वाले लगान को अथवा अंशतः उक्त प्रकारों में से किसी एक पर और अंशतः किसी दूसरे पर निर्भर लगान को निश्चित नकदी लगान में परिवर्तन करने के लिये १ अप्रैल, १९५० के बाद निवेशित किसी व्यवहार (प्रोसीडिंग) में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ८७ की उपधारा (२) और (३) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अभिप्रेत उपयोग में किसी बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफिसर) द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व दी गयी कोई आज्ञा केवल इस कारण अवैध न होगी कि उक्त आज्ञा देने के पूर्व क्षेत्रपति (लैन्ड होल्डर) को उपस्थित होने तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

४--यदि उक्त प्रकार की कोई आज्ञा दी गयी हो और वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अन्तिम हो गयी हो, तो क्षेत्रपति, यदि उसका यह दावा हो कि उक्त प्रकार निश्चित किया गया नकदी लगान उस धनराशि से कम है जो प्रचलित मंडल के दरों (सर्किल रेट्स) के अनुसार देय होती तो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से ९० दिन के भीतर सम्बद्ध बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफिसर) को उक्त आज्ञा के पुनर्विलोकन (रिव्यू) के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

५--आज्ञा ४ के अधीन पुनर्विलोकन के प्रार्थना-पत्र के साथ उस आज्ञा की प्रति दी जायगी जिसका पुनर्विलोकन अभीष्ट हो और इसके साथ-साथ प्रचलित मंडल की दरों (सर्किल रेट्स) का तथा क्षेत्रपति द्वारा अभियाचित (क्लेम्ड) नकदी लगान का ब्योरा भी दिया होगा।

६--यदि प्रार्थनापत्र उपयुक्त आकार में दिया गया हो, और धारा ४ के अधीन उसके दी हुई अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो तो बन्दोबस्त अधिकारी उसको रजिस्टर दर्ज करेगा और काश्तकार के नाम सूचना (नोटिस) जारी करने की आज्ञा देगा।

७--यदि काश्तकार उपस्थित हो और उसकी सुनवाई के बाद बन्दोबस्त अधिकारी (से लमेंट आफिसर) को ऐसा प्रतीत हो कि निश्चित किया हुआ नकदी लगान :

(१) उस धनराशि से कम नहीं है जो मंडल की दरों (सर्किल रेट्स) के अनु गणना करके निकाली गयी है, तो वह प्रार्थनापत्र को खारिज कर देगा,

(२) उपर्युक्त धनराशि से कम है तो वह आज्ञा का पुनर्विलोकन (रिव्यू) क और उन सिद्धांतों के अनुसार जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ८ अधीन व्यवहारों में लागू होते हैं, निश्चित नकदी लगान को घटा या बढ़ा देगा।

८--किसी विधि (ला) में किसी बात के होते हुए भी धारा ३ में अभिदिष्ट आज्ञा के निश्चित किया गया नकदी लगान या यदि उक्त प्रकार निश्चित किया हुआ नकदी लगान ७ के उपबन्धों के अनुसार बढ़ा दिया गया हो तो बढ़ाया हुआ लगान , सब प्रयो और सब अवसरों के लिये, खाते का नकदी लगान समझा जायगा।

९--धारा ७ के अधीन नकदी लगान को घटाने या बढ़ाने वाली आज्ञा उस दिना सप्रभाव होगी जिस पर पुनर्विलोकित की जाने वाली आज्ञा दी गयी हो।

१०--यदि बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफिसर) ने निश्चित नकदी लगान को घटा बढ़ाया हो तो क्षेत्रपति, किसी विधि, आज्ञा या डिक्री में विपरीत बात के रहते हुए भी, इस का अधिकारी होगा कि इस प्रकार बढ़ाया हुआ निश्चित लगान या उसका कोई ऐसा भाग वसूल न हुआ हो, काश्तकार से वसूल कर सके।

११--कोई व्यक्ति जो धारा ७ के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दी गयी अ से क्षुब्ध (ऐग्रीव्ड) हो, उक्त आज्ञा से ६० दिन के भीतर कमिश्नर के सामने अपील कर सक है और अपील में दी गयी कमिश्नर की आज्ञा अन्तिम और निश्चायक होगी।

१२--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सर नियम बना सकती है।

(२) उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए उक्त नियमों में निम्नलि की व्यवस्था हो सकेगी :--

(क) इस अधिनियम के अधीन अपील प्रार्थनापत्र तथा अन्य व्यवहारों में अनुस की जाने वाली प्रक्रिया, और

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपील और प्रार्थनापत्र के सम में देय शुल्क।

अनुसूची

[देखिए धारा (१)]

क्षेत्र जिस पर यह अधिनियम लागू न होगा:--

(१) यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ ई० की प्रथम अनुसूची में नि क्षेत्र।

(२) बनारस जिले का कसवार राजा परगना।

(३) कोई क्षेत्र, जो ३० नवम्बर, १९४९ ई० को निम्नलिखित के अन्तर्गत हो ;

(१) बनारस स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस स्टेट।

(२) रामपुर स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर स्टेट।

(३) टेहरी–गढ़वाल (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी–गढ़वाल स्टेट।

(४) देहरादून जिले का जौन्सार–भाबर परगना और मिर्जापुर जिले के कैमूर श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र।

उद्देश्य और कारण

परगनाधिकारियों ने लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ ई० की धारा ८७ के अधीन लगान नकदी में परिवर्तन के लिये सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (असिस्टेंट सेटिल्मेंट आफिसर) ः कार्य करते हुए, कुछ जिलों में असावधानी के कारण व्यवहारों में क्षेत्रपतियों को बिना फरी बनाये, आज्ञायें दे दी हैं। इसके कारण काश्तकारों को बड़ी कठिनता हुई है, क्योंकि क्षेत्रपति ने उक्त आज्ञा की वैधता पर आक्षेप किया है और जिन्सी लगान की अदायगी के लि वाद प्रस्तुत किये हैं। यह विचार है कि उक्त आज्ञा का वैधीकरण किया जाय और क्षेत्रपति को उक्त आज्ञा के पुनर्विलोकन (रिव्यू) कराने की अनुमति दी जाय।

उपर्युक्त उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
माल मंत्री

नत्थी 'ख'

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता-निवारण) अधिनियम, १९५२ ई० संशोधन करने तथा कुछ पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर अध्यासीन क्ति उक्त पदों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने ने के लिये अनर्ह न होंगे।

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता-निवारण) धिनियम, १९५२ ई० में संशोधन किया जाय तथा कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित या जाय कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम, प्रसार और आरम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता-वारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषा

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में "प्रतिकर भत्ता" म्पेंसेटरी एलाउन्स) का तात्पर्य यात्रिक भत्ता, दैनिक भत्ता, मकान के किराये का भत्ता या वहन भत्ता से है और उसमें वह परिवहन भी सम्मिलित है, जिसकी व्यवस्था और रखरखाव य के व्यय से किया जाय।

राज्य विधान मंडल के सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण

३—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोई व्यक्ति केवल इस कारण कि वह नलिखित किसी पद पर अध्यासीन है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने बने रहने के लिये अनर्ह न होगा, अर्थात्:

(१) उत्तर प्रदेश सरकार के उप-मंत्री का पद, अथवा

(२) कोई ऐसा पद जो पूर्णकालिक पद न हो और जिसके लिये कोई वेतन या शुल्क न दिया जाता हो।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट सं० ४, १९५२ ई० की धारा २ का संशोधन

४—(१) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण अधिनियम, ५२ ई० (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की वर्तमान धारा २ की संख्या ल कर उसे उपधारा (१) किया जायगा।

(२) पुनर्संख्यात उपधारा (१) के वाक्यखंड (क) में—

(क) शब्द "पद" के बाद अर्द्ध विराम (कामा) लगा दिया जाय,

(ख) शब्द "जो ऐसी अवधि के लिये अध्यासित रहा हो जो ३० अप्रैल, १९५२ के बाद की न हो," निकाल दिये जायेंगे, और

(ग) उस पुनर्संख्यात उपधारा (१) के साथ प्रतिबन्धात्मक खंड (प्राविजो) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा:

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यासीन व्यक्ति को उस पर लागू किसी सामान्य या आज्ञा के अनुसार केवल प्रतिकर भत्ता (कम्पेंसेटरी एलाउन्स) हो"।

(३) मूल ऐक्ट की धारा २ की उपधारा (१) के बाद को एक नयी (२) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा :

"(२) उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट प्रत्येक आज्ञा, जब तक कि कोई ऐसी आज्ञा न हो जिसके द्वारा अध्यासीन व्यक्ति को ऐसे दरों पर यात्रिक भत्ता दैनिक भत्ता लेने की अनुमति दी गयी हो, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की बैठ में उपस्थित होने के लिये उसके सदस्यों के लिये नियत दरों से अधिक न हो, विध सभा के समक्ष नियुक्ति के बाद यथासंभव शीघ्र कम से कम तीन दिन तक रख जायगी और ऐसे परिष्कार (मोडिफिकेशन) के अधीन होगी जिसे विधान स उस सत्र (सेशन) में करे, जिसमें वह उक्त प्रकार रक्खी गयी हो। ऐसा परिष्क उस दिनांक से सप्रभाव होगा जिस पर वह किया जाय।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ४, १९५२ई० का निरसन (रिपील)।

५---उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हतानिवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ एतद्द्वारा निरस्त होगा और निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारणों का विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५२ में अन्य बातों साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि उसमें निर्दिष्ट लाभप्रद पदों पर अध्यासीन क्ति उक्त पदों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे। अधिनियम की धारा २ के खंड (क) में निर्दिष्ट पदों के संबंध में घोषणा आरंभ में अप्रैल, १९५२ ई० तक ही सप्रभाव थी। बाद में यह अवधि उत्तर प्रदेश ज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ द्वारा ३० जून, ९५२ ई० तक बढ़ा दी गयी। यह आवश्यक है कि इन उपबन्धों को स्थायी रूप से बनाये खा जाय और इस विधेयक में तदनुसार व्यवस्था कर दी गयी है।

इस अवसर का उपयोग यह घोषित करने के लिये भी किया गया है कि उप-मंत्री के पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पद के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सदस्य ने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'ग'

यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट, २६, १९४७

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करने का विधेयक

यू० पी० ऐक्ट, २६, १९४७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में संशो[धन] करना आवश्यक है ;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारंभ

१—(१) इस अधिनियम का नाम यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें यू० पी० ऐक्ट, २६, १९४७

२—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो, "Case" "Suit" or "Proceeding" के वही अर्थ होंगे जो इन्हें यू० पी० पंचायत रा[ज] ऐक्ट, १९४७ में दिये गये हैं।

यू० पी० ऐक्ट, २६, १९४७ में एक नई धारा ७७ (क) का रक्खा जाना

३—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे इसमें आगे चलकर मूल अधिनिय[म] कहा गया है) की धारा ७७ के बाद नई धारा ७७-ए के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"77-A. (1) If any *Panch* appointed to a bench constituted und[er] section 49 for the trial of a case, suit or proceeding is absent at an[y] hearing, the remaining Panches may, notwithstanding anything con[-] tained in this act, try the case, suit or proceeding, provided, howeve[r] that at least three *Panches* including the Chairman, are present, an[d] provided further that at least one of the *Panches* present is able t[o] record evidence and proceedings.

(2) No trial as aforesaid shall be deemed to be or even to have bee[n] invalid by reason merely that all the five *Panches* forming the Benc[h] were not present at any hearing or that the same *Panches* were no[t] present at all the hearings.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall *mutatis mutandi[s]* apply to an inquiry made by a Panchayati Adalat under section 63."

निर्णय, डिग्री और आज्ञा की वैधता

४—यदि इस अधिनियम के आरम्भ के बाद निम्नलिखित के वैध या विधि के अनुकू[ल] होने का प्रश्न उठे—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनाँक पर विचाराधीन केस, सूट अथवा प्रोसीडिंग पंचायती अदालत द्वारा सुनवाई (ट्रायल) का, अथवा

(ख) मूल अधिनियम की धारा ४९ के अधीन किसी केस, सूट अथवा प्रोसीडिंग [में] पंचायती अदालत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व दिये गये तथा उक्त प्रारम्भ से पू[र्व] किसी समर्थ न्यायालय द्वारा अवैध निर्णीत न हुआ कोई निर्णय, डिक्री या आज्ञा के, अथवा

(ग) उक्त अधिनियम की धारा ६३ के अधीन पंचायती अदालत द्वारा की गयी कोई जाँच;

तो उसका अवधारण इस प्रकार होगा मानो कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे सभी दिनाँकों पर प्रचलित थे जिनका इस विषय में कोई महत्व हो (एट आल मैटीरियल डेट्स)।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा ४९ में अन्य बातों के साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक मामला, वाद, या कार्यवाही (केस, सूट और प्रोसीडिंग) पर विचार तथा निर्णय पाँच पंचों की बेंच द्वारा किया जायगा। फिर भी ऐसा हुआ कि बेंच के पाँचों पंच किसी किसी मामले की पूरी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके और प्राय एक या दो पंच अनुपस्थित ही रहे। नियमों के अधीन एकइयता (कोरम) निश्चित करके इस कठिनाई को दूर करने का उपाय सोचा गया।

माननीय हाईकोर्ट ने अपने हाल के एक निर्णय में यह निश्चय किया कि उक्त नियम का निर्माण साधिकार नहीं है।

अतएव विधान मंडल के अधिनियम द्वारा उक्त व्यवस्था को करने का विचार है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

मोहन लाल गौतम,
मंत्री,
स्थानिक स्वशासन।

पी० एस० यू० पी०—२२ एल० सी०—१९५२—८२०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक विधान भवन, लखनऊ में २ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५६)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह, श्री
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरुनारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलूराम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभुनारायण सिंह, श्री
प्रसिद्धनारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डा०
बद्रीप्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्रप्रसाद वाजपेयी, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारीलाल, प्रो०
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामकिशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामलगन सिंह, श्री
रुकुनुद्दीन खां, श्री
लल्लूराम द्विवेदी, श्री
लालताप्रसाद सोनकर, श्री
लालसुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ़ विजयानगरम्, डा० महाराजकुमार
विश्वनाथ, श्री
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिवसुमरन लाल जौहरी, श्री
श्यामसुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सरदार सन्तोख सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री चन्द्र भानु गुप्त (खाद्य तथा रसद मंत्री)।
श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहिम (वित्त मंत्री)।
श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)।

डिप्टी चेयरमैन का चुनाव

चेयरमैन--डिप्टी चेयरमैन के पद के लिये तीन पत्र श्री निजामुद्दीन साहब को नामजद करते हुये दाखिल हुये हैं। पहले में प्रस्तावक श्री कुंवर महावीर सिंह हैं और अनुमोदक श्री जगन्नाथ आचार्य हैं। दूसरे में प्रस्तावक डा० प्यारेलाल हैं और अनुमोदक श्रीमती शान्तीदेवी हैं। तीसरे में प्रस्तावक श्री इन्द्रसिंह हैं और अनुमोदक श्रीमती शिवराजवती नेहरू हैं। इसलिये मैं घोषित करता हूं कि श्री निजामुद्दीन साहब कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन निर्वाचित किये गये।

मैं अपनी तरफ से श्री निजामुद्दीन साहब को बधाई देता हूं और मुझे पूण आशा है कि वे हमारे इस काम में पूरी तौर से मदद देंगे। जब वह चेयर पर होंगे तब आप लोग उनको बधाई दे सकते हैं।

नार्थ-ईस्टर्न रेलवे की उत्तर प्रदेश ऐडवाइजरी कमेटी के लिये एक सदस्य (श्री इन्द्र सिंह) का चुनाव

चेयरमैन--यू० पी० रेलवे ऐडवाइजरी कमेटी आफ दि नार्थ ईस्टर्न रेलवे (U. P. Railway Advisory Committee of the North Eastern Railway) के लिये सिर्फ श्री इन्द्रसिंह जी का ही नाम आया है (इसके प्रस्तावक श्री जगन्नाथ आचार्य हैं और अनुमोदक श्री कुंवर महावीर सिंह हैं)। इसलिये मैं घोषित करता हूं कि यू० पी० रेलवे ऐडवाइजरी कमेटी आफ दि नार्थ ईस्टर्न रेलवे के लिये श्री इन्द्रसिंह सदस्य निर्वाचित किये गये।

सेन्ट्रल रेलवे की उत्तर प्रदेश रेलवे ऐडवाइजरी कमेटी के लिए एक सदस्य (श्री लल्लू राम जी) का चुनाव

चेयरमैन--यू० पी० रेलवे ऐडवाइजरी कमेटी आफ दि सेन्ट्रल रेलवे (U. P. Railway Advisory Committee of the Central Railway) के लिये श्री लल्लूराम जी का ही नाम आया है (इसके प्रस्तावक श्री कुंवर महावीर सिंह हैं और अनुमोदक श्री जगन्नाथ आचार्य हैं)। इसलिये मैं घोषित करता हूं कि लल्लूराम जी यू० पी० रेलवे ऐडवाइजरी कमेटी आफ दि सेन्ट्रल रेलवे के लिये सदस्य निर्वाचित किये गये।

सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह भवन सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक पर विचार करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जिन कारणों से विधेयक यहाँ पर पेश किया जा रहा है, उनका विवरण उन कारणों के साथ दिया गया है जो इस विधेयक के साथ छपे हैं। हम लोग यह जानते हैं कि पिछले वर्ष यह होम्योपैथिक मेडिसिन विधेयक इस भवन से पास किया गया था और वह विधेयक अब अधिनियम के रूप में हमारे प्रान्त में प्रचार होने जा रहा है। इसके शिड्यूल में यह गलती रह गई थी कि डाक्टर जो ५ वर्ष से प्रैक्टिस (practice) कर रहा है उसका नाम रजिस्टर (register) में भी ह तो उसको किसी बोर्ड (Board) या एसोशियेशन (association) के अन्दर सर्टिफाइड (certified) किया जाय। इन्हीं कारणों को रूल्स में बदलने के लिये आज यह विधेयक इस भवन में पेश किया गया है। मैं आशा करता हूं कि यह भवन इसको पास होने की स्वीकृति दे देगा।

---

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वास्थ्य मंत्री--श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

***श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**--श्रीमान् जी, मैं इस मौके पर कोई खास तकरीर नहीं करना चाहता हूं। जो परेशानियाँ अपनी आखों से देखी हैं और जो परेशानियाँ हम लोगों के सामने आती हैं उनका मैं इजहार करना चाहता हूं।

जहाँ तक होम्योपैथिक (Homoeopathic) और होम्योपैथ्स (homoeopaths) के कामयाबी का सवाल है वह निहायत तारीफ के काबिल है और अपने देश की गरीबी और मुफलिसी का ख्याल करके इसका विरोध होना कोई ताल्लुक नहीं रखता। होम्योपैथिक की शोहरत और तरक्की करने की निहायत जरूरत है लेकिन एक खास चीज जो मैं गवर्नमेंट के पेशेनजर करना चाहता हूं वह यह है कि होम्योपैथी (Homoeopathy) और एलोपैथी (Alopathy) निहायत ही मुनासिब है और होम्योपैथिक का इलाज करना निहायत फायदेमन्द है लेकिन एलोपैथिक के मेडिसिन्स (medicines) रखना और इंजक्शन्स (injections) लगाना यह खाली गुनाह ही नहीं, एक जुर्म ही नहीं बल्कि सोशल मर्डर (social murder) है। मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट इस बात का लिहाज रखे कि होम्योपैथिक वाले और किसी दूसरी मेडिसिन (medicine) से डील (deal) न करें तो निहायत मुफीद होगा और मुल्क के लिये मुफ़ीद साबित होगा। सिर्फ यही चीज मैं गवर्नमेंट के पेशेनजर करना चाहता था।

स्वास्थ्य मंत्री--चेयरमैन महोदय, जो कुछ अभी हमारे मित्र कक्कड़ साहब ने होम्योपैथी के बारे में सुझाव पेश किया है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है और यही वजह है कि इस प्रकार का विधेयक जो अधिनियम के रूप में परिणित हो गया है, इस भवन में अधिनियम बनाने के लिये उपस्थित किया गया था। अब जब यह अधिनियम जाब्ता से प्रान्त में लागू हो जायेगा तो ऐसी आशा की जाती है कि जो होम्योपैथ्स इस नियम के अन्तर्गत प्रैक्टिस (practice) करेंगे और जिनको सर्टीफिकेट (certificate) प्रैक्टिस करने के लिये मिलेगा वह कदाचित उन दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे कि जिन दवाओं के प्रयोग से उनको जानकारी नहीं है या वे इतनी जानकारी नहीं रखते हैं कि उनका ठीक तरह से प्रयोग कर सकें। यह सही है कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसी दवाइयों का इलाज के सम्बन्ध में प्रयोग करते हैं, जिनकी जानकारी वे नहीं रखते हैं वे अक्सर मरीज को तकलीफ में डाल देते हैं, लेकिन यह बात होम्योपैथ्स के प्रैक्टिशनर (practitioner) के लिये नहीं कही जा सकती है, परन्तु हमारे प्रदेश में यह देखा गया है कि हकीम और वैद्य भी ऐसी दवाइयों और ऐसे इंजक्शन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनके बारे में उन्हें उतना ज्ञान नहीं होता जितना कि उस व्यक्ति को जो इस किस्म के इलाज के तरीकों में जानकारी रखता है। इसी कारण से सरकार सदैव इस बात का प्रयत्न करती रही है कि हम उन्हें इस तरह के आश्वासन देते हैं कि जब यह अधिनियम जाब्ता से इस प्रदेश में लागू हो जायेगा तो इस तरह की जो बुराइयाँ हमारे बीच में प्रचलित हो गई हैं वे दूर हो जायेंगी और हमें उन तमाम बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिनका जिक्र उन्होंने इस भवन में किया है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक* को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

*देखिये नत्थी 'क' १५८ पृष्ठ पर।

प्रिविलेजेज कमेटी के लिए नामजदगियों की तारीख का निश्चय किया जाना

चेयरमैन--कमेटी आफ प्रिविलेजेज (Committee of Privileges) के सम्बन्ध में कौंसिल का नियम संख्या १५४ इस प्रकार है :--

"Rule 154(1) At the commencement of the first session of the Council in every calendar year, a Committee of Privileges shall be constituted consisting of 9 members elected by the system of single transferable vote with the Deputy Chairman as ex officio Chairman."

अभी डिप्टी चेयरमैन का चुनाव हो गया है और मैंने यह ठीक समझा कि आपका ध्यान इस नियम की तरफ आकर्षित करूं और आप लोगों से यह पूछ लिया जाय कि कमेटी आफ़ प्रिविलेजेज (Committee of Privileges) के लिये नामीनेशन (nomination) कब माँगे जायें। नियम के अनुसार यह हर कलेन्डर इयर (Calendar Year) के शुरू में बनाई जाती है मगर इस साल नये चुनावों की वजह से अभी तक यह कमेटी न बनाई जा सकी।

यदि राय हो तो अभी इसी सेशन में इस कमेटी के लिये नामीनेशन्स (nominations) माँग लिये जावें वर्ना जुलाई में माँगे जावें।

*वित्त मंत्री--डेट फिक्स (date fix) कर दी जाय और उसके दौरान में नामीनेशन्स माँग लिये जायं। हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल उठ खड़ा हो जिससे कि कमेटी की जरूरत पड़ जाय अगर हमारे पास नेम्स (names) होंगे तो उस वक्त हम कमेटी के सामने उस सवाल को रख सकेंगे और वह हल हो जायेगा। अगर हमारे सामने कमेटी के मेम्बरान न हुये तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ी पैदा हो जाय। इसलिये मेरी राय यह है कि इस सेशन के दौरान में ही नामीनेशन्स मांग लिये जायें और उसके बाद डेट (date) चुनाव के लिये फिक्स(fix) कर दी जाय।

चेयरमैन--हाफ़िज जी की राय है कि तारीख इसी सेशन के दौरान में तय कर ली जाय।

*प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--नामीनेशन परसों तक कर लिया जाय।

एक आवाज--सेशन कब तक चलेगा इसका कुछ आइडिया (idea) दे दिया जाय।

माननीय वित्त मंत्री--सेशन की निस्बत तो मैं आइडिया (idea) दे चुका हूं कि दूसरी जून तक जरूर चलेगा मुमकिन है कि और आगे चल जाय इसलिये नामीनेशन कर लेना चाहिये, ताकि अगर कोई झगड़ा हो और कोई सवाल पैदा हो तो वह हल हो सके।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--मेरी राय है कि नामीनेशन (nomination) २९ तारीख को रख दिया जाय और यदि एलेक्शन (election) की जरूरत पड़े तो दो या तीन तारीख उसके लिये मुकर्रर कर दिया जाय।

चेयरमैन--तारीख २९ मई सन् १९५२ ई० समय १२ बजे तक आप लोग नाम सेक्रेटरी साहब को दे दें। जरूरत होगी तो चुनाव दूसरी तारीख को हो जायेगा।

संदन का कार्यक्रम

वित्त मंत्री--अभी कोई बिल असेम्बली से नहीं आया है इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि हाउस ३० तारीख को बैठे।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--मेरी राय है कि दूसरी तारीख को हाउस बुलाया जाय।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

वित्त मंत्री--मैं समझता था और मुमकिन हो कि मेरा ख्याल गलत हो, कम से कम वह मेम्बर साहबान जो बाहर से लखनऊ में तशरीफ लाये हैं उनको यह जल्दी होगी कि यह जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा हो। अब अगर दूसरी तारीख रखते हैं तो जो सारा बिजनेस (business) असेम्बली से आने वाला है वह जब आ जायेगा तो कानून के मुताबिक जितने दिन मिलना चाहिये वह भी दिये गये तो मेरे ख्याल में हाउस १३ या १४ जून तक बैठेगा।

कुंवर गुरुनारायण--कोई हर्ज नहीं है अगर ३० तारीख को बैठा जाय, लेकिन यह जरूरी है कि पंखे वगैरह ठीक कर दिये जायं जिससे यहाँ का ऐटमासफियर (atmosphere) ठीक हो जाय।

चेयरमैन--ऐसा हो सकता है कि जो बिल २९ तारीख को असेम्बली में पास होता है वह दूसरे दिन सुबह यहाँ ११ बजे तक नहीं आ पाता है बल्कि १ बजे तक आता है, इसलिये अगर २ बजे से हम लोग बैठें तो ठीक रहेगा।

वित्त मंत्री--२ बजे से बैठने में मुझे तो कोई एतराज नहीं है।

चेयरमैन--कौंसिल तारीख ३० मई सन् १९५२ ई० को २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल २ बजकर २० मिनट पर ३० मई सन् १९५२ ई० को २ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२७ मई सन् १९५२ ई०।

नत्थी "क"

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०
(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल द्वारा पारित हुआ)

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० में कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधन करने के निमित्त

विधेयक

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० में इसमें आगे दिये हुए प्रयोजनों के लिए संशोधन किया जाय, अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है---

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

१---(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिस पर उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० का भाग १ प्रचलित होगा।

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८ के परिशिष्ट (शेड्यूल) का संशोधन

२---उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० के परिशिष्ट के पैरा ३ में शब्द "उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रक्खा जायगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गयी है कि होम्योपैथिक चिकित्सक (प्रैक्टिशनर) को ऐसी शर्तों के अधीन निबन्धित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (चिकित्सा प्रणाली) बोर्ड नियत करे। परिशिष्ट के पैरा ४ के अधीन उक्त बोर्ड को किसी व्यक्ति को होम्योपैथिक की हैसियत से चिकित्सा करने के लिए योग्य होने का प्रमाणपत्र देने का अधिकार होगा। अतएव परिशिष्ट के पैरा ३ में उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के अभिदेश के स्थान पर "बोर्ड" का अभिदेश (रेफ़रेंस) समझा जाना चाहिए।

उपर्युक्त उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
स्वास्थ्य मन्त्री।

पी० एस० यू० पी० २१ एल० सी०—१९५२—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में २ बजे दिन के डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में हुई

उपस्थित सदस्य (५७)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्रसिंह, नयाल श्री
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बीर भान भाटिया, डा०
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
बृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद आलम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रो०
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ़ विजयानगरम, डा० महाराजकुमार
विश्वनाथ, श्री
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शिव मूर्ति सिंह, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य-प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

(१) श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री),

(२) श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री),

(३) श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)।

सदस्यता की शपथ ग्रहण करना

श्री राम लखन ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की।

श्री निजामुद्दीन के डिप्टी चेयरमैन के पद पर चुने जाने के उपलक्ष्य में बधाई

*वित मंत्री श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, यह मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे आप को मुबारकबाद देने का मौक़ा मिला है। इस सदन मे बिना किसी भी मुखालिफत के आप का चुना जाना यह जाहिर करता है कि आप को जात पर इस ऐवान के मेम्बरों का ख्वाह वह किसी भी तरफ के हों, पूरा एतमाद है और उन्होंने आप को इस काबिलियत को समझा है। आप की काबिलियत इतनी है कि आप अपने फरायज को अन्जाम दे सकते हैं और इस अन्जामदेही की बिना पर किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती है। इस ओहदे के फरायज अन्जामदेही में जो काम करना पड़ता है वह यह है कि मुख्तलिफ पार्टियों और मुख्तलिफ मेम्बरों के दरमियान में एक तराजू में बोझ का काम करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि किस के क्या हक़ूक़ हैं। उसमें कोई कमी न पैदा हो और किसी को किसी क़िस्म की शिकायत का मौक़ा भी न हो। आप का इन्तखाब करने के साथ ही साथ यह भी तवक्को की गई है और यह एतमाद किया गया है कि आप हमेशा इन्साफ को काफ़ी तौर से रखेंगे और चाहे अपोजीशन हो या चाहे गवर्नमेंट हो वह सब फरायज में ख्याल रखते हुये ऐसा मौक़ा नहीं देंगे कि किसी को शिकायत का मौक़ा रहे। उसके साथ ही क़ानूनी मामलों को समझने में और उनके मुतालिक राय क़ायम करने में अपने फरायज का सही अन्जाम देंगे। आप को इस क़िस्म के फैसलों से निपटना पड़ता है जो फैसले बतौर इसके दुनिया में क़ायम हो जाते हैं। आप की काबिलियत की बिना पर यह तवक्को की गई है और सही तौर पर की गई है कि आप इन फरायज को अच्छी तरह से और क़ाबि-लियत से अन्जाम देंगे। मैं इन अल्फाजे मुक़र्रम को आप की खिदमत में फिर इस सदन में पेश करता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को इस पद पर चुन जाने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं। ऐसे मौक़े पर और ऐसे सदन में जहां पर कि गवर्न-मेन्ट की पार्टी का बहुमत होता है और अल्पमत यह महसूस करता है कि कहीं ऐसी बात न हो जाय, जिसकी वजह से हमारे अधिकार पर कोई बात ऐसी आये जिसको हम महसूस करें। वास्तव में यह पद एक ऐसा पद है जिसकी तरफ भवन का हर सदस्य देखा करता है। आप काफ़ी तजुर्बेकार हैं और हम लोग आप से आशा करते हैं कि आप क़ायदे और क़ानून के मुताबिक जो इस भवन में बनाये गये हैं उन्हीं क़ायदे और क़ानून के मुताबिक सरकार और विरोधी दल के साथ आप सहयोग करेंगे। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि विरोधी दल सदा आप के आदेशों का पालन करेगा। वह सदा अपने कर्त्तव्यों को समझेगा और आप के आदेश के अनुसार काम करेगा। इस सदन की तरफ सारी जनता का ध्यान रहता है कि वह जनतंत्र को मजबूत बनाये। इस सदन की प्रतिष्ठा को क़ायम करना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं। हमें आशा है कि हम सब लोग आप के आदेश के अनुसार कार्य करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप को फिर मुबारकबाद देता हूं।

Maharaj Kumar Dr. Vijay of Vizianagram: Sir, may I very respectfully offer my congratulations on your unanimous and uncontested election. The very fact that the House has chosen you in an uncontested election speaks volumes of your popularity. Sir, the Pant Government knows no barrier and has no frontiers—it does not observe any distinction of caste or creed. It is a secular state in the truest sense. It has full faith in the secular policy of the

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

Union Government. To-day we have elected you unanimously and I feel sure that every member in this House will receive your blessings whenever there is an opportunity of being able to get up and speak on any subject. I wish you the very best and a very successful career as Deputy Chairman of this great House.

***श्री बद्रीप्रसाद कक्कड़**—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं जनाब को मुबारकबाद पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जनाब को इस ओहदे पर और इस कुर्सी पर देखकर तबियत में खुशी पैदा होती है और वह खुशी दिमागी ही नहीं बल्कि दिली खुशी है, क्योंकि इस चुनाव में और इस चुनाव के परदे में मुहब्बत की झलक दिखलाई देती है और गांधियन फिलासफी और वह फिलासफी, जिससे देश में सेक्यूलरिज्म की बुनियाद खड़ी हुई है, वह झलक नुमाया है। मैं इस ऐवान में जनाब को इस बात की यादहानी कराना चाहता हूं कि इस ऐवान में सन् ३७ से मैं अपनी इस जगह पर क़ाबिज रहा हूं और इसके साथ ही साथ जनाब हाफ़िज़ साहब, जो लीडर आफ दि हाउस हैं, वह भी क़ाबिज रहे हैं और वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जनाब का मुत्तफिक चुनाव इस बात की दलाइलात करते हैं कि जनाब की काबलियत और वजूद बढ़कर हैं। वह तो इन कलाम से शाहिद है और जाहिर है, एक बुजुर्ग ने कहा है:

"हस्तरे नाचीज़ दूसरी है क्या चीज़।
यह वह क़तरा है जो बढ़ जाय तो दरिया हो जाय॥"

हुजूर, मैं जनाब को इन शब्दों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं।

श्री गोविन्द सहाय—जनाबे सदर साहब, इस हाउस में आपके ओहदे, डिप्टी चेयरमैनशिप (Deputy Chairmanship) पर आने पर मैं बधाई देता हूं। बधाई देने का मामूली तरीक़े से एक रिवाज है और इसके साथ-साथ एक मौक़ा भी हो जाता है कि जब हम अपने दिल से आपको बधाई दे सकते हैं, परन्तु मुझे अफसोस है कि मुझे आपसे खास जानकारी नहीं है, लेकिन उन पिछली मीटिंग्स के अन्दर जब आपको देखा है, उसमें जिस तरीक़े के आपके रवायात, और अपने विचार और जो आपने अपनी काबलियत का नमूना पेश किया है उससे हमारी तबियत में एक ऐसा ख्याल हो गया कि आप इस हाउस के एक चमकते हुये आदमी हैं और मुझे खुशी है कि यह मौक़ा जल्दी हो आया कि इस हाउस के लोगों ने और सदर साहब ने आपकी सही बातों को जानकर, जिनमें कि आपकी खूबी भी शामिल है, आपको इलेक्शन लड़ने के लिये विनय की और यह आपकी ही योग्यता है कि आप निर्विरोध इस सदन के डिप्टी चेयरमैन के पद पर आये। मैं अपना तथा सदन का वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझता और हमें उम्मीद है कि हम सब की मदद से इस मुल्क के अन्दर जो बड़ा काम हमने कर डाला है जिसे इतने बड़े पैमाने में डेमोक्रेसी (democracy) का प्रयोग कहते हैं जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि इस हाउस का भी यही फैसला होगा, यह हमने ठीक किया या गलत किया, अगर यह ठीक साबित होता है तो दुनिया में इस मुल्क का नाम इस बात में जरूर लिया जायेगा कि कैसे मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर कैसे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हमने क़ायम की है। हमारी सबकी ख्वाहिश होनी चाहिये कि हम सब मिलकर इस बड़े तजुर्बे को कामयाब बनायें चाहे उसे जल्द कर डालें या देर में कर डालें लेकिन सोच समझ कर उसे क़ामयाब बनायें। इस तरह से इस हाउस के अन्दर काम करने के लिये हम आपके साथ हैं मैं आपसे यह कहता हूं कि इस हाउस के अन्दर आप ऐसी कोशिश करेंगे कि कि भी आदमी की चाहे उसकी एक ही राय हो, उसे भी इस हाउस के अन्दर अपनी राय इजहार करने का मौक़ा हो ताकि हमारी जो डेमोक्रेसी का पौदा सरसब्ज हो सकें और हम अपने इस तजुर्बे को कामयाब बना सकें। इन शब्दों के साथ मैं फिर आपको बधाई देता हूं।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

*श्री हयातुल्ला अन्सारी—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मुझे आपको मुबारकबाद देते हुये बड़ी खुशी हो रही है और मैं महसूस कर रहा हूं कि इस ऐवान के सभी मेम्बर आपके डिप्टी चेयरमैन मुन्तखिब हो जाने पर खुश हैं, इसलिये कि आप मुन्तखिब हो गये हैं। आपके मुन्तखिब हो जाने पर चाहे छोटा हो या बड़ा पूरे ऐवान को इस बात की खुशी है, क्योंकि इसके पहले भी कोई इसके खिलाफ नहीं था। सिम्बल (symbol) के तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा और हाउस के किसी भी मेम्बर को आपके इस पोस्ट के लिये मुखालिफत नहीं थी। आज आपको इस कुर्सी पर देखकर बहुत खुशी हो रही है और आपके नाम के मुकाबले में जब किसी और का नाम नहीं आया तो इससे यह मतलब निकला कि जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने इसी इन्साफ को मानकर आपको इस पद के लिये चुना। इस बात के लिये मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूं।

श्री राम किशोर रस्तोगी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आपने इस सुअवसर पर मुझे मौका दिया कि मैं आपको बधाई दे सकूं। मुझे इससे पूर्व आपसे किसी प्रकार का कोई परिचय नहीं था, लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा सुनी और मैंने देखा कि आप इस भवन में उपाध्यक्ष की हैसियत से निर्विरोध चुन लिये गये तो मुझे इस बात की अभिलाषा हुई कि मैं आपको इस अवसर पर बधाई दूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विरोधी दल ने भी एकमत होकर आपको निर्विरोध चुन लिया। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से आपने पिछले समय में देश की सेवाओं में हिस्सा लिया और उनका पालन किया तो इस कार्य के सबन्ध में भी उन पिछले अनुभवों और विचारों से आप अपने पद के कार्य को सफलतापूर्वक निभायेंगे। आपके इस भवन में निर्विरोध चुने जाने पर मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं।

*Sri Narottam Das Tandon: Hon'ble Deputy Chairman, I am specially pleased to see you on this chair as you belong to my city, to my mohalla and we both belong to the same constituency. I had the privilege of being a member with you since 8 years and I know you more, perhaps, than anyone else here sitting in this House and I have seen how nice was is your behaviour during your Chairmanship of different committees and how nicely you worked in the Board and gave your valuable advices at times. I once more congratulate you being my man.

श्री परमात्मानन्द सिंह—जनाब उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने जाने के अवसर पर आप को बधाई प्रदर्शित करता हूं। मेरे जितने भाइयों ने आपको मुबारकबाद किया है मैं समझता हूं कि उनमें सबसे ज्यादा हक मुझको है वह इस वजह से है कि मुझे वह जमाना याद आ रहा है, सन् १९२३ का, जिस समय म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर भी हम कांग्रेस के लोगों का या उस समय में विरोधी लोगों का अधिकार प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज समझा जाता था। वह एक समय था सन् १९२३ का, उसके कुछ दिन पहले जब हम लोग जेल से छूट कर आये थे, इलाहाबाद में म्युनिसिपल बोर्ड का एलेक्शन हुआ था उस समय आप वार्ड नं० ४ से म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर चुने गये थे और मैं ट्रेडर्स एसोसियेशन (Traders Association) की ओर से सदस्य चुना गया था, वह समय था जब हम लोगों की परख होती थी कि कौन देश हितैषी है कौन हिन्दू मुस्लिम एकता चाहता है, कौन सेकूलरिज्म (Secularism) चाहता है। उस वक्त मुझे मालूम है और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि आप के पास जज्बा था मुल्क की तरक्की करने का, हिन्दू मुस्लिम एका करने का और अपने मुल्क को आजाद करने का, और आप उस वक्त जो मदद करते थे, वह भी मुझे याद है। एक बात और थी, आप में जो कौमें पिछड़ी

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

*The member has not revised his speech.

हुई थीं और मोमिनों के नाम से पुकारी जाती थीं उसकी जनाब ने हिन्दुस्तान भर की सदारत कुछ दिनों तक की थी। उसके बाद कुछ दिनों तक आप इस सूबे के मोमिनों के हितैषी रहे और उनके साथ काम कर के आपने यह जाहिर कर दिया कि जो कमजोर और जो मजबूर हैं उनको मदद करने का और उनकी रहनुमाई करने का आप को कितना शौक है। आप ने जो आनरेरी मुंसिफ रह कर कौम की खिदमत की और मुल्क की खिदमत की उन बातों को देख कर मैं एहसास करता हूं कि आप एक तजुर्बेकार आदमी हैं और यहाँ की प्रोसीडिंग्स (proceedings) को अच्छी तरह से गाइड (guid) करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप को फिर मुबारकबाद देता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--आनरेबल लीडर आफ दि हाउस, हमारे बुजुर्गों, बहनों और दोस्तो, आपने मुझे इस हाउस का डिप्टी चेयरमैन मुन्तखिब करके जो मेरी इज्जत अफजाई फरमाई है मेरी समझ में नहीं आता और मैं हैरान हूं कि किन अल्फाज में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। मैं यह देख रहा हूं कि इस हाउस में बहुत बड़ी बड़ी और काबिल तरीन हस्तियाँ मौजूद हैं जो इस कुर्सी के सही मानों में जीनत बन सकते थे। मगर यह आप हजरात की मुहब्बत और एखलाक है कि मुझ ऐसे शख्स को इस इज्जत से नवाजा किया। मैं आप हजरात का इस इज्जत अफजाई के लिये तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि जो काम आप हजरात ने मुझे सौंपा है मेरे कंधे उसको उठाने के लिये मजबूत नहीं हैं, लिहाजा आप हजरात से मेरी यह इस्तेदुआ है कि आप मेरी हमेशा सहायता करते रहें और आप का कोआपरेशन (co-operation) मुझे हमेशा नसीब होता रहे। जिन दोस्तों ने मेरी नामजदगी के परचे पर दस्तखत बनाए और जो दिलचस्पी इन लोगों ने दिखलाई इस का मेरे दिल पर बहुत बड़ा असर पड़ा। मैं यहाँ एक स्ट्रेन्जर (stranger) की हैसियत से हूं। बहुत कम लोगों से वाकफियत है लेकिन मैंने यह देखा कि कई हजरात मेरे नामिनेशन (nomination) के परचे को दाखिल करने में काफी दिलचस्पी ली और अपना कीमती वक्त सर्फ किया।

डाक्टर प्यारेलाल साहब श्रीवास्तव ने मेरी नामजदगी के वक्त जो जुमला इस्तेमाल किया मैं समझता हूं कि मैं इस जुमले को अपनी जिन्दगी भर नहीं भूल सकता। उन्होंने यह कहा "That he is very proud that I have been selected as a Deputy Chairman of this Hon'ble House."

डाक्टर प्यारे लाल साहब की काबलियत अमरे मुसल्लमा है, उनकी काबलियत के मुकाबले में मेरी काबलियत का कोई मुकाबिला नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद इस के जो जुमला उन्होंने मेरे लिये इस्तेमाल किया इससे मुझ को यह अन्दाजा लगा कि वह मुझे इस खुलूस और मुहब्बत के साथ देखते हैं।

श्री हयातउल्लाह साहब अन्सारी से भी मेरा कोई खास परिचय नहीं है। सिर्फ इलाहाबाद में मेरी उन से मुलाकात सरसरी तौर से हुई है। मगर उन के चेहरे पर भी मैंने इजहारे खुशी के असरात नुमायां देखे। मैं डाक्टर प्यारेलाल साहब, श्री परमात्मा नन्द सिंह, श्री जगन्नाथ आचार्य और दीगर हजरात का भी जिन्होंने मेरे नामिनेशन दाखिल करने में हिस्सा लिया तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस हाउस के दो लेडीज (ladies) मेंबरान का मैं खास तौर से मशकूर हूं जिन्होंने यह कहा था कि जब तक मेरी नामजदगी न हो जायगी वह वापस नहीं जाएंगी। इन में से एक मेरी बहिन शान्ति देवी हैं और दूसरी शिवराजवती नेहरू हैं।

मैं इस हाउस के हर मेम्बर को इतमीनान दिलाना चाहता हूं कि मेरी तरफ से कभी कोई ऐसा मौका न आयेगा जिस से किसी को कोई शिकायत हो, और अगर कभी इस हाउस के किसी मेम्बर के ख्याल में मेरी कोई बात गलत मालूम हो, तो मैं निहायत अदब से यह अर्ज करूंगा कि वह यह न समझें कि मैंने इरादतन या कस्दन ऐसी गलती

[डिप्टी चेयरमैन]
की है बल्कि नादानिस्ता जैसा कि इन्सानी फितरत में गलती होने का इमकान है मुमकिन है इस तरह की गलतियाँ मुझ से हों जायें। अगर खुदा न ख्वास्ता कभी ऐसी बात आप हजरात के ख्याल में आए तो मैं जनाब से यह इस्तेदुआ करूंगा कि इस गलती की तरफ जनाब मेरी तवज्जह दिला देंगे तो आइन्दा के लिये मुझ को एक सबक हासिल होगा और मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आइन्दा मुझ से फिर ऐसी बात न हो।

मैं यह समझता हूं कि इस वक्त मेरा सब से बड़ा फर्ज अपने आनरेबिल लीडर आफ दी हाउस का शुक्रिया अदा करना है। मगर मैं इस फर्ज की अन्जामदेही से अपने को मजबूर पाता हूं। इसलिये कि न तो मेरे पास वह जबान है और न वह अल्फाज हैं जिन से मैं उनके शायाने शान उन का शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं इन से यह इस्तेदुआ करूंगा कि वह अपनी सर परस्ती मेरे ऊपर बराबर कायम रखें और मुझ को वक्तन-फवक्तन इस मुल्क को तरक्की के जीने की तरफ ले जाने में मदद फरमाते रहें।

हम सब लोग सिर्फ एक ही मकसद के साथ यहाँ आए हैं और वह मकसद यह है कि हमारे मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो मुश्किलात और जो दिक्कत और जो रोड़े हायल हैं उनको दूर करके मुल्क को तरक्की के जीने तक पहुंचायें। मैं अपने यूनानिमस इलेक्शन (unanimous election) में इस मुल्क के लिये निहायत ही शानदार और रौशन मुस्तकबिल देखता हूं। इसलिये कि आप हजरात ने बिला लिहाज इस अम्र के कि मैं इस जगह के लिये काबिल हूं या नाकाबिल और बिना लिहाज इस अम्र के कि आप में से बहुत से लोग इस जगह के लिये ज्यादा मौजूं थे मुझ को मुत्फिक राय से मुन्तखिब किया। यह बात इस अम्र की दलील है कि हम में से हर मेम्बर मुल्क की तरक्की का दिलदादा नजर आता है न कि किसी ओहदे का। लिहाजा मेरी आप हजरात से यही इस्तेदुआ है कि हम सब मिलकर वह जराये और तरीके सोचें जिनसे हम मुल्क को मौजूदा कश्मकश से निकाल कर तरक्की के जीने तक पहुंचाने में कामयाब हों। मैं एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने कोआपरेशन से मेरी हमेशा सहायता करते रहेंगे।

प्रिविलेजज कमेटी के लिये मेम्बरों की नामजदगियां

डिप्टी चेयरमैन--प्रिविलेजज (privileges) कमेटी के लिये नौ सदस्यों का इन्तखाब होना था। मेरे पास दस नाम इस कमेटी के लिये आये थे मगर चूंकि इस वक्त एक साहब ने अपना नाम वापस ले लिया, लिहाजा मैं बकाया नौ आदमियों को इस कमेटी का मेम्बर निर्वाचित घोषित करता हूं।

१--श्री रुकनुद्दीन खां
२--डा० ईश्वरी प्रसाद
३--श्री राजाराम शास्त्री
४--डा० प्यारेलाल श्रीवास्तव
५--श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल
६--श्री कुंवर महावीर सिंह
७--श्री हर गोविन्द मिश्र
८--श्री राम लगन सिंह
९--श्री प्रताप चन्द्र आजाद

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौन्सिल--श्रीमान जी की आज्ञा से मैं निम्नलिखित बिलों को मेज पर रखता हूं जो लेजिस्लेटिव असेम्बली से पास होकर आये हैं--

उत्तर प्रदेश मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का विधेयक १९५२ ई० जो लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा २७ मई को पारित हुआ और यहाँ २९ मई, १९५२ को प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) का विधेयक, १९५२

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई०। (यह लेजिस्लेटिव असेम्बली में २८ मई को पारित हुआ और आज सुबह १० बजे यहाँ आया)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) का विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्यों की उपलब्धियों का विधेयक, १९५२ ई०। (यह लेजिस्लेटिव असेम्बली में २८ मई को पास हुआ और यहाँ आज सुबह १० बजे आया)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामक विनियमन) विधेयक, १९५२ ई०। (यह विधेयक असेम्बली में २९ मई को पारित हुआ और आज सुबह साढ़े ११ बजे यहाँ आया)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और उपमन्त्रियों (के वेतन तथा भत्तों का) विधेयक

श्री कुंवर गुरु नारायण—मंत्रियों व उपमंत्रियों के भत्ते तथा वेतन के विधेयक के आगे शब्द प्राविजनल (provisional) क्यों है ?

*__वित्त मन्त्री__—मैं जनाबवाला की इजाजत से इस बात को बतलाना चाहता हूं यह प्राविजनल (provisional) इसलिये रक्खा गया है कि इस हाउस का जो कायदा है उसकी रू से इस बिल को ३ दिन पहले से आना चाहिये और तब उस पर बहस हो सकती है। यह हाउस की टेबुल पर रक्खा है और प्राविजनल की वजह से हाउस को यह अख्तियार है चेयर को भी अख्तियार है कि अगर वह चाहे तो वह इसको ले सकता है। यह बिल इसीलिये रक्खा गया है कि अगर हाउस चाहे तो उनमें से किसी बिल को जो इसमें दिये हुये हैं उसको अपनी मर्जी से शुरू कर सकती है। जिस बिल को चाहे ले और अगर न चाहे तो न ले। अगर आज से नहीं शुरू होता है तो कल जिस वक्त से कौंसिल शुरू होगी उस वक्त से लिया जायेगा। अगर काम पहिले खत्म करना है तो इसको पहिले ले लें। मैंने इसलिये रखवाया था कि अगर हाउस चाहे तो इसे ले ले।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि अगर इस पर आज बहस शुरू हो जायेगी और किसी को संशोधन देना है तो कैसे देगा? अगर हुकूमत चाहे तो इसपर आभ बहस शुरू करदे लेकिन अगर बहस शुरू करेंगे तो जो लोग संशोधन देना चाहते हैं वह और किसी वक्त दे सकते हैं। लेकिन अगर अभी बिल पर डिस्कशन (discussion) शुरू कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि संशोधन पेश करने का मौका ही न मिले। अगर हुकूमत मुनासिब समझे तो इस पर कल से विचार करें ताकि लोग उस पर अपने संशोधन दे सकें।

वित्त मन्त्री—मैंने जनाबवाला, इसलिये अर्ज किया कि इन बिलों की कापियाँ मिले हुये मेरे ख्याल में ८–९ रोज हो गये और असेम्बली में बहस होकर वह पास होकर आ गये।

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[वित्त मंत्री]

असेम्बली से वह उसी शकल में जैसे उनकी ओरिजनल (original) में शकल थी पास हुये हैं। उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। मैं इसलिये यह समझता था कि मेम्बर इस पर बहस करने के लिये तैयार होंगे। जहाँ तक संशोधन का ताल्लुक है उसकी निस्बत में यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेन्ट को किसी संशोधन को किसी वक्त लेने में एतराज नहीं है जो कायदे उसमें संशोधन के लाये जाने के होते हैं उनको वेव (waive) किया जा सकता है सेकन्ड रीडिंग (second reading) में जो अमेन्डमेंन्ट्स (amendments) आयेंगे उनको कंसीडर करने में हमको या गवर्नमेन्ट को कोई रुकावट नहीं होगी। जैसा राजाराम शास्त्री साहब ने फरमाया है। हम अभी इस बिल को लेकर विचार करना शुरू करें उसके बाद फिर इसको छोड़ा भी जा सकता है अगर वह चाहेंगे कि इसमें अमेंड-मेंट्स पेश हो सकते हैं तो उनपर विचार करने के बाद दूसरे बिल्स लिये जा सकते हैं। इस बीच में भी उन बिलों को हम ले सकते हैं। यह सब बातें हो सकती हैं। अगर हाउस को मंजूर हो तो शुरू कर दिया जाय।

प्रो० मुकुट विहारी लाल—मैं समझता हूं कि जैसा हाफिज जी ने फरमाया है कि यह जो यू० पी० मिनिस्टर्स सैलरीज बिल है उस पर जनरल डिस्कशन आज करें और सब मेम्बरों को हक दें कि आज छः बजे शाम तक तमाम विधेयकों के मुताल्लिक वह अपने संशोधन दे दें और कल से बाकायदा विधेयकों पर बहस हो।

The Minister for Justice: (Sri Syed Ali Zaheer) Sir, I beg to move that the U. P. Ministers and Deputy Ministers (Salaries and Allowances) Bill, 1952, be taken into consideration.

जहाँ तक इस बिल की दफात का ताल्लुक है उनको देखने से यह मालूम होगा कि मिनिस्टर्स की सैलरीज में जो पहले थीं और जो अब की जा रही हैं उसमें कुछ कमी की गयी है। पहले जो था जिसके हिसाब से उनको तनख्वाहें मिलती थीं उस हिसाब से १,५०० रु० माहवार तनख्वाह उनको थी और बाकी बंगले वगैरह की दूसरी फैसिलिटीज (facilities) थीं। तनख्वाह में से कुछ रकम इनकम टैक्स (income tax) में कटती थी। इसके अलावा १८५ रु० उन्होंने तकरीबन तीन बरस से अपनी तरफ से छोड़ रखा था जिस को वह लोग नहीं ले रहे थे। इस कमी के बाद भी उनको १,२०० रुपये से कुछ ज्यादा तनख्वाह मिलती थी मगर यह वालंटरी कट (voluntary cut) था जो खुद अख्तियारी था। नहीं चाहते थे नहीं लेते थे।

लेकिन उसके बाद यह सोचा गया कि इस वालेन्टरी कट को ऐक्ट में शामिल कर दिया जाय और वह बात इस ऐक्ट में कर दी गई है। इसका नतीजा यह हुआ उसके निकालने के बाद तनख्वाहें मुकर्रर की गईं। वह रकम इस तरह से १,२०८ रुपया होती थी। लिहाजा बजाय इसके १,२०८ रुपया रखे जाते, कुल १,२०० रुपये रखे गये हैं। उसके साथ यह भी रखा गया है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट (Central Government) जो इनकम टैक्स पहले लेती थी उसका पेमेन्ट (payment) अब इस्टेट (State) से हुआ करेगा। इस तरह से तनख्वाहें करीब करीब वही रह जाती हैं जो पहले मिलती थीं। हमने सिर्फ इस वालेन्टरी कट (voluntary cut) को ऐक्ट में शामिल कर दिया है। इस दफा डिप्टी मिनिस्टरों की भी तनख्वाह रखी गई हैं। हर एक के लिये ७५० रुपया रखा गया है। अभी तक डिप्टी मिनिस्टर नहीं होते थे। लेकिन अब चूंकि पहले से ज्यादा मेम्बर हो गये हैं इसलिये सब काम मिनिस्टर पूरा न कर सकेंगे और यही सोचकर डिप्टी मिनिस्टरों का प्राविजन (provision) रखा गया है। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि इन बातों को देखते हुये जो प्राविजन किया गया है वह बहुत ही मुनासिब और रीजनेबुल (reasonable) है और उस पर कोई एतराज नहीं किया जा सकता है और करीब करीब वही है जो पहले था सिवाय डिप्टी मिनिस्टरों के प्राविजन के।

इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस पर कोई ज्यादा लम्बी-चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं है और इस बिल पर कन्सीडरेशन (consideration) किया जाय ।

प्रो० मुकुट बिहारीलाल--माननीय अध्यक्ष, आज राष्ट्र की जो वास्तविक आमदनी है वह इतनी कम है कि यदि उसे ठीक-ठीक तौर पर तकसीम किया जाय तब भी राष्ट्र के सब व्यक्तियों की, सब आदमियों की जरूरतें पूरी होना मुहाल है, मुश्किल है। हमें राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था का निर्माण भी करना है। बाहर से कर्ज लेकर यह काम पूरी तौर पर नहीं किया जा सकता है। हमें अपनी आमदनी में से भी कुछ बचा कर राष्ट्र के निर्माण में लगाना होगा, इसलिये बहुत तंगी के साथ जिन्दगी बसर करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान रखते हुये ही शुभमूर्ति राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा है कि लोगों को अपने भोजन में कमी करने के लिये तैयार होना पड़ेगा। यह साफ जाहिर है कि भोजन में कमी करने से पहले अपने आराम में कमी करने की जरूरत है। जब तंगी से जिन्दगी बसर करने का समय हो उस समय यह जरूरी है कि खाने-पीने की जरूरी चीजों पर ही ज्यादा रुपया खर्च किया जाय। आराम की चीजों पर खर्च में कमी की जायें।

दुनिया के सब विद्वानों ने इस बात को माना है कि राष्ट्र की आय में सब से पहला हक खाने पीने का है। मुल्क के बच्चों की परवरिश के बाद जो रकम बचती है वही रकम दूसरे आराम की चीजों पर खर्च की जा सकती है। इंगलैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता, प्रो० हेराल्ड रस्की और बर्टन रस्सल ने इन बातों को अपनी पुस्तकों में लिखा है। इन विद्वानों से भी पहले समाज विज्ञान यानी सोशियोलाजी (sociology) के एक बड़े प्रसिद्ध पंडित और एक बड़े विचारक प्रोफेसर हाब हाउस ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेन्टस आफ सोशियल जस्टिस (Elements of Social Justice) में यह बताया है है कि राष्ट्र की जो आमदनी है उस में से सब से पहले खर्च सारी जनता की जरूरतों पर हो। जो बचे वह थोड़े से लोगों को काबिलियत को ध्यान में रख कर उनमें तकसीम किया जा सकता है और उन के आराम पर खर्च हो सकता है। इस बात की ताईद में राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की आमदनी में से सारी जनता की जरूरतों को पूरा किया जाय। लेकिन उस के साथ ही साथ महात्मा जी ने हमें यह भी बताया है कि अगर किसी आदमी ने मुल्क की माली हालत का कोई ख्याल न रखकर एक कृत्रिम रूप से अपनी जरूरतों को बढ़ा लिया है तो इन जरूरतों को पूरा करने का फर्ज राष्ट्र का नहीं है। बल्कि उस आदमी का फर्ज है कि वह अपनी जरूरतों में कमी करे, मौजूदा हालत में जनसाधारण से इस बात की माँग करने से पेश्तर कि वह अपने खर्चे में कमी करें। यह जरूर है कि हम में से वे लोग जो आज जरा खुशहाल जिन्दगी बसर करते हैं जो आज आराम की जिन्दगी बसर करते हैं अपने आराम में कमी करें और उस आराम में कमी से जो बचत होती हो अपने राष्ट्र के निर्माण में लगाया जाय। मैं जानता हूं कि इन बातों का हिन्दुस्तान के सरमायेदारों पर कोई खास असर नहीं होगा। वह तो कैपिटल फारमेशन (capital formation) पूंजी बनाने के लिये बचत की जरूरतों को जरूर महसूस करते हैं लेकिन वह उस बचत को मजदूरों की तनख्वाह में कमी कर के और मजदूरों में कटनी-छटनी करके निकालना चाहते हैं। यही वजह है कि जब नासिक में कांग्रेस ने वेलफेयर स्टेट (Welfare State) के आदर्श का प्रस्ताव मंजूर किया और इस प्रस्ताव के अन्दर मजदूरों की बहबूदी की तरकीब बताई तो हिन्दुस्तान के सब सरमायेदारों, जिस में कांग्रेसी लीडर, श्री नलिनी रंजन सरकार भी शामिल थे, ने इस वेलफेयर स्टेट के प्रस्ताव की मुखालिफत की और उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रस्तावों से मजदूरों के अन्दर एक नयी आशा पैदा होती है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। शायद

[प्रोफ़ेसर मुकुट बिहारी लाल]
सरमायेदारों की मुखालिफत की वजह से ही जब चन्द महीने बाद बंगलौर में कांग्रेस ने अपना इलेक्शन मैनीफैस्टो (election manifesto) तैयार किया तो उसमें वेलफेयर स्टेट की कोई चर्चा नहीं की।

यह तो साफ जाहिर है कि सरमायेदार हमेशा मजदूरों की मजदूरी को कम करने पर जोर देते हैं और मजदूरों के कष्टों को दूर करने वाले प्रस्तावों का विरोध करते हैं, लेकिन अपने आराम में कमी करने के लिये तैयार नहीं हैं। वह समझते हैं कि जो उनकी आमदनी है वह उनकी मेहनत का नतीजा है या उनकी खुशक़िस्मती का नतीजा है। वे यह भूल जाते हैं कि जो कुछ उनकी आमदनी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा समाज की देन है। मजदूरों के सहयोग का परिणाम है जिसके बिना सरमायेदारों के लिये मुनाफा जमा करना नामुमकिन है। हमें क़ानून बना कर सरमायेदारों को इस बात पर मजबूर करना होगा कि वे राष्ट्र की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आराम पर बर्बाद करने के बजाय उसको राष्ट्र के निर्माण के कार्य में लगायें।

लेकिन आज हमारे सामने जो सवाल है वह मन्त्रियों के वेतन का है। आज हमारे मंत्रिमंडल में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी की लड़ाई को लड़ा और मुल्क की आजादी के लिये कुर्बानियाँ कीं। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में उन्होंने सादगी की जिन्दगी बसर भी की। उनके लिये आज भी यह सम्भव है कि वे सादी जिन्दगी बसर करें और सादी जिन्दगी का एक नमूना मुल्क के सामने पेश करें। जब मंत्री खुद सादी जिन्दगी बसर करेंगे तभी वे सारे राष्ट्र से सादी जिन्दगी बसर करने के लिये माँग कर सकेंगे। मुझे और इस सदन के सब माननीय सदस्यों को मालूम है कि जब सन् १९२० में महात्मा गाँधी ने कहा कि जो कपड़ा देश में होता है वही कपड़ा हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिये। तब इसके जवाब में लोगों ने यह कहा कि हमारे देश में तो इतना कपड़ा नहीं होता है जो सबके लिये काफ़ी हो इस पर उन्होंने कहा था कि हमको इतना कपड़ा पहनने की जरूरत कौन सी है। एक धोती, एक कुर्ता और एक मामूली टोपी से काम चल सकता है वे इस बात को कहने के साथ ही साथ खुद भी एक मामूली लंगोटी में समाज के सामने आते थे। जब समाज ने देखा कि हमारा इतना बड़ा नेता एक लंगोटी में रह सकता है तो देश के बहुत से लोगों ने अपनी बड़ी-बड़ी क़ीमती पोशाकें पहनना छोड़ दी और मामूली कुर्ता और धोती पहनने लगे।

तो आज भी वह वक्त आ गया है कि जब देश की जरूरत को महसूस करते हुये, हमारे जो बड़े-बड़े नेता सादगी का नमूना राष्ट्र के सामने पेश करें। उनके लिये ऐसा करना नामुमकिन नहीं है क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिन्दगी का बहुत बड़ा हिस्सा सादगी में ही गुजारा है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि हमारे सामने जो विधेयक है, उस विधेयक में एक ऐसी तरमीम जरूरी है कि जिसके जरिये हम सारे राष्ट्र के सामने यह बता सकें कि राष्ट्र निर्माण के लिये, देश की जरूरतों को महसूस करते हुये, वे लोग जो अपनी काबलियत के लिहाज से या अपने पदों के लिहाज से, जो ऊंची तनख्वाहों के हक़दार हैं, वे भी ऊंची तनख्वाहें न लेकर सिर्फ गुजारे के लिये जिन्दगी बसर करने के लिये कम वेतन लेने को तैयार हैं। जब यह होगा तभी इस सदन के सदस्य और मिनिस्टर कह सकेंगे और बड़े गर्व तथा अभिमान के साथ कह सकेंगे कि वे अपने राष्ट्र का रुपया ऐशो-आराम में खर्च नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको राष्ट्र की धरोहर समझ कर इसे राष्ट्र-निर्माण के काम में लगाते हैं। आज जो देश की हालत है, उस हालत को देखते हुये कौन है, जो यह कह सके कि किसी शख्स को या किसी परिवार को एक हजार रुपया कम है और उससे उनका गुजारा या खर्चा नहीं चलता है और कौन कह सकता है कि उनको एक हजार रुपये से ज्यादा खर्च करने का हक़ है, जिस वक्त कि इस देश में लाखों

रिफ्यूजीज (refugees) हैं और जो अच्छे-अच्छे परिवार थे वह आज यहाँ गुजारे के लिये मुहताज हैं। जिस वक्त इस देश में लाखों और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं और जिनको अपने बाल-बच्चों के पालन के लिये कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, जब कि देश के अन्दर लाखों ऐसे मजदूर हैं और लाखों ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास साधन भी नहीं हैं कि वह जीवन निर्वाह के लिये, दो जून यानी दो समय अन्न भी प्राप्त कर सकें। ऐसे वक्त में एक परिवार के लिये हजार रुपया कोई ज्यादा कम चीज नहीं है और मैं समझता हूं कि यदि हम सादी जिन्दगी को बसर करने के लिये तैयार हैं और कम से कम कुछ वर्षों के लिये ऐशोआराम के जो सामान हैं उनसे अपने को वंचित रखने के लिये तैयार हो जायं तो हम एक हजार के अन्दर सुख की जिन्दगी बसर कर सकते हैं और अपने बच्चों का पेट भी पाल सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपने बच्चों को ठीक तौर से तालीम भी दे सकते हैं। जब मैं एक हजार रुपया कहता हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि एक हजार कहीं से लें और एक हजार कहीं और इस तरह से कई ढंग से कई हजार रुपया मासिक की अपनी आमदनी करें। यहाँ पर सवाल उठेगा कि जब आप किसी को मिनिस्टर बनाते हैं तो उसका वेतन निश्चित करते समय उसकी निजी जायदाद का प्रश्न क्यों उठाते हैं, मैं तो उसके जवाब में पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हम किसी को उसकी काबिलियत की तनख्वाह नहीं देते हैं बल्कि उसे जिसे मंत्री बनाते हैं उसके जीवन निर्वाह का प्रबन्ध कर सकते हैं। अगर हम देश के मंत्रियों को देखें तो हमारे देश में बहुत से ऐसे मिनिस्टर मिलेंगे कि एक हजार क्या कई हजार भी दें तब भी उनकी काबिलियत में उजरत नहीं ला सकते हैं। मैं जानता हूं कि इस देश में बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कि बड़ी बड़ी आमदनियों को छोड़कर मिनिस्टरी की है। पर सवाल यह है कि क्या राष्ट्र उन्हें उनकी क़ाबिलियत की उजरत दे सकता है और क्या देश की आर्थिक दशा को ध्यान में रखे बगैर ऐसा कहना भी उचित होगा जब कि देश के अधिकांश लोगों के पास जीवन-निर्वाह के साधन नहीं हैं हम राष्ट्र के सेवकों को जीवन निर्वाह का ही प्रबन्ध कर सकते हैं। १९ वीं सदी के फ्रान्स के एक बड़े विद्वान लुई ब्लाक ने हमें बतलाया है कि हमारी काबिलियत हमारे कर्तव्य का मापदण्ड है, हमारी काबिलियत हमारे हक़ों का मापदण्ड नहीं है। यह बातें और दूसरे विद्वानों ने भी कही हैं और महात्मा गाँधी ने भी बार बार इस बात को दुहराया है। श्री मद्भागवत में भी एक जगह कहा गया है, "प्रियते जठरम् तावत् हि सत्वम् ही देहिनाम्" इसके अनुसार जितनी चीजों की हमें जरूरत है उतना ही हमारा हक़ है और उससे अधिक माँगने वाला जो है उसका कार्य निन्दनीय है। इसके लिये भी जोरदार शब्दों में श्रीमद्भागवत में कहा गया है और उसको दोहराने की ज़रूरत से मैं बचना चाहता हूं। तो इन तमाम बातों को देखते हुये मेरा यह विचार है कि अब इस बात की जरूरत है कि मिनिस्टर साहबों के वेतन में और कमी की जाय और मिनिस्टरों के रहन-सहन के ढंग में और सादगी लाई जाय। यदि ऐसा हुआ तो राष्ट्र के नौजवानों को शान रखने की ख्वाहिश पैदा न होगी और राष्ट्र के नौजवान सादगी की जिन्दगी बसर करने में अपना गौरव और अपना सम्मान समझेंगे। मुझे अब एक बात और कहना है और वह डिप्टी मिनिस्टर्स के मुताल्लिक़ है। अब तक हमारा काम मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज से चलता रहा और मैं समझता हूं कि आगे भी हमारा काम मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज से चल सकता है इसलिये मेरे विचार में यह जो और डिप्टी मिनिस्टर्स को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे डर है यदि हमने मिनिस्टर्स भी बढ़ाये, डिप्टी मिनिस्टर्स भी बढ़ाये और पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज भी बढ़ाये तो इस प्रदेश के जनमत पर इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं होगा। हम सबने चुनाव में हिस्सा लिया है और हम सब जानते हैं कि चुनाव के मौक़े पर क्या क्या एतराजात हुये हैं। उन एतराजात को ध्यान में रखते हुये यह जरूरी है कि हम अपना काम मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्रीज से ही चलायें और डिप्टी मिनिस्टर्स को बढ़ाने का ख्याल न करें। इन लफ्जों के साथ मैं अपनी तक़रीर ख़त्म करता हूं।

Maharaj Kumar Dr. Vijaya of Vizianagaram : Mr. Deputy Chairman, Sir, I should have thought that a Bill of this kind would go through in two minutes and there would be no opposition at all. Criticism of this Bill is merely for criticism's sake and nothing else. It is a case of—if I may say so—the grapes being sour. Sir, let us take the case of our Chief Minister, Pandit Pantji, who was the Leader of the Bar in Kumaun commanding a flourishing practice. He was earning thousands and thousands a month, and he gave it up for the sake of the country. For instance there is the Minister for Justice, who is here in this House piloting this Bill, is a Barrister-at-Law and had a roaring practice at Lucknow. It was he who introduced the Bill and accepted a paltry sum of Rs. 1,200 as salary. Personally, I would like to call it honorarium, rather than salary. It is nothing but sacrifice and when I say that this Bill should have gone through in two minutes, I meant every word that I had said. Much has been made about Gandhiji's Rs. 500. Well, if Gandhiji could be brought back to life, he would be horrified to see how things have gone up in prices, four times and five times of what they were when he was alive. Rs. 1500 were actually paid to Hon'ble Ministers when Gandhiji was alive. Although he made it an ideal, he did not lay down any hard-and-fast rule. We must bear in mind the changing circumstances. Well, may I put it to you this way that Ministers cannot live on fresh air alone. We have got to keep up certain appearances and Rs. 1,200 is not a matter over which we should quarrel.

Now, Sir, putting it to you in another way a person of your position and dignity when somebody comes to see you, you offer him *Sharbat*, you offer him cold drinks, and some smoke and so on. These things also count and when you reckon things at the end of the month, they go into three or four figures. Similarly, when Ministers are on tour, various people come to them, call on them and sometimes people come as a matter of fact to disturb their peace. Well, it is just courtesy that you offer them a drink, a cigarette, this thing and that thing. Well, they cost a lot and when you begin to look at it from that angle, Rs. 1,200 is hardly sufficient.

Criticism of this kind, Sir, could as well be styled as 'Pennywise and pound foolish.' There will be many other occasions later on when our friends can suggest various cuts under various heads of the Budget and not grumble now and take serious notice of this Rs. 1,200. To make it a plea for ridicule in the Lower House and then again in the Upper House, I think, is hardly proper. And furthermore, what I have to say is this, that there are about 8 or 9, I am not quite sure of the number, in the Cabinet who are lawyers and they would, if they go back to the bar today, earn thousands. It is very hard on them, for us to say that they are making no sacrifice. Those who sacrifice know what they are doing but from the point of view of those who do not make any sacrifice but merely criticise and say that a salary of Rs. 1,200 is too much, conveys no meaning. So, with these few observations all I can say is that those who have opposed this Bill are those to whom I would say: 'the grapes are sour.'

With these few words, I resume my seat.

*श्रीमती शिवराजवती नेहरू--माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के वेतन के विषय में जो आज वादाविवाद चल रहा है यदि न चलता तो अच्छा होता। क्योंकि आज देश की महंगाई की हालत और मंत्रियों के पोजीशन को देखते हुये मेरी दृष्टि में तो १,२०० रुपये कुछ अधिक नहीं होते। हमारे समाजी भाई तो यह कहते हैं कि मिनिस्टर्स को केवल एक हजार रुपया मिलना चाहिए, इससे ज्यादा न मिलना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उनका तो यह भी कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की १,००० रु० की निजी आमदनी है तो उस व्यक्ति को बिना वेतन के मंत्रिपद का काम करना चाहिए। भला आप ही बतलाइये क्या यह कोई रीजनेबिल (reasonable) बात है। इसके माने तो यह है कि किसी योग्य व्यक्ति को आप मिनिस्टर होने से वंचित करते हैं। यदि कोई बड़ा अच्छा डाक्टर हो, बुद्धिमान पंडित हो या अच्छा रोज़गारी हो तो वह अपने कार्य को छोड़ कर बिना आय की मिनिस्ट्री (Ministry) पर जाकर क्यों बैठेगा। आज की मिनिस्ट्री फूलों की सेज नहीं है। मैंने अपने मिनिस्ट्रों को देखा है सुबह ६ बजे से लेकर रात को १२ बजे तक उनको फुर्सत नहीं मिलती। कहा जाता है कि मिनिस्टर्स आराम और चैन की जिन्दगी काटते हैं, लेकिन मैं आप को बताऊं कि जब मुल्क में गेहूं डेढ़ छटाँक मिलता था तो मैं अपने माननीय खाद्य मंत्री के यहाँ गई थी और मुझे ताज्जुब हुआ यह देख कर कि उनके यहाँ बाजरे और चने की रोटियाँ खाई जाती थीं। गेहूं की रोटी खाई भी तो एकाध खाली। इसी तरह से जब शकर का अकाल पड़ा हुआ था तब मैंने अपने खाद्य मंत्री के घर में जाकर देखा कि उनके यहाँ नौकरों ने इसलिए स्ट्राइक (strike) कर रखी थी कि उनका कहना था कि हम गुड़ की चाय न पियेंगे। जब उनको अपने यहाँ की स्त्रियों से मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि हम सभी गुड़ की चाय पियेंगे शकर की चाय न पियेंगे। तब मजबूरन उनके चपरासियों और रसोइयों को गुड़ की चाय पीनी पड़ी। आप अपने यहाँ के मजदूरों को सिर्फ ६ घंटे काम करने के लिए कहते हैं। लेकिन आज हम एक मिनिस्टर को जिससे हम १८ घंटे १९ घंटे काम लेते हैं उसको सिर्फ १२०० रुपया देते हैं। उनकी पोजीशन को देखते हुए १,२०० रुपये की रक़म कोई अधिक नहीं है।

मैं राजा और रंक को एक पंक्ति में बैठाना चाहती हूं तो उनको हजारों रुपये देने की क्या आवश्यकता है। हमारे देश में हजारों गरीब भाई ऐसे हैं जो सौ रुपये और पचास रुपये की आमदनी में गुजारा करते हैं। एक मिनिस्टर भी पचास रुपये में गुजारा कर सकता है, लेकिन आज समानता की बात कही जाय तो हमारे समाजवादी भाइयों का यह ख्याल है कि ऊंच वर्ग और नीच वर्ग में ज्यादे का अन्तर न हो। ऊंच वर्ग के लोगों की तनख्वाह नीच वर्ग के लोगों से ज्यादा न हो यही महात्मा गाँधी का सिद्धान्त था। हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रैक्टिस (practice) में दिखा दिया है। अंग्रेजी सरकार के जमाने में मिनिस्टरों को ६००० रुपया वेतन मिलता था। उनको मकान, बाग और पहाड़ पर जाने का खर्च मिलता था और फिर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उन्होंने कुछ हिन्दुस्तानियों को मिनिस्ट्री में लिया। यह वह जमाना था जब पंडित जगत नारायण, श्री चिंतामणि और नवाब छतारी मिनिस्ट्री में शामिल थे। उस समय उसको ६००० रुपया तनख्वाह मिलती थी। मैं पंडित जगत नारायण की लड़की हूं। मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूं कि श्री चिंतामणि ने खुद अपनी तनख्वाह में कटौती की। उन्होंने कहा कि हम ३००० रुपया वेतन लेंगे। वे लोग समाज वादी भाई नहीं थे। वे कांग्रेस के टुकड़े थे जो नरम दल के नाम से मशहूर थे, जिसको लिबरल पार्टी (liberal party) कहते थे। जब दूसरी कांग्रेस हमारे देश में बनी तो उस समय हमारी कांग्रेस सरकार ने उस ३००० को आधा करके १५०० रुपये अपनी तनख्वाह रखी। अब जब कि हमारी नई सरकार बनी है और जब उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली है तो उन्होंने ३०० रुपये की कटौती की। बराबर कमी का सिलसिला आ रहा है। इस तरह से आज नीच वर्ग के लोगों को देखिये

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

तो मालूम होगा कि जब मिनिस्टरों को ६००० रुपया मिलता था और जब जमाना सस्ते का था उस समय की तनख्वाह आजकल के १८००० रुपये के बराबर होती है। उस समय चपरासियों को ६ रुपया और १० रुपया वेतन मिलता था। श्रमजीवियों को चार और छः आन मजदूरी मिलती थी। सरकारी महकमे के लोगों को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। म्युनिसिपैलिटी के मेहतर को ६ रुपया या ८ रुपया तनख्वाह मिलती थी। आज उनकी जो तरक्की हुई है उसको आप देखें तो मालूम होगा। कांग्रेस राज के जमाने में एक चपरासी को ४५ रुपये और ६० रुपये तनख्वाह मिलती ह, जिनको चार आना और ६ आना मिलता था आज वे इतना कमाते हैं। आज सब की तनख्वाह में उन्नति हो रही है, और घरेलू जो मुलाजिम हैं उनका तो कहना ही क्या है। उनकी तो यह शान हो रही है कि कोई बैरा रखिये तो ४५ रुपये से कम में नहीं मिलता है। रसोइया ६० रुपये से कम में नहीं मिलता है। मैं कोई शिकायत नहीं करती हूं, मुझको तो इस बात का गर्व है कि काँग्रेस राज्य ही में यह सब बातें हुई हैं। एक तरफ तो हमारे समाजवादी भाई यह कहते हैं कि हमारा देश गरीब है। ५०० से ज्यादा किसी की तनख्वाह न होनी चाहिये दूसरी ओर कहते हैं कि जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह ढाई तीन सौ होनी चाहिये। अगर देश गरीब है तो इतना वेतन कहाँ से दिया जायेगा। क्या १२ मिनिस्ट्रों की तनख्वाह काट कर यह पूरा किया जा सकता है। अगर देश गरीब है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे समाजवादी भाइयों पर है। उसकी वजह मैं आपको बतलाऊंगी कि कैसे हमारे समाजवादी भाइयों पर देश के गरीब होने की जिम्मेदारी है। हमारे देश का धन क्या है। रुपया या नोट देश का धन नहीं है। देश का धन होता है कि कितना माल हम यहाँ से बनाकर बाहर भेज सकते हैं और बाहर से उनके बदले में चीजें मगाँ सकते हैं। घरेलू उद्योग धंधों में और कारखानों में चीजें बनाई जायं। यही हमारे देश का धन होता है। यहाँ हमारे समाजवादी भाई कारखानों में तीन तीन महीनों की स्ट्राइक करवाते हैं जिससे हमारे देश का प्रोडक्शन (production) कम होता है। उत्पत्ति घटती है। यही हमारे देश की बरबादी का कारण है। जिन भाइयों की भलाई के लिये आप यह दिखलाते हैं कि आप उनकी भलाई के लिये स्ट्राइक करवाते हैं उनका भी उससे कोई भला नहीं होता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरी यह समझ में नहीं आता है कि समाजवादी भाई चाहते क्या हैं। वह कहते हैं कि मिनिस्ट्रों को तनख्वाहें न दो। जमींदारों को जमीन का मुआवजा न दो। हमारे देश की जो पंचवर्षीय योजना है उसमें नुक्ताचीनी निकालते हैं। आप समझते हैं कि अगर यह योजना सफल हो जायगी तो इस सफलता का श्रेय काँग्रेस को मिलेगा और आप जो काँग्रेस के खिलाफ प्रोपोगंडा (propaganda) करते फिरते हैं जनता उसकी तरफ ध्यान न देगी। आप यह नहीं सोचते हैं कि अगर यह योजना सफल हो जायेगी तो देश में खुशहाली हो जावेगी। बेकारी दूर हो जावेगी। आपको यह बातें सोचकर इसमें सहयोग देना चाहिये। यह हमारा अभिशाप है कि आप मजदूरों को उनके हक तो बतलाते हैं लेकिन उनका जो देश के प्रति कर्तव्य है वह आप नहीं बतलाते हैं। इसी वजह से देश में बेचैनी है और दुख है। हमें उनको बतलाना चाहिये कि देश आज धनहीन है और देश की उत्पत्ति उनको बढ़ाना है। अगर आज कम तनख्वाह मिलती है तो उसमें ही काम करना है और जब देश की हालत अच्छी हो जावेगी तब हमें हक होगा कि हम उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिये माँग करें।

जब यह देश उन्नति कर जाय तो हुकूमत से आप अपनी मांगें लीजिये मगर पहले देश की तरक्की होने दीजिये। परन्तु होता क्या है? आप अपने देश को धनी बनाने के फेर में हैं। आप कहते हैं कि सारी रेलें बन्द कर दी जायं, डाकखाना और तार घर बन्द कर दिये जायं, देश का सारा काम बन्द कर दिया जाय, कोई काम देश में न होने पाये और देश का धन बढ़ जाय तो यह कैसे हो सकता है। केवल हमारे समाजवादी भाई यह चाहते हैं कि खाली आल इंडिया रेडियो (All-India Radio) और छापा खाने खुले रहें ताकि आपकी पब्लिसिटी

(publicity) होती रहे और छोटे छोटे लोगों की सहानुभूति आपके साथ रहे। मैं कहती हूं कि जब आप अपने देश को चौपट कर रहे हैं तो इससे कम्युनिज्म (communism) फैलेगा और आप केवल अपने अगले चुनाव की तैयारी कर सकेंगे। आप के प्रोग्राम (programme) में सारी चीजें डिस्ट्रक्टिव (destructive) हैं, कांस्ट्रक्टिव (constructive) कुछ भी नहीं हैं। हमारे मिनिस्टरों ने जो दो तीन सौ रुपये की कटौती की है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं, धन्यवाद अदा करती हूं। मैं चाहती हूं कि हम सब भाई बहन मिल कर इस बिल को पास करने में अपनी अनुमति दें।

श्री गोविन्द सहाय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं खूब समझता हूं कि हर किसी बिल पर विरोध या वादविवाद नहीं होना चाहिये और इस बात का ख्याल मैं खुद रखता हूं। मैं कुछ सुझाव पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर वे गवर्नमेन्ट को माकूल लगें या उनमें से जो भी उन्हें जचें उन्हें वह मंजूर कर सकती है। पिछले कुछ दिनों से इस हाउस में डिबेट्स (debates) का यह तरीका हो गया है कि ट्रेजरी बेंचेज (Treasury Benches) की तरफ से हर बिल के सिलसिले में तीन बातें बताई जाती हैं पहली बात अपोजीशन फार अपोजीशन्स सेक (opposition for opposition sake) की कहीं जाती है दूसरे यह कि कोई रचनात्मक सुझाव नहीं होते, तीसरे यह कि हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े बड़े योग्य लोग हमारी तरफ बैठे हैं, उन पर यकीन कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह ख्यालात ऐसे हैं जो हमको कमजोरी की तरफ ले जाते हैं। सही बात यह है कि अपोजीशन का हिस्टारिक रोल (historic roll) होता है। वह देखता है कि बिल में क्या खामी है और बिल में जो खामी होती है उसको दूर करने के लिये उसको प्वाइंट आउट (point out) करने के लिये वह होता है और सरकार को उसका स्वागत करना चाहिये। ख्वामख्वाह ऐसी बातें करने से अमूमन बहस भी तूल पकड़ लेती है। दूसरी बात यह कहना है कि हमने बड़ी घोर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यह सही बात नहीं है। वह एक नेशनल मूवमेंट (National Movement) था, हर कोई उसमें शामिल था। उधर के अलावा इधर के भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने काफी सैक्रीफाइसेज (sacrifices) कुरबानियाँ उस लड़ाई में की हैं इस लिये यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बार-बार यहाँ दोहराया जाय। यहाँ तो केवल यह होना चाहिये कि जो बिल आयें उन पर सालिड (solid) बहस हो। मैं इस बात की कदर करता हूं कि मिनिस्टरों ने खुशी से अपनी तनख्वाहों में कुछ कमी की है। यह दूसरी बात है कि चाहे वह आठ या दस रुपया की ही कमी हो लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वह खुशी से अपनी तनख्वाहें कम कर देना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया।

इसके लिये उनको मुबारकबाद मिलना चाहिये। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि वह तनख्वाह १२०० है या हजार है क्योंकि उन्हें जब खुद इतनी ताक़त मिली है तो छोटी छोटी बातों में उलझना कि २०० कम हैं या २०० ज्यादा हैं ठीक नहीं मालूम होता है। मुझे तो डिप्टी मिनिस्टरों के बारे में कहना है। अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि चूंकि हाउस का साइज (size) बढ़ गया है इसलिये डिप्टी मिनिस्टर बढ़ाये गये हैं तो क्या मैं यह समझूं कि मिनिस्टर हाउस को साइज पर बढ़ाये जाते हैं या स्टेट की ऐक्टीविटीज (activities) पर और काम पर बढ़ाये जाते हैं। यह जरूर है कि कुछ लोगों को इस तरह से रख कर ट्रेन (train) किया जाता है कि वह आने वाली मिनिस्टरी को संभालें। यह उसी तरह से होता है जैसे किसी टीम में दो चार फालतू आदमी रखे जाते हैं तो जरूरत पर खिलाये जाते हैं। एक तरफ तो आप मिनिस्टरों की तनख्वाह घटा रहे हैं दूसरी तरफ जो पारलियामेन्ट्री सिक्रेटरीज (Parliamentary Secretaries) को पे (pay) मिलती थी उसमें २५० रुपया बढ़ा रहे हैं। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि पिछली दफा जब पारलियामेन्ट्री सिक्रेटरीज मुकर्रर हुये तो बजाय इसके कि कुछ वह वह सीखते एक कशमकश ऐडमिनिस्ट्रेशन (administration) में बढ़ी। उनको कोई

[श्री गोविन्द सहाय]

इक्जेक्यूटिव राइट्स (executive rights) नहीं थे और मैं अपने तजुर्बे की बिना पर यह भी कह सकता हूं कि मिनिस्टर्स अब जितने मुकर्रर हुये हैं उतने मुहकमें नहीं हैं और न उतना काम है। मुझे भी गवर्नमेन्ट में रहने का मौका मिला है और मेरे पास उस जमाने में ४ डिपार्टमेन्ट्स थे। मैं उन सब मोहकमों का काम भी करता था और घूमता फिरता भी था। अब इस बार १२ मिनिस्टर्स रखे गये हैं। पहले ६ मिनिस्टर और कुछ पारलियामेन्टरी सिक्रेटरीज थे, उस जमाने में एक नये राज का ख्याल था और नई नई उम्मीदें थीं। पहले काम भी बहुत बढ़ा था। रिफ्यूजीज का काम और दूसरे काम बढ़ गये थे। जितना उस जमाने में काम था उतना आज नहीं है। एक तरफ तो काम कम है और दूसरी तरफ मोहकमों के बढ़ाने की टेन्डेन्सी (tendency) होती जा रही है। मोहकमें बढ़ते चले जाते हैं और साथ साथ तनख्वाहें भी बढ़ती चली जाती हैं। इस तरह से आप खर्च भी बढ़ा रहे हैं और अपनी पार्टी के अन्दर तशादुद भी बढ़ा रहे हैं। अगर डिप्टी मिनिस्टर ही रखना था तो ५०० रुपया उनके लिये काफी होता। अभी मुख्य मंत्री ने बख्शी तालाब के भाषण में कहा कि लोगों की जिन्दगी में आइडियालिज्म (idealism) नहीं है। जो बातें श्री मुकुट बिहारी लाल ने और डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने कही हैं वह आप पार्टी की ताकत से हटा सकते हैं लेकिन वास्तव में वे बिलकुल ठीक हैं। लीडरशिप की जिन्दगी का बहुत बड़ा असर जनता पर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग सेवा करना सीखें तो जरूरी है कि आप भी वही चीज जरूर करें जिनको आप चाहते हैं कि लोग करें ताकि यह न कहा जा सके कि इस बात की कमी है। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे सुझाव को मान सकते हैं और अगर जरूरी हो तो उनके अन्दर आइडियालिज्म पैदा किया जाय। अभी पे (pay) की चरचा की गई है। मिनिस्टर के लिये पे (pay) का कोई सवाल नहीं उठता। अगर पे के लिये सिर्फ मिनिस्टर होता है तो मैं कहूंगा कि बहुत से आप को ऐसे मिलेंगे जो यह कहेंगे कि हम ५ हजार उलटे देते हैं हमको मिनिस्टर बना दिया जाय। दुरभाग्य से हम बहुत सी बातें कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में हमें तो इस इन्स्टीट्यूशन की जरूरत इस वक्त नहीं है। और कम से कम मैं तो इस की कतई जरूरत नहीं समझता हूं, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के काम में कनफ्लिक्ट (conflict) और ज्यादा बढ़ता है। पिछले सालों का मुझे तजुर्बा है और मेरे साथियों को भी तजुर्बा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से पेचीदगियां बढ़ी हैं। मिनिस्टर जब यह देखेंगे कि इस पर तो डिप्टी मिनिस्टर का नाम लिखा है तो वह जरूर कुछ न कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करेगा जो कि हर हालत में ठीक नहीं हो सकता है। इस तरह से पार्टी में भी एक तरह की कशमकश पैदा होती है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशेन्सी (efficient) बढ़ने के बजाय कम होती है। मैंने तो एक बहुत ही मुनासिब सुझाव आप के सामने रख दिया है कि मुनासिब यही होगा कि आप इस तरह का इन्स्टीट्यूशन न रखें।

दूसरी बात इस बिल में कन्वेयेन्स (conveyance) के बारे में है। यह सही है कि इन लोगों को काफी भागना दौड़ना पड़ता है। आफिशियल (official) और अनेक तरह के नान आफिशियल (non-offiicial) कामों में जाना पड़ता है। पिछली बम्बई गवर्नमेन्ट ने इस के बारे में यह किया कि मिनिस्टरों को कार का अलाउन्स (allowance) दे दिया। इस से काफी इकोनामी भी होती है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि कोई मिनिस्टर यह नहीं चाहेगा कि स्टेट का पैसा बेकार खर्च हो मगर फिर भी इसमें बेतहाशा इकोनामी (economy) हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह कहां तक ठीक है कि कोई यहां से देहरादून तो रेल गाड़ी में जाता है मगर उसकी कार खाली यहां से गाड़ी में भेज दी जाती है और वह स्टेशन पर उनके जाने पर खड़ी रहती है। यह बात बिलकुल मुनासिब नहीं है। अगर कभी मौका आयेगा तो इस पर पूरी तरह से कहूंगा। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि इस किस्म

की बातें हुई हैं। अगर यह चेक (check) होता कि किस तरह से पेट्रोल खर्च किया जा रहा है तो अच्छा होता। इसलिये मेरा यह संशोधन होगा कि जहां मिनिस्टर्स को स्टेट की तरफ से कार दी जायं वहां कुछ अलाउन्स दो या तीन सौ रुपया उनको दिया जाय। आप ही देखिये कि एक मिनिस्टर जाता तो रेल गाड़ी से है और उसकी मोटर अलग गाड़ी से जाती है इस तरह दुगुना खर्च हो जाता है। इस से बेहतर तो यह है कि मिनिस्टर स्वयं कार से हो जायं। अभी देश को आजादी मिली है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि इस तरह से खर्च किया जाय। इसलिये हमें अच्छी तरह से चलना चाहिए जिससे वे लोग यह समझें कि हमने जो कुछ मुमकिन था वही देश के लिये किया। अभी एक बहस यह थी कि सोशलिस्ट पार्टी ने मुल्क को तबाह किया या कांग्रेस ने गलत काम किया। मैं तो इस बारे में यही कहता हूं कि हर एक को काम करने का काफी मौका है। मगर मैं तो यह देखता हूं कि देश की सेवा के नाम पर लोगों ने आपस में एक तरह की नफरत बढ़ाने की बात सोच ली है। मुझे अफसोस है कि जिनके हाथ में जिम्मेदारी है वह इस बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तो यह चाहिए था कि इस तरह का वातावरण पैदा किया जाय जिससे एक दूसरे को समझने में ज्यादा आसानी होती। मैं समझता हूं कि इस हाउस के मेम्बरान जो इधर बैठे हैं और उधर भी बैठे हैं उन में से किसी ने देश भक्ति का ठेका नहीं लिया है। इंगलैन्ड में अगर चर्चिल की सरकार बनती है तो इसके माने यह नहीं हैं कि वहां की लेबर पार्टी अनपैट्रयाटिक (unpatriotic) है और अगर लेबर पार्टी के हाथ में हुकूमत आती है तो इस के माने यह नहीं हैं कि कन्जरवेटिव पार्टी अनपैट्रयटिक है। डेमोक्रेसी (democracy) में सब से पहली चीज ईमानदारी है। इस में हमारी बुरी नीयत नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने जो सुझाव रखा है वह प्रैक्टिकल (practical) व्यावहारिक तरीके से सही है ट्रेजरी बेन्चेज में भी बड़े-बड़े काबिल आदमी हैं और लीडर भी हैं, आप मुझे यह बतायें कि जब जरूरत ही नहीं है तो कन्फ्यूजन (confusion) बढ़ाने का मौका ही क्यों दिया जाय। जब डिपार्टमेन्ट बढ़ाने के बजाय तोड़े जा रहे हैं और टैक्स इकट्ठा नहीं हो पा रहा है तो ऐसी हालत में आप टैक्स पेयर्स (tax-payers) पर क्यों बोझा डालते हैं।

इस ख्याल को प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें। यह सही बात है कि इसका जिन्दगी पर असर पड़ता है। जो लोग मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर हैं उनका अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए जो दूसरों के सामने एक आदर्श हों। मुझे चार साल का गवर्नमेंट में रहने का तजुर्बा है। पहले मैं फर्स्ट क्लास में चलता था फिर सेकेन्ड क्लास में चलने लगा। इससे मैं खुद यह समझता हूं कि लाइफ में एक असर पड़ता है। मैं इस बात को समझता हूं कि आपके रहन-सहन का असर चाहे आप पर न पड़े लेकिन आपके लड़कों पर जरूर पड़ता है। जिन्दगी के दो पहलू होते हैं एक आइडिलिज्म (idealism) और दूसरा प्रैक्टिकल (practical)। मुझे इस बात का तजुर्बा है कि जब आई-डियलिज्म और प्रैक्टिकल लाइफ मिल जाती है तो जीवन में एक अच्छी व्यवस्था क़ायम हो जाती है। मैं आपकी नियत पर शक नहीं करता हूं। मैं आपसे अपने तजुर्बे की बात कहता हूं कि एक पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी पर ८०० या १२०० रुपया खर्च होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी और जो मुतफ़र्रिक़ खर्चे हैं जैसे टेलीफोन स्टाफ, घूमना इत्यादि तो इन सब खर्चों को मिला कर क़रीब ४०, ४५ हजार के हो जाता है। मिनिस्टर्स को दूसरों के सामने एक आदर्श रखना चाहिए और ये जो डिप्टी मिनिस्टर रखे जा रहे हैं वे रुपये के लिये नहीं बल्कि मुल्क की खिदमत करने के लिये रखे जा रहे हैं। उनको जो मेम्बर की हैसियत से २०० रुपये दिये जा रहे हैं इसके अलावा उनको २०० या ३०० रुपये और दे दिये जायं। मेरे यही दो सुझाव हैं एक तो मिनिस्टर्स की पे में कमी और दूसरे उनके कन्वेन्स अलाउंस (conveyance allowance) में कमी।

श्री कुंवर गुरुनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब कि इस भवन में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन पर बहस हो रही है, मैं भी अपने विचार रखना

[श्री कुंवर गुरुनारायण]

चाहता हूं। मैंने जो भी तक़रीरें हुईं, उनको सुना और सुनने के बाद इस राय पर पहुंचा कि इस विधेयक पर कोई खास मुखालिफत किसी भी दल की नहीं है। प्रो० मुकुट बिहारी लाल जी ने कुछ सुझाव रखे और वह इस तरीक़े से कि मंत्रियों का रहन-सहन सादा होना चाहिये, ताकि जनता आकर्षित हो सके यह ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल सही और वाजिब हैं और इसके खिलाफ कोई चीज कही नहीं जा सकती है। मेरा अपना विचार है कि जब हम यह उम्मीद करते हैं कि मंत्रियों से हम पूरे तौर से काम लें, जब हमें यह उम्मीद होनी चाहिये कि हम अगर कोई भी उनके कामों में नुक्स पावें उनके तरीक़ों में नुक्स पावें तो हमको पूरा अधिकार हो कि हम उनके कामों को सार्वजनिक तौर पर निन्दा करें तब यह भी जरूरी हो जाता है कि हम ऐडमिनिस्ट्रेशन (administration) की क्षमता रखने के लिये उनको सहूलियतें भी दें। जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है उसमें दोही तीन बातें हैं, एक तो मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन जो रक्खा गया है, वह कितना हो और इसके अलावा उनको दी जाने वाली कन्वेन्स (conveyance) और फार्निश्ड हाउसेज (furnished houses) यही तीन चीजें हैं जो इसमें रखी गई हैं। जहां तक वेतन का सम्बन्ध है मेरा अपना विचार ऐसा है जैसा कि मैंने हिसाब लगाया है और जैसा अभी माननीय सदस्या यहां पर कह रही थीं कि पिछले गवर्नमेंट में ६ हजार, साढे ६ हजार के करीब मंत्रियों का वेतन खर्च सब मिल करके होता था और मैं यह समझता हूं कि वैसे तो इस बिल में आपने १२ सौ रुपया रक्खा है और पिछले जो मिनिस्टर होते थे वह जो कुछ भी हो, ४ हजार या ५, साढे पांच हजार, लेते थे और उस हिसाब से वही वेतन क़रीब क़रीब अब भी मिनिस्टरों का पड़ता है। तो जो भी रक़म हो, वह खुले रूप में देना चाहिये। उसमें कुछ भत्तों में अलग निकाल दिया और कुछ और मदों में अलग निकाल दिया और वेतन के रूप में केवल हजार या १२ सौ रुपया रक्खा तो इस तरीक़े की चीज नहीं होनी चाहिये। मैं तो इस चीज का भी समर्थन करूंगा कि अगर आप खुलमखुल्ला यह कहें कि मिनिस्टरों का वेतन ३ हजार, साढे ३ हजार या ४ हजार होना चाहिये तो मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वेतन दिखलाना केवल हजार या १२ सौ, और वेतन के तरीक़ों में लेना ४ हजार या ५ हजार, यह तो मैं अनुचित समझता हूं और मैं समझता हूं कि जनता के सामने यह चीजें आना चाहिय हम जानते हैं कि मिनिस्टरों के सामने कितने काम होते हैं और सबको यह भी ख्याल है कि हमारे शासन क़ायम नहीं रह सकती जबतक मिनिस्टरों को दिमागी शान्ति न मिले तो इसलिये अगर हम ४ हजार या ५ हजार मिनिस्टरों का वेतन दिखलाते हैं और खुलमखुल्ला देते हैं तो वह ज्यादा मुनासिब है, बमुक़ाबिले इसके कि हम हजार या १२ सौ वेतन दिखलायें और वास्तव में कई गुना खर्चा हो।

इसके अतिरिक्त अभी मेरे मित्र श्री गोविन्द सहाय जी ने डिप्टी मिनिस्टर्स के सम्बन्ध में कहा। मेरा अपना ख्याल है कि डिप्टी मिनिस्टर्स का मिनिस्टरों के साथ होने की जरूरत है और इसलिये जरूरत है कि मंत्रियों के पास बहुत से काम हैं। अगर आप इस उसूल को मानते हैं कि जो मिनिस्टर्स होंगे वे राजनैतिक क्षेत्र में रहकर कार्य करें और राजनैतिक दल में भी उतना ही कार्य करें और उतना ही वे शासन का भी कार्य करें तो यह कैसे हो सकता है और इसी हैसियत से हमें किसी न किसी को मिनिस्टरों के साथ रखना है कि वैसे भी मिनिस्टरों के पास बहुत से काम हैं। बहुत सी जगहों से और देहातों से भी शिकायतें आती रहती हैं कि मिनिस्टर साहब के यहां से उनका काम नहीं बना क्योंकि उनके पास असीमित चीजें इस समय हैं। वे सब काम ठीक से संभाल भी नहीं सकते हैं अगर वास्तविक रूप से देखा जाय तो इस चीज की जरूरत है कि हम डिप्टी मिनिस्टर्स को मिनिस्टरों के साथ नियुक्त करें, अगर राजनैतिक दलों और दूसरे राष्ट्र के कामों में मिनिस्टर्स को हिस्सा न लेना पड़ता तो ऐसी सूरत में मैं कह सकता था कि डिप्टी मिनिस्टर्स की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब तक ऐसा न हो यह बहुत ही जरूरी है कि डिप्टी मिनिस्टर्स का एप्वाइन्टमेन्ट (appointment) हो और

उसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। हम जनता की तकलीफ़ों को जानते हैं और हमें उनकी तकलीफ़ों को दूर भी करना है तो जबतक उनकी हर बात न सुनी जाय तबतक उनकी तकलीफें दूर नहीं हो सकती। मुझे उनकी तनख्वाह के मुतालिक़ कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उनका वेतन अधिक न हो और हम उनको ट्रेनिंग का मौक़ा दें और उनकी ट्रेनिंग मिनिस्टर्स के ढंग पर हो और जो भी काम वे करें उसमें उनका और जनता का संबंध हो। मैं यह चीज़ मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जबतक राजनैतिक दल में मिनिस्टर्स रहे भी तो उपमंत्रियों की कोई जरूरत ही नहीं होगी, इस बिल की बहस मैंने असेम्बली में सुनी। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही इनोसेन्ट (innocent) बिल है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हमारा सिद्धांत्तिक एतराज हो। जहां तक उसमें कन्वेन्स (conveyance) आदि को बात रखी गई हैं उसको भी हम रोक नहीं सकते हैं। इस मौक़े पर मंत्रियों के ऊपर जो खर्च होता है उस पर ज्यादा कहना ठीक भी नहीं है। वह जब बजट का मौक़ा आयेगा तो उस वक्त हाउस को अधिकार होगा कि मिनिस्टरों के खर्च के सम्बन्ध में कहें और उस वक्त उसकी आलोचना करें। मुझे इसके अतिरिक्त और कोई खास बात नहीं कहना है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तक़रीर को समाप्त करता हूं।

श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन के सम्बन्ध में जो बिल इस सदन के सम्मुख उपस्थित है उसके संबंध में मुझे कुछ बातें कहनी हैं। जो स्पीचेज़ (speeches) अबतक हुई हैं उनसे तो मैं यह समझा कि सिर्फ दो बातें हैं जिन पर एतराज किया गया है। एक तो यह कि बिल में मंत्रियों की तनख्वाह ज्यादा है, बजाय १२ सौ के एक हज़ार मासिक होना चाहिये। दूसरी बात यह कि डिप्टी मिनिस्टर्स का इन्सटीटयूशन (institution) ही नाकारा है और मुनासिब नहीं है और अगर उसको स्थापित किया जाना ही निश्चित किया जाय तो वेतन कम कर दिया जाय। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसमें अगर मंत्रियों का वेतन १ हज़ार के बजाय ८ सौ रख दिया जाता तो भी यह कहा जाता कि वह ज्यादा है, ५ सौ हो होना चाहिये और अगर ५ सौ रखा जाता तो कहा जाता कि २५० होना चाहिये और अगर २५० रखा जाता तो कहा जाता कि आनरेरी काम करना चाहिये। इस सिलसिले में मैं कहूंगा कि—बायसे तसकीं न था, बागे जहां का कोई रंग, जिस रविश पर मैं चला आखिर परेशां हो गया। लोग ऐसे हैं जो चैन नहीं लेने देते। जैसे एक किस्सा है कि एक गदहे पर एक बाप और बेटा बैठे थे तो लोगों ने एतराज किया कि देखो तो गदहे को मारे डालते हैं उसके बाद जब वह उतर पड़ा और लड़का बैठ गया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लड़के को देखो कि अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद बैठा है। अगर एतराज सिर्फ एतराज की बिना पर किया जाता है तो बहस की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन महाशय ने कहा कि वेतन १२ सौ के बजाय १ हजार होना चाहिये तो क्या वह बता सकेंगे कि यह कौन सा साइन्टिफिक (scientific) हिसाब है, यह किस प्रकार का कैलकुलेशन (calculation) है कि हजार में काम चलना चाहिये और १२ सौ ज्यादा है। जिस स्टेज (stage) पर आप हैं उसमें मंत्रियों का प्रस्तावित वेतन से कम लेना कोई आदर्श विशेष नहीं हो सकता है क्योंकि प्राइवेट इन्टरप्राइज (private enterprises) कहीं अधिक पैदा करते हैं और कितने हो वे लोग जो मंत्रियों की मातहती में काम करते हैं उनसे अधिक वेतन पाते हैं। पहले प्राइवेट इन्टर-प्राइजर्स की आमदनी सीमित की जावे फिर मंत्रियों के नीचे काम करने वालों का वेतन, फिर मंत्रियों का नम्बर आवे तो वह देश के हित में है। केवल मंत्रियों के कम से कम वेतन में कटौती करने का अर्थ है गाड़ी को घोड़े के सामने रखना। फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि जिन मंत्रियों द्वारा प्रदेश का करोड़ों रुपया खर्च होता है, उन पर हम इसके

[श्री शिव सुमरन लाल जौहरी]

लिये विश्वास भी करते हैं। उन्हीं मंत्रियों की उस बात पर हम विश्वास नहीं करना चाहते जो उनसे सम्बन्ध रखती हैं अर्थात् हम उनकी इस ईमानदारी पर सन्देह करते हैं कि उन्हें अपना खर्च चलाने को १२ सौ रुपया मासिक की आवश्यकता है इस प्रकार काम कैसे चल सकता है। अभी एक दोस्त ने बताया कि चुनाव के मौके पर इस बात का बड़ा क्रिटिसिज्म (criticism) रहा कि तनख्वाह ज्यादा मिलती है। मुझे भी इलेक्शन का तजुर्बा है। पालिसीज (policies) पर तो बहस हुई थी लेकिन मैंने कोई ऐसी जगह नहीं पाई जहां इस बात पर बहस हुई हो कि पंथ जी को क्या तनख्वाह मिलती है और दूसरों को क्या मिलता है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे उक्त मित्र किस क्षेत्र विशेष में काम कर रहे थे जहां उन्हें मंत्रियों के वेतन पर टिप्पणियां सुनने को मिलीं। क्या जो मिनिस्टर यहां पर बनाये गये हैं वह चुन कर नहीं आये हैं उन्हें क्या एहसास पब्लिक विचारों का नहीं है। उन्होंने पब्लिक को रीड (read) करने की कोशिश नहीं की ह। मैं समझता हूं कि जिन्होंने एतराज किया है यह अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे। एक माननीय सदस्य का यह कहना है कि डिप्टी मिनिस्टर्स के होने से कशमकश होने का अंदेशा है। हवाई जहाज इसलिये बनाये जाते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो जाय, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा सकें और चिट्ठी पत्री भेजी जा सकें लेकिन जब उन्हीं हवाई जहाजों से बम भी गिराये जाते हैं तो क्या इससे यह समझ लिया जाये कि हवाई जहाज बेकार हैं। उनका बनाया जाना बन्द कर दिया जावे। क्या यह बात हमारे, हमारे देश और संसार के हित में होगी ? इस तरह कशमकश बढ़ने के बारे में कैबिनेट की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि काम ठीक तरह से हो और कशमकश न पैदा हो। हां, एक बात यह भी कही गई कि इस भवन के बढ़ने से कोई काम नहीं बढ़ा मैं इससे सहमत नहीं होता हूं। मिनिस्टर जो हैं वह पब्लिक के नुमाइन्दे हैं और पिछली दफा २२८ की असेम्बली थी तो हर मेम्बर अपने जिले की बातें लेकर मिनिस्टर से बातचीत करता था और अगर मिनिस्टर उनसे बातचीत करने का समय न दें तो एक मिनिट भी काम नहीं चल सकता है। अब जब असेम्बली में ४३१ आदमी हैं और ४३१ आदमियों से उनको इन्टरव्यू (interview) करना है तो मैं कहता हूं कि यह भी काम बढ़ना है। इसके अलावा अपोजीशन (Opposition) का हमेशा यह हमला रहा है कि गवर्नमेंट इनएफिशियेन्ट है। ऐडमिनिस्ट्रेशन (administration) बड़ा करप्ट (corrupt) है। मैं कहता हूं कि आप उनको मौका नहीं देना चाहते एफिशियेन्सी लाने का आप उनको मौका नहीं देना चाहते कि अपनी मशीनरी को एक्सपैंड (expand) करके एफीशियेन्सी (efficiency) लायें। अगर आप चाहते हैं कि वाकई एफीशेन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन (efficient administration) हो, उसके अन्दर जो खराबियां हैं वह दूर हों तो आप को आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। मैं तो समझता हूं कि बहुत से ऐसे विभाग भी हैं जहां सर्विसेज (services) के आदमी भी बढ़ाने पड़ेंगे। डिप्टी मिनिस्टर्स के मुताल्लिक एक बात यह भी कही गई कि उनकी जरूरत नहीं है। उनके रखने से कशमकश बढ़ जायेगी, यह भी मुनासिब नहीं है। और फिर लौट फेर कर उसी जगह पर आगये और कहा कि अगर डिप्टी मिनिस्टर्स रखने की जरूरत ही महसूस की जाती हो तो उनकी तनख्वाह कम करदी जाये। लेकिन मेरा कहना है कि आप कौन सा साइन्टफिक (scientific) उसूल रखना चाहते हैं उनकी तनख्वाह कम करने का। आइडियलिज्म (idealism) की भी बात कही गई। मैं कहूंगा कि केवल यह समझना कि अपोजीशन (Opposition) ही आइडियलिज्म (idealism) का कायल है और इधर के बैठने वाले आइडियलिज्म को नहीं मानते, निहायत गलत और बेबुनियाद होगा। मैं सदस्यों से भी यही कहूंगा कि इस तरह के बिल पर कोई बहसमुबाहिसा न होना चाहिए बल्कि इसे तो मामूली तौर से यों ही स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए में भी माननीय सदस्यों से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि हम इस

बहस के किसी भी दो पार्टियों के बीच की बहस न बनाकर सारी बहस को इस निगाह से देखें कि वास्तव में जो बात हमारे सूबे के लिए हितकर है उस पर सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों ही ध्यान रखें। इस बात में मैं गोविन्द सहाय जी से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी बात अगर सरकारी पक्ष से आती है तो हमारे दिल में यह भावना न आनी चाहिए कि चूंकि हुकूमत के लोग बहुत आरामतलब हो गए हैं, देश के लोगों को आज भूल गए और इस लिए अपनी खुदगर्जी की वजह से वह इस तरह की बातें पेश करते हैं। इसी तरह से मैं यह चाहूंगा कि अगर विरोधी पक्ष की तरफ से कोई बात पेश की जाती है तो सरकारी पक्ष को केवल इस निगाह से न देखना चाहिये कि फलां व्यक्ति फलां पार्टी की ओर से बोल रहा है इसलिए उसका आक्षेप करना काम ही है। अगर इस निगाह से सरकारी पक्ष विरोधी पक्ष की प्रत्येक बात पर विचार करेगा तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हम असली समस्या से हटकर बहुत दूर चले जायेंगे। मैं यह बात स्पष्ट कह दूं कि १२००, ५०० और २५० रु० की बहस कोई ऐसी बहस नहीं है जिससे हमारे बजट पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ सकता हो। जहां करोड़ों रुपये की आमदनी हो, करोड़ों रुपये का खर्च हो वहां आप कह सकते हैं कि २०० रु० की बात उठाना बिल्कुल बेकार है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यह बहस हम इसलिए उठाना चाहते हैं कि यही मौका है कि हम जिस नीति पर चलना चाहते हैं उसके संबंध में अपने अपने विचार भवन के सामने पेश करें। यहां प्रश्न केवल आंकड़ों का नहीं है। सवाल यह है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। कौन सा आदर्श हम देश के सामने पेश करना चाहते हैं। जैसा कि कहा गया यह सही बात है कि गांधी जी लंगोटी लगाकर रहते थे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। बहुत से खद्दरधारी होते थे लेकिन गांधी जी ऐसे महान क्यों थे। वही एक युद्धक्षेत्र में आये। गांधी जी ने आदर्श रखा था कि किसी भी व्यक्ति से कुरबानी मांगने से पहले हम आदर्श पेश करें। जब हम स्वयं आदर्श पेश करेंगे तभी हम दूसरे से आदर्श मांग सकते हैं। उनका एक लंगोटी पहनना जनता की गरीबी का प्रतीक था। जहां कहीं जायें, दुनियां समझ सके कि किस तरह से यह गरीब व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम इस देश में इस बात की अपील करते हैं और माननीय मंत्री जी भी अपील करते हैं कि राष्ट्र संकट में है। अध्यापकों को तनख्वाह देने के लिये पैसा नहीं है, चपरासियों को तनख्वाह देने के लिये पैसा नहीं है इसलिये जनता से अपील की जाती है कि वह कुरबानी करें। हमारे प्रधान मंत्री जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र के सामने ऐलान किया कि हमने गरीबी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। हम पूरे भरोसे के साथ पूरी कुरबानी के साथ और पूरी कोशिश के साथ गरीबी को मिटाने के लिये एक प्रयत्न देश में करेंगे। ये चीजें बार-बार हमारे नेताओं की तरफ से कह दी जाती हैं। आज उसका देश में कोई प्रभाव नहीं है। इसकी वजह यह है कि बड़ी बात जब हम पेश करते हैं तो उसकी तरफ हम पूरा ध्यान नहीं देते हैं। तो लोग समझते हैं कि यह राष्ट्र की बातें नहीं हैं। कभी मिनिस्टर कहते हैं कि हम चोरबाजारुओं को फांसी दे देंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल यह प्रचारात्मक बातें हैं। हमारे सामने जो मौलिक प्रश्न है वह यह है, आया देश के अन्दर हम जब कभी रोजमर्रा ऐसी बातें कहते हैं कि गरीबी मिटायें, भुखमरी मिटायें और नये समाज के निर्माण के लिये हम समूचे राष्ट्र को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब यह आदर्श हमारे सामने पेश किया गया तो माननीय मंत्री जी से मैं अदब से कहूंगा कि हमारे मुल्क की हालत जो आज है यह क्यों है? उसकी कोई वजह होनी चाहिये। हमारे पास जमीन है, हमारे पास आदमी हैं, हमारे पास दौलत है और हमारे पास अक्ल है। इन बातों के होते हुये भी अगर कहीं खराबी है तो इस पर विचार करना चाहिये। आपने समाज का जो ढांचा बनाया है उसमें आप देखते हैं कि जो दौलत है उसमें असमान वितरण है। जिसमें ऊपर के थोड़े से लोग आराम से रहते हैं लेकिन जहाँ नीचे की तरफ जायें तो हाहाकार मचा हुआ है। आप नहीं सुनेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं

[श्री राजाराम शास्त्री]

कि बाहर की जो शाँति दिखाई देती है उससे भय मालूम होता है। हम देखते कि कोई अराजकता नहीं है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच हमारा शासन अच्छा है और लोग हमारी नीति से संतुष्ट हैं। आप सोचते हैं कि जनता ने वोट हमको दिये हैं। इसके माने हैं कि हमारा राज्य अच्छा है। जब कभी पब्लिक को गुस्सा आता है तब अपने दिल का गुस्सा और भावना हमारे प्रति, देश के शासन के प्रति जो व्यक्त करते हैं उनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि कोई बड़ा भारी कदम राष्ट्र ने नहीं उठाया तो हमारा राष्ट्र एक महान भूकम्प की ओर जायेगा।

जिसका नतीजा हमारे राष्ट्र के लिये बुरा होगा। मुझे वह दिन याद आते हैं जब हम और आप मुझे उपाध्यक्ष महोदय यह कहते हुये गर्व होता है कि हम और हमारे वह भाई जो ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हुये हैं दोनों ने साथ-साथ जीवन काटा ह। जेलखाना काटा ह। उनसे पहिले भी मिलते थे और आज भी मिलते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि आपको जो आदर्श पेश करना है वह पेश करिये। आपने कुर्बानी की है। आप आज भी मुसीबतें बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आपने ध्यान नहीं दिया और एक परम्परा छोड़ गये तो थोड़े दिनों के बाद हमारे और आपके बाद जो जेनरेशन (generation) आयेगी वह गांधी युग की नहीं होगी जिसने कुर्बानियाँ की हैं वह स्वराज्य के युग की पली हुई जेनरेशन होगी। आज के हमारे माननीय मंत्री एक मामूली से मकान में भी रह सकते हैं और महल में भी रह सकते हैं लेकिन वह जो जेनरेशन होगी उसका दृष्टिकोण बदला हुआ होगा। आने वाले मिनिस्टर सोचेंगे कि हमको पहिले के मिनिस्टरों से अच्छ बगंले लेना चाहिये ताकि मालूम हो कि अब देश की हालत पहिले से अच्छी है। मुझ जब देश की बात याद आती है तब बड़ा दुख होता है। जब यह कहा जाता है कि पहिले चपरासियों की तनख्वाह इतनी थी और अब इतनी है, क्लर्कों को पहिले सिफ इतना मिलता था और अब इतना अधिक मिलता है और इसका श्रेय दिया जाता है काँग्रेस मिनिस्ट्री को। लड़ाई का जमाना आया और चीजों की मंहगाई हो गई। इसीलिये ज्यादा देने के लिये मजबूर हो गये। दर असल सही बात तो यह है कि जितनी मंहगाई बढ़ी है उतनी अधिक तनख्वाह उनको नहीं दी जाती है। पहिले अगर १० रुपया मिलता था और अगर आज उसकी जगह २५ रुपया मिलता है तो पहिले के दस रुपये आज के २५ रुपये से कहीं ज्यादा थे। रुपये की तादाद को देखकर यह कहना कि आज चपरासियों और अध्यापकों की हालत अच्छी हो गई है बिल्कुल गलत बात होगी। अभी बजट का मौका आयेगा और अगर चपरासियों और अध्यापकों का सवाल उठाया जायेगा तो यही कहा जायेगा कि खजाना खाली ह। लेकिन मिनिस्ट्रों, डिप्टी मिनिस्ट्रों और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का सवाल आयेगा तो कहेंगे कि यह तो बहुत कम लिया जा रहा ह। कोई कोई तो कहता है कि हमारे मिनिस्टर बाजरे की रोटी खाते हैं, रात को १२-१२ बजे तक काम करते हैं। यह सब ठीक है लेकिन जो बात आप मिनिस्ट्रों की बाबत सोचते हैं वही बात चपरासियों और अध्यापकों की बाबत भी सोचिये। यह क्या कि आप अपने बाबत तो कुछ और सोचते हैं और उन लोगों की बाबत कुछ और सोचते हैं। पहिले जब अंग्रेजों के वक्त में कोई मिनिस्टर या गवर्नर साहब से मिलने के लिये जाता था तो बन्दूकधारी सिपाही मिलते थे जो कि उन अंग्रेजों की रक्षा करते थे। लेकिन आज कल जब हम मुख्य मंत्री से मिलने जाते हैं या गवर्नर साहब से मिलने जाते हैं तब बन्दूक धारी सिपाही "हाल्ट, हू कम्स देयर" (Halt who comes there) कह कर हमारे सामने आ जाता है।

अगर बन्दूकधारी हमारे सामने न आ जायं तो क्या मुख्य मंत्री की श्रद्धा हमारे दिल में कम हो जायगी। पंडित गोविन्द वल्लभ पंत की श्रद्धा अगर है तो इसलिये कि वे देश के नेता रहे हैं उन्होंने बड़ी-बड़ी देश के लिये कुरबानियाँ की हैं वे एक योग्य व्यक्ति हैं अगर इस तरह की चीजें हटा दी जायं तो क्या उनकी शान में कोई कमी आ सकती है? यह चीजें तो

अंग्रेजों के लिये ठीक थीं क्योंकि वे मुट्ठी भर आदमी थे उनको डर था कि कभी उनकी जान खतरे में आ सकती थी उस समय वह लोग अपनी हिफाजत के लिये अपनी शान को कायम रखने के लिये जो कुछ करते थे ठीक था। उस समय गवर्नर से मिलना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। उस वक्त के मंत्रियों में मिलने में लोग अपना फख्र समझते थे लेकिन आज का जमाना और कुछ है। आज के मिनिस्टरों की इज्जत इसमें है कि वे सीधे-सादे ढंग से रहें, उनका रहन-सहन बहुत मामूली हो और मैं देखूं कि वे अमीनाबाद में अकेले कुल्फी की दूकान पर कुल्फी खा रहे हैं। उनके साथ कोई अर्दली न हो, उनके बंगलों पर संगीनों के पहरे की कोई जरूरत न हो। अगर वे कायदे से सीधे ढंग से रहें तो उनका खर्च इस से बहुत कम में ही आसानी से चल सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप से कहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि माननीय मंत्री लोग १२०० रुपया वेतन लें। जो वे लेते हैं या लेना चाहते हैं उसे न लें। मैं चाहता हूं कि उनके रहन-सहन का जो तरीका है उसको वे बदल दें उसमें कमी कर दें जिससे उनका खर्चा इस से भी कम में चल सकता है। बाजार में जायं तो अगर चपरासी इनके साथ न हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जब तक हमारे मंत्रियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उस वक्त तक उन्होंने बड़ी-बड़ी कुरबानियाँ कीं, मामूली-मामूली काँग्रेस कमेटियों के दफ्तर छोटी-छोटी जगहों पर होते थे और वे भी उसी तरह से रहते थे लेकिन आज यह कहा जाता है कि जब तक इतने इतने बंगले न हों, मिनिस्टरों के आगे पीछे चार चार अर्दली न चलें, बन्दूकवाले बंगलों पर पहरा न दें, उनकी शान में कमी आ जायगी कहाँ तक यह मुनासिब है मैं इसे नहीं मान सकता। मेरा अपना विचार है कि आप अपना नजरिया बदल दीजिय, रहन-सहन का तरीका बदल दीजिये फिर आप देखेंगे कि यही पब्लिक आप के पीछे इससे अधिक कुरबानी करने को तैयार हो जायगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गाँधी जी ने हरिजन अखबार में २१ सितम्बर सन् १९४५ ई० को एक छोटा सा नोट लिखा था कि हमारे मिनिस्टर लोग कैसे रहेंगे। उनके पास बहुत से लोग शिकायत करते थे कि इस सम्बन्ध में आप का क्या विचार है। इस विषय को लेकर गाँधी जी ने एक लेख लिखा था उसमें ऐसा लिखा था :

" I have before me quite a number of letters fiercely criticising what they consider to be their luxurious life. The lesson that I draw from them is that the critics expect much more from these chosen servants of the people than from others in the way of simplicity, courage, honesty and industry. In this matter we cannot imitate the English rulers of the past, except perhaps in industry and discipline.

उनके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ और उन्होंने ने यह नोट लिखा कि अगर कोई ब्रेक (brake) न लगाया गया अगर रोक थाम न की गयी तो उन्हें डर था कि अंग्रेजों के बाद हमारे अफसर उनकी नकल कहीं न करने लग जायं। अगर अंग्रेजों की नकल करना है तो उनके परिश्रम और दूसरे गुणों की नकल करें, रहन-सहन की नकल न करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से एक बात कहना चाहता हूं।

इसमें पार्टी या दूसरे ख्याल से न सोचिये। ईमानदारी के साथ सोचिये। हम आप अपने हृदय पर हाथ रख कर पूछें कि आज हमारे यू० पी० में कोई गवर्नर अंग्रेज नहीं है लेकिन क्या अंग्रेज के जमाने में रहन-सहन के और इन गवर्नरों के बंगलों में या सेक्रेटेरियट में कोई अन्तर पड़ा। आज अंग्रेजों की जगह पर हिन्दोस्तानी बैठे हुये हैं तो क्या सड़क पर कोई चलनेवाला व्यक्ति यह समझता है कि यह हमारा गवर्नर है। मैं चाहता हूं कि हमारी मनोवृत्ति विदेशी न होने पावे। हमें अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ काम करना है। रुपयों का कोई सवाल नहीं उठता। आपको १२०० लेना है तो १५०० ले लीजिये लेकिन सवाल इस बात का है कि जो रुपया आपको दिया जाता है उसको आप किस तरह से खर्च करते हैं। आपका दृष्टिकोण क्या है। आज आपका दृष्टिकोण शासकों

[श्री राजाराम शास्त्री]

जैसा है। हम कोई भी ऐसी बात इस भवन में इस भावना से नहीं कहते कि हम आप जुदा हैं। हम कोई बात विरोधी भावना से नहीं कहते हैं। मैं साफ कहता हूं कि कल आपकी जगह अगर सोशलिस्ट मिनिस्ट्री आती है और उसका यही दृष्टिकोण और यही बंगले रहते हैं तो चाहे मुझे सोशलिस्ट पार्टी छोड़ना पड़े लेकिन मैं साफ बात कहूंगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं विरोध की भावना से कोई बात नहीं कहता हूं। हमने गरीबी के खिलाफ जेहाद बोला है। हम रोज जनता से कुरबानी की अपील करते हैं। आप कहते हैं कि कुल दो सौ रुपयों का फर्क है। मुझे इस बात के कहने में खुशी है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता है। आपकी इस बात की तारीफ है कि आपने एक मियार बाँधी है। हम समझते हैं कि जिस तरह से जमींदारों के लिये आज आपने तय किया है कि ३० एकड़से अधिक नहीं रख सकता है उसी तरह से इसके लिये भी वक्त आ सकता है कि आप इस बात के लिये कहें कि कोई मिल मालिक इससे ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकता है या कोई अफसर इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं ले सकता है। आप मेरी बात को अभी न मानिये लेकिन एक दिन वह आयेगा कि आपको यह बात माननी पड़ेगी आज ट्रेजरी बेन्चेज का हर मेम्बर कम्यूनिज्म की बात कहता है। मैं कम्यूनिज्म की बात नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एक न एक दिन कम्यूनिज्म यहाँ ही पैदा होकर आयेगा रूस या किसी दूसरे देश में नहीं आयेगा। सवाल आता है आदर्श का। अब देखना है कि आप खून की क्रान्ति से परिवर्तन करेंगे या डिमोक्रेटिक परिवर्तन करेंगे यह नहीं हो सकता है कि एक तरफ तो स्वर्ग का जीवन रहे और दूसरी तरफ नरक का। परिवर्तन आपको करना ही पड़ेगा। आप केवल इस बात पर ध्यान दीजिये कि क्या आप समझते हैं कि इस बात को करने से भी काम अच्छी तरह से चल सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो उसी दृष्टि से कीजिये। आपके आफिसेज (offices) चाहे कितने ही बड़े होते, लेकिन अगर पंचबंगलियों को छोड़ कर आप झोपड़ियों में रहते और सिर्फ काम करने पंचबंगलियों में जाते तो इसका बहुत बड़ा असर जनता पर पड़ता।

लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं और यह डुगडुगी पीटते हैं कि मिनिस्टरों के वेतन में कमी की जा रही है। जैसा की अभी गोविन्द सहाय जी ने कहा कि पहले मिनिस्टर १२०८ रुपये लेते थे और अब १२०० रु० ही लेंगे तो क्या बड़ी भारी आपने कुरबानी की है। हां, यह मैं जानता हूं कि देश के लिये आपने कुरबानी की है, लेकिन आज तक इसकी आपने कोई डुगडुगी नहीं पीटी थी लेकिन आज रोज रोज यही बहस की जाती है और हम पर असर डाला जाता है कि हमने तो इतनी बड़ी भारी कुरबानी की है, फिर भी तुम पर इसका असर नहीं पड़ता है लेकिन मैं फिर कहता हूं कि क्या यही गांधी जी के आदर्श का पालन है? गांधी जी थर्ड क्लास में जाते थे, जब कि उस जमाने के थर्ड क्लास में और आजकल के जी० आई० पी० के थर्ड क्लास में बहुत फर्क है। आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं, वह महात्मा जी की भावना को लेकर कीजिये, तब आप को मालूम होगा कि आप कहां हैं? हमारे मिनिस्टर जब जनता के सामने जायं तो जरा अपने चपरासी को छोड़कर जायं और तब देखें कि देश की जनता कितनी कुरबानी करने को तैयार है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा न कहेंगे कि समाजवादियों ने यह किया और वह किया तथा देश को तबाह और बरबाद किया। मैं तो यह चाहता हूं कि आप सचमुच सेवा के भाव से काम करें। आपने और हमने एक साथ देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी है। यदि आप देश की सेवा के लिये कोई भी काम करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हर तरह से हम हुकूमत के साथ रहेंगे। लेकिन जब ख्याल आता है और जब हम देश के प्रति इस भावना से कहते हैं तो वह आप को कांटा सा लगता है। लेकिन जहां तक हमारी नीयत का सवाल है, वह आप के सामने स्पष्ट है और मैं आशा करता हूं कि आप इस का ख्याल करेंगे।

वित्त मंत्री—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, अभी तक इस विधेयक पर जो तकरीरें हुईं उनमें से सबसे पहली तकरीर प्रोफेसर साहब की हुई है। मैंने उस तकरीर को सुना और

चाहे यह बात सही न समझें जो मैंने इखलाकन इस नीयत से सुना और उससे सबक हासिल किया। इस को सुनने के बाद मेरे दिल पर जो असर हुआ उस को इन अल्फाज में मुख्तसर तौर पर जाहिर कर दूं। प्रोफेसर साहब ने बहुत सच कहा, दिल से कहा और नेकनियती से कहा। जो भी बात आज सुनता हूं वही बातें मैंने गवर्नर के ऐड्रेस के बहस के दिन भी सुनी। उस तरफ से यह भी कहा जाता है कि इस तरफ के बैठने वाले यह समझते हैं कि यह महज मुखालिफत की वजह से है। मैंने उस रोज भी इस ऐवान में ऐसा कहा था और उसमें अर्ज किया था और फिर अदब के साथ अर्ज करता हूं कि यह बात नहीं है। मैं गवर्नमेन्ट और गवर्नमेन्ट के मेम्बर इस नीयत से सुनते हैं और दिल से सुनते हैं कि हमको कुछ जवाहरात मिलेंगे, कुछ काबिले कद्र चीज मिलेगी और वह काबिले कद्र चीजें हमारी तवज्जह खुदबखुद अपनी तरफ खींचेंगी। इसलिये कि उनका नेचर (nature) होता है कि वह अपनी तरफ खींचें। यह ख्याल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यह समझ कर यह तकरीर महज मुखालिफत की वजह से की गई है, इस वजह से नजरअन्दाज कर दी जाती है, सुनी नहीं जाती है। मैं यह कह सकता हूं कि बहुत से केस (case) एक्सेप्शनल (exceptional) होते ह और यह दुनिया का यूनिवरसल (universal) उसूल है। इधर से और उधर से बहुत सी तकरीरें हुई तो उनके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि अपोजिशन की तरफ से जितनी तकरीरें हुई उनका मकसद मुखालिफत करना ही था। जब सूरज सामने चमकता है तो यही कहा जायेगा कि सूरज चमक रहा है और दिन निकला हुआ है। मैंने प्रोफेसर साहब की तकरीर को बहुत गौर से सुना और मैं यह यकीनन कह सकता हूं कि उन्होंने एक सही सबक सिखाया। मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि वह एक काबिल शख्स हैं। मैं यह एक दिखाने वाली बात नहीं कह रहा हूं बल्कि जो मेरे दिल में ह, वही मेरी जबान पर भी है कि प्रोफेसर साहब एक काबिल शख्स हैं। उनसे हम लोगों को सबक लेना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं। प्रोफेसर साहब ने जो तकरीर फरमायी उसका मैंने एक ही नतीजा निकाला है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि जो तनख्वाह मिनिस्टर लेते हैं उनकी तादाद एक हजार रुपया होनी चाहिए उस हालत में जब कि उनके पास एक हजार रुपये की और कोई आमदनी न हो। जिन अल्फाज में प्रोफेसर साहब ने फरमाया, मैं उसका मकसद यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर इब्राहीम के पास एक हजार रुपये की कोई आमदनी है तो उसको नहीं चाहिए कि वह मिनिस्टर होकर एक हजार रुपया ले। इसके अलावा उन्होंने अपनी तकरीर में बड़े-बड़े आलिमों का भी जिक्र किया।

आपकी तकरीर काबिले तारीफ है। आपने अपनी तकरीर में महात्मा गाँधी का भी जिक्र किया। आज मैं इस ऐवान के सामने जनाब के जरिये से प्रोफेसर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बातें महात्मा गाँधी के बारे में बताईं, मैं उनको तसलीम करता हूं। लेकिन मैं उसके साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो मसला आज हमारे सामने है, तो अगर वह उनके सामने होता तो वे क्या करते ? उन्होंने और बड़े-बड़े आदमियों का भी जिक्र किया, जिससे हम जाती नफा उठा सकते हैं। हमसे मुराद इब्राहीम नहीं, बल्कि इस मुल्क के रहने वालों से है।

महात्मा गाँधी के इस उसूल से चाहे किसी ने कितना ही एख्तलाफ रखा हो, लेकिन बावजूद इस एख्तिलाफ के भी उसमें ऐसी हकीकतें हो गुजरी हैं कि उसको तसलीम करना पड़ेगा कोई उससे इन्कार नहीं कर सकता कि महात्मा गाँधी की ईजाद से इस मुल्क को नफा हुआ और इतना फायदा पहुंचा है कि शायद किसी भी मुल्क को पहुंचा हो। उनका उसूल इतना अच्छा था कि हम देखते हैं कि सन् १९३७ में कांग्रेस गवर्नमेन्ट कायम की गई थी और जब काँग्रेस ने दिल्ली में यह फैसला किया कि चूंकि काँग्रेस कसरत में आ गई है, मुन्तखिब हो कर, लिहाजा काँग्रेस यह फैसला मंजूर करे, कि अंग्रेज इस सूरत से जो भी फैसला

[वित्त मंत्री]

करे, तो कांग्रेस उसे कबूल करे, उस वक्त वहाँ वर्किंग कमेटी महात्मा गांधी के साथ काम करती थी और वही वर्किंग कमेटी मौजूद थी और उसमें यह पेश हो करके मंजूर होकर फिर ऐवान में पेश किया गया और मंजूर हुआ तो फिर इन बातों का क्या होगा, मसलन् मिनिस्टरों को तनख्वाह क्या मिलेगी तो सन् ३७ का ऐक्ट बना है जो मौजूद है। मैं इस बात का मुद्दई हूं और बिला खौफ व तरदीद के कहता हूं कि इस बात को महात्मा गाँधी ने कहा कि एक मिनिस्टर को ५ सौ रुपये तनख्वाह के मिलें और एक कार उसके चलने-फिरने के लिये मिले और एक मकान मय सामान के उसके रहने के वास्ते मिले तो यह तो उस वक्त की कीमतों में मुन्हसर था और वेजेज प्राइस (wages price) के मुताबिक थीं जो सन् ३७ में रायज थीं। एक रेजोल्यूशन (resolution) दुनियाँ में मशहूर था कि कांग्रेस के आज इस अमल में आने से पहले जो पास होकर देश में मंजूर हो चुका था कि कांग्रेस ने एहतियात मुकर्रर किया है कि इस मुल्क के अन्दर अगर किसी को ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिले तो ५ सौ रुपया मिलना चाहिये तो यह सब चीजें जो हुईं और मुकर्रर हुईं कि इतनी तनख्वाह ही यह सब इस रोशनी में हुई कि आज क्या खर्चा है। इस चीज पर हमारी कांग्रेस गवर्नमेन्ट आई, बनी और चली गई। अब उसके बाद सन् ४५ में एलेक्शन हो कर फिर कांग्रेस गवर्नमेन्ट सन् ४६ में आई। अब यह सवाल हुआ कि अब तनख्वाह क्या होगी। ५ सौ रुपये तो उस वक्त थी, जिस वक्त कि रुपया एक रुपये का था और आज जब एक रुपया चार आने का है तो आया वह ५ सौ रुपये तनख्वाह होगी या क्या तनख्वाह होगी। उस वक्त मकान, कार उस हैसियत से कायम रही जिस हैसियत से पहले कायम थी और उसके अलावा ५ सौ का तिगुना करके यानी १५ सौ रुपया एक मिनिस्टर की माहवार तनख्वाह मुकर्रर की गई है हालाँकि कीमतें उस वक्त से ज्यादा थीं, यह कोई कन्टेस्ट (contest) करने की बात नहीं है, मेरी जो भी बातें होंगी वह जस्टीफाइड (justified) रहेंगी। यह बात बहुत पुरानी थी और वर्षों की बात थी और वही आजकल मुकर्रर रहे, जो कि उस वक्त में मुकर्रर थी। सन् ३७ के ऐक्ट में और उसके बाद सन् ४६ के ऐक्ट में इस लेजिस्लेचर में जो यह पास हुआ तो यह उस वक्त की कीमतों की निस्बत से और लिहाज से उस वक्त के उसूल के मुताबिक मुकर्रर हुई। आज जो आपके सामने बिल है जैसे मेरे दोस्त कहते रहे हैं और मुझे यह मजबूरन कहना पड़ता है, कह तो मैं रहा हूं और बड़े अफसोस के साथ कहता हूं गोकि मेरे दोस्त यह कहते हैं कि हम इस नियत से नहीं कहते हैं और उस नियत से नहीं कहते हैं और मैं नहीं चाहता कि कहूं और किसी की नीयत को कहीं पर भी लगाया जाय। एक साहब ने बहुत मेहरबान मशविरा यह फरमाया कि हमें ८ रुपये छोड़ना चाहिये।

मतलब यह है कि यह ८ रुपये मैं क्यों छोड़ूं। इस चीज को बनाने वाले हम ही हैं तो इस तरह से आपका कहना कोई माने नहीं रखता। मैंने अपनी तकरीर में यह कह दिया है, अब मैं फैसला सुनने वालों पर छोड़ूंगा कि किस स्प्रिट (spirit) में और किस मकसद से वह कहा गया। मैं उसकी निस्बत कुछ नहीं कहना चाहता और न मैं मुद्दई इस बात का हूं। वैसे चाहे कोई इस बात को कह दे कि वह मिनिस्टर ८ रुपये तनख्वाह में से छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैं नहीं छोड़ रहा हूं और ८ रुपये क्या मैं उतना ही छोड़ रहा हूं जितना मैंने पहले छोड़ा था। मैं तो सिर्फ कानून इस भवन में लाया हूं और सोचता हूं कि हाउस इसको मन्जूर कर देगा, वैसे मैं अपनी तरफ से अलग हूं। मतलब यह है कि पहले १५ सौ रुपये थे और अब १२ सौ रुपये कर दिये गये हैं तो इसमें कमी तो वाकई की गई है और इतना हम सब छोड़ रहे हैं और मुझे भी इसे छोड़ना है लेकिन इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है। इस को किसी खास गरज से नहीं किया गया है बल्कि हमने जो दो-तीन साल का तजुर्बा किया है उससे अब हमने इतना वालेन्टरी (voluntary) कट किया है और यह कट इसलिये किया है कि इसके अन्दर भी हम जिस तरीके से गुजर करते रहे हैं वह हो सकता है। तो इसमें ८ रुपये की कमी का कोई सवाल नहीं है यह न डेढ़ सौ व दो सो रुपये की कमी का

सवाल है बल्कि यह वह सवाल है जिसकी असलियत को हमारे प्रोफेसर साहब ने बतलाया है। मैंने कहा कि प्रोफेसर साहब ने बतलाया है और मेरे दोस्त राजाराम जी ने एतराज किया और कहा कि हम महात्मा गाँधी के उसूल को भी देखें लेकिन हम अपनी आँखों के सामने देश की और दूसरे लोगों की कुर्बानियों को भी रखें। गाँधी जी की कुर्बानी को देखते हुये भी सब गाँधी जी की तरह नहीं हो सकते हैं। मैंने अपने दोस्त राजाराम जी को पहले भी इसी लिबास में देखा है और अब भी वे इसी लिबास में हैं तो इसके पहले कि किसी को वे ताकीद करें वे अपनी ओर भी देखें और हर एक को अपनी ओर देखना चाहिये। आज देश के अन्दर एक हजार आदमी हैं तो वे सब कैसे उसी तरह से बन सकते हैं और अगर वे बनें भी तो उनकी कदर नहीं होगी तो इस तरह से हर एक महात्मा गाँधी नहीं बन सकता है और आज जितने कमजोर इन्सान हैं वे यह सब नहीं कर सकते हैं। यह तो पब्लिक (public) लाइफ (life) है और इस तरह करने से हम पब्लिक लाइफ को सुखी नहीं बना सकते हैं।

यह गलत बात है, मुल्क के लिये मुजिर बात है यहाँ की पब्लिक लाइफ (public life) को इतना मुश्किल बना दें। आप ढूंढेंगे आपको आदमी नहीं मिलेंगे मुल्क की खिदमत करने के लिये। मैं समाजवादी और गाँधीवादी में मुल्क की मोहब्बत होने की हैसियत से और इन्सान होने की हैसियत से कोई फर्क नहीं पाता हूं लेकिन मैं दावत देता हूं कि ऐ हमारे समाजवादी भाइयो, तुम अपनी मिसाल से साबित कर दो कि हिन्दुस्तान तुम्हारे साथ होगा और हमारे साथ न होगा। मगर मैं करते हुये किसी को देखता नहीं। एक साहब ने कहा डिप्टी मिनिस्टर न हों और तर्जुबा उनका यह हुआ गवर्नमेन्ट में रह कर बाई एक्सपीरिएन्स (by experience) कि एक पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी (Parliamentary Secretary) के ऊपर ४,५०० रु० खर्च होता है और यह खर्च फिजूल है। मैं अब हुजूरवाला गवर्नमेन्ट में हूं और एकानामी (economy) खर्च में जो हो सकती है उसके लिये कुछ नहीं करता हूं कल मैं गवर्नमेन्ट का मेम्बर न रहूं और गवर्नमेन्ट से बाहर निकल कर यहाँ बैठ जाऊं और यह कहूं कि आप गवर्नमेन्ट में इस तरह से खर्च में कमी क्यों नहीं करते तो उससे क्या मतलब निकल सकता है। जिस वक्त मेरे ऊपर फर्ज था कि हम खर्च कम करें उस वक्त तो हम अपने फर्ज से गिर गये। तोबा, तोबा मैं कहना नहीं चाहता, कहना पड़ रहा है, जिस वक्त मेरी पाकेट टच (pocket touch) हो उस वक्त तो मैं यह सवाल उठाऊं नहीं और जब पाकेट का सवाल निकल जाय, तो मैं दुनियाँ के सामने उसको नंगा कर दूं।

श्री गोविन्द सहाय--आन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन (On a point of explanation)

वित्त मंत्री--डिप्टी चेयरमैन साहब, कायदा यह है कि जिस वक्त कोई मेम्बर बोल रहा है, अगर कोई माकूल बात होगी तो वह बैठ जायेगा और दूसरे को मौका मिलेगा कि बीच में बोल सके और अगर कोई अपनी स्पीच के बीच में नहीं बोलने देना चाहता तो कोई नहीं बोल सकता।

मेरे दोस्त ने फरमाया, वह मैं बतलाना चाहता था लेकिन बतला नहीं सकता हूं। मेरे दोस्त ने फरमाया कि मिनिस्टर्स के मकान पर पुलिस रहती है, मुख्य मंत्री के यहाँ भी रहती है और दूसरे मिनिस्टर्स के यहाँ भी रहती है। मैं एक शहादत पेश करने के लिये कह रहा था अगर आज अवेलेबिल (available) न होती तो मैं उसका जिक्र भी नहीं करता। एक तकरीर हुई यहाँ जब वह गवर्नमेन्ट में थे तो उनके घर पर भी थी, हू कम्स देयर (who comes there) वह अब नहीं है, आप के साथ है। मैं उनसे कहता हूं कि जिस जरूरत के मातहत पुलिस उनके घर पर थी, उसी जरूरत के मातहत और मिनिस्टर्स के घर पर है। पिछली बातें कुछ ऐसी हैं, जिनको मैं बयान नहीं करना चाहता, दूसरी बात यह है कि वह कह सकते हैं सिक्योरिटी मेजर्स (security measures) की बिना पर पुलिस रखी जाती है। अगर हमारे दोस्त राजाराम शास्त्री जी निजी तौर पर मुझ से पूछते तो मैं

[वित्त मंत्री]
शहादतें पेश करते, जिनसे उनको ख्याल होता कि शायद किसी मिनिस्टर के घर पर ऐसा होना मुफीद और जरूरी है ।

खैर उन्होंने मुझ से पूछा नहीं और उन्होंने यहाँ एतराज किया तो मैं इस एतराज का जवाब यहाँ पर दे रहा हूं। वह न तनख्वाह का जुज है और न खाने-कपड़े का जुज है न और किसी राहतो आराम का जुज है। इस वक्त मामला था तनख्वाह का। मेरे दोस्त राजाराम ने हम से हुक्म यह किया जिसको हम तामील करने को तैयार और अपने नजदीक हरदम करते रहे हैं साहब नेकनियती से हम आप की बात सुनेंगे और उसमें जो कुछ फायदे की होगी उस पर हमेशा अमल करेंगे। जो प्रोफेसर साहब ने इर्शाद फरमाया जिसे मैं वाकई काबिले कद्र समझता हूं उसकी निस्बत मैंने अर्ज किया फिर मैं उस बात की तरफ लौट रहा हूं। एक हजार रुपया उन्होंने तनख्वाह बताई। राजाराम साहब की निगाह में तो मकान भी गलत है इतना क्यों है। मकान बदल भी दिया जाय, मकान कम किराये का भी हो जाये झोपड़ियां भी बन जायें लेकिन ज्यादातर इस वक्त जो सवाल है, वह तो १२०० रु० का है। अच्छा तो यह होता कि यह तकरीरें जो इस वक्त हुईं वह उस तरमीम के मातहत होतीं जो इस मसले पर आने वाली होती मगर खैर इसी वक्त हो गई। इस मसले के मुताल्लिक तो मैं यह समझता हूं कि जो उसूल प्रोफेसर साहब ने बयान किया उसको मैं ले रहा हूं। जो महात्मा गाँधी ने हिदायत की और जो महात्मा गाँधी के सामने अमल हुआ और जिस तरीके से हुआ उसी के मुताबिक तनख्वाह ले रहे हैं। १२०० रु० हैं। २०० रु० ३०० रु० उसमें से कट गए कुछ इनकम टैक्स (income tax) में जाते थे बाकी हमने वालन्टरी (voluntary) कट कर दिया था १२०८ रु० उसमें से मिलते थे। हाउस उस पर गौर करेगा, समझेगा। अगर मुनासिब समझेगा उसको मंजूर करेगा अगर मुनासिब न समझेगा उसको मंजूर न करेगा। मैंने कोई बात राजाराम साहब की तकरीर में ऐसी नहीं पाई जिससे मैं यह समझता कि राजाराम साहब को १२०० रु० में एतराज है। दूसरी तरफ गोविन्द सहाय साहब बोल रहे थे उनका मकसद यह नहीं कि तुम १२०० रु० भी मत लो उन्होंने तो कहा कि डिप्टी मिनिस्टर तुम मत रखो। उन्होंने फरमाया कि उन्होंने अकेले ४ आदमियों का काम किया। उन्होंने ४ आदमियों का काम किया लिहाजा उसी तजर्बे की बिना पर वह यह समझ लें कि और भी आदमी जो आयेगा वह भी चार आदमियों का काम कर देगा, मुनासिब न होगा। हर एक आदमी से यह तवक्को करना कि चूंकि गोविन्द सहाय साहब चार आदमियों के बराबर काम करते थे लिहाजा वह भी चार आदमियों के बराबर ही काम करेगा, मेरी नजर में तो मुमकिन नहीं हो सकता। अब ऐसे आदमियों को कहाँ से तलाश करके लायें और उनको मिनिस्टर्स बनायें जिससे डिप्टी मिनिस्टर्स की जरूरत न रहे।

यह क्या है और किस तरह से होगा। मैं समझता हूं कि यह चीजें जो कही गई हैं कहने के के लिये उम्दा हैं और सुनने के लिये उम्दा हैं।

डिप्टी चेयरमैन--मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव पर काफी बहस हो चुकी है और समय भी काफी हो चुका है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्रियों व उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

डिप्टी चेयरमैन--कल ११ बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ५ बजे, ३१ मई, १९५२ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ,
३० मई सन् १९५२ ई०

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० २५ एल० सी०-१९५२- ८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५०)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
उमानाथ बली, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरुनारायण, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योतिप्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलूराम, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभुनारायण सिंह, श्री
प्रसिद्धनारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
बद्रीप्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारीलाल, प्रो०
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामकिशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामलखन, श्री
लालताप्रसाद सोनकर, श्री
विजय आनन्द आफ बिजयानगरम, डा० महाराजकुमार
विश्वनाथ, श्री
शान्तिस्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्तिदेवी, श्रीमती
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्यामसुन्दरलाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदयनारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अनसारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे--

माननीय श्री सैयद अली जहीर (न्यायमंत्री)
माननीय हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
माननीय श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)
माननीय श्री चरण सिंह (माल मंत्री)
माननीय श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
माननीय श्री मोहनलाल गौतम (स्थानीय स्वशासन मंत्री)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक।

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, को मेज पर रखता हूं। यह विधेयक उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा ३० मई, १९५२ ई० को पारित हुआ और उसी दिन यहां आया।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तरप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा संशोधित हुआ है, को मेज पर रखता हूं। यह विधेयक ३० मई, १९५२ ई० को असेम्बली द्वारा पारित हुआ और उसी दिन यहां आया ।

सदस्यों से समय की पाबन्दी के विषय में चेयर का अनुरोध

डिप्टी चेयरमैन—काम शुरू होने के कब्ल मैं यह चाहूंगा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों को १२ तारीख तक अपने एलेक्शन के खर्चे का हिसाब दे देना है। यह आखिरी तारीख है। इसलिये मेरी आप लोगों से इस्तदुआ है कि आप उतना ही समय लें जितना कि मुनासिब समझें। मैं यह नहीं चाहता कि कोई मेम्बर बोलने से रोका जाय, लेकिन यह बात मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिये ही कही है। क्योंकि अब समय कम रह गया है और हिसाब वगैरह तैयार करने के लिये कम से कम ५ या ७ रोज तो चाहिए ही। इस बात को आप लोग मामूली बात न समझें। तो मेरी इस्तदुआ है कि आप लोग अगर तकरीरों में कुछ कमी करें तो आप को भी सहूलियत होगी।

श्री प्रभूनारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन को पेश करने से पहले आपने जो नेक सलाह दी है मैं उस का आभारी हूं। वह आप के लिये भी उतना ही जरूरी है जितना कि मेरे लिये आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का विधेयक, १९५२ ई०

खण्ड २

मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन

२—(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मन्त्री को बारह सौ रुपया मासिक शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इन्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, १९२२ के अनुसार लिये जाने वाले आय-कर सम्मिलित नहीं होंगे।

(ख) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक उप मन्त्री को सात सौ पचास रुपया मासिक वेतन दिया जायगा।

श्री प्रभूनारायण सिंह—मैं मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स सैलरीज और एलाउन्सेज बिल में संशोधन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के स्थान पर यह रखा जाय कि :

"उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री को जिसकी निजी आमदनी १,००० रु० मासिक या उससे अधिक होगी कोई वेतन नहीं दिया जायगा। जिस मंत्री या मुख्य मंत्री की निजी आमदनी १,००० रु० मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी १,००० रु०मासिक हो सके"

इस संशोधन को पेश करते वक्त मैं उस उसूली बात पर विशेष नहीं कहना चाहता ...कि इस उसूली बहस पर हमारे माननीय प्रोफेसर साहब ने उद्देश्य के सम्बन्धों में कल इस ...न के अन्दर बहस जारी की और अपनी तकरीर के दौरान में इस बात को विस्तार पूर्वक

बताया। मुझे खुशी है कि इस बात को सदन के नेता माननीय हाफिज साहब ने माना कि प्रोफेसर साहब ने एक उसूली बहस को उठाया है। यह बात उन्हें पसन्द आई और उन्होंने यह उम्मीद भी जाहिर की कि शायद आयन्दा चलकर यह उसूल कामयाब हो।

वित्त मंत्री (माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, मैं आप को इत्तिला के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब ने जो कुछ फरमाया उसके माने यह नहीं है कि मिनिस्टर कोई तनख्वाह न ले।

श्री प्रभूनारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर साहब ने केवल एक उसूल की बात कही और उस को माननीय हाफिज जी ने पसन्द किया। मैं यह नहीं कहता कि उसूल को पसन्द करते हुये उन्होंने यह माना कि उस के मुताबिक मिनिस्टर्स की तनख्वाह होनी चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सी दिक्कतें बताईं मुश्किलातें बताईं, अपनी शंकायें जाहिर कीं। इस बात को कहते हुए उन्होंने कबूल किया कि विरोधी पक्ष के लोग उसूल की बात कह रहे हैं। यह हमारे इस भवन के लिये एक स्वस्थ वातावरण के तैयार होने की भूमिका है। अक्सर ट्रेजरी बेंचेज (treasury benches) की तरफ से कहा जाता है कि विरोधी पक्ष के लोग विरोध, विरोध के लिये करते है। लेकिन जब इस सदन के नेता ने यह बात कही कि यह उसूल की बात उठाई गयी है तो हमें सुन कर निहायत खुशी हुई। लेकिन इस बात को कहते हुए उन्हों ने यह कहा कि हमारे सामने दिक्कतें हैं, मुश्किलाते हैं। उन्होंने यह अन्देशा जाहिर किया कि अगर हम इस उसूल को मान लेते हैं तो शायद ऐसा हो कि अधिकतर लोग हमारे मंत्रिमंडल में ऐसे हैं जो ऐसी सूरत में आने के लिये तैयार न हों। माननीय मंत्री जी के ख्यालातों के साथ मैं अपने ख्यालातों को इकट्ठा नहीं कर पाया। मैं तो समझता हूं कि आज हमारे मंत्रिमंडल में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजादी के जंग व जहृत में हिस्सा लिया और बहुत सी कुरबानियाँ की। ऐसी सूरत में मंत्रिमण्डल के अधिकांश सदस्यों से यह उम्मीद की जाती है कि वह एक सादा जिन्दगी बसर करके जनता के सामने एक नमूना पेश करेंगे।

यदि मंत्रिमंडल में दो एक सदस्य ऐसे होंगे जो इस उसूल पर काम करना नहीं चाहते तो उनके स्थान पर दूसरे लोग लिये जा सकते हैं। आज दोनों भवनों को मिलाकर कांग्रेस के करीब ५०० सदस्य हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें दो चार सदस्य भी ऐसे नहीं होंगे जो कि सादी जिन्दगी बसर कर योग्यता के साथ मंत्रिमंडल के कार्य को चला न सकें। एक मंत्री की तनख्वाह १,२०० रुपया महीना रखी और साथ ही साथ उनकी निजी आमदनी हजार दो गयी है हजार रुपया महीना होती है। तो क्या वे यह १,२०० रुपया छोड़ कर अपनी जिन्दगी नहीं बसर कर सकते हैं? मुझे यकीन है अधिकांश लोग ऐसे हैं जो इस उसूल को मानने के लिये तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि यह उसूल ऐसा है कि इसको जरूर कबूल किया जाय।

माननीय हाफिज जी ने कल इस सदन में यह बात कही कि सन् १९३७ में गांधी जी जिन्दा थे। उन्होंने १९३७ में जो मंत्रिमंडल नें तनख्वाह रक्खी और साथ ही साथ जो और दूसरे साधन मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिये तय हुआ उसे माना था।

उन्होंने यह भी कहा कि सन् १९४६, में भी गाँधी जी जिन्दे थे और उनकी राय मंत्रिमंडल के तनख्वाह और दूसरे साधनों के सम्बन्ध में मुख्तलिफ नहीं थी।

मैं हाफिज जी की इस बात के सम्बन्ध में गलत बयानी नहीं कह सकता। मैं इस तरह की धृष्टता नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने कोई गलत बयानी की है, लेकिन समय-समय पर गांधी जी ने जो हरिजन में लेख लिखा थो जिसका एक दृष्टांत हमारे साथ राजाराम शास्त्री ने कल इस सदन के अन्दर सुनाया उससे यह मालूम होता था कि गांधी जी ने मंत्री मंडल का यह तर्जे अमल पसन्द नहीं किया। हाफिज जी ने यह भी कहा कि यदि गांधी जी आज मौजूद होते तो शायद वह इस बात को कबूल करते। महंगाई को देखते हुये हमारे मंत्रिमंडल की तरफ से जो यह रकम रखी गई है वह काफी मौजूं है। मैं ऐसा नहीं समझता,

[श्री प्रभुनारायण सिंह]
क्योंकि बापू को हमने देखा है, तथा उन के ख्यालातों से भी हम परिचित रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमने आजादी की लड़ाईयां लड़ी हैं। इस सिलसिले में हमने इस बात को महसूस किया कि गांधी जी इस मुल्क की गरीबी हालत देखते हुये इस बात को पसन्द नहीं करते थे। आज को हालत को देखते हुये हम यह चाहते हैं मंत्रिमंडल का वेतन किसी उसूल पर होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि गाँधी जी आज जिन्दा होते तो वे इसी उसूल को पसन्द करते हैं जिस उसूल को माननीय प्रोफेसर साहब ने प्रस्तावित किया है और जिस उसूल की बिना पर मैंने यह संशोधन पेश किया है। अब हमको यह देखना जरूरी है कि आखिर जो उसूल हमने पेश किया और जिस उसूल के आधार पर हमने इस सदन के अन्दर संशोधन पेश किया आखिर उस उसूल को मान लेने के बाद और मंत्रिमंडल का वेतन इस उसूल के आधार पर आधारित करने पर कोई फायदा निकलता है या नहीं निकलता है। मैं उन लोगों में से हूं जो उसूल केवल उसूल के लिये नहीं माना करते हैं बल्कि वह इसलिये माना करते हैं कि यदि इस उसूल से कोई अच्छा फायदा या परिणाम निकले तब तो उस उसूल को मानने का कोई मतलब है, वरना उसको नहीं मानना चाहिये। अब यह देखना है कि अगर इस उसूल को मानने से कोई फायदा भी निकलने वाला है तब उसे मानें।

पहले तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क की जो हालत है वह गिरी हुई हालत है आज उसकी पिछड़ी हुई हालत है। सदियों से गुलामी के अन्दर रहने के कारण हम अपने को उन्नत नहीं कर पाये हैं। यू० पी० सरकार के इक्नामिक्स ऐंड स्टेटेस्टिक डिपार्टमेन्ट ने जो आंकड़े निकाले हैं उस सिलसिले में उन्होंने बताया है कि आज गांव के अन्दर रहने वाले किसान की आमदनी १६ रुपया महीने की है। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो शहर के रहने वाले हैं उन आदमियों की आमदनी ५२ या ५८ रुपया के करीब पड़ती है। ऐसी हालत में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह नहीं जानते हैं कि देहातों के अन्दर इस समय बड़े बड़े जमीन्दार भी शामिल हैं। अभी उनकी जमीन्दारी खत्म नहीं हुई है, उसमें गांव के बड़े बड़े किसान भी हैं जो कि हजार दो हजार बीघा जमीन जोतते हैं। इस तरीके से यदि आप खेतिहर मजदूरों और छोटे किसानों की औसतन आमदनी निकालें तो मैं समझता हूं कि वह ८ या १० रुपये से अधिक हरगिज नहीं हो सकती। अब आप इस बात की तरफ सोचें कि जिस समय हमारे सूबे के अन्दर हमारे खेतिहर मजदूर और हमारे किसान ८ या १० रुपये माहवार पर ही अपनी जिन्दगी बसर करते हैं तो आज महंगाई के वातावरण में वह अपनी जिन्दगी कैसे चला सकते हैं। मैं देखता हूं कि हमारी आर्थिक अवनति का कारण यह है कि आज हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम अधिक उद्योग-धन्धे निकाल सकें, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि जिससे हम अपने जीवन के साधनों को व्यवस्थित कर सकें।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज उसूली तौर पर मैंने यह संशोधन पेश किया है और उसका कुछ मकसद है। वह मकसद यह है कि सरकार के पास इतनी पूंजी हो जिसके जरिये से मुल्क की आर्थिक उन्नति कर सकें। आपके मुल्क के अन्दर जो पूंजी लगी हुई है वह पूंजी प्रति व्यक्ति के हिसाब से १५० रुपये है और जब कि इंगलैन्ड और दूसरे मुल्कों में ५ हजार या ८ हजार रुपये प्रति व्यक्ति पर औसत लगी हुई है। ऐसी सूरत में आप सोच सकते हैं कि आज इस बात की कितनी बड़ी आवश्यकता है कि हम इस बात की कोशिश करें कि हमारे मुल्क तथा सूबे में कैपिटल फारमेशन (capital formation) ठीक तरह से हो सके। आप को इस बात को सोचना है और आर्थिक उन्नति के लिये इस बात का होना नितान्त आवश्यक है। आज हम चाहते हैं कि एक हजार से ऊपर जिन लोगों की आमदनी है उस आमदनी को हम कैपिटल फारमेशन के रूप में तबदील करें जिस उसूली तौर पर इस बात को कहता हूं उससे सामाजिक न्याय की पुष्टि भी होगी। समाज में न्याययुक्त सामाजिक स्तर को लाने के लिये हमें इस तरह से परिवर्तन करना पड़ेगा।

इसलिये सोशलिस्ट पार्टी का हमने यह उसूली सवाल रखा है कि एक हजार रुपये से ऊपर जिन लोगों की आमदनी है उस आमदनी को उस रूप में हम तब्दील करें जिससे नये उद्योग धंधे खुल सकें आर्थिक उन्नति से हम मुल्क की गरीबी को दूर कर सकें। हमें केपिटल फ़ारमेशन को लाना है। हमारे गवर्नर महोदय ने अपने सम्बोधन में इस तरह की बात कही है और उन्होंने कहा कि यदि हमें भी राष्ट्र की हर तरह से उन्नति करनी है तो हमें सबसे पहले आर्थिक उन्नति करनी होगी। आर्थिक उन्नति की भी मुल्क को नितान्त आवश्यकता है। आजादी मिलने के बाद आज भी हमारे सामने यह पहला सवाल है कि हम अपने मुल्क की आर्थिक उन्नति करें।

एक ओर तो हमें १,००० रुपये की आर्थिक आमदनी पर रोक लगा कर न्यायसंगत ढंग से धन का बटवारा करके नयी सभ्यता को जन्म देना है, दूसरी तरफ़ एक हजार के उपर की आमदनी को पूंजी में परवर्तित करना है, पर इसीसे काम नहीं चलेगा। पिछड़े हुये एशिया के वे मुल्क जो अभी अभी साम्राज्यवाद के पंजे से बाहर आये हैं उनकी आर्थिक उन्नति के लिये हिन्दुस्तान के प्रगतिशील अर्थशास्त्रियों का मत है कि हमें जनता में मनोवैज्ञानिक आधार पैदा करके किसान मजदूर तथा निम्न मध्यम वर्ग की जनता में परिश्रम और सादगी की आदत डलवानी होगी। उनके अन्दर बचत की योजना के प्रति झुकाव पैदा करना होगा। उनके अन्दर इस बात का आदर्श पैदा करना होगा कि वे अपनी बचत को राष्ट्रीय पूंजी में परिवर्तन करने में आगे बढ़े।

हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार पूंजीपतियों पर निर्भर रहना चाहती है। उसका यह रास्ता गलत है।

मैं निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि आपका यह भ्रम है कि आप बार-बार इस बात की कोशिश करें और पूंजीपतियों को रियायतें दें कि वह अपनी पूंजी निकाले और कैपिटल फारमेशन के रूप में लगायें। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में बार बार यह गलती दोह-राई जा रही है। आज पूंजीपति अपने मुनाफे के ख्याल से तमाम बातें देखता है। वह इस बात को नहीं देखता है कि मुल्क की दौलत बढ़े। वह पूंजी इस वजह से लगाता है कि उसके मुनाफे की रकम ज्यादा बढ़े। इस सिलसिले में आप सोचें और इसके लिये आप को जनता के अन्दर एक आदत डालनी होगी। आप को जनता के पास पहुंचना होगा, मध्यम श्रेणी के लोगों के पास जाना होगा, किसानों और छोटे-छोटे व्यापारियों के पास पहुंचना होगा और उनमें इस बात की आदत डालनी होगी कि वह सेविन्ग करें और कैपीटल के रूप में सेविन्ग को लगाये। इस बात के लिये एक वातावरण की जरूरत होती है, एक प्रेरणा की जरूरत होती है। आदर्श प्रेरणा कहां से मिले, जिसको लेकर इस तरह की बचत की योजना चलाने की कोशिश की जावे। इस आदर्श के लिये हमारे सूबे के रहनुमा हमारे मंत्रिमंडल के लोग जो यहां बैठे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है वे जनता के सामने आवें। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस तरह का आदर्शवादी मनोवैज्ञानिक आधार नहीं रह गया है, जो इस काम के लिये आवश्यक है।

गवर्नर महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज हमको पेट काटना होगा। अपनी योजना को पूरा करने के लिये उन्होंने सही बात कही। मैं चाहता हूं कि आज उसकी शुरुआत मंत्रि-मन्डल की तरफ से हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप याद करें आजादी के आन्दोलन में महात्मा गान्धी ने जीवन को देखने का एक मौलिक दृष्टिकोण दिया है। उस दृष्टिकोण के आधार पर पं० मोती लाल जी, सरदार पटेल और माननीय राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने अपनी बड़ी बड़ी आय को, जो वे पैदा करते थे छोड़ दिया और जंगे आजादी में उन्होंने सिरकत की। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसलिये किया कि उन्हें सेवा करनी थी और एक आदर्श को उपस्थित करना था। ऐसी सूरत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मंत्रिमंडल उस सेवा भाव को याद रखे। उसूली तौर से जो मन्त्रिमन्डल का पद है वह सेवा का पद है, किसी काम के रिम्यूनिरेशन (rem-

[श्री प्रभूनारायण सिंह]

neration) का पद नहीं है। ऐसी सूरत में एक आदर्श प्रतिष्ठित करने के लिये इस बात की जरूरत है कि एक मनोवैज्ञानिक असर डाला जाय। इस सिलसिले में एक ऐसा कदम उठाना है जिससे आप का पुराना इतिहास और आपका नया इतिहास इसमें जो फर्क है वह न रहे। आप वेतन में कमी करके एक नया कदम उठा सकते हैं। एक हजार रुपया कम नहीं होता है। माननीय हाफिज जी ने इस बात को अपनी स्पीच में कहा कि गाँधी जी का स्टैन्डर्ड कायम करना मुमकिन नहीं, और सब लोग गाँधी जी नहीं हो सकते। मैं यह कहना चहता हूं कि सब लोग गाँधी जी नहीं हो सकते, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिये हम यह नहीं कहते कि आप आधे पाँव तक धोती पहिनए और उसी तरह से रहिए जिस तरह से गाँधी जी रहते थे। इसी लिये मैंने कहा कि एक हजार रुपये तक की आमदनी आप रखिए, इसमें गाँधी जी के स्टैन्डर्ड की कोई बात नहीं है। यह तो मुल्क के लिये जो आदर्श गाँधी जी ने प्रतिष्ठित किया था उसकी तरफ चलने की आदत डालने की शुरुआत है। इन शब्दों के साथ आज इस बिल पर बोलते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समान जनतन्त्र की स्थापना तब तक सम्भव नहीं जब तक समाज में विषमता कायम रहती है। एक तरफ गरीबी का नग्न रूप है तो दूसरी तरफ वैभव की पराकाष्ठा। ऐसी हालत में समान जनतन्त्र की बात नहीं चल सकती। समान जनतन्त्र की प्रतिष्ठा करने के लिये अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाना होगा। इस प्रतिबन्ध की शुरुआत मन्त्रिमन्डल से ही होनी चाहिए। इस बिल पर बोलते हुए प्रोफेसर साहब ने जो प्रश्न उठाया था और उनके सम्बन्ध में जो मैंने संशोधन पेश किया है, मैं यह समझता हूं कि उसके मान लेने से हमारे सूबे का बहुत बड़ा लाभ होगा। कांग्रेस के सदस्यों से और माननीय हाफिज जी से कहना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करें। अक्सर हमारे ऊपर यह दोषारोपण किया जाता है कि शोशलिस्ट पार्टी के लोग सरकार को बदनाम करने के लिये विरोध करते हैं। लेकिन हमने संशोधन मन्त्रिमन्डल को बदनाम करने के लिये नहीं रखा है, बल्कि हमने यह संशोधन इसलिए रक्खा है कि यदि मन्त्रिमवडल ने इसे कबूल कर लिया तो उसे जनता के हृदय में वह स्थान प्राप्त होगा, जहाँ से कोई भी उसे हटा न सकेगा। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जो संशोधन मैंने रखा है उसे स्वीकार करने की कोशिश की जायगी।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में इस बिल पर जो बहस हो रही है, उसे मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मेरा विचार यह था कि कल माननीय हाफिज जी के जवाब दे लेने के बाद शायद किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन आज जो संशोधन आया है उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। इस संशोधन में उन चीजों को बार-बार दोहराया गया है, जिन चीजों के सम्बन्ध में कल हाफिज साहब ने श्री राजा राम के प्रश्नों का उत्तर दिया था। मैं समझता हूं कि कल हाफिज जी ने इस हाउस में बड़े संतोषप्रद ढंग से जवाब दिया था। इस संशोधन के अन्दर जो कुछ बातें कही गयी हैं मैं तो समझता हूं कि वह निहायत वैग (vague) हैं और उनके कोई माने नहीं। इस संशोधन में कहा गया है कि मिनिस्टर्स की जो पे (pay) है वह एक हजार रुपये से ज्यादा न होनी चाहिए जबकि और एक हजार रुपया भी उस हालत में दिया जाये जबकि मिनिस्टर्स की कोई आमदनी न हो और यदि किसी मन्त्री की एक हजार रुपया निजी आमदनी हो उसको कुछ न मिले और किसी की एक हजार रुपये से निजी आमदनी कम हो तो उसको उतना ही मिले जितना एक हजार रुपये से कम हो। मान लीजिए किसी मिनिस्टर की ७५० रु० आमदनी है तो उसको पे केवल २५० रुपया मिले। यह संशोधन मेरी समझ में निहायत वैग (vague) है और इसके कोई माने नहीं हैं। अव्वल तो यह समझते हैं कि यह पता लगाना और इस बात को कायम करना कि किस मिनिस्टर की आमदनी कितनी है, बड़ा कठिन है। इस आमदनी को कहाँ तक कलकुलेट (calculate) करेंगे और कैसे यह निश्चय होगा कि यह आमदनी जो है ठीक है। बहुत से मिनिस्टरों की

फेमिली (Faimly) ज्वाईन्ट (joint) होगी और बहुत सी बातें हो सकती हैं। इसलिये किसी भी मिनिस्टर की परसनल (personal) आमदनी का पता लगाना या ज्वाईन्ट फेमिली की आमदनी का पता लगाना, मैं समझता हूं कि कोई आसान काम नहीं है। कल से मैं यह बात देख रहा हूं कि गाँधी जी के नाम पर बड़ी-बड़ी दोहाई दी जा रही है। जो गाँधी जी के जीवन में उनके नान वायलेन्स (non-violence) तथा सत्याग्रह की मजाक बनाते थे और यह कहते थे कि हम इसको नीति के तौर पर मानते हैं, सिद्धांत के तौर पर नहीं। जो लोग इस प्रकार की बातें किया करते थे वे लोग आज गाँधी जी के सिद्धांतों की दोहाई देते हैं और यह कहते हैं कि गाँधी जी के सिद्धांत तो ये थे। गाँधी जी अगर होते तो यह बात कभी भी न होती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् १९४७ में गाँधी जी जीवित थे तब भी मिनिस्टर १५०० रुपये तनख्वाह पाते थे। गाँधी जी ने किसी लेख में, न किसी अखबार में न किसी आर्टिकिल में उसकी मुखालिफत की। न उन्होंने यही कहा कि उनको ५०० रुपया लेना चाहिए। ५०० रुपया १९३७ में रखा गया था। १९५२ में वह ५०० सौ रुपया २,५०० रुपये के बराबर होता है। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार गौर किया जाय तो उनकी तनख्वाह में बहुत कमी हुई है। आजकल की महंगाई के हिसाब से उनकी तनख्वाह २,५०० रुपये होनी चाहिए। लेकिन आज वे १२०० रुपये लेते हैं। फिर एक चीज कल यह भी कही गयी कि दो सौ रुपये का और चार सौ रुपये का कोई मामला नहीं है। हम दो सौ और चार सौ रुपये के बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इफीसियेन्सी (efficiency) हो। साथ ही यह भी कहा गया कि जो तनख्वाह है वह ज्यादा है। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि दो सौ, चार सौ रुपये का मसला नहीं है। हमारे सामने इफीसियेन्सी का मसला है। साथ-साथ यह भी कहा गया कि डिप्टी मिनिस्टर की कोई जरूरत नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इफीसियेन्सी चाहते हैं और जब आप देखते हैं कि देश के अन्दर अनेक मसले बढ़ गये हैं, देश के अन्दर कितने ऐसे प्राबलम (problem) हो गये हैं जैसे रिफ्यूजी प्राबलम है। सन् १९३७ में यह मसला नहीं था और १९४७ में नहीं था। ऐसे हजारों मसले आपके सामने पेश कर सकता हूं। जब आप इफीसियेन्सी चाहते हैं, तो ऐसी बातें क्यों करते हैं। कल राजा साहब ने बताया कि जब वे मिनिस्टर साहब के यहाँ पहुंचे तो दरबार लगा हुआ था। बात करने तक की फुरसत नहीं थी। एक तरफ यह भी चाहते हैं कि मिनिस्टर को फुरसत मिले और हर काम अच्छे ढंग से हो।

फिर एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, वह बात कल भी कही गई है और श्री प्रभु नारायण जी ने आज भी उसको दोहराया है। वह यह है कि वैभव बढ़ता जा रहा है, बंगलों में रहते हैं। यह सब बाते दोहराई गई हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारे समाज वादी दल के नेता हैं, मुझे तो शायद उनमें से कोई नजर नहीं आता है कि जो कि झोंपड़े में रहता हो। जो मोटर में न चढ़ता हो और जो कभी हवाई जहाज में न चढ़ा हो। मैं तो आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं, जनाबवाला, कि वह नक्शा भी हमारे सामने है कि हमारे समाजवादी दल के नेताओं ने जब कभी कोई पद स्वीकार किया है, तब उन्होंने वही वेतन लिया है जो उस पद के लिये दिया जाता रहा है। समाजवादी दल के एक बड़े नेता, जिनके लिये मेरे दिल में बड़ी इज्जत है और जिसकी इज्जत सब लोग करते हैं, आचार्य नरेन्द्र देव जी, है वह लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइसचाँस्लर थे, तब वह २,००० रुपया तनख्वाह लेते थे, हालाँकि तिहाई हिस्सा वह विद्यार्थियों की फीस में खर्च कर देते थे, लेकिन वह एक हजार रुपये से ज्यादा लेते थे। वह नहीं देखते थे कि उनकी निजी आय क्या है और उनकी आय और तनख्वाह मिलाकर कहीं एक हजार रुपये से अधिक तो नहीं हो जाती है। आप दूसरों को तो आदर्श सिखाते हैं, दूसरों को लंगोटा बाँध कर भवन में आने के लिए कहते हैं, दूसरों से कहते हैं कि महल छोड़ कर झोपड़ों में रहिए, लेकिन आप अपनी ओर कोई निगाह नहीं डालते। आप यह भी नहीं देखते हैं कि यह सारी चीजें प्रैक्टिकली (practically) पासिबुल (possible) हो सकती है या नहीं। यह तो हो सकता है कि धीरे-धीरे हम जो ज्यादा खर्च कर रहे हैं

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

उसमें कमी करें। यह तो हो सकता है कि जो ज्यादा वेतन के लोग हैं धीरे धीरे उनके वेतन को उस हद तक लावें, जिससे वह अपना गुजर कर सकें, लेकिन अगर आप यह समझें कि एक साथ सारा हाउस लंगोटा बाँध कर यहाँ आये तो यह नामुमकिन है। जितने मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं वह झोपड़ों में रहें तो यह भी नामुमकिन है। जब मिनिस्टर्स की तनख्वाहें ५०० रुपये थीं, उस समय भी गाँधी जी ने यह कहीं पर नहीं कहा कि मिनिस्टर्स झोपड़ों में रहें। यह बातें ऐसी हैं, जिनमें कोई सार नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बातें केवल अपोजीशन के लिये केवल विरोध के लिए कही जाती हैं। कोई कांस्ट्रक्टिव (constructive) भावना नहीं है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शराब पीने वाला आदमी दो बोतलें हाथ में लेकर प्लेटफार्म (platform) पर खड़ा होकर यह कहने लगे कि शराब पीना सबसे बड़ा गुनाह है तो उसका जनता पर असर पड़े। आप भी उसी श्रेणी में आते हैं। जब आप ऐसी बातों को कहते हैं और इतना वेतन स्वीकार करते हैं तो मैं यह नहीं समझता कि फिर दूसरों को आप क्या नसीहत करते हैं। इन सारी बातों को समझते हुए मैं यही समझता हूं कि श्री प्रभूनारायण सिंह ने, जो यह संशोधन पेश किया है, उसके कोई माने नहीं। यह संशोधन बिलकुल बेमानी है, इस लिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बद्रीप्रसाद कक्कड़--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं उस संशोधन के मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं, जिसको हमारे दोस्त ने उस जानिब से पेश किया है। लेकिन मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि नफस मजमून के बाहर नहीं जाना चाहता हूं और किसी पर कटाक्ष या टाँटिंग रिमार्क्स (taunting remarks) नहीं करना चाहता हूं। मैं इसे ऐवान और अपने मेम्बरों की वक़त से गिरा हुआ समझता हूं। मुझे एक चीज जो दिल में चुभी, वह यह कि अक्सर मैंने तकरीरों के सिलसिले में यह सुना कि अपोजीशन फार अपोजीशन सेक (opposition for opposition sake) इसको सुन कर मुझे दिली अफसोस हुआ। यह कुरबानी करने वालों की कौम है, जिन्होंने कुरबानी करके दुनियाँ में साबित कर दिया कि दुनियाँ में कुरबानी करने वाले इस तरह के होते हैं। मैं इधर वालों से भी वही मुहब्बत करता हूं जो उधर वालों से मेरी है। यह हुस्ने इत्तिफाक़ है कि आप इस जानिब हैं और वह इस जानिब हैं। एक बुजुर्ग का कलाम है, इसे आप महज शेर न समझें:

एक दरिया पर बसे हैं शान साहिल एक है,
दिल बजाहिर है जुदा, मगर भीतर से सब एक हैं।

यह एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। रह गया कि जिस वक्त मैंने अपने दोस्त की तकरीर सुनी दिल में एक अजमत हुई और दिल में सोचा कि आखिर जाबाज कौम है और कुछ न कुछ करके दिखलाएगी। कुरबानी करने वाले हैं, लिहाजा कुरबानी का प्रस्ताव है। नफस मजमून का ख्याल करते हुए मुझे यह कहना है कि यह कुरबानी करने वाले हैं। इनकी जबान में शक्ति और त्याग है और यह अपने मुल्क को ऊपर उठाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि १२०० रुपये के बजाय १ हजार कर दिया जाय! मैं इसका कायल और ताईद करने वाला नहीं हूं। वह कौन कसौटी है जिसमें उसका मियार तौला जाय। एक हजार तो कम है, लेकिन अगर १२ सौ करते हैं तो वह आपके लिये ज्यादा हो जाता है। अगर एक कसौटी में रखा जाता तो यह ठीक होता। मैं तो आपके कहने के अनुसार माकूल यही समझता हूं कि मिनिस्टर एक भी पैसा न लें और काम करते चले जायं। मैं इस चीज का कुछ महत्व भी समझता हूं। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह से होना मुमकिन नहीं है। अगर आप एक महान बुजुर्ग की कहावत पर और रूलिंग (ruling) पर ख्याल करें तो आपको मालूम होगा कि भीष्मपितामह ने कहा था कि स्टेट मिनिस्टर्स मस्ट बी वेल फेड (state minister must be well fed) अगर यह बात ठीक है तो फिर इसमें

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तुलतबील क्या ? जहाँ तक कैरेक्टर (character) के बारे में कहा जाता है तो कैरेक्टर दूसरी चीज है। कैरेक्टर को स्पीचेज (speeches) में पैदा करने के बाले में अरसटेटुल, ग्लैडस्टन और मैकाले मुत्तफिक हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से देश का कल्याण हो सकता है हमें उस पर चलना चाहिए। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री—मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी तरमीम के बारे में हाउस को जल्द से जल्द मालूम होना चाहिए कि उसके मुताल्लिक गवर्नमेंट का क्या ख्याल है। लिहाजा कब्ल औरों के इजाजत दी जाय गवर्नमेंट के मेम्बर को हक दिया जाय कि वह गवर्नमेंट की तरफ से इस अमेंडमेंट के मुताल्लिक ख्याल जाहिर करें।

उद्योग मंत्री (माननीय श्री हुकुम सिंह)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में हमारे मित्र ने जो उस तरफ उपस्थित हैं, एक लम्बी चौड़ी तकरीर और सिद्धांत की बात बताई। मैंने भी बहुत गौर के साथ सुनने और समझने की कोशिश की। जहाँ तक इस सिद्धान्त का ताल्लुक है कि प्लेन लिविंग ऐन्ड हाई थिंकिंग (plain living and high thinking) तो उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। यह पहले पहल कोई नयी बात उस तरफ से नहीं बताई गयी। इस सदन के सभी माननीय सदस्य इससे मुत्तफिक हैं और कोई आपस में मतभेद नहीं है। इस बात के सिलसिले में मैं यह समझता था कि हमारे मित्रवर एक कोई ऐसी बात बतायेंगे कि हजार रुपया ही इस सिद्धिांत के मुताबिक ठीक हो सकता है और १२ सौ की रकम किसी तरह से मौजूं नहीं होती अगर हजार के बजाय १२ सौ कर देंगे तो इस सिद्धांत को आघात पहुंचेगा और यहाँ तक होगा कि आसमान भी फट पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी बात बताई नहीं गयी। खैर सिद्धांत के मुताल्लिक बहुत से भाई इस तरफ हैं जो उसकी जवाबदेही करेंगे। मैं तो कानूनदा के नाते इस तरमीम से बड़ी मुश्किल में हूं।

मैं समझता था कि हमारे मित्र श्री प्रभूनारायण जी मेरी दिक्कतों को रफा करेंगे। लेकिन आखिर तक मैं इन्तजार करता रहा परन्तु उन्होंने एक अल्फाज भी कहना गवारा नहीं समझा और अपनी तकरीर को खत्म कर दिया। मैं जहाँ पर था वहीं रह गया। यहाँ पर हमारे बहुत से साथी हैं, माननीय हाफिज जी जो हमारे लीडर हैं गालिबन वह तकरीर करेंगे, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरी परेशानी ने मुझे मजबूर किया और श्री प्रभूनारायण जी की तकरीर खत्म होने के बाद मुझ से न रहा गया और मैंने यह मुनासिब समझा कि खड़े होकर एक सवाल कर लूं। इस वक्त नहीं तो शायद और किसी मौके पर इसका जवाब मिल जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि कहीं भी कोई ऐसी मिसाल किसी कानून में दी गयी है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा नहीं तो ऐसा होगा। वकील होने के नाते मुझे कहीं भी कोई ऐसा कानून नहीं दिखाई पड़ा, जो इस रूप में रखा जाय, जिस रूप में यह संशोधन रखा गया है। कानून हमेशा एक डिफिनिट (defenite) होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है लिहाजा अगर यह मान भी लिया जाय तो कानून नाफिज कैसे होगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। हमारे यहाँ कुछ मिनिस्टर खेतिहर भी हैं। खेती का रोजगार ऐसा भी होता है कि कभी कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं सैलाब आ जाता है। जिसके कारण आमदनी घटती बढ़ती रहती है। तो मेरा यह ख्याल है कि इस तरमीम को मान लेने के बाद एक स्टैंडिंग कमेटी (Standing Committee) बनाई जाय जिसके मेम्बर बड़े बड़े अर्थ शास्त्र के माहिर हों। वह साल के ३६५ दिन इस बात की जाँच करते रहें और महीने के २९ या ३० तारीख को जब पे बिल (pay bill) बने तो उसकी रिपोर्ट आ जाये जिसके मुताबिक उनके पे का बिल बने। हम लोग भी महात्मा गाँधी के सिद्धांतों को मानते हैं और उनके बहुत नजदीक के फालोवर्स (followers) में से हैं। हम लोगों ने भी त्याग किया है और मौका आने पर फिर त्याग करने को तैयार हैं। हम लोग गाँधी जी के उसूल की दोहाई दें तो ठीक भी है। आप लोग उनकी दोहाई देते हैं जब कि आप लोग उनको पूरा पूरा लीडर भी नहीं मानते हैं। लिहाजा जहाँ तक त्याग का

[माननीय उद्योग मंत्री]
मामला है उसमें हम लोग भी पीछे नहीं हैं। हाँ, यह इल्जाम आयद किया जा सकता है कि उनको तुम १२ सौ से हजार क्यों नहीं करते और कम से कम क्यों नहीं लेते, मैं समझता हूं कि यह जो रखा गया है। वह कम करके ही रक्खा गया है। पहले १५ सौ रुपये तनख्वाह थी और वालन्टियरी कट तक हम लोगों ने किया, हम कानूनी उसूल पर ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। इससे हम लोगों ने अपनी तनख्वाह को बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया है। हाँ, हम देखेंगे, कि यह सैलरी बिल पास हो जाय उसके बाद अगर हमारे मित्र कुछ नहीं लेते हैं तब तो मैं कहूंगा कि उन्होंने त्याग किया है और तब तो उसका कुछ असर होगा, लेकिन अगर उन्होंने भी टी० ए० (T. A.) डी० ए० (D. A.) लिया तब फिर इसका कुछ भी असर नहीं हो सकता है। अगर कानून है और तब भी नहीं लिया तब तो त्याग है और मैं उसको सच्चा त्याग कह सकता हूं लेकिन अगर कानून ही नहीं है और तब त्याग करें तो यह कोई त्याग नहीं है। आज के भाषणों से, लेक्चरों से मैं फायदा नहीं उठाना चाहता हूं, यह तो हम इस महीने के खत्म होने के बाद दूसरे महीने में देखेंगे कि आया क्या असर उनकी शिक्षा का होने वाला है। शिक्षा तो हमें दी गई थी त्याग की, लेकिन उसके ऊपर अमल करने वाले की तरफ से भी अगर कुछ किया गया है तब तो ठीक है और उस पर अमल नहीं किया गया है तो मैं समझूंगा कि मैं जस्टीफाइड (justified) हूं आपकी बात न मानने के लिये, और अगर किया है तो हमारे दिल में भी सोचने, समझने का मौका मिलेगा, गरीबों के हित के लिये, देश के हित के लिये, किसान तथा मजदूरों को ऊपर उठाने के लिये, मुल्क की बहबूदी के लिये। मैं समझता हूं कि महज शिक्षा और उदाहरण ही न दिये जायं। हमारे आजाद साहब ने भी बड़ी मानने वाली शिक्षा दी है और बहुत से लोग हैं जो शिक्षा दे सकते हैं लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि कानून की जो शक्ल दी जाने वाली है वह बहुत ही भद्दी और बेकार है और उससे नाकबूले निफाज कानून की शक्ल हो जायेगी। जो दिक्कतें हैं अगर उनको देखा जाय तो वह किसी तरीके से प्रैक्टिकेबुल (practicable) नहीं है। हर महीने में बजाय कमी करने के पाँच आदमियों की कमेटी बिठायी जाय और बड़े बड़े एक्सपर्ट (expert) रखे जायं और वह बैठकर देखें और हर महीने की आमदनी और खर्च की जाँच करें, उसमें कितना खर्चा होगा यह शायद वह नहीं जानते हैं। मैं कहूंगा कि उसमें चौगुना खर्चा होगा। तो ऐसा नुस्खा न बताइये कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। ऐसा नुस्खा बताइये कि जिससे मर्ज न बढ़े, अखराजात भी न बढ़ें। इससे अखराजात बढ़ेंगे और प्रैक्टिकली यह मुमकिन भी नहीं है। एक ऐसी मिसाल कायम कर देना, जिसको कि बाहर के लोग भी देखेंगे तो कहेंगे कि यह अपर हाउस है (Upper House) यह वह लोग हैं जो कि बुजुर्ग हैं और उन्होंने इस तरह की खराब शक्ल कानून की बनाई है बिलकुल अनुचित है। इस हाउस का काम तो यह है कि जो वहाँ से गलतियाँ हैं उसको ठीक ठीक कर दें लेकिन यह नहीं कि ऐसी भद्दी शक्ल उसकी कर दें कि जो उपहास के काबिल हो जाय। मेरी यह राय भले ही न मानी जाय लेकिन एक कानूनदाँ होने के नाते से मेरे सामने यह दिक्कतें हैं। मुझे आशा है कि अगर हमारे मित्र जिनको जवाब देने का हक है या नहीं है लेकिन अगर वह हमारे साथ इस दिक्कत को हल कर दें तो मैं समझूं कि आया उसको कबूल किया जाय या जो राय हमने इस वक्त रखी है वही रखी जाय। इतना ही मुझे अर्ज करना है। इन शब्दों के साथ मैं तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

*प्रो० मुकुट बिहारी लाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस संशोधन पर बोलना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे जो विचार थे वह मैंने कल पेश कर दिये थे और उन विचारों को दोहराना भी मैं बेकार सी बात समझता था, लेकिन अभी जो तकरीरें हुईं उसके बाद बोलने की जरूरत समझ कर ही मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे दुख है कि माननीय उद्योग मन्त्री उस समय मौजूद नहीं थे जब कि मैंने तकरीर की थी।

माननीय उद्योग मंत्री--मैं लोअर हाउस में था।

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

प्रो० मुकुट बिहारीलाल--हाँ, आप किसी दूसरी जगह थे। अगर यहाँ मौजूद होते तो वे अच्छी तरह से इस बात को समझ लेते जो कुछ भी मैंने यहाँ पेश किया था। जिस वक्त मैंने ऐसी बातें कहीं उस समय मैंने यह नहीं कहा कि सोशलिस्ट ही कुर्बानी करने वाले हैं और कांग्रेस वाले कुर्बानी करने वाले नहीं हैं। अपनी तकरीर में कल और आज भाई गुरु नारायण जी ने बार बार इस बात का इकबाल किया है कि कांग्रेस के अन्दर वे लोग मौजूद हैं जिन्होंने की मुल्क की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ कीं। मैंने यह बात भी नहीं कही कि उन्हें सिर्फ प्लेन लिविंग एन्ड हाई थिंकिंग (plain living and high thinking) ही होना चाहिए। मैंने तो सिर्फ उससे यह कहा है कि जिस सबक को उन्होंने इतने वर्षों से पूरा किया और उस पर वे चलते रहे, उसी तरह से अब वे सादगी की जिन्दगी बसर करें। मैं तो यह भी मानने के लिये तैयार हूं कि चाहे वह एक हजार रुपया ठीक होंगे, या ११ सौ रुपये या १२ सौ रुपये ठीक होंगे लेकिन अगर हमारे संशोधन की गरज को देखा जाय तो उसके अन्दर सवाल महज एक है। वह यह है कि अगर १२ सौ रुपये उसके अन्दर है तो वह यह है कि जिस शख्श की हजार या १२ सौ रुपये की आमदनी है वह शख्स उस हजार या १२ सौ रुपये की आमदनी से सन्तुष्ट हो जाय। माननीय मंत्री ऐसी जगह हजार १२ सौ रुपये कमाने की कोशिश न करें। मैंने यह दरख्वास्त उन लोगों और उन उद्योग पतियों से नहीं की है जिन्होंने कि अपनी जिन्दगी इस तरह से बिताई है। मैंने यह दरख्वास्त उन मिनिस्टरों से की है जिन्होंने अपनी जिन्दगी देश के लिये कुर्बान की है और जिन्होंने बचपन से ही देश की सेवा करने का व्रत लिया है। यह उन उद्योगपतियों के लिये नहीं है बल्कि उनके लिये हैं जिन्होंने बचपन से ही समाज की स्वार्थहीन तरीके से सेवा करने का व्रत लिया है अभी हमारे उद्योग मंत्री जी ने एक सवाल उठाया है कि इस बात को हम लागू कैसे करेंगे। क्या इसके लिये हम एक एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रर करेंगे? मैं समझता हूं कि जहाँ तक वे हमारे मंत्री हैं तो उनकी ही बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं अगर उसके लिये हमने कोई कमेटी की व्यवस्था नहीं की है तो वह इसलिये नहीं की है कि हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे मंत्री होंगे वे हमें यह बतला देंगे कि उनकी आमदनी क्या है और जो कुछ भी उनकी एक हजार या १२ सौ है उस हिसाब से उसकी व्यवस्था होगी। मैं तो वैसे कोई कानून जानने वाला नहीं हूं। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं। जहाँ तक मैं समझता हूं यह जो संशोधन है वह इतना इनडेफिनिटनेस (indefinitnes) का तो नहीं है कि वह एक कानून में नहीं लाया जा सकता है और यह तो लीगल एक्सपर्ट्स (legal experts) ही बतला सकते हैं और यह संशोधन लीगल एक्सपर्ट्स के पास भेजा जा सकता है उनके मशविरे से इसको प्रिसाइज (precise) किया जा सकता है। क्या माननीय मंत्री जी नहीं समझते हैं कि कानूनी शक्ल देने से पहले इसमें एक तो तरमीमें की जा सकती हैं और उसे मन्जूर करने में उनको किसी प्रकार की भी हिचक नहीं होनी चाहिये। माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा कि हमें गाँधी जी की दोहाई देने का कोई हक नहीं है।

यह ठीक है बाज मौकों पर हमारे विचार गान्धी जी के विचार से अलग थे और हमने अपना असंतोष प्रकट किया है लेकिन गान्धी जी देश के बापू थे, राष्ट्र के बापू थे, वह किसी भी दल के बापू नहीं थे। हमें भी उनके प्रति उतना ही हक है जितना कि कान्ग्रेस वालों को है। फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यदि माननीय उद्योग मंत्री कल होते तो यह जान जाते कि जब मैंने इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा उस समय केवल गान्धी जी ही नहीं और भी बहुत से विद्वानों के विचारों को सामने रखा था। कांग्रेस वाले बाहर के विद्वानों की बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। उनको जो कुछ कहा जाता है तो कहते हैं कि हम अपनी मर्यादा के अनुसार चलेगें, हम बाहर के विद्वानों के विचारों का पालन नहीं करेंगे और हम अपने बापू के विचारों का पालन करेंगे तब दूसरे लोगों के पास इसके अलावा और क्या चारा रह जाता है। वह उनके बापू की ही बातें बताकर उनको समझाते हैं और दिखाते हैं कि उनके विचारों में और बापू के विचारों में कितना अन्तर है।

[प्रो० मुकुट बिहारी लाल]

मुझे अफसोस है कि इस सदन के अन्दर एक सदस्य ने सख्सी सवाल भी उठा दिया, उन्होंने यह भी कहा कि वह शराब पीने वाला है और एक शराब पीने वाले को क्या हक है कि दूसरे शराब पीने वाले को मशविरा दे। हमारी उस भाई से बहुत कम मुलाकात है। शायद वह मुझे पहले से नहीं जानते हैं अगर वह जानते होते तो यह बात अपनी जबान से कभी नहीं अर्ज करते। वह भाई मेरे घर चले और यूनीवर्सिटी के अन्दर देखें कि प्रोफेसर किस शान के साथ रहते हैं और फिर हमारे घर पर आयें और देखें कि मैं किस तरह से रहता हूं तब वह पता लगा सकते हैं कि मैं शराबी हूं या मैं सादगी से रहता हूं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मैंने मिसाल दी थी आप को नहीं कहा था।

श्री राजाराम शास्त्री--सोशलिस्टों को कहा था ?

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--अगर समाजवादियों के लिये कहा था तो फिर मैं आप से अर्ज करूंगा कि अच्छा होता कि इस सदन में आचार्य नरेन्द्र देव जी का नाम न लिया गया होता। वह एक बहुत बड़ी शख्सियत रखते हैं। उनके मुकाबले में खड़े होने वाले बहुत कम हैं। मेरे भाइयों ने कहा कि कानून होते हुये भी रुपया लेने का हक होते हुये भी अगर रुपया न ले तो हम देखें। आचार्य नरेन्द्र देव कानून होते हुये भी २ हजार रुपये जब मिलता है तो उसका ४०वाँ हिस्सा नहीं लेते हैं।

माननीय उद्योग मंत्री--आप लोग न लें तो हम देखें।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--हमारे उद्योग मंत्री जी ने कहा कि क्या हम लोग ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि माननीय उद्योग मंत्री मेरी जिन्दगी को नहीं जानते हैं अगर वह जानते होते तो उन्हें पता होता कि हम को एक हजार रुपया महीना तनख्वाह लेने का हक है पर मैं १५० रु० महीना लेता हूं और बाकी यूनीवर्सिटी को दान कर देता हूं। अगर दूसरी मिसाल आप जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि जब तक मैं इस सदन का मेम्बर रहूंगा और जो २०० रुपया महीना मिलेगा वह मैं सरकारी खजाने में नहीं जमा करूंगा लेकिन अपने ऊपर भी एक पैसा नहीं खर्च करूंगा। मैं उसे समाज की सेवा में खर्च कर दूंगा।

मैंने आप से कभी यह नहीं कहा कि आप लोग देश सेवक नहीं, देश भक्त नहीं और हमीं लोग देश-भक्त हैं। लेकिन यह कहना बार बार कि महज मजाक के लिए हमने इस सवाल को पेश किया है हम त्याग नहीं करना चाहते यह एक फिजूल सी बात है। आज अगर मैं आप से यह कहूं कि अगर मेरे साथी कोई मंत्री बनेंगे तब वह क्या करेंगे तो यह फिजूल-सी बात होगी। क्योंकि आप में से उठकर खड़ा हो कर कोई कह सकता है कि न ९ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।

एक आवाज--नहीं, आप भी मंत्री बन सकते हैं।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--यह मैं जानता हूं कि इस जनतंत्र के अन्दर कुर्सियां बदलती ही रहती हैं। लेकिन इस बात को मैं आप से अर्ज करना नहीं चाहता। इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा होता अगर हम इस प्रश्न पर उसी सतह पर वे गुफ्तगू करते जिस सतह पर मैंने कल गुफ्तगू की थी और जिस सतह पर रख कर इस सदन के नेता माननीय हाफिज जी ने कल इस का जवाब दिया था। इन तमाम बातों को देखते हुए मैं तो नहीं समझता कि आखिर यह जो प्रस्ताव या संशोधन हमने पेश किया है उस में कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर अमल करना उन मंत्रियों के लिये संभव न होगा जिन मंत्रियों ने देश की आजादी के लिए बर्षों जेल काटी है। उन मंत्रियों के लिए संभव न होगा जिन्होंने उस जमाने में फटा कुर्ता पहन कर जिन्दगी गुजारी है, फटे कपड़े पहन कर अपने दिन गुजारे हैं। मैं समझता हूं कि इनके अन्दर जरूर यह शक्ति है कि वह इस उसूल को पालन करके अपने देश की सेवा कर सकें, अपने प्रदेश की सेवा कर सकें और इसी आशा से मैंने यह संशोधन रखा है। हमने यह जो संशोधन रखा है वह इसलिए नहीं रखा है कि हम उसको यहीं पर खत्म कर देना

चाहते हैं। हमने इस आशा से यह संशोधन रखा है कि हममें और हमारे मंत्रिमंडल में चाहे बहुत-सी बातों में कोई मतभेद क्यों न हो इस बात में तो मतभेद नहीं होगा कि यदि हम देश में समान तंत्र कायम करना चाहते हैं, तो हमें गरीबों और अमीरों की आमदनी में समानता लानी होगी। गरीबों की आमदनी बढ़ानी होगी और अमीरों की आमदनी में कुछ कमी करनी होगी। मैं समझता हूं कि यदि मंत्रिमंडल ने हमारी इन बातों को कबूल किया तब उन के लिए यह जरूर संभव होगा कि वह उद्योगपतियों पर और दूसरे धनियों की आमदनी और खर्च पर कुछ प्रतिबन्ध लगा सकें। आज जो धनी लोग फिजूलखर्ची की जिन्दगी बसर करते हैं वह फिजूल खर्ची की जिन्दगी बसर न कर सकें। फिजूलखर्ची पर उनके जो लाखों रुपये खर्च होते हैं उनके नहीं, राष्ट्र के खर्च होते हैं। वह राष्ट्र की सम्पत्ति राष्ट्र के हाथ में रहेगी और उससे राष्ट्र का आर्थिक निर्माण होगा। मैं जानता हूं कि यह संशोधन मंत्रियों की आमदनी के ४-५ हजार रुपये की बचत से खत्म हो जायेगा, परन्तु इस ४-५ हजार रुपये से मुल्क का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन इस संशोधन से नई विचारधारा शुरू होगी और मैं समझता हूं कि यदि इसकी शुरुआत देश सेवक मंत्रियों के द्वारा हो तो और ज्यादा अच्छा हो। अगर यह नहीं हुआ तो जो इल्जाम हमारे ऊपर शराबी होने का है वह उन्हीं पर आयद होगा। जब तक मंत्री ऐसा नहीं करते तब तक उनकी जबान में वह ताकत पैदा नहीं हो सकती। उनकी कलम में वह ताकत पैदा नहीं हो सकती कि वह आर्थिक व्यवस्था ठीक कर सकें। जब आचार्य नरेन्द्र देव एक सादा जीवन व्यतीत करते हैं और जब वह अपनी आमदनी का काफी हिस्सा गरीब विद्यार्थियों को देते हैं तब उनकी जबान में वह ताकत पैदा होती है कि वह अपने विद्यार्थियों को सादगी की शिक्षा दे सकते हैं। मैं जानता हूं आपने सेवा की है। उन सेवाओं के आधार पर आप दूसरों से सेवा की बातें कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस संशोधन को मान लेंगे तो आप की जबान में ताकत पैदा होगी और नयी व्यवस्था के बनाने में आप की पूरी ताकत पैदा हो जायेगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैंने यह प्रस्ताव आप के सामने रखा।

डिप्टी चेयरमैन--(श्री प्रभुनारायण सिंह की तरफ देखकर) आप और बोलेंगे या इसको हाउस के सामने रख दूं। कल से इस पर बहस हो रही है। जैसा आप मुनासिब समझें वैसा करें।

श्री प्रभुनारायण सिंह--क्या आप चाहते हैं कि बहस बन्द कर दी जाय?

डिप्टी चेयरमैन--मैं बहस बन्द करना नहीं चाहता हूं।

श्री प्रभुनारायण सिंह--इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि काफी साफ हो गया है।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड २ (क) के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रखा जाय:

"उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री को, जिसकी निजी आमदनी १,००० रुपया मासिक या उससे अधिक होगी, कोई वेतन नहीं दिया जायेगा। जिस मंत्री या मुख्य मंत्री की निजी आमदनी १,००० रुपया मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वेतन दिया जायेगा कि उसकी कुल आमदनी १,००० रुपया मासिक हो सके"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री गोविन्द सहाय--माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २, उपखंड (ख) में ७५० रुपया के स्थान पर ५०० रु० मासिक वेतन रख दिया जाय।

[श्री गोविन्द सहाय]

मैं जानता हूं कि २५० रुपया घटाने-बढ़ाने को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो बाहर का हिस्सा है उसमें एक दूसरे हिस्से को मैं मुनासिब समझता हूं। पहले हिस्से के अन्दर मिनिस्टर साहब खुद अपनी खुशी से अपनी तनख्वाह कम किये हैं। मैं भी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। यह मैं भी उसको मानता हूं कि जो कुरबानियां मिनिस्टर साहबान ने की है वे पिछली कुरबानियों से बड़ी हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये मैं कबूल करता हूं कि दूसरी बात जो है वह अच्छी अवश्य है। अभी तक पिछली गवर्नमेंट को चलाने के लिये ही समझा गया था कि मिनिस्टरों के साथ साथ पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी हों। उनकी तनख्वाहें ५०० रु० पड़ती थीं मैंने कल भी कहा था कि मैं यह जरूरी नहीं समझता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर रक्खे जायें लेकिन मैं इस बात पर तब बोलूंगा जब कि मौका होगा। लेकिन जब एक तरफ मिनिस्टरों की तनख्वाहें घटाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी मिनिस्टरों की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। डिप्टी मिनिस्टरों की तनख्वाहें भी क़ानूनी तरीक़े से उसी तरह से कम की जानी चाहिये और उसी मुनासिबत पर लानी चाहिये जिस पर कि मिनिस्टरों की की गई है। मैं इसलिये इसको रेसिस्ट (resist) कर रहा हूं कि इसको करने से आपकी वह स्प्रिट (spirit) क़ायम रहती है जिस पर कि आपने मिनिस्टरों की तनख्वाहें कम की हैं। इससे एफिसियन्सी (effeicency) कम नहीं होती है। यह एक माकूल बात है फिर इसको मानने से आपको क्यों गुरेज है। कल भी कहा गया था और आज भी कहा गया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं यह देखता हूं कि वाद-विवाद में पर्सनल (personal) मामलों की चर्चा की जाती है। माननीय हाफिज जी जिनकी मैं क़द्र करता हूं और समझता हूं कि वह बहुत सुलझे हुये पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने कल मेरी बातों का जवाब न देकर कुछ दूसरी बातें मेरे ऊपर डालकर जवाब दिया था। मैं इस बात को जानता हूं कि वह हमारी बातें सुनते रहते हैं और उनका दिमाग़ किसी दूसरी तरफ रहता है। वह इस बात के आदी हैं। यहां कोई पर्सनल बात उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर अपोजीशन पार्टी के लोग कहते हैं कि ख़र्च कम किया जाये तो उनका मतलब यह होता है कि टैक्स पेयर्स (tax payers) का कुछ बोझा कम किया जाये। अगर आप ठीक समझते हैं तो कम कर दीजिये। व्यक्तिगत बातों से कोई चीज हल नहीं होती है। मैं फिर यही कहता हूं कि जो मैंने तरमीम रक्खी है वह आपकी पहली क़िस्म की स्प्रिट (spirit) को क़ायम रखती है। उसको मानने में आपको किसी क़िस्म का परहेज न होना चाहिए। मैं समझता हूं कि गांधी जी का नाम इस तरह की दलीलों में बार बार न आना चाहिये। उनका नाम बार बार लेना ठीक नहीं था। उनका नाम लेने से कोई बात साफ़ नहीं होती है। यह कहना कि गांधी जी के असर से हमने यह काम किया ठीक नहीं है। गोडसे ने गांधी जी को खत्म किया लेकिन उनके उसूलों को उन्होंने नहीं खत्म किया जो उनका नाम बार बार लेते हैं। गांधीइज्म का जिन्होंने अच्छी तरह स्टडी (study) किया है और जो उनके साथ अर्से तक रहे हैं उनका यह कहना ह कि आजकल का ऐडमिनिस्ट्रेशन गांधी जी के उसूलों के बिलकुल खिलाफ जा रहा है। जो गांधी जी की बातों पर एक्सपर्ट (expert) हैं वह कहते हैं कि आज गांधी जी के उसूलों के खिलाफ काम हो रहा है और यह वह करते हैं जिनका हाथ आजकल की हुकूमत में है।

यह राय मैं उनकी दे रहा हूं। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं। लेकिन इस क़िस्म की बातों से कोई नतीजा नहीं निकलता है। गांधी जी क्या कहते थे या क्या नहीं कहते थे इस पर बहस करने की मैं जरूरत नहीं समझता। लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि लीडरशिप (leadership) का बहुत असर होता है। जब हम जेलों में जाते थे तो हमारी आवाज में असर होता था, जनता हमारी बातें मानती थी। आज अगर जनता नहीं मानती है तो इसका सबूत बक्शी तालाब की स्पीच में मुख्य मन्त्री के अपने भाषण से ही पता चलता है

उन्होंने कहा है कि आज सर्विसेज (services) में और लोगों में आइ-डियलिज्म (idealism) नहीं है। यही बातें अगर अपोजीशन के लोग कहते थे तो यह कह कर खत्म कर दिया जाता था कि यह अपोजीशन के लिये बातें कही जाती हैं। अब चीफ मिनिस्टर साहब को मानना पड़ा कि कोई मौलिक गलती उनकी कार्यप्रणाली में है। उन्होंने माना है कि सर्विसेज में आइडियलिज्म नहीं है और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह शिकायत आपकी बढ़ती जायगी। यह डिबेट (debate) का कोई तरीक़ा नहीं है जो यहाँ बरता गया है। आप यह कहें कि चूंकि ऐसा नहीं करते हैं तो यह कोई दलील नहीं है। आपने शासन की जिम्मेदारी ले ली है इसलिये जिम्मेदारी आपकी है। अपोजीशन की जिम्मेदारी आपको यह बताने की है कि आप आइडियलिज्म से दूर जा रहे हैं। पहले अमेन्डमेंट (amendment) में व्यवहारिक तरीक़े से दिक्क़त हो सकती है लेकिन उसमें उस आइ-डियलिज्म की झलक दिखाई देती है जिसको कि आप चाहते हैं। जो अमेन्डमेंट मैंने रखा है उसमें कोई दिक्क़त नहीं है और इसलिये मैंने इस अमेन्डमेन्ट को रखा है जिससे टैक्सपेयर को ढाई रुपये का फायदा हो। आपके साथ अक्सरियत है। आप अगर चाहें तो आप इस हाउस में दो और दो तीन कह सकते हैं और इस बात को बहुत से कहने वाले भी मिल जायेंगे लेकिन आज मैं कहता हूं, मुझे आप दलील के ज़रिये बतायें कि कैसे आप स्टेटस (status) को मेनटेन (amaintain) नहीं कर सकेंगे और टैक्सपेयर को फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। मेरा अमेन्डमेंट व्यवहारिक, क़ानूनी और उसूली तरीक़े से ठीक है। अगर इस मासूम अमेन्डमेन्ट को भी आप नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूं कि आप कुछ भी करने के लिये तैयार नहीं हैं। यहाँ पर जो पर्सनल बातें कही गई हैं वह बहुत नामुनासिब हैं। लोअर हाउस (Lower House) से अपर हाउस (Upper House) का स्टैन्डर्ड (standard) बहुत ऊंचा है और अच्छे क़िस्म का है। इसलिये हमें अपने ऊपर क़ाबू करके कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिये जो इश्त्याल अंगेज हो। मैं समझता हूं कि मेरा अमेन्डमेंट आप मान लेंगे।

माननीय वित्त मन्त्री—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैंने इस संशोधन पर जो इस वक्त के इस सदन के सामने रखा गया है, जो तक़रीरें पेश करने वाले साहब ने फरमायीं उनको सुना। जहाँ तक संशोधन का ताल्लुक़ है वह सिर्फ इतना है कि बजाय ७५० रुपये के ५०० रुपया डिप्टी मिनिस्टरों की तनख्वाह हो जाय। बातें तो तकरीर में बहुत सी सुनीं, नसीहतें भी सुनीं। ऐसी बातें भी मेरे सामने आयीं जो शायद मुझको खुद भी अपने निस्बत नहीं मालूम हैं। मैं उनका मशकूर हूं जिन्होंने मुझको मालूमात पहुंचायीं लेकिन जहाँ तक तजवीज का ताल्लुक़ है मैंने नहीं सुना कि ७५० के बजाय ५०० रुपये हो जाने के लिये क्या जस्टी-फिकेशन (justification) दिये गये हैं। वह कन्सीडरेशन (consideration) और वह सब बातें जो कि मिनिस्टर की तनख्वाह के बारे में कही गयीं कि १२ सौ के बजाय एक हज़ार कर दी जाय, अगर वही बात इसमें है तो उसकी निस्बत मैं कोई बात बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन मेरी नजर में यह बात आती है कि इस क़ानून में एक तरफ हम मिनिस्टर की तनख्वाह १२ सौ रखते हैं और उसी के साथ एक डिप्टी मिनिस्टर की तनख्वाह ५ सौ रुपये रखते हैं तो इस तरह से जो ७ सौ रुपये का फर्क़ हो जाता है वह कहाँ तक मुनासिब है। दो आदमियों की तनख्वाह में जो कि एक दूसरे से थोड़े ऊपर नीचे हों इस तरह का फर्क़ करना कहाँ तक माकूल बात होगी। खर्च कितना होगा इस सवाल को तो सभी जानते हैं। मिनिस्टरों को पहले भी तनख्वाह मिलती थी और अब भी मिलती रहेगी। इसके मुताल्लिक ज्यादा कहना मैं जरूरी नहीं समझता। मैं यह नहीं समझता हूं कि वाक़ई इसकी जरूरत है और वाक़ई इससे फ़ायदा होने वाला है, लिहाजा इस तरमीम को मंजूर करना चाहिए। गवर्नमेंट तो इसे मंजूर नहीं करती है। मगर इसके साथ एक बात ऐसी कही गई जिसके मुताल्लिक मुझे कुछ अर्ज कर देना जरूरी है।

[माननीय वित्त मंत्री]

जहाँ तक मेरा एटिच्यूड (attitude) है, और जिस एटिच्यूड को मैं मुनासिब भी समझता हूं, उसके मुतालिलक एक मर्तबा नहीं इस ऐवान में भी और इससे पहले वाले ऐवान में मैं भी बहुत सी दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूं। मैं इस तरह की बातों को, जिसमें एक दूसरे की शिकायत करना या किसी क़िस्म का इल्ज़ाम लगाना, बहुत ग़लत समझता हूं। अगर मैं इस तरह कोई काम करता हूं तो निहायत ग़लत करता हूं और कोई दूसरा करता है तो वह भी निहायत ग़लत काम करता है। मुझसे जहाँ तक मुमकिन होता है इससे बचता रहता हूं। शायद जितने पुराने मेम्बर हैं वे इस बात की शहादत दे सकते हैं। हाँ, ऐसी बात अब मैं कहने वाला हूं और इस बात का कहना भी जरूरी है। मैंने किसी बात को जो पर्सनल न थी और न पर्सनल होने वाली थी उसको पर्सनल करार दिया। उसकी निस्बत मैं यह जरूर कहूंगा कि मेरे दोस्त कह रहे थे और उनकी कल की तक़रीर रिकार्ड होगी और जितने मेम्बर कल तशरीफ रखते थे उनको मालूम होगा कि उन्होंने कहा था कि एक पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी पर ४५ हज़ार रुपया ख़र्च होता था। यह मैं कोई पर्सनल बात नहीं कह रहा हूं। तो क्या इस तरह की बात कहने से मैं कोई वाक़ई पर्सनल ग्राउन्ड (personal ground) लेता हूं। हुज़ूरवाला, मैं तो कहता हूं कि यह उस सरकार की बदक़िस्मती थी जिसने इस चीज़ को सामने नहीं रखा। उसको तो सामने रखना चाहिए था कि एक पार्लिया-मेन्टरी सेक्रेटरी पर ४५ हज़ार रुपया ख़र्च हो रहा है। अगर मैं कोई भी पर्सनल बात रखूंगा तो जवाब कैसे बैठेगा। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात इस हाउस में होनी ही नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरे दोस्त का ताल्लुक़ है, वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी उन्हें काफ़ी अर्से से जानता हूं। लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि अगर वे वहाँ थे तो मेरे थे और यहाँ हैं तो मेरे हैं।

मैं यह जानता हूं कि वह भी बिजनौर के रहने वाले हैं और मैं भी वहाँ का ही रहने वाला हूं। उन्होंने मेरी हालत पर रहम करम किया है। मैं उसका मशकूर हूं। मैं इतना ख़ुदगरज़ नहीं हूं कि मैं अपने मोहसीन की बात को भूल जाऊं। मैं सब बातों को सुनता हूं और समझता हूं। जिन साहबान को इस ऐवान में पाँच साल के रहने का तजुर्बा है वह इस बात को जानते हैं कि मैं सब की बातों को गौर से सुनता हूं और फिर उसका जवाब देता हूं। मैं इन बातों को किसी मक़सद से नहीं कहता हूं बल्कि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। मैं वकील भी रहा हूं गवाह को पकड़ सकता हूं और उसकी खिलाफत भी कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई शख्स अपने जाती तजुर्बे पर कहे तो मैं उसकी तरदीद नहीं करूंगा। चाहे कोई गवर्नमेंट हो हम सब एक ही हैं। मुल्क की सेवा करना, मुल्क की खिदमत करना हमारा फर्ज है। चाहे काँग्रेस पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, मैं समझता हूं सब की यही पालिसी है कि वह मुल्क की खिदमत करे। इन चन्द अल्फाज़ों के साथ मैं अपनी तक़रीर को खत्म करता हूं।

श्री गोविन्द सहाय—मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २, उपखंड (ख) में ७५० रुपये के स्थान पर ५०० रुपये मासिक वेतन रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैं पेश करना चाहता हूं वह यह है कि खंड २ (ख) निकाल दिया जाय। खंड २ (ख) इस प्रकार है:—

"उत्तर प्रदेश के उप-मंत्रियों को ७५० रुपया मासिक वेतन दिया जायेगा।"

माननीय वित्त मन्त्री—जनाबवाला, मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि यह जो अमेंडमेंट पेश हुआ है, उसको मैं समझना चाहता हूं, वह क्या है?

श्री राजाराम शास्त्री--वह संशोधन यह है कि खंड २ (ख) निकाल दिया जाय।

माननीय वित्त मन्त्री--जरा उसे पढ़ दीजिये।

श्री राजाराम शास्त्री--(ख) उत्तर प्रदेश के उप-मंत्रियों को ७५० रुपया मासिक वेतन दिया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस क्लाज (clause) के जरिये से हुकूमत यह चाहती है कि मंत्रियों के अलावा उपमंत्री भी बनाये जायं और उनको प्रति मास ७५० रुपया वेतन दिया जाय। मेरा ख्याल यह है कि भारतीय संविधान के अन्दर मंत्रियों की तो व्यवस्था है, लेकिन उपमंत्रियों की व्यवस्था कोई नहीं है तो यह उपमंत्रियों का एक नया ओहदा खोला जा रहा है। अभी तक इस बिल को पेश करते समय हमारे सामने यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि काम ज्यादा बढ़ गया है और इसलिये उपमंत्रियों की जरूरत है। यह गवर्नमेंट उप-मंत्रियों को क़ायम करना चाहती है और इसी के लिये ऐसी ज़रूरत महसूस हुई। अभी तक तो मंत्री होते थे और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज होते थे और जैसा कि भवन में बताया गया है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को भी कुल मिला कर ८०० रुपया मिलता था अब अगर हम इस उपमंत्री के ओहदे को मानते हैं तो आगे जरा बिल की धाराओं पर आप विचार करेंगे, तो देखेंगे कि ७५० रुपया वेतन, १०० रुपया मकान का और १०० रुपया मोटर का यह सब मिलाया जाय तो एक हजार के क़रीब पड़ जाता है तो एक हजार प्रति मास बढ़ाकर के एक ओहदा हम बढ़ा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी तक भवन के सामने यह बात नहीं बताई और न इस बात को स्पष्ट किया कि इस ओहदे पर बैठने वाले उपमंत्री संख्या में कितने होंगे? अगर हम इस चीज को स्वीकार करते हैं बिना इस बात को सोचे हुये तो मैं नहीं समझता हूं कि जब मंत्रियों की तादाद १२ है तो यह उपमंत्री आधे दर्जन होंगे, एक दर्जन होंगे या दो दर्जन होंगे, यह मंत्रियों की मर्ज़ी पर मुन्हसर है कि जब-जब इसकी जरूरत मालूम हुई तब-तब आदमियों को उस ओहदे में रखा जाये। मैं समझता हूं कि आँख मूंद करके स्वीकृति दे देना उस बात के लिये जिसके लिये हमने १ हज़ार रुपया की स्वीकृति रखी है उसमें कितना काम रखा गया है, ठीक नहीं हैं। साथ ही साथ मैं जानता हूं और ठीक भी है कि सरकार का काम बढ़ गया है, हमारे सामने और भवन के सामने यह बात भी स्पष्ट नहीं की गई है कि मंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अभी तक जो काम चला रहे थे उसमें कहाँ पर खराबी आई, क्यों असम्भव हो गया और क्यों मंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज से हुकूमत नहीं चल सकती है जब तक कि उप-मंत्रियों का बीच में एक ओहदा और न बढ़ाया जाय?

आप इस बात का दिन रात रोना रोते रहते हैं कि सरकार के पास खजाना नहीं है राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों के लिये लेकिन इस तरह बेकार का ख़र्च करना मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता है। इस मौक़े पर उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे याद आ गई। कल बोलते हुये एक माननीय सदस्य ने एक किस्सा बतलाया जो कि एक बाप और बेटे का था जो कि एक गदहे को लिये जा रहे थे तो लोगों ने उनकी आलोचना हर तरह से की। आज मैं एक दूसरा उदाहरण देकर उनको समझाने की कोशिश करूंगा। एक राजा साहब के पास एक हाथी था और उसकी देखभाल के लिये उन्होंने एक महावत रख छोड़ा था और दस सेर आटा हाथी को खाने के लिये दिया जाता था। उस दस सेर आटे में से एक सेर आटा महावत खुद ले लेता था। राजा ने देखा कि हाथी तो पहले से कमजोर हो गया है और उन्होंने सोचा कि उसकी देखभाल के लिये एक और आदमी होना चाहिये-तो उस दूसरे आदमी ने भी एक सेर आटा उस दस सेर में से लेना शुरू कर दिया। इस तरह से हाथी के हिस्से में से दो सेर आटा वे लेते थे। राजा साहब ने देखा कि हाथी तो और भी कमजोर हो गया है तो उन्होंने यह सोचा कि जिस जगह से यह हाथी आया है, वहाँ से एक आदमी इसकी देख-भाल के लिये आना चाहिये। इस तरह से तीन आदमी एक हाथी की देखभाल के लिये हो गये और कुल सात सेर ही हाथी को आटा मिल पाता था। हाथी को दुबला होता देख राजा साहब ने एक दिन तीनों को बुलाया और महावत से पूछा कि तीन आदमियों के होते हुये भी यह हाथी

[श्री राजाराम शास्त्री]

पहले से भी दुबला क्यों हो रहा है ? महावत ने जवाब दिया कि पहले इसके हिस्से में से १ सेर मैं ही लेता था मगर अब तो तीन सेर इसके हिस्से में से लिया जाता है और इस तरह से इसका हिस्सा बहुत कम रहने से इसकी मरने की सी दशा हो गई है, अगर मैं ही इसके देखभाल के लिये होता तो शायद इसकी दशा ऐसी न होती। इस हुकूमत के भी यही हाल हैं। प्रजा की हालत खराब होती जाती है। जब प्रजा की हालत खराब होती है तब हुकूमत की तरफ से एक डिपार्टमेंट बढ़ाया जाता है और यह कहा जाता है कि इस डिपार्टमेंट के लिये एक डाइरेक्टर होना चाहिये, एक डिप्टी डाइरेक्टर होना चाहिये, एक असिस्टेंट डाइरेक्टर होना चाहिये, इसी तरह से उपमंत्री भी होने चाहिये। पहले मिनिस्टर्स ६ ही थे, फिर ९ कर दिये गये और अब १२ कर दिये गये हैं। अब इनके अतरिक्त और उपमंत्री भी रख लिये जायें और हाथी दुबला होता चला जाता है। मैं आपसे बहुत अदब से कहूंगा कि यह जो तरीक़ा है हुकूमत का ब्यूरेक्रेटिक (bureaucratic) ढंग का, और उसमें यह कि जितने ही अधिक आदमी रखे जायें, उतना ही अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, यह बिल्कुल गलत है। हमारे मंत्रि मंडल में १२ मंत्री हैं और अगर १२ उप-मंत्री और पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज़ रख लिये जायें तो इससे हुकूमत बहुत अच्छी तरह से चलेगी और उसमें कोई खराबी नहीं होगी, यह नहीं कहा जा सकता है। अगर १२ महीने के बाद आपको फिर ज़रूरत पड़ी तो आप फिर बिल पेश कर दीजिये।

अगले साल अगर आप अपने इस बिल को लायेंगे और बतायेंगे कि उपमंत्रियों ने बड़ी बड़ी मेहनत की। अगर मंत्री और उपमंत्री बराबर साल भर लगे रहे लेकिन हुकूमत का बोझ चलाये नहीं चलता है, उस हालत में मैं कोशिश करूंगा कि आप का साथ दूं। ५ वर्ष तक आपने हुकूमत चलाई आपका दावा है कि इतना सस्ता और अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन दूसरी जगह नहीं चल रहा है। हमारे मुख्य मंत्री ने भी असेम्बली में कहा है कि इतना अच्छा और सस्ता ऐडमिनिस्ट्रेशन दुनिया के किसी कोने में नहीं चल रहा है। देश की हालत अच्छी हो गई है, बेकार में समाजवादी लोग आलोचना किया करते हैं। सबसे सस्ता इन्तज़ाम हमारे उत्तर प्रदेश का है, तो फिर हमारी समझ में नहीं आता कि यह उपमंत्रियों का ओहदा क्यों खोला जा रहा है। मैं भी मानता हूं कि माननीय मंत्रियों ने अपनी तनख्वाहों में कटौती की है, बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया है लेकिन यह कुर्बानी तीन साल पहले की थी। अब आप फिर से चुन कर आये हैं। एक कोई नई कुर्बानी आप कीजिए ताकि लोग समझें कि ५ वर्ष के बाद जब आप फिर पहुंचे तो आप ने यह कुर्बानी की। उपमंत्रियों के ओहदे को रखना चाहते थे लेकिन रखा नहीं गया, बात तो कुछ और है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि मेम्बरान की तनख्वाहें बढ़ायें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। कल मैंने भी कहा था और प्रोफेसर साहब ने भी कहा था कि हजार दो हजार और चार हजार का कोई सवाल नहीं है परन्तु सवाल एक सिद्धान्त का है। आप रोजमर्रा पब्लिक से अपील (appeal) करते हैं कि राज्य संकट में पड़ा है, कुर्बानी करो। मेरी समझ में नहीं आता कि आप सड़क पर बैठने वाले मोची से अपील करते हैं, मिल के मज़दूरों से अपील करते हैं या प्राइमरी स्कूल के मास्टरों से अपील करते हैं जो तीन-तीन महीने तक तनख्वाहें नहीं पाते हैं या आठ-आठ दस-दस घंटे ड्यूटी देने वाले सेक्रेटेरियट के चपरासियों से उम्मीद करते हैं कि वह कुर्बानी करें। मैं कहूंगा कि बजाय उनसे कुर्बानी माँगने के, कुर्बानी की शुरुआत आप अपने से कीजिए। जब तक आप कुर्बानी न करेंगे, ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को आप कम न करेंगे, और यह न दिखायेंगे कि हम ज्यादा मेहनत करते हुए कम पैसे में काम चलाते हैं तब तक दूसरे लोग आप की अपील सुनने वाले नहीं हैं। बाज वक्त मुझे अफसोस जरूर होता है, यद्यपि आप उधर बैठते हैं और हम इधर बैठते हैं, फिर भी हम आप से सहयोग करना चाहते हैं लेकिन आप समझते हैं कि हम कांग्रेस के हैं और वह सोशलिस्ट हैं, आप के ऊपर से कांग्रेस का बिल्ला और हमारे ऊपर से सोशलिस्ट का बिल्ला नहीं हटता। माननीय मंत्री जी यही कहते हैं और हम भी यही कहते हैं कि बिला पार्टी का कोई लिहाज किये हुये देश की

भलाई में हम सबको काम करना चाहिये। लेकिन आप हमको हाथ नहीं बटाने देते। मैं तो खुश हुआ और मैं चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कल अपना भाषण दिया था वह बड़ा मुनासिब था कि जब तक यह हुकूमत रहेगी हमेशा इस बात की कोशिश करती रहेगी कि सबसे सहयोग करके अपना काम चलायेंगे। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि हम सच्चे नागरिक की हैसियत से हमेशा मुनासिब बात कहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनहित के काम में मैं आप के साथ हमेशा सहयोग करूंगा। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है जैसा उधर के मेम्बर लोग कभी कोई ऐसी बात कह देते हैं जो ग़ैरमुनासिब सी होती है तो मुझे उम्मीद है कि आप माफ करेंगे। क़ानून के ज़रिये से आप कुरबानी क्यों चाहते हैं खुद करके क्यों नहीं देखते हैं। हमारा यक़ीन है कि चाहे ईसा मसीह के ज़माने को लीजिये, गाँधी जी के ज़माने को लीजिये, सब ऋषि मुनियों के त्याग और उपदेश को देखिये आपको मालूम होगा कि सिर्फ उपदेश से ही लोग कुरबानी नहीं करने लगते हैं। अगर ऐसा होता तो यह दुनिया आज स्वर्ग हो गई होती। मनुष्य मनुष्य है, उसमें स्वार्थ है, वह देवता नहीं है जो आप के उपदेश से कुरबानी करने लगे। आज वह अपने आप को नहीं सुधार सकता जब तक कि आप उसके सामने अपनी खुद कुरबानी करके मिसाल पेश न करें। अगर इस तरह से सुधार नहीं होता है तो क़ानून के ज़रिये से आप उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं।

बेशक मैंने गांधी जी से मतभेद किया केवल एक बात पर वह यह कि गाँधी जी का विश्वास था कि जो हम कहते हैं वह सच्चे हृदय से कहते हैं मनुष्य का हृदय पिघल सकता है उन्होंने रईसों और धनियों से अपील की कि कुरबानी करो लेकिन हम समाजवादी हमेशा यकीन करते रहे कि गान्धी जी के बाद लोग गान्धी जी की जै जैकार करेंगे, उनकी प्रतिमा मकानों में लगायेंगे, खद्दर के कपड़े पहनेंगे, और गान्धी जी के नाम की माला भी जपेंगे, लेकिन जिस तरह से ईसा को ईसाइयों ने ठुकरा दिया, बुद्ध को यहाँ पर लोगों ने ठुकरा दिया, वैसे ही हम गान्धीवादी गान्धी को ठुकरा देंगे। यह हमारा हमेशा यक़ीन रहा और हमारा यक़ीन सच साबित हुआ। हमने और आपने उनके आदेशों को माना नहीं क्या हम और क्या आप हर एक ने उनको ठुकराया। केवल मतभेद के लिये यह चीज़ चलेगी नहीं। इसलिये मैं यह अपील करूंगा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उपमंत्री न रखे जायं और मंत्री लोग खर्चा कम करें। यह नहीं है कि २४ घंटे काम करते रहें, बल्कि मैं यह कहूंगा कि क्या १ हजार में सादगी का जीवन नहीं व्यतीत हो सकता है और बिना उपमंत्रियों के क्या काम नहीं चल सकता है? यह सब बातें ऐसी हैं जिनसे गवर्नमेंट इस समय जबकि मौक़ा है दिखा सकती है कि यह त्याग किया गया है और आप एक मिसाल पेश कर सकते हैं। असेम्बली और कौंसिल में अनेक बिल आयेंगे, साल भर तक आपको हुक़ूमत करने का मौक़ा मिलेगा नतीजा यह होगा कि और मौकों पर आप दूसरों के लिये क़ानून पेश करेंगे यही एक मौक़ा है जब आप अपने लिये क़ानून बना रहे हैं। आप अगर अपनी कुरबानी कर के दिखायेंगे और खर्च में चाहे एक ही पाई क्यों न हो कम करेंगे तो जब आप दूसरों के लिये क़ानून बनायेंगे तो उसका असर पड़ेगा। यह मैं इसलिये बार-बार कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं सूबे के अन्दर देखता हूं और मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत की है और भी मंत्रियों से बात चीत की है। ऐसे मौक़े आयेंगे जब पूंजीपति लोग और कारखाने के मालिक लोग मज़दूरों के साथ अन्याय करेंगे और हमारी यह हुक़ूमत उन पर नियन्त्रण करेगी और उनसे कहेगी कि आप अपना खर्च कम कीजिये और मज़दूरों को उनका बोनस (bonus) दीजिये। आप अपना मुनाफ़ा कम पैदा कीजिये और मज़दूरों को ज्यादा पैसा दीजिये तो इस तरह के काम सरकार जनता और मज़दूरों के हित में करेगी तब पूंजीपति आप से कह सकते हैं कि असेम्बली में आपने अपनी तनख्वाहें और भत्ते बढ़ा लिये और आप अपने लिये एक कानी कौड़ी भी कम करने के लिये तैयार न हुये। अब जब कि ऐसा सवाल आया तो आप इस तरह से कहते हैं तो उस समय आप की बात न चलेगी। यह मौक़ा है जब आप यह करके दिखला सकते हैं। मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि यह ऐसी बातें नहीं हैं कि आप यह कहें कि साहब आप विरोध के लिये कह रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप यह न कहें कि जो बात हम कहते हैं वह

[श्री राजाराम शास्त्री]
सिर्फ विरोध के लिये ही कहते हैं अगर ऐसी बात कही जायेगी तो मैं भी उल्टी-सीधी बातें करना शुरू करूंगा जो मुनासिब न होगा। मैं आखिर में यही कहूंगा कि उपमंत्री रखना उचित नहीं है।

(कौंसिल १ बज कर २ मिनट पर अवकाश के लिये २ बजे तक के लिये स्थगित हो गई और २ बजे से डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्द सहाय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ख्वाहिश थी कि इस संशोधन पर माननीय मिनिस्टर उद्योग के बोलने के बाद मुझे बोलने का मौक़ा मिलता तो अच्छा होता। क्योंकि पहले वह यहाँ पर न थे। उनके न होने की वजह से मुझे उनकी दलीलों को सुनने का मौक़ा नहीं रह गया। मैंने कल इस सवाल को उठाया था कि डिप्टी मिनिस्टर्स के अप्वाइन्टमेंट (appointment) की यूटिलिटी (utility) का सवाल है। सवाल इस बात का नहीं है कि उस पर कितना रुपया खर्च होता है। अगर एक चीज़ की यूटिलिटी है तो उस पर रुपया खर्च होगा। उस रुपये को देने में किसी को गुरेज न होना चाहिए। मैं यक़ीन दिलाता हूं कि अपोजीशन के लोगों को भी ठीक खर्चे पर गुरेज नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर पहले यूटिलिटी की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से विचार किया जाये। मेरा अपना यह ख्याल है और वह ख्याल बदलने की कोई वजह मुझे अभी नहीं मालूम हो रही है, जिस तरह की इस वक्त हालत है और मिनिस्टर्स की जिस तरह तादाद बढ़ी है और काम की जो हालत है उसमें मैं यह जरूरी नहीं समझता कि डिप्टी मिनिस्टर्स की खास जरूरत आ पड़ी है। कल मैंने कुछ बातें अपने ज़ाती तजुर्बे से कही थीं और मैं आज भी कहता हूं कि उन बातों को अगर उसी हालत में लिया जाये तो मेरी बातों को समझने में वह बातें मददगार हो जाती हैं। पिछले तजुर्बे की बिना पर मैं यह बताता हूं कि पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज मुक़र्रर किए गए मिनिस्टर्स की मदद के लिए लेकिन एक अजब कशमश, झगड़ा ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स (administrative powers) के ऊपर चलने लगा। पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज़ का इन्स्टीटयूशन (institution), चाहे आप उनको पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्री कहें या डिप्टी मिनिस्टर कहें मतलब दोनों का एक ही है। मैं उसमें रह कर अपने तजुर्बे की बिना पर अगर कोई बयान करता हूं तो मैं समझता हूं कि हाउस को उससे फायदा उठाना चाहिए। पिछली मर्तबा एक कशमकश एक्जीक्यूटिव पावर्स (executive powers) के लिए पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज में और सेक्रेट्रीज में चला। और उसका फैसला तब तक नहीं हुआ जब तक कुछ पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज प्रमोशन (promotion) पाकर मिनिस्टर नहीं हो गए। तो यह इन्स्टीटयूशन स्टेट (institution state) के लिए जितना मन्द हो सकता था उतना नहीं साबित हुआ। १२ पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज़ थे और आख़ीर में तीन रह गये थे और उनमें से भी ज्यादा तर बेचारों का काम लेटर (letter) लिखना रहता था। मैंने अपने तजुर्बे की बिना पर यह बताने की चेष्टा की कि पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज को अपने को उपयोगी बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और जद्दोजहद से जो पेचीदगी पैदा हुई उससे यह नतीजा निकला कि कुछ लोग चीफ़ मिनिस्टर साहब के साथ रखे गए। अगर मुझको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाये कि इस दफ़ा पुराने तजर्बे से फायदा उठाकर कोई नई स्कीम रखी जायगी जिससे जिनको पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी या डिप्टी मिनिस्टर बनाया जायेगा उनसे ज्यादा काम लिया जा सकेगा तो मैं आप को यक़ीन दिलाता हूं कि म इसकी मुखालिफत न करके इसका खैर मुक़दम करूंगा। पहले पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्री के नाम से कोई इक्जीक्यूटिव पावर्स वाबस्ता नहीं थे। डिप्टी मिनिस्टर्स के माने यह हैं कि उनको सेक्रेट्रीज और मिनिस्टर्स के बीच में रखा जायेगा, और एक इक्जीक्यूटिव पोस्ट (excutive post) कायम करना चाहते हैं। सेक्रेट्री जो नोट (note) लगायेंगे उस नोट

पर डिप्टी मिनिस्टर्स नोट लगायेंगे। ऐसी हालत में मिनिस्टर्स के सामने यह पेचीदगी पैदा होगी कि वह सेक्रेटरी के नोट को माने या डिप्टी मिनिस्टर के नोट को माने। अगर आप डिप्टी मिनिस्टर्स के नोट को मानेंगे तो एक कम्प्लेक्स (complex) पैदा होगी, और अगर सेक्रेटरी के नोट को मानेंगे तो भी एक कम्प्लेक्स पैदा होगी। आज डिप्टी मिनिस्टर्स के अप्वाइन्टमेन्ट में कोई एफ़ीसियंसी (efficiency) या मेरिट (merit) का भी सवाल नहीं है। उसमें तो सिर्फ पार्टीकि कुछ लोगों को जगहें देकर बैलेंस (balance) क़ायम रखने की भावना काम कर रही है। आप दारुलसफ़ा में जाकर देखें तो आप पायेंगे कि हर पाँच मेम्बर में एक मेम्बर डिप्टी मिनिस्टरशिप (Deputy Ministership) के लिए उम्मीदवार है और इसी बात की चर्चा हमेशा हुआ करती है।

जो बातें मैंने कहा है वह इस आधार पर है कि मुझे भी कांग्रेस में काम करने का मौक़ा मिला है। आज डिप्टी मिनिस्टर की कोई मेरिट (merit) नहीं है। आज सब की निगाहें इस ओर लगी हैं कि डिप्टी मिनिस्टर कितने होंगे आप की बातों का असर सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है। इसलिये अगर मैं इस इंस्टीटयूट की मुखालिफत करता हूं तो मैं अपने तजुर्बे से करता हूं। अगर आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं अगर आप नहीं उठाना चाहते हैं और आप कहें कि हम को कौन रोक सकता है तो मैं आपको नहीं रोकता हूं। वह जो खर्च होता है वह कहाँ तक ठीक होता है और कहाँ तक ठीक नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि जो होता है वह ठीक होता है, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी जो करता है वह ठीक करता है। एक एक पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी अगर इफेक्टिव (effective) तौर पर काम करना चाहते हैं तो उनकी मुखालिफत भी होती है। मैं सिर्फ यह बता रहा था कि अगर आप किसी को इफेक्टिव बनाकर रखना चाहते हैं तो उसमें खर्च ५० हजार रुपया साल पहुंच सकता है। अगर वे ठीक काम करते हैं और गवर्नमेंट की भलाई के लिये काम करते हैं तो ठीक है लेकिन इसका जो तजुर्बा मुझे हुआ है उससे जाहिर है कि वह ठीक नहीं है। अगर मैं बहस करता हूं तो आप कह सकते हैं कि आप ने उस वक्त क्यों नहीं कहा। लेकिन बताने का भी मौक़ा होता है। तजुर्बे की बुनियाद पर वे बातें कह रहा हूं। अभी यहाँ पर आनरेबुल मिनिस्टर आफ एज्युकेशन नहीं हैं। उनका भी ऐसा तजुर्बा था, ज्यादा इक्ज़ीक्यूटिव आफीसर होने से झगड़े बढ़ते हैं। आज सर्विसेज़ परेशान हैं। मैं अदब से कहूंगा कि जिस वक्त ६ मिनिस्टर थे तब इन्तजाम अच्छा कहा जाता था। जिसमें डाक्टर काटजू, विजय लक्ष्मी पंडित, डा० संपूर्णानन्द, रफ़ी साहब, हमारे लीडर और पंडित पन्त मुख्य मंत्री थे उस वक्त कैबिनेट का वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ था। दर असल कैबिनेट की तादाद से काम नहीं होता है। बल्कि उसका लोगों के दिमाग़ पर कितना असर पड़ता है। अगर आप तादाद बढ़ा देंगे तो आप उनको कोई इक्ज़ीक्यूटिव काम तो नहीं दे सकते। उसके लिये दलील यह दी जाती है कि मेम्बरान ज्यादा बढ़ गये हैं उनसे मिलने का काम करेंगे। दलील जो दी जाती है वह कोई वज़न नहीं रखती है। अगर मिलने का काम ज्यादा बढ़ गया है तो उसके लिये असिस्टेंट रक्खे जा सकते थे। मैं यह नहीं समझता हूं कि कोई इक्ज़ीक्यूटिव वर्क (executive work) है जिसके लिये डिप्टी मिनिस्टर्स रक्खे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर के माने हैं कि वह कोई इक्ज़ीक्यूटिव वर्क करेगा और इसके माने हैं कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर होगा। १२ तो आपके मिनिस्टर हैं जो ए क्लास (A Class) में आते हैं। बी क्लास (B Class) में डिप्टी मिनिस्टर्स आयेंगे और सी क्लास (C Class) में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ आयेंगे। अभी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ की जगह हटी नहीं है। तो इस तरह से यहां ए, बी, सी ग्रेड में तक़सीम किये गये हैं। अब यह कैसे डिफ़ाइन (define) होगा कि डिप्टी मिनिस्टर्स की कितनी ताक़त होगी। पिछली दफ़ा एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी से मिलने के लिये एक कलेक्टर नहीं आये थे। वह पार्लियामेंटरी सेकेटरी अपनी अच्छी पोज़ीशन (position) रखते थे और वह आज सेंटर (centre) में मिनिस्टर हैं। तो जब वह एक जिले में

[श्री गोविंद सहाय]

गये तो उनसे कलेक्टर मिलने के लिये नहीं आया। उन्होंने इस बात को महसूस किया था। यह सन् ३७ की बात है। तो यही मेरा कहना है कि डिप्टी मिनिस्टर कैसे होंगे, कौन-कौन उनसे मिलने के लिये आयेंगे और उनकी क्या क्या इक्ज़ीक्यूटिव पावर्स (executive powers) होंगी। इससे स्टेट का खर्च बढ़ जायेगा, टैक्स पेयर्स पर ज्यादा बोझा बढ़ेगा। पार्टी में फ्रिक्शन (friction) बढ़ेगा, ग़लत नारे उठेंगे और इस तरह हर प्रकार से गिरावट ही होगी। अपने सूबे को बचाने के लिये और आपको बचाने के लिये अगर यह बातें कही जाती हैं तो आपको उनकी मेरिट्स (merits) पर विचार करना चाहिये। मुझे अगर ज़रा भी यह यक़ीन हो जावे कि इस इंस्टीट्यूशन के पैदा करने से इस सूबे को कुछ फ़ायदा होगा या इंतज़ाम में कुछ अच्छाई होगी, ऐडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सुधार होगा तो मैं कहूंगा कि आप १२ के बजाय २० रख लीजिये और खर्च भी ज्यादा कीजिये। लेकिन अब भी मेरा यक़ीन है कि इससे खर्च बढ़ेगा और स्टेट की ऐक्टिविटीज़ (activities) नहीं बढ़ेगी। खर्चा बढ़ेगा घटेगा नहीं। अगर आप गवर्नर महोदय के ऐड्रेस की ओर देखें तो उन्होंने इशारा किया है कि मुमकिन है हमें आगे चल कर कुर्बानी करनी पड़े। जब लोगों की आमदनी घट गई है तब स्टेट की आमदनी भी घटेगी। तब मजबूर होकर आप ऐक्टिविटीज़ को कम करेंगे जैसा कि आपने पिछली मर्तबा किया था। जब गाँव सभा के सेक्रेटरीज़ को अपने खर्चे के लिये गाँव के टैक्सेज़ (taxes) पर मुनहसर होना पड़ा था। तो आप मजबूर होंगे स्टेट ऐक्टिविटीज को कम करने के लिये और इस तरह से सन् ४७ और सन् ५२ की कैटेगरी में फ़र्क होगा। सन् ४७ में जो मिनिस्टर थे और सन् ५२ में जो मिनिस्टर हैं उनके कामों में फ़र्क़ होगा। तब लोग मिनिस्टर्स से बहुत उम्मीद रखते थे।

उस जमाने में लोग जानते थे कि क्या मिनिस्टर्स का काम है। लोगों को उनसे तवक्कात थे ख्वाहिशात थीं आज उतनी नहीं हैं। आज लोग समझ गये हैं। आज वह यह नहीं समझते हैं कि मिनिस्टरों को खत भेजे जायं। सन् ४७ के मुकाबिले में सन् ५२ में स्टेट की ऐक्टिविटीज के बढ़ने की उम्मीद नहीं है। फिर पार्टी कनफ्लिक्ट (conflict) के बढ़ने के इमकानात हैं और टैक्सपेयर पर भी बोझा बढ़ जाता है। इसलिये ऐसे इन्स्टीट्यूशन को खतम ही कर देना ठीक होगा। इसी वजह से मैंने अपने तजुर्बात यहां बतलाये हैं। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूं कि वह चीज फायदेमन्द नहीं साबित हुई है। मैं तो यही मुनासिब समझता हूं कि इस सवाल को साल भर के लिये टाल दिया जाता तो अच्छा होता। आपको बाद में भी इसमें अमेंडमेन्ट लाने पड़ेंगे। आप वाक़यात के बिना पर मजबूर होंगे अमेन्डमेन्ट लाने के लिये इसलिये अगर आप इसको अभी से मान लेते हैं और सुधार कर देते हैं तो टैक्सपेयर का बोझ कम पड़ जायगा, ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफ़िशियन्सी बढ़ जायगी और पार्टी कनफ्लिक्ट भी कम होगा। मुझे लीडर आफ दि हाउस (Leader of the House) की स्पीच सुनकर खुशी हुई वह बहुत बढ़िया किस्म के पार्लियामेन्टरी डिबेटर (parliamentary debater) हैं लेकिन मुझे यह अर्ज करना है कि पर्सनल बातें यहां पर न उठाई जायं। अपनी तरफ से मैं यकीन दिलाता हूं कि कभी भी कोई मौका ऐसा न होगा और मेरी यह दिली कोशिश होगी कि डिबेट का अच्छा स्टैन्डर्ड (standard) हो लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि जरा वह अपने मेम्बरान को भी इस बात की ट्रेनिंग दे दें ताकि जो स्टैन्डर्ड सेट (standard set) किया गया है वह कायम रहे।

जो मोशन (motion) रखा गया है उसका समर्थन मैं करता हूं और चाहता हूं कि जो दलायल दिये गये हैं उनका आप जवाब दें। मैं मेरिट (merit) पर दलायल चाहता हूं। मैं इस हाउस का वक्त खामख्वाह नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि एक एक मिनट के लिये १० या १५ रुपये लगते हैं। लेकिन यह भी नहीं हो सकता है मुझसे कि १० या १५ रुपयों की बचत के लिये मैं कोई बात न कहूं और हजारों लाखों रुपया फिजूल में खर्च हो जाय। मुझे तकलीफ होती है यह कहने में कि १५ रुपया के लालच की

वजह से मैं अपनी आवाज न उठाऊं । मुझे उम्मीद है कि दलायल के साथ मेरी बातों का जवाब दिया जायगा ।

श्री श्याम सुन्दर लाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों हाउसेज के सदस्यों की संख्या पहिले से करीब दुगनी है । मंत्री महोदयों का काम काफी बढ़गया है और ज्यादा बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि प्रदेश के सुधार के लिये बहुतेरी योजनायें कार्यान्वित करनी हैं । उनके पास विजिटर्स की संख्या भी काफी रहती है जिसमें समय लगता ही है । दफ्तर में फाइल्स (files) भी अधिक संख्या में आते हैं । उनको सुबह से दिन भर और रात को काफी देर तक इन कामों में लगा रहना पड़ता है । यदि डिप्टी मिनिस्टर हो जाते हैं तो वे ऐडमिनिस्ट्रेटिव और पार्लियामेन्टरी काम में मिनिस्टर साहबान का हाथ बटा सकेंगे और इस तरह मिनिस्टर साहबान इम्पोर्टेन्ट (important) और पालिसी (policy) के मामलों पर और शासन कार्य में ज्यादा समय दे सकेंगे । इन सब बातों को देखते हुये डिप्टी मिनिस्टर का होना आवश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं ।

माननीय वित्त मंत्री--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जो तरमीम इस वक्त हमारे सामने है उसका मतलब यह है कि इस कानून के मातहत इस वक्त डिप्टी मिनिस्टर के तनख्वाह की जो तजवीज है वे डिप्टी मिनिस्टर न होने चाहिए । मेरा ख्याल ऐसा था कि यह सवाल इस वक्त उठ नहीं सकता था । लेकिन मैंने इस पर कोई आबजेक्शन (objection) रेज (raise) नहीं किया और इसलिये नहीं किया कि डिप्टी मिनिस्टर के बनाने और न बनाने के मुताल्लिक कोई तजवीज इस ऐवान में है ही नहीं । जो संशोधन मेरे दोस्त ने पेश किया है उसका मकसद सिर्फ यह था कि ७५० रु० के बजाय ५०० रुपये तनख्वाह रखी जाय और उस में इस तजवीज को रखने की कोई गुंजायश नहीं रही कि वाकई इस ओहदे की जरूरत है भी या नहीं । इसलिये मैंने यह समझा कि मैं जो एतराज उठाऊंगा वह एक डिगनिटी (dignity) का एतराज होगा और सवाल होगा कि आया यह मसला आ सकता है या नहीं । लेकिन इस बात पर बहस करने से कासिर रह गया । जिस तरीके से मैं एतराज करना चहता हूं वह तो यह था । अब मैं इसलिये उसे अर्ज कर रहा हूं कि उस ख्याल को भी साथ ही साथ सामने रख दूं । मगर मेरा मकसद एतराज करने का नहीं है । जो तरमीम मेरे दोस्त गोविन्द सहाय जी ने पेश की है उसको हाउस ने रिजेक्ट (reject) कर दिया है । वह तरमीम यह थी कि ७५० रुपये के बजाय ५०० रुपये रख दिये जायं । मगर हाउस ने यह तय किया कि ५०० नहीं बल्कि ७५० ही रहना चाहिए इससे हाउस का फैसला यह निकलता है कि जिसको तनख्वाह ७५० रुपया इस कानून में तजवीज की है वह रहे । लेकिन फिर इस में एम्बिगुयटी (ambiguity) रहती है इसलिये मैं चाहता हूं कि उस एतराज को रखूं । पहला सवाल यह है कि डिप्टी मिनिस्टर होंगे या नहीं इसके लिये मेरे नजदीक दो बातें हैं । एक तो यह है कि इस स्टेट में काम कितना है और फिर उस काम को जो १२ मिनिस्टर मुकर्रर किये गये हैं वे अन्जाम दे सकते हैं या नहीं । तो काम की जरूरत के लिहाज से एक तादाद मुकर्रर की जाय और इतने आदमी मिनिस्टरों के मदद के लिये बतौर डिप्टी मिनिस्टर मुकर्रर किये जायं । दूसरा सवाल यह है कि यह जरूरी है कि नहीं । इसके बारे में मैं यह कहूंगा कि यह जरूरी है, लेकिन मेरे दोस्त समझते होंगे कि जरूरी नहीं है । वह अपने गुजिस्ता तजुर्बे की बिना पर बोलते हैं कि इस तरह की तकर्रुरी एक किस्म की दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन में पैदा करती है । वह बात सही है । लेकिन मैं फिर भी यह कहने वाला हूं कि इनकी जरूरत है और वह है काम के लिहाज से । लेकिन थोड़ी देर के लिये मैं अब इस बात को अपने सामने से हटाये देता हूं और एक दूसरी बात कहता हूं । वह यह है कि आया इसकी जरूरत है या नहीं कि इस स्टेट में मिनिस्टर के पद पर काम करने से कब्ल वह डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से काम करे या न करे । यह भी एक सवाल आता है ।

इस मामले का जहां तक ताल्लुक है मुझे सही याद है कि इसका जिक्र यहां पर हुआ और यह बातें अखबारों में आयी । जहां तक हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है इसके लिये

[माननीय वित्त मंत्री]

वहां से कोई हिदायत, हुक्म या किसी तरह का कोई मशविरा नहीं आया। हां यह बात जरूर है कि इस बात का तज किरा वहां पर जरूर हुआ था। जहां तक मैं समझता हूं कि कि अगर किसी स्टेट में काम इतना ज्यादा हो जिसकी वजह से वहां के आदमियों की तादाद बढ़ाई जाय तो उसमें कुछ आदमियों को खास तौर से रखा जाय कि वह इस काबिल बन सके कि आगे चल कर वह काम को संभाल सकें और इस मुल्क की खिदमत कर सकें। तो इस काम के लिये जहां तक मेरा ख्याल है कि यह खर्चा भी ठीक है। जहां तक मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ाने का सवाल है तो मेरे ख्याल में मिनिस्टर की तादाद में अगर इजाफा हुआ है तो एक सही इजाफा हुआ है। पहले यहां पर ११ मिनिस्टर थे। उस वक्त यहां पर पालीवाल जी और केशवदेव जी भी मिनिस्टर थे। इसके बाद १० मिनिस्टर रह गये उसके बाद फिर ११ मिनिस्टर हो गये। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चले जाने के बाद फिर १० मिनिस्टर रह गये। इस तरह से मैं समझता हूं कि ज्यादा तादाद नहीं बढ़ाई गयी है। मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही मिनिस्टर बढ़ा है। खैर साहब जो इस वक्त असेम्बली के स्पीकर हो गये हैं उन की जगह पर एक मिनिस्टर नया है और दूसरा शास्त्री साहब की जगह पर है। इस तरह से दो तो पुरानी ही जगह हैं सिर्फ एक साहब नये हैं जो बढ़ाये गये हैं। चूंकि इस वक्त स्टेट में काम काफी है इसलिये डिप्टी मिनिस्टर की जरूरत पड़ी। पांच साल के तजुर्बे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस की जरूरत है।

अब यह बात कि उसकी जरूरत है या नहीं है यह तो ज्यादातर उनकी वर्किंग (working) को देखकर तय हो सकती है, सही तौर पर अगर कोई उस पर करेक्ट (correct) नतीजा निकालने की ख्वाहिश रखते हों। इसलिये मैं अपनी तकरीर में अपने उन दोस्तों को कोई बात रख भी दूं या कोई बात कह भी दूं तो मैं समझता हूं कि वह इन्डेक्स (index) इस बात का हो नहीं सकता है कि वह सही ही हो। मैं एक मिनिस्टर हूं मैंने ५ वर्ष तक भला या बुरा जैसा भी हो अपने काम को अन्जाम दिया है और मैं यह भी ऐवान की खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं कि उनके साथ काम करने के लिये आदमी बराबर लगे हुये हैं वह बेकार बैठ रहे हैं तो यह बात नहीं है। एक मिसाल आई थी जिससे मैं यह समझा कि शायद उसकी निस्बत ख्याल यह है कि उस जमाने में वह बेकार नहीं रहे हैं और मेरा भी अपना यही ख्याल है कि वह बेकार नहीं रहे हैं। जो साहब यह कह रहे थे कि उन्होंने काम नहीं किया तो वह भूल कर रहे थे उन्होंने काम किया और जो साहब पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी का काम कर रहे थे उस वक्त उनके पास मेरे नजदीक बहुत सा काम था और उन्होंने अपने काम को अच्छी तरह से अन्जाम भी दिया है। अभी मेरे दोस्त राजाराम जी अपनी तकरीर में फरमा रहे थे कि मिनिस्टरों को सरकारी काम नहीं रहता है तो उसकी निस्बत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि सुबह से शाम तक मिनिस्टर को सरकारी ही काम रहता है—अगर मिलना है तो वह सरकारी ही काम है, दफ्तर में बैठकर फाइलों का काम करना है तो सरकारी काम है और यहां से उठकर बाहर जाना है तो सरकारी काम है, जो कुछ भी उसको सोने के वक्त तक काम होता है वह सरकारी काम ही होता है। इतना सब खुद ही इस बात का सबूत हो सकता है कि उनको कितना काम रहता है। इस बात के लिये मुतालबा जरूरी है और वह मुतालबा क्या चीज है तो यह बात जेरेबहस के बाद आ सकती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनके काम में मदद की जरूरत है। अब सवाल यह है कि एक असिस्टेन्ट (assistant) या क्लार्क या कुछ आदमी उसके काम में मदद करने के लिये रखे गये हैं या उनका फाइल वर्क (file work) करने के लिये रखा गया है या उनकी ड्यूटी (duty) परफार्म (perform) करने के लिये रखा गया है तो इसलिये कि यहां से मिनिस्टर को बाहर काम करने के लिये जाना होता है तो मेरा खुलासा अर्ज करना यह है कि काम तो है और उस काम पर आदमी मुकर्रर किये गये। गवर्नमेन्ट की नियत इस बिल से जो कि ऐवान के सामने है यह मालूम होती है कि ऐसे साहबान रखे जायं जो निमिस्टर को एक्जीक्यूटिव कामों में मदद कर सकें और उनसे मिनिस्टर जिम्मेदारी का काम ले सकें। इस पर जो एतराज या जो शुभा मेरे दोस्त को है कि फलां वक्त में ऐसा

हुआ तो मैं तो बदकिस्मती से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं था। इतनी मालूमात गालिबन मुझ को नहीं है जितनी मालूमात कि उस शख्स को हो जो कि खुद पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रहा हो। क्या क्या बातें उसमें उठी थीं वह सब बातें मेरे सामने आई भी नहीं हैं लेकिन मैं बिला उस बात के कहे हुये उनकी बात को मानता हूं और यह मैं आर्गूमेन्ट (argument) के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि सही समझ कर कह रहा हूं कि वह सही मालूम भी होती है तो आज वह साफ मौजूद है वह तजुर्बा उन बनाने वालों के सामने मौजूद है कि पहले किस किस्म कि दिक्कतें वाकय हुई थीं और एक्जीक्यूटिव वर्क (executive work) पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को करने के लिये नहीं दिया गया तो उसकी निस्बत में यह कहता हूं कि उनकी तरफ से पावर (power) की ख्वाहिश थी और उस पावर की उम्मीद करते थे कि उनके और मिनिस्टर के दरमियान तर्क पैदा हो जाय। उनमें आपस में एख्तिलाफ पैदा हो जाय। हो सकता है लेकिन आज तो इस बात का बिल्कुल मौका है और उस तजुर्बे की बिना पर इस बात की जरूरत हुई कि काम करने के लिये उन आदमियों को रखा जाय। अब सवाल यह है कि जिन आदमियों को रखा जाय वह कितने होंगे। यह बात राजाराम जी ने जाननी चाही कि वह कितने आदमी होंगे, तो मैं अर्ज करूंगा कि कितने आदमी का सवाल तो ऐसा है कि जब गवर्नमेन्ट को अख्तियार है कि वह किसी को डिप्टी मिनिस्टर बनाये तो उस वक्त यह तय करे कि हमको किस मौके पर किस किस काम के लिये कितने मिनिस्टर की जरूरत है और किन किन जगहों पर उनको रखा जाना चाहिये, उन उन जगहों पर डिप्टी मिनिस्टर्स रखे। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रखे लेकिन सवाल यह है कि वह ८ होंगे, ७ होंगे या ५ होंगे तो इसके निस्बत जो कुछ भी ख्याल है, जनता के सामने पहले भी आगया है। और उनका ख्याल यह है असेम्बली की सिटिंग (sitting) में हमारे लीडर साहब ने इसका इजहार किया है कि कुल मिलाकर वे १३ या १४ हैं। वह अखबार में भी पहले छप चुका है कि १३ या १४ जगहों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम भी नहीं रखना चाहिए। वैसे १३, १४ के बजाय ११ काफी हो सकते हैं और १० भी काफी हो सकते हैं। यह तो एक आइडिया (idea) लेने के वास्ते मैंने फीगर (figure) बयान करदी और वह पहले भी आ चुकी है। हमें ट्रेनिंग (training) भी देना है और मिनिस्टरों के सामने इस समय जो कठिनाइयाँ हैं उसे वे इसी तरह से दूर करेंगे। काम में दिक्कतें आती हैं और ऐडमिनिस्ट्रेशन में नुकसान पहुंचता है तो हमें सबसे पहले उन आदमियों को जिनके हाथ में यह ऐडमिनिस्ट्रेशन होगा वे कोई ऐसा काम न करें जिससे कि किसी को इख्तिलाफ हो और जिससे कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को भी नुकसान पहुंचे। वैसे खिलाफत राय दो आदमियों के दरमियान जरूर हो सकती है। वह किसी बात को मुनासिब समझता है मगर ऐसा करने से पहले दूसरा आदमी भी सोच सकता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ऐडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को चलाता है तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर्स के न होने से उसका काम ठीक या गलत नहीं हो सकता है, वह तो जहाँ तक भी ठीक होगा वह ईमानदारी से होगा और उसमें ईमानदारी से काम करने की जरूरत होगी। वैसे जब तक मेरे हाथ में अख्तियार रहेगा तो मैं तो यही सोचूंगा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का ठीक तरह से चलना बहुत जरूरी है और जब मैं यह समझूंगा कि यह एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से नहीं चल रहा है तो हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को भी नुकसान पहुंचे, और हम खुद भी जिस चीज में तरमीम चाहेंगे, उसे करेंगे। दूसरों की नियत पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं और उन दूसरी बातों पर तमाम इशारा भी नहीं करना चाहता इसलिये कि यह बातें सब को मालूम है।

जैसा कल मेरे एक दोस्त ने कहा और जैसे कि आज मैं आगे हूं तो मैं इस किस्म की कोई भी बात नहीं करूंगा, जिससे कि किसी को शिकायत हो और मैं अपने फर्ज को अच्छी तरह से अन्जाम दूंगा। इस तरफ वालों के लिये कम से कम मैं समझता हूं कि वे मुसलमान भाई जो कि नमाज पढ़ने के लिये आगे खड़े कर दिये जाते हैं तो वे उन भाइयों से जो कि पीछे खड़े हैं नमाज पढ़ने के अन्दर पूरे-पूरे वे काम करेंगे, जिसके लिये कि वे आगे खड़े कर दिये गये

[माननीय वित्त मंत्री]

हैं। तो आज जो हम आगे खड़े हैं और जो इतनी इज्जत आपने मुझे बख्श दी है तो मेरा यह फर्ज है कि मैं उन सब बातों की तामील करूं और उसके लिये मुझे सबको ख्याल करने की जरूरत है। मुझे इसमें कोई शुबहा नहीं और मैं चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों या उधर के लोग हों इनमें कोई फर्क नहीं समझता हूं, आपसे इतने ही ताल्लुकात हैं, जितने कि इनसे मैं समझता हूं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको तकलीफ पहुंचे और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं। हम और आप हमेशा यही चाहेंगे कि यहाँ वह काम हो जिससे मुल्क की तरक्की हो और हमारी और आपकी इज्जत बढ़े। साथ ही हमारे और आपके दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऐसी कोई बात आप नहीं पा सकेंगे, जिससे किसी को कोई शिकायत का कोई मौका होगा। जहाँ तक डिप्टी मिनिस्टर्स का सवाल है मैं समझता हूं और आपके सामने अर्ज करता हूं कि काम की ज्यादती की वजह से उनकी जरूरत है और साथ ही इस बात की भी जरूरत है कि उनको तालीम दी जाय ताकि वह आगे चलकर वक्त जरूरत पर मिनिस्टर्स का काम बखूबी चला सकें। जहाँ तक उनके इन्तखाब का सवाल है, यह तो एक साफ चीज है कि वह लोग काँग्रेस के ही होंगे, जब उस पार्टी के हाथ में हुकूमत की बागडोर है तो वह अपने में से ही इन्तखाब करेगी। इस बात का शुभा हो सकता है और इस हाउस में जाहिर भी किया गया है कि इन्तखाब में यह होगा वह होगा। तो मैं इस वक्त और ज्यादा न कह कर यह कह सकता हूं कि सच्चे और सही तरीके से इन आदमियों का इन्तखाब करना चाहिए और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इसी उसूल से इन्तखाब होगा। इसलिये इस तरमीम को अपने नजरिये से देखते हुए इन अल्फाजों के साथ मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि इस तरमीम को नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरे दोस्त राजाराम शास्त्री का सवाल है उनसे हमेशा से मेरे ऐसे ताल्लुकात रहे हैं कि अगर वह सोचेंगे तो इसको वह वापस ले लेंगे।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो स्पीच दी है उसको मैंने बहुत गौर से सुना है और इस बात से मैं भी सहमत हूं जैसा उन्होंने कहा है कि जिस आदमी के हाथ में हुकूमत की बागडोर होती है उसे वह जैसे मुनासिब और ठीक समझता है चलाता है, लेकिन उनकी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा कि मन्त्रियों के काम को चलाने के लिये यह जरूरी है कि कुछ आदमियों को शिक्षा दी जाय कि मन्त्री का काम कैसे किया जाता है। मैंने शुरू में यह बात कही है कि अभी तक मन्त्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी होते थे, मन्त्री लोग काम करते थे और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी उनकी मदद करते थे और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी में से ही मन्त्री बनाये जाते थे। माननीय चन्द्रभानु गुप्त, चरणसिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और हर गोविंद सिंह जी वगैरह यह लोग वक्तन फवक्तन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रहे हैं और बाद में मिनिस्टर हुए, उन्होंने पहले वाकफियत हासिल की। चाहे वह शास्त्री जी हों, चाहे गुप्ता जी हों, चाहे चरण सिंह जी हों या हर गोविंद सिंह जी हों, उन्होंने जिस काबिलियत से काम किया कि किसी ने यह नहीं कहा कि इनमें से किसी की योग्यता में कोई कमी रह गई हो। सब ने निहायत काबिलियत से काम किया। इसलिये यह दलील देना कि जब तक उपमंत्री कोई न बनाया जायगा उस वक्त तक उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिल सकती है, यह चीज मेरी समझ में नहीं आई। मेरा ऐसा ख्याल है और पुराना तजुर्बा भी यही बताता है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के ही पद से अगर मिनिस्टर लोग रखें जायं तो वह मन्त्री का काम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। इसलिये इस निगाह से जब काम पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी से ही अच्छी तरह से चल सकता है तो उपमंत्री की जगह को बना कर खर्चा क्यों बढ़ाया जाय। जब हम खर्चे में कमी कर सकते हैं और हमारा काम एफीशियेन्सी (efficiency) से चलाया जा सकता है तो फिर उपमन्त्रियों को क्यों रखा जाय। बात कुछ मेरी समझ में नहीं आती कि ज्यादा खर्च करके क्यों ऐसा काम किया जाय। मैं अपने माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस ओहदे पर रह कर अपने घर को देखिये

कि अगर वहाँ १५ रुपया माहवार देकर किसी आदमी से घर का काम लिया जा सकता है तो क्या आपकी यह मंशा होगी कि आप २५ रुपये देकर किसी दूसरे आदमी से काम लेना पसन्द करेंगे । कम से कम मेरी तो यह कभी भी मन्शा नहीं हो सकती है कि मैं २५ रुपया देकर काम कराऊं। अगर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को कम तनख्वाह देकर उपमन्त्री बनाया जा सकता है तो कोई वजह समझ में नहीं आती कि ज्यादा तनख्वाह देकर उपमन्त्री क्योंकर बनाये जा सकते हैं। मेरा ख्याल यह है कि उपमन्त्री के काम का जहाँ तक ताल्लुक है वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का हो सकता है और उसे वह करते रहे हैं, लेकिन अगर उपमंत्रियों को यह सीखना है कि मिनिस्टर साहब कैसे बंगले में रहते हैं वह सीखेंगे, या उनका चलना फिरना कैसे होता है उसको सीखेंगे। अगर इसलिये उपमंत्री लोग रखे जायेंगे कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का रहन-सहन वैसा नहीं है जैसा कि मंत्रियों का होता है, उसमें फर्क यह है इसलिये जब तक उपमंत्री न रखे जायं, उनका रहन-सहन मंत्रियों जैसा न हो, मोटरों पर चलना मंत्रियों जैसा न हो, तब तक वह मंत्री के पद को न संभाल सकेंगे तब तो ठीक है कि वह बिना इस ट्रेनिंग के उस ट्रेनिंग को नहीं पा सकते हैं। जितने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज मंत्री बने हैं वह पहले से चले आ रहे हैं। यानी इस मामले की ट्रेनिंग उनको रह सकती है कि किस तरह से बंगले में रहा जाय, कैसे मोटर पर घूमा जाय और कैसे लोगों से मिला जाय। इन सब बातों को कहने से मेरा अभिप्राय यह है कि कल से लेकर आज तक सिर्फ एक ही बात पर बहस हो रही है कि जिस तरह से हो हम कम खर्च करके अपना काम कर सकते हैं। मेरी तो यही स्प्रिट (spirit) है और इसी बिना पर मैंने यह संशोधन पेश किया है। यह बात दूसरी है कि एक फैसला आपने कर लिया है कि हमको तो यह करना है और उसमें कोई कौमा या फुलिस्टाप भी नहीं बदला जा सकता है चाहे जितनी कोशिश की जाय, चाहे पब्लिक का नाम लिया जाय या गरीबी का नाम लिया जाय या एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लिया जाय। मगर मैंने जो संशोधन पेश किया है मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं सच्चाई पर हूं और जिस भावना से मैंने इसको पेश किया था वही मेरी भावना इस वक्त भी है। खर्च को देखते हुए मैं यह समझता हूं कि इस ओहदे की आवश्यकता नहीं है। इस काम को हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसको पेश करना चाहता हूं और बड़े अदब के साथ माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बात वह मान लें और बात छोड़ दें कि पहले माना या नहीं माना इस चीज को मान कर देख लें कि साल भर के अन्दर कोई दिक्कत काम के करने में होती है या नहीं।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।).

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड २ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--३

बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान

३--(१) इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री लखनऊ में पूरे वर्ष के लिये तथा उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे स्थान में तथा ऐसी अवधि के लिये, जिसे इस विषय में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय, बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान, उससे संलग्न भूमि सहित पाने का अधिकारी होगा और उसका रख-रखाव सार्वजनिक व्यय से होगा।

(२) प्रत्येक उप-मंत्री एक सौ रुपया प्रति मास मकान के किराये का भत्ता पाने का अधिकारी होगा।

डिप्टी चेयरमैन--खंड तीन में सिर्फ प्रिंटिंग (printing) मिस्टेक (mistake) है। उस पर श्री सत्यप्रेमी जी का अमेंडमेंट है। मैं समझता हूं कि उनके मूव (move) करने की जरूरत नहीं है।

श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरीप्रसाद--मैं पेश नहीं करना चाहता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री--मैं अपने अमेंडमेंट को पेश नहीं करना चाहता। मुझे जो कहना था वह मैंने पहले ही काफी कह लिया है। मैं इस ऐवान का वक्त नहीं लेना चाहता।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४ व ५

मंत्रियों के लिये सरकारी परिवहन तथा यात्रिक भत्ता।

४--(१) इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री के उपयोग के लिये उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था की जायगी जिसका क्रय तथा रखरखाव राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से किया जायगा।

(२) प्रत्येक उप-मंत्री को एक सौ पचास रुपया प्रति मास परिवहन भत्ता (कन्वेयेन्स एलाउन्स) दिया जायगा।

(३) प्रत्येक मंत्री तथा उप-मंत्री को सार्वजनिक कार्य के लिये की गयी यात्राओं के निमित्त ऐसी दरों पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं, यात्रिक तथा दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा।

१९३७ के अधिनियम संख्या १ का निरसन

५--यू० पी० मिनिस्टर्स सैलरीज ऐक्ट, १९३७ एतद्द्वारा निरस्त होगा और निरस्त किया जाता है।

श्री राजाराम शास्त्री--मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--६

नियम

६--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए धारा २ में उल्लिखित करों के राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनर्भुगतान की व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रियों, उपमंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के विधेयक के खंड ६ के भाग १ में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है, यह खंड ६ का भाग एक है जिसके आखीर में इतना जोड़ना चाहता हूं "कि जो भवन की स्वीकृति के लिये पेश किया जाय"।

इस संशोधन को रखते हुए मेरी कतई यह इच्छा नहीं थी कि मैं उन नियमों के संबंध में जो इस बिल के प्रयोजनों के संबंध में बनाये जायं उनके संबंध में संशोधन रखता। बंगलों के रख-रखाव के संबंध में, परिवाहनों के रख-रखाव के संबंध में, टी० ए० और एलाउन्सेज (allowances) के संबंध में जो तमाम बातें हैं यदि उनके खर्च आंकड़े हमारे सामने होते, तो मैं इसकी कतई जरूरत न समझता कि मैं इस संशोधन को इस हाउस में पेश करूं। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे सामने वह आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

एक आवाज--दुःख किस लिये है?

श्री प्रभु नारायण सिंह—दुःख इस वजह से है कि कुछ अच्छा नहीं मालूम होता कि मंत्री महोदय लोग जो अपने लिये कोई नियम बनायें उसमें संशोधन पेश करूं। आँकड़े सामने नहीं हैं और अक्सर यह बात कही जाती है कि बंगलों के रखरखाव के संबंध में, परिवाहनों के रखरखाव के संबंध में तथा टी० ए० और एलाउन्स में काफी रकम खर्च होती है। कल श्री गोविन्द सहाय जी ने बतलाते हुए इस बात को कहा था कि जिस जमाने में मैं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था तो मैंने उस खर्च को जोड़ा था जो मेरे ऊपर बहैसियत पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी होता था तो मुझे मालूम हुआ था कि कुल खर्चा करीब ५०,००० रुपए साल पड़ता था। एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के लिये अगर यह बात सही है तो एक मंत्री के ऊपर तो मेरी समझ में करीब ६०–७० हजार रुपया साल पड़ेगा, ऐसी हालत में हाउस यह जरूर जानना चाहेगा कि एक तरफ तो यह कहा जाये कि १,२०० रुपये के कम वेतन में हम काम करने को तैयार हैं और दूसरी तरफ करीब ५, ६ हजार रुपये के एक मिनिस्टर के ऊपर व्यक्तिगत तौर से खर्च हों। यह बात अच्छी नहीं मालूम होती।

हमारे कुछ मिनिस्टर साहबान योरप के मुल्कों में दौरे के सिलसिले में गए। मैं जिक्र करना चाहता हूं उन मुल्कों का जिन मुल्कों में माननीय गौतम जी गये थे। उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि यदि उनसे इस बात की जानकारी हासिल की जाय तो यह मालूम होगा कि स्वेडन में आज वहाँ पर मिनिस्टरों के पास निजी इस्तेमाल करने के लिये कार नहीं है। केवल चीफ मिनिस्टर को गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी कार्यों (business) के लिये कार दी जाती है फारेन मिनिस्टरों के पास निजी कार है जिसको वे इस्तेमाल करते हैं लेकिन अधिकतर मिनिस्टर बसेज (buses) में सफर करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मिनिस्टरान इतना कष्ट उठायें। हम चाहते हैं कि इसमें इस बात का ख्याल रखा जाय कि खर्च आफिशियल (official) काम में होता है या नान-आफिशियल (non-officeial) काम में। जो खर्चा आडिट (audit) हुआ है, उप पर आडिटर (auditor) महोदय ने यह रिमार्क (remark) दिया है और कहा है कि इसके संबंध में किसी नियम और उपनियम का पालन नहीं किया गया है। दूसरी बातों पर जोर देने की जरूरत नहीं है। हम तो इस बात को मानते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल के अधिकतर सदस्य कुरबानी में पले हैं और सादी जिन्दगी में रह सकते हैं। बल्कि आज ही माननीय हुकुम सिंह ने बतलाया है कि हम कुरबानी करना जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम सबक देने के लिये यह बात नहीं कहना चाहते हैं लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि जिस तरह की वे कुरबानियों की बात करते हैं और अक्सर करते आये हैं उसे वे अमली रूप देने की कोशिश करें। आज जब हमने १,२०० रुपये की तनख्वाह पर प्रस्ताव रखा था कि जिसकी निजी आमदनी १,००० रुपये से अधिक हो या १,००० रुपया हो उसको कोई तनख्वाह न दिया जाय। उसका मकसद आज ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर एकनामिक ड्राइव (economic drive) करने का है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि ६० या ७० हजार रुपया खर्च होता है तो मैं समझता हूं कि इस सिलसिले को बदल ने की जरूरत है। इसलिये हमने इस सदन के अन्दर इस बात को रखने की आवश्यकता समझी।

मैं जानता हूं कि ट्रेजरी बेंचेज (treasury benches) पर बैठने वाले बहुत से सदस्य जब इस सदन से बाहर होते हैं और अब उनसे कौंसिलर्स रेजीडेन्स में मुलाकात होती है तो वे कहते हैं कि अपोजीशन की बातें इस मामले में ठीक हैं। रख रखाव के ऊपर और टी० ए० के रूप में ६०–७० हजार रुपया बहुत अधिक मालूम होता है। इस सदन के अन्दर वे इस बात को नहीं कह सकते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि कम से कम ऐसी बातों को वे अपनी पार्टी की मीटिंग में अवश्य उठायें। इन शब्दों के साथ मैंने यह संशोधन रक्खा है। जो नियम ऐसी सूरत में

[श्री प्रभुनारायण सिंह]
बनाये जायं वह हाउस के सामने आयें और कम से कम हाउस इस बात को जाने कि वह क्या खर्च है जो कि मिनिस्टरों के ऊपर होता है। मैं इसी सिलसिले में यह भी गुजारिश करना चाहता हूं कि मिनिस्टरों की जिन्दगी कोई व्यक्तिगत जिन्दगी नहीं है। जब वह हमारे सूबे के नेता हैं मंत्री की हैसियत से बैठते हैं तो उनके रहन-सहन का, उनके तरीके का असर इस सूबे में पड़ता है। इसलिये भी जरूरी है कि जो नियम बनें उनके लिये सदन के सामने आँकड़े रखे जायं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो वाजिब बात होगी उसको मानने में हमें कोई एतराज न होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे हर एक काम में एकनामिक ड्राइव होना चाहिये। मुल्क को बनाने के लिये, सूबे की गरीबी दूर करने के लिये एकनामिक ड्राइव ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जरूरी है। इसीलिये मैं चाहूंगा कि आगे हमारे सामने नियम आवें उनके सिलसिले में वह आँकड़े रक्खे जायं जो मिनिस्टरों के ऊपर खर्च होता है, या हुआ है तो हम अपनी राय उस पर उचित तरह से रख पावेंगे।

*श्री पन्नालाल गुप्त--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई प्रभु नारायण ने जो संशोधन रक्खा है वह संशोधन अजीबोगरीब है। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या उन्होंने हर चीज का विरोध करना ही और संशोधन पेश करना ही अपना ध्येय बना लिया है। परिवाहन और बांगने के रखरखाव का जहाँ तक ताल्लुक है वह इस हाउस के सामने लाया जाये उनका जो खर्चा आवे और उस पर यह हाउस गौर करे। ऐसे हर चीज को इस हाउस के सामने रक्खेंगे और उस पर हाउस गौर करे तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हाउस का कितना समय आप लेना चाहते हैं और कितना समय देना चाहते हैं। जहाँ तक एकनामिक ड्राइव का सवाल है, पैसा बचाव का सवाल है। हमारे मंत्री महोदय का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि खर्च बढ़े और गलत किया जाये। उनके सामने बजट है और वह देखते हैं कि कितनी आमदनी है, और कितना खर्च करना है। जहाँ त्याग और तपस्या की बात हमारे विरोधी भाई कहते हैं, हम जानते हैं कि वह हमारे साथ रहे हैं हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे हैं, तकलीफें हमने उठाई हैं, उन्होंने उठाई हैं और हमसे ज्यादा कुर्बानियाँ की हैं। मैं उनकी कद्र करता हूं। मगर जहाँ गरीबी का सवाल है मैं उनकी इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि इस हाउस में आने के बाद हर आदमी का फर्ज हो जाता है कि अपने मुल्क की गरीबी को दूर करने और उसकी बहबूदी का ख्याल रक्खे। अगर इस नुक्तेनजर से कोई तजवीज रक्खी जाती है, तो मैं तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मगर वह इसलिये संशोधन रखना चाहते हैं ताकि हमारा नाम अखबारों में निकले।

श्री राजाराम शास्त्री--आपका नाम भी अखबारों में निकलेगा।

श्री पन्नालाल गुप्त--मैं तो उपाध्यक्ष की मारफत आपसे इस्तेदुआ करूंगा कि आप हाउस का समय काफी बरबाद न करें। थोड़ी सी बात होती है और उस पर बहुत सा टाइम लेकर आप अपना समय भी बरबाद करते हैं और हाउस का समय भी बरबाद करते हैं। अगर आपको किसी चीज में पशोपेश है या आप हिसाब देखना चाहते हैं, तो जाकर हिसाब देख लीजिए। उसमें कोई रुकावट नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ प्रभु नारायण जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस बहस में पड़ने का नहीं था लेकिन जब मैंने श्री प्रभु नारायण जी के संशोधन को पढ़ा और जब मैंने अपने सहकारी मित्र का अपोजीशन इस संबंध में सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह जो संशोधन है न तो डिप्टी मिनिस्टर्स के रखने के संबंध में है न पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के हटाने के संबंध में है, न मिनिस्टर्स की सैलेरीज (salaries) को कम करने के संबंध में है। उन्होंने बहुत सी

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

सीधी सादी मांगें पेश कीं कि रूल्स जो बनें वह इस हाउस के सामने रख दिये जायं। अगर ऐसे संशोधन को भी सरकार नामंजूर कर देती है तो वाकई आश्चर्य है। कल से जो बहसें हो रही थीं और चूंकि मैं पिछली असेम्बली में भी कुछ दिन मेम्बर रहा, इसलिये मैंने आम तौर पर एक बात देखी कि इधर के मेम्बरों को उधर के मेम्बरों से शिकायत है और उधर के मेम्बरों को इधर के मेम्बरों से शिकायत है और गवर्नमेंट कहती है कि कोई कान्स्ट्रक्टिव सजेशन (constructive suggestion) नहीं होता। विरोधी दल कहता है कि हम सुझाव देते हैं और वह सुनते नहीं हैं। तो इसका फैसला यही हो सकता है कि पिछले ५ या ७ वर्ष की प्रोसीडिंग्स (proceedings) देख ली जायं और उनके देखने के बाद यह देखा जाय कि कितने सजेशन्स (suggestions) विरोधी दल के हुए और उनमें से कितने परसेंट (per cent.) को गवर्नमेंट ने मंजूर किया। इस बात से अन्दाजा हो सकता है कि जब इतने सजेशन्स (suggestions) हुए तो क्या सारा का सारा विरोधी दल नाकाबिल है या यह कि कांग्रेस सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि वह एक बात भी नहीं मानना चाहते हैं। हम यकीन के साथ कहते हैं कि अगर १०-५ वर्ष की प्रोसिडिंग्स (proceedings) आप देखेंगे तो शायद ही एक परसेन्ट (per cent.) ऐसा निकले जो विरोधी दल के सजेशन्स में से सरकार ने मंजूर किया हो। इस वक्त नमूने के तौर पर यह बहुत ही इन्नोसेंट अमेन्डमेन्ट (innocent amendment) श्री प्रभुनारायण सिंह का है और देखूंगा कि इस इन्नोसेंट अमेंडमेंट को नामन्जूर करने पर सरकार की क्या दलील होती है, क्योंकि इसमें मांग की गई है कि आप रूल्स को हाउस के सामने पेश करें। हाउस का एक सेक्शन (section) ऐसा है जो चाहता है कि इन रूल्स को रखा जाय तो इसमें नुकसान क्या होता है। इस संशोधन को मन्जूर करने में मैं समझता हूं कि लीडर आफ दि हाउस (leader of the house) को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

न्याय मंत्री (माननीय श्री सैयद अली जहीर)--उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हाउस को मालूम है कि यह बिल पहले असेम्बली में पास हो चुका है और वहां भी विरोधी दल को तरफ से करीब करीब यही तरमीमें पेश हुई हैं जो कि आज यहाँ पेश की जा रही हैं। बहरहाल जो तजवीज इस वक्त जेरे गौर है वह सिर्फ इतनी है कि जो रूल्स दफा ६ के मातहत गवर्नमेंट बनायेगी उनको हाउस के सामने रख दिया जाय। मेरे ख्याल में जो वजह इस तरमीम की तह में है और जैसा कि तकरीरों से भी जाहिर हुआ है वह सिर्फ यह है कि विरोधी दल के मेम्बरों का किसी तरह से भी इस गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं है। वह समझते हैं कि जो भी काम हम करते हैं वह गलत करते हैं। वह समझते हैं कि हम लोगों को जो १२ सौ रुपये तनख्वाह मुकर्रर हुई है वह गलत हुई है और यही नहीं बल्कि वे यह समझते हैं कि हमारी तरफ से जितनी भी तजवीजें पेश हो रही हैं उसमें जनता का कोई ख्याल नहीं किया जाता है कि उनकी गुरबत भलाई का कोई ख्याल ही नहीं होता है। इन चीजों का ख्याल महज उन हजरात को है जो इस वक्त अपोजीशन में हैं। बहरहाल वह अगर जो कहते हैं सही है तो जाहिर है कि उनका कहना हम लोगों को मानना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी (democracy) का उसूल यह नहीं है, जो इलेक्शन (election) हम लड़े उसमें सोशलिस्ट पार्टी ने ३०० सौ कन्डीडेट (candidate) से ज्यादा खड़े किये और उनसे जहां तक हो सका हमारी मुखालिफत की और हमारी जितनी पालिसीज (policies) थीं उनकी मुखालिफत करते हुए अपने उसूल पब्लिक के सामने पेश किये। लेकिन जनता ने उनके उसूल तसलीम नहीं किये और उनके अक्सर नुमायन्दे हार गये। इस वाकये को हुए अभी ४ या ५ महीने हुए हैं ज्यादा नहीं हुआ है तो ऐसी सूरत में इस किस्म के इल्जाम लगाना और यह कहना कि गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं है कहां तक सही है। बहरहाल अगर हम गलती करते हैं और हम ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से चला रहे हैं जिसमें पब्लिक का फायदा नहीं है और हमें गरीबों की गुरबत का ख्याल नहीं है या हम इस तरीके से चल

[माननीय न्याय मंत्री]

रहे हैं जिससे हम जनता के सामने मुंह नहीं दिखला सकते या हमारे मकान, मोटर और सामानों पर इतने ज्यादा अखराजात हैं जिनके लिये हम जनता के सामने नहीं जाते और शरमाते हैं तो यह मुमकिन है और कहा जा सकता है कि यह हमारी गलती है। लेकिन अगर यही बातें पहले भी करते थे तो बावजूद सोशलिस्ट मुखालिफत के जनता ने हम पर एत्माद किया और उन पर नहीं किया तो उनका हम पर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। हम पहले की तरह अब भी वही बातें कर रहे हैं और हम जो अखराजात करते थे वही कर रहे हैं। सब ठीक किये हैं तो इसमें आपको एतराज की कोई बात नहीं हो सकती है। इलेक्शन के मौके पर पूरी तौर से इस बात पर बहस की गई और जितना प्रोपेगेन्डा (propaganda) हो सकता था कांग्रेस के खिलाफ किया गया लेकिन जनता ने उनको नहीं सुना और उन सब एतराजात को रद्द कर दिया इसलिये मैं कहता हूं कि इस तरह छोटी छोटी बातों को उठाना डेमोक्रेसी (democracy) के खिलाफ है। यह बात सही है कि जो अपोजीशन पार्टी होती है उसका यह फर्ज होता है कि जो बातें हम पेश करें उसकी मुखालिफत की जाय, लेकिन यह कहना कि इस किस्म के मामले को वह पब्लिक के सामने लावें कुछ ठीक नहीं मालूम होता। कहा जाता है कि हमको पब्लिक की गुरबत का ख्याल नहीं है, या हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे जनता को नुकसान हो रहा हो या हम उसके फायदे का ख्याल नहीं रखते हैं। मैं समझता हूं कि इस किस्म की बहसें बिल्कुल बे माने और बे मौका हैं। हमको जनता की हालात और फायदे का ख्याल है, अगर इस किस्म की कोई बहस करनी है तो उसका फैसला इस हाउस में नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी जो तय करती है और जो कुछ उसने तय किया है उसी के मुताबिक हम काम करते हैं और करेंगे। यहां पर यह कहना कि कांग्रेस के सिद्धांत और उसका रास्ता मुल्क को तबाही और बरबादी में डाल रहा है ठीक नहीं मालूम होता है। हाउस में जो तकरीर हुई वह इलेक्शन के दिनों में वोट (vote) को पकड़ने के लिये ठीक थी।

यहां के बहुत से मेम्बर जो पहले इस किस्म की बातें किया करते थे वह आज असेम्बली के मेम्बर यहां नहीं हैं, यह इस वजह से है कि जनता ने उनके इस किस्म के इल्जामात को कुबूल नहीं किया लेकिन उनकी जगह जो मेम्बरान आज आए हैं अब फिर वह इस किस्म की बातें कर रहे हैं।

जो सवाल जेरे बहस है वह यह है कि जो रूल्स बनाये जायें वह पहले हाउस में मन्जूर करा लिये जायं या नहीं। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेम्बर कोई बात मालूम करना चाहते हैं तो वह सवालातों या और बहुत से जरियों से मालूम कर सकते हैं। जहां तक खर्च का सवाल है उसके बारे में बजट के दौरान में अगर बहस की जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। इस किस्म का जिक्र करना कि मकान पर इतना खर्च हुआ, मोटर पर इतना खर्च हुआ या तनख्वाह को बढ़ा दिया गया मैं समझता हूं कि हाउस का वक्त खराब करना है। यह कानून कांग्रेस के उसूल पर बना है, सोशलिस्ट उसूल पर मब्नी नहीं है इसलिये यह कांग्रेस के उसूल हैं या सोशलिस्ट के उसूल हैं, मैं निहायत अदब के साथ जनाब के जरिये से यह अर्ज करता हूं कि यह बातें बिल्कुल बेमौका और बेमहल मालूम होती हैं। इन अल्फाजों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

माननीय वित्त मन्त्री—मैं जनाबवाला, आपकी इजाजत से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कुछ बातें कही गयी हैं तो अगर उनके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से मुझसे जवाब सुन लें तो मुनासिब होगा। मेरे दोस्त जिन्होंने यह तरमीम पेश की है, उन्होंने दुखी दिल से कुछ बातें कहीं और मैं उनसे यह अन्दाजा कर सकता हूं कि सुनने वालों में भी कुछ ऐसे हों कि जिन्होंने इसको दुख से सुना, लेकिन उस दुख-तकलीफ और आराम की बात को छोड़कर मैं एक बात को मानता हूं और वह यह कि उनकी तकरीर में जिन बातों पर उनकी नजर गयी, उन पर जानी चाहिए थी और मिनिस्टरों को खुद इन तमाम बातों पर

निगाह रखनी चाहिए। उनकी तकरीर से ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने कुछ बातें, कुछ अफवाहें दूसरों की जबान से सुनी और यह कयास भी उन्होंने किया कि जब वह एक बार खुद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, तो उनके ख्याल के मुताबिक उनके ऊपर ४५ हजार रुपया साल गवर्नमेंट का खर्च होता था, तो क्या ताज्जुब है कि एक मिनिस्टर पर ६५ हजार रुपया होगा। कयास तो सही है और इस बिना पर भी ज्यादा सही है कि कुछ ऐसे रवैयात के जरिये से ऐसे मुखबिर के जरिये से जिनको मुखबिर कहा जा सकता है, यह खबर उनके कानों तक पहुंची और उनके कानों तक ही नहीं बल्कि इस ऐवान के जितने मेम्बरान हैं, उनके कानों तक पहुंची।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--क्या यह लफ्ज मुखबिर सही है ?

माननीय वित्त मन्त्री--जी हां, बिल्कुल सही है, यानी खबर देने वाला। मैं सिर्फ एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मिनिस्टर्स क्या खर्चा करते हैं और क्या नहीं करते, इस किस्म के सवाल यहां पूछे गये हैं। मैं इसको बुरा नहीं समझता, मैं इसको एफीशेन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये अच्छा समझता हूं मगर जो आपके तरीके हैं उनसे एख्तिलाफ करता हूं। मेरे दोस्त ने यह बात सुनी और सुन करके मेरे दोस्त अगर मुझ मिनिस्टर के पास तशरीफ ले जाते और मुझसे कहते कि तुम अपने यहां के गवर्नमेंट रिकार्ड (government record) मुझको दिखलाओ कि मिनिस्टर के ऊपर साल भर में कितना खर्च होता है और अगर मैं यह कह दूं कि साहब मैं नहीं दिखलाता तो मैं उस समय बहुत बड़ा गुनहगार हूं, चाहे चैनल्स (channels) जितने भी हों जिनके अन्दर कि पैसा खर्च होता है, मिनिस्टर फिर इन तमाम चैनेल्स को निकाल करके आपके सामने डालता है और फिर जमा करके उसका टोटल (total) लगाया जाय तो हमारा टी० ए० सही है या गलत है, इसका आपको इत्मीनान हो जाता है। मैं उस शख्स के लिये जिस शख्स को खास एतमाद हासिल करना हो, अपने इत्मिनान के वास्ते तो उसके लिये कोई अच्छा रास्ता नहीं हो सकता है सिवाय इसके कि वह मुझसे मांगेंगे तो मैं उसको दे सकूंगा, समझा सकूंगा। दूसरा तरीका यह होता है कि इस हाउस के अन्दर क्वेश्चन (question) करके इस चीज के मुताल्लिक मालूमात हासिल करना, उसके जरिये से भी वह आ सकती है। जब तक किसी मेम्बर ने इस ऐवान की इस तदबीर को नहीं समझा कि वह किसी हद तक असर नहीं करती है कि जब तक उसमें कामयाबी न हो गई हो। मैं समझता हूं कि उसके लिये यह बात बीकमिंग (becoming) हो सकती है कि वह किसी अफवाह की बिना पर किसी आदमी की निस्बत या गवर्नमेंट की निस्बत यह ख्याल करले कि ऐसा होता है, यह तो वाकई नामुनासिब है।

जो मकान आपने मुझे दे रखा है वह कोई ज्यादा बड़ा मकान नहीं है और वह इस वक्त का भी नहीं है जो कि अभी हाल में ५-६ साल पहले बनाया गया हो। पुराना मकान है और जितने साहबान भी उस मकान पर तशरीफ ले गये उन्होंने उसको देखा है वे देखते हैं कि उसमें बाहर लाइन्स (lines) हैं ट्यूबवेल्स (tube-wells) हैं। उसमें खेती होती है, उसमें बाग और खाली जमीन है तो ये सब तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कब्जे में है। वही उसकी पैदावार करता है और उस पैदावार को बेचता है। उसमें से मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं मिलता। उसके कसूरवार मिनिस्टर साहब नहीं हैं। उन खेतों के दर्मियान में मिनिस्टर साहब का बंगला है। तो उसमें जो पैदावार होती है, वह सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चार्ज (charge) में है और उसमें जो फसल है वे ही उसको पैदा करते हैं और वे ही उसको बेचते हैं और उससे जो आमदनी होती है वह भी उन्हीं की होती है। इसमें मिनिस्टर साहब का कुछ भी हिस्सा नहीं होता है। और जहां तक इमारत के और चीजों का सवाल है तो उस इमारत की साल भर में ह्वाइट वाशिंग (white-washing) जरूर होती है। उस इमारत को मैं समझता हूं कि जैसे सरकार की और इमारतों की ह्वाइट वाशिंग या मरम्मत होती है उसी तरह से उसकी भी होती है। तो इमारत को ठीक रखने के लिये उसकी ह्वाइट

[माननीय वित्त मंत्री]
वाशिंग होना जरूरी है उसको तो मिनिस्टरों के खर्चे में शामिल नहीं करना चाहिए। और जो सामान उस इमारत में रखा हुआ है और जो मैटीरियल (material) है वह शुरू में ही पहले-पहल रखा गया था और उनकी जितनी भी कीमतें हैं वे सब किताबों के अन्दर लिखी हुई हैं। ५ वर्ष हुए शायद अब भी वही मैटिरियल उन इमारतों में रखा हुआ है और उसको बदलने की भी जरूरत न पड़ी होगी।

(एक आवाज)

श्री गुरु नारायण हम आप से एक्सप्लेनेशन (explanation) तो नहीं मांग रहे हैं।

लेकिन ऐसी जहरीली आवाज तो उठाई जा रही है। मैं कहता हूं कि इस भवन के रहने वाले जो मेम्बर हैं या इस सूबे के रहने वाले जो हैं या जो हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं और चाहे कोई भी हो वह आये और देखे और मुझसे कहे कि जिस इमारत में मैं रह रहा हूं वह कैसी है? क्योंकि इस तरह की बात कहने वाले तो बहुत हैं। मैं आजतक भी नहीं समझा कि किस तरह से कह दिया गया कि एक पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी के ऊपर ४५ हजार रुपये खर्च हो सकते हैं। मैं किसी के ऊपर चोट नहीं कस रहा हूं। क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि यह बात गलत है। मिनिस्टरों के खर्चे और उनके मकानों का जहां तक ताल्लुक है तो उन सबका ऐसा काम मैं करता हूं और इसीलिये मैं इसकी पर्सनल नालेज (personal knowledge) भी रखता हूं और इसमें एक पाई का भी खर्चा बतला सकता हूं। आप उसके टोटल (total) का मुलाहिजा फरमाइये जो कि मिनिस्टरों के ऊपर खर्चे हुये हैं और जहां तक उनकी इमारत का सवाल है तो जब मिनिस्टर साहबान नहीं थे तो उनके ऊपर सरकारी मुलाजमीन रहते थे। तो उस समय भी खर्चे सरकारी मुलाजमीन के ऊपर होता था और उस खर्चे को आप आज मिनिस्टरों के खर्चे से मुकाबिला कर लीजिये। जहां तक कार का सवाल है उसके लिये ७५ गैलन पेट्रोल मिनिस्टरों के लिये मांग है और हर मिनिस्टर को ७५ गैलन पैट्रोल मिलता है।

नकद पैसा तो कुछ नहीं मालूम होता ह जिसमें मिनिस्टर साहबान कुछ खा रहे हों। टूट-फूट जो होती है उसके लिये सरकारी कारखाने हैं जहां सरकारी गाड़ियां बनती हैं वहीं इन मोटरों की भी मरम्मत होती है। इतना ताल्लुक मिनिस्टर का मोटर से है। रेल में जाते हैं कोई टिकट उन्हें नहीं मिलता, कोई अलाउंसेज (allowances) मिनिस्टरों को नहीं मिलते जैसे और गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को मिलते हैं। मिनिस्टर्स को कनवेंस (conveynce) मिलता है, सहारनपुर जायंगे एक दर्जा के मुस्तहक हैं उसमें चलेंगे। साथ ही हमारे बाबू लोग होंगे जो वहां भी काम करते हैं। रेल का किराया नकद नहीं मिलता है कोई और अलाउंसेज मुकर्रर नहीं हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि किस तरह से उनके लिये मौका है कि वह इसमें से कुछ खा सकें। इसलिये जहां तक यह कहा जा सकता है कि ४०-४५ हजार एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के ऊपर खर्च किया जाता है। ६०-६० हजार रुपया मिनिस्टरों पर खर्च होता है यह बिलकुल एक गैर बुनियादी बात है। हुजूर, आप यह चाहते हैं तो मैं जबाब दूंगा कि यह हाउस एक रूल नहीं पचास रूल बनाये उस पर कोई निगरानी नहीं हो सकती है। वह चीज सिर्फ ईमानदारी से ही बन्द हो सकती हैं। अगर हम इस काबिल हैं और आप हम पर एतबार करते हैं तभी वह चीज लाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि जिस चीज का इलाज आप सोच रहे हैं वह इलाज उसका नहीं है और न उससे हो सकता है। मेरे दोस्त गुरुनारायण साहब चले गये उन्होंने कहा है कि हाउस में रूल पास हो होते हैं। मैं कहता हूं कि रूल जो बनते हैं गजट में छपते हैं और मेम्बरान के घरों पर भेजे जाते हैं, वह रूल आप के पास जाते होंगे आप उनको पढ़ते होंगे आप को मालूम होगा कि मिनिस्टर ने यह रूल बनाया है। आप को हर वक्त एतराज करने का मौका है। इसका उसूल यही है और हाउस ने ही यह अख्तियार दे रखा है।

एक सदस्य--आप को दुःख हो रहा है ।

माननीय वित्त मंत्री--दुःख तो पहले कहने वाले के दिल में होता है और बाद में मुझ को दुख होगा । मेरे दोस्त एक ऐसी तरमीम को लाकर एक बुरी मिसाल पेश कर रहे हैं । वैसे मैंने दावत आप को दी है । मैं एक एक पैसे का हिसाब आप को दे सकता हूं। जो खर्चे की मोटी मोटी राहें है वह मैंने अर्ज कर दी हैं इससे हाउस अन्दाजा कर ले कि इस तरमीम की कहां तक जरूरत है।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि देखने में यह संशोधन बहुत मामूली मालूम देता हैं, लेकिन उसके बारे में सरकार की तरफ से जो तकरीरें हुईं उनसे यह प्रतीत होता है कि यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है । मैं चाहता हूं कि सदन इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करे । माननीय न्याय मंत्री ने सबसे बड़ी दलील यह दी है कि चूंकि चुनाव में वह जीत कर आये हैं और सोशलिस्ट हार गये हैं इसके माने यह हैं कि वह इस भवन में हुकूमत करना चाहती है उस पर विरोध नहीं होना चाहिये । अगर विरोध होता है तो डेमोक्रेसी के उसूल के खिलाफ है अगर इस उसूल को मान लिया जाय कि आप लोग जीत कर आये हैं और ५ वर्ष तक हुकूमत करेंगे और इस बीच में जितने बिल आयेगें बजट आयेगा या जो बिल इस भवन में रखे जायेंगे, उन पर हम लोग इसलिए विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ने मोहर लगा दी है तब तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ५ साल तक जो आप चाहे करें और अपोजीशन वाले अपना मुहं बन्द करके यहां बैठे रहें ।

माननीय न्याय मंत्री--मैं जनाबवाला, यह नहीं समझता था कि श्री राजाराम जी इस कदर नासमझी की बात कहेंगे , मैंने कहा था कि अपोजीशन को विरोध करने का हक है लेकिन जो तकरीरें पब्लिक प्लेटफार्म (public platform) पर की जाती हैं, एलेक्शन के दौरान में, और उन तकरीरों में जो यहां की जाती हैं फर्क है। इस किस्म की बातें सिर्फ पब्लिक प्लेटफार्म के लिये उठा रखना चाहिये । यहां पर पालिसी और ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक तकरीर होनी चाहिये । इस किस्म की बातें कि मिनिस्टरों ने फलां गलती की या उन्होंने अपने मकान और मोटर के ऊपर ज्यादा खर्च कर दिया, करने का यह मौका नहीं है ।

श्री राजाराम शास्त्री--मुझे न्याय मंत्री की बात सुन कर ताज्जुब नहीं हुआ । मैं उनसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद करता था वह शायद उसूल की बात ज्यादा करते हैं और फिजूल बात कम करते हैं । यह आप की आदत से मालूम होता है । यकीन मानिये कि मैं जब बोलने के लिये खड़ा हुआ था तो मेरे दिल में यह प्रश्न उठा था कि मैं शायद एक वाक्य भी पूरा न कर पाऊंगा कि वह बीच में खड़े हो जायेंगे । आप मुझे माफ करें वकील आप भी हैं अगर कोई प्वाइन्ट (point) किसी वकील का कमजोर होता है तो वह उसी प्वाइन्ट पर शोरगुल मचाता है जिससे वह प्वाइन्ट ऐसा होजाय कि मालूम पड़े कि कमजोर नहीं है । मेरे ख्याल से भवन अभी बैठा हुआ है उठा नहीं है । यह बात ऐसी नहीं है कि हम चुनाव जीत कर आये हैं और सोशलिस्ट हार गये है, इसलिये पब्लिक ने मोहर लगा दी है कि जो कुछ हुकूमत करे उस पर विश्वास किया जाय । उसके माने यह हैं कि हुकूमत जो काम करती है उसकी नुक्ताचीनी ही न की जाय । यह बात लोकतंत्र के खिलाफ है । मैंने कभी रुपये पैसे और आँकड़े पर जोर नहीं दिया । मुझे तो यह जो जहनियत है, इससे सख्त मुखालिफत है । अगर इस बात की तरफ ध्यान न दिया गया तो हमारा सूबा बहुत गलत रास्ते पर चला जायेगा ।

डिप्टी चेयरमैन--इस सवाल पर आपके सामने आनरेबुल मिनिस्टर का एक्स-प्लेनेशन (explanation) आ गया है । इसलिये अब इस मसले पर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रह जाती ।

श्री राजाराम शास्त्री--मेरी सभी बातें माननीय मंत्री को नासमझी की बातें मालूम होती हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी बातें मुझे नाकाबिलियत की मालूम होती हैं। मैं बाजार में बोलने वाले से ऐसी बातें एक्सपेक्ट (expect) कर सकता हूं। लेकिन माननीय मंत्री का ओहदा बहुत ऊंचा होता है उनको भवन के अन्दर एक शिष्टाचार बरतना चाहिये। हम जिस उसूल पर बोले, हो सकता है, वह गलत हो। लेकिन जो बात हम कहें, उसके लिये वह कह दें कि यह बात ना समझी की बात मालूम होती है, क्या उनका ऐसा कहना अच्छा मालूम होता है। अगर हम ऐसा ही उनके लिये कहें तो क्या उनको भला मालूम होगा। जब आप प्रजातंत्रवाद के उसूलों को मानते हैं तब उसके माने यह हैं कि अगर हुकूमत कोई काम करती है तो वह यह समझती है कि वह काम इस ढंग से अच्छा मालूम होता है। दूसरे पक्ष के लोग यह समझते हैं कि यह चीज इस ढंग से होना चाहिये। डेमाक्रेसी के माने यही हैं कि कोई प्रस्ताव आता है, उस पर वादविवाद होता है और फिर निर्णय होता है। उपाध्यक्ष जी, अगर किसी संशोधन को पेश करके हम कोई बात सामने रखते हैं उससे यह कहा जाये कि हम हुकूमत पर अविश्वास करते हैं तो इससे तो हमारा मुंह ही बन्द हो जायगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो बात हम रखते हैं उसको हुकूमत पर अविश्वास की बात न बनाया जाये। हमारे मंत्री बहुत कुर्बानी करके आये हैं, अनेकों तकलीफें उन्होंने बरदाश्त की हैं। जितने कानून भवन में बनाये जाते हैं उन कानूनों के नियम होते हैं। जब जमींदारी उन्मूलन आपने पास किया तो उसी रोज हमारी टेबुल पर जमींदारी उन्मूलन के नियम पेश किये थे। कोई भी कानून बनता है तो उसके नियम हमारे सामने रखे जाते हैं। तो फिर क्या वजह है कि मिनिस्टर्स की तनख्वाहों का जब सवाल आये, उसके जो नियम आयें वह हमारे सामने न रखे जायें ? आप यह कह सकते हैं कि हमारी यह माँग गलत है, लेकिन अगर हम इस बात को पब्लिक के हित में समझते हैं तो कम से कम इस बात के कहने का हमारा न्यायोचित अधिकार तो है। जब हम अपनी बात कहते हैं तो यह कभी न समझना चाहिये कि हम अपने दायरे से बाहर जा कर ऐसी बात कहते हैं। हमने यह कभी नहीं कहा कि आप रुपये को बरबाद कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि आप यहाँ कांग्रेस की लड़ाइयाँ लड़ कर आये हैं, कुर्बानियाँ की हैं, लेकिन मैं यह पूछता हूं कि यह परम्परा जो आप कायम कर रहे हैं, कल आप की जगह पर ऐसे लोग आ सकते हैं जिन्होंने कोई कुर्बानियाँ न की हों। यह भी ठीक है कि आपके अपने मकान इन मकानों से बहुत बड़े हैं, जिनमें आज आप बहैसियत मंत्री के रह रहे हैं, आप जब मंत्री न थे तब आप की आमदनी भी मौजूदा तनख्वाहों से अधिक थी। लेकिन क्या ऐसे मिनिस्टर कल नहीं हो सकते जो आज झोपड़ियों में रहते हैं तथा जिनके पास आज खर्च भर को भी आमदनी नहीं है। आपने मिनिस्टर बनाये। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बनाये। अगर हम विचार कर रहे हैं कि मंत्री भी हों और उप मंत्री भी हों। इस हालत में हर एक आदमी को क्यों समझते हैं कि हाफिज साहब की तरह से उतना ही बड़ा मकान मिलना होगा जिसमें वह रहते हैं। कितने आदमी तो साधारण जीवन व्यतीत करते रहे हैं। आज भी जिस तरीके से मुझे फर्स्ट क्लास का भत्ता मिलता है, यह भी हमें काफी मालूम होता है। अपनी पार्टी के काम से जब मैं जाता हूं तो थर्ड क्लास में जाता हूं तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब भी हमारे पास ज्यादे रकम सरकार की आये जो कि खर्च करने से रह गयी है तो हम इस संशोधन से चाहते थे कि मंत्री और उपमंत्री मोटर के भत्ते तथा रखरखाव के संबंध में जो खर्च करते हैं उसके सिलसिले में जो सरकार नियम बनाये उसको इस भवन में रखा जाय। माननीय हाफिज साहब ने यह जवाब दिया कि हम तो मेम्बरों के पास नियम भेजते हैं। जब कि यह नियम हमारे घर पर भेजा जा सकता है तो यह हमारी समझ में नहीं आया कि भवन में क्यों नहीं दिखलाया जाता। मैं तो चोरी की बात नहीं करता हूं। वह तो कायदे और कानून की बात है। जो नियम कि गजट में छप सकता है। उन नियमों को यहाँ पर रख दिया जायगा तो कौन सा पहाड़

टूट जायगा। जब नियम घर पर भेजा जा सकता है तो हम चाहते हैं कि उसकी एक कापी टेबुल पर रख दी जाय। बाद में क्यों कहते हैं कि आज नाना प्रकार की आलोचना होती है। कोई बात गुप्त रख दी जाय तो यह बात होती है। अगर यह बात खोल कर रख दी जाय तो कोई बात नहीं है। अगर माननीय सदस्या, जो यहाँ बैठी हुई हैं, अगर वे बुरा न मानें तो मैं कहता हूं कि अगर वे बाजार में घूंघट मारकर चलें तो सब लोग देखेंगे। अगर वे बगैर इसके चलती हैं तो कोई उनकी तरफ नहीं देखेगा। उसी तरह से अगर वे रूल्स हाउस के सामने आ जायेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। कोई भी कायदा कानून यहाँ पेश करेंगे हम कभी भी इस बात की कोशिश नहीं करेंगे और उसके पास होने में कोई एतराज नहीं करेंगे। इस संबंध में जो कुछ हम कहते हैं उसके अन्दर कोई ऐसी भावना नहीं है। कोई साहब कहते हैं कि क्या आप अखबार में छपवाना चाहते हैं तो मेरा कहना है कि जब हम यहाँ पर बैठ कर १० रुपया वेतन पाते हैं तो केवल इसलिये पाते हैं कि यहाँ जो कानून कायदे बनते हैं उसकी हम देखरेख करते रहें। अगर पब्लिक का एक कौड़ी भी खर्च होता है तो उसे हमें देखना चाहिये कि जब तक हम इस भवन के अन्दर रहेंगे, जहाँ तक जनता के हित में जो बात रही समझेंगे, वह कहते रहेंगे। उधर से कहते हैं कि वोट लेने के लिये इस तरह का विरोध किया जाता है। इस तरीके की दलीलें हम भी दे सकते हैं कि आप जो बात कहते हैं वह गद्दी में चिपके रहने के लिये ऐसी बातें कहते हैं, यह दलीलें गलत हैं। मैं इसीलिये कोशिश करता हूं कि आप इस मनो-वृत्ति को बदलें क्योंकि हम आपको इस बात का आदी बनाना चाहते हैं।

पुराने जमाने में हुकूमत करने वाले जो राजा या नवाब रहा करते थे उनके चारों तरफ कुछ इस तरह के लोग रहा करते थे जो राजा की खुशामद किया करते थे और चाहे जो कुछ हो रहा हो कहा करते थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है, प्रजा बड़ी खुश है। नतीजा यह होता था कि फौजें घर में घुस आती थीं और वह कहे जाते थे कि बड़ा अच्छा इंतजाम है। नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में यही हुआ था। मंत्रियों की यह आदत पड़ती जा रही है कि वह यह सुनना चाहते हैं कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वह इस बात के भी आदी बनें अगर कोई गलत बात करते हैं तो उसकी आलोचना सुनने के लिये तैयार रहें। उधर के लोग तो आप चाहे काला या सफेद जो कर आयेंगे उसकी प्रशंसा ही करेंगे। परन्तु हम बराबर गलत चीज की तरफ इशारा करते रहेंगे ताकि आप आदी बन जायें। हमने जो कुछ पेश किया है इस भवन के अन्दर हम जरूरी समझते हैं कि मंत्रियों और उपमंत्रियों के भत्ते के जो नियम बनाये गये हैं वह भवन में आने चाहिये ताकि भवन जान सके कि इसमें कोई खराबी तो नहीं है। उसमें सब को विश्वास हो जावेगा। लिहाजा सब चीजें सामने आ जायेंगी, कोई छिपी हुई चीज नहीं रहेगी। आप कहते हैं कि कमरे में आइये हम दिखा देंगे। तो वही चीज आप भवन के सामने क्यों नहीं लाते हैं ताकि भवन उस पर नुक्ताचीनी कर सके। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन की ताईद करता हूं। साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम कोशिश करते हैं कि हम भवन की मान्यता कायम रक्खें। पन्नालाल जी ने जो कुछ कहा है मैं उसका जवाब देना भी पसंद नहीं करता हूं। लेकिन माननीय मंत्री से ऐसे शब्दों का आदान-प्रदान ठीक नहीं मालूम होता। लेकिन मुझे उनकी बातों का जवाब देना जरूरी था इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कानून मंत्री की तकरीर ने मुझे हैरत में डाल दिया। इस भवन के अन्दर, विरोधी दल में भी, कांग्रेस दल में भी ज्यादातर वह लोग हैं जो वर्षों तक आजादी की लड़ाई लड़ते रहे हैं और उस जमाने में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़े कड़ए शब्दों का प्रयोग किया है। उनके साथ हमने भी नारे लगाये थे कि नहीं रक्खेंगे, जालिम सरकार को नहीं रक्खेंगे। मैं समझता हूं कि वे कड़ुवे शब्दों का जिनका इस्तेमाल करने की हमें आदत पड़ गयी थी, जब हम अंग्रेजों से

[प्रो० मुकुट बिहारी लाल]

लड़ रहे थे, अभी तक बाकी है। सदन के इस तरफ के और उस तरफ के भी, यहाँ हाउस के अन्दर भी और बाहर भी इन कड़ुए शब्दों का प्रयोग होता रहा है। मैं सोचता था कि पुरानी आदत है, छूटते छूटते छूटेगी और इसलिये जो पार्लियामेंटरी डिकोरम (parliamentary decorum) है उसे सीखने में हमे देर लगेगी लेकिन जब मैंने माननीय कानून मंत्री की बात सुनी जिन्हें खुशकिस्मती से जालिम सरकार नहीं रहेगी, यह कहने का मौका नहीं मिला था।

डिप्टी चेयरमैन--अपने मजमून पर आइए, किसी दूसरी बात पर जाने की जरूरत नहीं है।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--अगर माननीय उपाध्यक्ष, मुझे हुक्म दें तो मैं बैठने को तैयार हूं। तो मैं समझता था कि पुरानी आदत छूटने में वक्त लगेगा। लेकिन जब मैं माननीय कानून मंत्री के शब्दों को सुनता हूं तब मुझे ताज्जुब होता है। मैं चैलेन्ज (challenge) के साथ कहता हूं कि विरोधी दल ने जितनी बाते कही हैं उन तकरीरों में से एक भी तकरीर ऐसी नहीं है और इतनी कड़वी नहीं है जितनी कड़वी हमारे माननीय मंत्री ने कहा है। हम एले-क्शन में लड़ते थे तो जानते हैं कि हमने किस नारे का इस्तेमाल किया था। हमारे नौजवान कहते थे कि इस सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो। हमारे कानून मंत्री कहते हैं कि हम महज दुनिया को भुलाने के लिये यह बातें करते हैं। यह एक हैरत की बात है। न्याय मंत्री ने कहा कि हमारा काम डिमोक्रेसी (democracy) के खिलाफ है। मुझे इस सदन में आये हुये २,४ दिन ही हुये हैं और शायद इससे पहले मुझे इस बात का मौका नहीं मिला है लेकिन मैं ३० साल से डिमोक्रेसी का विद्यार्थी हूं और मैंने डिमोक्रेसी के माने दो हजार विद्यार्थियों को पढ़ाया है। मैं चैलेन्ज से कह सकता हूं कि जो कार्यवाही हमारी तरफ से हो रही है वह डिमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। जब आप बिल पेश करते हैं कि डिप्टी मिनिस्टर की यह तनख्वाह हो तो अगर उस वक्त हम बहस न करें कि डिप्टी मिनिस्टर की जरूरत है या उनको कितनी तनख्वाह दी जाय तो वह कौन सा मौका होगा जब इस बात पर बहस की जा सकेगी? माननीय कानून मंत्री हमारी इस बहस को डिमोक्रेसी के खिलाफ कहते हैं। अगर कोई नौजवान ऐसी बात कहता तो मैं मानता कि वह गलत है लेकिन जब इतने बड़े तजुर्बेकार कहते हैं कि यह डिमोक्रेसी के खिलाफ है तो मैं ताज्जुब में रह जाता हूं।

वह कहते हैं हम लोग चुनाव में हारे हैं और कांग्रेस के उसूल जीते हैं, कांग्रेस के सिद्धान्त जीते हैं। क्या मैं आप के जरिये माननीय कानून मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या कांग्रेस का यह भी उसूल है कि जो नियम कैबिनेट बनाये उन नियमों को वह हाउस के सामने न रखे। क्या कांग्रेस ने इस चुनाव के जमाने में जनता से इस बात की आज्ञा ले ली है कि जो नियम वह बनाये वह नियम अपने ही पास रखे और उनको स्वीकृति के लिये सदन के सामने भी न रखे? मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में पराजय देखनी पड़ी है, लेकिन साथ ही मैं समझता हूं कि माननीय कानून मंत्री का इस ख्याल के मुआफिक होना कि जो नियम हम बनायें उनको जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के सामने न रखें, ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता कि फिर जनता का इसके लिये क्या फैसला होगा। यह एक अजीब बात है कि हाफिज साहब ने यह कहा कि हम इन रूल्स को घर पर भेज देंगे। मैं अभी इस सदन में आया हूं मुझे जाती तजुर्बा नहीं है लेकिन मुझे दो चार शख्सों ने यह बताया कि कैबिनेट ने जो रूल्स बनाये हैं वह अभी तक सदन के सदस्यों में भी सरकुलेट (circulate) नहीं किये गये हैं। घर पर भेजना और सदन में पेश करना तो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर यह दोनों चीजें नहीं होतीं तो डिमोक्रेसी के अन्दर यह कानून बन गया होता कि बहुमत जो चाहे कर ले और वह आर्डिनेन्स (ordinance) पास करके मेम्बरों के पास भेज दे। मगर डिमोक्रेसी में यह नहीं होता है। वहां बिल होंगे, वे बाकायदा असेम्बली (Assembly) में पेश किये जायेंगे और वहां बहस का मौका दिया जायगा। अगर पराजित दल को बात करने

का भी मौका न होता, तो फिर डिमोक्रेसी के उसूलों पर यह लिख दिया जाता कि जो बहुमत का दल है उन्होंने अपने बहुमत के जोर पर पास कर लिया और इस तरह पराजित दल को अपनी राय देने का हक नहीं होगा। लेकिन आज देखते हैं कि जो डिमोक्रेसी को क, ख, ग भी नहीं जानते हैं वह डिमोक्रेसी के उसूल बतलाते हैं। भले ही वे तानाशाही के उसूल हों। हाफिज साहब ने ठीक कहा है कि रूल्स होते हुये भी धोखा दिया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूं कि कानून के होते हुये भी चोरी की जाती है। यह भी मैं जानता हूं कि कानून के होते हुये भी बहुत धोखाधड़ी की जा सकती है। लेकिन उसके होते हुये भी क्यों कानून बनाया जाता है। कानून इसलिये बनाया जाता है कि उनको मुश्किलात पड़ेंगी और वे धोखाधड़ी न कर सकेंगे। जब कानून बनते हैं और इस किस्म के रूल्स बनते हैं तो इस किस्म के रूल्स बनने के यह माने नहीं होते हैं कि मिनिस्टर चोर हैं या बदमाश हैं या धोखा देने वाले हैं। शुक्र ने अपनी नीति में कहा है कि राजा राजा नहीं है जो उसकी लिखित आज्ञा है वही राजा है। अगर हम कानून बनाते हैं और उस कानून के मातहत कोई रूल्स बनाते हैं तो वे रूल्स जनता के प्रतिनिधियों के देखरेख में ही बनने चाहिए और उन पर उनको नुक्ताचीनी का मुकाबिला करना चाहिए। यदि यह बात नहीं होती है तो इस देश के अन्दर बेनीवोलेन्ट डिसपोटिज्म (benevolent despotism) से काम हो सकता है। लेकिन इस तरह से डिमोक्रेसी में काम नहीं हो सकता है। मैं एक बात कह कर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। जिस दिन से मैं यहां आया हूं, करीब-करीब उसी दिन से मुख्तलिफ हल्कों से इस बात की शिकायत सुनी जा रही है कि विरोधी दल के लोग इस तरह से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इस वैधानिक सरकार के चलाने में काफी कठिनाई हो रही है।

मैं इस सदन के मेम्बरों से अपील करूंगा कि वह खुद समझें और खुद इस बात का फैसला करें कि ७ दिन के अन्दर विरोधी दल के लोगों ने जो बातें कही हैं और जो सरकार की ओर से बातें कही गयी हैं उनमें कितने ज्यादा तलखी के अल्फाज इस्तेमाल किये गये हैं। मैं कांग्रेस दल के सदस्यों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिलाता हूं बल्कि मैं इस सदन के नेता माननीय हाफिज जी की तरफ ध्यान दिलाता हूं। माननीय न्याय मंत्री ने जो तकरीरें की और माननीय उद्योग मंत्री ने जो तकरीर की उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनमें कितनी तलखी थी और कितने अनपार्लियामेन्टरी (unparliamentary) शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उसमें किस शिष्टाचार को कायम करना चाहते और किस मान-मर्यादा को कायम करना चाहते हैं। मुझे इस सदन के नेता के शब्दों को सुन कर बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने इस सदन के एक सदस्य के लिये मुखबिर शब्द का प्रयोग किया। माननीय हाफिज जी तो उर्दू, फारसी और अरबी के आलिम हैं। मैं तो सिर्फ उर्दू ही जानता हूं अरबी-फारसी नहीं जानता हूं। हमारी उर्दू जबान में मुखबिर लफ्ज के क्या माने हैं? अगर सदन के एक सदस्य के लिये मुखबिर का प्रयोग किया गया है तो फिर क्यों शिकायत की जाती है कि विरोधी दल शिष्टाचार बरते। मैं जानता हूं कि यह अपर हाउस है। इसको ताकत-वाकत तो कुछ है नहीं तो फिर हम एक ही तरह से अपनी शान को कायम रख सकते हैं और वह यह है कि अपनी तकरीर का लहजा कुछ बदलें। दूसरे हाउस में जो तकरीर का लहजा है उस को यहां पर अच्छे ढंग से कायम करें ताकि दूसरे सदन वाले हमारी बुजुर्गी को कुछ समझ सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर साहब ने मेरे संशोधन पर काफी कह दिया है इसलिये अब मुझे कुछ नहीं कहना है।

माननीय वित्त मन्त्री--जनाब वाला प्रोफेसर साहब ने जो तकरीर फरमाई उसके में मैं यह अर्ज करूगा कि मुझे उनकी तकरीर सुन कर बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने एक साहब की निस्बत मुखबिर का लफ्ज इस्तेमाल किया हमारे यहां जिस माने में मुखबिर का लफ्ज इस्तेमाल होता है अगर वही माने प्रोफेसर साहब लगाते तो शायद वह इसको सुन कर ऐसा न कहते।

[माननीय वित्त मंत्री]

मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है मैं पूरा यकीन दिलाता हूं और बिल्कुल आनेस्टली (honestly) कहता हूं कि किसी किस्म की कोई बात मेरे दिमाग में नहीं थी जिस किस्म का शुबहा प्रोफेसर साहब को हुआ। लफ्ज मुखबिर का मतलब है खबर देने वाला और मेरे यहां आमतौर पर किसी मुसलमान से जो कि पढ़ा-लिखा होगा उससे पूछेंगे तो मालूम होगा कि सब से पहले हमारे यहां यह लफ्ज प्रोफेट के मुताल्लिक इस्तेमाल करते हैं जो हमारे प्रोफेट हैं उनके लिये हम इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं। वह समझते हैं कि मैंने शायद यह चलता-फिरता लफ्ज जिसको कि इस्तेमाल करने का मैं आदी नहीं हूं और मेरी जबान पर वह लफ्ज आता ही नहीं हैं जो कि यहां सड़कों पर बाजार के अन्दर बोले जाते हैं बोल दिया है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि तजुर्बा यह साबित करेगा कि किसी भी ऊंची गुफ्तगू, तकरीर या किसी मौके में अगर किसी किस्म की मुखालिफत करने की जरूरत हुई तो मैंने कभी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। यह लफ्ज मेरी जबान पर है और मैं अब भी मुखबिर कहता हूं और मुखबिर हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं जो कि ऊंचे और बुलन्द ख्यालात को लेकर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से यह लफ्ज यहां पर भी मैंने इस्तेमाल किया है। अब अगर फिर भी हमारे प्रोफेसर साहब को शिकायत है तो मैं यही समझूंगा कि मैं माजूल हूं इतना मैं कह सकता हूं।

अब रही यह बात मुझको इसका अफसोस है कि सब की बात कुछ और थी, इरादा सब का कुछ और था और बन गई बात कुछ और। इसके मुताल्लिक गालिब ने एक शेर कहा है यह उन्होंने उस वक्त कहा था जबकि बादशाह के यहां सेहरा होता था तो उसमें उनके उस्ताद ने कहा था कि गालिब सेहरा के मुताल्लिक कोई शेर कहो तो उसमें उन्होंने एक शेर लिखा था इससे यह मालूम हुआ कि उनके उस्ताद जो थे उनको बादशाह सलामत के ऊपर भी गालिब साहब ने अपनी तकल्लुफी से साबित करना चाहा।

"देखें कि इस सेहरे से कह दो कोई बेहतर सेहरा।"

तो वही चीज इस हाउस के अन्दर भी पैदा हुई है जैसे कि गालिब ने कहा था कि "मंजूरे इससे कोई बेहतर सेहरा नहीं", तो जो कुछ भी मैंने कहा कोई खास मकसद उसका नहीं था; बिल्कुल वैसे ही इत्तिफाक से वह बात यहां भी कही गई कि उन्होंने अपनी नियत इसमें बयान की और वही बात यहां हो गई और वह मैं समझता हूं कि यह है कि यह सब गलती कानूनी जो मंत्री साहब ने फरमाई मेरे नजदीक उनकी नीयत में किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी शिकायत की जाती, हो सकता है जब आदमी तकरीर करता है तो उस तकरीर के दौरान में लफ्जों को इस्तेमाल करने में, उनके च्वाइस (choice) करने में किसी किस्म की ऐसी बात हो जाय कि किसी जगह पर सुनने वाले को वह लफ्ज जो इस्ते-माल किया गया है वह ठीक न मालूम पड़े या यह कि जो कह रहे हैं उसका मतलब कुछ दूसरा हो और उसके माने कुछ दूसरे ही मान लिये जायं और जिस तरीके से उन्होंने यहां पर कही वह बिल्कुल इसी तरह की बात थी।

उन्होंने जिस तरह से सुना और समझा उसका उसी तरह से जवाब दिया। जो लफ्ज मैंने कहा और उसके जो माने वे समझे शायद उससे उनके दिमाग में गलतफहमी पैदा हो गई है।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल—Would you like such exchange of words?

माननीय वित्त मंत्री—वह इत्तिफाक से हो गया है। मैं हूं या कोई और हो उसको किसी शिकायत की नजर से देखना ठीक नहीं हो सकता है। अगर मुझसे किसी को तकलीफ हुई हो तो उसके लिये मैं माफी माँगता हूं। मेरा अपना ख्याल यह है कि किसी के दिल को दुखाना ठीक नहीं है और न मैं कभी ऐसा करने का इरादा रखता हूं। सबसे पहले यह हमारा ही फर्ज है कि हम उस हाउस की शान को कायम रखें और

इस हाउस की शान को कायम न रखने से इसमें हमारा ही नुकसान है और यह खतरनाक भी हो जायेगा। तो अगर हम इस चीज को इस जरिये से न देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने फर्ज को समझते हुये और इस हाउस की शान को कायम रखते हुये हमें किसी भी गलत-फहमी में नहीं पड़ना चाहिये। प्रोफेसर साहब की बात मैं हर माने में मानने के लिये तैयार हूं। क्योंकि एक तो वह बुजुर्ग हैं और दूसरे प्रोफेसर जो कि हमारे बच्चों, बेटों और हजारों विद्यार्थियों को तालीम देते हैं और यह हमारी खुशकिस्मती है कि वे इस हाउस में तशरीफ भी ले आये हैं, तो उनकी हर तरह से इज्जत करना भी मेरा फर्ज है। उनको प्रोफेसर और बुजुर्ग की हैसियत से भी हमें मोहब्बत की नजर से देखना चाहिये और अगर हमसे किसी किस्म की गल्ती भी हो जाय तो उन्हें उसे दूर कर देना चाहिये। उन दलीलों और तकरीरों में ज्यादा पड़ना ठीक भी नहीं है। जहाँ तक डिमोक्रेसी का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि डिमोक्रेसी के स्टूडेन्ट (student) और उसके प्रोफेसर की हैसियत से जो सेक्रिफाईस (sacrifice) की बात मैंने उनकी जबान से सुनी जिससे कि मैं पहले से वाकिफ नहीं था। तो उन्होंने जो डिमोक्रेसी की बात कही वह ठीक और सही है।

लेकिन पढ़ाने लिखाने का दावा मैं नहीं करता। प्रोफेसर साहब की बात का जवाब नहीं देता हूं लेकिन डिमोक्रेसी का जहाँतक ताल्लुक है और यह जब से दुनिया के दूसरे मुल्कों में आयी और जब से हिन्दोस्तान में चली है या इससे पहले उस वक्त से लेकर इस वक्त तक एक बात चली आयी है। स्टूडेंन्ट की नजर में यह क्या वकत रखती है, मैं नहीं जानता लेकिन अपने तजुर्बे की बिना पर और जो कुछ दुनिया के अन्दर देखा और सुना है मैं कह सकता हूं कि रूल बनाने का हक गवर्नमेन्ट को दिया जाता है। मेरे दोस्त राजा राम जी बहुत दिनों से मेम्बर हैं, और भी साहबान बहुत दिनों से मेम्बर हैं जितने कानून बन चुके हैं उनमें गवर्नमेन्ट को बराबर हक दिया जाता रहा है लेकिन यह कायदा नहीं चलाया गया कि हर कानून जब बनेगा तब पहले हाउस में लाया जायगा। कुछ कानून ऐसे हैं जिन को बगैर पहले हाउस में लाये गवर्नमेन्ट न बना सकती है और न लागू कर सकती है मसलन् जमींदारी के कानून को ले लीजिये। उसका तो एक्सेप्शन (exception) था और बगैर हाउस में लाये उसके रूल्स लागू नहीं किये जा सकते थे। जो कानून गवर्नमेन्ट बनाये उनको नाफिज भी करदे, यह अख्तियार गवर्नमेन्ट को था और फिर हाउस में रखे ताकि हाउस को जो कुछ कहना हो कह दे। मुख्तलिफ किस्म के कानून बनने वाले थे, इसलिये यह सवाल उठा और गवर्नमेन्ट ने इसको इसी शक्ल में मंजूर किया। ऐसी सूरत में यह बात कही जाती है कि गवर्नमेन्ट जो कानून बनायेगी उसको हाउस के सामने बाद में रखेगी। यह सभी मुल्कों में होता है चाहे गलत हो या सही। सन् २६ से मैं भी यही देखता रहा हूं कि हाउस में क्या होता रहता है इसलिये इस कानून के मातहत जो इस वक्त है कि जो कायदे बन गये हैं उन कायदों का ताल्लुक सिर्फ चन्द आद-मियों से है। ८, १० आदमी जो आज मिनिस्टर बने हैं उन कानूनों से उनका ताल्लुक है और वह लोग कानून बनाते हैं। इस अहमियत को आप मुलाहिजा फरमाइये कि क्या वह इसका मिसयूज (misuse) करेंगे, इसलिये मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी और मैंने यह अर्ज किया। गुरु नारायण साहब अ और उन्होंने कायदों के मुताल्लिक एतराज किया है, इसलिये मैं उसे चाहता हूं। मैंने यह अर्ज किया कि आम तौर पर यह होता है कि गवर्नमेन गजट में शाया कर दिये, कुछ दिनों के अन्दर मेम्बरों के घर भेज दिये गये इसमें [illegible] होती है कि इतने दिनों के अन्दर जिस किसी को कुछ कहना हो कह दे। हर मेम्बर को यह भी हक होता है कि उस पर वह फौरन एतराज कर सकता है।

संक्षिप्त नाम

उसकी शक्ल यह है कि रूल्स मौजूद हैं और जो प्रोसीजर (procedure) है उस सूरत में वह गजट में छपेंगे और कागज का भी खर्चा होगा तो मैं समझता हूं कि आपको तो मौका होगा और जब आप के सामने वह रूल्स आयेंगे तो आप को क्रिटिसिज्म (criticism)

[माननीय वित्त मंत्री]

करने का मौका होगा। आपको बजट के मौके पर भी एतराज करने का मौका मिलेगा तो जब इस तरह की अपार्चुनिटीज (apportunities) आप को हैं तो यह कहना कि नाफिज करने के पहले हाउस के सामने रख दिया जाय यह गैरजरूरी बात मालूम होती है।

एक मेरे दोस्त ने कहा कि इतनी बड़ी बात क्या है वैसे तो कोई बात नहीं है लेकिन दूसरे पहलू से देखा जाय तो बहुत बड़ी बात है एक तो छपाई और कागज का खर्चा बढ़ेगा और इसमें मान लीजिये कि थोड़ा सा काम है लेकिन इस प्रोसीजर के कायम हो जाने के बाद बहुत बड़े बड़े रूल्स आ सकते हैं उसमें और ज्यादा खर्च होगा। अब यह है कि ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाय या न किया जाय। आप चाहें तो कर सकते हैं और न चाहें तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप को क्रिटिसिज्म करने का मौका न मिलता होता तो मैं मानने के लिये तैयार हो जाता। जो न्याय मंत्री की तकरीर हुई उससे मालूम हुआ कि यह सवाल दूसरे हाउस में भी उठा था। और वहाँ यह तय हो गया कि यह हाउस में न रखा जाय। जहाँ तक एतराज करने का हक है वह तो आप को है ही। इसलिये मेरी राय यह है कि इस रूल को लेजिस्लेचर के सामने नहीं लाना चाहिये।

इस वक्त जो गर्मी हो रही है। उसका मुझको भी एहसास है। एक मजाक की बात है। मुझको भी गर्मी मालूम हो रही है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि लेजिस्लेचर इस मौसम में यहाँ न होता और मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेम्बरान को यहाँ रहने में भी तकलीफ है। इस गर्मी में इस किस्म के नतीजे का निकलना भी मुमकिन था जो यहाँ हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको भूल जायेंगे और जो सबक हमको इससे मिले हैं उनको याद रखेंगे।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ६ उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय:

"और जो भवन की स्वीकृत के लिये पेश किये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रीएम्बिल तथा खंड १

उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों तथा उप-मन्त्रियों को दिये जाने वाले वेतन भत्तों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और उपमंत्रियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की व्यवस्था करना आवश्यक है:

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और उप मन्त्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई० होगा,

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्राएम्बल और खंड १ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय न्याय मंत्री--Sir, I beg to move that the U. P. Ministers and Deputy Ministers (Salaries and Allowances) Bill, 1952, be passed.

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स ऐन्ड डिप्टी मिनिस्टर्स (सैलरीज ऐन्ड एलाउन्सेज) बिल, १९५२ ई० को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, सन् १९५२ ई०

माननीय न्याय मन्त्री--Sir, I beg to move that the U. P. State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) Bill, 1952, be taken into consideration.

जहाँ तक इस विधेयक का ताल्लुक है यह एक बहुत सीधा सादा विधेयक है। इसके जरिए से चेयरमैन, लेजिस्लेटिव कौंसिल, स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेम्बली, डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेम्बली और डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव कौंसिल की तनख्वाहें मुकर्रर की गई हैं जहाँ तक चेयरमैन और स्पीकर की तनख्वाह का ताल्लुक है वह वही तनख्वाह है जो वजरा के लिए मुकर्रर की गई है। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन के मुताल्लिक पहले कुछ और था लेकिन अब की बार थोड़ा सा बदल गया है। पहले डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को ५०० रुपया तनख्वाह मिलती थी और २०० रु० बहैसियत मेम्बर उनको मिला करते थे। इस तरह से उनको ७०० रु० मिला करते थे लेकिन उनके लिए किसी मकान वगैरा का इन्तजाम नहीं किया जाता था। अब की दफा उसको बदल कर उनकी तनख्वाह ६०० रु० कर दी गई है लेकिन इसके साथ-साथ जो उनको २०० रु० बहैसियत मेम्बर असेम्बली मिलते थे वह उनको अब नहीं मिलेंगे। इसके अलावा और कोई चीज इस में नहीं है जिसके मुताल्लिक किसी को कोई एतराज हो। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल पास किया जाये।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो विधेयक हमारे सामने पेश किया गया है उस पर भी हमारे वही विचार हैं जिनको हमने पहले के विधेयकों के संबंध में संशोधन पेश करके जाहिर किये थे। चूंकि हम कोई भी बात ऐसी नहीं करना चाहते जिस से भवन का समय नष्ट हो। चूंकि हमारे वही विचार हैं जो हमने और विधेयकों के सम्बन्ध में प्रकट किये थे इसलिए हम वादविवाद कर के भवन का समय नष्ट करना नहीं चाहते।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर (आफिसर्स सेलरीज ऐन्ड एलाउन्स) बिल, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन--इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो था वह मूव नहीं किया जायगा।

माननीय न्याय मंत्री--Sir, I beg to move that the U. P. State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) Bill, 1952, be passed,

Deputy Chairman : The question is that the U. P. State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) Bill, 1952*, be passed.

(the question was put and agreed to.)

उतर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक, सन् १९५२ ई०

माननीय न्याय मंत्री--Sir, I beg to move that the U. P. Legislative Chambers (Members' Emoluments) Bill, 1952, be taken into consideration.

---

*बिल के लिए देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ २४२ पर।

[माननीय न्याय मन्त्री]

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें कोई तब्दीली नहीं की गयी है। जो अभी तक अमल में चला आता था कौंसिल के और असेम्बली के सदस्यों के तनख्वाह में वही तरीका रखा गया है। सिर्फ दफा (ई) में लिख दिया गया है कि

"Each member of Uttar Pradesh Legislative Assembly or of the Legislative Council who does not hold the office of Minister, Speaker, Chairman, Deputy Minister, Deputy Speaker, Deputy Chairman or Parliamentry Secretary shall be entitled to receive, in addition to the travelling allowance and daily allowance referred to in section 2, a salary of rupees two hundred per mensem."

डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को जो २०० रुपये तनख्वाह मिलती थी अब नहीं मिलेगी और बाकी जैसे पहले था वैसे ही रख दिया गया है।

श्री राजाराम शास्त्री--उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में सिर्फ मुझे इतना अर्ज करना है कि आज किसी चीज में कमी की जाय या न की जाय। मैं माननीय मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि जहां माननीय सदस्यों को २०० रुपये माहवारी तनख्वाह दी जाय वहां फर्स्ट क्लास (first class) के बजाय सेकेंड क्लास (second class) का किराया दिया जाय। और १० रुपया रोज भत्ता दिया जाय। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां १० रुपये का सवाल है वहां ख्याल आता है कि लखनऊ में रह कर १० रुपया खर्च होता है। इसके साथ साथ जहां २०० रुपये माहवारी का ख्याल आता है तो मैं इसको ज्यादा नहीं समझता हूं। मैंने शुरू में कहा था कि किसी न किसी मौके पर हम जरूर चाहते थे। जब पब्लिक में जाते हैं और कहते हैं कि पब्लिक गरीब है तो तब हमारा सवाल आता है कि हम कुरबानी करें। जब मेम्बरों को २०० रुपया मिलता है तो वे अपना काम करते रहते हैं। और यह भी जरूरी है कि एम० एल० ए० और एम० एल० सी० होने की वजह से पब्लिक हमारे पास आती है और हर एक व्यक्ति कोई न कोई काम लेकर आता है। लिहाजा हर एक व्यक्ति कोई न कोई अपना निज का काम कराता है, ऐसी हालत में अगर उस आमदनी के साथ अगर १५० रुपया और दे दें तो काम चल जायेगा। ५० रुपया कम कर देने से कोई बहुत बड़ा अन्तर न पड़ जायेगा और हम पब्लिक के सामने एक नमूना रख सकेंगे कि हमने अपनी तनख्वाहों में कमी कर दिया है। जहां तक यात्रा का सवाल है इसकी बाबत कहने में मुझे बड़ी शर्म आती है कि माननीय मंत्रियों को आप छोड़ दीजिए और कोई हमारे साथी मेम्बर ऐसे नहीं हैं जिन्होंने जिन्दगी में कभी फर्स्ट क्लास में सफर किया हो। हां कुंवर साहब की बात जाने दीजिए वह तो हवाई जहाज में भी आते जाते हैं, मैं तो उन मेम्बर्स की बाबत कह रहा हूं जो कि थर्ड क्लास या इंटर क्लास में चलते हैं। केवल दिखाने के लिये कभी कभी सेकेंड क्लास में चल लेते हैं ताकि कोई यह न कहे कि फर्स्ट क्लास का किराया लेते हैं और चलते थर्ड क्लास में हैं। लेकिन बहुत कम मेम्बर्स हैं जो फर्स्ट क्लास में चलते हों। पहले लेजिस्लेचर्स में बड़े बड़े आदमी थे जो फर्स्ट क्लास में चलते थे और नौकर भी साथ ले लेते थे। कृपा कर हमको तो आप चोरी न सिखाइये। अगर आप किसी दिन जब कि मेम्बर्स के आने का वक्त हो कोई आदमी स्टेशन पर भेज दें तो वह देखेगा कि कोई थर्ड क्लास में आता है और कोई इन्टर क्लास से उतर रहा है। उतरते वक्त चोर की तरह उतरते हैं और इस तरह से छिपते हैं जैसे कोई चोरी कर रहा हो। ईमानदारी का तकाजा यह है कि गांधी जी के नाम पर, सच्चाई के नाम पर अगर हम इंटर क्लास में या थर्ड क्लास में चलते हैं तो हमको ज्यादा न लेना चाहिये। हम लोग यह चाहते हैं कि ज्यादा न घटा कर अगर फर्स्ट क्लास की बजाय सेकेन्ड क्लास कर दिया जाये तो बहुत मुनासिब होगा। मैं यह बात मानता हूं कि इससे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बचत न हो जायेगी। हां हमारी आदत जो खराब हो रही है वह बच जायेगी। अब हम जब थर्ड क्लास में चलते हैं तो झेंप मालूम होती है जिन्दगी भर हम थर्ड क्लास में चलते रहे हैं। इसीलिये

हमारी राय यह है कि दो सौ रुपये के बजाय डेढ़ सौ रुपया कर दिया जाय और फर्स्ट क्लास के बजाय सेकेन्ड क्लास कर दिया जाय। मैं माननीय मंत्री से यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर वह अपनी तनख्वाह में कटौती करना नहीं पसन्द करते हैं तो कम से कम हमारी तनख्वाहों में कटौती कर दें जिसके लिये कि हम अपने आप कहते हैं और फर्स्ट क्लास के बजाय सेकेन्ड क्लास कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी तनख्वाहें वह काट देंगे, चूंकि यह जरूरी चीज है।

श्री रामकिशोर रस्तोगी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कोई विशेष बात नहीं कहना चाहता था लेकिन हमारे सदन के एक साथी ने जिस तरह की उदारता का परिचय दिया है या देने की कोशिश की है उसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज शुरू से ही वादविवाद छिड़ा हुआ है और एक दूसरे पर पार्टियां लांछन लगाती हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम आपका विश्वास करते हैं। इसके बाद भी जिस तरह के शब्दों का उपयोग होता रहा है मेरी समझ में नहीं आता कि खामख्वाह एक तरफ तो हम विश्वास की बात कहते हैं और दूसरी तरफ अपोजीशन। हमारे एक साथी ने अपनी उदारता अच्छे शब्दों में पेश की। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सभी साथियों की तनख्वाहें १५० रुपया कर दी जायं और सेकेंड क्लास का किराया दिया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे साथी यदि अपने काम को पैसों से तौलते हैं तो वह गलती करते हैं। मैं उनसे अदब से कहना चाहता हूं कि ५० रुपया घटे या बढ़े इससे कुछ नहीं होता है। हमें अपने आचरण, अपने रवैये तथा अपनी योजनाओं को किस तरह से सफल बनाना है इस ओर ध्यान रखना चाहिये। हमें छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। ५० रुपये घटने या बढ़ने से कुछ नहीं होता है। आवश्यकता तो इसी में है कि हम जिस जनता से चुनकर आये हैं उसकी हम किस तरह से नुमायन्दगी करते हैं। मैंने इस वक्त जब मुदबिर लब्ज पर बहस सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। सौभाग्य से वह प्रोफेसर हैं और शिक्षा के गुरु हैं। किस तरह से उन्होंने कहा और उत्तर दिया गया और उसके बाद हमेशा विश्वास दिलाया गया कि हम माननीय सदस्यों का विश्वास करते हैं और इसके बावजूद भी यहाँ अपोजीशन होता है तो मुझे आश्चर्य तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा अजीब असमन्जस्य होता है कि आखिर इस तरह की बातें कहने के बावजूद भी यह अपोजीशन क्यों होता है और दूसरी तरफ विश्वास दिलाने की बात क्यों कही जाती है।

हमारे मित्र ने कहा कि १५० रुपया तनख्वाह कर दी जाय और सेकेंड क्लास का किराया। लेकिन मैं उनसे यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतें इन रुपयों से नहीं पूरी होती हैं और कभी भी इस तरह की बातों से हमारी नीयत में कोई फर्क नहीं होता है आपकी इस तरह की बातों से अथवा ५० रुपये घटाने बढ़ाने से हमारी नीयत में और हमारे कार्यों में कोई बात ऐसी होती है। ५० रुपए के घटाने बढ़ाने से कोई उदारता का परिचय नहीं मिलता है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से खामख्वाह संशोधन रख देना कहां तक ठीक है। वह जो विरोध इस वक्त कर रहे हैं वह पार्टी की हैसियत से कर रहे हैं वैसे कुरबानी करने के लिये हर एक तैयार हैं। दूसरे सदस्य भी इस ५० रुपये की कुरबानी करने के लिये तैयार हैं मगर क्या यही एक चीज है जिस पर हमें इस वक्त ध्यान देना चाहिए। हमें इस वक्त इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये। हमें तो उन योजनाओं पर ध्यान देना चाहिये जो कल हमारे सामने आने वाली हैं अगर उन पर ज्यादा ध्यान दें तो अच्छा होगा बजाय इसके कि इन बातों पर उलझे रहें। उन पर आप लोग ज्यादा दिमाग लगायें तो बेहतर होगा। मैंने बिल को देखा है और उसका अध्ययन करने की कोशिश भी की है। उसमें कोई ऐसी बेजा बात नहीं है बजाय इसके कि किसी सदस्य को फर्स्ट क्लास का भाड़ा मिले, किसी को सेकेन्ड क्लास का और किसी को थर्ड क्लास का मिले। बल्कि उसमें यह बात है कि हर एक सदस्य को फर्स्ट क्लास का ड्योढ़ा मिलेगा। मगर उसमें यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई सदस्य फर्स्ट क्लास में ही चले। मैं कहता हूं कि इस समय भी बहुत से साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास में चलते हैं। क्या आप चाहते हैं कि कुछ साथियों को फर्स्ट क्लास दिया जाय और कुछ साथियों को सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास दिया जाय। अगर इस तरह का फर्क

[श्री रामकिशोर रस्तोगी]

किया गया तो ठीक नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि हमें इन छोटी सी बातों पर अपना समय बरबाद नहीं करना चाहिये। इस तरह से हम अपने लाखों रुपये बरबाद करते हैं अगर बेकार की बहस किया करते हैं। हमें इसे पास कर देना चाहिये क्यों कि हमारे में से बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो शुरू से फर्स्ट क्लास में चलने के आदी हैं। इस तरह हममें हर तरह के लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिये। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस तरह से फर्क करना चाहते हैं कि किसी को फर्स्ट का टिकट दिया जाय और किसी को सेकेन्ड का सो उचित नहीं। इसलिये सरकार ने जो फर्स्ट क्लास रखा है वह ठीक हो रखा है। क्यों कि जिस तरह का आज का स्टैन्डर्ड (standard) है और जिस तरह से चीजें मिल रही हैं उसके हिसाब से तो यह कुछ नहीं है। आप रोजमर्रा की हालत को देखते हैं क्या उसका असर लोगों पर होता है। मैं समझता हूं जिस राय को मैंने अपने सम्मानित साथियों को पेश किया है उसको वे समझेंगे।

माफ कीजिए हम छोटे साथियों में से हैं मगर उधर से यह कहना कि हम इस तरफ के सदस्यों की नहीं सुनते हैं और मिनिस्टरों की ही बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं कहां तक ठीक है। अगर कुछ सदस्य अपने दूसरे साथियों को इस तरह अलग करने को कहते हैं तो यह गलत बात है। आपका जो दृष्टिकोण है आप उससे दूर जा रहे हैं। आपने जिस प्रकार के अल्फाज का इस्तेमाल किया उनसे मुझे अति दुख हुआ। इस तरह की बातों को सुनाना भी उनको पार्टी के उसूल के खिलाफ है। हां, मैं यह अर्ज कर रहा था कि दो सौ और १५० को जो मिसाल दी गयी है उसके संबंध में मैंने जो अपने विचार रखे हैं उन पर हमारे सम्मानित सदस्य विचार कर समर्थन करेंगे।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय प्रस्तुत है मैं उसके लिये बहुत ज्यादा समय भवन का नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। इसलिये कि मुझे भीतर से ऐसा अनुभव हो रहा है कि अगर मैंने वह बातें सदन के सामने न की तो मेरा जमीर ईमानदारी का बर्त्ताव न करेगा। कल से इस हाउस में वाद विवाद चल रहा है। यहां का जो रवैया देखने में आया है और जो कड़वी बातें कही गयी हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस सदन के सामने दरख्वास्त करूंगा कि मौजूदा बिल में जो मेम्बरान के लिये फर्स्ट क्लास का प्राविजन (provision) किया गया है उसमें सुधार हो, उसमें संशोधन हो और उसके बजाय सेकेन्ड क्लास कर दिया जाय। इन बातों को पेश करते हुए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के बीच में बैठने के मतलब यह नहीं हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं। मैं एक कांग्रेसी हूं। अपने जमीर और अपनी अन्दर की आत्मा को देखने के बाद मैं इस बात को कहने पर मजबूर हो गया हूं। मैं समझता हूं कि इस सदन का हर सदस्य यह समझता है कि वह गरीब जनता का प्रतिनिधि है। जो यह समझता है कि वह गरीब जनता के दुख को समझता है वह उसको दूर करने की कोशिश भी करे। यह कहां तक मुनासिब है कि इस सदन की सभा में शामिल होने के लिये फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ही कदम रखे। मैं इस बात को भी जानता हूं और हमारे बहुत से भाइयों ने इस बात को कहा भी है कि हमारे बहुत से सदस्यों ने अपनी जिन्दगी में सदा फर्स्ट क्लास में ही सफर किया है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि इस सदन के बहुत से सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद कभी भी फर्स्ट क्लास में सफर नहीं किया है। और ज्यादातर थर्ड (third) और इंटर क्लास (inter class) के अन्दर ही किया है। कम से कम मैं तो उनमें से हूं कि जिन्होंने अपनी जिन्दगी में ज्यादातर सफर थर्ड में ही किया है और कभी ही इंटर में किया हो। मगर ऐसे सदस्य जिन्होंने फर्स्ट क्लास को छोड़ कर कभी ही दूसरे क्लास या दूसरे दर्जे में सफर किया हो तो मैं यह कहता हूं कि जब उन्होंने ऐसा किया,

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तब वह शायद जनता के प्रतिनिधि नहीं थे और आज जब वह इस सदन में आते हैं तब उनकी हैसियत बदल जाती है, वह अब जनता के प्रतिनिधि हो कर आते हैं और वे उस जनता के प्रतिनिधि हैं जिस जनता के पास खाने को खाना नहीं है और पहनने को कपड़ा नहीं है और जिनमें बहुत से ऐसे हैं कि जिनके पास सफर करने के लिये पैसा तक नहीं है और जो कि थर्ड क्लास में किसी तरह से बैठकर या खड़े होकर या लटक कर सफर करते हैं। हमारी मातायें तो स्वयं खड़ी-खड़ी रेल के डिब्बों में सफर करती हैं तो ऐसी सूरत में जो कि अपने आपको जो जनता का प्रतिनिधि कहता है किस तरह से यह बरदाश्त कर सकता है कि फर्स्ट का तिगुना अपनी सरकार से वसूल करे। मुझे इस संशोधन को रखने के लिये कोई प्रोत्साहन है ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं बड़ा कसूरवार अपने को महसूस करता हूं जब मैं यह देखता हूं कि फर्स्ट क्लास का तिगुना गवर्नमेंट से वसूल करूं। अभी हमारे भाई ने और गवर्नमेंट की तरफ से भी यह बात कही गयी कि इस बिल के अन्दर फर्स्ट क्लास के तिगुने का प्राविजन करने का यह मतलब नहीं है। ऐसी सूरत में फर्स्ट क्लास को प्रोवाइड करना, यह तो एक ऐसी बात है जो हमारे लिये बहुत ही शोचनीय बात है कि हम सफर किसी दूसरे क्लास में करें और किराया किसी दूसरे क्लास का वसूल करें और इस तरह से अपनी जनता की आंखों में धूल झोंकें तो इस तरह से हम अपने प्रतिनिधित्व का कर्तव्य नहीं पूरा करते हैं और अपनी कर्त्तव्यशीलता का हक अदा नहीं करते हैं। हम कैसे अपना चित्र खींचें। जब इस बात का पता जनता को चलेगा कि हम थर्ड क्लास में या सेकेन्ड क्लास में चल करके फर्स्ट क्लास का किराया लेते हैं तो वे क्या सोचेंगे कि क्या हम सच्चे माने में उनकी सेवा कर सकते हैं। तो हम ऐसा फैसला करें कि जिससे हम अपनी जनता को ऊपर उठा सकें। यह बात सुनने में आई कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर एक प्रस्ताव रखा गया और वह प्रस्ताव सेकेन्ड क्लास के भत्ते के लिये रखा गया था परन्तु वह मंजूर न हो सका और जैसा कि सुना गया उसके खिलाफ दलील यह दी गयी कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे बहुत से सदस्यों को थोड़े से सेशन में जाना पड़ता है और सेशन समाप्त होने पर फिर वापस जायें और वहाँ से लौट कर आयें, तो इस चीज के लिये उन्हें किराया नहीं मिलता। यह हो सकता है कि वह बात ठीक हो। मैं कहता हूं कि फर्स्ट क्लास का किराया लेकर और जनता की आँखों में धूल डालकर हम सफर करें, थर्ड क्लास में या सेकेन्ड क्लास में तो इस तरह से हम अपनी कर्त्तव्यशीलता से वंचित होते हैं। हमें चाहिये कि हम अपने कर्त्तव्यपरायणता का ठीक-ठीक परिचय दें।

मेरे एक कांग्रेसी भाई ने अभी-अभी यह दलील दी कि ५० रुपये की जो रकम है, वह छोटी रकम है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इस तरह की दलीलें पेश की गयीं तो मैं तो कहता हूं कि अगर हमें अपने आचरण को ठीक रखना है और आचरण के जरिये से हमें अपनी योजना को कार्यान्वित करना है और अपनी कर्त्तव्यशीलता का परिचय देना है, तो हमें सबसे पहले अपने आचरण को ऊंचा उठाना होगा। इससे हमारे व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। हमारे इस सदन में गाँधी जी का नाम लेना एक तरीका हो गया है, जब कि मैं ट्रेजरी बेंचेज के खिलाफ दिशा में बैठा हुआ हूं, तब एक बात याद आती है कि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हम लोग यह सोचते हैं कि गाँधी जी का नाम लेना बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि गाँधी जी ने वह काम किये, जो हम नहीं कर सकते हैं। जब-जब भी हमारा काम बनता हुआ नहीं दिखता है, तभी उनका नाम लिया जाता है और तब उनका नाम हमें याद आता है। यह कहा जाता है कि गाँधी जी ने अपने जीवन में यदि थर्ड क्लास में सफर किया तो उनका वह थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास बना दिया जाता था, मगर दरअसल यह बात गलत है। अगर आप उनके जीवन के हर पहलू को देखें तो आपको इसका आभास होगा। सन् १६ में जब गाँधी जी अफ्रीका से लौटे तो उस समय वे सारे संसार में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, मगर भारतवर्ष के अन्दर उन्हें कोई उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था तो उस समय जब वे आल इंडिया कांग्रेस को अटेन्ड (attend) करने कलकत्ता गये, तो वे थर्ड क्लास ही में गये। यदि आप उस समय की हालत देखते तो आपको उनकी सच्ची परिस्थिति का ज्ञान होता।

[श्री कन्हैयालाल गुप्त]

डिब्बे में काफी भीड़ थी और उनको उसमें बैठने की जगह नहीं मिली तो वे खड़े रहे। मगर जब काफी देर तक खड़े रहने में उनके पाँव थक गये तो उन्होंने ऊपर की जंजीर पकड़ कर उसका सहारा लिया, मगर इत्तिफाक से उनका पाँव किसी के ऊपर पड़ गया तो उसने उनको बहुत बुरा, भला कहा। तो इस तरह से उन्होंने कई तकलीफें सहीं और उनका मुकाबिला किया, वे उससे कभी विचलित नहीं हुए। इस तरह से हमें गाँधी जी के आदर्श को देखना चाहिये। इसी तरह से हर दलील की पिछली बातों को खूब सोच समझ कर ही उस पर कुछ कहना उचित होगा। यह कहना कि चूंकि यह बात अपोजीशन की तरफ से आई है और चूंकि यह बात सोशलिस्ट मेम्बरों की तरफ से आई है और उसको बिना सोचे समझे ही टाल दें, यह उचित नहीं है। इस तरह से फर्स्ट क्लास में ट्रैवल (travel) करने से हम जनता की नजरों में ऊंचे नहीं, बल्कि नीचे गिरते जायेंगे। इसलिये मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप फर्स्ट क्लास के बजाय सेकेंड क्लास कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री गुरु नारायण--अभी तो इसमें और भी अमेन्डमेन्ट हैं और इनको अभी से कोई विदड्रा (withdraw) नहीं करना चाहता, तो हाउस की मीटिंग (meeting) परसों तो होगी ही, इसलिये आज अब खत्म हो जाना चाहिये।

डिप्टी चेयरमैन--अगर इस बिल को आज खत्म कर लिया जाय तो ठीक हो। वर्ना जैसी सदन की राय है वही किया जावेगा।

माननीय न्याय मन्त्री--जनाबे सदर, मैं तो यह समझता था कि यह बिल निहायत सादा है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस नहीं होगी। बहरहाल कुछ उसूल और कायदे ऐसे लोगों के दिमाग में जमे हुए हैं कि जो चीज पेश भी हो, उस पर किसी न किसी बिना पर एतराज करना इन लोगों का फर्ज होता है। मैं यकीन करता हूं कि अगर सौ रुपये की तजवीज होती तो ५० रुपये के लिये कहा जाता। अगर २५० रुपये होता तो वह कहा जाता कि दो सौ ही होना चाहिये। बहरहाल मैंने जो जो साफ बात थी, उसको आपके सामने रख दिया। गवर्नमेंट और काँग्रेस पार्टी समझती है कि बहुत से ऐसे मेम्बर हैं, जो असेम्बली और कौंसिल के मेम्बर हो आते हैं, खास कर असेम्बली के हो जाते हैं, वहाँ अक्सर औकात छः सात महीने या इससे ज्यादा उन्हें असेम्बली सेशन अटेंड (attend) करने में गुजर जाता है। और वह होल टाइम जाब (whole-time job) इस तरह से करते हैं। ऐसे मेम्बर जिनका कोई दूसरा जरिया न हो उनके लिये दो सौ रुपये की रकम जो पहले थी और जो मिनिमम (minmum) है, वही रखी गयी है। इस दो सौ रुपये की रकम पर कोई वजह एतराज की नहीं हो सकती है। दो सौ रुपये के लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि वह इसमें लक्जरी (luxuri) के साथ रह सकते हैं। आज कल के मेम्बरान असेम्बली व कौंसिल में वह हैसियत नहीं रखते हैं जो पुराने जमाने में रखते थे। वह लोग मालदार होते थे, काफी पैसा खर्च करके महज अपनी इज्जत बढ़ाने के लिये यहाँ की मेम्बरी को हासिल करते थे। मगर अब यह सूरत नहीं है। यह सब को मालूम है कि हमारी काँग्रेस पार्टी के प्रेसीडेंट के कई डाइरेक्टिव्ज (directives) आ चुके हैं कि मेम्बरान अपनी काँस्टिटुएंसी में काफी वक्त सर्फ करें। जो वक्त उनका बचता है, वह उनको अपनी काँस्टिटुएंसी के काम में सर्फ करना चाहिये। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि दो सौ रुपये पर कोई एतराज नहीं होना चाहिये। यह कम से कम रकम है, जिसके ऊपर कोई शख्स गुजर कर सकता है। टी० ए० (T. A.) फर्स्ट क्लास का तिगुना क्यों दिया गया है, उसके ऊपर भी एतराज किया गया है। मैं उसको पढ़े देता हूं। अल्फाज उसके यह हैं:

"(1) travelling allowance for every journny by air or rail to one and one half times the railway fare for class I and for journeys by road mileage at the rate admissible to gazetted officers of class I;"

यानी वहां जो मेम्बर एसेम्बली के हों, उनका दर्जा वह होगा जो फर्स्ट क्लास आफिसर्स का होता है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा मेम्बर नहीं है जो अपने को सेकेंड क्लास आफिसर्स में रखना पसन्द करेगा। इसी बुनियाद की बिना पर गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि मेम्बरान हाउस की डिगनिटी (dignity) फर्स्ट क्लास गजेटेड आफिसर्स (first class gazetted officers) से कम न समझी जाय, और न समझना मुनासिब है। बहरहाल मेम्बरान में कोई ऐसा न होगा जो यह चाहेगा कि उसको फर्स्टक्लास आफिसर से कम समझा जाये। साथ ही इसमें यह भी रख दिया गया है कि अगर कोई शख्स थर्ड क्लास में सफर करता है और उसी हिसाब से पैसा गवर्नमेंट से चार्ज करता है तो इस कायदे में उसके लिये कोई रुकावट नहीं है। इससे गवर्नमेंट का पैसा बचेगा। लेकिन अगर चार या पांच फीसदी मेम्बर भी ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास में ट्रेविल करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं उसी के साथ इस कानून के जरिये से मेम्बरों को कोई सर्टिफिकट भी देने की जरूरत नहीं है। वह चाहे जिस दर्जे में ट्रेविल करें लेकिन वह फर्स्ट क्लास का टिकिट क्लेम कर सकते हैं। अब किसी को झूठा क्लेम (claim) करने की जरूरत नहीं है। दूसरे अल्फाज में यह है कि उनकी मदद के लिये यह कर दिया गया है कि अगर वह नीचे दर्जे में सफर करके कुछ बचा सकते हैं तो इस तरह से वह बचा लें वह किसी भी क्लास में सफर करें मगर उनको फर्स्ट क्लास का खर्चा मिलेगा, लिहाजा इसमें कोई बेईमानी का सवाल नहीं उठता है। अगर वह समझते हैं कि उनके अखराजात पूरे नहीं होते हैं और इस तरह से उनको कुछ रकम ट्रैवलिंग में मिल जाती है तो उनकी इमदाद हो जाती है, इसमें गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है। यही उसूल है, जिसके मातहत यह बिल बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह मसला बहुत मुशकिल नहीं है और हाउस को एक्सेप्ट (accept) करना चाहिए।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियों का विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन—श्री प्रभु नारायण सिंह ने अभी २ घंटे हुए कुछ अमेन्डमेन्ट भेजे हैं और उनकी कापियाँ सदन को दी जा चुकी हैं। वह बहुत मामूली से हैं और मेरे ख्याल से बहस की ज्यादा गुन्जायश नहीं है। थोड़े में एक तो यह है कि बजाय फर्स्ट क्लास के सेकेन्ड क्लास का डेढ़ दिया जाय। दूसरा यह है कि २००रु० के बजाय १५० रु० दिया जाय। और अगर किसी सदस्य की आमदनी १ हजार रुपया है, तो उसको न दिया जाय। अगर ८ सौ की आमदनी है तो उसको उसकी जो आमदनी कम है, उस हिसाब से दिया जाय। मेरे ख्याल से इस बिल को क्लाजवाइज (clausewise) भी आज ले लिया जाय तो बेहतर हो।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल—सदस्यों को इस पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलना चाहिये। जहाँ तक मेरे विचारों का ताल्लुक है, मैं तो अपने विचार प्रकट कर चुका हूं, लेकिन और सदस्यों को कुछ कहना होगा।

डिप्टी चेयरमैन—अब ५ बज कर २० मिनट हो चुके हैं। अगर सदन की इजाजत होगी तो हम और बैठ सकते हैं।

माननीय वित्त मंत्री—इस सिलसिले में मेरी बात सुन लीजिए। कल इतवार है और परसों कम से कम ११ बजे से कौंसिल न बैठ सकेगी। क्योंकि दूसरी तारीख को गवर्नर साहब के यहाँ साढ़े दस बजे से ओथ टेकिंग सेरेमनी (oath-taking ceremony) है इसमें शायद सब साहबान जायेंगे, कम से कम मुझे मौका न होगा कि मैं हाजिर हो सकूं। यह काम जो है उसको करने के लिये जितना वक्त चाहिये उसका अन्दाजा मेम्बरान को होगा। परसों अगर हम दो बजे से बैठेंगे तो गालिबन यह ५ बजे तक भी खत्म न होगा। ऐसे वक्त से शुरू होना चाहिये जिससे यह काम खत्म हो जाये।

श्री राजाराम शास्त्री--गवर्नर साहब के यहां कितनी देर लगेगी ?

माननीय वित्त मंत्री--वहाँ से साढ़े ग्यारह बजे तक निपट सकते हैं।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--एक बजे से रखा जाय।

माननीय वित्त मंत्री--कोई ऐसा वक्त मुकर्रर किया जाये जिससे ५, ६ बजे तक भी बैठ कर खत्म कर दें या फिर उसके बदले में कल कर सकते हैं। क्योंकि इस हाउस का रूल नहीं है कि इतवार को न बैठे। डिप्टी चेयरमैन साहब ने आज यह इरशाद फरमाया था, कि कुछ मेम्बर साहबान को अपने रिटर्न आफ एक्सपेन्सेज (return of expenses) दाखिल करना है, इसीलिये मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर उसके लिये जरूरी समझा जाये तो कल ले लिया जाये।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष जी से बातचीत हो गयी थी और यह तय हो गया था कि दो तारीख को हम जरूर इसको खत्म कर देंगे। इसलिये दो तारीख को चाहे रात को १२ भी बज जायं, तो भी हमें इसे खत्म कर देना चाहिये।

डिप्टी चेयरमैन--मैं इसके मुताल्लिक कुछ रिस्ट्रिक्शन (restriction) नहीं करना चाहता, यह तो आप के ऊपर है, जितनी जल्दी आप चाहें खत्म कर सकते हैं।

खन्ड--२

धिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा निरोधों के अधीन, उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का य जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपमंत्री या सभा सचिव (पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी) के पद पर आसीन न हो, सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्य तथा कार्य के संबंध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के निमित्त निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा:

(१) यात्रिक भत्ता जो विमान या रेल द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के रेल के किराये का ड्योढ़ा (१ १/२) होगा और सड़क द्वारा यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को मिलने वाली दर से मील अनुसार भत्ता (माइलेज); और,

(२) दैनिक भत्ता जो मैदान में दस रुपये के दर से और पहाड़ पर पन्द्रह रुपए की दर से होगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह--उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों के) विधेयक, सन् १९५२ ई० में मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि इस विधेयक के खंड २, भाग १ में प्रथम श्रेणी के किराये की जगह पर दूसरी श्रेणी रखा जाये। इस संशोधन के विषय में कोई खास बात नहीं कहना है। सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इकोनामी ड्राइव की जरूरत ह, इसलिय आज हर चीज में कटौती होनी चाहिये।

तो मैं समझता हूं कि शायद हमें उसे दोहराने की जरूरत नहीं है।

माननीय न्याय मंत्री--मैं ज्यादे लम्बी-चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी तकरीर में जाहिर कर चुका हूं और इसमें किसी तरमीम की गुंजायश नहीं है। अमेन्डमेन्ट नामंजूर है।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड २, उपखंड (१) में प्रथम श्रेणी के रेल के किराये के स्थान पर द्वितीय श्रेणी कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड २ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—३

वेतन

३—उत्तर प्रदेश विधान सभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपमंत्री, उपाध्यक्ष, उपसभापति या सभा-सचिव के पद पर आसीन न हो, धारा २ में अभिदिष्ट यात्रिक और दैनिक भत्तों के अतिरिक्त प्रतिमास दो सौ रुपया वेतन पाने का अधिकारी होगा; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निरन्तर अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से जिसकी भी इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में व्यवस्था की गयी हो, इस वेतन में से कटौती की जा सकती है।

श्री प्रभुनारायण सिंह—इस बिल के खंड ३ में २०० रुपया वेतन के स्थान पर १५० रुपया वेतन कर दिया जाय और इस खंड ३ के अन्त में यह वाक्य जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी सदस्य को निजी आमदनी १,००० रुपया मासिक या उससे अधिक होगी तो उसे कोई वेतन नहीं दिया जायेगा और यदि उसकी निजी आमदनी ८५० रुपये से अधिक और १,००० रुपया से कम होगी तो उसको इतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी १,००० रुपया मासिक हो सके।

इस संशोधन को रखते हुये मैं अपनी तकरीर को बहुत विस्तार में नहीं कहना चाहता हूं। केवल मैं आपके सामने माननीय सदस्य श्री रस्तोगी जी के कहने पर कि यदि ५० रुपया का कट करते हैं तो इससे कोई फायदे की बात नहीं होगी तो मैं कहना चाहता हूं कि ४३० मेम्बर लेजिस्लेटिव असेम्बली में हैं और ७२ मेम्बर इस भवन के सदस्य हैं। इस तरीके से ५०२ हमारे माननीय सदस्य होते हैं। यदि ५० रुपये का कट किया जाय तो इसका मतलब होता है कि २५,१०० रुपया आमदनी में इजाफा होगा। यदि इस संशोधन को मान लिया जाय तो साल में ३,०१,२०० रुपये की बचत होगी। हमारे माननीय सदस्यों को मालूम होता है कि ४ लाख रुपये का कोई मूल्य नहीं है। यदि आप बचत योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो वह कहां से होगी। इसलिये हम लोगों का उसूल हर तौर से यह होना चाहिये कि जहां तक बचत की जा सके, की जाय। इसलिये मैं आपका ध्यान इकोनामिक ड्राइव (economic drive) की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय हुकुम सिंह जी ने पूछा था कि क्या विरोधी सदस्य अपनी तनख्वाहें छोड़ देंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यदि वे इस संशोधन को मान लेंगे तो उसमें सोशलिस्ट भी आते हैं।

इसी सिलसिले में मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि अभी सोशलिस्ट पार्टी ने पंचमढ़ी अधिवेशन में यह फैसला किया है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन जिस सदस्य के पास होगी उसको अपनी जमीन का बटवारा करना होगा। इसी तरीके से हम इस पर गौर कर रहे हैं कि जल्दी ही सोशलिस्ट पार्टी इस बात पर फैसला करेगी कि १,००० रुपये के ऊपर जिनकी आमदनी है वह या तो पार्टी को दे दें या राष्ट्र के काम में लगायें। इसलिये यह बराबर सवाल उठाना कि विरोधी दल के लोग इसको करते हैं या नहीं, बेकार सी बात है। कानून बनाना आपके हाथ में है और अगर हम यह कहें कि हमारे ऊपर उसको लागू न कीजिये तब शिकायत हो सकती है। जैसा कि — जी ने कहा है कि कानून के जरिये प्रतिबन्ध लगाना निहायत हमारे माननीय सदस्य को ३ लाख रुपये की रकम छोटी माल मगर जब हमको अपनी योजनाओं को बढ़ाना है तब इसी तरह से रकमें ब ३ लाख रुपये की रकम छोटी मालूम होती है तब १०,२० लाख र भी छोटी मालूम हो सकती हैं। इसी तरह से करोड़, दो करोड़ की रकमें भी हो सकती हैं। तब यह एक आदत की बात होगी। इसलिये हमको सोचन हम क्यों न यहीं से शुरू करें। राजाराम जी ने कहा कि यदि मंत्रि

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३८, का निरसन

नियम बना का अधिकार

[श्री प्रभुनारायण सिंह]
मंत्रियों की तनख्वाहों में हमने कमी नहीं किया है तो कम से कम हमें अपने वेतन में ही कटौती के संबंध में संशोधन पास करना चाहिये ।

माननीय न्याय मन्त्री--अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है और यह कि यह रकम किस लिये मुकर्रर की गई है उसकी बाबत मैंने तफसील के साथ जवाब दे दिया है । जहां तक इसकी बाबत जेनरल में बातें हैं मैं समझता हूं कि उनकी बाबत जवाब की जरूरत नहीं है। यह बातें हर वक्त उठेंगी। जब मौका होता है तब उन पर गौर किया जाता है। कम से कम यह उसके लिये मौका नहीं है। इस वक्त हमको तय करना है कि जो तनख्वाह २०० रुपये रक्खी गई है वह ज्यादा है या नहीं। जिससे कहा जा सके कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट गलती कर रही है । आजकल के जमाने में २०० रुपया इतना कम है कि जिसको कम कर देना मकसद को फौत कर देना है । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि २०० रुपये की रकम ज्यादा नहीं है। यह कहना कि हर मेम्बर की जांच की जाय और दरियाफ्त किया जाये कि मेम्बर की तनख्वाह और आमदनी मिलाकर १००० रुपये होती है, ८०० होती है या कितनी होती है, इसके लिये कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके जरिये से हम ऐसा कर सकें । अगर यह बात हर एक शख्स के लिये लागू हो तभी यह मेम्बरों के ऊपर भी लागू हो सकती है लेकिन जब तक कोई ऐसा उसूल नहीं कायम किया जाता और हर शख्स पर यह कानून नहीं लागू किया जाता, मेरे ख्याल में इसको मेम्बरों पर लागू करना ठीक नहीं होगा, लिहाजा मैं इस अमेंडमेंट की मुखालिफत करता हूं ।

डिप्टी चेयरमैन--

प्रश्न यह है कि खंड ३ में दो सौ रुपया वेतन के स्थान पर १५० रुपया वेतन रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ३ में यह वाक्य जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी सदस्य की निजी आमदनी १,००० रु० मासिक या उससे अधिक होगी तो उसे कोई वेतन नहीं दिया जायगा और यदि उसकी आमदनी ८५० रुपये से अधिक और १,००० रुपये से कम होगी तो उसको इतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी १,००० रुपया मासिक हो सके ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस बिल का भाग बना रहे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ४ व ५

४--यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर (मेम्बर्स इमालूमेंट्स) ऐक्ट, १९३८ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

५--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

(२) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकती है :--

(क) उस अवधि को जिसके भीतर, और उन शर्तों को जिनके अधीन दैनिक भत्ता लिया जा सकता है, नियत करना और उन परिस्थितियों को जिनमें भत्तों का दिया जाना रोका जा सकता है, नियत करना ।

(ख) उन शर्तों को जिनके अधीन और उन यात्राओं को जिनके लिए यात्रिक भत्ता जिसमें मील अनुसार भत्ता भी सम्मिलित है, लिया जा सकता है, नियत करना ।

(३) इस अधिनियम के अनुसार बनाये हुये नियम बनाने के बाद यथाशीघ्र विधान मंडल के सामने कम से कम सात दिन तक रक्खे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों (माडिफिकेशन) के अधीन होंगे जिन्हें विधान मन्डल उस सत्र (सेशन) में करें, जिसमें वे उक्त प्रकार रक्खे गये हों ।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस बिल का भाग बने रहें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रिएम्बुल तथा खंड १

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के सदस्यों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था के निमित्त

विधेयक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के सदस्यों के वेतन और भत्तों को निश्चित करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) का अधिनियम, १९५२ होगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि इस बिल का प्रिएम्बुल और खंड १ इस बिल का भाग बने रहें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय न्याय मंत्री--Sir, I beg to move that the U. P. Legislative Chambers (Members' Emoluments) Bill, 1952, be passed.

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स इमालूमेन्ट्स) बिल, १९५२ पास किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डिप्टी चेयरमैन--कौंसिल २ जून को १ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(कौंसिल की कार्यवाही ५ बज कर ४० मिनट पर सोमवार, २ जून, १९५२ को १ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।)

लखनऊ,
दिनांक ३१ मई सन् १९५२ ई० ।

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था के निमित्त विधेयक

"संविधान के अनुच्छेद १८६ में यह व्यवस्था की गयी है कि विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा "विधान परिषद् के सभापति और उप-सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे क्रमशः राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा नियत करे"

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और आरम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अध्यक्ष और सभापति का वेतन

२—उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति को बारह सौ रुपये मासिक का शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इन्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, १९२२ ई० के अनुसार लिये जाने वाले आयकर सम्मिलित नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष और सभापति के वेतन

३—उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उप-सभापति को ६ सौ रुपए प्रतिमास का वेतन दिया जायगा।

अध्यक्ष और सभापति के लिए बिना किराये के सुसज्जित निवासस्थान

४—अध्यक्ष और सभापति को लखनऊ में पूरे वर्ष बिना किराये के सुसज्जित निवास स्थान उससे सम्बद्ध भूमि के साथ, जिसका रखरखाव सार्वजनिक व्यय से होगा, पाने का अधिकार रहेगा और उक्त अधिकारियों को ऐसे किसी अन्य स्थान पर भी जहाँ पर उत्तर प्रदेश विधान राज्य मंडल का सत्र (सेशन) हो, उक्त प्रकार के निवास स्थान पाने का अधिकार सत्र की अवधि के लिए और उससे पहले और उससे पीछे ऐसे समय के लिए होगा जो एक सप्ताह से अधिक न हो।

अध्यक्ष और सभापति के लिए सरकारी परिवहन

५—अध्यक्ष, और सभापति के उपयोग के लिए उपयुक्त परिवहन की भी व्यवस्था की जायगी, जिनका क्रय और रखरखाव, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से होगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप-सभापति के भत्ते

६—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप-सभापति को सार्वजनिक कार्य के लिए यात्रा के निमित्त ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों से अवधारित की जायं, यात्रिक और दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा।

७--यू० पी० लेजिस्लेचर (आफिसर्स सेलेरीज़) ऐक्ट, १६३७ निरस्त होगा और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

८--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

(२) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए धारा २ में उल्लिखित कारों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनर्भुगतान की व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है ।

० पी०
: संख्या।
१९३७
निरसन

उद्देश्य और कारण

। के अनुच्छेद १८६ में यह व्यवस्था की गयी है कि विधान सभा के अध्यक्ष
क्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उप-सभापति को ऐसे वेतन और
क्रमशः राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा नियत करे, दिए जायंगे।

इस विधेयक द्वारा तदनुसार व्यवस्था की जा रही है।

सैयद अली जहीर,
न्यायमंत्री।

पी० एस० यू० पी०--२० एल० सी०--१९५२--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक विधान भवन, लखनऊ में १ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५१)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह, श्री
उमानाथ बली, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरुनारायण, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
ज्योतिप्रसाद गुप्त, श्री
ताराअग्रवाल, श्रीमती
तेलूराम, श्री
नरोत्तमदास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मलचन्द चतुर्वेदी, श्री
प्रतापचन्द आजाद, श्री
प्रभुनारायण सिंह, श्री
प्रसिद्धनारायण अनद, श्री
प्रेम चन्दशर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूरणचन्द्र विद्यालंकार, श्री
बद्रीप्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्रप्रसाद बाजपेयी, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बीरभान भाटिया, डा०
ब्रजलाल वर्मन, श्री हकीम
बृजेन्द्रस्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुटबिहारीलाल, प्रो०
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामलखन, श्री
लालताप्रसाद सोनकर, श्री
विश्वनाथ, श्री
शान्तिस्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्यामसुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदयनारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हरगोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे :

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)
श्री चरण सिंह (माल मंत्री)
श्री मोहनलाल गौतम (स्वशासन मंत्री)

धन्यवाद के प्रस्ताव का राज्यपाल द्वारा दिया हुआ उत्तर

Chairman: I have to report to this House the reply of His Excellency the Governor to the motion of thanks which the House had passed on the address which His Excellency had delivered.

"I am writing to thank you and the colleagues who accompanied you for calling on me and presenting me with a copy of the Resolution passed by the Legislative Council on the 3rd of May. I greatly appreciate the Resolution.

Yours sincerely,
H. P. Modi."

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० में उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाय।

(१) खंड ३ में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जायः—

मूल अधिनियम में प्रस्तावित नई धारा ७७-ए की उपधारा (२) में शब्द "deemed to be or even to have been" निकाल दिये जायं।

(२) खंड ४ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं :—

(क) उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "प्रोसीडिंग" तथा शब्द "पंचायती" के बीच शब्द "की" बढ़ा दिया जाय तथा पंक्ति ३ का प्रथम शब्द "का" निकाल दिया जाय।

(ख) उपखंड (ख) की तीसरी पंक्ति में शब्द "पूर्व" तथा शब्द "तथा" के बीच शब्द "दिये गये" के स्थान पर शब्द "दिया गया" और पंक्ति ४ में शब्द "निर्णित" के स्थान पर शब्द "निर्णीत "रखा जाय तथा पंक्ति ५ में शब्द "आज्ञा" के बाद का शब्द "के". निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे कोई अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह एक वर्बल (verbal) सी चीज है। जो पहला संशोधन है उसमें तो गलती प्रिंटिंग (printing) के कारण है। जैसा सदस्यों ने देखा होगा इस बिल के दो रूप हैं। एक हिन्दी में है और दूसरा अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में जो बिल छपा था उस में तो ठीक छपा था लेकिन हिन्दी में कुछ गलती से रह गया। आर्टिकिल ३ में, जो कि अब धारा ७७-'ए' हो गई है, उस में यही होना चाहिए था कि :

"No trial as aforesaid shall be invalid by reason merely that all five *panches* forming the Bench were not present at any hearing or that the same *Panches* were not present at all the hearing."

परन्तु हिन्दी म गलती से यह भी छप गया कि : "deemed to be or even to have been" यह नहीं छपना चाहिये था। बाकी जो संशोधन हैं वह केवल भाषा को शुद्ध करने के लिये हैं। इनसे माने ज्यादा साफ हो जाते हैं। यह ट्रान्सलेशन (translation) को और शुद्ध करने के लिये है। बाकी जो अंग्रेजी में बिल है उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसलिये यह एक टेक्निकल (technical) चीज है। इतना मैं आप से निवेदन कर सकता हूं कि इन संशोधनों से जो ओरिजनल बिल (original Bill) अंग्रेजी में इस हाउस में रखा गया था उसमें एक भी शब्द का फेर नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि इस पर ज्यादा वादविवाद की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसको भवन के विचार के लिये पेश करता हूं।

श्री प्रभुनारायण सिंह--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस बिल के जरिये यहाँ पर रखा गया है उस के सम्बन्ध में थोड़ी सी मेरी मुश्किलात हैं जिसको मैं यहाँ पर रख देना चाहता हूँ :--

"77 A, (1) If any *Panch* appointed to a bench constituted under section 49 for the trial of a case, suit or proceeding is absent at any hearing, the remaining *Panches* may, notwithstanding anything contained in this Act, try the case, suit or proceeding, provided, however that at least three *Panches* including the Chairman, are present, and provided further that at least one of the *Panches* present is able to record evidence and proceedings.

(2) No trial as aforesaid shall be deemed to be or even to have been invalid by reason merely that all the five *Panches* forming the Bench were not present at any hearing or that the same *Panches* were not present at all the hearings.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall *mutatis mutandis* apply to an inquiry made by a Panchayati Adalat under Section 63."

इस सम्बन्ध में जो संशोधन आया है उस के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि सेक्शन ४९ के मुताबिक जो बेन्च (bench) होगा उसमें ५ पंच होंगे। यानी वह बेन्च (bench) पाँच पंचों की होगी। इस सिलसिले में जो फैसले भी होंगे वह पाँचों पंचों के दस्तखत से होंगे। लेकिन इसमें जो शब्द रखा गया है उससे तो पाँचों पंचों के दस्तखत से ही फैसला होगा जोकि मुमकिन नहीं है। जो पंच हियरिंग (hearing) के समय मौजूद रहते हैं उन्हीं पंचों के जरिये फैसला भी होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हियरिंग और डिसीजन दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर तीन ही पंचों के जरिये फैसला भी हो तो वह वाजिब है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सेक्शन ४९ के मुताबिक जो पंच होंगे उनमें से एक पंच उस गाँव का होगा जिस गाँव का अक्यूज्ड (accused) है और एक पंच उस गाँव का होगा जिस गाँव की कम्प्लेन्ट (complaint) है।

स्वशासन मंत्री--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर (On a point of order, sir) मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वे संशोधन के बारे में कह रहे हैं या और किसी चीज के बारे में कह रहे हैं।

चेयरमैन--मुझे भी समझ में नहीं आया है कि वे क्या चाहते हैं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--हमारे सामने जो संशोधन रखा गया है उसमें जो हियरिंग (hearing) शब्द आया है उसके सिलसिले में मैं कह रहा हूं। हमारा कहना है कि आगे चल कर ऐसा हो सकता है कि हाईकोर्ट के इस पर फैसले होंगे जो वह पंचायत राज ऐक्ट के खिलाफ होंगे। आप को फिर संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिये इस पर गवर्नमेन्ट को ध्यान देना चाहिए।

स्वशासन मंत्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रभुनारायण जी ने जो नया सवाल पेश किया है उस का संशोधन से कोई संबंध नहीं है। इसलिये मैं उस सवाल पर इस समय बहस करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। इसके अलावा मैं और कोई खास बात नहीं कहना चाहता हूं।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० में उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

Minister of Local Self-Govt. Sir, I move that the words "deemed to be or even to have been" in Section 77A(2) be deleted.

The section after deleting these words will read as follows:

"No trial as aforesaid shall be invalid by reason merely that all the five panches forming the Bench were not present at any hearing or that the same panches were not present at all the hearings."

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि यह शब्द हिन्दी वाले हिस्से में गलती से छप गये हैं। इन शब्दों की जरूरत नहीं हैं इसलिये यह अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ३ में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय :--

मूल अधिनियम में प्रस्तावित नई धारा ७७-ए की उपधारा (२) में शब्द "deemed to be or even to have been" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वशासन मंत्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं :--

(क) उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "प्रोसीडिंग" तथा शब्द "पंचायती" के बीच शब्द "की" बढ़ा दिया जाय तथा पंक्ति ३ का प्रथम शब्द "का" निकाल दिया जाय।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ४ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं :--

(क) उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "प्रोसीडिंग" तथा शब्द "पंचायती" के बीच शब्द "की" बढ़ा दिया जाय तथा पंक्ति ३ का प्रथम शब्द "का" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वशासन मन्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४, उपखंड (ख) की तीसरी पंक्ति में शब्द "पूर्व" तथा शब्द "तथा" के बीच शब्द "दिये गये" के स्थान पर शब्द "दिया गया" और पंक्ति ४ में शब्द "निर्णित" के स्थान पर शब्द "निर्णीत" रखा जाय तथा पंक्ति ५ में शब्द "आज्ञा" के बाद का शब्द "के" निकाल दिया जाय।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ४ उपखंड (ख) की तीसरी पक्ति में शब्द "पूर्व" तथा शब्द "तथा" के बीच शब्द "दिये गये" के स्थान पर शब्द "दिया गया" और पंक्ति ४ के शब्द "निर्णित" के स्थान पर शब्द "निर्णीत" रखा जाय तथा पंक्ति ५ में शब्द "आज्ञा" के बाद का शब्द "के" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वशासन मन्त्री--श्री मान् जी की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय इस के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता हो इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) *विधेयक, १९५२ ई०, जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*विधेयक के लिये देखिये नत्थी 'क' पृष्ट २७१ पर

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई०

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय ।

जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जमीन्दारी अबालिशन एंड लैंड रिफार्म बिल (Zamindari abolition and Land Reform Bill) में एक धारा यह थी की जमीन्दार लोगों को अपनी ऐसी भूमि का पट्टा, जोकि सार्वजनिक उपयोग या सार्वजनिक कामों में आ रही है यानी जो आम पशुचर हैं या आम रास्ते हैं, खलिहान हैं, तालाब हैं और श्मशान या कब्रस्तान के काम आते हैं ८ अगस्त, १९४६ के बाद ऐसी जमीन को वह न किसी को पट्टे पर दे सकेंगे और न अपनी काश्त में ले सकेंगे अब वह विधेयक कानून बन गया और जो १ जुलाई, १९५२ ई० को नाफिज़ हो जायेगा। इन पाँच किस्म की जमीन को अगर जमीन्दार पट्टे पर उठाये या अगर खुदकाश्त उसमें कर ले तो गाँव सभा कलेक्टर के यहाँ दरख्वास्त देकर ३ साल के अन्दर उसे मन्सूख करा सकते हैं और गाँव की ऐसी जमीन को फिर वापस ले सकते हैं। लेकिन इन पाँच किस्म की जमीनों के अलावा जो और जमीन है और जो जमीन्दार के पास है तो उसको पट्टे पर देने की इजाजत थी और जहाँ पाँच किस्म की जमीन को पट्टे पर देने या नया तोड़ करने की मनाही थी तो वहाँ किसी की जमीन का बय-नामा करने की भी मनाही है। यह जमीन्दारी एबालिशन ऐक्ट की धारा २३ के मातहत कर दी गई, लेकिन इस के मातहत ऐसी जमीन का पट्टा बहुत किया गया है और इस बीच सन् १९४५ में जो जमीन जेरे काश्त थी वह ४ करोड़ १३ लाख एकड़ थी जोकि होल्डिंग एरियाज (holding areas) के अन्दर थी। अब पिछले साल के फसल के सालाना आँकड़ों के मुताबिक ४ करोड़ ३८ लाख एकड़ जमीन जेरे काश्त है यानी इस बीच में २५ लाख एकड़ रकबा और तोड़ा गया है यानी उसमें हल चलाया गया है और उसे खेती के काबिल बनाया गया है। तो हमारा मंशा यह था कि जो जमीन काबिले काश्त है या जेरे काश्त है नहीं, वह जेरे काश्त रखी जाय। अब बहुत कम भूमि बची है जो कि अच्छी भूमि है और काबिले काश्त है जिसको जमीन्दारों ने ठीक नहीं किया है या जिसको उन्होंने खुद नहीं तोड़ा है।

अब जबकि जमीन्दारी एबालिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट सुप्रीम कोर्ट से ५ मई सन् १९५२ ई० को वैध करार दे दिया गया और जमीन्दारों ने जो इसके लिये अपील की थी कि इतनी असानी से यह विधेयक कानूनी रूप में परिणत नहीं हो सकता अब उसके वैध करार हो जाने से उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई। इस बीच में जमीन्दारों की ऐसी जमीनें जो कि पंचायतों के पास आने वाली हैं और जो गाँव के इस्तेमाल के लिये आती रही हैं और जिससे कि कोई फायदा किसी कम्युनिटी (community) को नहीं हुआ और उससे न मुल्क का कोई फायदा हुआ इससे पैदावार भी कोई बढ़ने वाली नहीं है और न काश्तकारों का ही कोई फायदा होने वाला है तो ऐसी जमीनें जो कानून के जरिये से पंचायत के अधिकार में आने वाली हैं उनको बचाने के लिये ही यह विधेयक यहाँ पेश किया गया है। दूसरा इस तरह से दस्तावेजों को रोकने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है जिनके जरिये से जो मौजूदा काश्तकार हैं उनको इस प्रकार का हक हासिल नहीं है। आज जितने भी काश्तकार हैं उनको इस प्रकार का हक हासिल नहीं है और उन लोगों के जितने दवामी या इस्तमरारी पट्टे हैं और जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है और जिनकी ज्यादा जमीनें मुआवजे के रूप में ले ली गई हैं तो उन काश्तकारों को इससे कोई नुकसान न पहुंचे और इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही को रोकने के लिये यह विधेयक यहाँ रखा गया है। इन दो बातों के लिये ही यह विधेयक यहाँ पेश किया गया है और इससे जमीन्दारों को कोई नुकसान भी नहीं है। जो लोग इस तरह के पट्टे नहीं लिखना चाहते उन पर यह लागू भी नहीं होगा और जो ऐसा करना चाहते हैं उन पर यह लागू होगा क्योंकि इस तरह से करना पब्लिक

[माल मंत्री]

इनट्रेस्ट (interest) में ठीक नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को भवन के सामने पेश करता हूं और आशा करता हूं कि इस पर कोई ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह प्रस्ताव मन्जूर किया जाय ।

श्री गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० जैसा कि लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा पारित हुआ है और जो अभी माननीय माल मंत्री ने इस भवन के सामने रखा है उस संबंध में मैं यह कहने की हिम्मत तो नहीं रखता कि विरोध करना चाहता हूं लेकिन फिर भी कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। मेरा ख्याल था कि अब जबकि जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट बन गया है तो उसके बाद शायद कुछ समय तक हम लोगों को जमीन्दारी अबालिशन के संबंध में मरसिया पढ़ने और सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जब यह विधेयक देखा तो मुझे आश्चर्य ही नहीं बल्कि बहुत दुःख हुआ । दुःख इस बात का हुआ कि यह विधेयक विशेषकर इसलिये लाया गया है कि सरकार को शंका है जमीन्दारों के प्रति कि वह शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी और जब तक कि वेस्टिंग (vesting) न हो जाय जमीन्दार ऐसे लोगों को पट्टे कर देंगे जिनके नाम होने से सरकार हानि समझती है जैसा कि हमारे माननीय माल मंत्री जी ने भी कहा । मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समझा जाता है कि जब जमीन्दारी अबालिशन का प्रस्ताव सन् ४६ में पेश हुआ था और सन् ४९ में जब बिल के रूप में रखा गया था तब से लेकर अब तक कोई चीज ऐसी बाकी रह गई है जो जमीन्दारों ने अपने अधिकारों को न बरता हो । क्या सरकार का ऐसा विचार है कि इतना समय मिलने पर जमीन्दार यह नहीं समझता होगा कि जमीन्दारी शीघ्र से शीघ्र खत्म होने जा रही है और उसको जितने अधिकार हैं उनको उसने न बरता होगा। उसने जमीन किसानों को उठाई होगी । ऐसी हालत में जबकि इतना समय हो गया तो यह शंका बिलकुल ही निर्मूल है और न होना चाहिये थी ।

इस २१ मई व १ जुलाई के बीच में जमींदार क्या कर सकते थे ? जो कुछ भी जमींदारों को जमीन देना था उन्होंने काश्तकारों को दिया और जैसा कि अभी माननीय माल मंत्री ने कहा कि लगभग २५ लाख एकड़ जमीन जोत के अन्दर आ गई । बहरहाल यह तो मेरा विचार है । लेकिन इस बिल में खासतौर से जो स्टेटमेन्ट आफ़ आबजेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स (statement of objects and reasons) दिया हुआ है उसमें दो बातें खासतौर से रखी गई हैं और वह इस तरह से--

In order to protect the interest of the general public and to preserve the village economy, it is considered necessary that leases and transactions of the nature mentioned in section 3 of the Bill made or presented for registration on or after the 21st day of May, 1952, the date of publication of the Bill in the *Gazette*, should be declared void.

यह दो चीजें इसमें खास तौर से मेनशन (mention) की गई हैं जिनकी वजह से इस बिल को लाया गया है। एक तो यह "to protect and to preserve the interest of the general public" जेनरल पब्लिक (general public) के इन्टरेस्ट (interest) को प्रोटेक्ट (protect) और प्रिजर्व (preserve) करना यह एक ऐसा वाइड (wide) और वेग टर्म (vague term) है कि तमाम चीजें इसकी जद में आ सकती हैं । लेकिन हमको इस बात पर विचार करना है कि आया जो विधेयक इस समय लाया गया है यह जनरल पब्लिक (general public) के इन्टरेस्ट (interest) में है अथवा गवर्नमेंट के इन्टरेस्ट में है । सच सच और सीधी बात यह थी कि माननीय माल मंत्री को इस में साफ लिखना चाहिए था कि उनकी मंशा यह है कि जो दस गुना लगान काश्तकार जमा कर रहे हैं

अगर यह विधेयक पास नहीं किया जाता और जमींदारों ने उनको राइट आफ ट्रान्सफर (right of transfer) दे दिया तो इसका नतीजा यह होगा कि जो टेन टाइम्स (ten times) रियलाइजशन (realization) सरकार का है, वह रुक जायेगा। इसमें कोई पब्लिक इन्टरेस्ट तो नहीं रहा। यह सरकार के इन्टरेस्ट की बात जरूर है। इससे तो कहा जाता है कि जमींदारों ने नजराना वसूल करके जमीनें दी होंगी। म इस बात को मानता हूं और मैं इससे डिनाई (deny) नहीं करता। ज्यादातर जमींदारों ने नजराना लेकर जमीनें दी हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जमींदारों के नजराना लेने को आपने इल्लीगल (illegal) कह दिया। लेकिन अगर सरकार दस साल का लगान नजराने के रूप में लेकर जमीन देती है तो वह नजराना नहीं समझा जाता। सरकार ने जो नजराना लिया उसको लिगलाइज (legalize) कर दे। लेकिन अगर जमींदार काश्तकारों को जमीन दें और उसके एवज में काश्तकार स्वयं जमींदारों को कुछ दें तो उसे आप इल्लीगलाइज (illegalize) क़रार देते हैं। मैं नजराने के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह क़ानून जो बनाया जा रहा है उससे पब्लिक इन्टरेस्ट कहाँ तक प्रिजर्व होगा। दूसरी चीज इस में कही गई है कि विलेज इकनामी डिस्टर्ब (village economy disturb) हो जायेगी। विलेज इकनामी डिस्टर्ब होने की भी बात मेरी समझ में नहीं आती। इकनामी उस वक्त डिस्टर्ब (disturb) होती जब पास्चर लैंड (pasture land) या जिन चीजों को जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में मना कर दिया है उनको जमींदार किसानों को दे देते। ऐसी लैंड जो खाली पड़ी हैं, उसको किसानों को दे देने से क्या हानि हो सकती है, यह हमारी समझ में नहीं आता। बहरहाल किसान भी तो इसी सूबे के बाशिन्दे हैं। उनसे किसी प्रकार का नजराना न भी लेते और सरकार को दस गुना लगान न भी मिले तो उससे विलेज इकोनामी डिस्टर्ब होने की बात कहाँ तक सिद्ध होती है।

केवल डिस्ट्रीब्यूशन (distribution) हो, लैंड का और लैंड रिफार्म के नाम पर मुझे दुख है इस बात का और मैं देखता हूं कि जो कुछ भी कानून जमींदारी की जगह इस समय लाया जा रहा है और विशेष कर यह क़ानून ऐसा है और मैं आशा करता हूं कि अब जमींदारी एबालीशन ऐक्ट पास होने के बाद कोई इस प्रकार का दूसरा क़ानून नहीं होगा जिससे किसी प्रकार की द्वेष की झलक जाहिर हो। इसके बाद बड़ा भारी रिवोल्यूशनरी चेन्ज (revolutionary change) करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर पार्टियों ने स्वीकार किया। जब जमींदारी विनाश क़ानून के पास होने के बाद अधिक चेन्ज लाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मुझे दुःख है और मैं नहीं समझता कि मैं किस प्रकार से सरकार के सामने निवेदन करूं। मैं देखता हूं किस तरीक़े की बहुत सी बातें होती हैं जिनका परिणाम मैं समझता हूं कि वह जनता के ऊपर अच्छा नहीं होगा। मैंने अखबारों में पढ़ा कि सरकार की ओर से वेस्टिंग (vesting) सेलेब्रेशन (celebration) होने जा रहे हैं। हजारों रुपये का लिटरेचर (literature) इसलिये आप छाप रहे हैं कि जनता को दिया जाय। यह केवल आप अपनी पार्टी के प्रचार के लिये कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि किसानों को कितना मिलेगा। मैंने माना कि आपने किसानों को सब कुछ अधिकार दे दिये हैं। पर आप का उत्तरदायित्व उन जमींदारों के प्रति भी कुछ है, अभी लगभग डेढ़ करोड़ जमींदार इस प्रान्त में हैं। लेकिन जब जमींदारों का नाम आता है तब हमारे मंत्रियों के सामने बड़े-बड़े रजवाड़ों के नाम आते हैं। बलरामपुर वगैरह लेकिन उन छोटे छोटे जमींदारों की जिनकी जीविका जमीन पर निर्भर है जो १७ लाख से अधिक हैं उनको भूल जाते हैं। ये बड़े बड़े ज्यादे से ज्यादे चार पाँच सौ आदमी होंगे। उनके लिये कोई चीज नहीं है जिस समय सरकार के मुआफिकत में सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट (judgment) हुआ उस समय कुछ शिष्टाचार के नाते आप कुछ कहते। हमको मालूम है कि आप रिवल्यूशनरी चेन्ज करने जा रहे हैं। इससे जमींदारों को बहुत क्षति पहुंचेगी। उनको किसी न किसी प्रकार का संतोष देना चाहिये था लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं

[श्री गुरुनारायण]
आपके साथ कुछ सहयोग दूं। लेकिन आप एक प्रकार की विषमता का बीज इस प्रान्त में बोना चाहते हैं। इस वेस्टिंग सेलेब्रेशन (vesting celebration) में बहुत रुपया जनाब का बरबाद होगा। इसमें आप की पार्टी का प्रोपेगन्डा (propaganda) होगा और कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यह चीज, आप इस समय जोश में हैं, कर सकते हैं। आप को अधिकार है और आप के पास बहुमत की शक्ति है जो चाहें करें। मैं समझता हूं कि आप का उत्तरदायित्व जितना किसानों के प्रति है उससे किसी प्रकार भी कम उन डेढ़ करोड़ आदमियों के प्रति नहीं है जिनकी आज आप सम्पत्ति छीन रहे हैं। उनके प्रति आप का एक शब्द भी समवेदना का न कहना अदूरदर्शिता का प्रमाण है। मैं नहीं जानता कि सरकार आज किस नीति से काम कर रही है। मुझे मालूम है कि रूरल एरिया (rural area) में सरकारी अहकामात पहुंच गये हैं। पुलिस सब-इन्सपेक्टरों को आर्डर हुआ है कि वे राउन्ड अप (round up) लोगों को करें। फायर आर्म कैन्सीलेशन (firearm cancellation) का आर्डर भी पहुंच रहा है। सुनते हैं मैं नहीं समझता कि आप उन मसलों को किस तरह से हल करेंगे। मैं आप से कहता हूं कि जहाँ तक ज़मींदारों का सम्बन्ध है, कुछ भी हो बावजूद इसके कि आप उनको खतम कर रहे हैं लेकिन आज भी वे वैधानिक तरीक़ों से ही अपनी रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन आप इस प्रकार के ऐक्ट लाकर के क़ानून बनाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और class hatred और class war का बीजारोपण कर रहे हैं तो जिसका परिणाम यह होगा कि हम ऐसे लोगों को तो आप अपने स्थान से विचलित न कर पायेंगे। हाँ, जो छोटे छोटे ज़मींदार हैं वह आप से अलग हो जावेंगे और साम्यवाद की ओर बढ़ेंगे। जब उनके पास कुछ न रहेगा तो वह साम्यवाद की ओर झुकेंगे और देश को हानि पहुंचायेंगे। माल मंत्री ने अभी कहा था कि अब भी ज़मींदारों को आशा है कि शायद ज़मींदारी बच जाये, तो मैं आप से बतला देना चाहता हूं कि मुझे तो उसी दिन से विश्वास हो गया था जब कि कांग्रेस ने तय किया था कि ज़मींदारी तोड़ दी जायेगी। ज़मींदारी अवश्य टूट जायेगी मैं इससे अनभिज्ञ नहीं था, लेकिन जहाँ तक लड़ाई का संबंध है हर शख्स को यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों के लिये अपनी सरकार से लड़ सकता है और वह इसमें कोई बात बेजा नहीं करता है। हमने वैधानिक लड़ाई लड़ी। एलेक्शन (election) में भी हम लोग लड़े। हम चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जेनरल एलेक्शन में इन सदनों में आ सकते ताकि अपनी बातें सरकार के सामने रख सकते। लेकिन हारने के पहिले हमको नहीं मालूम था कि हम हार जायेंगे या जीत जायेंगे और अगर हार गये तो ऐसा होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह विधेयक जो आप लाये हैं उसका मक़सद बिलकुल ही ग़लत है। कोई भी ज़मींदार ऐसा नहीं करेगा कि जो ज़मीन उसके पास बाक़ी बची है उसका पट्टा दे दे ताकि आपको दस गुना वसूल करने में दिक्क़त हो। आपके इस विधेयक से ज़मींदारों के हृदय में दुख होगा। मैं समझता हूं कि जितना उत्तरदायित्व आपके ऊपर होना चाहिये उसको आप महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी जगह पर समझता हूं कि यह उचित नहीं था कि आप ऐसा विधेयक लाते। मैं आपसे फिर यह कहूंगा कि पुराना वातावरण भुला कर नये वातावरण में हम लोगों को हर तरह से मुल्क के निर्माण के लिये तैयार होना चाहिये। आप तो अपना पुराना आउट लुक (outlook) छोड़ देते और रेवेन्ज (revenge) की स्प्रिट (spirit) को चेंज कर देने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा न करेंगे तो इसका असर देश पर पड़ेगा। प्रान्त का हर आदमी चाहता है कि प्रान्त में शान्ति रहे और इस ट्राजीशन पीरियड (transition period) में यदि कुछ बातें ऐसी की गई जो शाँति में बाधा डालती हैं तो उसका परिणाम बुरा होगा। आपको चाहिये कि आप दोनों ही वर्गों का सहयोग हासिल करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार इस विधेयक के बारे में रखता हूं।

चेयरमैन—मैं माननीय सदस्यों से और विशेष कर कुंअर गुरुनारायण से यह कहना चाहता हूं कि जब वे 'आप' शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके माने 'चेयर' से है। इसलिये माननीय

सदस्य इस बात का ध्यान रक्खें कि वे चेयर को संबोधन करें और दूसरे पक्ष के लिये 'आप' शब्द का प्रयोग न करें।

श्री प्रभु नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मन्त्री ने जो लैन्ड टैन्यौर (land tenure) रेगूलेशन आफ ट्रांन्सफर (regulation of transfer) बिल हमारे सामने पेश किया है और जैसा कि असेम्बली में पास हुआ उसके पीछे जो भावना है उसका हम विरोधी पक्ष के लोग स्वागत करते हैं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार ने दिखावटी तरीके से अपने को सामाजिक क्रान्ति का . . .

चेयरमैन—इस हाउस में हम लोग एक दूसरे के मोटिव (motive) पर आक्षेप नहीं करते। हम लोग यह मान लेते हैं कि जो कुछ कहा जाता है, ईमानदारी से कहा जाता है इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिये।

श्री प्रभु नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो बिल इस सदन के अन्दर पेश हुआ है इस सिलसिले में सरकार ने जो इनटेंशन (intention) जाहिर किया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि २१ मई को जो बात की गई अगर वह कुछ पहले से की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। इस सिलसिले में मैं माननीय मन्त्री के शब्दों को कहता हूं। उन्होंने कहा कि अगस्त सन् ४६ को हमने यह कानून बनाया था कि पोखर, तालाब, कब्रगाह, पास्चर लैन्ड (pasture land) इनके सम्बन्ध में जो पट्टे हुये यदि ग्राम पंचायत चाहें तो उसको तुड़वा सकती है, बशर्ते कि वह कम्पेनसेशन देने को तैयार हो। हम यह कहना चाहते हैं कि जहां पर आपने यह जरूरत समझो कि यह पट्टे रद्द होने चाहिये वहां पर यह भी सोचना चाहिये था कि वहां कम्पेनसेशन का सवाल न हो। हम आपके जरिये से यह कहना चाहते हैं कि ८ अगस्त, १९४६ से अगर इस बात का ध्यान रखा गया होता कि ऊसर और बंजर जमीनों के पट्टे वैधानिक न समझे जाते जैसा आज आप कहना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। यदि सरकारी सदस्य देहातों में घूमें तो उन्हें मालूम होगा कि तमाम बंजरों के पट्टे कर दिये गये हैं। ऐसी सूरत में २१ मई से जो पट्टे रद्द होने की बात है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम यह समझते हैं कि सरकार ने उसे पहले से न करके इस स्प्रिट का जिसके कारण यह आया है एक मजाक उड़ाया है। जब हम देखते हैं कि ऊसर और बंजरों के आज पट्टे हो गये हैं अगर वह न हुये होते तो हमारी विलेज इकोनामी (village economy) बहुत ही मजबूत होती। आज हमें यह देखना है कि जब हम कोई कानून पास करना चाहते हैं तो हमें ध्यान में यह रखना निहायत जरूरी है कि वह किस तरह से लागू किये जाते हैं। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में यह पास हुआ कि पास्चर जमीन, खलिहान की जमीन, क़ब्रगाह की जो जमीन है या ताल-पोखर पट्टे गैर कानूनी समझे जायेंगे। जरूरत यह थी कि हमारे एस० डी० ओ० (S. D. O.) हर गांव का दौरा करते और इस बात को देखते कि कौन कौन सी जमीन किस हालत में पड़ी हुई है और उसका पट्टा न होने पावे।

यह मैं जरूर जानता हूं कि कानून तो बनाये गये लेकिन कानून बनने के साथ उस पर जिस तरह से पालन होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है। इसलिये जो बिल हमारे सामने है उस पर अपने सुझाव पेश करते हुये हम यह चाहते हैं कि इसकी तारीख २१ मई न रखिये बल्कि इसमें पिछली तारीख रखिये, तभी इस कानून की मंशा पूरी होती है, वरना इस बिल की मंशा तो अधूरी ही रह जाती है। इसके बिना तो यह ऐसा रह जाता है जैसे कि इसमें कोई जिन्दगी ही न हो। उसके साथ ही साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि आप जो बहुमत यानी सरकारी पक्ष के लोग हैं, वह इस बात को न कहें कि कौन इस इलेक्शन (election) में हारा और कौन जीता, यह एक अजीब सी बात है। आपका यह कहना कि हम इस सुझाव को इसलिये नहीं मानते क्योंकि तुम इस इलेक्शन में हारे हो और हमारे ऊपर मुहर लग गयी है, बिल्कुल गलत है। इस तरह से उत्तर देना सही नहीं होगा। इलेक्शन में किसी बात का फैसला नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि यह कोई उत्तर देने का तरीका

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

नहीं है। यह बात सही है कि २१ मई के बाद जो पट्टे होंगे वह ऐसे होंगे जो कि गांवों के लिये आर्थिक लाभ के हों। लेकिन यह भी जरूरी है कि इससे पहले के भी जो पट्टे हुये हैं वह भी गांवों के लिये और भी आर्थिक लाभ के होंगे। हम यह भी जानते हैं कि बहुत से गरीब किसानों के साथ पट्टे हुये होंगे, तो हमारा सुझाव है कि उन गरीब किसानों के पट्टे न उलटे जायं, बल्कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वालों ने जो पट्टे कराये हैं, उन्हें रद्द किया जाय। हम यह कहना चाहते हैं कि यदि हमारी यह बात मानी जाय तो हम समझते हैं कि इस बिल की मन्शा पूरी होती है। उसी के साथ-साथ हम कहना चाहते हैं कि जब हम किसी बिल को पास करें तो उसके कार्यान्वित करने में वही लगन होनी चाहिए जिस लगन तथा मन्शा से हम बिल को हाउस में रखते हैं। इसके बारे में हम सरकार पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं। मगर इतना जरूर कहना चाहते हैं कि तीन साल तक जमींदारी अबालिशन बिल को पास करने में जो सरकार ने देर की उससे जमींदारों को इस बात का काफी मौका मिला कि वे जितने पट्टे चाहें कर सकते थे और गांव सभा के लिये एक इंच भी जमीन न छोड़ते। इल्जाम आप पर नहीं लगाते हैं, मगर इतना हम कहना चाहते हैं कि आप मजबूती से काम लें। आप जो कानून बनाते हैं उनको कार्यान्वित करने में सख्ती से काम लें। कानून बन जाते हैं, मगर बन जाने के बाद सख्ती से उनका पालन नहीं होता है। इस बिल से जो छोटी-मोटी अच्छाई मिलेगी उसका हम स्वागत करते रहें। लेकिन यदि आप पीछे की तारीख से इसे लागू करें तो जो ऊसर और बंजर जमीन का जो पट्टा ३० एकड़ से ऊपर के किसानों ने कराये हैं, वह रद्द हो जायगा। इससे हम यह समझेंगे कि आप का जो बिल है और जो उसकी मंशा है उसे पूरा करने की आप की मंशा है।

*वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब चेयरमैन साहब, मैं इरादा नहीं रखता था कि इस बहस में हिस्सा लूं। लेकिन अभी जो तकरीरें उस तरफ से हुई, इस वजह से यह सोचा कि मैं चन्द मिनिट इस ऐवान का भी ले लूं। तकरीर के बाबत यह अर्ज करूंगा कि हमारे दोस्त कुंवर गुरु नारायन साहब ने भी इस विधेयक पर कहा।

मैं उनके जजबात का एहतराम करता हूं, बावजूद इसके कि जमीन्दारी अबालिशन की वसूली के सिलसिले में जो काम किया गया है वह ईमानदारी से किया गया है और यह समझ कर किया गया है कि इस से देश और मुल्क की बेहतरी और तरक्की होगी। जो अल्फाज श्री गुरु नारायन जी ने कहे हैं मैं उन जजबात को एहतराम के काबिल समझता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी तकरीर में एक बात ऐसी कही जिसको मैं सही नहीं समझता हूं। वह यह थी कि इस विधेयक में जो बातें हैं वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट (public interest) की नहीं है। वह सरकार के फायदे की हैं, लेकिन पब्लिक इन्ट्रेस्ट की नहीं हैं। यह बात आज उस दिमाग में आ सकती है जो दिमाग सरकार और पब्लिक (public) को जुदा कर सकता है। सरकार की जो बात है वह पब्लिक की बात है। सरकार के फायदे से कोई मकसद नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अपने मामले को साफ करने के लिए यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक बात से इब्राहीम का फायदा हो या पंत जी का फायदा हो, या और दूसरे मिनिस्टर जो इस हुकूमत के मेम्बर हैं उनका जाती फायदा हो, चूंकि वे मिनिस्टर हैं, इसलिए उसको सरकार का फायदा नहीं कह सकते जिससे सरकार का फायदा है उससे मिनिस्टर का फायदा और वही पब्लिक का फायदा है। जो काम गवर्नमेंट करती है, लेकिन वह पब्लिक के फायदे के लिए होता है। सरकार का हर काम नेकनियती से होता है, उसमें कोई बदनियती नहीं होती है। यह समझना कि हम लोगों का फायदा है तो पब्लिक का फायदा है यह तो सिर्फ एक मिसाल दी गई है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि जो सरकार काश्तकारों से दस गुना ले रही है वह अपने फायदे के लिए ले रही है और उससे पब्लिक का कोई फायदा नहीं है।

---

* वित्त मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

वह सरकार क्या चीज है ? पंत या इब्राहीम अपने किसी फायदे के लिये ले रहे हैं और १० लाख रुपया उनके लिये इकट्ठा हो रहा है या उनके खजाने में जमा हो रहा है ? वह तो इस गवर्नमेन्ट और इस सरकार के खजाने में इसलिये जमा हो रहा है कि वह यहां की पब्लिक के मुफाद के लिये खर्च हो और उससे पब्लिक का फायदा हो। जिन जमीन्दारों से जमीन्दारी ली जा रही है उनको उनकी जमीन्दारी का मुआविजा दिया जाय, यह पब्लिक इन्टरेस्ट नहीं है तो और क्या है ? दसगुना देना तो खुद पब्लिक इन्टरेस्ट में आता है इसलिये कि काश्तकारों के फायदे के लिये यह किया जाता है कि जमीन्दारी मन्सूख की जाय ताकि उनके ऊपर से हुकूमत वह बोझ उठाये जो गैर जरूरी और गैर मुनासिब है और वह आजादी के साथ अपने काम को कर सकें और चूंकि जमीन्दारी ली जाती है और उनको कुछ दिया जाय तो उस देने के लिये कहीं से कुछ रुपया लिया जाय और वह रुपया लिया गया। इस तरह से वह भी पब्लिक इन्टरेस्ट की बात थी इसको निस्बत यह ख्याल न किसी को हो सकता है और न होना चाहिये कि पब्लिक और सरकार कोई दो जुदा चीजें हैं यह तो अंग्रेजों की हुकूमत में थी और अब वह हुकूमत चली गई है और आज जो हुकूमत है वह पब्लिक हुकूमत है और अंग्रेजों की हुकूमत नहीं है। पब्लिक और हुकूमत में कोई फर्क नहीं है और पब्लिक इन्टरेस्ट और सरकार के इन्टरेस्ट में कोई जुदाई नहीं है। यह जो डिसक्रिमिनेशन (discrimination) मेरे दोस्त कुंवर साहब की समझ में आई उसे मैं यह समझा और मैंने शायद कुछ रोज पहले भी अर्ज किया था कि अभी हमारे दिमागों में जो पुराना एसोशियेशन (association) है वही चल रहा है और जब आंखें खोलीं तो देखा कि हुकूमत और है और हम कुछ और हैं, इस ख्याल से अगर उन्होंने कहा तो उनका ख्याल गलत है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मेरे नजदीक कुंवर साहब ने इसकी मुखालिफत की और जो कुछ थोड़ा बहुत की आखिर इस हालत में मुखालिफत नहीं की है उनका मकसद यह नहीं था कि वह उसकी मुखालिफत में हैं और जो कुछ उन्होंने अपनी तकरीर में कहा मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि किस वजह से वह मुखालिफत करते हैं और वह सही है या गलत है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इस बिल की मुखालिफत तो मेरे ख्याल में इस ऐवान में किसी तरफ से भी नहीं है। सिर्फ एक शुभा कुंवर साहब को इसकी निस्बत में हुआ और उनको जो शक हुआ उसकी निस्बत में अर्ज करूंगा कि मैंने वह अर्ज कर दिया। अभी एक बात शुरू में मैंने कही अभी तक इस बात का मेरा इरादा नहीं था कि मैं इसके मुताल्लिक कुछ बोलूं, लेकिन मेरे दोस्त की तकरीर ने मुझे इस बात के लिये आमादा किया कि मैं जरूर बोलूं। मैंने सिर्फ यही अर्ज किया था कि इस ऐवान की जो कुछ भी बात हो, चाहे मेरी हो, या आपकी हो और चाहे किसी की भी हो, मैं यह बतलाऊं कि उसको उन्होंने इस हाउस में लाना शुरू कर दिया तो मैं यह दरख्वास्त जनाब के जरिये से करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि उसे भूल जायं और उसे याद कर करके फिर दोहराना और इस हाउस में लाना इस बात में उधर के बैठने वालों और इधर के बैठने वालों के लिये कहता हूं कि इस हाउस की डिगनिटी (dignity) के खिलाफ है और वह इस सच्ची और माकूल जबान में आना चाहिये, जो इस ऐवान के शानेशायां हो, यही बात मैं अर्ज करना चाहता था और वह मैंने अर्ज कर दी है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि जो मेरे दोस्त का शक है वह गैर मुनासिब है।

माल मंत्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भवन का अधिक समय तो नहीं लेना चाहता था मगर ५, ७ बातें, जो कुंवर साहब और दूसरे साहब ने फरमाई हैं, उनका जवाब मुख्तसर में देना चाहता हूं। पहली बात उन्होंने जमीनों के उठाने के सम्बन्ध में कही कि वह कहां उठाई गई। मगर इस तरह से ७ लाख ७४ हजार १३५६ फसली के हिसाब से है और इस तरह की कुल १०-१२ लाख एकड़ जमीनें ऐसी होंगी जो कि इस किस्म के कल्टीवेशन (cultivaation) में आती हैं। तो इस तरह से नतीजा निकलता है कि ७ लाख एकड़ जमीन ऐसी है, जो उठाई जा सकती थी, वह उठा दी गई, यह बिलकुल गलत है।

[माल मंत्री]

दूसरी बात यह कही गई कि साहब असली मन्शा तो यह मालूम होती है कि काश्तकारों को कहीं भूमिधर न बनाया जाय। हमने काश्तकारों को हकेमुन्तकिल दिया है जो कि जमीन्दारों ने काश्तकारों को नहीं दिया था और उसी को रोकने के लिये यह बिल यहां आया है। आज जो हक काश्तकारों को हासिल हैं, उससे हमें उनको भूमिधर बनाना है मगर जमीन्दारों का यह कहना कि मुआविजा लेने पर तो हम भी काश्तकारों को यह हक दे सकते थे मगर अब तक ऐसी जो हमदर्दी रखते थे तो उन्होंने काश्तकारों को इस प्रकार का हक क्यों नहीं दिया और जमीन्दारी एबालिशन बिल यहां आने से पेश्तर ही उन्होंने इस प्रकार का हके मुन्तकिल क्यों नहीं काश्तकारों को दे दिया। अगर ऐसा हो गया होता तो मैं गवर्नमेन्ट का नहीं बल्कि अपना इरादा बतलाता हूं कि जमीन्दारी को खत्म करने की जरूरत ही न होती। इस प्रकार के हक हासिल हो जाने से वे भूमिधर बन जायेंगे। दूसरी बात इस सिलसिले में यह कही गई कि दस गुना जो है वह नजराने के रूप में तो नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र को यह बतलाना चाहता हूं कि यह मुआविजा जो लिया जा रहा है उससे काश्तकारों को हकूक भी दिये जा रहे हैं और इसका जो भी प्रभाव हो चाहे अच्छा हो या बुरा मगर इससे हमने सामाजिक व्यवस्था को ऊंचा उठाने की ही कोशिश की है। तो इस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिये ही यदि इस तरह के मुआविजा के दस गुने के रूप में हम उनसे लेते हैं और यदि वे मुआविजा न देकर लगान के रूप में ही उसकी अदायगी करते रहें और इस तरह से मुआविजा लेकर उनको जमीन्दारी दे दी जाय तो इसको नजराना कहना बिलकुल गलत बात होगी। फिर एक बात यह कही गई कि पब्लिक इन्टरेस्ट (public interest) या जनहित के लिये यह कानून कहां लाया गया है तो उसका जवाब मेरे मित्र हाफिज साहब ने फरमाया है, कि पब्लिक इन्टरेस्ट और गवर्नमेन्ट के इन्टरेस्ट में कोई अन्तर नहीं होता यह बात मेरे दोस्त ने पब्लिक इन्टरेस्ट और गवर्नमेन्ट इन्टरेस्ट में डिस्टिंक्शन (distinction) लाने के लिये कही। लेकिन जहां तक पब्लिक इन्ट्रेस्ट का सवाल है कि वह किल (kill) हो रहा है या नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस जमीन पर काश्त नहीं हो रही है वह गांव पंचायत के पास होगी और अगर उसके उठाने का हक जमींदार को दे दिया जाय तो फिर वह जमीन उठ जायगी और वह गांव पंचायत को नहीं मिलेगी और उसमें पब्लिक इन्टरेस्ट मारा जायगा। यह भी कहा गया कि इससे किसानों के साथ द्वेष होता है। मैं कहता हूं कि वह था, मगर अब खत्म हो गया। गवर्नमेन्ट की जो नीति रही है, उससे वाकई द्वेष दूर होता है। जितनी जमीन, जितने मकान, जितने निजी कुएं जमींदारों के पास हैं वह सब छोड़ दिये गये हैं, वह उनके पास ही रहेंगे जितने बागात थे, वह छोड़े जा रहे हैं इसके अलावा उनको मुआविजा दिया जा रहा है, इसलिये यह कहना कि जमींदारों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके दिलपर चोट सरकार पहुंचाना चाहती है सही बात नहीं हो सकती है। श्रीमान् जी, मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त की लुगत में द्वेष के मानी कुछ दूसरे ही हैं, इसी वजह से वह ऐसा समझते हैं फिर यह कहा जाता है कि जमींदारों की तादाद डेढ़ करोड़ है यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि उनको यह आंकड़े कहां से मिल गये हैं। यही चीजें मैं जमींदारों के अखबारों में देखता हूं अक्सर उनमें छपा करते हैं पब्लिक में भी ऐसी ही बात कही जाती है। श्रीमान् जी, सरकार की ओर से कई मर्तबा इसके बारे में बतलाया जा चुका है कि बीस लाख तादाद उन लोगों की है जिनके नाम खेवट में दर्ज हैं। यह लोग जमींदार उस मानी में हैं कि इनके नाम उसमें दर्ज हैं, लेकिन सरकार ने इन्टरमीडियरी (intermediary) को केवल अलाहदा किया है और बाकी लोग काश्तकारों के बराबर हैं। अगर जमींदारी एबालिशन और लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट को आप देखें तो आपको पता चल सकता है कि इन्टमीडियरी को लिया गया है यानी वह लोग जिनका नाम खेवट में दर्ज है मगर वह खेती नहीं करते हैं ऐसे

लोगों की जो तादाद है वह बहुत कम है। बीस लाख आदमियों के नाम खेवट में दर्ज हैं लेकिन उन बीस लाख को हरगिज नहीं कहा जा सकता है कि वह सब इससे एफेक्ट (affect) होते हैं और अगर बीस लाख ही मान लिया जाय तो भी डेढ़ करोड़ तादाद कैसे हो सकती है। छः करोड़ साढ़े बत्तीस लाख आबादी हमारे सूबे की है तो इस हिसाब से २४ फीसदी केवल जमींदार ही हो गये मौजूदा आंकड़े हमें बताते हैं कि ७० फीसदी वह लोग हैं जो खेती करते हैं उनमें साढ़े १२ फीसदी खेतिहर हैं, साढ़े ३३ फीसदी किसान हैं और २४ फीसदी जमींदार हैं। ऐसा मेरे लायक दोस्त का कहना है। लेकिन यह आँकड़े वह उनको बताएं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका ताल्लुक इससे नहीं रहता हो, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं और रोज इस चीज को देखा करते हैं। वह ऐसी चीज नहीं मान सकते हैं। जमींदारी एबालिशन कमेटी (Zamindary Abolition Committee) की रिपोर्ट को उठाकर देखिये सन् ११,२१,३१ के सेन्सेज (census) को देखते हुए यह पता चलता है कि इसके मातहत अगर एक हजार आदमी जमीन के ऊपर आश्रित हैं तो उनमें १५ फीसदी ऐसे लोग हैं जो खुदकाश्त नहीं करते हैं। इस तरह से एक हजार में २९ आदमी मध्यवर्ती हुये जिनका हक लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५१ के सेंसज से पता चलता है कि ७६.२ फीसदी लोग खेती पर बसर करते हैं। इनमें से केवल दो फीसदी यानी ६ करोड़ ३२ लाख में १२ लाख ७० हजार आदमी ऐसे हैं जो ढ़ाई सौ से ज्यादा मालगुजारी देते हैं और जिन का हक कानूनन लिया जा रहा है। मेरे लायक मित्र ने १२ गुना ज्यादा बढ़ाकर कहा है। यह भी कहा गया है कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूं कि दो तरह के आदमी हो सकते हैं, एक तो वे हैं जिनको काफी लगान मिलता था और दूसरे वे हैं जिन को कम लगान मिलता था। जिनको ज्यादा लगान मिलता था उनको मुआविजा ज्यादा मिल रहा है और ४० वर्ष तक मिलता रहेगा और जो छोटे भाई हैं उनको थोड़ा मुआविजा मिलेगा गो कि बड़ों के मुकाबिले में ज्यादा गुना मुआविजा मिलेगा, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं हो सकता है जिस पर वह बसर कर सकें। जिन को थोड़ा लगान मिलता है वे केवल लगान पर ही बसर नहीं करते हैं। लगान उनका सबसीडिएरी-सोर्स आफ इनकम (subsidiary source of income) है उनका असली जरिये माश रोजगार वगैरह है। इसलिये अन्याय का क्या सवाल है ? डेढ़ करोड़ के जो आंकड़े बताये गये हैं वे केवल १२ लाख हैं। और फिर एक बात यह कही गयी है कि इसके हटने से कम्युनिज्म (communism) आ जायगा। कम्युनिज्म हो, गाँधीवाद हो, काँग्रेसवाद हो लेकिन यह वह सिद्धान्त हैं जिन में काँग्रेस मुख्यतः विश्वास करती है और आज हर एक को समझती है। महात्मा गाँधी का तरीका और काँग्रेस का तरीका कम्युनिज्म के विरुद्ध है। जो जमींदार भाइयों की तरफ से कम्युनिज्म का हौवा हमें दिखाया जाता है उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। इतिहास जानता है कि कम्युनिज्म दुनिया में कहाँ कहाँ है और कैसे फैला, जमींदारी न खत्म करने से कम्युनिज्म फैल सकता है और जहाँ नहीं खत्म की गयी वहाँ फैला। इसलिये हमारा विश्वास है कि यहाँ जमींदारी खत्म कर देने से कम्युनिज्म रुक सकता है और फैल नहीं सकता।

मिल ओनर्स (mill owners) हैं, उनके लिये कहा जा सकता है कि वह मशीन लाते हैं और पैदावार करते हैं लेकिन जमीन्दार जो हैं वह तो केवल खेवट पर अपने नाम के दर्ज होने से ही लगान वसूल करता है। ऐसे लोग एक दम कम्युनिस्ट (communist) हो जायेंगे यह बुद्धि के विपरीत बात है और इसका कोई असर हम पर पड़ने वाला नहीं है। मेरे समाजवादी मित्र ने कहा कि ५ मई के पहले वाले पट्टे मंसूख कर दिये जाते तो अच्छा होता, मगर वह इसलिये नहीं किये गये जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज कर दिया कि जो पहले पट्टे दिये गये थे उसके बारे में सरकार की नीति थी कि दिये जायं और जब जमीन्दार नहीं देता था तो मैजिस्ट्रेट उसको नोटिस देता था कि या तो अपनी जमीन उठाओ या काश्त करो। और इसीलिये हमने लैन्ड यूटलाइजेशन ऐक्ट (Land Utilisation Act)

[माल मंत्री]

बनाया तो अगर पहले के पट्टे रद्द कर दिये जाते तो यह बिलकुल नीति के विरुद्ध बात हो जाती और ऐसा करना ऐसा होता कि अपनी कलम से अपनी नीति को ही मंसूख करना होता, अगर पट्टे दिये गये तो कोई बात नीति के विरुद्ध नहीं की गई, उसके अलावा मैं यह समझता हूं कि हमारे समाजवादी भाई किसानों के हितों के बड़े रक्षक हैं अगर मान लिया जाय कि ऐसे पट्टे मंसूख कर दिये जायं तो यह भी मानना होगा कि उस पट्टे के हासिल करने के लिये काश्तकारों को कुछ नजराना भी देना पड़ा होगा और वह रुपया जमीन्दारों की जेब में होगा और अगर वह पट्टा मंसूख कर दिया जायगा तो जो जमीन उनके पास है, वह जमीन उनके पास से निकल जायेगी और रुपया जमीन्दारों के पास ही रहेगा। तो इससे कोई फायदा न होगा। आगे के लिये पट्टे न देने के लिये इसलिये किया गया कि अब जमीन्दारों को पूरी आशा हो गई है कि जमीन्दारी नहीं रहेगी तो जमीन्दार ऐसी जमीनों के पट्टे भी करने जा रहे हैं जो काबिलेकाश्त नहीं है क्योंकि उनके हाथ से निकलने वाली है, इसलिये वह पट्टे ऐसे लोगों के हाथ कर दिये जायेंगे जिससे गाँव सभा वंचित हो जाय और उसको जमीन न मिले। इसलिये यह विधेयक रखा गया। २१ मई इसलिये रखा कि उस दिन यह पबलिश (publish) हुआ था और ५ मई को बिल भी नहीं तैयार था और मैं नहीं समझता था कि इतने दिन में कोई बड़ा भारी नुकसान हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि भवन इसको पास करेगा।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि वे जमीन्दारी अबालिशन और जमीन्दारी के पक्ष या विपक्ष में जो पुराने दलीलें हैं उन्हें न दोहरायं बल्कि सिर्फ इस विधेयक पर ही अपना ध्यान रखेंगें।

मेरे पास श्री सत्यप्रेमी जी ने कुछ शाब्दिक संशोधन भेजे हैं।

श्री सत्य प्रेमीउपनाम हरिप्रसाद—माननीय सभापति जी मैं अपने संशोधन पेश करना नहीं चाहता।

माल मंत्री—माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री कुंवर गुरुनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। दो एक बातें जो इसमें कही गई हैं उन की सफाई जरूर देना चाहता हूं। एक बात तो अभी माननीय माल मंत्री ने यह कही कि मैंने कहा है कि डेढ सौ करोड़ जमींदारों पर इसका असर पड़ेगा वह सही नहीं है, परन्तु वास्तव में जो जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट है उस का जो दूसरा भाग है उसमें जो जमींदार दर्ज हैं उन की संख्या २० लाख से कुछ ही ऊपर है। डेढ़ करोड़ कहने का मंशा यह है कि २०, २१ लाख जो जमींदार हैं और उनके जो आश्रित है, उन सब को मिलाकर डेढ़ करोड़ जनता ऐसी होगी जिनके ऊपर इस बिल का असर पड़ेगा यही मेरे कहने का मतलब था। दूसरे पब्लिक इन्टरेस्ट (public interest) क्या है। क्या नहीं है ,इस व्याख्या में भी मैं नहीं पड़ना चाहता। मुझे मालूम है कि जब हमारे माननीय माल मंत्री, श्री चरण सिंह जी जमींदारी एबालिशन कमेटी के मेम्बर थे तब उन की ऐसी राय थी कि काश्तकारों को जो हक दिया जाये, राइट आफ ट्रान्सफर (right of transfer) दिया जाये वह फ्री (free) दिया जाये, बिना दस साल का लगान लिए, दिया जाये। यह भी उन की राय थी कि किसानों की लगान में डेढ़ करोड़ रुपये की छूट दी जाये। वह चीज उस समय, पब्लिक इन्टरेस्ट

में, उनके विचार में थी। बाद को पब्लिक इन्टरेस्ट तबदील हो गया और पब्लिक इन्टरेस्ट यह हो गया कि दस साल का लगान लेकर उनको राइट आफ ट्रान्सफर दिया जाये। डेढ़ करोड़ की छूट जो किसानों को दी जाने को थी वह न दी जाय । तो पब्लिक इन्टरेस्ट तो ऐसी बात है कि आज हम किसी चीज को इन्टरेस्ट में कहते हैं कल किसी दूसरी चीज को पब्लिक इन्टरेस्ट में कह सकते हैं। तो मैं इस व्याख्या में नहीं पड़ना चाहता कि कौन चीज पब्लिक इन्टरेस्ट में है कौन चीज नहीं है। मैं इस व्याख्या में भी नहीं पड़ना चाहता कि जमींदारी एबालिशन हितकर है या हितकर नहीं है। इस मौजूदा एलेक्शन (election) के बाद मैं कम से कम इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि काश्तकार के दिमाग में क्या था और क्या होना चाहिए था। प्रचार विरोधी पक्ष का कम था या कांग्रेस का अधिक था। उस के हित में क्या है क्या नहीं है यह भी मैं नहीं कहना चाहता वह तो समय बतलायेगा। एक बात जो यह कही गई कि इस बीच में कहीं जमींदार लोग ज्यादा जमीनों को पट्टा न कर दें। मुझे खुशी हुई माननीय माल मंत्री के मुख से सुन कर कि सात हजार एकड़ जमीन अभी बाकी है जिस का इन्तजाम गाँव सभा करेगी तो उनके दिल में भी इस बात का संदेह नहीं है कि जमींदारों को ज्यादा पट्टे कर दिये यह इस बात का सबूत है। सन् ४६ से जब से यह प्रस्ताव पास हुआ और आज ऐक्ट बनने के बाद भी जब फर्स्ट जुलाई (first July) से वेस्टिंग (vesting) होने जा रही है इसके अन्दर भी जमींदारों ने २५ लाख एकड़ जमीन उठाई।

तो यह भी इस बात का सबूत है कि सरकार को जो शंका है यह निर्मूल है। यह जो बिल लाया गया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे और कुछ नहीं कहना है केवल इतना ही कहना था।

श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद--माननीय सभापति जी, मैं इस प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन श्री गुरुनारायण जी ने पुनः जो शंका प्रकट की उसके संबंध में मुझे कहना आवश्यक मालूम होता है। उन्होंने कुछ शंकायें पहले भी प्रकट कीं और कुछ उसके बाद फिर प्रकट किये हैं। जहाँ तक आँकड़ों का ताल्लुक है, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिये हैं। बाकी का उत्तर फिर देंगे। लेकिन शेष दो तीन शंकाओं में से एक यह है कि पहली जुलाई से सरकार जमींदारी खात्मे का दिवस मनाने जा रही है और इसके द्वारा पार्टी प्रोपेगन्डा (party propaganda) करने में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करेगी। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इस बिल के जरिये जमींदारी उन्मूलन क़ानून की पूर्ति की जा रही है। यह दिवस जो मनाया जा रहा है उसका उद्देश्य यह है कि समाज एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रान्ति की तरफ आकर्षित हो। हमारी गवर्नमेंट जमींदारी उन्मूलन के जरिये से एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रान्ति करने जा रही है। इस दिवस को मनाने का खास तौर से उद्देश्य है सामाजिक क्रान्ति को जनता जाने और उसे प्रगति दे। मानव समाज ने सरकारों का इसलिये निर्माण किया है कि वह समाज की भौतिक उन्नति में सहायक हो। हमारी गवर्नमेंट इस समय एक महान सामाजिक परिवर्तन करने जा रही है। जिससे समाज का भौतिक उत्थान होगा। इसकी तरफ जनता को आकर्षित करना है और उसे सजग करना है कि वह सामाजिक क्रान्ति को जाने और आगे बढ़े, नहीं तो मनुष्य अपने जीवन के समान यानी जब मनुष्य जवान होता है और बुड्ढा होता है, वह नहीं जानता है कि कब मैं जवान हुआ और कब बुड्ढा हुआ इस परिवर्तन को भी अनुभव नहीं करेगा। इस तरह से वह अपने जीवन के परिवर्तन की तरफ ध्यान नहीं देता है उसी तरह इस सामाजिक जीवन के परिवर्तन को भी नहीं जान पायेगा और फिर वह किसी काम में पूर्णरूप से हाथ भी नहीं बटायेगा। इसलिये हमारी गवर्नमेंट इस महान परिवर्तन की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करके और उसे आगे बढ़ाने के लिये जनता को प्रोत्साहित करना चाहती है। दूसरी शंका यह थी कि जमींदारी समाप्त करके गवर्नमेंट जमींदारों को साम्यवादी बनाने जा रही है। अगर कुंवर जी का साम्यवादी से आयोजन आर्थिक समानता की ओर ले जाने का है तो ठीक है। लेकिन अगर उनका मतलब जमींदारों

[श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद]

के साम्यवादी बन कर उत्पात और शाँति भंग तथा सशस्त्र क्रांति से है तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट कोई क्रांतिकारी क़दम शाँति व्यवस्था का प्रबन्ध करके ही उठाती है, ऐसी कोई आशंका की सम्भावना हो नहीं सकती। गवर्नमेंट की तरफ से शाँति व्यवस्था का काफ़ी इन्तज़ाम है। अभी कुंवर जी ने जिन डेढ़ करोड़ के लगभग जमींदारों के हित की बात की है। वास्तव में यह क़ानून उनके और देश के हित में बना है। इन जमींदारों में से अधिकाँश ऐसे हैं जिनकी शक्ति और प्रतिभा से देश और समाज कोई लाभ नहीं उठा पाता था। जमींदार लोग जमींदारी की मुफ्त की आमदनी से यह गुलछर्रे उड़ाते थे और समाज के किसी काम नहीं आते थे, हाँला कि इन में बड़े बड़े शक्तिशाली और प्रतिभामान भी होते हैं।

जमींदारी के खात्मे से सैकड़ों जमींदार ऐसे निकलेंगे जो समाज के लिये उपयोगी साबित होंगे। वह अपनी शक्ति और प्रतिभा का प्रदर्शन समाज की भलाई में करेंगे और समाज के लिये उपयोगी साबित होंगे। और इस तरह से वह अपने और समाज के लिये हितकर साबित होंगे। उनकी शक्ति से गवर्नमेंट और समाज दोनों ही लाभ उठायेंगे और स्वयं स्वावलम्बी हो जायेंगे।

तीसरी शंका कुंअर जी ने जो की है वह यह है कि इस विधेयक से जमींदारों में क्षोभ पैदा होगा। क्योंकि इस विधेयक से जमींदारों को नये पट्टे देने से रोका जा रहा है। वास्तव में इससे जमींदारों का ही फायदा है। इससे जमींदारों को अगर रोका न जाता तो वह अपने खुशामदियों को नये पट्टे दे देते और इस तरह से भूमिविहीन लोग रह जाते जिनके पास कि जमीन बिलकुल ही नहीं है। बड़े बड़े पट्टे अपने खुशामदियों को दे कर वह अपने लिये अनेक नये दुश्मन पैदा कर लेते। इस तरह से जमींदारों को उनके दुश्मन बनाने से रोका जा रहा है। अगर वह अपने खुशामदियों को पट्टा दे देते तो ग़रीब लोगों में असंतोष पैदा होता। सैकड़ों इस तरह से जमींदारों के दुश्मन बनते और जमींदार स्वयं पंचायतों की नई व्यवस्था से अपने को दूर कर लेते, इस तरह से यह नई व्यवस्था जमींदारों के लिये हानिकर नहीं है बल्कि हितकर है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के जरिये से जमींदारों का यदि दूरदर्शिता से देखा जाये फ़ायदा ही हुआ है और मैं समझता हूं कि इससे लाभ उठाकर जमींदार समाज के प्रति अपना कर्त्तव्य पालन करके देश के लिये हितकर साबित होंगे।

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सभा के सन्मुख है, मैं उसके विषय में दो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ? एक यह कि यह जो विधेयक सभा के सामने है क्या उन संस्थाओं पर भी लागू होगा जिनके पास गाँव या जमीन है ? ऐसी बहुत सी शिक्षा संस्थायें हैं जिनके पास जमींदारों ने और ताल्लुक़ेदारों ने गाँव और जमीनें दी हैं, क्या उनको भी इस विधेयक के द्वारा रोका जा रहा है कि कोई प्रबंध वह बीच के समय में न करें ? दूसरा यह कि यदि कोई जमींदार किसी शिक्षा संस्था को भूमि देना चाहता है तो उसको देने का हक़ होगा ? या नहीं ? बस यही प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं जानना चाहता हूं।

माल मंत्री--अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने पहला सवाल क्या किया है ? मैंने उसको सुना नहीं।

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि वह शिक्षा संस्थायें या इंस्टीट्यूशन (institutions), जिनके पास जमीनें हैं, क्या वह इस बीच के समय में अपनी जमीनों का प्रबंध कर सकेंगे ? और दूसरा प्रश्न यह कि जमींदार किसी शिक्षा संस्था को जमीन देना चाहते हैं तो दे सकेंगे या नहीं ?

माल मंत्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पट्टा करने का सवाल है वह नहीं कर सकेंगे लेकिन अगर गिफ्ट (gift) देना चाहते हैं तो जमींदारी अबालीशन में यह है कि गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेज में वह तभी दे सकते हैं जब गवर्नमेंट की स्वीकृति ले लें। अगर गवर्नमेंट समझती है कि वह चैरिटेबुल (charitable) के लिये है और

शिक्षा या मेडिकल एड (medical aid) के लिये है, यानी अस्पतालों वगैरह के लिये है, तब गवर्नमेंट उसके लिये स्वीकृति दे देगी। इस तरह से कंडीशनल (conditional) इजाज़त है। पट्टा किसी तरह भी नहीं दिया जा सकता।

श्री हृदय नारायण सिंह--पहले प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं प्राप्त हुआ। मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी शिक्षा संस्था के पास ज़मीन है और वह संस्था इसका प्रबन्ध करना चाहे, इस बीच में, तो क्या कर सकती है ?

माल मंत्री--नहीं कर सकती है।

श्री हृदय नारायण सिंह--इसके पहले यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था को दान देना चाहता था तो सरकार की इजाजत लेना जरूरी नहीं था। क्या अब यह ज़रूरी है ?

माल मंत्री--मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान सेक्शन २३ सब-क्लाज़ (section 23 sub clause) ज़मींदारी एबालीशन लैन्ड रिफार्म ऐक्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :--

"23.(1) Notwithstanding anything contained in any law, no transfer, by way of sale or gift, of any estate or part thereof—

(a) made on or after the first day of July, 1948, shall be recognized for the purpose of assessing the amount of Rehabilitation grant payable to the intermediary.

(b) made after the seventh day of July, 1949 shall be recognised for any purpose whatsoever and the estate shall be deemed to continue to vest in the transfer.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to any sale--

(a) made under order of a court in execution of any decree or order for payment of money, or

(b) made in favour of a waqf, trust, endowment or society established wholly for charitable purposes, unless the State Government in any particular case directs otherwise."

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मौलिक अधिकार (संक्रमण विनियमन) विधेयक* १९५२ ई० को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश शूगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शूगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सिलसिले में, मैं कोई लम्बी तक़रीर नहीं करना चाहता हूं। श्रीमान् की आज्ञा से मैं स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स (statement of objects and reasons) जो रिजोल्यूशन में दिया गया है, पढ़ कर ख़त्म करना चाहता हूं।

"The Parliament has passed an Act, Industries (Development and Regulations) Act, 1951, which has been brought into force with effect from 8th of May, 1952. In view of the aforesaid Act certain provisions of the U. P. Sugar Factries Control Act have become inoperative. The Bill is being introduced in order to delete these provisions and put the amended Act permanently on the Statute Book."

---

* विधेयक के लिये देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ २७४ पर।

[उद्योग मंत्री]

जो मौजूदा शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट सन् '५२ है उसकी मियाद ३० जून को खत्म होती है, लिहाजा सेन्ट्रल ऐक्ट (Central Act) की रू से जो प्राविजन (provision) नहीं रहे, उनको डिलीट (delete) करने के लिये या जोड़ने के लिये यह विधेयक है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री प्रभूनारायण सिंह--अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल विधेयक है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने एक अमेन्डमेंट (amendment) दिया था, उस अमेन्डमेंट पर बोलने का मौका है। श्रीमान् जी, आपके जरिये से मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि आज हम जिस बिल पर विचार करने के लिये खड़े हुए हैं....।

चेयरमैन--आप अपना अमेन्डमेंट (amendment) पेश कर दीजिये।

श्री प्रभूनारायण सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल संशोधन विधेयक, १९५२ को सेलेक्ट कमेटी (select committee) को रिफर (refer) किया जाय।

आज इस सदन में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने बिल्स हमने पास किये, इस सेशन के दौरान में, उन सबसे अहम यह बिल है। आज आपके सूबे में यह सबसे बड़ी इन्डस्ट्री (industry) है जिसमें कि १४ लाख के करीब केन ग्रोवर्स (cane growers) किसान लगे हुये हैं, और जिसमें १ लाख मजदूर काम करते हैं। आपके सूबे की ही नहीं, बल्कि हिन्दोस्तान की शुगर इन्डस्ट्री एक खास इन्डस्ट्री है। इसलिये हमारे लिये यह जरूरी था कि इस पर विचार करने के लिये हमें काफ़ी मौक़ा मिलता जिससे हम अच्छी तरह से इस पर गौर कर पाते। अभी तीन या चार रोज पहले इस सदन में एक बिल रखा गया मगर उसके दो दिन बाद ही हमें दूसरा बिल मिला। इसके सम्बन्ध में मैंने असेम्बली से भी जानकारी हासिल की तो मुझे यह मालूम हुआ कि असेम्बली में भी दो दिन पहले एक बिल रखा गया था, मगर दो दिन बाद यह दूसरा बिल रखा गया। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया का इन्डस्ट्री (industry) को रेगुलेट (regulate) करने के लिये एक क़ानून है इसलिये प्राविंशियल रेगुलेशन (provincial regulation) को उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि जिस जल्दबाजी से इस क़ानून को रखा गया है वाकई इतनी बड़ी इन्डस्ट्रीज के साथ जिस में १४ लाख केन ग्रोवर्स (cane growers) लगे हैं और जिस में एक लाख मजदूर हैं उसके सम्बन्ध में कोई न्याय नहीं किया गया है। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यह सवाल है कि यह हमारे सूबे की जो इन्डस्ट्री है उसके लिये जो हम क़ानून पास करने जा रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि इस क़ानून से कोई ऐसी कमी रह जाय जिस से इन्डस्ट्री पर असर पड़े, जिस से केन ग्रोवर्स पर असर पड़े और जिससे मजदूरों पर असर पड़े। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी यह सोच विचार करके रखा गया होगा। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि जितना समय इसके विचार के लिये रखा गया उसमें गलती रह सकती है।

मैं श्रीमान् के जरिये से माननीय सदस्यों के सामने यह रखना चाहता हूं कि सरकार की छोटी सी गलती से मेरठ और रुहेलखण्ड में ४० या ५० लाख मन ऊख किसानों के खेतों में अभी भी पड़े हुये हैं। इसलिये इसमें इतना समय मिलना चाहिए ताकि सोच विचार कर ये संशोधन पास किये जायं। इसलिये मैं इसकी अहमियत को समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में इस पर काफ़ी तौर से गौर किया जा सकता है। मैं श्रीमान् के जरिये इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि जो शुगर फैक्टरी (sugar factory) क़ानून है और एग्रीकल्चरिस्ट (agriculturist) के साथ इस क़ानून का जो सम्बन्ध है वह काफ़ी अहमियत का सम्बन्ध है। उसके जरिये इस बात की कोशिश होती है कि फैक्टरी का रेगुलेशन हो। साथ ही साथ इस बात की कोशिश होती है कि एग्रीकल्चरिस्ट

की बिक्री का जहाँ तक सम्बन्ध है वह ठीक से हो उनको प्राइसेज ठीक से मिलें। हम यह कहना चाहते हैं कि आज तो इन तमाम मसलों पर गौर करने का हमें मौक़ा नहीं मिलेगा क्योंकि अमेंडमेंट (amendment) के रूप में जैसा आया है उसमें हमें मौक़ा नहीं मिलता है। आपको मालूम होगा कि इस वर्ष अभी तक २३ करोड़ मन ऊख पेरी गई है और अभी एक करोड़ मन बाकी होगी। इस तरह से इस सूबे की सरकार को ३ या ४ करोड़ रुपया केन सेस (cane cess) से इस इन्डस्ट्री द्वारा फायदा होता है। इसलिये जरूरी होता है कि हमें जिस इन्डस्ट्री से इतना फायदा होता है उस इन्डस्ट्री से सम्बन्धित लोगों के बारे में हम पूरा विचार करें। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल क़रीब-क़रीब ढाई करोड़ रुपया किसानों का मिल मालिकों पर बाक़ी रहा। मैं बतलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब सब से पहले सरकार ने इस शुगर इन्डस्ट्री (sugar industry) को कुछ हद तक चीनी को कन्ट्रोल के बाहर बेचने का अधिकार दिया तो उस समय शुगर इन्डस्ट्री के पूंजीपतियों ने ८० रुपये मन तक चीनी बेची।

मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा इस बिल के लाने से किसी को परेशान करने की नहीं है। शायद सरकार का मंशा इस बिल के लाने का यह है कि शूगर फैक्ट्रीज और किसानों के संबंध को रेगुलेट (regulate) करने का है। शूगर फैक्ट्रीज और किसानों की बहबूदी के लिये है, लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार को इस पहलू को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये, जिससे किसानों को कोई फायदा पहुंचता हो ताकि वह तबाही और बरबादी का शिकार न हो सकें। रुहेलखंड और मेरठ में अभी ५० लाख मन ऊख किसानों की पड़ी हुई है। इस सम्बन्ध में सरकार को कोई ऐसा क़ानून न बनाना चाहिये जो सेन्ट्रल के क़ानून से टकराये। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि सेन्ट्रल के कानून के पास होने से हमारे सूबे पर इसका क्या असर पड़ता है और हमारी इन्डस्ट्रीज (industries) पर इसका क्या असर पड़ता है। इस तरह से और भी बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं, जिनका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता हूं। यह तो रोज की घटनायें हैं, जो घटती रहती हैं। अभी एक साल की बात है कि देवरिया में काश्तकारों से दो आना रुपया काटा गया और वह इसलिये काटा गया था कि उनके गाढ़े वक्त में, जरूरत के वक्त में उनको वह रकम दी जाय, लेकिन हुआ क्या कि कोआपरेटिव सोसाइटीज (co-operative societies) में वह रुपया जमा कर दिया गया और इसके बाद वह रुपया पटवारियों को दे दिया गया और वह रुपया उनको नहीं दिया गया बल्कि काश्तकारों की ओर से दस गुना लगान सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया। बहुत से काश्तकार नहीं चाहते थे कि यह रुपया दस गुना लगान की तरफ जमा किया जाय। ऐसा भी हुआ कि जो काश्तकार मर गये थे उनकी तरफ से वह रुपया जमा कर दिया गया और जो लोग नहीं देना चाहते थे उनकी तरफ से झूठे दस्तखत करके रुपया जमा कर दिया गया। इस सम्बन्ध में बहुत सी दरख्वास्तें दी गईं, लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ।

उद्योग मंत्री—क्या आप कोई नाम बतला सकते हैं, जिसके साथ ऐसा हुआ है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि सैकड़ों व हजारों अर्जियाँ हैं जो हमारे दफ्तर में मौजूद हैं और बहुत सी दरख्वास्तें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (District Magistrate) को दी गईं, वह सब वहाँ मौजूद होंगी। अगर आप उनकी जाँच करते तो आपको मालूम हो जाता। अगर आप हमको दो रोज का समय दें तो मैं देवरिया से फाइल मंगा कर आपके सामने पेश कर सकता हूं।

सिलैक्ट कमेटी में गौर करने के बाद ही इस बिल को इस सदन में आना चाहिए। इस तरह से सेलेक्ट कमेटी को मौका होगा और हर सदस्य, जो इसके विशेषज्ञ होंगे, जो इसके स्पेशलिस्ट (specialist) होंगे उनको इसके ऊपर विचार करने का मौका होगा। इस तरह से जो किसानों तथा मजदूरों से सम्बन्धित बातें हैं उनके ऊपर उनको विचार करने का भी मौका होगा तो बड़ा फायदा हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बात को प्रस्तावित

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

करता हूं कि यह बिल पहले सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और तब इस सदन के अन्दर आना चाहिये ।

श्री प्रतापचन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन मेरे दोस्त श्री प्रभु नारायण जी ने पेश किया है मैं यह समझता हूं कि अगर आपका यह संशोधन मान लिया गया या आपका यह संशोधन मंजूर हुआ तो इस प्रान्त और इस राज्य के किसानों और काश्तकारों का बहुत बड़ा नुकसान होगा । अभी जैसा कि उद्योग मंत्री ने बतलाया कि जो मौजूदा ऐक्ट है उसकी मियाद ३० जून तक है । इसका मतलब यह है कि ३० जून निकल जाने के बाद हमारे प्रान्त की जो गवर्नमेन्ट है उसे यह अथारिटी (authority) नहीं रहेगी कि वह काश्तकारों के गन्ने के सम्बन्ध में या उनके भावों के मुकर्रर करने के सम्बन्ध में कोई कानून बना सके । इसलिये यह बात लाजिमी है कि जो अमेंडमेंट बिल में रखा गया है वह ३० जून से पहले ही पास हो जाय । अभी श्री प्रभुनारायण जी ने यह बताया कि काश्तकारों से इतना रुपया लेने में, काश्तकारों के गन्ने की कीमत वसूल करने में कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मित्र माननीय प्रभुनारायण जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि सरकार को यह अधिकार न रहा, यह अथारिटी न रही तो वह कैसे किसानों के गन्ने का भाव नियत कर सकती है और इस तरह से मैं समझता हूं कि मिल मालिक फिर अपनी मन मानी करना शुरू कर देगा और रुपये में आठ आने और रुपये में ४ आने उनको देंगे। इसके बाद इस प्रान्त को और इस राज्य के किसानों को दिक्कत होगी रुपया वसूल करने में, अपना गन्ना बढ़ाने में, इसको मैं और आप सब जानते हैं। इसलिये मेरा तो यह विचार है कि यह बिल जिस शक्ल में है उसी शक्ल में मंजूर किया जाना चाहिये । अगर यह बिल श्री प्रभुनारायण जी के संशोधन के साथ मंजूर किया गया तो मैं समझता हूं कि अगर ३० जून निकल गया तो इस राज्य के किसानों और इस राज्य के काश्तकारों का बड़ा भारी नुकसान होगा और फिर जो लाखों-करोड़ों मन गन्ना, जैसा कि पड़ा रहता है, बेकार पड़ा रहेगा और इस तरह से आगे आने वाले साल में चौगुना और पंचगुना गन्ना बेकार पड़ा रहेगा । इसलिये अति आवश्यक है कि यह बिल फौरन ही पास हो और ३० जून के पहले ही कानून बने । इन शब्दों के साथ मैं प्रभुनारायण जी के संशोधन की मुखालिफत करता हूं ।

वित्त मन्त्री--जनाब चेयरमैन साहब, यह सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का मोशन (motion) जिस मकसद से पेश किया गया है उसको मैंने प्रस्तावक साहब से सुना । अगर वह मकसद, जो उनका है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय, हासिल होता है तो मैं गवर्नमेन्ट की तरफ से यह रजामन्दी दे सकता हूं कि इस बिल को बेशक सेलेक्ट कमेटी को रिफर (refer) किया जाय। लेकिन पोजीशन (position) यह है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने से वह मकसद कतअन हासिल नहीं हो सकता है और यह बिलकुल नामुमकिन है ।

एक बिल को सेलेक्ट कमेटी में क्यों भेजा जाता है? मैं पहले आप से इस बात की चर्चा किया चाहता हूं । जब कोई बिल किसी सदन के सामने आता है तो वह सदन उस बिल के उसूलों से, उसके प्रिन्सिपिल्स (principles) से इत्तिफाक करता है और उनको मानता है और साथ ही साथ उसके अन्दर जो धारायें हैं और जो सेक्शन्स (sections) हैं उन धाराओं और सेक्शन्स में वह अमेन्डमेन्ट (amendment) या तब्दीली करता है तो वह यह कहता है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय और सेलेक्ट कमेटी इस मुबाहिसे की रोशनी में, जो कि सदन के अन्दर हुई है, जिस किस्म की कमियां उसमें बतलाई गई हैं और जिस किस्म की गलत बातें उसमें हो गई हैं उसमें गौर करके और उस बिल की दूसरी शक्ल बनाकर वह उसे सदन के सामने भेजे और वह

बिल सदन में पेश हो। मगर इस वक्त यह बिल क्या है। इस बिल के जो स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स (statement of objects and reasons) हैं उस पर अगर आप मुलाहिजा फरमायें तो आपको मालूम होगा। उसको मैं जनाब की इजाजत से सदन में पढ़ देना चाहता हूं। इस बिल को देखने से यह मालूम होगा कि सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजना क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि सेलेक्ट कमेटी की बाबत आपको यह समझ लेना चाहिये कि जो बिल उसके सामने रखा जाता है वह किसी तब्दीली की वजह से वहाँ भेजा जाता है, मगर इस बिल के मुताल्लिक यह बात नहीं है और यह बिल जो कि हमारे सामने है उसके दो मकसद हैं। यह शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट (Sugar Factories Control Act) जो है वह सन् १९३८ में कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने इस प्रदेश में पास किया था और उस वक्त से इस वक्त तक यह नाफिज होता रहा है और अब इसकी मियाद इस महीने के ३० जून को खत्म होने वाली है। गवर्नमेन्ट ने उस वक्त जो बिल बनाया था उसका मकसद सिर्फ यह था कि ३० जून के बजाय दो साल की मियाद उसकी बढ़ा दी जाय इसी कानून में। लेकिन इस धारा में गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल कानून बना दिया और वह कानून ऐक्ट में भी नाफिज हो गया। तो उसके बाद गवर्नमेन्ट को यह सोचना पड़ा कि हम जो इस कानून की मियाद दो साल के लिये बढ़ाते हैं तो उसका बढ़ाना कहाँ तक ठीक है। मगर इस वक्त ऐवान के सामने जो बिल है उसके मकसद दो रखे गये हैं—एक तो यह है कि इस कानून की बहुत सी बातें गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया (Government of India) ने जो शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट बनाया है उसमें कवर (cover) हो गई हैं इसलिये उन बातों को इसमें से निकाल दिया जाय। एक मकसद इसका यही है। क्या इम्प्रूवमेंट (improvement) इसमें सजेस्ट (suggest) हो सकता है कौनसी पेचीदगियाँ इसमें आ गई हैं जिसकी वजह से इसको कमेटी के सामने भेजा जाय।

दूसरे यह है कि जो वाकई दफायें इसमें रह जायंगी वह मजमूई तौर पर इस यू० पी० का कानून हो जायेगा। इन दो बातों पर गौर करने के बाद अगर इसे सेलेक्ट कमेटी (select committee) के पास भेज दें तो वह इसमें कुछ नहीं कर सकती है। अगर हम उससे कहें कि इस दफा को इस तरह से बदलो और दूसरी दफा को इस तरह से और तीसरी को किसी दूसरी तरह से बदलो तो वह कुछ नहीं करेगी। वह महज यही करेगी और उसका इससे सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि वह देखे कि इसको मुस्तकिल किया जायेगा या नहीं किया जायेगा। मेरे दोस्त जो इसमें किसी कमी को महसूस करते हैं तो उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से उनको कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है, इस कानून की वह दफा या दफायें, जिनको वह अच्छा नहीं समझते हैं या उसकी जगह पर दूसरी रखना चाहते हैं, उसके बारे में यह जरूरी है कि तरमीमें तैयार की जायं जो दो तरीके से ही हो सकती हैं, उनको गवर्नमेन्ट भी तैयार कर सकती है। अगर वह मौजूं न हों आनरेबिल मेम्बर को यह अख्तियार है कि जो तरमीमात कराना चाहते हों उनके मुताल्लिक वह खुद एक मसविदा बनावें और ऐवान के सामने अनआफिशल रिजोल्यूशन (un-official resolution) की शक्ल में, एक बिल की सूरत में पेश कर सकते हैं। हाउस उस पर गौर करेगा और हाउस का फैसला गवर्नमेन्ट के लिये बाइंडिंग (binding) होगा और दूसरे यह कि आनरेबिल मेम्बर साहब उन तरमीमात को बनायें और उनको गवर्नमेन्ट को बतायें ताकि वह उस पर गौर करे। इस वक्त यह मौका ऐसा नहीं है कि चूंकि इधर से एक तकरीर की गयी है, इसलिये उधर से कुछ तकरीरें उसके खिलाफ हो जायं। लिहाजा मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि इस पर बहस करने के बजाय इसको मंजूर किया जाय। जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके पर काम करना भी मुनासिब है। इस वक्त इसमें रुकावट पैदा करना कोई माने नहीं रखता और न इसमें कोई ऐसी बात सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजने वाली है। अगर इसमें खराबियाँ हैं तो उन खराबियों को दूर करने के लिये गवर्नमेन्ट भी तैयार है और अगर मेम्बर साहब खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हाउस के मान लेने के बाद भी वह कानून बन

[वित्त मंत्री]

जायगा और गवर्नमेन्ट के लिये काबिल इत्मीनान होगा। जो साहबान कहना चाहते होंगे उस वक्त भी कह सकेंगे। अब मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं कि वह मेम्बरान, जिन्होंने इसके मुतालिक कुछ कहा है, वह और दूसरे साहबान भी फिर से इस पर गौर कर लें कि इससे फायदा होने वाला है या नहीं।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि ३० जून को यह कानून खत्म हो जाता है और इसके लिये है कि जल्द से जल्द हम इसको पास करें। सिर्फ एक शंका मेरे दिल में है उसको मैं दूर करना चाहता हूं वह यह है कि आज जो विधेयक हमारे सामने है उसमें कहा गया है कि सन् १९३८ का जो कानून है उसका चैप्टर ३ निकाल दिया जाय। यह जो चैप्टर है उसके जरिये लाइसेन्स लेना जरूरी होता था और लाइसेन्स के समय कुछ शर्तें भी होती थीं और मालिक को वह पूरी करनी पड़ती थी।

वित्त मन्त्री--मैं आपकी तवज्जह एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं इस बिल में वह चीजें निकल जायेंगी जो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के बिल में आ गई हैं और वह गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया का बिल हम पर लागू है। इसलिये चैप्टर ३ निकाला जा रहा है।

श्री राजाराम शास्त्री--जो लाइसेन्स देते वक्त शर्तें थीं और मजदूरों के संबंध में भी लागू होती थीं जब वह शर्तें पूरी होती थीं तब किसी फैक्टरी को लाइसेन्स दिया जाता था। अगर पूरा चैप्टर ३ निकाल दिया जायेगा तो उसके साथ सब कन्डीसंस (conditions) भी निकल जायेंगी उसमें मैनेजर की नियुक्ति का भी सवाल था, वह भी खत्म हो जायेगा।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ऐक्ट के अधीन उसको रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा। पहले की चीजों में यह मालूम होता था कि हर साल उनका लाइसेन्स रिन्यू (r new) होता था और रजिस्ट्री के अन्दर जो कन्डीशन्स हैं वह सब चीजें आ चुकी हैं या नहीं, कहीं ऐसा न हो चैप्टर ३ पूरा निकल जाय और लेबर का नुकसान हो जाय, जिसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि मालिक उनको परेशान करेंगे। माननीय मंत्री समझा दें तो मेरी समझ में आ जायेगा।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता के विचारों को मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैं समझता हूं कि उनके विचारों पर पूरी तरह से गौर करना आवश्यक है और सही फैसले पर आने के लिये निहायत जरूरी है। इसमें शक नहीं कि अगर यह कानून ३० जून को खत्म हो जाता है तो यह लाजिमी हो जाता है कि हम कोई ऐसी तरकीब निकालें जिससे कि ३० जून के बाद हमारे किसान इन फायदों से महरूम न हो जायं। जो इस ऐक्ट के जरिये से उनको हासिल हैं, इसलिये इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि यह कानून चालू रहे, लेकिन सदन के नेता ने जो एक सवाल उठाया है उस पर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सवाल यह है कि अगर यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो क्या सेलेक्ट कमेटी मूल कानून में संशोधन की तजवीज पेश कर सकती है? सदन के नेता समझते हैं कि सेलेक्ट कमेटी दो ही बातें कह सकती है या तो यह कि कानून पास किया जाये या यह कि कानून को परमानेन्ट (स्थायी) न बनाया जाये। मैं इस बात से भेद करता हूं मेरा यह ख्याल है कि जब सदन के सामने यह प्रश्न है कि कोई कानून जो थोड़ी मुद्दत के लिए बनाया गया हो उसे परमानेन्ट बनाया जाये या न बनाया जाये और जब इस प्रश्न को सदन किसी सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश करता है तो सेलेक्ट कमेटी का यह फर्ज हो जाता है कि वह पुराने तजुर्बे को ध्यान में रखे और पुराने तजुर्बे की बिना पर पुराने ऐक्ट की तमाम धाराओं पर विचार करे और उस का हक है कि वह मशविरा दे कि इस कानून को

किन संशोधनों के साथ परमानेन्ट बनाया जा सकता है। जो ऐक्ट हम पास करें, जो विधेयक हम पारित करें उसमें हम यह साफ लिख सकते हैं कि शुगर कंट्रोल ऐक्ट (Sugar Control Act) इन संशोधनों के साथ परमानेन्ट बनाया जाता है। जहां तक मेरा ख्याल है साथी प्रभुनारायण सिंह ने जब यह प्रस्ताव रखा कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाये तब उनका यह मंशा नहीं था कि इस किस्म का कोई कानून बने ही नहीं। उनका मंशा यह था कि इस कानून को परमानेन्ट बनाने से पेश्तर अच्छा होगा यदि हम इस कानून की हर एक धारा को पूरे तौर से उस तजुर्बे की बिना पर जांच करें और यह देख लें कि इसकी हर एक धारा ठीक है या गलत। मैं समझता हूं कि जो विधेयक सरकार ने पहले पेश किया था वह आज के विधेयक से अच्छा था। उसमें तरमीम की जरूरत थी क्योंकि जब केन्द्र ने एक कानून बना दिया है तब उस के विपरीत जो धारा प्रान्तीय कानून में हैं उनको निकालना पड़ेगा। लेकिन उस के बाद अच्छा यह होता कि उस कानून को थोड़े अर्से के लिए बढ़ा दिया जाता और उस बीच में सेलेक्ट कमेटी के जरिये से या एक स्पेशल कमेटी के जरिये से जांच कराई जाती, उस तमाम कानून की बिना पर। साथी राजाराम शास्त्री ने जो विचार हमारे सामने रखे हैं उन से इस बात का भी पता चलता है कि एक चैप्टर को जब हम निकालते हैं तो प्रश्न उठता है कि आया उसके निकाल देने से जो संरक्षण मजदूरों को मिलना चाहिए वह संरक्षण बना रहता है या नहीं। मतलब यह है कि अगर हम कोई कानून परमानेन्ट बनाना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि केन्द्र ने जो कानून बनाया है उस कानून को ध्यान में रखकर इस कानून में संशोधन करने की जरूरत है या नहीं है। और जो हमारा तजुर्बा है उस तजुर्बे को देखते हुए भी इस में संशोधन करने की जरूरत है या नहीं, इन दोनों बातों को देखते हुए हम तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम इस कानून को परमानेन्ट न बनाकर थोड़े अर्से के लिए बनाएं और उस बीच में एक सरकारी जांच कमेटी मुकर्रर करें जिस में इस सदन के सदस्य भी हों और दूसरे सदन के भी हों। जिसमें सब तरफ के सदस्य हों और जिस में कुछ एक्सपर्ट्स (experts) भी लिए जा सकें और उन के द्वारा जांच के बाद फिर उस कानून को परमानेन्ट बनाया जाये। यह मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि हम इस कानून को थोड़े अर्से के लिए चालू करें और उसके बाद देखें कि यह कानून कहां तक ठीक है और इसमें कहां तक परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर यह समझा जाये कि इस कानून को इसी वक्त परमानेन्ट बना दिया जाये तो कम से कम गवर्नमेन्ट का यह फर्ज हो जाता है कि वह इस सदन से वादा करे कि अगरचे कानून को परमानेन्ट बनाया जाता है, लेकिन वह जांच कमेटी जरूर मुकर्रर करेगी ताकि सारे ऐक्ट की पूरे तौर से जांच-पड़ताल हो सके और उस कमेटी की जांच के बाद उस की जांच को ध्यान में रखते हुए अगर जरूरत पड़े तो एक संशोधन कानून पेश करेगी।

वित्त मन्त्री--प्रोफेसर साहब को शायद मेरी बात में गलतफहमी है। मैंने तो बहुत सीधी बात कही थी। मैं समझता हूं कि यहां कवायद ही बर्ते गये हैं। सेलेक्ट कमेटी को यह हक नहीं है कि वह अपना विचार बिल के ऊपर दे। यह बिल जो है इसमें यह है कि इसको परमानेन्ट किया जाय, लेकिन असल जो कानून है और इस बात का जहां तक ताल्लुक है कि उसे कानून बनाया जाय उसके मुताल्लिक मैंने अर्ज किया कि गवर्नमेन्ट इस काम को करे और उसका ओवर हाल करे। लेकिन वह जभी होगा जब हम इस कानून को इस वक्त जिन्दा रखें। इसमें दो-तीन महीना लगेगा। आगे का कानून जो है उसको भी हमें परमानेन्ट बनाना होगा। परमानेन्ट जब हमें बनाना ही है तो हम इसको इस वक्त परमानेन्ट कर देते हैं। यह मेरा एतराज है कि यह काम इस तरह से नहीं हो सकता है।

Chairman : The scope of the Bill is limited; it is for a particular object. If that particular object does not meet the wishes of the House they have every option to throw the Bill out. If they think that the Bill should be enlarged the only constitutional remedy is to throw out

the Bill. So long as the Bill has a definite object and is limited in scope the Chair has no doubt in its mind that no amendment can be moved in order to enable the scope of the Bill to be enlarged.

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--मैं भी समझता हूं कि विधेयक का स्कोप (scope) बढ़ाये बिना ऐक्ट की धाराओं को परमानेन्ट बनाते समय उनमें संशोधन भी किया जा सकता हैं, लेकिन सदन के नेता बहुत अनुभवी हैं। मैं तो अभी आया हूं। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। कुछ और अथारिटी देखने के बाद कह सकता हूं। अगर आज हम यह तय करें कि इस कानून को परमानेन्ट बनाने के बजाय इस कानन को साल भर के लिये बना लिया जाय तो क्या यह भी गलत अमेन्डमेन्ट (amendm nt) होगा ?

वित्त मन्त्री--यह अमेन्डमेन्ट बिलकुल गलत होगा। उसका स्कोप (Scope) काफी बड़ा नहीं है।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--क्या आप बतला सकते हैं ?

चेयरमैन--अगर आप को कुछ कहना है तो मुझ से कहिये। सदन के नेता से पूछने की इजाजत नहीं है।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल--जहां तक मैं इस सदन के नेता के विचारों को समझ सका उससे मैंने अन्दाजा लगाया कि सरकार इस कानून को परमानेन्ट (permanent) बनाने के बाद भी उसकी जांच करना चाहती है कि कहां तक कानून की धारायें ठीक हैं और कहां तक उसमें परिवर्तन की जरूरत है।

तो क्या यह अच्छा न होगा कि सरकार यह भी कह दे कि हम इस क़ानून को एक वर्ष के लिये बढ़ाते हैं और फिर इस एक वर्ष के अन्दर जाँच करके संशोधन के साथ इसे परमानेन्ट करने की कोशिश करेंगे।

उद्योग मन्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र प्रोफेसर साहब गालिबन इस बात से इत्तिफ़ाक़ करते हैं। चूंकि यह बिल या मौजूदा क़ानून ३० जून को खत्म हो जायेगा लिहाजा बिल के जरिये कोई क़ानून फौरन बन जाय ताकि जो काम सरकार करती है वह बदस्तूर करती रहे और इस काम में रुकावट न पड़े। इस बात से इत्तिफ़ाक़ करते हैं। लेकिन हमारे दोस्त ने यह फरमाया कि बिल में जो यह है कि यह क़ानून मुस्तक़िल कर दिया जाये उसके बजाय एक साल के लिये कर दिया जाये। तो प्रोफेसर साहब की राय से ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं उनको दिक्क़त बतलाता हूं। अगर आज हम तरमीम करते हैं और बजाय एक साल के इसे मुस्तक़िल करते हैं तो यह बिल फिर लोअर हाउस (Lower House) में जायेगा और लोअर हाउस उठ जायेगा। लिहाजा इस बात में प्रोफेसर साहब का भी और हमारा भी मक़सद खत्म हो जावेगा। लिहाजा जब हमारे दोस्त ने और सदन ने यह बात मान ली थी कि यह दिक्क़त भी हमारे सामने है, जिसका कोई हल नहीं निकलता है और इस वक्त हमारा बड़ा काम है, तो हमारे दोस्त इस बात से इत्तिफ़ाक़ करते हैं और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वे इस बात को मंजूर करेंगे और अपने एतराज को वापस ले लेंगे। कुछ शंकायें हमारे दोस्त शास्त्री जी ने जाहिर की हैं केन ग्रोवर्स (cane growers) के बारे में। जो भावनायें इस सदन में प्रस्तावक महोदय ने जाहिर किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं और यक़ीन दिलाता हूं कि इस तरफ के लोग भी उनकी राय से इत्तिफ़ाक़ करते हैं। हमारे सूबे में केन इंडस्ट्री (cane industry) बहुत ज्यादा है और केन ग्रोवर्स की दिक्क़तें हैं जिनको हटा दिया जाय ताकि उनकी तकलीफ़ें रफा हो जायं। लेबर क्लास (labour class) के रास्ते में भी कुछ दिक्क़तें हैं। उनको भी दूर करना है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो ख्यालात उधर के हैं वैसे ही इस तरफ के भी हैं, लेकिन यह बिल क्यों इस शकल में लाया गया है। हमारे दोस्त ने कहा कि काफ़ी वक्त नहीं दिया गया। मजबूरी थी। मैं तो चाहता था कि काफ़ी वक्त दिया जाता ताकि लोग क़ानून पर अच्छी तरह से विचार कर

लेते, लेकिन यह क़ानून सेंट्रल गवर्नमेंट (Central Government) में था। जब यह ८ मई को लागू हुआ तब उसका नक्शा हमारे सामने आया। तभी हमने यह देखा और तभी यह राय क़ायम कर सके, इसके पहले कुछ कर भी कैसे सकते थे। लिहाजा ८ मई के बाद से क़िस्सा दरपेश हुआ और फिर ३० जून को यह ख़त्म होता है। इसलिये यह जरूरी समझा गया कि एक छोटा-मोटा बिल बनाया जाय और इस ऐक्ट को लाइफ (life) दी जाय। जो फजूल की बातें हैं उनको डिलीट (delete) कर दिया जाय ताकि काम चलता रहे। इसके बाद मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं और आप को बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि हम एक कमेटी क़ायम कर दें, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने सजेस्ट (suggest) किया है और लोअर हाउस में भी सरकार की तरफ से यह बतलाया गया है कि हम कमेटी क़ायम करना चाहते हैं ताकि सब बातों पर विचार करके एक कम्प्रीहेंसिव बिल (comprehensive Bill) लाया जाय और वह एक ऐसा बिल होगा जिसमें हर तरह का विचार करके हर तरह का प्राविजन (provision) रखा जायगा और उसमें हम को, आप को मौका होगा कि सेन्ट्रल ऐक्ट के सारे प्राविजन को देखें और जितने हमारे अधिकार बाकी रहे हों उनके आधार पर हम इम्प्रूव (improve) या इजाफ़ा करेंगे और जो जो ख्यालात हमारे दोस्त ने जाहिर किये हैं उनको कार्यान्वित करने के लिये हम तरमीम करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उजलत में वैसा क़ानून लाना, जिसमें काफ़ी वक्त लगता, ठीक नहीं है, इस वजह से छोटा-मोटा बिल लाया गया है। श्री राजाराम जी ने एक शंका पेश की है और वह यह है कि दफ़ा ११ (ई) में लेबर के सम्बन्ध में कुछ आदेश दिये जा सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस दफ़ा का आज तक प्रयोग ही नहीं हुआ। लेबर के जो कुछ भी मामले या झगड़े रहे वह दूसरे लेबर वाले क़ानूनों से तय किये गये हैं। लिहाजा यह अगर निकल भी जाता है तो भी जितना प्रोटैक्शन (protection) हम लेबर को दे सकते हैं, देंगे। लिहाजा इसके निकाल दिये जाने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें रखा गया है कि एक डेवलपमेंट कौंसिल (Development Council) बनाई जायगी और उसमें लेबर के रिप्रेजेन्टेटिव (representative) रहेंगे धारा ६ के अनुसार मैं वह धारा श्रीमान् की आज्ञानुसार पढ़े देता हूं :--

A Development Council shall perform such functions of a kind specified in Second Schedule as may be prescribed.

Functions which may be assigned to Development Council . . . .

Second Schedule 7—

Promoting or undertaking enquiry as to materials and equipment and as to methods of production management and labour utilization including the discovery and development of new materials, equipment and methods and of improvements in those already in use.

9—Promoting the retaining in alternative occupations or personnel engaged in or retrenched from the industry.

14—Promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour including measures for securing safer and better working condition and the provision and improvement of amenities and incentive workers.

तो यह सब प्राविजन इस ऐक्ट में रखे गये हैं लिहाजा अगर चैप्टर ३ निकल जाता है तो उससे हमारे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं रहती है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि हमारे मित्र शास्त्री जी को भी कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी। हमारे दोस्त ने एक बात और कही जो मेरी समझ में गैर जरूरी थी। मेरे मित्र ने कहा कि शूगर मिल में गन्ना देने वालों से जबरदस्ती दो आना मन काट लिया गया १० गुना में जमा करने के लिये। मैं चैलेंज

[उद्योग मंत्री]

(challenge) के साथ कहता हूं कि ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आई। मैं आपको यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने जमा किया रजामन्दी से उन्हीं से लिया गया है। यह कहना सर्वथा गलत है कि जाली दस्तखत बना कर ऐसी बातें की गई। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जहां तक असली मकसद और तरमीम थी उस सम्बन्ध में सारी बातें बता दी है। मुझे आशा है कि मेरे दोस्त इस तरमीम को वापस लेंगे और इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करेंगे। हम एक ऐसी कमेटी कायम करने वाले हैं जिसमें हर तबके के लोग होंगे और अपने विचार से सरकार को मुत्तफ़ीद करेंगे। उनके सलाह-मशविरा से जो रिपोर्ट तैयार हो उस रिपोर्ट पर विचार कर के सरकार क़ानून को तैयार कर इस सदन के सामने लाये और इस सदन की मदद से कानून का रूप दे ताकि केन ग्रोवर्स का फायदा हो, लेबरर्स (labourers) का और मूबे तथा देश का फायदा हो। मैं इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि हमारे मित्र अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे और हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री प्रभु नारायण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं अपने इस प्रस्ताव को कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, सरकार की तरफ से और सदन के नेता तथा उद्योग मंत्री जी के आश्वासन पर कि सरकार स्वयं इस पर गौर करना चाहती है, इस लाइट में मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

चेयरमैन---क्या भवन की इजाजत है कि यह संशोधन वापस लिया जाय ?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

चेयरमैन---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शूगर फैक्ट्रीज़ कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उद्योग मंत्री---मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शूगर फैक्ट्रीज़ कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक सन् १९५२ ई० को पारित किया जाय।

चेयरमैन---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शूगर फैक्ट्रीज़ कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक,* सन् १९५२ ई० को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

वित्त मंत्री---अब कौंसिल को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

चेयरमैन---कौंसिल अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल की बैठक ३ बज कर ३५ मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई)।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२ जून सन्, १९५२ ई०।

---

* विधेयक के लिए देखिए नत्थी "ग" पृष्ठ २७७ पर।

नत्थी "क"

यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करने का विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करना है ;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) इस अधिनियम का नाम यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—इस अधिनियम में, जब तक कोई बात, विषय या प्रसंग के विपरीत न हो "suit", or "proceeding" के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में दिये गये हैं।

३—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे इसमें आगे चल कर मूल कहा गया है) की धारा ७७ के बाद नई धारा ७७-ए के रूप में निम्नलिखित जाय :

"77-A. (1) If any *Panch* appointed to a bench constituted section 49 for the trial of a case, suit or proceeding is absent hearing, the remaining *Panches* may, notwitstanding anything co in this Act, try the case, suit or proceeding, provided, however, least three *Panches* including the Chairman, are present, and provided further that at least one of the *Panches* present is able to record evidenc and proceedings.

(2) No trial as aforesaid shall be deemed to be or even to have been invalid by reason merely that all the five *Panches* forming the Bench were not present at any hearing or that the same *Panches* were not present at all the hearings.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall *mutatis mutandis* apply to an inquiry made by a *Panchayati Adalat* under section 63"

४—यदि इस अधिनियम के आरम्भ के बाद निम्नलिखित के वैध या विधि होने का प्रश्न उठे—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर विचाराधीन केस, सू प्रोसीडिंग पंचायती अदालत द्वारा सुनवाई (ट्रायल) का, अथवा

(ख) मूल अधिनियम की धारा ४९ के अधीन किसी केस, सूट अथवा प्रोसीडिंग में पंचायती अदालत द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व दिये गये तथा उक्त प्रारम्भ से पूर्व

किसी समर्थ न्यायालय द्वारा अवैध निर्णीत न हुआ कोई निर्णय, डिक्री या आज्ञा के, अथवा

(ग) उक्त अधिनियम की धारा ६३ के अधीन पंचायती अदालत द्वारा की गयी कोई जाँच ;

तो उसका अवधारण इस प्रकार होगा मानो कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे सभी दिनांकों पर प्रचलित थे, जिनका इस विषय में कोई महत्व हो (ऐट आल मैटीरियल डेट्स)।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ४९ में अन्य बातों के साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मामला, वाद या कार्यवाही (केस, सूट और प्रोसीडिंग) पर विचार तथा निर्णय पाँच पंचों की बेंच द्वारा किया जायगा। फिर भी ऐसा हुआ कि बेंच के पाँचों पंच किसी किसी मामले की पूरी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके और प्रायः एक या दो पंच अनुपस्थित ही रहे। नियमों के अधीन एकइयत्ता (कोरम) निश्चित करके इस कठिनाई को दूर करने का उपाय सोचा गया।

माननीय हाई कोर्ट ने अपने हाल के एक निर्णय में यह निश्चय किया कि उक्त नियम का निर्माण साधिकार नहीं है।

अतएव विधान मंडल के अधिनियम द्वारा उक्त व्यवस्था को करने का विचार है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

मोहन लाल गौतम,

मंत्री,

स्थानिक स

नत्थी "ख"

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन विधेयक) १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ।)

मध्यवर्तियों द्वारा भूमि के कुछ संक्रामणों (ट्रांस्फर्स) के विनियमन के निमित्त विधेयक

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) प्रचलित हो गया है :

और उक्त प्रचलन के फलस्वरूप संक्रमण (ट्रांजिशन) सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त, मध्यवर्तियों द्वारा भूमि के कुछ संक्रामणों का विनियमन करना आवश्यक है ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, १९५२ ई०" होगा।

(२) इसका प्रसार उस क्षेत्र में होगा, जिसमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम अपनी धारा १ की उपधारा (३) के अधीन प्रचलित है।

(३) यह "निश्चित दिनांक" से प्रचलित होगा और प्रचलित हुआ समझा जायगा।

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर,

(क) "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य २१ मई, १९५२ ई० से है ;

(ख) किसी भूमि के सम्बन्ध में "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी (proprietor), मातहतदार (under-proprietor) , अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh), दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) से है ;

(ग) पट्टे (lease) के अन्तर्गत माफ़ी या रियायती लगान की काश्त (rent free grant or a grant at a favourable rate of rent) भी है ; और

(घ) उन शब्दों और पदों का तात्पर्य, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गयी है, किन्तु यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में की गयी है, वही होगा जो उन्हें उक्त ऐक्ट में दिया गया है।

३—किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी:—

(१) मध्यवर्ती द्वारा भूमि का पट्टा, जो निश्चित दिनांक या उसके बाद दिया गया या निबन्धित (रजिस्टर्ड) किया गया हो, सम्पादन (एक्सीक्यूशन) के दिनांक से अवैध (वायड) होगा और एतद्द्वारा अवैध घोषित किया जाता है और पट्टेदार (lessee) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९, की धारा १८० के एवं १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २०९ के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यक्ति समझा जायगा जो समय विशेष पर प्रचलित विधि के उपबन्धों के विपरीत भूमि पर क़ाबिज़ हो ;

(२) मध्यवर्ती और काश्तकार (टेनेन्ट) के बीच किया गया ऐसा व्यवहार (ट्रांजेक्शन) जिससे काश्तकार को अपने खाते (holding) या उसके किसी भाग के विक्रय द्वारा संक्रामण का अधिकार प्राप्त हो और जो निश्चित दिनांक

को या उसके बाद किया या अभिनिविष्ट (एन्टर्ड इन टू) किया गया हो या निबन्धित (रजिस्टर्ड) किया गया हो, सम्पादन (एक्सीक्यूशन) के दिनांक से व्यर्थ और विफल होगा और एतद्द्वारा व्यर्थ और विफल घोषित किया जाता है।

स्पष्टीकरण--इस धारा में निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) का तात्पर्य ऐसे निबन्धन से है, जो लेख्यों (डाकूमेंट्स) के निबन्धन से सम्बद्ध समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार हो और उसके अन्तर्गत यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ५७ के अधीन साक्षीकरण (अटेस्टेशन) भी है।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (१९५१ ई० का अधिनियम सं० १) की वैधता के विरुद्ध आक्षेप के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट की आज्ञा के विरुद्ध निवेशित अपीलें ख़ारिज हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने अपना यह निश्चय घोषित कर दिया है कि १ जुलाई, १९५२ ई० से जमींदारी प्रथा का अन्त कर दिया जायगा। उस छोटी सी अवधि में, जिसमें मध्यवर्ती भूमि पर क़ाबिज रहेंगे, इस बात की आशंका है कि वे यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के अधीन भूमि-व्यवस्था से सम्बद्ध अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे और इस प्रकार जमींदारी विनाश के पश्चात् कठिनाइयाँ उत्पन्न करेंगे और कृषि सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था को भारी क्षति पहुंचायेंगे।

सामान्य जनता के हितों की रक्षा करने तथा ग्राम्य अर्थ व्यवस्था को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि विधेयक की धारा ३ में उल्लिखित प्रकार के वे व्यवहार (transactions) तथा पट्टे, जो इस विधेयक के गजट में प्रकाशन के दिनांक, अर्थात् २१ मई, १९५२ ई० को या उसके पश्चात् निबन्धन के लिए प्रस्तुत किये जायं, व्यर्थ (void) घोषित कर दिये जायं। इस प्रयोजन के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

नत्थी "ग"

उत्तर प्रदेश शूगर फैक्टरी कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

यूनाइटेड प्राविन्सेज शूगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए

विधेयक

यह उचित है कि आगे दिये गये प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविन्सेज शूगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ में संशोधन किया जाय,

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश शूगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल (संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

२—यू० पी० शूगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ (जो आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) के बड़े शीर्षक (long title) में :

(क) शब्द "to provide for the licensing of sugar factories and" निकाल दिये जायंगे ; और

(ख) शब्द 'in' और 'factories' के बीच आनेवाले शब्द such के स्थान पर शब्द 'sugar' रख दिया जायगा ।

३—मूल अधिनियम की प्रस्तावना में ;

(क) शब्द "to provide for the licensing of sugar factories and" निकाल दिये जायंगें;

(ख) शब्द "for regulating" के स्थान पर शब्द "to regulate" रख दिये जायं; और

(ग) शब्द 'in' और "factories" के बीच आने वाले शब्द "such" के स्थान पर शब्द " sugar " रख दिया जायगा ।

४—मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "and shall remain in force until the 30th June, 1952" निकाल दिये जायंगे ।

५—मूल अधिनियम का अध्याय ३ निकाल दिया जायगा ।

६—मूल अधिनियम की धारा २६ निकाल दी जायगी ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३८ की धारा २७ में संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा २८ की उपधारा (१) और (२) निकाल दी जायंगी।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३८ की धारा ३० में संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (२) में:

(क) खंड (c) निकाल दिया जायगा,

(ख) खंड (d) निकाल दिया जायगा,

(ग) खंड (e) में शब्द और और अंक "sections 13 (1) and 19 (5)" के स्थान पर शब्द और अंक "section 19 (5)" रख दिये जायंगे, और

(घ) खंड (f) में शब्द और अंक "sections 13 and 23" के स्थान पर शब्द और अंक "section 23" रख दिये जायंगे।

उद्देश्य और कारण

संसद ने इन्डस्ट्रीज (डेवलेपमेन्ट एन्ड रेगूलेशन्स) ऐक्ट, १९५१ नामक एक अधिनियम पारित किया है, जो ८ मई, सन् १९५२ ई० से प्रचलित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के लागू होने से यू० पी० शूगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ के कुछ उपबन्ध अब निष्प्रभाव हो गये हैं। इन उपबन्धों को निकाल देने तथा संशोधित अधिनियम को स्थायी रूप देने के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

हुकुम सिंह,
उद्योग मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०--२८-एल० सी०--१९५२--८२०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड-२५

मह

सन

पी० एस० यू० पी० ५७ एल० सी०---१९५५---७९३ (प्रो)